



वार्षिक रिपोर्ट 2008-09



वित्त मंत्रालय
भारत सरकार



वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

सार्वजनिक सम्पर्क हेतु:

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001

वेबसाइट: 23095120, 23092453

वेबसाइट: http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_eco_affairs/index.html

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001

वेबसाइट: 23095661, 23095613

वेबसाइट: http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_expenditure/index.html

राजस्व विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001

दूरभाष: 23095384, 23095385

वेबसाइट: http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_revenue/index.html

विनिवेश विभाग

ब्लॉक 11 और 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

दूरभाष: 24368528, 24368523, 24368044

वेबसाइट: <http://www.divest.nic.in>

वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली - 110 001

दूरभाष: 23748721, 23748734

वेबसाइट: http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_fin_service/fin_services.html

विषय सूची

पृष्ठ सं.

प्रस्तावना

अध्याय - I

आर्थिक कार्य विभाग

1	आर्थिक प्रभाग	11
2	बजट प्रभाग	12
3	पूँजी बाजार प्रभाग	14
4	अवसररचना एवं निवेश प्रभाग	25
5	बहुपक्षीय संस्था प्रभाग	29
6	बहुपक्षीय संबंध प्रभाग	33
7	सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग की प्रस्तावना	36
8	प्रशासन प्रभाग	37
9	द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग	41
10	एकीकृत वित्त प्रभाग	49
	संगठन चार्ट	51

अध्याय - II

व्यय विभाग

1	संस्थापना प्रभाग	55
2	वेतन अनुसंधान एकक (पी.आर.यू.)	55
3	एकीकृत वित्त एकक (आई.एफ.यू.)	55
4	राज्य वित्त प्रभाग (योजना वित्त - २)	56
5	वित्त आयोग प्रभाग	57
6	योजना वित्त-७ प्रभाग	57
7	कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू.)	58
8	मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय	58
9	मुख्य लेखा नियंत्रक	61
10	महालेखा नियंत्रक	62
11	केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	65
12	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	65
13	सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग	69
	संगठन चार्ट	71

अध्याय - III

राजस्व विभाग

1	संगठन एवं कार्यकलाप	75
2	राजस्व व विभाग मुख्यालय प्रशासन	76
3	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड	77

4	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	102
5	स्वापक नियंत्रण प्रभाग	142
6	केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो	145
7	प्रवर्तन निदेशालय	151
8	गैर-कानूनी रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति के संपहरण की व्यवस्था	153
9	राज्य कर	153
10	भारत वित्त आसूचना एकक (भारत-वि.आर.ए.)	157
11	एकीकृत वित्त प्रभाग	158
12	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	159
13	सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति	160
14	समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण	161
15	सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण	161
16	आयकर समझौता आयोग	161
17	सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग	162
18	अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर)	162
19	अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (के.उ.शु. एवं सीमा शुल्क एवं सेवा कर)	164
20	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण	166
21	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपील	166
22	लोक वित्त और नीति हेतु राष्ट्रीय संस्थान	166
23	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	167
24	अभिशासन गतिविधियाँ	168
25	शिकायत निवारण तंत्र	173
26	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों एवं सिक्किम का विकास	174
27	जेंडर बजटिंग/महिला सशक्तिकरण	176
28	अपंगता क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही गतिविधियाँ	177
29	केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड	178
30	सेवोत्तम	178
	संगठनात्मक चार्ट	180

अध्याय-IV

विनिवेश विभाग

1	कार्य और संगठनात्मक ढांचा	183
2	संगठनात्मक ढांचा	183
3	विनिवेश संबंधी नीति	183
4	निष्पादन/उपलब्धियाँ	184
5	विनिवेश से प्राप्त धनराशि	184
6	राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ)	184

7	राजभाषा नीति	184
8	ई-गवर्नेंस	184
9	शिकायत निवारण	185
10	सर्तकता तंत्र	185
11	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन	185
12	लेखापरीक्षा संबंधी पैराग्राफ/आपत्तियां	185
	संगठन चार्ट	186

अध्याय-V

वित्तीय सेवाएं विभाग

1	कार्य और संगठन	189
2	बैंकिंग परिचालन	190
3	कृषि ऋण क्षेत्र	193
4	संस्थागत वित्त	195
5	ऋण निगरानी एवं विकास	196
6	वित्तीय संस्थाएं	204
7	बीमा क्षेत्र	205
	संगठनात्मक चार्ट	215

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा का सार

प्रस्तावना

इस रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय की जनवरी 2008 से मार्च 2009 तक की गतिविधियों की समीक्षा की गई है। यह मंत्रालय केन्द्र सरकार के वित्त प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाने सहित संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों से जुड़ा है। यह राज्यों को संसाधनों के अंतरण सहित केन्द्र सरकार के व्यय का विनियमन करता है। इस अध्याय में 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2009 तक की अवधि के दौरान इस मंत्रालय के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इस मंत्रालय में पांच विभाग हैं नामतः

- आर्थिक कार्य विभाग
- व्यय विभाग
- राजस्व विभाग
- विनिवेश विभाग; और
- वित्तीय सेवाएं विभाग

1. आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक विकास

राजकोषीय वर्ष 2008-09 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के लिए उसकी अर्थव्यवस्था के विकास की नई रफ्तार बनाए रखने के प्रयास के लिए मुश्किलों भरा वर्ष रहा है। इस वर्ष के पूर्वार्ध में वस्तुओं खास तौर पर खनिज और खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आकस्मिक तेजी आई थी, जिसके आंशिक पास थू से भी भारत में प्रमुख मुद्रास्फीति दो अंकों के स्तर पर पहुंच गई थी। इस वर्ष के उत्तरार्ध में, अप्रत्याशित गहरे संकट ने औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजारों पर असर डाला, जिसके परिणामस्वरूप इन अर्थव्यवस्थाओं में मंदी छा गई। पूरे विश्व में इसका व्यापक प्रभाव पड़ चुका है। अधिकतर उभरते बाजार वाले देशों की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मंदी आई है और भारत भी इससे प्रभावित हुआ है।

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए 2008-09 (1999-2000 की स्थिर कीमतों पर) के राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमानों के अनुसार उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2008-09 में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें कृषि तथा सहबद्ध कार्यकलापों में 1.6 प्रतिशत, उद्योग 3.9 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद में तदनुरूप वृद्धि 9.0 प्रतिशत थी, जिसमें कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र, उद्योग और सेवा में वृद्धि दर क्रमशः 4.9, 8.1 और 10.9 प्रतिशत थी।

2008-09 के सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक अनुमानों के अनुसार 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान आर्थिक विकास में अच्छी खासी मंदी रही है। 2008-09 की चार तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर अनुमानतः क्रमशः 7.9 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत थी जबकि 2007-08 की इसी अवधि के दौरान यह दर क्रमशः 9.2, 9.0, 9.3 और 8.6 प्रतिशत थी।

वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बचत दर 2006-07 में 35.7 प्रतिशत के मुकाबले 2007-08 में 37.7 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान था जबकि सकल घरेलू पूंजी निर्माण 2006-07 के 36.9 प्रतिशत के मुकाबले 2007-08 में 39.1 प्रतिशत था।

कृषि

दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2008-09 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 233 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 229.85 मिलियन टन के स्तर पर रहने का अनुमान है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 121.54 मिलियन टन और रबी उत्पादन 111.06 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले क्रमशः 118.79 मिलियन टन और 111.46 मिलियन टन के स्तर पर रहने का अनुमान है।

वर्ष 2008 (जनवरी-फरवरी) को शीत ऋतु के दौरान देश में समग्र रूप से वर्षा दीर्घावधिक औसत (एलपीए) से 14 प्रतिशत कम हुई तथा 2008 की मॉनसून-पूर्व (मार्च-मई) की अवधि में वर्षा एलपीए से 15 प्रतिशत कम हुई। 2008 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान देश में समग्र रूप से वर्षा एलपीए से 2 प्रतिशत कम हुई। 2008 के दौरान मौसमी मानसून की वर्षा का वितरण बड़े पैमाने पर एक जैसा ही था।

सभी खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर 2007 की तदनुरूप अवधि में 1039.23 लाख हेक्टेयर की तुलना में 1014.81 लाख हेक्टेयर हो जाने की खबर है। 27.3.2009 की स्थिति के अनुसार, सभी रबी फसलों के लिए की गई बुआई का क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर 638.33 लाख हेक्टेयर हो जाने की खबर है जबकि 2007-08 की इसी अवधि में यह क्षेत्र 619.68 लाख हेक्टेयर था।

उद्योग

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार, 2008-09 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 2.6 प्रतिशत (अनन्तिम) थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह दर 8.5 प्रतिशत थी। विकास में यह कमी सभी तीन प्रमुख क्षेत्रों, विनिर्माण, खनन तथा बिजली में दिखाई दी, जिनमें 2008-09 के दौरान क्रमशः 2.5, 2.6 तथा 2.8 प्रतिशत की दर से विकास हुआ जबकि पिछले वर्ष विकास की ये दरें क्रमशः 9.0, 5.1 तथा 6.4 प्रतिशत थीं।

सभी पांच उपयोग आधारित औद्योगिक समूहों में से चार समूह नामशः बुनियादी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती समूह और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि में 2007-08 के मुकाबले 2008-09 के दौरान तीव्र कमी देखी गई। पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्रक में 2008-09 के दौरान 7.0 प्रतिशत की धीमी वृद्धि देखी गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह वृद्धि 18.0 प्रतिशत थी। बुनियादी वस्तुओं की वृद्धि 2007-08 के दौरान 7.0 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 के दौरान 2.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। मध्यवर्ती वस्तुओं के मामले में वृद्धि 2007-08 में 9.0 प्रतिशत के मुकाबले ऋणात्मक होकर -2.2 प्रतिशत पर आ गई। उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रक में वृद्धि दर में गिरावट देखी गई और यह 2007-08 के दौरान 6.1 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 में 4.5 प्रतिशत पर आ गई। यह मुख्यतः उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में आयी कमी के कारण हुआ, जिसकी वृद्धि दर गिरकर पिछले वर्ष के 8.6 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 के दौरान 4.4 प्रतिशत पर आ गई। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि दर 2007-08 में -1.0 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 4.4 प्रतिशत पर पहुंच गई।

पृथक-पृथक देखने पर, 17 दो अंकीय औद्योगिक समूहों में से आठ समूह - खाद्य उत्पाद, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, जूट वस्त्र, लकड़ी के उत्पाद, चर्म के उत्पाद, रबड़, प्लास्टिक तथा पेट्रोलियम उत्पाद और धात्विक उत्पादों में 2008-09 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई। शेष 9 औद्योगिक समूहों में से 7 समूहों में 5 प्रतिशत से कम वृद्धि दर्ज हुई। मशीनरी तथा उपस्कर समूह में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पेय तथा तंबाकू से संबंधित उत्पादों में 16.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।

अवसंरचना

अवसंरचना विशेष पूर्वापार संबंध सृजित करती है और इसलिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए इसका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अवसंरचना से सीधा संबंध रखने वाले छह प्रमुख उद्योगों के समग्र सूचकांक में 2008-09 के दौरान 2.7 प्रतिशत (अनन्तिम) वृद्धि दर्ज हुई जो 2007-08 के दौरान दर्ज 5.9 प्रतिशत वृद्धि से कम है। छह प्रमुख क्षेत्रकों में से चार-पेट्रोलियम तेलशोधन उत्पाद, बिजली, सीमेंट और परिष्कृत (कार्बन) इस्पात में पिछले वर्ष की अपेक्षा 2008-09 के दौरान कम वृद्धि दर्ज हुई जबकि कच्चे तेल क्षेत्रक में 2008-09 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई। लेकिन कोयले की वृद्धि में पिछले वर्ष के मुकाबले 2008-09 के दौरान तेजी रही है।

कीमतें और मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति जो वर्षानुवर्ष आधार पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में आए परिवर्तनों के द्वारा मापी जाती है, 2 अगस्त, 2008 को 12.9 प्रतिशत के अपने आंतर वर्ष के शिखर से तीव्रता से गिरकर 28 मार्च, 2009 तक 0.8 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। औसत वार्षिक मुद्रास्फीति 2007-08 में 4.7 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 8.4 प्रतिशत (अनन्तिम) रहने का अनुमान है, जबकि मार्च, 2009 में औसत मासिक मुद्रास्फीति मार्च, 2008 में 7.5 प्रतिशत की तुलना में 1.2 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है।

पृथक-पृथक देखने पर, प्राथमिक वस्तुओं (डब्ल्यूपीआई समूह में 22.0 प्रतिशत भारांश के साथ) और विनिर्मित वस्तुएं 63.8 प्रतिशत भारांश के साथ) में मार्चान्त 2009 तक क्रमशः 5.2 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक वर्ष पहले यह वृद्धि क्रमशः 9.7 प्रतिशत और 7.3

प्रतिशत थी। संमिश्र खाद्य सूचकांक (25.43 प्रतिशत भारांश के साथ) में मुद्रास्फीति 28 मार्च, 2009 को 6.8 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष के 6.4 प्रतिशत से अधिक है। डब्ल्यूपीआई के विनिर्माण समूह (53.72 प्रतिशत भारांश के साथ) में संमिश्र खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति मार्चान्त 2009 में 0.9 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष में दर्ज हुई 6.9 प्रतिशत से बहुत ही कम है।

‘ईंधन, विद्युत, प्रकाश और स्नेहक’ समूह (14.2 प्रतिशत भारांश के साथ) की वार्षिक मुद्रास्फीति में 28 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 6.1 प्रतिशत ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर्ज की गई जबकि एक वर्ष पहले यह 6.8 प्रतिशत के स्तर पर थी। प्रशासित खनिज तेलों (5.44 प्रतिशत भारांश के साथ) में मार्चान्त 2009 में 1 प्रतिशत की ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर्ज हुई जबकि पिछले वर्ष यह 2 प्रतिशत के धनात्मक स्तर पर थी। प्रशासित वस्तुएं (1.55 प्रतिशत भारांश के साथ) छोड़कर खनिज तेलों में 28 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 26.6 प्रतिशत की ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर्ज हुई, जो पिछले वर्ष के 30.9 प्रतिशत के स्तर से बहुत कम है। यह कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट जो जुलाई 2008 में औसत 132.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल से गिरकर मार्च 2009 में 46.6 अमरीकी डालर प्रति बैरल तक आ पहुंची, के कारण पास-श्रु दिए जाने का परिणाम है।

औद्योगिक कामगारों के लिए प्रयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति वर्षानुवर्ष आधार पर पिछले वर्ष के 7.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 में 8 प्रतिशत पर पहुंच गई। पिछले चार वर्षों का विश्लेषण इस ओर संकेत करता है कि डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति और सीपीआई मुद्रास्फीति में आम तौर पर आगे-पीछे घट-बढ़ हुई और यह घट-बढ़ अप्रैल 2007 तक बनी रही। इसके बाद डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई में मापित मुद्रास्फीति में कुछ अंतर देखा गया। इसके अतिरिक्त, हाल की अवधि में यह अंतर अस्वाभाविक तौर पर अधिक रहा, जो डब्ल्यूपीआई में अधिक भारांश वाली वस्तु की कीमतों में अस्थिरता प्रतिबिम्बित करता है।

डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई सूचकांकों पर आधारित मुद्रास्फीति की दरों में मौजूद अंतर की बड़ी वजह खाद्य वस्तुओं, जिनका डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई सूचकांकों में अधिक भारांश है, की कीमतें हैं। औद्योगिक कामगारों के लिए वर्षानुवर्ष सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च, 2009 में खाद्य वस्तुओं के लिए 10.6 प्रतिशत तथा खाद्य-भिन्न वस्तुओं के लिए 5.7 प्रतिशत थी। मार्च, 2009 में शहरी श्रमिकेतर कर्मचारियों, कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए खाद्य की सीपीआई मुद्रास्फीति क्रमशः 12.2 प्रतिशत, 9.7 प्रतिशत और 9.98 प्रतिशत पर बनी रही तथा इसी समूह की खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति क्रमशः 6.7 प्रतिशत, 8.9 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत पर दर्ज हुई।

मौद्रिक प्रवृत्तियां और घटनाक्रम

वर्ष 2008-09 ऐसा वर्ष था जब मौद्रिक नीति में वर्ष के दौरान परिवर्तन किया गया जिसने पूर्वार्ध की कठोर नीतिगत व्यवस्था से बदलकर उत्तरार्ध में विस्तारवादी चरण का रूप ले लिया। इसके अतिरिक्त 2008 के मध्य से मौद्रिक नीति के लिए प्रमुख चुनौती देश की विकास दर पर पड़ने वाले वैश्विक वित्तीय संकट के व्यापक प्रभावों को कम करना रही है। इसका ध्यान वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, कीमतें स्थिर बनाए रखने, स्फीतिकारी संभावनाओं पर काबू पाने के बीच इष्टतम संतुलन बनाने और साथ ही विकास की रफ्तार बनाए रखने पर रहा है।

स्थूल मुद्रा (एम3) में मार्चान्त 2008 में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना

में 2008-09 में 18.4 प्रतिशत की कम दर पर वृद्धि हुई। यह 2008-09 के 19.0 प्रतिशत के अनुमानित लक्ष्य से मामूली-सी कम थी। एम3 के प्रमुख घटकों में ये शामिल हैं: (1) जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (2) बैंकों के पास मांग जमाशियाँ, और (3) मीयादी जमाशियाँ। जनता के पास उपलब्ध मुद्रा तथा बैंकों की मांग जमाशियों में पिछले वर्ष में हुई क्रमशः 17.7 प्रतिशत और 20.9 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2008-09 के दौरान क्रमशः 17.2 प्रतिशत और (-)0.2 प्रतिशत की अपेक्षाकृत धीमी दर पर वृद्धि हुई जबकि बैंकों की मीयादी जमाशियों में पिछले वर्ष हुई 21.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2008-09 में 22.6 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज हुई।

2008-09 के दौरान आरक्षित मुद्रा (एम0) में 6.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि 2007-08 में यह दर 31.0 प्रतिशत थी। आरक्षित मुद्रा में वृद्धि का एक प्रमुख निर्धारक तत्व भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एनएफए) में 2007-08 में हुई 42.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2008-09 में केवल 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः घटे हुए पूंजी अंतर्वाहों के कारण हुई हैं। 2008-09 के वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के निवल घरेलू उधार (एनडीसी) में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में हुए (-) 164,031 करोड़ रुपये के संकुचन के मुकाबले 116,246 करोड़ रुपये का विस्तार हुआ। यह मुख्यतः केन्द्र सरकार को दिए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के निवल उधार में हुई वृद्धि के कारण था।

वित्त वर्ष 2008-09 के प्रथम छह महीनों में ऐसी स्थिति आयी जब भारतीय रिजर्व बैंक को बढ़े हुए पूंजी अंतर्वाहों के परिणामस्वरूप उभरा मौद्रिक विस्तार आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) और रेपो दर (आरआर) में वृद्धि करके नियंत्रित करना पड़ा। सीआरआर बढ़ाकर 7.75 (26 अप्रैल, 2008 की स्थिति) से 30 अगस्त, 2008 को 9.0 प्रतिशत किया गया था, आरआर भी तीन ट्रांशों में बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत (1 अप्रैल, 2008 को प्रचलित) से 30 जुलाई, 2008 तक 9.0 प्रतिशत किया गया था। हालांकि रिजर्व रेपो दर (आर-आरआर) 6.0 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित रखी गई।

हालांकि बाद के महीनों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के अंतर्वाहों में गिरावट आने के कारण पूंजी अंतर्वाह पिछले वृद्धिकारी रुझान को पलटते हुए घट गए। सितम्बर/अक्टूबर 2008 के महीनों में भारतीय मुद्रा बाजारों में नकदी की कमी देखी गई, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों में उभरी हलचल के साथ-साथ उसके परिणामस्वरूप रही थी। हालांकि वैश्विक वित्तीय संकट अक्टूबर 2008 के बाद भी गहराता रहा, भारतीय मुद्रा बाजार में नकदी की कमी की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नीतिगत उपायों से सुधार हुआ; दरअसल यह स्थिति बदलकर अतिरिक्त नकदी की स्थिति हो गई जब भारतीय रिजर्व बैंक की रिजर्व-रेपो (आर-आर) सुविधा में मुद्रा बाजार के भागीदारों द्वारा बड़ी राशि रोक के रखी गई।

वित्तीय बाजारों में बदलती-उभरती स्थिति से निपटने के लिए आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) तथा खुले बाजार के प्रचालन (ओएमओ), जिसमें बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) और नकदी समायोजन सुविधा शामिल है, जैसे नकदी प्रबंधन साधनों का उपयोग किया गया था। नकदी अन्तःक्षेपित करने के लिए 6 नवंबर, 2008 से एमएसएस वापसी खरीद नीलामियाँ भी शुरू की गई थीं। ज्यों ही नकदी की स्थिति सुधरी, एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक निवल बकाया नकदी अन्तःक्षेपण

तीव्रता से कम हो गया और दिसंबर 2008 के आरंभ से निवल अवशोषण में बदल गया।

एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक निवल नकदी अन्तःक्षेपण अगस्त 2008 के दौरान के 22,560 करोड़ रुपये से बहुत अधिक बढ़कर सितंबर 2008 के पहले पखवाड़े में 15,079 करोड़ रुपये से और आगे सितंबर 2008 के दौरान 42,591 करोड़ रुपये और अक्टूबर 2008 में और बढ़कर 45,612 करोड़ रुपये हो गया। नवंबर, 2008 के दौरान स्थिति अच्छी हो गई जब एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक निवल नकदी अन्तःक्षेपण गिरकर 8017 करोड़ रुपये पर आ गया। अनुवर्ती महीनों में एलएएफ के अंतर्गत रिजर्व रेपो के माध्यम से नकदी की औसत दैनिक खपत देखी गई, जो दिसंबर 2008 में 22,294 करोड़ रुपये, जनवरी, 2009 में 45,474 करोड़ रुपये, फरवरी 2009 में 50,564 करोड़ रुपये और मार्च 2009 में 33,360 करोड़ रुपये थी जिससे मुद्रा बाजार में पर्याप्त नकदी के संकेत मिलते हैं। यह भारत औसत मांग मुद्रा दर में प्रतिबिंबित हुआ जो 10 अक्टूबर, 2008 को 19.7 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर 31 मार्च 2009 को 4.98 प्रतिशत पर आ गई।

अधिक प्रभावशाली नकदी प्रबंधन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार का बाजार उधार कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहे, 19 फरवरी 2009 से खुले बाजार प्रचालन के क्षेत्र का विस्तार किया गया जिसमें वार्ताकारी व्यापार तंत्र - आदेश मैचिंग (एनडीएस - ओएम) घटक के माध्यम से किए गए क्रयों के अतिरिक्त नीलामी आधारित तंत्र के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद शामिल थी।

सरकार के एमएसएस नकदी खाते से सामान्य नकदी खाते में अवरुद्ध नकदी के अंतरण की अनुमति देने के लिए एमएसएस संबंधी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए समझौता ज्ञापन को 26 फरवरी 2009 को संशोधित किया गया।

बैंक ऋण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए बैंक ऋण जिनमें खाद्य और खाद्य-भिन्न ऋण शामिल है, में 2008-09 में पिछले वर्ष के 22.3 प्रतिशत की तुलना में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाद्य ऋण 2008-09 के दौरान पिछले वर्ष की (-) 4.6 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 4.1 प्रतिशत बढ़ा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया खाद्य-भिन्न ऋण 2008-09 के दौरान 2007-08 की तदनु रूप अवधि के 23.0 प्रतिशत की तुलना में 17.8 प्रतिशत बढ़ा है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सांविधिक नकदी अनुपात प्रतिभूतियों में उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के अनुसार किया गया निवेश निर्धारित स्तरों से अधिक बना रहा है। मार्चान्त 2008 में 27.8 प्रतिशत के स्तर की तुलना में बढ़कर यह मार्चान्त 2009 में 28.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार बकाया आधार पर नकदी समायोजन सुविधा के संबंध में संपाश्विक प्रतिभूतियों के समायोजन के पश्चात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों की धारिता मार्चान्त 2009 में एनडीटीएल का 26.7 प्रतिशत बैठी, जो 24.0 प्रतिशत के स्तर से अधिक थी।

वर्ष 2008-09 में मौद्रिक नीति को उभरती हुई आर्थिक स्थिति का समाधान करना था जिसमें वर्ष के उत्तरार्ध की स्थिति पूर्वार्ध की स्थिति से बहुत भिन्न थी। मुख्य बल पर्याप्त रुपया नकदी उपलब्ध कराने, समुचित डालर नकदी सुनिश्चित करने और उत्पादनकारी क्षेत्रों को ऋण के

निरंतर प्रवाह के लिए अनुकूल बाजार वातावरण बनाए रखने पर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के आलोक में 2008-09 के अंत में नकदी की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीति विवरण की घोषणा 21 अप्रैल 2009 को की गई थी। हाल में आर्थिक विकास में देखी गई गिरावट पर मौद्रिक नीति द्वारा अनुक्रिया किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के 2009-10 के वार्षिक नीति विवरण का लक्ष्य घरेलू अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को कम करना और अर्थव्यवस्था को मूल्य व वित्तीय स्थिरता के उच्च विकास के पथ पर वापस अग्रसर करना है।

वैदेशिक क्षेत्र

वर्ष 2008-09 की विशेषता खासकर वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र में प्रतिकूल घटनाक्रम रहे जिन्होंने वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव प्रतिबिंबित किया। वैश्विक मांग में मंदी, पूंजी प्रवाहों में उलटाव और वैश्विक ऋण बाजार में प्रतिकूल स्थितियों के आलोक में वित्त साधनों के विदेशी स्रोतों तक पहुंच कम होने के कारण वैदेशिक वातावरण बिगड़ गया। सकारात्मक पक्ष यह रहा कि अंतरराष्ट्रीय तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में हुए महत्वपूर्ण सुधार ने आयातों में कमी लाने और अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबावों को समाप्त करना सुसाध्य बनाया।

भारत वैश्विक वित्तीय संकट के आरंभिक चरण में, जो अगस्त 2007 के आसपास शुरू हुआ, अधिक प्रभावित नहीं हुआ था। असल में, वैश्विक वित्तीय संकट का आरंभिक असर सकारात्मक था क्योंकि भारत को मार्च-जुलाई, 2007 के दौरान 11.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में सितंबर 2007 से जनवरी 2008 के दौरान 28.7 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारी अंतर्वाह प्राप्त हुए। इससे 'असंयोजन' पर बहस शुरू हो गई जहां यह विश्वास बना कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इस संकट से मोटे तौर पर अप्रभावित रहेंगी और विश्व की अर्थव्यवस्था को विकास का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएंगी। यह तर्क निराधार साबित हुआ क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट गहरा गया और भुगतान शेष के पूंजी और चालू खाता मार्गों के माध्यम से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में फैल गया।

इस वित्तीय संकट ने आरंभ में भुगतान शेष के पूंजी खाते (पोर्टफोलियो और प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह) के माध्यम से और तत्पश्चात चालू खाते (निर्यात, प्रेषण आदि) के माध्यम से उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया। वैश्विक आर्थिक मंदी के संकेत 2008-09 (तीसरी तिमाही तक) की भारत के भुगतान शेष की स्थिति में स्पष्ट थे। इस वर्ष (अप्रैल-दिसंबर 2008) की पहली तीन तिमाहियों के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के 69.3 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 8.2 प्रतिशत) की तुलना में बढ़कर 105.3 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 12 प्रतिशत) हो गया, जो मुख्यतया आयातों में हुई उच्च वृद्धि के साथ निर्यातों में आई गिरावट के कारण हुआ था। इसी तरह, इस अवधि के दौरान वस्तु और सेवा घाटा (अर्थात व्यापार संतुलन और सेवाएं) पिछले वर्ष 39.3 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 प्रतिशत) से बढ़कर 68.2 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 7.7 प्रतिशत) हो गया। अदृश्य प्राप्ति शेष ने फिर भी 2007-08 (तीसरी तिमाही तक) में 53.8 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत) से बढ़ते हुए 2008-09 (तीसरी तिमाही तक) के दौरान 68.9 बिलियन अमरीकी डालर

(सकल घरेलू उत्पाद का 7.8 प्रतिशत) की निवल अदृश्य प्राप्तियों में 28 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए सुधार दर्शाया, जो मुख्यतया निजी अंतरणों और सॉफ्टवेयर सेवाओं के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण हुआ था। इसने अंशतः उच्च व्यापार घाटे के प्रभाव को नकार दिया। चालू खाता घाटा 2008-09 की पहली तीन तिमाहियों में 2007-08 की तदनुसूच अवधि के दौरान के 15.5 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत) के विपरीत 36.5 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत) था।

निवल पूंजी प्रवाह अप्रैल-दिसंबर 2008 में 15.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर थे और ये अप्रैल-दिसंबर 2007 में 82.0 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में काफी कम थे। एफडीआई और एनआरआई जमाराशियों के सिवाय, सभी प्रमुख घटकों ने, अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुसूच अवधि के स्तर से गिरावट दर्शायी है। वैश्विक संकट के परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो प्रवाहों (2007-08 में 33.29 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर 2008-09 में -11.3 बिलियन अमरीकी डालर) और भारत को मिलने वाले अल्पावधिक व्यापार ऋणों के मामले में यह गिरावट तीव्र थी। निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत में निवेश के माहौल में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास प्रतिबिंबित करते हुए पिछले वर्ष की तदनुसूच अवधि के दौरान के 6.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 123.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 15.4 बिलियन अमरीकी डालर था। एफडीआई अंतर्वाह काफी व्यापक आधार वाले थे और विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, संचार सेवाओं आदि जैसी अनेक आर्थिक गतिविधियों में फैले हुए थे। पूंजी खाता शेष 2008-09 (तीसरी तिमाही तक) के दौरान 2007-08 में तदनुसूच अवधि के दौरान 82.68 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 9.8 प्रतिशत) के स्तर से काफी अधिक गिरकर 16.09 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत) रह गए।

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार निवेश गंतव्य के रूप में भारत की ओर तुलनात्मक आकर्षण प्रतिबिंबित करते हुए आगत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रैल, 2008 - फरवरी 2009 के दौरान 2007-08 के 27.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 31.7 बिलियन अमरीकी डालर थे। इसी तरह अनिवासी भारतीय प्रवाह सकारात्मक रहे जो अप्रैल 2008 - फरवरी 2009 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुसूच अवधि में 0.30 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट की तुलना में 2.8 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के थे। लेकिन 2007-08 के दौरान 20.3 बिलियन अमरीकी डालर के निवल विदेशी संस्थागत निवेशों के अंतर्वाहों की तुलना में 2008-09 (अप्रैल-मार्च) के दौरान पोर्टफोलियो निवेशकों/विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा 15.0 बिलियन अमरीकी डालर का प्रचुर पूंजी बहिर्वाह किया गया था।

पण्य व्यापार

वर्ष 2008-09 के लिए शुरू में 200 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे बाद में संशोधित करके 175 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया था। 2008-09 में पण्य निर्यातों का मूल्य वैश्विक मंदी के बावजूद 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 168.7 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया और इस प्रकार संशोधित निर्यात लक्ष्य का 96.4 प्रतिशत हासिल कर लिया। हालांकि अगस्त 2008 तक निर्यात वृद्धि अच्छी-खासी रही थी। सितंबर में यह कम हो गई और वैश्विक मंदी के कारण अक्टूबर 2008 से मार्च 2009 के दौरान नकारात्मक हो गई। 2008-09 के दौरान निर्यात वृद्धि के प्रमुख संचालक इंजीनियरिंग सामान,

रसायन और संबद्ध उत्पाद तथा कृषि और संबद्ध उत्पाद थे। पेट्रोलियम और वस्त्र उत्पादों में सकारात्मक परन्तु कम वृद्धि देखी गई जबकि हस्तशिल्प और अयस्क व खनिज, रत्न और आभूषण तथा समुद्री उत्पादों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2008-09 के दौरान आयात वृद्धि पीओएल और पीओएल-भिन्न आयात दोनों के घटकर क्रमशः 16.9 प्रतिशत और 13.2 प्रतिशत होने से 14.4 प्रतिशत के स्तर पर कम रही। सोने और चांदी के आयात में -7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई और पीओएल-भिन्न बुलियन-भिन्न आयात 15 प्रतिशत बढ़े हैं। यह वैश्विक मंदी के कारण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की अपेक्षाकृत कम कीमतों जिनमें ब्रेन्ट की कीमत में केवल 1.9 प्रतिशत वृद्धि हुई और भारतीय कच्चे तेल के आयात की कीमत में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई; औद्योगिक गतिविधि मंद पड़ गई और निर्यातों की मांग कम हुई जिसके फलस्वरूप निर्यातों एवं औद्योगिक गतिविधि के लिए अपेक्षित आयातों की मांग अपेक्षाकृत कम हो गई। लेकिन जैसे-जैसे वैश्विक मंदी बदतर होती गई और जनवरी से मार्च 2009 तक आयात वृद्धि नकारात्मक हो गई, पीओएल और पीओएल-भिन्न आयात दोनों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। यहां तक कि पीओएल-भिन्न बुलियन-भिन्न आयात वृद्धि गिर गई और नकारात्मक हो गई जिससे निर्यात में गिरावट और औद्योगिक क्षेत्रक द्वारा आयात के लिए मांग में गिरावट प्रतिबिंबित हुई।

वर्ष 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान घरेलू मांग पूरी करने के लिए उर्वरकों (160 प्रतिशत) और खाद्य तेलों (32.8 प्रतिशत), 2008-09 के पूर्वार्ध में कीमतों में असाधारण उच्च वृद्धि के कारण पीओएल (22.38 प्रतिशत), रत्न और आभूषण के निर्यात में वापसी सुधार के कारण मोती, कीमती और अर्ध-कीमती नगों (76.5 प्रतिशत) द्वारा उच्च आयात वृद्धि दर्ज की गई। अनाज की आयात वृद्धि बहुत नकारात्मक थी। सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार व्यापार घाटा 2008-09 में 34.5 प्रतिशत बढ़कर 119.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

विदेशी मुद्रा भंडार, विनिमय दर और विदेशी ऋण

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण, एसडीआर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित ट्रांश स्थिति शामिल हैं। मार्चान्त 1991 में 5.8 बिलियन अमरीकी डालर के मामूली स्तर से आरंभ होकर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर मई-अंत, 2008 में 314.61 बिलियन अमरीकी डालर के शीर्ष पर पहुंच गया। हालांकि उसके बाद यह मुद्रा भंडार कम हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार मार्चान्त 2009 में 252.0 बिलियन अमरीकी डालर था।

वर्ष 2008-09 में पूंजी प्रवाहों में मंदी और व्यापार घाटे के बढ़ने के परिणामस्वरूप रुपये में निरन्तर मूल्यहास हुआ है। सितंबर 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के गहराने से पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा पूंजी प्रवाहों में और संकुचन तथा निर्यात में गिरावट हुई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपने विदेशी नकद शेषों की पुनःपूर्ति करने के लिए इक्विटी हिस्से बेचने के कारण 2008-09 के दौरान भारत से पोर्टफोलियो प्रवाहों के निवल निकास ने विदेशी मुद्रा बाजार में मांग-आपूर्ति असंतुलन सृजित करते हुए स्टॉक बाजार और विनिमय दरों पर जबर्दस्त प्रभाव डाला था। इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप रुपये के मूल्य में गिरावट हुई जो अप्रैल 2008 में 40.02 रुपये प्रति अमरीकी डालर के औसत से गिरता हुआ मार्च 2009 में 51.23 रुपये प्रति अमरीकी डालर हो गया जिससे रुपये में 21.88 प्रतिशत मूल्यहास प्रतिबिंबित हुआ। 2008-09 के दौरान

वार्षिक औसत विनिमय दर 45.99 रुपये प्रति अमरीकी डालर थी। मई-अगस्त, 2008 के दौरान रुपये का मूल्य 42-43 रुपये प्रति अमरीकी डालर के बीच स्थिर बना रहा और अक्टूबर 2008 से फरवरी 2009 के दौरान 48-49 रुपये प्रति अमरीकी डालर के बीच बना रहा। सितंबर 2008 के दौरान रुपये का औसत मूल्य 45.56 रुपये प्रति अमरीकी डालर था।

दिसंबर-अंत 2008 में भारत का कुल बकाया विदेशी ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 24.9 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि प्रतिबिंबित करते हुए 230.9 बिलियन अमरीकी डालर (1,118,565 करोड़ रुपये) था। घटकों के संदर्भ में दीर्घावधिक ऋण 183.4 बिलियन अमरीकी डालर और अल्पावधिक ऋण 47.5 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का था। दिसंबर-अंत 2008 में अमरीकी डालर में मूल्यवर्गित विदेशी ऋण कुल विदेशी ऋण का 53.1 प्रतिशत बैठता था। दिसंबर-अंत 2008 में कुल विदेशी ऋण में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 110.9 प्रतिशत पर था। विदेशी मुद्रा भंडार में अल्पावधिक ऋण का अनुपात जो जून-अंत 2008 के 15.6 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर-अंत 2008 में 17.7 प्रतिशत हो गया तथा और अधिक बढ़कर दिसंबर-अंत 2008 में 18.5 प्रतिशत हो गया। विश्व बैंक के ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस, 2008 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर विभिन्न देशों की पारस्परिक तुलना में विकासशील देशों में कुल विदेशी ऋण स्टॉक के संदर्भ में 2006 में भारत का पांचवां स्थान था। हालांकि, सकल राष्ट्रीय आय में ऋण का अनुपात (17.8 प्रतिशत) और ऋण शोधन अनुपात (4.8 प्रतिशत) के संदर्भ में 10 ऋणी देशों में भारत की स्थिति नीचे से दूसरी थी।

सामाजिक क्षेत्र का विकास

ग्रामीण विकास सहित सामाजिक सेवाओं पर केंद्र सरकार का व्यय 2002-03 में 46,409 करोड़ रुपये से बढ़कर 2007-08 (सं.अ.) में 1,09,585 करोड़ रुपये हो गया और 2008-09 (संशोधित अनुमान) में 1,75,111 करोड़ रुपये हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से) का सामाजिक क्षेत्रों पर कुल व्यय 2003-04 में 5.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 2008-09 (ब.अ.) में 6.72 प्रतिशत किया गया।

2. व्यय विभाग

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों की जांच करने हेतु एक नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर-योजना व्यय दोनों) का स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को अंतरित केन्द्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रख-रखाव; वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए और वित्तीय नियमावली/विनियमों/आदेशों को लागू करके तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/प्रेक्षणों के प्रबोधन के जरिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केन्द्रीय सरकारी लेखों को तैयार करना, केन्द्र सरकार के कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्यों के नियंत्रण में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना, स्टाफिंग पैटर्न और ओ.एंड.एम. अध्ययनों की समीक्षा के जरिए संगठनात्मक पुनर्गठन में सहायता करना और उत्पादन और सार्वजनिक व्यय के परिणामों को अनुकूलतम बनाने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना शामिल है। यह विभाग मंत्रालय के संसद से संबंधित कार्यों सहित वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों का समन्वय भी कर रहा है।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

विभाग की कार्यसूची का निर्देशन (1) संस्थागत सुधारों की 5 बातों अर्थात् विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और ई-गवर्नेंस सहित प्रधानमंत्री द्वारा व्यय विभाग के लिए निर्धारित वे क्षेत्र, जिन पर विशेष बल दिया गया है (2) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत बजट में प्रस्तुत राजकोषीय नीति संबंधी स्ट्रेटजी विवरण में वित्त मंत्री द्वारा घोषित व्यय प्रबंधन संबंधी पहल (3) राजकोषीय सुधारों से संबंधित 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा मुहैया कराई गई संरचना द्वारा किया जाता है।

व्यय विभाग को आबंटित कार्य इसके स्थापना प्रभाग, योजना वित्त- I और II प्रभाग, वित्त आयोग प्रभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा, महालेखा नियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से किए जाते हैं।

3. राजस्व विभाग

राजस्व विभाग, संघ सरकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राजस्व के संबंध में नियंत्रण का कार्य करता है। विभाग को केन्द्रीय बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क तथा अन्य संगत आर्थिक संविधियों से संबंधित अधिनियमों में दिए गए विनियामक उपायों के प्रशासन तथा प्रवर्तन का कार्य भी सौंपा गया है। अफीम और उसके उत्पादों के उत्पादन तथा निपटान का नियंत्रण भी विभाग के पास है।

यह विभाग राज्यों के सहयोग से माल एवं सेवा के लिए अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में भी कराधान सुधारों को सुकर बना रहा है। इसकी परिधि व्यापक है जिसमें पूर्ववर्ती राज्य बिक्री कर से मूल्य वर्धित कर में अन्तर्ण, केन्द्रीय बिक्री कर का समापन और विशेष महत्व के माल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क का युक्तिकरण तथा अन्ततोगत्वा एकीकृत राष्ट्रीय स्तर के माल और सेवा कर के लिए दिशा निर्धारित करना शामिल है।

देश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने, अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि सुनिश्चित करने, बृहत आर्थिक स्थिरता और सामाजिक क्षेत्र में निवेशों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देने के लिए सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु कर नीतियाँ बनाई जाती हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2008-09 के बजट में उपयुक्त परिवर्तन किए गए थे। इन परिवर्तनों के ब्यौरे पैराग्राफ 3.4 और 4.9 में दिए गए हैं।

सामाजिक आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सरकार के दृढ़ निश्चय को देखते हुए तस्करी, कर अपवंचन आदि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान देश भर में अभियान जारी रहा। इस वर्ष अन्य देशों की आसूचना/प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय के प्रयास भी जारी रहे।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में संबंधित विनियामक एजेंसियों के बीच आदान-प्रदान एवं समन्वय के लिए आर्थिक आसूचना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ब्यूरो को कोफेपोसा अधिनियम, 1974 (विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम) के समग्र प्रशासन तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाइयों के अनुवीक्षण का कार्य भी सौंपा गया है। ब्यूरो आर्थिक अपराधों से निपटने वाली प्रवर्तन एजेंसियों और वित्त मंत्रालय के तहत विभागों के बीच

समन्वय में सुधार के लिए स्थापित आर्थिक आसूचना परिषद के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

आयकर विभाग के देश भर में स्थित कार्यालयों के द्वारा कर अपवंचकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहा। 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान कुल 4286 तलाशी वारंट जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप 748.29 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियाँ जब्त की गईं। इसी अवधि के दौरान 8695 सर्वेक्षण (अनन्तिम) किए गए जिनसे 5838.5 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की अतिरिक्त आय उद्धाटित हुई थी। जहां तक निर्धारितियों का संबंध है, समान वित्तीय वर्ष के दौरान 9.01 लाख नये निर्धारित जोड़े गए।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों ने शुल्क अपवंचन के अपने अभियान को जोर शोर से जारी रखा। 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के कुल 5785 मामले पकड़े गए जिनमें 8618.84 करोड़ रुपये का शुल्क पता चला जिसमें से 1585.96 करोड़ रुपये की शुल्क राशि वसूली गई थी। जहां तक सीमा शुल्क अपवंचन के मामलों का संबंध है समान वित्तीय वर्ष में 2535 करोड़ रुपये के शुल्क के 1812 मामले पकड़े गए। तस्करी के विरुद्ध अभियान निर्बाध रूप से चलता रहा है। देश में और देश के बाहर दोनों जगह निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने के लिए तटों, भू सीमाओं के साथ के सभी आयुक्तों अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन के प्रभारी पूरी तरह से सतर्क रहे। परिणामस्वरूप समान वित्तीय वर्ष के दौरान तस्करी की जब्ती के 47908 मामलों में 1800.66 करोड़ रुपये मूल्य के निषिद्ध माल की जब्ती की गई।

4. विनिवेश विभाग

विनिवेश मंत्रालय को 27 मई, 2004 से वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग में परिवर्तित कर दिया गया था और इसे विनिवेश से संबंधित वे सभी काम सौंपे गए थे जो पहले विनिवेश मंत्रालय द्वारा निष्पादित किए जाते थे। जनवरी 2006 में विनिवेश विभाग को, राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराए गए विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति से संबंधित कार्य भी सौंपा गया था।

सरकार द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में सरकार की नीति की रूप-रेखा दी गई है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में सरकार की इक्विटी का विनिवेश करना शामिल है।

5. वित्तीय सेवाएं विभाग

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय का भूतपूर्व बैंकिंग तथा बीमा प्रभाग दिनांक 28.06.2007 से एक स्वतंत्र विभाग अर्थात् वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) बन गया है। विभाग का कार्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों तथा पेंशन सुधार से संबंधित मामलों की देखभाल करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र सुधारों को बैंकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता बढ़ाने, बासेल-II मानदंडों को आसानी से अपनाने के लिए बैंकों को पूंजी के संवर्धन हेतु अतिरिक्त विकल्प प्रदान करने, संदाय एवं निपटान प्रणाली का सुचारु एवं जोखिममुक्त कार्यसंचालन सुनिश्चित करने, बैंकिंग परिचालनों में न्यूनतम जोखिम के

साथ उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देने की ओर अग्रसर कर दिया गया है।

भारत पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा चल निधि तथा ऋण निवारण में सुधार करने के लिए विगत कुछ महीनों में विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पालिसी दरों में कटौती, एसएलआर तथा सीआरआर अपेक्षाओं में कटौती, म्यूचुअल फंड्स तथा एनबीएफसी को सहायता देने के लिए एलएएफ के अंतर्गत विशेष खिड़की का सृजन ईसीबी पालिसी में छूट, एफसीएनआर (बी) तथा एनआर (ई)आरए जमा दरों में वृद्धि, पूंजी जोखिम भार तथा स्थावर सम्पदा सहित कुछ क्षेत्रों के लिए मानक आस्तियों

पर प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं में छूट, एनएचबी तथा सिडबी को विशेष ऋण सहायता की अनुमति देना, अवसंरचना एवं एनबीएफसी क्षेत्र के लिए अधिक संसाधन जुटाना और डालर चलनिधि सुनिश्चित करना, शामिल है। वित्तीय समावेशन पर अधिक ध्यान देकर कृषि लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योगों, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्गों को ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित रहा। सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने तथा कृषि एवं गामीण अवसंरचना एवं आवास को ऋण सुनिश्चित करने संबंधी विभिन्न नीतिगत पहले वर्ष 2008-09 में भी प्रारम्भ की गई थी/जारी रहीं।

आर्थिक कार्य विभाग

अध्याय I

आर्थिक कार्य विभाग

1. आर्थिक प्रभाग

1.1 आर्थिक प्रभाग आर्थिक नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को विशिष्ट सलाह देता है। यह प्रभाग घरेलू और वैदेशिक आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखता है और अर्थव्यवस्था में बृहत-प्रबंधन से संबंधित नीतिगत उपायों पर सलाह देता है।

1.2 अपने नियमित कार्यकलाप के रूप में, आर्थिक प्रभाग वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करता है, जो केन्द्र सरकार के बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संसद में प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक समीक्षा की जाती है। इसमें हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा नीतियों का गहन मूल्यांकन भी किया जाता है। पिछले वर्षों में आर्थिक समीक्षा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वार्षिक कार्यनिष्पादन के एक प्रामाणिक स्रोत और उपयोगी सार संग्रह का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 वित्त मंत्रालय से अपेक्षा करता है कि बजट के संबंध में प्राप्ति और व्यय की प्रवृत्तियों की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा करे और इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे। इस कवायद के भाग के रूप में आर्थिक प्रभाग संसद के समक्ष रखने के लिए प्रत्येक वर्ष की दूसरी तिमाही में मध्यवर्षीय समीक्षा तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, पहली और तीसरी तिमाही की समाप्ति पर एक वृहत-आर्थिक पूर्वपीठिका विवरण तैयार किया जाता है और तिमाही प्राप्ति और व्यय की पुनरीक्षा में अंतर्विष्ट करने के लिए इसे बजट प्रभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

1.3 यह प्रभाग केन्द्र सरकार के बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण भी प्रकाशित करता है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मुख्य कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत केन्द्र सरकार तथा इसके विभागीय उपक्रमों की बचतों, सकल पूंजी निर्माण तथा विकास और उपभोग संबंधी व्यय के परिमाण का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में इस प्रभाग की रिपोर्ट में वर्तमान आर्थिक स्थिति के संबंध में संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जाता है और इससे अर्थव्यवस्था के निष्पादन को मॉनीटर करने में सहायता मिलती है। यह रिपोर्ट मंत्रिमंडल तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशन में परिचालित की जाती है। यह प्रभाग “मासिक आर्थिक रिपोर्ट” नामक सारांश तैयार करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रभाग द्वारा समय-समय पर अवसंरचना क्षेत्र के निष्पादन और औद्योगिक उत्पादन, कर वसूली की प्रवृत्तियों, भुगतान शेष और मौद्रिक स्थिति के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणियां भी तैयार की जाती हैं। यह प्रभाग प्रमुख आर्थिक

परिवर्ती घटकों के संबंध में अल्पावधिक पूर्वानुमान लगाने का कार्य भी करता है।

1.5 अपने सलाहकारी कार्यों के अंतर्गत आर्थिक प्रभाग महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां और पृष्ठभूमि प्रलेख तैयार करता है और सरकार द्वारा गठित परामर्शदात्री समितियों और कार्यकारी दलों की बैठकों के लिए सारांश भी तैयार करता है। आर्थिक प्रभाग के अधिकारी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), विश्व बैंक एवं डब्ल्यू.टी.ओ. आदि जैसी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से आए हुए विभिन्न शिष्टमंडलों के साथ परामर्श में हिस्सा लेते हैं। यह प्रभाग भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के आर्थिक एवं सांख्यिकीय स्कंधों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करता है।

1.6 आर्थिक प्रभाग का कार्य निम्नलिखित एककों के अन्तर्गत गठित किया गया है:

1. भुगतान शेष, वैश्विक वित्तीय बाजार, संस्थाएं और संरचना
2. उद्योग तथा अवसंरचना
3. बृहत् संकेतक और कृषि
4. मुद्रा एवं वित्तीय मध्यस्थता
5. लोक वित्त
6. कीमतें
7. सामाजिक क्षेत्र
8. व्यापार (वस्तु एवं सेवाएं), डब्ल्यू.टी.ओ और द्विपक्षीय संबंध
9. आईईएस प्रभाग

1.7 भुगतान शेष, वैश्विक वित्तीय बाजारों, संस्थाओं और संरचना के लिए जिम्मेवार एकक भारत के भुगतान शेष की स्थिति में उभरती प्रवृत्तियों पर नजर रखता है और उनकी समीक्षा करता है। यह विनिमय दर नीति पर तथा विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में होने वाली घट-बढ़ पर भी नजर रखता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और अनिवासी भारतीय जमाराशियों को मॉनीटर करता है। यह एकक अल्पकालिक बीओपी मॉनीटरिंग ग्रुप से संबंधित मामलों, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, बहुपक्षीय संस्थाओं (विश्व बैंक/आईएमएफ) और संबंधित मुद्दों को मॉनीटर करने के लिए जिम्मेवार है। इस एकक पर आईएमएफ के विशेष आंकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) तथा विश्व बैंक के त्रैमासिक विदेशी ऋण सांख्यिकी (क्यूईडीएस) के अनुपालन में विदेशी ऋण संबंधी आंकड़ों के

संग्रहण, संकलन, मॉनीटरिंग और त्रैमासिक प्रकाशन से संबंधित विदेशी ऋण प्रबंधन के मुद्दों का भी दायित्व है। इस एकक में विदेशी ऋण प्रबंधन संबंधी प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा सीएस-डीआरएमएस का सहायता, लेखा-परीक्षा एवं लेखा नियंत्रक के कार्यालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वयन करने का कार्य किया जाता है।

1.8 उद्योग और अवसंरचना एकक बृहत् और क्षेत्रक दोनों स्तरों पर उद्योग क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। यह एकक सतत आधार पर औद्योगिक विकास एवं निवेश, औद्योगिक क्षेत्र में हुए घटनाक्रम, सरकारी क्षेत्र का निवेश/वित्तपोषण, औद्योगिक संबंधों एवं रुग्णता को मॉनीटर तथा उनकी समीक्षा करता है। यह एकक महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योगों एवं सेवाओं के उत्पादन में व्याप्त रुझानों को मॉनीटर करने के लिए भी जिम्मेवार है। यह अवसंरचना नीति, निवेश और वित्तपोषण संबंधी घटनाक्रम का विश्लेषण करता है और अवसंरचना क्षेत्र के नीतिगत मुद्दों पर सलाह देता है।

1.9 बृहत् संकेतक और कृषि एकक बृहत्-आर्थिक मापदंडों जैसे कि उत्पादन, बचत और निवेश पर नजर रखने तथा बृहत्-आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने, एसडीडीएस के लिए देशगत समन्वय करने, मासिक आर्थिक रिपोर्ट और अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेवार है। यह रबी और खरीफ फसलों के कृषि उत्पादन संबंधी आंकड़ों, मानसून की प्रगति और जल संसाधनों के जलाशय भंडारण, कृषि में पूंजी निर्माण, वस्तु बजट - चावल, गेहूं, दालों, तिलहन और चीनी - को मॉनीटर भी करता है। यह एकक राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, रबी और खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण एवं केन्द्रीय निर्गम मूल्य से संबंधित मुद्दों को मॉनीटर तथा उनकी समीक्षा करता है।

1.10 मुद्रा और वित्तीय मध्यस्थता एकक मुद्रा बाजार की प्रवृत्तियों और मौद्रिक नीति से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए जिम्मेवार है। यह बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में व्याप्त प्रवृत्तियों तथा ऋण-प्रवाहों की समग्र प्रवृत्तियों को भी मॉनीटर करता है। यह एकक सरकारी प्रतिभूतियों की आय में घट-बढ़ पर नजर रखता है।

1.11 लोक वित्त एकक लोक वित्त और केन्द्र सरकार के बजटीय प्रचालनों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करता है। यह केन्द्र सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण, लोक वित्त संबंधी सांख्यिकी विवरण जिनमें केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बजटीय लेन-देन शामिल हैं, को तैयार करने के लिए जिम्मेवार है। यह राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, सकल व्यय, केन्द्रीय आयोजना परियोजना, संसाधनों और व्ययों से संबंधित नीतियों जैसे केन्द्रीय राजकोषीय मापदंडों को मॉनीटर करता है। यह एकक कर संबंधी उपायों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों/सुधारों तथा प्रमुख केन्द्रीय करों को मॉनीटर तथा उनका विश्लेषण करता है।

1.12 मूल्य एकक मूल्य संबंधी स्थिति पर नजर रखता है तथा उसके संबंध में सूचना देता है और आपूर्ति प्रबंधन विशेषकर आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सामान्य मूल्य नीति के मामलों, थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति के अन्य सूचकांकों के अनुसरण और विश्लेषण के संबंध में सलाह देता है।

1.13 सामाजिक क्षेत्र एकक गरीबी, रोजगार, ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम इत्यादि जैसे सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित अन्य विषयों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार करता है। यह एकक सरकार को सामाजिक क्षेत्रों में विशिष्ट नीतिपरक मामलों पर सलाह देता है।

1.14 व्यापार (वस्तुएं एवं सेवाएं), डब्ल्यूटीओ तथा द्विपक्षीय संबंध एकक भारत के विदेश व्यापार को मॉनीटर करने, वस्तु संघटन तथा व्यापार-दिशा का विश्लेषण करने, विदेश व्यापार नीति को मॉनीटर करने, डब्ल्यूटीओ, यूएनसीटीएडी तथा एस्कैप संबंधी मुद्दों से संबंधित कार्रवाई करता है।

आईईएस प्रभाग

1.15 आईईएस प्रभाग के मुख्य कार्य हैं - भारतीय आर्थिक सेवा में सीधी भर्ती करना; आईईएस नियमावली और अन्य दिशानिर्देशों से संबंधित नीतिगत मामले; संवर्ग समीक्षा और प्रबंधन, केन्द्रीय स्टाफ योजना के तहत तथा संवर्ग-बाह्य पद/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/राज्य सरकारों एवं विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों को नामित करना; आईईएस परिवीक्षार्थियों और प्रवेशकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना; पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों और अनिवार्य मिड-करियर प्रशिक्षणों के जरिए आईईएस अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन; आईईएस बोर्ड की बैठकों के लिए सचिवालय; आईईएस से जुड़े विषयों पर अदालती मामलों के संबंध में कार्रवाई; वेतन के लिए आईईएस बजट शीर्ष का प्रचालन, आईईएस सिविल लिस्ट बनाना और आरटीआई अधिनियम से संबंधित मामले।

2. बजट प्रभाग

2.1.1. बजट प्रभाग केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों की सरकारों के वार्षिक बजट (रेलवे को छोड़कर), अनुदानों की पूरक मांगे और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे तैयार करने तथा उन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग लोक ऋण, केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों, राज्य सरकारों द्वारा लिए और दिए गए उधारों, भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा भारत की आकस्मिकता निधि से संबद्ध मामलों का निपटान करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग का उत्तरदायित्व उस अनुदान में बचतों के पुनर्विनियोजन के लिए जहां वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है, अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करके सरकारी व्यय के प्रवाह को विनियमित करने का भी है। यह प्रभाग राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) तथा अल्प बचत योजनाओं, राष्ट्रीय रक्षा निधि से संबंधित मामलों का भी निपटान करता है। धर्मार्थ निधि कोषपाल से संबंधित कार्य भी बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है।

2.1.2 यह प्रभाग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों, केन्द्र के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के सम्मुख पेश करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का कार्य भी करता है। 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 21 रिपोर्टें संसद के सम्मुख पेश की गईं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को विभिन्न निकायों की लेखा परीक्षा सौंपने/ पुनः सौंपने से संबंधित 42 मामले भी इस प्रभाग द्वारा निपटाए गए।

2.1.3 बजट प्रभाग 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' के प्रशासन हेतु भी जिम्मेदार है जिसे 5 जुलाई, 2004 को लाया गया था। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को भी उसी तारीख से प्रभावी बनाया गया। मध्यावधि समीक्षा सहित तिमाही समीक्षा एफआरबीएम अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार संसद में प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 'लिंग आधारित' बजट व्यवस्था के कार्यान्वयन का निरीक्षण/सरलीकरण भी करता है।

2.2 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003

2.2.1 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम,

2003 का प्रशासन और उसके तहत बनाए गए नियम वर्ष 2004 में लागू हुए। इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार पर पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त कर राजकोषीय प्रबंधन तथा दीर्घावधि वृहद् आर्थिक स्थायित्व में इंटर जनरेशनल इक्विटी का सुनिश्चय करने और मौद्रिक नीति एवं विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के प्रभावी संचालन में राजकोषीय अवरोधों को हटाने का दायित्व है। यह व्यवस्था केन्द्र सरकार के उधारों, ऋण एवं घाटा संबंधी सीमाओं के जरिए राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप है तथा केन्द्र सरकार के राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता बरतने और मध्यावधि फ्रेमवर्क में राजकोषीय नीति का संचालन और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामले से संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार पर एफआरबीएम दस्तावेजों को तैयार करने और सदन में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व भी है। तदनुसार, जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 तक निम्नलिखित दस्तावेज संसद में प्रस्तुत किए गए।

- (1) वृहत् आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण 2008-09
- (2) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण 2008-09
- (3) राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण 2008-09
- (4) प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही रिपोर्ट
 - (क) वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट
 - (ख) वर्ष 2007-08 की चौथी तिमाही रिपोर्ट
 - (ग) वर्ष 2008-09 की पहली तिमाही रिपोर्ट
 - (घ) वर्ष 2008-09 की मध्यावधि समीक्षा
- (5) वृहत् आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण 2009-2010
- (6) मध्यावधि-राजकोषीय नीति विवरण 2009-2010
- (7) राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण 2009-2010

2.2.2 तेरहवें वित्त आयोग का गठन नवम्बर, 2007 में किया गया था। इसके अलावा, अगस्त 2008 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग को राजकोषीय समायोजन संबंधी रोडमैप की समीक्षा करने और एक संशोधित रोडमैप का सुझाव देने हेतु एक अतिरिक्त विचारार्थ विषय सौंपा गया ताकि तेल, खाद्य तथा उर्वरक बांडों के कारण उत्पन्न देयताओं को राजकोषीय लेखांकन में रखने की आवश्यकता तथा घाटा लक्ष्यों पर केन्द्र सरकार के विभिन्न अन्य दायित्वों के प्रभाव को ध्यान में रखने के बाद वर्ष 2010 से 2015 तक राजकोषीय समेकन के लाभ बनाए रखे जा सकें।

2.3 राष्ट्रीय लघु बचतें

2.3.1 राष्ट्रीय लघु बचत योजना

2.3.1.1 वर्तमान में चालू लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, डाकघर सावधि जमा (1,2,3 व 5 वर्ष) डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (viii-निर्गम) किसान विकास पत्र और लोक भविष्य निधि।

2.3.1.2 लघु बचत योजनाओं को अधिक आकर्षक और निवेशकों के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने इन योजनाओं में हाल में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:

- (1) डाकघर बचत खाता नियमावली तथा डाकघर समय जमा खाता के अंतर्गत दिनांक 26 जून, 2008 को किसी नेत्रहीन अथवा दूसरी

दृष्टि से शारीरिक रूप से विकलांग वयस्क व्यक्ति द्वारा अथवा किसी साक्षर एजेंट के माध्यम से खातों के लेन-देन की अनुमति है;

- (2) डाकघर बचत खाता नियमावली के तहत दिनांक 26 अगस्त, 2008 से एनआरईजी अधिनियम के तहत नियुक्त कामगारों के लिए 'शून्य जमा/शून्य शेष' खाता खोलने की अनुमति है; और
- (3) डाकघर आवर्ती जमा योजना के तहत दिनांक 26 जून, 2008 से रक्षा सेवा के कार्मिकों के लिए खातों के पुनरुज्जीवन हेतु चूकों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।

2.3.2 लघु बचत संग्रहण

वर्ष 2007-08 के दौरान 1,47,709 करोड़ रुपए की जमाराशि की तुलना में 2008-09 के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत सकल जमाराशियां 1,57,341 करोड़ रुपए (अंतिम) थीं। 2007-08 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल सहित) को निवल लघु बचत संग्रहणों के हिस्से के रूप में अन्तरित 12,194 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 2008-09 में 8409.65 करोड़ रुपए की राशि अन्तरित हुई है।

2.3.3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि

केन्द्र सरकार की लघु बचत योजनाओं के तहत समस्त मौद्रिक संव्यवहार को एक छत्र के तहत हिसाब-किताब रखने हेतु भारतीय लोक लेखा में "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) की स्थापना की गयी थी जो 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावी है। लघु बचत योजनाओं में निवल उपचयों को विभिन्न राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित)/केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि से उधार लेने का राज्यों का न्यूनतम दायित्व 100 से घटाकर निवल संग्रहण का 80 प्रतिशत कर दिया गया है जो 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी है।

2.3.4. लोगों के साथ उन्नत अंतरापृष्ठ हेतु उपाय

2.3.4.1 केन्द्र और राज्य सरकारें समय समय पर प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये लघु बचत योजनाओं को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने हेतु विभिन्न उपाय करती हैं और साथ-साथ लघु बचत योजनाओं के तहत जमाराशि जुटाने में लगे विभिन्न अभिकरणों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सेमिनार और बैठकें भी आयोजित कर रही हैं।

2.3.4.2 राष्ट्रीय बचत संस्थान जो आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) के अंतर्गत एक अधीनस्थ संगठन है, ने लघु बचतों पर सूचना के व्यापक प्रसार के जरिए लोगों के साथ अंतरापृष्ठ को आसान बनाने हेतु नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर के सहयोग से अपनी वेबसाइट अर्थात् nsiindia.gov.in जारी रखी है। यह सेवा ऑनलाइन पंजीकरण और निवेशकों की शिकायतों के निपटान की भी व्यवस्था करती है।

2.4 लोक ऋण, देयताएं और नकद प्रबन्धन

2.4.1 केन्द्र सरकार के लोक ऋण में घाटे के वित्तपोषण का निरन्तर सहारा लेने की वजह से निरन्तर वृद्धि देखी गयी, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसकी गति सामान्य थी।

गत वर्षों में राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। घाटे का 90 प्रतिशत से अधिक भाग घरेलू संसाधनों के माध्यम से और घरेलू संसाधनों के अन्तर्गत वित्त पोषित किया जा रहा है ब्याज की प्रशासित दरों के लिखतों की अपेक्षा बाजार निर्धारित ब्याज दरों सहित बाजार ऋणों पर अधिक भरोसा किया जा रहा है।

2.4.2 राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम

के ज़रिए केन्द्र सरकार के सामान्य उधार ब.अ. 2008-09 में 1,45,146.04 करोड़ रुपए (सकल) तथा 1,00,571 करोड़ रुपए (निवल) अनुमानित हैं। तथापि, वर्ष 2008-09 के अनुदानों की पहली और दूसरी पूरक मांगों में संसद द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त नकद व्यय और सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों को देखते हुए भारत सरकार के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना आवश्यक हो गया है। वर्ष 2008-09 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के ज़रिए एकल और निवल बाजार उधार के संशोधित अनुमान 3,06,000.22 करोड़ रुपए और 2,61,972 करोड़ रुपए थे।

2.4.3 वर्ष के दौरान, सरकार ने अपनी मुख्य उधार मांगों के आधार पर अर्द्धवार्षिक संकेतक बाजार उधार कलेंडर की घोषणा करने की नीति जारी रखी, उसने वर्ष के दौरान समस्त निर्गमों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याजहीन समेकन को भी जारी रखा।

2.4.4 बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के संबंध में 25 मार्च, 2004 को हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संशोधन के लिए 26 फरवरी को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस संशोधन के फलस्वरूप भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच आपसी करार, एमएसएस नकद खाते की राशि का एक भाग का सरकार के अनुमोदित व्यय की पूर्ति हेतु सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सामान्य नकद खाते में अंतरण संभव हो पाया है। इस संशोधन के पश्चात 4 मार्च, 2009 को एमएसएस नकद खाते से सरकार के सामान्य नकद खाते में 12,000 करोड़ रुपए अंतरण किए गए।

2.4.5 वर्ष 2008-09 के दौरान भारांश औसत आय और दिनांकित प्रतिभूतियों की क्रमशः परिपक्वता अवधि वर्ष 2007-08 के क्रमशः 8.12 प्रतिशत और 14.90 वर्ष के मुकाबले 7.69 प्रतिशत और 13.80 वर्ष रही।

2.4.6 वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के लिए प्रारंभ में केन्द्र सरकार के अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की उच्च सीमा 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। तत्पश्चात् डब्ल्यूएमए की इस सीमा को 31 दिसम्बर, 2008 तक जारी रखा गया। वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई।

2.4.7 वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्र सरकार ने सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के अलावा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को चार खेपों में 75,942 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियां जारी की हैं, जो संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ति के रूप में हैं। सरकार ने उर्वरक कंपनियों को उर्वरक सब्सिडी संबंधी क्षतिपूर्ति के रूप में तीन खेपों में 20,000 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियां भी जारी की हैं।

2.4.8 केन्द्र सरकार में नकदी प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से राजकोष नियंत्रण आधारित व्यय प्रबंधन प्रणाली सहित एक संशोधित नकदी प्रबंधन प्रणाली 1 अप्रैल, 2006 से अनुदानों की पंद्रह मांगों में आरंभ की गई थी, प्रणाली के तहत स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग संबंधी अनुदानों की मांग को शामिल करने के पश्चात् अनुदानों की कुल मांग संख्या को देखते हुए जिसे 1 अप्रैल, 2007 से और नौ मांगों में भी आरंभ किया गया था। संशोधित दिशानिर्देशों के उपबंध के अनुसार मासिक व्यय योजनाएं इस प्रकार तैयार की जाए जिससे व्यय में अधिक समानता और वर्ष के अंत में व्यय के आधिक्य की समस्या में कमी अथवा निधियों का एकत्रीकरण सुनिश्चित हो सके।

2.4.9 दिशानिर्देशों में यह भी उपबंध किया गया है कि वित्तीय वर्ष की

अंतिम तिमाही में व्यय बजट अनुमान 33 प्रतिशत से अधिक न हो। यह भी उपबंध किया गया है कि मार्च के माह में व्यय समग्र तिमाही उच्चतम सीमा के भीतर, बजट अनुमान के 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

2.5 ऋण प्रबंधन कार्यालय

वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने सरकार में स्वायत्तशासी ऋण प्रबंधन कार्यालय (डीएमओ) की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। प्रथम चरण में पूर्ण ऋण प्रबंधन कार्यालय (एमडीओ) के पारगमन को आसान बनाने के लिए मध्यम कार्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। इस घोषणा के अनुपालन में वित्त मंत्रालय में अनुवर्ती कार्यालय की स्थापना की गई। मध्यवर्ती कार्यालय के बड़े कार्यों में अन्य कार्यों के साथ, विकासशील ऋण प्रबंधन कार्य योजना, सावधिक कैलेण्डरों की योजना निर्माण, नगद एवं उधार आवश्यकताओं की भविष्यवाणी, सरकारी देयताओं और सूचना संबंधी प्रसार ऋण संबंधी केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार करना और अनुरक्षण शामिल है।

2.6 हिन्दी शाखा

2.6.1 संसद में बजट संबंधी सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाते हैं। उपर्युक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त हिन्दी शाखा द्वारा आर्थिक वर्गीकरण और वैदेशिक ऋण की प्रास्थिति से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार की गई जिन्हें संसद में प्रस्तुत किया गया था।

2.6.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के अनुवाद भी रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हिन्दी शाखा द्वारा किए गए। इसमें विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ किए गए करार, कैबिनेट टिप्पणियां, संसदीय प्रश्न/आश्वासन, अधिसूचनाएं, स्थायी समिति के कागजात, मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश, विदेशी सहायता रिपोर्ट तथा बारहवां वित्त आयोग रिपोर्ट आदि शामिल हैं।

3. पूंजी बाजार प्रभाग

3.1 संगठन के कार्यों/कार्यप्रणाली तथा विभिन्न सलाहकार बोर्डों और परिषदों सहित प्रभाग के विषय में संक्षिप्त पैरा:

प्राथमिक बाजार अनुभाग

- नीतिगत मामले
- संबंधित मध्यस्थ और प्रतिभागी
- सेबी बोर्ड की बैठक (प्राथमिक उत्तरदायित्व)
- सेबी अधिनियम, संबंधित नियम व विनियम
- ऋण बाजार घटनाक्रम
- सेक्टर संबंधी (कारपोरेट कार्य) प्रभार
- बजट संबंधी विषय
- राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम)
- विनियामक समन्वय/समाभिरूपता से जुड़े नीतिगत विषय

द्वितीयक बाजार अनुभाग

- द्वितीयक बाजारों के विनियमन और विकास तथा निवेशक संरक्षण से संबंधित नीति

- द्वितीयक प्रतिभूति बाजारों से संबंधित नीति
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा उसके तहत बनाए गए नियम
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके तहत बनाए गए नियम

विदेशी बाजार अनुभाग

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 का प्रशासन।
- राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी खाते से की गई विदेश यात्रा।
- विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव।
- आतंकवाद के वित्तपोषण का विरोध करने (सी.एफ.टी), वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल, (एफ.ए.टी.एफ) में भारत की सदस्यता आदि से संबंधित सभी मामले।
- मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त केन्द्र बनाने संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट
- वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की “हंड्रड स्मॉल स्टेप्स” नामक रिपोर्ट
- वित्तीय बाजार संबंधी उच्च स्तरीय समन्वय समिति
- संसदीय कार्य मंत्रालय, वैश्विक वित्तीय संकट विभाग से संबंधित क्षेत्रक कार्य।
- वित्तीय स्थिरता बोर्ड, भारत जिसका सदस्य है, से संबंधित मामले
- अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से संबंधित मुद्दे।

विदेशी वाणिज्यिक उधार अनुभाग

पूंजी बाजार प्रभाग का ईसीबी अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

- विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति और प्रक्रिया तैयार करना और समय-समय पर उनकी समीक्षा करना;
- एफसीसीबी, एडीआर/जीडीआर से संबंधित नीति;
- विदेशी संस्थागत निवेशों के लिए पोर्टफोलियो निवेश नीति;
- अल्पावधि भुगतान शेष की वार्षिक सीमा की समीक्षा प्रक्रिया सहित भावी उधारों संबंधी निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना;
- सौंपा गया अन्य कोई विषय।

पेंशन सुधार प्रकोष्ठ

- पेंशन सुधार शुरू करना और उन्हें समन्वित करना;
- गैर-सरकारी भविष्य, अधिवर्षिता और उपादान निधियों द्वारा निधि की धनराशि के निवेश के संबंध में नीति तैयार करना;
- विशेष जमाराशि योजना से संबंधित नीतिगत मामले;
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से संबंधित मामले और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यास बोर्ड जिसमें संयुक्त सचिव (पूंजी बाजार) सदस्य हैं, की बैठकों के लिए कार्यसूची;

- पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग तथा उपभोक्ता मामले मंत्रालय का क्षेत्रीय प्रभार; और
- बिहार और झारखण्ड का क्षेत्रीय प्रभार।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट और निवेशक शिकायत अनुभाग

- भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम
- भारतीय न्यास अधिनियम
- निज़ाम का न्यास
- राज्य क्षेत्रीय प्रभार (बिहार तथा झारखंड)

विनियामक स्थापना अनुभाग

- यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), प्रतिभूति अपील अधिकरण (सैट) और पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित विनियामक और स्थापना मुद्दों संबंधी कार्य करता है।
- व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा, निवेश तथा कंपनी कार्यों का क्षेत्रक प्रभार
- पूंजी बाजार प्रभाग और सूचना का अधिकार के मामलों का समन्वयन

3.2 विगत वर्ष तक प्रभाग के निष्पादन/उपलब्धियों के बारे में सूचना

प्राथमिक बाजार अनुभाग

1. सेबी (प्रकटन और निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 में संशोधन

सेबी (डीआईपी) दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

i. **एएसबीए की शुरुआत:** सेबी ने सार्वजनिक निर्गमों में आवेदन करने के लिए पूरक प्रक्रिया शुरू की है अर्थात आईपीओ आवेदनों के लिए “अवरूद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन(एएसबीए)” प्रक्रिया। एएसबीए प्रक्रिया ने निधियों की वास्तविक वापसी अदायगी की प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों को दूर किया। यह सुनिश्चित करती है कि निधियां केवल प्रतिभूतियों के आवंटन की पुष्टि होने पर ही और केवल निवेशक को किए गए आवंटन की सीमा तक ही निवेशकों के खाते से डेबिट की जाएं। एएसबीए प्रक्रिया को मौजूदा सार्वजनिक निर्गम प्रक्रिया को अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबंधित “स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकरों” के माध्यम से बही निर्माण मार्ग द्वारा किए गए सभी सार्वजनिक निर्गमों में प्रचालनरत किया गया है। इसके अलावा, सेबी ने दिनांक 25 सितम्बर, 2008 के परिपत्र द्वारा अधिकार निर्गमों के निमित्त भी एएसबीए प्रक्रिया को समर्थकारी बनाया है।

ii. **अधिकार निर्गमों के लिए समय-सीमा में कमी:** बाजार जोखिमों को कम करने और सूचीबद्ध कंपनियों को अपने शेयर धारकों से अधिक समय प्रभावी तरीके से निधियां जुटाने में समर्थ बनाने के लिए सेबी ने अधिकार निर्गम पर विचार करने के लिए निर्गमकर्ता की बोर्ड बैठक बुलाने के लिए अपेक्षित संसूचना अवधि; और इस प्रकार से जारी किए गए शेयरों के आवंटन को पूरा करने तथा उनका सूचीयन करने एवं उनका कारोबार आरंभ करने के लिए निर्धारित अवधि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए सेबी (डीआईपी) दिशानिर्देश और इक्विटी सूचीकरण करार में निर्धारित समय सीमाओं को कम कर दिया है।

iii क्यूआईबी की परिभाषा: “विदेशी कारपोरेट” और “विदेशी व्यक्ति” की श्रेणी में आने वाले उप-खातों को अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददार (क्यूआईबी) की परिभाषा से बाहर रखा गया है। “क्यूआईबी” की परिभाषा को स्पष्टता के प्रयोजन से सेबी (डीआईपी) दिशानिर्देशों के परिभाषा अनुच्छेद में भी शामिल किया गया है।

iv क्यूआईपी के लिए अर्हता: अर्हक सांस्थानिक नियोजन करने की इच्छुक सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड बढ़ा दिए गए हैं। वे कंपनियां जिन्हें किसी स्टॉक एक्सचेंज में एक वर्ष से अधिक समय से सूचीबद्ध कंपनियों के साथ किए गए विलयन/अविलयन/व्यवस्था की अनुमोदित योजना के अनुसरण में पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, उन सूचीबद्ध कंपनियों, जिनके साथ उन्होंने विलयन/अविलयन/ व्यवस्था की अनुमोदित योजना निष्पन्न की है, के सूचीबद्ध इतिवृत्त को ध्यान में रखकर क्यूआईपी के जरिए निधियां जुटा सकती हैं।

v क्यूआईपी के लिए कीमत निर्धारण मानदंड: (क) पात्र सूचीबद्ध कंपनियों के लिए क्यूआईपी मार्ग द्वारा निधियां जुटाना सुकर बनाने के लिए, सेबी ने प्रतिभूतियों के प्रस्तावित निर्गम मूल्य को उनके बाजार कीमत के सन्निकट लाकर क्यूआईपी के लिए कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों को आशोधित किया है। इसे आधार मूल्य सूत्र और संगत तारीख की परिभाषा में परिवर्तन द्वारा लागू किया गया है। (ख) पात्र सूचीबद्ध कंपनियों के लिए क्यूआईबी से निधियां जुटाना सुकर बनाने के लिए क्यूआईपी के परिवर्तित कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों को क्यूआईबी के अधिमानी आवंटन के लिए भी लागू किया गया है, बशर्ते कि ऐसे अधिमानी आवंटन में क्यूआईबी आवंटितियों की संख्या पांच से अधिक न हो।

vi अधिमानी आवंटन में अवरुद्ध शेयर: वर्तमान में, अधिमानी आवंटन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिमानी आधार पर जारी अधिपत्रों को, यथा-मामला एक वर्ष या तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध किया जाता है, और ऐसे अधिपत्रों के प्रयोग पर आवंटित शेयरों की अवरोध अवधि को उस हद तक कम किया जाता है जितनी अवधि के लिए वे अधिपत्र पहले अवरुद्ध किए जा चुके हैं। इस संबंध में, अधिपत्रों के प्रयोग के अनुसरण में इस प्रकार आवंटित किए गए शेयरों को ऐसे शेयरों के आवंटन की तिथि से एक वर्ष या तीन वर्ष की पूरी अवरुद्ध अवधि, जैसा भी मामला हो, के अध्यधीन रखने का निर्णय किया गया।

vii प्रवर्तकों के अंशदान और बिक्री के लिए पेशकश के लिए शेयरों की अर्हता : वर्तमान में, सेबी दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि केवल वे शेयर जो सेबी में मसौदा पेशकश दस्तावेज दर्ज करने के समय कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारकों द्वारा धारित हैं, निम्नलिखित के लिए अर्हक हैं (i) बिक्री के लिए पेशकश किए जाने के लिए (ii) प्रवर्तकों के अंशदान के प्रयोजन के लिए शामिल किए जाने के लिए (ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान उसी निर्गम मूल्य पर शेयर जारी किए गए हैं)। इस संबंध में, उन शेयरों की बिक्री के लिए पेशकश करने और प्रवर्तकों के अंशदान में शामिल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, जिन्हें उच्च न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन प्रक्रिया के अनुसरण में व्यापार और निवेशित पूंजी के बदले में अधिगृहीत किया गया है, जो पुनर्गठन की प्रक्रिया से एक वर्ष पूर्व से अधिक की अवधि के लिए अस्तित्व में थी।

viii बांडों के साथ अरुपांतरणीय अधिपत्रों का संयुक्त निर्गम: सेबी ने दिशानिर्देशों के अध्याय-XIII-क के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार क्यूआईपी

प्रक्रम के माध्यम से अधिपत्रों के साथ अरुपांतरणीय ऋणपत्रों (एनसीडी) की संयुक्त पेशकश करने के लिए सूचीबद्ध कंपनी को अनुमति देने के लिए सेबी (प्रकटन और निवेशक संरक्षण (डीआईपी) दिशानिर्देश, 2000 में संशोधन किया है। अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदार अधिपत्रों के साथ एनएसडी या व्यक्ति लिखतों अर्थात या तो एनएसडी या अधिपत्रों में जहां एनएसडी/अधिपत्र के लिए अलगअलग बही खाते रखे जाते हैं, की संयुक्त पेशकश में अभिदान कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संयुक्त पेशकश के अनुसरण में जारी एनएसडी और अधिपत्रों को अलग से सूचीबद्ध किया जा सकता है और उनका कारोबार किया जा सकता है। एनएसडी को सूचीबद्ध करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 (एससीआरआर) के नियम 19(2)(ख) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह छूट सेबी (ऋण प्रतिभूति का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन 2008 के विनियम 22(ख) (i) के अनुसरण में उपलब्ध है। तथापि, अधिपत्रों को सूचीबद्ध करने और उनका कारोबार करने के लिए एससीआरआर के नियम 19(2) (ख) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट अपेक्षित है। एनएसडी/अधिपत्रों के कारोबार के लिए न्यूनतम संविदा मूल्य 1 लाख रुपए रखा गया है।

II. सूचीयन करार की धारा 49 में संशोधन

सेबी ने सूचीयन करार की धारा 49 के अनुसार निर्गमकर्ताओं के लिए कारपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से संबंधित कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है। उपरोक्त संशोधनों के संबंध में, निम्नलिखित अधिदेशात्मक और गैर-अधिदेशात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं:

अधिदेशात्मक प्रावधान

- (क) यदि गैर कार्यपालक अध्यक्ष प्रवर्तक हो या प्रवर्तकों अथवा बोर्ड स्तर पर प्रबंधक पद पर या उससे एक स्तर नीचे पद पर रत व्यक्तियों से संबंधित हो, तो कंपनी के बोर्ड के कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे;
- (ख) निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटन विनिर्दिष्ट दस्तावेज/संचिका में किया जाएगा;
- (ग) किसी स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र/उसे हटाए जाने और उसकी जगह पर दूसरे निदेशक की नियुक्ति के बीच का अंतराल समय 180 दिन से अधिक नहीं होगा। तथापि, यदि कंपनी अपने बोर्ड में ऐसे त्यागपत्र/हटाए जाने द्वारा सृजित रिक्ति को बिना भरे ही स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम अपेक्षाएं पूरा करती है तो यह शर्त लागू नहीं होगी; और

(घ) स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी।

गैर-अधिदेशात्मक प्रावधान: कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि जिस व्यक्ति को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उसके पास अपेक्षित योग्यता और अनुभव हो जो कंपनी के लिए उपयोगी होगा और जो कंपनी के विचार से स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी हैसियत में कंपनी के लिए प्रभावी रूप से योगदान देने में उसे समर्थ बनाएगा।

इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र दिनांकित 23 अक्टूबर, 2008 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि “किसी प्रवर्तक से संबंधित” अभिव्यक्ति के प्रयोजन से:

क. यदि प्रवर्तक एक सूचीबद्ध निकाय है, तो स्वतंत्र निदेशकों को

छोड़कर इसके निदेशक, इसके कर्मचारी या इसके नामिती, इससे संबंधित माने जाएंगे; और

ख. यदि प्रवर्तक असूचीबद्ध निकाय है, तो इसके निदेशक, इसके कर्मचारी या इसके नामिती इससे संबंधित माने जाएंगे।

III. सेबी (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 में संशोधन

सेबी ने, सेबी (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 के प्रावधानों में निम्नलिखित के संबंध में संशोधन किया है:

- (1) ग्रेडेड वेस्टिंग स्कीमों के तहत दिए गए विकल्पों के लिए ईएसओएस और लेखाकरण कार्यों के लिए नामिती निदेशकों की अर्हकता। सेबी ने स्पष्ट किया है कि किसी संस्था द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में इसके प्रतिनिधि के रूप में नामजद निदेशक कंपनी के ईएसओएस में भाग लेने के लिए पात्र हैं यदि नामजद करने वाली संस्था और निदेशक के बीच किए गए संविदा/करार में ऐसे निवेशक द्वारा कंपनी के ईएसओएस को स्वीकार करने के लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई हो और उसकी एक प्रति कंपनी में फाइल की गई हो। (2) ग्रेडेड वेस्टिंग के तहत प्रदत्त विकल्पों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित लेखाकरण प्रक्रिया को आईसीएआई द्वारा प्रदत्त लेखाकरण प्रक्रिया के समनुरूप बनाने के लिए सेबी (ईएसओएस और ईएसपीएस) दिशानिर्देश में भी संशोधन किया गया है। मार्च, 2007 में आईसीएआई ने ग्रेडेड वेस्टिंग अनुसूची के तहत प्रदत्त विकल्पों की लेखाकरण प्रक्रिया, पुनर्गठन तथा माप में संशोधन किया।

IV. सार्क क्षेत्र में पूंजी बाजार के विकास के लिए दो सप्ताह के प्रशिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन

सार्क देशों में पूंजी बाजारों में प्रशिक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए पूंजी बाजार प्रभाग के सहयोग से एनआईएसएम द्वारा दो सप्ताह के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा सार्क क्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंज प्रणाली और प्रतिभूति बाजारों के कार्यकरण को सुधारने के लिए तैयार की गई थी। कार्यक्रम में पूंजी बाजारों के सभी मुख्य खंडों को शामिल किया गया जिनमें प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, बाजार मध्यवर्ती, व्युत्पन्न बाजार, म्यूचुअल फंड, विलयन, अधिप्राप्ति, अधिग्रहण, क्रेडिट दर निर्धारण अभिकरण, भीतरी कारोबार, निवेशक शिक्षा, वित्तीय साक्षरता और कारपोरेट अभिज्ञान शामिल थे।

3.3 विदेशी बाजार अनुभाग

वैश्विक वित्तीय संकट का मुकाबला करने के लिए किए गए उपाय:

(क) मौद्रिक उपाय:

निम्नलिखित दरों में कटौती (अक्टूबर, 2008 से अप्रैल, 2009 के बीच): रेपो 9% से -4.75%, विपरीत रेपो 6% से 3.25%, सी आरआर 9% से 5.0% और एसएलआर 25% से 24%। आशा की जाती है कि पालिसी ब्याज दरों में कटौती किए जाने से बैंकों को व्यवहार्य ब्याज दरों पर उत्पादकारी प्रयोजनों के लिए ऋण मुहैया कराने हेतु पुनः प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी ओर से प्रणाली में प्रचुर नकदी बनाए रखना जारी रखेगा।

(ख) बैंक विदेशी उधार

15 अक्टूबर, 2008: बैंकों को विद्यमान 25 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले

में अब उन्हें अपनी विदेशी शाखाओं से और समान बैंकों से पिछली तिमाही की समाप्ति पर उनकी अक्षुण्ण टीयर-रू पूंजी की 50% की सीमा तक या 10 मिलियन अमरीकी डालर तक, इनमें जो भी अधिक हो, निधियां उधार लेने की अनुमति दी गई है।

(ग) विदेशी वाणिज्यिक उधार

स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत अनुमत अंतिम उपभोक्ताओं के लिए रुपया व्यय और/या विदेशी मुद्रा व्यय के लिए प्रति उधारकर्ता प्रति वित्त वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक ईसीबी की अनुमति दी गयी है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित के लिए निर्णय लिया गया है:

- (1) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत ऐसे उधारकर्ताओं पर से “समग्र-अन्तर्लगत” सीमाओं को हटा लिया जाएगा;
- (2) आवास क्षेत्र के लिए निधियां की पहुंच को सुसाध्य बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत, ईसीबी के पात्र अंतिम उपभोक्ताओं के रूप में “एकीकृत टाउनशिप के विकास” की अनुमति दी जाएगी;
- (3) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत केवल अवसंरचना वित्तपोषण करने वाले एनबीएफसी को बहुपक्षीय या द्विपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।
- (4) कारपोरेट बॉड मार्केट में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत में रुपया शासित निगम बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की सीमा 5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 15 बिलियन अमरीकी डालर कर दी जाएगी।
- (5) 31 दिसम्बर, 2009 तक ईसीबी के लिए समग्र अन्तर्लगत सीमाओं पर छूट को बढ़ाया गया है।

(घ) पार्टिसिपेटरी नोट्स

7 अक्टूबर, 2008 सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी किए जाने वाले पार्टिसिपेटरी नोट्स पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया। विनियामक नकदी और व्युत्पाद क्षेत्रक, दोनों ही के लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करने के लिए 40 प्रतिशत के प्रतिबंध को हटाएंगे।

(ङ) विदेशी संस्थागत निवेशकों का ऋण में निवेश

विदेशी संस्थागत निवेशकों के कारपोरेट ऋण में निवेश की सीमा को 3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 15 बिलियन अमरीकी डालर किया गया है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी और ऋण में निवेश को आबंटित करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को ढील देने के उद्देश्य से इक्विटी और ऋण में निवेश के अनुपात को क्रमशः 70:30 के प्रतिबंध वाली शर्तों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

(च) बैंक, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड

नकदी विंडो खोली गई हैं।

(छ) एनआरआई निक्षेप

एफसीएनआर(बी) के लिए बढ़ी हुई ब्याज दर सीमाएं और क्रमशः लिबोर/स्वैप दरों के प्रति एनआरआई निक्षेपों में जमा 100 आधार बिन्दु और लिबोर/स्वैप दरों के लिए 175 आधार बिन्दु निर्धारित किए गए हैं।

(ज) वित्तीय बाजारों के संबंध में कुछ अन्य उपाय:

- (1) एफसीसीबी वापसी खरीद नीति का पुनः उदारीकरण;

(2) विशेष पुनर्वित्त सुविधा और मियादी रेपो सुविधा का विस्तार और 31 मार्च, 2010 तक बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त के लिए बढ़ी हुई सीमा;

(3) सरकारी “शून्य कूपन यील्ड कर्व” के विकास की सहायता के लिए “स्ट्रिप्स” लागू करना; और

(4) अन्वयों के बीच फ्लोटिंग रेट “बांड्स” को जारी करने के ढांचे का संशोधन।

(झ) ऋण सुपुर्दगी प्रणाली और बैंकिंग सेवाओं के लिए नीतिगत उपाय

(1) रुग्ण एसएमई के पुनर्वास पर बैंकों को दिशानिर्देश जारी करना;

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए जोखिम भारत परिसम्पत्ति अनुपात (सीआरएआर) के प्रति पूंजी को चरणबद्ध तरीके से लागू करना;

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल लाइसेंस प्राप्त बैंक ही 2012 तक सहकारी क्षेत्र में प्रचालन करें, एक गैर-विघटनकारी दिशानिर्देश जारी करना;

(4) पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य केन्द्रों पर बैंकिंग सुविधाएं स्थापित करना।

(5) प्रमुख विवेकपूर्ण उपायों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को रिपोर्टिंग के अधीन बगैर अनुमति लिए आफ साइट एटीएम स्थापित करने की अनुमति देना, केन्द्रीय प्रतिपक्षों के प्रति बैंकों के उद्भासन के पूंजी पर्याप्तता उपचार के लिए मानदंड निर्धारित करना, ऋणों की संवीक्षा के लिए न्यूनतम “लाक-इन-अवधि” और न्यूनतम धारिता मानदंड निर्धारित करना, बैंकिंग सेवाओं को अधिकतम सुलभ बनाने के लिए व्यावसायिक लेनदेन के लिए अधिकतम दूरी के मानदंड में वृद्धि करना।

(ञ) संस्थागत घटनाक्रमों से संबंधित नीतिगत उपाय

(1) पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सभी श्रेणियों के पूर्व-भुगतान पर अदायगी वाले दस्तावेजों को जारी करने की अनुमति देना;

(2) एनबीएफसी सहित पात्र गैर-बैंकिंग कंपनियों के “अर्ध-बंद” दस्तावेज जारी करने की अनुमति देना;

(3) पंजीकरण की समग्र अवस्था के प्रति ग्रेड-1 में टीयर-II शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के प्रचालन क्षेत्रों के विस्तार की अनुमति देना;

(4) शहरी सहकारी बैंकों को आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, एएलएम और प्रकटीकरण मानदंडों पर दिशानिर्देश जारी करना;

(5) बड़े शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार लागू करना; और

(6) एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए सीआरएआर के कार्यान्वयन को एक वर्ष तक स्थगित करना।

(ट) सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय उपाय प्रधानमंत्री कार्यालय की 2 जनवरी, 2009 की प्रेस विज्ञप्ति

सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को

न्यूनतम करने के लिए कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने 7 अक्टूबर से अनेक कदम उठाए हैं, हाल ही में 7.12.2008 को कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) चालू वर्ष में 20,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त आयोजना व्यय जो मुख्यतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, इंदिरा आवास योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी निर्णायक ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए है।

(2) पेट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त यथामूल्य सेनवेट दर में कुल मिलाकर 4 प्रतिशत की कटौती।

(3) निर्यात, आवासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और वस्त्र क्षेत्रों की सहायता के लिए अनेक अन्य उपाय।

(4) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बैंक उधारों को पुनर्वित्त देने हेतु 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि0 को अधिकृत करना।

बाद में, सीमेंट के निर्यात पर प्रतिबंध को हटाने जैसे अनेक कदम भी उठाए गए हैं।

2. नीति के प्रति-चक्रीय प्रभाव को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए मौद्रिक, ऋण और राजकोषीय दिशा में अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने अभी अनेक उपायों की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर नीति को पुनः उदार बनाने की दृष्टि से सरकार तथा रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत ऐसे उधारों पर से समग्र अन्तः लागत समाप्त कर दी जाएगी;

(ख) आवासन क्षेत्र के लिए निधियों की पहुंच को सुसाध्य बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत ईसीबी के पात्र अन्तिम उपयोग के रूप में “एकीकृत नगरीकरण का विकास” की अनुमति दी जाएगी;

(ग) अवसंरचना वित्तपोषण का निरपेक्ष कार्य करने वाले एनबीएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत बहुपक्षीय या द्विपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

(घ) कंपनी बांड मार्किट को विकसित करने के उद्देश्य से भारत में रुपया मूल्यवर्गित निगम बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की सीमा 6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 15 बिलियन अमरीकी डालर की जाएगी। उक्त (क) से (ग) के वित्तियों पर निर्णय की पुनरीक्षा 30 जून, 2009 के पश्चात की जाएगी।

3. अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह को निम्नलिखित द्वारा पुनः बढ़ाया जाएगा:

(1) कतिपय शर्तों को पूरा करने पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ग्रेड पेपर निवेश के प्रति नकदी समर्थन देने के लिए शीघ्र ही एक विशेष प्रयोजन साधन को नामजद किया जाएगा। ब्यौरे अलग से घोषित किए जाएंगे। इस प्रयोग के माध्यम से उपलब्ध संभाव्य नकदी की मात्रा 25,000 करोड़ रुपये है।

- (2) विशेष रूप से वाणिज्यिक साधनों की खरीद के लिए एनबीएफसी को ऋण श्रृंखला मुहैया कराने के लिए अग्रणी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक व्यवस्था तैयार की जाएगी।
- (3) इस वर्तमान कठिनी स्थिति में अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को परिलक्षित करने हेतु पब्लिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण संबंधी लक्ष्यों में उर्ध्वमुखी संशोधन किए गए हैं। सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्षेत्रक ऋण के प्रावधानों की पाक्षिक आधार पर बारीकी से मानीटरिंग करेगी।
- (4) राज्य स्तर पर बैंकर समितियों की विशेष मासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी जिसमें बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों के ऋण संबंधी मुद्दों के प्रस्तावों का अवलोकन किया जाएगा। इस दिशा में एमएसएमई विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग संयुक्त रूप से एक प्रकोष्ठ स्थापित करेंगे। इस प्रकोष्ठ के नोटिस में एक पखवाड़े से अधिक लम्बित पड़े एमएसएमई के वे मुद्दे जिनका बैंकों की एसएमई हेल्पलाइन से समाधान नहीं किया गया होगा।
- (5) हाल ही में ऋणों पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम के अन्तर्गत गारंटी कवर को 50% के गारंटी कवर के साथ 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया है। सूक्ष्म उद्यमों को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि 5 लाख रुपए तक ऋण सुविधा के लिए 85% तक ऋण गारंटी फंड न्यास द्वारा बढ़ाए गए गारंटी कवर में और वृद्धि की जाए। इससे गारंटी कवर प्रदान किए गए खातों की कुल संख्या के लगभग 84 प्रतिशत को लाभ प्राप्त होगा।
4. राज्य सरकारें धीमी राजस्व प्रगति के कारण व्यय का वित्तपोषण करने में अवरोधों का सामना कर रही हैं। राज्य सरकार के स्तर पर व्यय की गति को बनाए रखने में सहायता के लिए राज्य सरकारों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त बाजार उधारों को जुटाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुमति दी जाएगी जिससे वे पूंजी व्यय कर सकें, यह राशि लगभग 30,000 करोड़ रुपए होगी।
5. भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लि0 (आईआईएफसीएल) जिसे पात्र बोली आधारित पीपीपी अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घ अवधि की परिपक्वता के बैंक उधारों के वित्तपोषण हेतु 31.3.2009 तक कर मुक्त बांडों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने हेतु पहले से ही प्राधिकृत किया हुआ है, इस राशि की पहली खेप को उगाहने हेतु अगले सप्ताह बाजार में पहुंच रही है। इससे मुख्यतः चल रही राजमार्गों और पत्तन परियोजनाओं का लगभग 25,000 करोड़ रुपए तक निधिकरण हो सकेगा। आगामी 18 महीनों के दौरान प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं का निधिकरण करने हेतु आईआईएफसीएल को, चालू वर्ष में उगाही गई निधियों को बेहतर तरीके से उपयोग में लाने के पश्चात, कर-मुक्त बांडों के माध्यम से अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए जुटाने हेतु नई खेप उगाहने के लिए बाजार में आने की अनुमति दी गई है।
6. निर्यातकों को विशेष रूप से वैश्विक मंदी की परिस्थितियों से आघात पहुंचा है। निर्यातकों को सहायता देने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में:
- (1) इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि नवम्बर, 2008 से डालर के मुकाबले रुपए के मूल्य में लगभग चार प्रतिशत का सुधार आया है,

- निर्णय लिया गया है कि डीईपीबी की दरों को नवम्बर, 2008 से पूर्व प्रचलित दरों पर कायम रखा जाए। भावी संविदाओं के लिए अल्पावधि में भविष्यवाणी और स्थिरता मुहैया कराने हेतु डीईपीबी की स्कीम को 31.12.2009 तक बढ़ाया जाएगा।
- (2) बुने हुए फेब्रिक्स, बाइसिकिल्स, कृषि के काम आने वाले हस्त उपकरण और सूत की विनिर्दिष्ट श्रेणियों सहित कतिपय मर्दों पर ड्यूटी के वापसी भुगतान के लाभों को बढ़ाया गया है। यह परिवर्तन 1 सितम्बर, 2008 से पूर्व व्यापी तौर पर लागू होंगे।
- (3) निर्यातकों ने ऐसे अनेक प्रक्रियागत मुद्दों को उठाया है जिनमें संशोधन करके निर्यातकों द्वारा महसूस किए जा रहे प्रक्रियागत विलम्ब को घटाया जा सकता है। इन समस्याओं और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं पर विचार करते हुए सरकार ने राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग के सचिवों सहित वित्त सचिव की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है ताकि फास्ट-ट्रेक आधार पर इन मुद्दों पर गौर करने समाधान निकाला जाए।
- (4) एक्जिम बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से 5000 करोड़ रुपए की एक ऋण श्रृंखला प्राप्त की है जिसे वह प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर भारतीय निर्यातकों को रुपए अथवा डालरों में जहाज-पूर्व और जहाज-पश्च लदान के लिए ऋण के रूप में मुहैया कराएगा।

7. मंदी की प्रवृत्तियों पर काबू पाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (1) टीएमटी छड़ों और ढांचों पर सीवीडी तथा सीमेंट पर सीवीडी और विशेष सीवीडी से छूट को जिसे मुद्रास्फीति रोकने के लिए दी गयी थी, वापस लिया गया है। जिक और फैंरो मिश्रधातुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट को भी जिसे मुद्रास्फीति रोकने हेतु मुहैया कराया गया था, इसी प्रकार वापस लिया गया है।
- (2) भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन्हें निम्न आय और मध्य आय वर्ग के लिए आवास स्कीमों के लिए भूमि मुहैया कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करेगी।
- (3) राज्यों को, एक कालिक उपाय के रूप में 30.6.2009 तक उनकी शहरी परिवहन योजनाओं के लिए बसें खरीदने के लिए जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस बारे में शीघ्र ही एक स्कीम घोषित की जाएगी।
- (4) 1.1.2009 को या उसके बाद 31.3.09 तक खरीदे गए वाणिज्यिक वाहनों पर 50% का त्वरित मूल्यहास दिया जाएगा।

8. सरकार अपनी सभी स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए व्यय की गति को बढ़ाने हेतु अपने खर्चों की बारीकी से मानीटरिंग कर रही है। सरकार केन्द्रीय परियोजनाओं की शीघ्रता पूर्वक अनुमोदन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एक फास्ट ट्रेक मानीटरिंग कमेटी गठित करेगी। मुख्य मंत्रियों को भी ऐसा करने की सलाह दी गई है।

9. ऊपर बताए गए उपायों के साथ-साथ पहले उठाये कदम वर्तमान वर्ष में पर्याप्त रूप से प्रतिरोधी-चक्रीय दबाव पैदा करते हैं। सरकार का चालू राजकोषीय वर्ष में अन्य कोई और कदम उठाने का इरादा नहीं है। तथापि, सरकार इस बात से भी जागरूक है कि अर्थव्यवस्था को आर्थिक गति प्रदान करने हेतु जो उपाय अपेक्षित हैं उन्हें चालू वित्तीय वर्ष के बाद ही

उठाया जाएगा। इस दिशा में, सरकार आयोजना और गैर-आयोजना व्यय को अंतिम रूप दे रही है जो आगामी वित्तीय वर्ष में गति को बनाए रखने हेतु जरूरी होंगे। अगले वर्ष की योजना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण के प्रस्ताव शामिल होंगे। आगामी दो वर्षों के दौरान लगभग 20,000 करोड़ रुपए के पुनर्पूजीकरण की आशा है। वर्ष 2009-10 में आर्थिक गति को बनाए रखने हेतु आवश्यक ऋण वृद्धि मुहैया कराने के प्रयोजनार्थ इससे पूंजी की यथेष्टता में आने वाली रुकावटों से बैंकिंग प्रणाली को नुकसान नहीं उठाया पड़ेगा।

3.4 आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध मुकाबला करने के प्रयास और एफएटीएफ की सदस्यता।

- 9/11 के पश्चात, भारत भी आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध लड़ने (सीएफटी) के अपने उद्देश्य में विश्व के साथ मिल गया है। सीएफटी पर भारत के प्रयासों में सीएफटी का मुकाबला करने वाले उस मंच की समिति में सदस्यता ग्रहण करना, संयुक्तराष्ट्रीय आतंकवाद रोधी समिति में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कार्यान्वयन, एक वित्तीय आसूचना यूनिट का गठन (एफआईयू), अन्य देशों के साथ आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान और आतंकवाद को बढ़ने से रोकने के लिए कानूनों को लागू करना शामिल हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और मानदंडों, पारस्परिक मूल्यांकन एवं निगरानी जैसे उपायों को अपनाता रहा है।
- भारत फाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ की सदस्यता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है जो कालेधन को सफेद करने और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए वैश्विक मानकों और उपायों को स्थापित करने के लिए लगा है। एफएटीएफ की पूर्ण सदस्यता में अन्वयों के साथ-साथ भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनके अन्तर्राष्ट्रीय कार्य प्रचालनों हेतु महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हैं। अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए एफएटीएफ ने 49 सिफारिशें घोषित की हैं जिनमें कालेधन को सफेद बनाने की वित्तीय प्रणाली की बुराइयों को रोकने के लिए एक व्यापक कार्य योजना मुहैया कराना और आतंकवाद एवं आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण का पता लगाने, रोकने और उसे दबाने के बुनियादी ढांचे को निरूपित करना शामिल है। एफएटीएफ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा है।
- सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की तकनीकी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भारत को एक पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक देशों का मूल्यांकन किया जाता है और उन 49 सिफारिशों में से प्रत्येक के सामने अंतिम रूप से अनुपालक, आंशिक अनुपालक, बड़ा अनुपालक या गैर-अनुपालक निर्धारित किया जाता है। 49 सिफारिशों में से छः ऐसी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जिनको सदस्यता हेतु निर्णायक तौर पर अनुमोदित करना होता है। भारत का पारस्परिक मूल्यांकन नवम्बर-दिसम्बर 2009 में आयोजित होना निश्चित हुआ है। यदि वह सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो भारत का सदस्यता हेतु मामला एफएटीएफ की पूर्ण बैठक के समक्ष 2010 के आरम्भ में प्रस्तुत हो सकता है।

3.5 वित्तीय क्षेत्र में सुधार

सुधारों की आवश्यकता और उसका नक्शा दो महत्वपूर्ण सरकारी समितियों

की रिपोर्टों में उपयुक्त ढंग से तैयार किया गया है : (1) मुम्बई को एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र बनाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एमआईएफसी पर एचपीईसी) और (2) “एक सौ लघु उपाय” शीर्षक से वित्तीय क्षेत्र सुधारों (सीएफएसआर) पर उच्च स्तरीय समिति। ये रिपोर्टें क्रमशः निम्नलिखित स्थानों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं: <http://finmin.nic.in/reports/index.html> (http://planningcommission.nic.in/report/genrep/rep_fr/cfsr_all.pdf)। इन दोनों रिपोर्टों की सिफारिशों की जांच वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श से की जा रही है। इन दोनों रिपोर्टों में सामान्य विचारार्थ विषय हैं, जैसे कि भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की अगली पीढ़ी की सिफारिशें करना। एमआईएफसी पर एचपीईसी का अधिदेश भारत में वित्तीय सेवाओं से संबंधित विद्यमान कानूनी, विनियामक, कराधान और लेखाकरण ढांचे की पुनरीक्षा करके क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में मुम्बई की उभरती हुई भूमिका के लिए आगे की दिशा में देखना और मुम्बई का इस प्रकार रूपान्तरण करने हेतु एक समर्थकारी ढांचे को सुसाध्य बनाना है। सीएफएसआर ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए निम्नलिखित कारणों को छुआ है: (1) विकास प्रक्रिया में अधिकाधिक भारतीय को शामिल करना; (2) विकास को स्वयं में आगे प्रेरित करना और (3) वित्तीय स्थिरता को सुधारना और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रखना जिसने विगत में उभरते हुए बाजारों को प्रभावित किया हो और आज भी औद्योगिक देशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अगस्त, 2007 को ली गई बैठक में एमआईएफसी रिपोर्ट की निम्नलिखित सिफारिशों को प्राथमिकता पर कार्यान्वयन हेतु लिया गया है:

- (क) एक व्यापक बी-सी-डी (बांड-करेंसी-व्युत्पाद) काम्प्लैक्स के लिए एचपीईसी द्वारा सिफारिश किए गए सभी आवश्यक उपायों को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करने की जरूरत है।
- (ख) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को वित्तीय सेवाएं अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने के लिए कदम उठाने होंगे।
- (ग) प्रतिभूति बाजारों के क्षेत्र में विनियामक/अपीलीय/न्यायिक क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए शैक्षिक प्रयास करने की तत्काल जरूरत होगी।
- (घ) एचपीईसी द्वारा सुझाए गए मानव प्रयासों को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।
- (ङ) एचपीईसी में जी-क्षेत्रक बाजारों और डीएमओ की स्थापना के लिए सुधारों पर की गयी सिफारिशों को शीघ्रतापूर्वक और एक समय-सीमा में पूरा किया जाएगा।
- (च) वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के लिए विनियामक प्रभाव मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया जाएगा।

उपर्युक्त सिफारिशों पर अनुवृत्ति कार्रवाई की गई है और निम्नलिखित घटनाएं पहले ही घटित हो चुकी हैं:

- (1) एनएसई ने 29 अगस्त, 2008 को एक्सचेंज ट्रेडिड करेंसी फ्यूचर्स आरम्भ किए हैं। बीएसई ने इन्हें इस वर्ष 1 अक्टूबर, 2008 को तथा एमसीएक्स ने 7 अक्टूबर को आरम्भ किया है।

- (2) क्रिसिल ने निवेशकों की सहायतार्थ निवेश संबंधी निर्णय लेने से पूर्व किसी निवेश लिखत में अन्तर्ग्रस्त जोखिम कारक को समझने के लिए अपेक्षित समझ-बूझ तथा उसकी नाजुकता की डिग्री का निर्धारण करने हेतु 28 मार्च, 2008 को “काम्पलैक्सिटी लेवल्स” आरम्भ किए थे। बाद में “केयर”, आईसीआरए और “फिच” ने भी इसी प्रकार की पहले आरम्भ की हैं।
- (3) ऋण प्रबंधन पर एक आन्तरिक कार्यकारी समूह गठित किया गया था। समूह की रिपोर्ट में एक ऐसी एजेंसी की कल्पना की गई है जो केन्द्र और राज्यों के लिए ऋण का प्रबंध करने के साथ जोखिम के स्वीकार्य स्तरों के अन्तर्गत उधारों की लागतों को न्यूनतम स्तर पर रखते हुए उनकी वित्तीय जरूरतों के समग्र उद्देश्यों को पूरा करेगी। रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजकोष प्रबंधन एजेंसी (एनटीएमए) सृजित करने के लिए एक मसौदा बिल का प्रस्ताव रखा है। एनटीएमए स्थापित करने पर आन्तरिक कार्यकारी समूह की इस रिपोर्ट में विनियामकों, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेंसियों को उनकी अभ्युक्तियां प्राप्त करने हेतु शामिल किया है। इसे पब्लिक की टिप्पणियों हेतु निम्नलिखित सम्पर्क <http://finmin.nic.in/reports/index.html> पर वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है। रिपोर्ट पर प्राप्त अभ्युक्तियां सकारात्मक हैं।

3.6 विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

वर्ष 2008 में की गई पुनरीक्षा के आधार पर निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर ईसीबी नीति को और उदार बनाया गया:

- सेवा क्षेत्र में उधारकर्ता पहले स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अन्तर्गत ईसीबी प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सेवा क्षेत्र में अर्थात् होटल, अस्पताल और साफ्टवेयर कंपनियों को भी स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत अनुमत अंतिम उपयोग हेतु पूंजीगत माल के आयात/विदेशी करेंसी और/या रुपया पूंजी व्यय के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति देने का निर्णय लिया था, इसमें ईसीबी के अन्य सभी पहलुओं को अपरिवर्तित रखा गया। (31 मई, 2008 और 2 जनवरी, 2009 की प्रेस विज्ञप्ति)
- 7 अक्टूबर, 2008 की प्रेस विज्ञप्ति के तहत ईसीबी के प्रयोजनार्थ अवसंरचना क्षेत्र की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए उसमें खनन, अन्वेषण और तेल शोधन क्षेत्र को भी शामिल किया गया।
- बाद में, अक्टूबर, 2008 में नीति पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप, स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए रुपया व्यय और/या विदेशी मुद्रा में व्यय के लिए प्रति उधारकर्ता प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक ईसीबी की अनुमति दी गई थी। अवसंरचना क्षेत्र में उधारकर्ताओं द्वारा रुपया पूंजी व्यय के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक ईसीबी के लिए न्यूनतम सात वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया।
- इसके अतिरिक्त, देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से ईसीबी के प्रयोजनार्थ 3जी स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस/परमिट प्राप्त करने हेतु भुगतान को पात्र अंतिम-उपयोग माना जाएगा।
- इस पुनरीक्षा से पूर्व, ईसीबी से संबंधित प्राप्ति को भारत में वास्तविक जरूरत होने तक विदेश में रखना अपेक्षित होता था और ऐसी प्राप्ति

को नकदी आस्तियों में निम्नलिखित में निवेशित किया जाता था (क) मूडी'ज द्वारा एए3 या एस एंड पी/फिच आईबीसीए द्वारा एए(-) से कम की साख दर निर्धारण न हुई हो, बैंकों द्वारा पेशकश किए गए निक्षेपों या निक्षेप प्रमाणपत्रों में (ख) भारत में किसी एडी बैंक की विदेशी शाखा में निक्षेप; और (ग) उपर्युक्त न्यूनतम साख दर निर्धारण वाली राजकोषीय हुंडियों और एक वर्ष की परिपक्वता वाले अन्य मौद्रिक लिखतों में। इसके बाद निर्णय लिया गया कि उधारकर्ता को यह छूट दी जाए कि वह चाहे तो इन निधियों को उपर्युक्तानुसार विदेश में रखे या विदेश स्थित भारत के बैंक की विदेशी शाखाओं/अनुषंगी शाखाओं में रखे अथवा भारत में एडी श्रेणी 1 के बैंकों के पास अपने रुपया खातों में जमा के लिए भारत में इन निधियों की प्रेषणा करे, जब तक कि इन निधियों का अनुमत्य अंतिम उपयोग न हो। तथापि, यथानुसार रुपया निधियों को पूंजी बाजारों, अचल सम्पदाओं या अन्तर-कारपोरेट उधारी के लिए निवेश हेतु उपयोग की अनुमति दी गई है।

- इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में नकदी की कठोर स्थितियों को देखते हुए समग्र-अन्तः-लागत सीमाओं को और अधिक युक्तिसंगत बनाया गया और संबंधित करेंसी के लिए 6 महीने की लिबोर से ऊपर 300 आधारिक बिंदुओं तक बढ़ाया गया या संबंधित करेंसी के लिए 6 महीने लिबोर की तुलना में उन ईसीबी के लिए जिनकी औसत परिपक्वता 3 से 5 वर्ष तक की है, के लिए व्यवहार्य बैंच मार्क है, 500 आधारिक बिंदु तक या 5 वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वता वाली ईसीबी के लिए व्यवहार्य बैंच मार्क को बढ़ाया गया है। तथापि, विद्यमान नीति के अनुसार जिसकी दिसम्बर, 2008 में पुनरीक्षा की गई और 2 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया, लिबोर+300 आधारिक बिंदुओं और तीन वर्ष से पांच वर्ष तक की औसत परिपक्वता अवधि सहित ईसीबी के लिए लिबोर+500 आधारिक बिंदुओं और पांच वर्ष से अधिक की परिपक्वता के संबंध में समग्र अन्तः-लागत सीमाओं को हटा लिया गया है। अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत समग्र अंतःलागत सीमाओं से अधिक ईसीबी प्राप्त करने के प्रस्तावों पर विचार किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ऋण प्रवाहों लगातार बनी हुई सख्ती पर विचार करते हुए इस छूट को 31 दिसम्बर, 2009 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- एसएमईज के असुरक्षित विदेशी मुद्रा प्रकटीकरण से सम्बद्ध जोखिम को देखते हुए नियमित आधार पर बैंकों द्वारा ऐसे असुरक्षित प्रकटीकरण की मानीटरिंग के लिए एक प्रणाली तैयार की गई है।
- इसके अतिरिक्त, वर्तमान ईसीबी नीति में उपलब्ध ऋण वृद्धि कारक खिड़की को पूर्णतया कार्य प्रचालनात्मक बनाया गया है।
- मई, 2007 में रिजर्व बैंक ने ईसीबी के अंतिम-उपयोग के रूप में “एकीकृत शहरीकरण का विकास” को प्रदान की गई छूट वापस ले ली है। निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आईपीपी विभाग द्वारा 4 जनवरी, 2002 को जारी प्रेस विज्ञप्ति 3 (2002 श्रृंखला) में यथा परिभाषित एकीकृत शहरीकरण के विकास में लगी कंपनियों को अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति होगी। इस नीति की जून 2009 में पुनरीक्षा करना अपेक्षित है।
- विद्यमान ईसीबी नीति के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों

(एनबीएफसी) को भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को अवसंरचना उपकरण लीज पर लेने के लिए उनके आयात के वित्तपोषण हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि के लिए ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति थी। निर्णय लिया गया था कि उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जो केवल अवसंरचना क्षेत्र के वित्त पोषण में लगी हुई, बहुपक्षीय/क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकार के स्वामित्वाधीन विकास वित्तीय संस्थाओं से ईसीबी प्राप्त करके उन्हें अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत अवसंरचना क्षेत्र में उधारकर्ताओं को आगे उधार पर देने की अनुमति दी जाए। तथापि, आवेदनों पर विचार करते हुए रिजर्व बैंक को भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को सीधे वित्तपोषित करने वाले उधारकर्ताओं की कुल वचनबद्धताओं का भी हिसाब रखना पड़ता है। किसी भी समय पर उपर्युक्त उधारदाताओं का प्रत्यक्ष उधार देने का पोर्टफोलियो बनाम उनके द्वारा एनबीएफसी को दी गयी कुल ईसीबी की उधार 3:1 से कम नहीं होनी चाहिए। एडी श्रेणी-रू के बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस आशय का प्रमाण-पत्र पात्र उधारदाताओं से प्राप्त करें। इस सुविधा की पुनरीक्षा जून, 2009 में की जाएगी।

3.7 सरकारी प्रतिभूतियों और कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश

- सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बांडों में निवेश करने की अनुमति है। मई, 2008 में नीति की समीक्षा के पश्चात, जी-सेक में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की सीमा को 3.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 5 बिलियन अमरीकी डालर किया गया और कॉरपोरेट ऋण में इसे 1.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 3 बिलियन अमरीकी डालर किया गया तथा फिर वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, कारपोरेट ऋण में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश को दुगुना अर्थात् 6 बिलियन अमरीकी डालर तक कर दिया गया। अब, रिजर्व बैंक के परामर्श से, कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की सीमा को बढ़ाकर 15 बिलियन अमरीकी डालर तक कर दिया गया है। यह निर्णय सरकार द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार सेबी द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
- पिछले दो वर्षों के लिए ईसीबी अनुमोदनों के लिए समग्र सीमा 22 बिलियन अमरीकी डालर थी। किन्तु इसे और ईसीबी की, विशेषकर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, संभावित मांगों को ध्यान में रखकर, वर्ष 2009-10 के लिए समग्र अनुमोदन उच्चतम सीमा को 22 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 35 बिलियन अमरीकी डालर करने का प्रस्ताव है। लेकिन इस संबंध में निर्णय लिया जाना अभी शेष है।

3.8 विदेशी मुद्रा रूपांतरणीय बांडों (एफसीसीबी) की वापसी खरीद संबंधी नीति का उदारीकरण

विदेशी मुद्रा रूपांतरणीय बांडों की समयपूर्व वापसी खरीद संबंधी नीति का उदारीकरण दिसम्बर, 2008 में किया गया था। स्वचालित और अनुमोदन मार्ग, दोनों के तहत वापसी खरीद हेतु प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है बशर्ते कि वापसी खरीद भारत अथवा विदेश में धारित उनके विदेशी मुद्रा संसाधनों और/अथवा मौजूदा ईसीबी मानकों के अनुरूप जमा किए गए नए ईसीबी और अंकित मूल्य पर न्यूनतम 25% की छूट पर मोचन मूल्य के 50 मिलियन अमरीकी डालर तक के आंतरिक

उपचयों में से वित्तपोषित हो। भारतीय कंपनियों को उपचित लाभों को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब वापसी अदायगी की उच्चतर राशि को और अधिक छूटों से जोड़कर अर्थात् 50 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के अंकित मूल्य और 75 मिलियन अमरीकी डालर तक के प्रतिदान मूल्य पर कम से कम 35% की छूट और 75 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक और 100 मिलियन अमरीकी डालर तक की राशि के लिए 50% की छूट पर आंतरिक उपचयों में से वापसी अदायगी की कुल राशि को प्रतिदान मूल्य के 50 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 100 मिलियन अमरीकी डालर करने का निर्णय लिया है। बही मूल्य पर कम से कम 25% की छूट पर 50 मिलियन अमरीकी डालर तक के एफसीसीबी की वापसी खरीद की मौजूदा सुविधा जारी रहेगी।

एफसीसीबी की वापसी अदायगी के लिए संपूर्ण क्रिया का 31 दिसम्बर, 2009 तक पूरा हो जाना अपेक्षित है।

3.9 विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियों द्वारा एडीआर/जीडीआर और एफसीसीबी का निर्गम

- वर्ष 1992/1993 के दौरान भारतीय कारपोरेट क्षेत्र को वैश्विक निक्षेपागार तंत्र के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी)/ शेयरों के निर्गम के जरिए वैश्विक पूंजी बाजार तक पहुंच की अनुमति देने हेतु एक योजना आरंभ की गई थी। इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। दिशानिर्देशों में चरणबद्ध तरीके से उदारीकरण की घोषणा की गई है।
- एडीआर/जीडीआर दिशानिर्देशों को घरेलू पूंजी निर्गमों संबंधी सेबी के दिशानिर्देशों के समकक्ष लाने के लिए एडीआर/जीडीआर नीति की पिछली समीक्षा अगस्त, 2005 में की गई थी। समीक्षा प्रक्रिया में लिए गए निर्णयों में से एक मुख्य निर्णय था एडीआर/जीडीआर का निर्गम करने की इच्छुक कंपनियों के लिए अनिवार्य घरेलू सूचीयन।
- विदेशी निर्गमों के लिए कीमत निर्धारण को भी अधिमानी आबंटन और अर्हक संस्थागत नियोजनों (क्यूआईपी) संबंधी सेबी डीआईपी दिशानिर्देशों के समनुरूप बनाया गया है।

3.10 हाल ही में की गई पहलें

- इस विभाग द्वारा दिनांक 31 मई, 2007 के आदेश द्वारा, भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में और अधिक तथा सहज सुगम्यता में समर्थ बनाने के लिए एफसीसीबी/ एडीआर/जीडीआर प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के दृष्टिगत एडीआर/जीडीआर नीति की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट 17 जनवरी, 2008 को प्रस्तुत की। सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और इन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।
- हाल ही में, सेबी ने अर्हक संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) निर्गमों के लिए अपने कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों में संशोधन किया। तदनुसार एडीआर/जीडीआर कीमत निर्धारण मानकों में भी संशोधन किया गया है। नए एडीआर/जीडीआर कीमत निर्धारण मानकों के अनुसार, कीमत निर्धारण संगत तिथि से पूर्ववर्ती दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत संबंधित शेयरों के बंद भाव के साप्ताहिक उच्च और निम्न भाव के औसत से कम नहीं होना

चाहिए। (दिनांक 27 नवम्बर, 2008 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लिया जाए)।

3.11 विदेशी मुद्रा विनिमय बांडों के निर्गम हेतु योजना

- विदेशी मुद्रा विनिमय बांडों के निर्गम हेतु योजना सरकार द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2008 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित की गई थी।
- विनिमय बांड तंत्र विनिमय बांडों के निर्गम द्वारा भारतीय कंपनियों को उनकी वित्त संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए समूह कंपनियों में धारिता के एक भाग को अनवरुद्ध करने की अनुमति देगा।
- एक विनिमय बांड लगभग सभी प्रकार से एक विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का ही प्रतिबिंब है। एक मुख्य अंतर यह है कि निवेशकों के पास बांडों को निर्गमकर्ता कंपनी को छोड़कर किसी भी कंपनी के शेयरों की विनिर्दिष्ट संख्या में विनिमय करने का विकल्प होगा।
- विनिमय बांडों के लिए अंत- उपयोग अपेक्षाएं, कीमत निर्धारण और परिपक्वता तथा आयों का अभिनियोजन, विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्टानुसार होगा।
- योजना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के तहत उसके दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के एपी (डीआईआर) परिपत्र संख्या 17 के माध्यम से प्रचालनरत किया गया है।

3.12 विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश

विदेशी संस्थागत निवेशकों से पोर्टफोलियो आकर्षित करने के लिए एक योजना सितम्बर, 1992 से प्रचालनरत है। इस योजना के अंतर्गत, पेंशन निधि, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों/पुनःबीमा कंपनियों, निवेश न्यास, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय संगठन अथवा उनके अभिकरण या विदेशी सरकारी अभिकरण या विदेशी केन्द्रीय बैंक, विश्वविद्यालय निधियां, धर्मादा, प्रतिष्ठान, धर्मार्थ न्यास, आस्ति प्रबंधन कंपनियों, निवेश प्रबंधकों/सलाहकार, संस्थागत पोर्टफोलियो प्रबंधकों, जैसी संस्थाओं सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में कारोबारित सभी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। ऐसी प्रतिभूतियों में वे शेयर, डिबेंचर और वारंट शामिल हैं जो उन कंपनियों द्वारा जारी किए गए हैं जो भारत में स्टॉक एक्सचेंजों और घरेलू म्यूचुअल फंडों द्वारा संचालित योजनाओं में सूचीबद्ध हैं/सूचीबद्ध होने वाले हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए राजकोषीय हुंडियों सहित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनुमत है। ऐसे एफआईआई जो अपना पंजीकरण सेबी में ऋण निधि के रूप में करते हैं, उनके लिए भारतीय कंपनियों की ऋण प्रतिभूतियों में अपने 100% निवेश करने की अनुमति है। एफआईआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश नीचे निर्दिष्ट निवेश सीमाओं के अध्यक्षीन है:

- (1) व्यक्ति विदेशी संस्थागत निवेश/उप-खाता: कंपनी में निर्गमित और चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत
- (2) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सकल: कंपनी में 24 प्रतिशत निर्गमित और चुकता पूंजी जो क्षेत्रक सीमा/सांविधिक सीमा तक, जो भी लागू हो, संबंधित भारतीय कंपनी द्वारा इसके निदेशक मंडल द्वारा संकल्पना पारित करके बढ़ायी जा सकती है जिसके बाद इस आशय का विशेष संकल्प इसके आम निकाय द्वारा पारित किया जाएगा।

3.13 पेंशन सुधार

3.13.1 हालांकि, अधिकांश देशों में पेंशन सुधार शुरू में तो महंगी सरकारी पेंशन प्रणालियों को समर्थन देने में हो रही बजटीय कठिनाईयों से प्रेरित होकर किए जाते हैं, लेकिन वृद्धावस्था और सामाजिक परिवर्तन जैसे कारक भी जिनमें वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा के लिए पारम्परिक पारिवारिक मदद का समाप्त होना शामिल है, उतना ही महत्व रखते हैं।

3.13.2. भारत में, देशव्यापी सुरक्षा प्रणाली के अभाव में (औपचारिक तौर पर पेंशन के तहत शामिल लोगों की संख्या कार्यशील जनसंख्या का लगभग 12 प्रतिशत है) असंगठित क्षेत्र में पेंशन सुधार लागू करने में हालांकि वृद्धावस्था का और सामाजिक परिवर्तन का बहुत महत्व रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधारों का सबसे बड़ा कारण परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली का राजकोषीय दबाव था। केन्द्र सरकार और असंगठित क्षेत्र दोनों के लिए पेंशन सुधारों पर बल देते हुए वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 से कई बजट घोषणाएं की गई हैं।

3.13.3. भारत सरकार ने केन्द्रीय सेवा में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए, सशस्त्र बलों को छोड़कर, 22 दिसम्बर, 2003 को राजपत्र में अधिसूचना के जरिए 1 जनवरी, 2004 से नई पेंशन योजना शुरू की है। सरकार ने वर्ष 2003 में एक सरकारी संकल्प के जरिए सांविधिक विनियामक के पूर्ववर्ती के तौर पर एक अन्तरिम विनियामक, अन्तरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की संरचना की है। नई पेंशन योजना की खास विशेषताएं इस प्रकार हैं: स्वतः संपोषित, विस्तार क्षमता, व्यक्तिगत पसंद, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच, कम लागत वाली लेकिन प्रभावी और ठोस विनियमन पर आधारित पेंशन योजना।

3.13.4. नई पेंशन योजना (एनपीएस) की संरचना पूरी किए जाने तक अन्तरिम सरकारी व्यवस्था की गई थी। मार्च, 2008 तक एनपीएस अभिदाताओं के अंशदान एक सरकारी खाते में जमा किए जा रहे थे जिन पर सरकारी भविष्य निधि की समान दर पर लाभ अर्जित किया हो रहा था।

3.13.5. एनपीएस की संरचना पूरी तरह तैयार है। पीएफआरडीए द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप निधि लि. का केन्द्रीय अभिलेखपाल और लेखा एजेंसी (सीआरए) के तौर पर चयन किया गया है और उसने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। एनपीएस के तहत अंशदान अब सीआरए को भेजे जा रहे हैं। पीएफआरडीए ने तीन पेंशन निधि प्रबंधक, एक अभिरक्षक और एक न्यासी बैंक को नियुक्त किया है। एनपीएस के अभिदाताओं के संचय और अंशदान गैर-सरकारी भविष्य निधियों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेशित किए जाते हैं। सरकारी अंशदान और ब्याज सहित लगभग 1177 करोड़ रुपए की राशि 31 मार्च, 2008 को अभिदाताओं के पेंशन खातों में जमा की गई थी, जिनकी व्यवस्था पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त निधि प्रबंधकों द्वारा की जा रही है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार एनपीएस संचित निधि के तहत बकाया राशि लगभग 2200 करोड़ रुपए है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एनपीएस के तहत करीब 4.60 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

3.13.6. एनपीएस को नए खण्डों (स्वायत्त निकाय, राज्य सरकारें और असंगठित क्षेत्र) तक विस्तारित करने और छोटी-छोटी पेंशन पहले शुरू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने एनपीएस को व्यापक तौर पर अपनाया है। बाईस राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी अपने नए कर्मचारियों के लिए ऐसी ही योजना अधिसूचित की है। पीएफआरडीए ने एनपीएस संबंधी अन्य सहायक संस्थाओं के सहयोग से उन राज्य

सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जिन्होंने अब तक एनपीएस को अधिसूचित कर दिया है, मुम्बई, कोलकाता और नई दिल्ली में तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इन कार्यशालाओं का प्रयोजन राज्य सरकारों को एनपीएस की आवश्यकताओं से अवगत कराना है और उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे पीएफआरडीए द्वारा विनियामित एनपीएस संरचना को आसानी से शुरू कर सकें। नियुक्त किए गए पेंशन निधि प्रबंधकों और सीआरए की भी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस बारे में निरन्तर बातचीत होती रहती है जिससे कि वे आसानी से एनपीएस में शामिल हो सकें। अभी तक सीआरए ने सात राज्य सरकारों के साथ करार हस्ताक्षरित किए हैं।

3.13.7. एनपीएस को असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों पर लागू करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद पीएफआरडीए ने वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस संरचना देश के सभी नागरिकों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है ताकि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों के लिए एनपीएस उपलब्ध हो सके। 1 मई, 2009 से सभी नागरिकों के लिए वैच्छिक आधार पर एनपीएस शुरू की गई है।

3.14 द्वितीयक बाजार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारतीय स्टॉक बाजारों ने इस वित्त वर्ष में अप्रैल, 2007 तथा जनवरी, 2008 के बीच एक सशक्त अधोमुखी प्रवृत्ति के आसपास उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव परिलक्षित किया है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, सेसेक्स 9,708.50 पर हैं तथा निफ्टी 3020.95 पर है जो वित्त वर्ष के आरंभ से लगभग 38% की गिरावट है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, बीएसई तथा एनएसई का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 5982269 करोड़ रुपए है। बाजार पूंजीकरण अनुपात को सकल घरेलू उत्पाद द्वारा विभाजित स्टॉकों के बाजार पूंजीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष इक्विटी बाजारों का महत्व निर्दिष्ट करने के उपाय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व है क्योंकि बाजार की पूंजी को जुटाने तथा जोखिम को विविधीकृत करने की क्षमता के साथ सकारात्मक सहबद्धता है। अखिल भारत बाजार पूंजीकरण अनुपात वर्ष 2006-07 में 86.02% से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 109.26% हो गया। वित्तीय संकट के बावजूद यह 110.25% पर कमाधिक सतत ही बना हुआ है। उक्त उतार-चढ़ाव का एक बड़ा हिस्सा एफआईआई प्रवाहों तथा घरेलू मनोभावों में संबद्ध उतार-चढ़ाव पर आरोप्य है। वित्त वर्ष 2008-09 के लिए, इक्विटी तथा ऋण के कारण निवल बहिर्प्रवाह की कुल राशि 48,248 करोड़ रुपए थी।

3.15 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान की गई नीतिगत पहलें

3.15.1 लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए इक्विटी वित्त

जरूरतमंद लघु तथा मध्यम उद्यमों को वित्त उपलब्ध करने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए, सेबी बोर्ड ने 6 अक्टूबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में एसएमई द्वारा निर्मित प्रतिभूतियों के सूचीयन तथा कारोबार के लिए समर्पित एक्सचेंजों तथा/अथवा एक्सचेंजों के समर्पित मंचों के संवर्धन को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया। बहुल एक्सचेंज या मंच इस क्षेत्र में आवश्यक प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराएंगे।

3.15.2 अल्प बिक्री

विद्यमान प्रतिभूति उधार देने तथा उधार लेने की योजना के कार्यक्षेत्र को व्यापक करके उसे एक पूर्णतया विकसित उधार देने तथा उधार लेने की योजना में रूपांतरित करने के उद्देश्य से, जिसमें खुदरा निवेशकों सहित सभी श्रेणियों के निवेशकों की प्रतिभागिता समर्थकारी हो, अल्प बिक्री तथा

प्रतिभूति उधार देने तथा उधार लेने की योजना को 21 अप्रैल, 2008 से प्रचालनरत किया गया था।

3.15.3 स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी संस्थागत निवेशक

अपनी बोर्ड बैठक में, सेबी ने विनिर्दिष्ट श्रेणियों से संबद्ध व्यक्ति कंपनियों नामतः पीएफआई, एसई, निक्षेपागारों, बैंकों तथा बीमा कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज की इक्विटी के 15% तक को धारित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ऐसा सेबी विनियम में समुचित संशोधनों के माध्यम से किया जाएगा।

3.15.4 भीतरी कारोबार विनियम

सेबी ने शब्द “भीतरी” की परिभाषा को व्यापक बनाने के लिए सेबी (भीतरी कारोबार का निषेध) विनियम, 1992 में संशोधन करके 19 नवम्बर, 2008 को अपने भीतरी कारोबार मानदंड कठोर किए हैं जिससे इस शब्द में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल होगा जो किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ था तथा जिसे मूल्य संवेदी सूचना प्राप्त है। विनियामक ने अब छः माह की अल्पावधि के भीतर किसी नामनिर्दिष्ट भीतरी व्यक्ति द्वारा कारोबार निषिद्ध करने के लिए अपने विनियमों में संशोधन किया है।

3.16 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

3.16.1 एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम

“पूंजी प्रवाह और उनके परिणाम” के संबंध में एनआईपीएफपी - डीईए अनुसंधान कार्यक्रम के तहत पूंजी प्रवाह और उनके परिणामों के बारे में लगभग 12 अध्ययन और कई सम्मेलन/विचार-गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। हालांकि, पूंजी प्रवाह इनका मुख्य वित्तय रहा है लेकिन इस कार्यक्रम के तहत सीधे संबंधित वित्तयों और घरेलू अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के आर्थिक निहितार्थ जैसे उभरते मुद्दों के संबंध में विचार-गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। आर्थिक कार्य विभाग में ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना करने के लिए कार्यकारी दल को अनुसंधान सहायता भी मुहैया कराई गई है।

3.16.2 भारत की सावरन रेटिंग

इस समय पांच अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों नामतः स्टैंडर्ड एवं पुअर्स (एस एण्ड पी), मूडीज इन्वेस्टर सर्विसिज, फिच (एफआईटीसीएच), जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जेसीआरए) और रेटिंग एवं इन्वेस्टमेंट इन्फोर्मेशन इंक, टोक्यो (आर एण्ड आई), द्वारा भारत का दर्जा निर्धारण किया जाता है। इन एजेंसियों द्वारा वर्तमान रेटिंग संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

फिच और एस एण्ड पी ने भारत को विदेशी मुद्रा के संबंध में स्थिर एवं ऋणात्मक दृष्टिकोण के साथ बीबीबी- का दर्जा दिया है जबकि डीबीआरएस और जेसीआरए ने इसे स्थिर दृष्टिकोण के साथ क्रमशः बीबीबी+ और बीबीबी (अल्प) का दर्जा दिया है।

3.17 भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की अनुसूची-२ के अनुसार सभी आशवासित प्रतिलाभ योजनाओं के अंतरण द्वारा यूटीआई का विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी) या यूटीआई-२ का निर्माण किया गया। सूटी ने बांडों की दो श्रृंखलाएं जारी की, 6.75% यूएस 64 बांड, जो पहली जून, 2008 को परिपक्व हुए और 6.60% एआरएस बांड, जो पहली अप्रैल, 2009 को परिपक्व हुए। पांच वर्ष की अवधि वाले ये बांड भारत सरकार की गारंटी प्राप्त हैं। पहली जून, 2008 को 6.75% यूएस

बांड परिपक्व हुए और 7096 करोड़ रुपए की बांड पूंजी का निर्मोचन किया गया। उपर्युक्त बांडों की श्रृंखला के धारकों द्वारा 593 करोड़ रुपए की राशि का अभी तक दावा नहीं किया गया है।

वर्ष 2008-09 की अवधि के दौरान, सूटी ने भी अपनी असूचीबद्ध इक्विटी धारिता का कुछ भाग बेचा और इस अवधि के दौरान 36% का मुख्य बिक्री लेन-देन 350 करोड़ रुपए के लिए सिकॉम लिमिटेड में हुआ।

वर्ष 2003-04 से, गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में से लगभग 6200 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, जिसमें कुछ मामलों में ब्याज संघटक और नियत परिसंपत्तियों की बिक्री से लगभग 900 करोड़ रुपए शामिल हैं।

4. अवसंरचना एवं निवेश प्रभाग

4.1 मुद्रा एवं सिक्का अनुभाग

मुद्रा एवं सिक्का अनुभाग करेंसी नोटों, स्टॉप पेपरों और अन्य प्रतिभूति प्रलेखनों, पासपोर्टों, वीजा प्रपत्रों आदि के मुद्रण के संबंध में नीति बनाने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, यह भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सिक्का उत्पादन आयोजना सहित सिक्कों के निर्माण, जाली नोटों को रोकने के लिए, करेंसी नोटों, स्टाम्प पेपरों आदि में नई विशेषताएं शामिल करने, विशेष अवसरों पर स्मारक सिक्के जारी करने का कार्य करता है और भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड का जो करेंसी नोटों, सिक्कों, प्रतिभूति दस्तावेजों और अन्य प्रतिभूति प्रलेखनों का उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी है, प्रशासन कार्य भी देखता है।

सरकार, एसपीएमसीआईएल और नौ टकसालों/मुद्रणालयों/ प्रतिभूति कागज कारखाने की यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच 15 सितम्बर, 2008 को निगम के तहत सेवा की शर्तों पर एक त्रिपक्षीय करार हस्ताक्षरित किया गया था ताकि कर्मचारी 1 नवम्बर, 2008 से निगम में विलयन किए जाने अथवा सरकार में बने रहने का विकल्प दे सकें।

स्मारक सिक्के

वर्ष 2008-09 में सरकार ने विभिन्न अवसरों पर स्मारक सिक्के जारी किए हैं, जैसा तालिका 1.1 में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए एसपीएमसीआईएल की करेंसी प्रेसों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक नोटों की कुल मांग का अनुमान विभिन्न मूल्य वर्ग के लिए 6700 मिलियन अदद लगाया गया है। तालिका 1.1 पर दी गई है। एसपीएमसीआईएल की टकसालों के लिए कुल मांग विभिन्न मूल्य वर्ग के 6000 मिलियन अदद होने का अनुमान लगाया गया है। प्रतिभूति मुद्रणालयों के लिए प्रतिभूति मर्दों और वित्तीय प्रपत्रों की सभी किरमों के लिए कुल मांग 883.30 मिलियन अदद होने का अनुमान लगाया गया है। एसपीएमसीआईएल ने उसके पास उपलब्ध सुविज्ञता का उपयोग करते हुए अन्य देशों के लिए बैंक नोट और सिक्कों की आपूर्ति के लिए निर्यात बाजार में प्रवेश किया है।

गत वर्ष एसपीएमसीआईएल ने नोटों के मुद्रण और आपूर्ति के लिए मैसर्स एमएमटीसी लि0 के माध्यम से नेपाली पेपर बैंक (एनआरबी) पीक्यूबी में भाग लिया। इसे 11 अन्तरराष्ट्रीय कंपनियों में से योग्य ठहराया गया और नेपाली बैंक नोटों के मुद्रण और आपूर्ति के लिए निविदा प्रलेखों के निर्गम के लिए सूची में शामिल कर लिया गया। विभिन्न मूल्यवर्गों के मुद्रण और आपूर्ति के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक के निविदा के संदर्भ में एसपीएमसीआईएल ने एमएमटीसी के माध्यम से भाग लिया और 10 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के मुद्रण और आपूर्ति के निविदा में नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी), नेपाल का सबसे न्यूनतर निविदाकार बना। करेंसी नोट प्रेस, नासिक ने नेपाल राष्ट्र बैंक के 10 रुपए के मूल्यवर्ग के 50 मिलियन अदद नोटों का मुद्रण करके एनआरबी, नेपाल को समय पर इनकी आपूर्ति की।

निगम ने प्रतिभूति कागज कारखाने के आधुनिकीकरण, प्रतिभूति कागज उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने, करेंसी मुद्रण यूनिट का आधुनिकीकरण करने, परम्परागत तरीके से किए जा रहे विभिन्न क्रियाकलापों को स्वचालित करने, डिजाइनिंग का आधुनिकीकरण करने और स्याही विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने का विचार किया है। इस आधुनिकीकरण के लिए यदि आवश्यक हुआ तो सरकार वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी।

4.2 विदेशी निवेश एकक

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के स्पष्टीकरण सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तथा संबंधित मामले।
- नीतिगत दृष्टिकोण से विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के प्रस्तावों पर टिप्पणियां जिनमें अन्य दिशानिर्देश शामिल हैं।

तालिका 1.1

वर्ष 2008-09 में जारी किए स्मारक सिक्के

क्रम सं.	वर्ष	स्मारक सिक्के का नाम	जारी करने की तारीख
1.	2008	पहले स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ	14.08.2008
2.	2008	शहीद भगत सिंह का 75वां शहीदी दिवस	27.09.2008
3.	2008	श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु-ता-गद्दी की त्रिशताब्दी	31.10.2008
4.	2009	"लुईस ब्रेल " की 200वीं वर्षगांठ पर स्मारक सिक्का	4.1.2009

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में विदेशी निवेश।
- निवेश आयोग- निवेश आयोग की अनुशंसाओं का अनुवर्तन।
- प्रिंट मीडिया क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव।

सेक्टर संबंधी प्रभार: औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, (2) अनिवासीस भारतीय मामले मंत्रालय, (3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय तथा (4) अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।

निवेश आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट शीर्षक “भारत में निवेश कार्यनीति” फरवरी, 2006 में तथा अपनी द्वितीय रिपोर्ट शीर्षक “महत्वपूर्ण क्षेत्र” दिसम्बर, 2007 में प्रस्तुत की थी।

प्रथम रिपोर्ट में 149 अनुशंसाएं निहित हैं जिनमें 27 प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा साथ ही राज्य सरकारों से जुड़े मसले शामिल थे। द्वितीय रिपोर्ट में पर्यटन, कृषि, खाद्य संस्करण, कपड़ा और वस्त्र तथा विद्युत संबंधी 137 सिफारिशें निहित थी। हालांकि द्वितीय रिपोर्ट में निहित अनुशंसाएं वर्ष 2008-2009 के दौरान संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी अभ्युक्तियों तथा क्रियान्वयन के लिए परिचालित कर दी गई हैं, प्रथम रिपोर्ट में निहित क्रियान्वित न की गई अनुशंसाओं का उनके क्रियान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परिशीलन किया जा रहा है।

इन अनुशंसाओं का अनुवर्तन एक सतत प्रक्रिया होगी।

4.3 विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड एकक

कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2003-एफआईयू दिनांक 18.2.2003 के तहत विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसको आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया।

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों के लिए एकल समाशोधन मार्ग है तथा इसमें आर्थिक कार्य विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, लघु उद्योग मंत्रालय, राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, विदेश मंत्रालय तथा अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिवों का मुख्य दल शामिल है।

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की अध्यक्षता आर्थिक कार्य विभाग के सचिव द्वारा की जाती है और इसकी महीने में दो बैठकें होती हैं। विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड संबंधी सभी प्रस्ताव/प्रलेख नार्थ ब्लॉक के द्वार संख्या 8 पर सुविधा कार्डटर पर प्राप्त किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान, कुल 21 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें

510 मदों पर विचार किया गया था और 340 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह अनुमानतः 35649.917 करोड़ रुपए है।

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान, कुल 19 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 645 प्रस्तावों पर विचार किया गया और 397 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह लगभग 61972.7441 करोड़ रुपए का है।

4.4 ऊर्जा

पीओएल डेस्क जिसे ऊर्जा सैल का नाम दिया गया है, को आवंटित कार्य की मदों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और उर्वरक विभाग का क्षेत्रवार प्रभार शामिल है। ऊर्जा सैल इन मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण करने और नीतिगत तथा वित्तीय दृष्टिकोण से टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यह मंत्रिमंडल संबंधी टिप्पणी, ईसीसी को टिप्पणियों, सीसीईए टिप्पणियों, ईजीओएम/जीओएम टिप्पणियों, सीओएस टिप्पणियों, ईसीएस टिप्पणियों और एचपीसी टिप्पणियों का विश्लेषण करने और इस संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी है। ऊर्जा सैल ओएनजीसी/ओवीएल निदेशक मण्डल और उनकी समितियों जिनमें आर्थिक कार्य विभाग के अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है, की बैठकों के लिए कार्यवृत्त का सार तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है।

4.5 सरकारी निजी भागीदारी प्रकोष्ठ (पीपीपी)

पीपीपी प्रकोष्ठ के प्रमुख संयुक्त सचिव (इंफ्रा और इन्वेस्टमेंट) हैं। उनकी सहायता संयुक्त निदेशक (पीपीपी), उप निदेशक (पीपीपी) और अनुभाग अधिकारी (पीपीपी) करते हैं। पीपीपी प्रकोष्ठ नीति, स्कीमों, कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण सहित सरकारी निजी भागीदारी से संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

पीपीपी प्रकोष्ठ पीपीपी मूल्यांकन समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। समिति का गठन आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से पीआईबी की तर्ज पर केंद्रीय क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देश और मूल्यांकन तंत्र की स्थापना करने हेतु किया गया है। पीपीपीएसी की अध्यक्षता सचिव, आर्थिक कार्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में की जाती है और व्यय विभाग, विधिक कार्य विभाग, योजना आयोग तथा प्रायोजक विभाग के सचिव इसके सदस्य हैं। जनवरी, 2006 में इसके गठन के बाद से पीपीपीएसी ने 99668.41 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से एक सौ एक (101) परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। इसका ब्योरा तालिका 1.2 पर दी गई है।

तालिका 1.2

क्षेत्र	परियोजना की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	क्षेत्रवार हिस्सा (प्रतिशत)
राजमार्ग	90	86336.29	86.63
रेलवे	01	8500.00	8.53
बंदरगाह	07	3683.25	3.70
नागर विमानन	02	1000.00	1.00
पर्यटन	01	148.87	0.14

सड़कों, बंदरगाहों, विमानपत्तनों, रेलवे, सभागार केंद्रों आदि जैसे विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में भारत सरकार से अर्थ क्षमता संबंधी अंतर के वित्तपोषण सहित सरकारी निजी भागीदारी को संवर्धित करने की एक प्रमुख स्कीम बजट 2005-06 में घोषित की गयी थी। 'अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए स्कीम (अर्थ क्षमता अन्तर निधीयन स्कीम)' के अन्तर्गत निधीयन प्राप्त करने हेतु प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए संस्थागत प्रणाली और अनुमोदन के लिए प्रक्रिया अधिसूचित कर दी गयी है। स्कीम के अन्तर्गत मुहैया करायी जाने वाली कुल अर्थक्षमता अन्तर के निधीयन का 20% तक हिस्सा परियोजना की पूंजी लागत के रूप में होता है। परियोजना को हाथ में लेने वाली सरकार या सांविधिक निकाय अपने बजट से 20% अतिरिक्त अनुदान मुहैया करा सकती है। अर्थ क्षमता अन्तर वित्तपोषण स्कीम के अन्तर्गत, अब तक, अधिकार प्राप्त संस्था ने 'सिद्धान्त रूप से' 34,028.11 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत और 6651.06 करोड़ रुपए के अनुमानित अर्थक्षमता अन्तर के वित्तपोषण सहित 46 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। 15 पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में बोली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 9 परियोजनाओं को ऋणात्मक अनुदान/राजस्व शेयर प्राप्त हुआ है। अब तक 77.07 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2007-08 के अपने बजट भाषण में परियोजना तैयारी की प्रक्रिया को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ एक आवर्ती निधि गठित करने की संसद में घोषणा की थी। इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को गुणवत्ता परियोजना विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता को प्रचालनात्मक बनाने के लिए भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि हेतु स्कीम और दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं। यह स्कीम संभाव्य सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के परियोजना विकास खर्चों का इसमें काम करने वाले सलाहकारों और लेन-देन परामर्शकों के खर्चों सहित उनका निधिकरण करेगी जिससे सफल पीपीपी की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होगी और अच्छी गुणवत्ता की व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर सरकार द्वारा निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। आईआईपीडीएफ उन परियोजनाओं को सहायता करेगी जो पीपीपी परियोजना की पहचान करने और उसे तैयार करने में उत्तम प्रथाओं को निकटता से सहायता देंगी। अब तक 21.48 करोड़ रुपए की कुल परियोजना विकास लागत और 16.40 करोड़ रुपए की आईआईपीडीएफ सहायता से 25 परियोजना प्रस्तावों को सिद्धान्ततः/अन्तिम रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 1.43 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है।

ग्यारह लेन देन सलाहकारों के एक पैनल का चयन किया गया है। पैनल के सदस्यों के पास पीपीपी लेनदेनों के समर्थन में वाणिज्यिक/वित्तीय और कानूनी सेवाएं प्रदान करने का कौशल और अनुभव है। तथापि, प्रायोजक प्राधिकरणों को कहा गया है कि वे पत्तन विकास या विमानपत्तन विकास परियोजनाओं जैसी बड़ी परियोजनाओं के मामले में जहां पर परियोजना लागत बहुत अधिक होती है, वित्तीय, कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञता को अलग से प्राप्त करें। 'प्रयोक्ताओं के मार्गदर्शन हेतु पैनल पर नियम पुस्तिका' भी तैयार की गई है और इसे परिचालित किया गया है।

पीपीपी प्रकोष्ठ राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों में पीपीपी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को भी प्रशासित करता है। राज्य सरकारों और केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों को पीपीपी प्रकोष्ठ गठित करने की सलाह दी गई है ताकि सरकारी सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु पीपीपी कार्यपद्धतियों का उपयोग करने वाला प्रत्येक क्षेत्र/सम्बद्ध मंत्रालय अलग-अलग क्षेत्रों के

लिए कार्य योजनाएं और नीतियां तैयार करने, बेहतर प्रथाओं को अपनाने और पीपीपी के संविदा निष्पन्न करने हेतु मानक क्रियाविधियों का अनुसरण कर सके। चौबीस राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में और तेरह केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों में पीपीपी प्रकोष्ठों की स्थापना की गयी है ताकि सरकारी सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए पीपीपी कार्यपद्धतियों का उपयोग करने वाला प्रत्येक क्षेत्र/सम्बद्ध मंत्रालय अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कार्य योजना और नीतियां तैयार करने, बेहतर प्रणालियों को अपनाने और पीपीपी के संविदा निष्पन्न करने के लिए मानक क्रियाविधियों का अनुसरण करने में समर्थ हो सके। कुछ समय से जैसे-जैसे पीपीपी प्रकोष्ठ परिपक्व हुए हैं, यह परिकल्पना की जाती है कि पीपीपी प्रकोष्ठ अपने-अपने क्षेत्रों/राज्यों में कारगर और प्रभावी तरीके से पीपीपी को उत्प्रेरक बनाने में केंद्रीय भूमिका अदा करेंगे।

पीपीपी के प्रबंधन के लिए विद्यमान संस्थागत ढांचे और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने और ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में जहां पीपीपी प्रकोष्ठ और पीपीपी को कार्यान्वित करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण सरकारी इकाइयां को अगले 2-3 वर्षों के दौरान सहायता की आवश्यकता होगी, पांच प्रतिनिधि राज्यों और संबंधित प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों पर पार्टनरशिप युनाइटेड किंगडम (पार्टनरशिप यूके) के माध्यम से एक अध्ययन किया गया था।

एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता से राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए पीपीपी विशेषज्ञों, वित्तीय विशेषज्ञों, एमआईएस विशेषज्ञों की आन्तरिक व्यवस्था करने के साथ-साथ उनकी कानूनी फर्मों के पैनल तक पहुंच मुहैया करायी जा रही है। सरकारी-निजी भागीदारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षेत्र विशेष के पीपीपी ढांचों को विकसित करने पर कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। राज्य और नगरपालिका स्तर पर सरकारी पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण को गहन एवं सुदृढ़ एवं ठोस बनाने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से राज्य प्रशासनिक संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्या तथा एक 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण' कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। एशियाई विकास बैंक के सहयोग के जरिए आर्थिक कार्य विभाग केन्द्र और राज्यों में पीपीपी कोष्ठकों को सुदृढ़ बनाने के प्रयास कर रहा है। अब तक राज्यों में 16 और केंद्रीय मंत्रालयों में 6 पीपीपी कोष्ठकों को सुदृढ़ बनाया गया है।

शहरी और सामाजिक क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं को प्रायोगिक परियोजनाओं के तौर पर चुना गया है जिनकी कार्यान्वयन प्राधिकरणों के सहयोग से संरचना की जा रही है। इस प्रयोग का उद्देश्य ऐसी संपोषित निदर्शनात्मक परियोजना का विकास करना है जिनका इन क्षेत्रों की पीपीपी परियोजनाओं पर वास्तव में उत्प्रेरक प्रभाव पड़ेगा।

सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना के विकास को सुसाध्य बनाने के लिए, सरकार की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों पर सूचना के प्रसार हेतु "सरकारी निजी भागीदारी-राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए एक समर्थकारी वातावरण का निर्माण" शीर्षक से एक दस्तावेज भी विकसित किया गया है।

पीपीपी पर दो वेबसाइटें, WWW.PPPIInIndia.com और WWW.PPPIInIndiatabase.com विकसित की गयी हैं जो नीतिगत दिशानिर्देशों और वीजीएफ स्कीम और पीपीपी मूल्यांकन समिति के अन्तर्गत पीपीपी प्रकोष्ठों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति सहित भारत में पीपीपी की सूचना के संबंध में एक स्थानिक केंद्र है। ये साइटें भारत में पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित डाटाबेस से जुड़ी हैं। डाटाबेस का प्रयोजन भारत

में केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रक स्तरों पर पीपीपी अभिक्रमों की स्थिति और परिमाण पर व्यापक और वर्तमान सूचना मुहैया कराना है।

4.6 अवसंरचना अनुभाग

4.6.1 अवसंरचना अनुभाग का प्रमुख संयुक्त सचिव (इंफ्रा एवं इन्वेस्टमेंट) है जिसकी सहायता निदेशक (इंफ्रा) और उप-निदेशक (इंफ्रा) (रिक्त पद) करते हैं। अनुभाग के कार्यकलाप/कार्य प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- 1 सड़कों, पतनों नौवहन, अन्तर्देशीय जल परिवहन, रेलवे और दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग को भेजी गई मंत्रिमंडल संबंधी टिप्पणियों और अन्य नीतिगत विषयों पर जानकारी प्रदान करना।
- 2 इन अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश के प्रस्तावों का उनकी व्यवहार्यता और औचित्य के लिए ईएफसी/पीआईबी/सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विश्लेषण करना।
- 3 सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना।
- 4 अवसंरचना क्षेत्रों में नीतिगत विषयों पर कार्रवाई करने हेतु गाठित की गयी उच्च स्तरीय समितियों, मंत्रियों के समूहों आदि को सहायता देने और ऐसे मामलों पर आ.का. विभाग के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए सहायता सामग्री मुहैया कराना।
- 5 वित्त मंत्री/वित्त सचिव के उपयोग के लिए सारांश/बातचीत के विषयों को तैयार करना।
- 6 इन क्षेत्रों पर वीआईपी संदर्भों और संसदीय प्रश्नों पर कार्रवाई करना।
- 7 इन क्षेत्रों पर अन्य प्रभागों/विभागों/मंत्रालयों को जानकारी प्रदान करना।
- 8 इन क्षेत्रों में प्रभागाध्यक्ष के अनुमोदन से मंत्रालयों/योजना आयोग/संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/विचार-विमर्शों में भाग लेना।

4.6.2 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान उपलब्धियां:

अवसंरचना अनुभाग ने मंत्रिमंडल/सीसीईए या अन्य उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किए गए निम्नलिखित मुद्दों पर पर्याप्त नीतिगत जानकारी प्रदान की है:

1. अवसंरचना निर्माण में विदेशी मुद्रा भंडारों का उपयोग-इस प्रयोजन के लिए आईआईएफसीएल की विदेशी अनुषंगी कम्पनियां तैयार करना।
2. ग्रेटर नोएडा और चेन्नई विमाननपत्तन का निर्माण
3. चल स्टॉक और संवेदी संघटकों के लिए विनिर्माण यूनितों की स्थापना हेतु एसपीवी का निर्माण
4. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन
5. राष्ट्रीय कौशल विकास निधि का गठन
6. पीपीपी परियोजना के लिए मॉडल आरएफपी/आरएफक्यू

7. भारत और मेक्सिको, बेल्जियम, फिनलैंड के बीच विमान सेवा करार हस्ताक्षरित करना
8. भारत और यूएई, फ्रांस, जर्मनी के बीच विमान सेवा करार हस्ताक्षरित करना
9. भारत और ईरान, पोलैण्ड के बीच विमान सेवा करार हस्ताक्षरित करना
10. भारत और मालदीप, सऊदी अरब के बीच विमान सेवा करार हस्ताक्षरित करना
11. भारत और दक्षिण अफ्रीका, यू.के. के बीच विमान सेवा करार हस्ताक्षरित करना
12. सरकारी निजी भागीदारी में ग्रीनफील्ड विमान पत्तन के संबंध में एमसीए
13. ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश
14. विमानपत्तनों पर रुकने के समय में कटौती
15. राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित सरकारी निजी भागीदारी की परियोजनाओं के लिए एमसीए
16. राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन वाला बनाने के लिए एमसीए
17. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास
18. चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्री परिसर का निर्माण
19. 3जी स्पेक्ट्रम और ल्युमेक्स के मूल्य निर्धारण और आवंटन संबंधी मुद्दे
20. दिल्ली एमआरटीएस और बंगलौर मेट्रो परियोजना
21. चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना
22. पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरीडोर परियोजना
23. दिल्ली मेट्रो रेल प्रचालन एवं अनुक्षण संशोधन विधेयक 2008
24. पूर्वी-पश्चिमी कॉरीडोर पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर
25. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास
26. अन्य राज्यों में मेट्रो रेल परियोजना के निष्पादन संबंधी मुद्दे
27. भारत में शहरी मेट्रो पर सीओएस टिप्पणी
28. भारत में क्रूज नौवहन नीति
29. समुद्री आपात निधि का सृजन
30. राष्ट्रीय विद्युत निधि
31. अवसंरचना परियोजना में संयुक्त उद्यम की स्थापना

4.6.3. अवसंरचना अनुभाग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली औद्योगिक एवं अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन समिति का गठन करने में सक्रिय रहा। अनुभाग विद्युत सम्प्रेषण के क्षेत्र में निजी

निवेशों के आकर्षित करने संबंधी उपायों तथा विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से पहुंच के लिए उपायों पर कृतिक बल स्थापित करने के कार्य में भी संलग्न था।

5. बहुपक्षीय संस्था प्रभाग

5.1 विश्व बैंक समूह

अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना जुलाई, 1944 में ब्रेट्टन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, अमरीका में आयोजित 44 देशों के सम्मेलन में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुई थी।

भारत, विश्व बैंक समूह के पांच घटकों में से चार यथा अन्तराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी), अन्तराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), अन्तराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और बहुपक्षीय निवेश गारन्टी एजेंसी (मीगा) का सदस्य है। भारत अभी निवेश विवादों के निपटान के लिए अन्तराष्ट्रीय केन्द्र (आईसीएसआईडी) का सदस्य नहीं है। भारत अपनी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से (आईबीआरडी और आईडीए से मुख्यतः) निधियां प्राप्त करता रहा है।

5.2 अंतराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत आईबीआरडी के 44795 शेयरों का अभिदाता है। वर्तमान में भारत को आईबीआरडी में 2.78% मताधिकार प्राप्त है। 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार, आईबीआरडी द्वारा भारत को ऋणों के रूप में दी गई सहायता की कुल राशि 29956.262 मिलियन अमरीकी डालर थी। 1.01.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान, 1306.0 मिलियन अमरीकी डालर की नई वचनबद्धताएं अनुमोदित की गईं। जिससे 31.3.2009 को यह राशि 31262.262 मि0अ0 डालर हो गयी है। जिन क्षेत्रों के लिए आई.बी.आर.डी. सहायता दी गई है उनमें सड़कें तथा राजमार्ग, ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (जल तथा सफाई सहित) ग्रामीण ऋण तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

5.3 अन्तराष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.)

आई.डी.ए. द्वारा भारत को ऋणों के रूप में दी गई सहायता जिसके लिए करार हस्ताक्षरित किए गए थे, का कुल मूल्य 31.12.2007 तक की स्थिति के अनुसार, 31,678.16 मिलियन अमरीकी डालर था। 1.1.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान, 1259.4 मिलियन अमरीकी डालर की नई सहायता के लिए वचनबद्धता अनुमोदित की गई जिससे यह सहायता 31.3.2009 तक कुल मिलाकर 32937.56 मिलियन अमरीकी डालर हो गई है। जिन प्रमुख क्षेत्रों के लिए सहायता दी गई है, वे हैं- स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, निर्धनता उन्मूलन तथा ग्रामीण ऋण।

1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 के दौरान अनुमोदित आईबीआरडी और आईडीए परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.3 पर दी गई है।

5.4 भारत तथा अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.)

जुलाई, 1944 में ब्रेट्टन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यू.एस.ए. में आयोजित 44 राष्ट्रों के सम्मेलन में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) और अंतराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इस समय, 185 देश आई.एम.एफ. के सदस्य हैं।

भारत, आई.एम.एफ. का संस्थापक सदस्य है। भारत ने 1993 के बाद आई.एम.एफ. से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है। अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए सभी ऋणों की अदायगी 31 मई, 2000 को पूरी कर दी गई है।

अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के 217,372.7 मिलियन एस.डी.आर. के कुल कोटे में भारत का वर्तमान कोटा 4158.2 मिलियन एस.डी.आर. (विशेष आहरण अधिकार) है जो कि 1.91% शेयर धारिता के बराबर है। कोटे पर आधारित भारत की सापेक्ष स्थिति 13 वीं है। तथापि, वोटिंग शेयर के आधार पर, भारत (इसके संघटक देशों अर्थात् बंगलादेश, भूटान तथा श्रीलंका सहित) का स्थान 22वां है।

5.5 अनुच्छेद IV संबंधी परामर्श

करार की शर्तों के अंतर्गत अंतराष्ट्रीय निगरानी संबंधी अपने अधिदेश के भाग के रूप में, आई.एम.एफ. द्वारा अपने सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है जिसे अनुच्छेद ऋ संबंधी परामर्श कहा जाता है। अनुच्छेद ऋ संबंधी परामर्श सामान्यतया दो चरणों में आयोजित किए जाते हैं। मुख्य परामर्श अक्टूबर-नवम्बर में और मध्य वर्ष पुनरीक्षा। भारत के संबंध में अनुच्छेद IV संबंधी परामर्श का अद्यतन आयोजन दिसम्बर, 2008 में किया गया।

5.6 वित्तीय लेनदेन योजना (एफ.टी.पी.) में भारत की भागीदारी

भारत 2002 के अंत में आई.एम.एफ. की वित्तीय लेन-देन योजना में भाग लेने के लिए सहमत हो गया। अब भारत को मिला कर 43 देश एफटीपी में भाग लेते हैं। इस योजना में भाग लेकर, भारत हमारे कोटा अंशदान के हिस्से के तौर पर अपनी रुपया धारिता के नकदीकरण के लिए आई.एम.एफ. को अनुमति दे रहा है जिससे दुर्लभ-मुद्रा प्राप्त करके उसे अन्य सदस्य देशों, जो आई.एम.एफ. के देनदार हैं, को उधार दिया जा सके। वर्ष 2002 से 15 मई, 2009 तक, भारत ने 1026.23 मिलियन एसडीआर के 15 क्रय लेन-देन किए हैं तथा 794.16 मिलियन एसडीआर के चौबीस पुनःखरीद संबंधी लेन-देन किए हैं।

5.7 वित्तीय क्षेत्र निर्धारण संबंधी समिति (सीएफएसए)

वित्तीय क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं को मानते हुए और वित्तीय संतुलन तथा वित्तीय मानकों एवं संहिताओं के कार्यान्वयन की स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सितम्बर, 2006 में वित्तीय क्षेत्र निर्धारण समिति का गठन किया है ताकि भारत के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक स्व-मूल्यांकन किया जा सके।

समिति, “स्व मूल्यांकन” के लिए, विश्व बैंक और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा (सितम्बर, 2005 में) संयुक्त रूप से प्रकाशित वित्तीय क्षेत्र के निर्धारण पर विस्तृत हैंडबुक, 2001 में वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम में भारत की स्वैच्छिक भागीदारी द्वारा प्राप्त अनुभव और पूर्व में निर्धारित स्व-मूल्यांकन के मानकों और संहिताओं का प्रयोग करती है।

समिति ने यह ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार का स्व-मूल्यांकन एक ठोस और पक्षपात रहित प्रक्रिया के माध्यम से हो तथा उसमें उपयुक्त नियंत्रण और संतुलन बने रहें, तीन पारस्परिक पुनर्बलित स्तम्भों (1) वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन और दबाव परीक्षण; (2) कानूनी, संस्थागत और बाजार के घटनाक्रम से संबंधित विषयों; और (3) अन्तराष्ट्रीय वित्तीय मानकों और कूटों की स्थिति और कार्यान्वयन के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर स्व मूल्यांकन के संरचनात्मक और पारदर्शी दृष्टिकोण का अनुसरण किया।

समिति की अध्यक्षता डा0 राकेश मोहन, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने और सह अध्यक्षता श्री अशोक चावला, तत्कालीन सचिव (आर्थिक कार्य) और वर्तमान वित्त सचिव ने की थी और 25 मार्च, 2009 को वित्त मंत्री को अपनी छः खंडों की रिपोर्ट सौंप दी थी।

तालिका 1.3

1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 के दौरान अनुमोदित आईबीआरडी और आईडीए परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	आईआरबीड वचनबद्धता	मिलियन अमरीकी डालर आईडीए वचनबद्धता	कुल राशि
1.	विद्युत प्रणाली विकास-IV अतिरिक्त वित्तपोषण	21 अक्टू. 08	400.0	0.0	400.0
2.	उड़ीसा समुदाय ताल प्रबंधन परियोजना	30 सित.08	56.0	56.0	112.0
3.	भारत उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना	30 सित.08	250.0	0.0	250.0
4.	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण एवं पोलियो उन्मूलन सहायता परियोजना	31 जुलाई, 08	0.0	521.0	521.0
5.	उड़ीसा ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना	31 जुलाई, 08	0.0	82.4	82.4
6.	प्रारम्भिक शिक्षा (एसएसए-II)	15 मई, 08	0.0	600.0	600.0
7.	विद्युत प्रणाली विकास परियोजना-IV	18 मार्च, 08	600.0	0.0	600.0
	जोड़		1306	1259.4	2565.4

समिति ने अन्तराष्ट्रीय बैंक मार्को के संबंध में वित्तीय क्षेत्र में उत्पादों, विनियमों और संस्थाओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया है और उसमें विद्यमान कमजोरियों पर काबू पाने के लिए उपायों का सुझाव दिया है तथा उम्मीद की है कि इस मूल्यांकन से भारत और विदेशों में भारतीय वित्तीय क्षेत्र की समझ बढ़ेगी।

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन पर समिति की इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद इसे वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

5.8 अन्तराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)

अन्तराष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन (आईएफसी) की स्थापना, 1956 में विश्व बैंक से सम्बद्ध लेकिन एक अलग इकाई के रूप में उन प्राइवेट और संयुक्त उद्यमों की वृद्धि को संवर्धित करने के लिए हुई थी जो अपने सदस्य देशों के आर्थिक विकास में योगदान देगा।

भारत आईएफसी का एक संस्थापक सदस्य देश है। आईएफसी अन्तराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से पूंजी जुटाकर अपने संसाधनों से निवेशों को वित्तपोषित करता है। आईएफसी के लिखतों में अवसंरचना और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए जो विदेशी मुद्रा का सृजन नहीं करते, स्थानीय करेंसी सहित विशेष फर्मों में दीर्घकालिक ऋण और इक्विटी निवेश; गारंटियां और तकनीकी सहायता शामिल हैं।

समग्र बैंक समूह कंट्री सहायता कार्यनीति (सीएएस) के एक भाग के रूप में प्राइवेट क्षेत्र की नीति भारत को इसके बढ़ते हुए प्राइवेट निवेश की चुनौती का सामना करने के प्रयासों में सहायता करना और उत्पादकता बढ़ाना है। इस कार्यनीति में बैंक और आईएफसी के बीच निकट सहयोग की अपेक्षा होती है।

आईएफसी, स्पर्धात्मक उद्योगों और सेवाओं तथा प्राइवेट निवेश अवसंरचना पर फोकस करते हुए प्राइवेट क्षेत्र को सीधे सहायता मुहैया कराता है। बैंक

और आईएफसी अवसंरचना स्वास्थ्य और एसएमई विकास में सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से जहां पब्लिक सेक्टर हस्तक्षेपों तथा निवेशों और प्राइवेट कंपनियों को तकनीकी सहायता अपेक्षित है, के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र के बड़े निवेशों को सहायता देने में एक साथ कार्य करेगा।

5.9 भारत में अन्तराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)

- भारत 1956 से आईएफसी का सदस्य रहा है। भारत की आईएफसी में तीसरी सबसे बड़ी विश्वव्यापी स्थिति है। आईएफसी की भूमिका वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना और अपनी क्षमताओं के आधार पर समानता के अनुसार ग्राहकों की पेशकश करना, दीर्घावधिक ऋण, गारंटियां और वैश्विक विशेषज्ञता देना और अन्य स्रोतों से वित्त जुटाने के साथ-साथ ऐसी सलाह प्रदान करना जो सामान्यतः घरेलू संस्थाओं के पास उपलब्ध नहीं होती।
- आईएफसी घरेलू वित्तीय संस्थाओं या बाजारों से स्पर्धा नहीं करता। यह वित्तीय पैकेज मुहैया कराने के लिए उनसे भागीदारी करता है जिससे भारतीय कंपनियों को विकसित होने तथा नए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। आईएफसी घरेलू कंपनियों को सहायता मुहैया कराने के लिए क्षेत्रक दृष्टिकोण रखता है।
- पिछले कुछ वर्षों से आईएफसी ने भारत में अपने पोर्टफोलियो में वृद्धि की है। वचनबद्धताएं वित्तीय वर्ष 2005-06 में 320 मिलअ0डालर, 2006-07 में 785 मिलअ0डालर और 2007-08 में 2.2 बिलियन अ0डालर के स्तर पर पहुंची हैं। चालू वित्तीय वर्ष (मार्च, 2009 तक) के दौरान आईएफसी की वचनबद्धताएं 20 कंपनियों में 795 मिलअ0डालर तक पहुंची हैं।
- ये वचनबद्धताएं अवसंरचना, विनिर्माण, वित्तीय बाजार, कृषि व्यवसाय, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी, तेल एवं गैस तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में केन्द्रित रही हैं।

5.10 वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) एक वित्तीय तंत्र है जो उन परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को अनुदान मुहैया कराता है जो वैश्विक पर्यावरण को फायदा पहुँचाते हैं तथा स्थानीय समुदायों में लगातार जीवन यापन का संवर्धन करते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) परियोजनाओं में 6 विनिर्दिष्ट मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है नामतः जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल ओजोन का क्षय होना, भूमि का अपक्षरण तथा स्थायी जैविक प्रदूषण।

भारत इसके आरंभ वर्ष 1991 से ही वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) में मुख्य विकासशील भागीदार देश रहा है और इसने जीईएफ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत वैश्विक पर्यावरण सुविधा का दाता और प्राप्तकर्ता दोनों है। इसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा के पायलट चरण की कोर निधि में 6 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया था। भारत ने प्रत्येक चार पुनःपूर्तियों के लिए 9 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता की है। अब तक कुल वचनबद्धता राशि 42.0 मिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें से 39.75 मिलियन अमरीकी डालर की राशि चुकता की जा चुकी है।

भारत ने बंगलादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीप के साथ वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) की कार्यकारी परिषद में एक स्थायी चित्र बनाया है। परिषद की बैठकें अर्धवार्षिक आधार पर अथवा आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाती हैं। परिषद प्रत्येक बैठक में उस बैठक की अवधि के लिए अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चयन करती है। विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक हमारे क्षेत्र की ओर से वैश्विक पर्यावरण सुविधा का प्रतिनिधित्व करता है।

5.11 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेंसी के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना 1977 में हुई थी। आईएफएडी के 165 सदस्य देश हैं और ये तीन सूचियों में समूहबद्ध हैं : सूची-क: विकसित देश, सूची-

ख: तेल उत्पादक देश और सूची-ग : विकासशील देश। भारत सूची-ग में है। आईएफएडी की अध्यक्षता चुना हुआ प्रेजिडेंट करता है जिसमें गवर्निंग काउंसिल और एक्जीक्यूटिव बोर्ड शामिल होता है।

भारत आईएफएडी के मूल सदस्य देशों में से है। इसकी स्थापना के बाद से ही भारत ने आईएफएडी के संसाधनों के प्रति 79.0 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान किया है। 8वें पुनर्भरण (2010-2012) के लिए भारत ने आईएफएडी के संसाधनों में 25.0 मि0अ0डालर की राशि का अंशदान करने की वचनबद्धता की है।

आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला अधिकारिता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त क्षेत्र में (लगभग) 636.4 मि0अ0डालर की वचनबद्धता से 23 परियोजनाओं में सहायता दी है। इनमें से 14 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान में, 234.65 मि0अ0डालर की कुल सहायता से आठ परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और 40.1 मिलियन अमरीकी डालर के लिए “महाराष्ट्र के विपदाग्रस्त जिलों में कृषि हस्तक्षेपों का अभिमुखीकरण” नामक एक परियोजना अनुमोदित हुई है लेकिन कार्यक्रम संबंधी दस्तावेजों पर अभी हस्ताक्षर होने हैं। चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे तालिका 1.4 पर दी गई है।

आईएफएडी के ऋणों की वापसी अदायगी दस वर्ष की माफ़ी अवधि सहित 40 वर्ष है और इस पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता। तथापि, बकाया ऋण राशि पर एक प्रतिशत की तीन-चौथाई (0.75%) प्रति वर्ष की दर पर सेवा प्रभार लगता है।

5.12 एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

भारत 1966 में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का संस्थापक सदस्य देश बना था। यह बैंक एशिया प्रशान्त क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को संवर्धित करने में लगा है। एडीबी ने अपनी कार्यनीति 2020 में अपने कारपोरेट लक्ष्य का उल्लेख किया है, जो “गरीबी से मुक्त एशिया और प्रशान्त क्षेत्र” है, इस विषय को एडीबी ने बहुत पहले 1999 में अपनाया था। एडीबी की कार्यनीति का

तालिका 1.4

आईएफएडी की चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं. परियोजना का नाम	करार की तारीख	राशि
1. झारखंड-छत्तीसगढ़ जनजाति विकास कार्यक्रम	13.3.2001	23.00
2. राष्ट्रीय सूक्ष्म-वित्त सहायता कार्यक्रम	18.2.2002	22.00
3. उड़ीसा जनजाति अधिकारिता एवं जीविका कार्यक्रम	18.12.2002	20.00
4. हिमालय वासियों के लिए जीविका सुधार कार्यक्रम	20.2.2004	39.91
5. तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी-पश्च जीविका कार्यक्रम	11.11.2005	30.00
6. तेजस्विनी-ग्रामीण महिला अधिकारिता कार्यक्रम	12.10.2006	39.44
7. पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उपशमन	17.10.2008	30.3
8. प्रियदर्शिनी मध्य-गांगेय मैदानों में महिला अधिकारिता और जीविका कार्यक्रम	11.12.2008	30.2*

* अभी प्रभावी घोषित किया जाना है।

मुख्य जोर आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण सहित पर्यावरणीय दृष्टि से चिरस्थायी विकास है।

इसे करने के लिए यह जिन मुख्य उपकरणों का प्रयोग करता है, वे ऋण और इक्विटी निवेश, विकासात्मक कार्यक्रमों और परियोजनाओं को तैयार करने एवं उनके निष्पादन के लिए तकनीकी सहायता एवं अन्य सलाहकारी सेवाएं, गारंटियां, अनुदान और नीतिगत संवाद हैं। एडीबी के 67 सदस्य देश (48 क्षेत्रीय और 19 गैर-क्षेत्रीय सदस्यों सहित) हैं और मनीला, फिलीपीन्स में इसका मुख्यालय है।

31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार बैंक की पूंजी में भारत का अंशदान सभी सदस्य देशों का 6.317 प्रतिशत है।

देश के सभी क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए एडीबी से ऋणों को प्राप्त किया गया है। 2003 से पूर्व, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम और गुजरात जैसे राज्यों में परियोजनाओं पर ही ऋण संकेंद्रित थे। पूरे देश में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए एनएचडीपी, पीएमजीएसवाई (भारत निर्माण कार्यक्रम का भाग) जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के अतिरिक्त, अब उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2009 की प्रस्तावित परियोजनाओं का विशेष ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों पर रहा है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि परिवहन, सिंचाई और शहरी विकास क्षेत्रों से परियोजनाएं आ रही हैं।

1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान एडीबी से अनुमोदित परियोजनाएं तालिका 1.5 पर दी गई हैं।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार एडीबी के पोर्टफोलियो में 48 ऋण शामिल हैं जिनकी निवल ऋण राशि 8.738 बिलियन अमरीकी डालर है। इन कुल ऋणों में से 12 ऋण (1,808 मिलियन डालर) शामिल किए गए और तीन ऋण समाप्त हो चुके हैं। जो बारह ऋण शामिल किए गए हैं, वे-उत्तराखंड शहरी, ग्रामीण सड़क एमएफएफ परियोजना-2,

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड, गामीण सड़क एमएफएफ परियोजना-3, केवीआईसी, एमपी शहरी, उत्तराखंड सड़क, एचपी विद्युत और उत्तराखंड विद्युत-परियोजना-2 हैं। बंद हुए तीन ऋण हैं- पश्चिमी परिवहन गलियारा, राज्य विद्युत क्षेत्र सुधार और एमपी राज्य सड़क। वर्ष 2009 में (31.3.2009 की स्थिति के अनुसार) 4 ऋण शामिल किए गए हैं (उत्तराखंड विद्युत परियोजना-3, राजस्थान शहरी परियोजना-2 आईआईएफसीएल)।

एडीबी ने 100 मिलियन अमरीकी डालर का एक विशेष अनुदान सुनामी और 3 जेएफपीआर (गरीबी उपशमन के लिए जापानी निधि) के लिए भी मुहैया कराया है जिसके लिए तमिलनाडु और केरल राज्यों को आपातक राहत के रूप में 10.3 मिलियन अमरीकी डालर मुहैया कराए गए हैं। सुनामी अनुदान (100 मि0डालर) और 1 जेएफपीआर (5 मि0 डालर) परियोजनाएं चल रही हैं। 2 जेएफपीआर (राजस्थान और गुजरात) बंद हो चुके हैं।

5.13 अफ्रीकी विकास बैंक (एफडीबी)

भारत 1983 में अफ्रीकी विकास बैंक का सदस्य बना था। वर्तमान में भारत के पास अफ्रीकी विकास बैंक के 48.60 (0.223%) शेयर हैं जो कुल मताधिकार का 0.247% बैठते हैं।

अफ्रीकी विकास निधि (एडीएफ) बैंक का ऋण आसान किस्तों पर मुहैया कराती है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। भारत 6 मई, 1982 को अफ्रीकी विकास निधि का सदस्य बना था। हमारा अंशदान 65,358 हजार यूए का है जो कुल मताधिकार का 0.201% है। 2008-09 के दौरान, भारत ने तीन समान किस्तों में चुकाए जाने वाले 40.17 करोड़ रुपए की राशि के अफ्रीकी विकास निधि (एडीएफ XI) की XI वीं पुनःपूर्ति में अपना अंतिम अभिदान किया है। 13.39 करोड़ रुपए की पहली किस्त अदा की जा चुकी है।

भारत ने 10-15 मई, 2008 के बीच मापुतो, मोजाम्बिक में आयोजित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया था। शिष्टमंडल में एक्जिम बैंक, सी II, और आईएल एंड एफएस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

तालिका 1.5

1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान एडीबी से अनुमोदित परियोजनाएं

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं. परियोजना का नाम	राशि	हस्ताक्षर की तारीख
1. एमएफएफ-राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड विकास निवेश कार्यक्रम	600	27.3.09
2. एमएफएफ-हिमाचल स्वच्छ विद्युत विकास निवेश कार्यक्रम	800	10.11.08
3. खादी एवं ग्राम उद्योग विकास कार्यक्रम	150	14.9.08
4. असम शासन और जन संसाधन प्रबंधन-II	100	14.9.08
5. एमएफएफ-उड़ीसा एकीकृत सिंचित कृषि और जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम	189	25.2.09
6. बिहार राज्य सड़क-I	420	10.11.08
7. मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्र विकास परियोजना (पूरक)	71	10.11.08
8. एमएफएफ-उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (यूयूएसडीआईपी)	350	23.9.08
योग	2680	

अफ्रीकी विकास बैंक और एक्जिम बैंक के सहयोग से नवम्बर, 2008 में व्यावसायिक अवसरों के सेमिनार नई दिल्ली और मुम्बई में आयोजित हुए थे। अफ्रीकी विकास बैंक दल का नेतृत्व मि. ल्यूरेट गुये, कार्यकारी निदेशक ने किया था और नोर्डिक, भारत और स्विटजरलैंड (एनआईएस) क्षेत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वालों ने इन सेमिनारों में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, 5-6 मार्च, 2009 को ट्यूनिस् में आयोजित हुई अफ्रीकी विकास बैंक समूह के भागीदारी मंच की बैठक में भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

6. बहुपक्षीय संबंध प्रभाग

6.1 बहुपक्षीय संगठनों और व्यापार से संबंधित मुद्दों के संबंध में संकेन्द्रित और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली की व्यवस्था करने की दृष्टि से, विदेश व्यापार प्रभाग और फंड बैंक प्रभाग के संबंधित विषयों संबंधी विशिष्ट कार्य करने वाले अनुभागों का विलयन करके बहुपक्षीय संबंध प्रभाग का सृजन हाल ही में किया गया है। एमआर प्रभाग के अध्यक्ष संयुक्त सचिव (एमआर) हैं और इसमें पांच अनुभाग शामिल हैं। मौजूदा योजनाबद्ध रूपरेखा के तहत, एमआर-1 अनुभाग को जी-20, जी-24, जी-8, एसईएम, ओईसीडी और ईसी से संबंधित सभी मुद्दों पर सलाह देने और कार्य करने का काम समनुदेशित किया गया है। एमआर-II अनुभाग संयुक्त राष्ट्र संबंधी मामलों पर कार्य करता है और यूएनडीपी के सभी नीति संबंधित मुद्दों इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एमआर-III अनुभाग विश्व व्यापार संगठन और सार्क संबंधी मामलों पर परामर्श देता है। एमआर-IV अनुभाग कोलम्बो योजना और उसके तहत निरूपित तकनीकी सहायोग से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है। एमआर-V अनुभाग विदेश व्यापार नीति के क्रियान्वयन से और उसके परिणामी मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय को सलाह देता है।

6.2 एमआर-I अनुभाग (पूर्ववर्ती ईईसी-V)

6.2.1 जी-20 मुद्दे

जी-20, जो विश्व के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण औद्योगिक और तेजी से उभरते हुए बाजारों को निकट लाता है, के बहुपक्षीय आर्थिक संवाद और मौजूदा संकट से परे भी निर्णय लेने में, प्रमुख मंच के रूप में उभरने की संभावना है, विशेषकर यदि यह शिखर बैठकों में सम्मत महत्वाकांक्षी कार्यसूची को निष्पादित करने में समर्थ हो सके।

जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन

बीस देशों के समूह (जी-20) के नेता, विश्व अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के समक्ष आई गंभीर चुनौतियों के बीच, 15 नवंबर, 2008 को वाशिंगटन में मिले। वे वैश्विक संवृद्धि को बहाल करने में अपने सहयोग को बढ़ाने और विश्व की वित्तीय प्रणालियों के लिए जरूरी सुधारों को प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध हैं। इस शिखर बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व माननीय प्रधान मंत्री ने किया। जी-20 के नेता, वाशिंगटन में की गई वचनबद्धताओं पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए लंदन में अप्रैल 2009 में फिर मिलने पर सहमत हुए हैं।

मुख्य विषय

चल रही जी-20 वार्ताओं के मुख्य विषय है विकास, विश्वास और नौकरियों की बहाली; ऋण देना पुनः चालू करने के लिए वित्तीय व्यवस्था में सुधार और वित्तीय विनियमन को सुदृढ़ बनाना; वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को उनके संसाधन आधार के विस्तार सहित सुदृढ़ करना; मुक्त अर्थव्यवस्था की प्रतिबद्धता और वैश्विक व्यापार और निवेश का संवर्धन; और समावेशी, हरित और स्थायी सुधार।

जी-20 संबंधित विषयों पर आईएमएफ, विश्व बैंक, एफएसएफ, ओईसीडी, डब्ल्यूटीओ और आईएलओ जैसे विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भी परस्पर विचार-विमर्श कर रहा है।

भारत का दृष्टिकोण

अन्य बातों के साथ-साथ शीघ्र सुधार किए जाना सुनिश्चित करने के लिए भारत ने राजकोषीय स्थायित्व के समग्र ढांचे के अन्तर्गत समन्वित प्रतिक्रिया नीतियों को जारी रखने और औद्योगिकीकृत देशों में बैंकिंग प्रणाली की बहाली करके उसे पूरी तरह लागू करने; वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में उभरती वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार में संरक्षणवादी प्रवृत्तियों से बचने; और विकासशील देशों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने जिसके लिए यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक) के संसाधन जुटाए जाएं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोटा समीक्षा को प्रस्तुत करने की जरूरत पर बल दिया है। इसके अलावा, भारत ने विकासशील और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने सहित वैश्विक वित्तीय संरचना के दीर्घावधिक सुधार; उचित विनियमन एवं बेहतर पर्यवेक्षण के माध्यम से वैश्विक वित्तीय प्रणाली विशेष रूप से सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं का अन्य बातों के साथ-साथ कारगर पूर्व चेतावनी प्रणाली जिससे कि उन जोखिमों का पता लगाया जा सकता है जिनसे वैश्विक वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, को विकसित करने के जरिए सुधार करने की जरूरत पर बल दिया है। भारत ने सूचना का आदान-प्रदान करने और अत्यंत कम करने वाले देशों और असहयोगी अधिकार क्षेत्रों की कड़ी जांच-पड़ताल करने का भी समर्थन किया है।

अब तक के निष्कर्ष

- वैश्विक विकास की बहाली के लिए पूरे विश्व में समायोजनकारी मौद्रिक नीतियों द्वारा समर्थित अप्रत्याशित 5 ट्रिलियन डालर का राजकोष विस्तार करने हेतु विभिन्न देशों द्वारा प्रतिबद्धता।
- सभी जी-20 देशों (भारत सहित) को उनके सदस्य के रूप में शामिल करते हुए वित्तीय स्थिरता मंच/बोर्ड (एफएसएफ/एफएसबी) और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) का विस्तार।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था को त्वरित गति प्रदान करने में सहायता हेतु आईएमएफ और अन्य एमबीडी के माध्यम से 1.1 ट्रिलियन डालर के पैकेज के लिए वचनबद्धता, भुगतान संतुलन की जरूरतों को पूरा करना और संकटग्रस्त देशों के लिए सामाजिक समर्थन मुहैया कराना।
- वर्ष 2010 के अन्त तक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में संरक्षणवाद का विरोध करने के लिए वचनबद्धता और वाशिंगटन शिखरवार्ता के बाद से जी-20 देशों द्वारा किसी प्रकार के किए गए संरक्षणवादी उपायों को भी संशोधित करना।

6.2.2 यूरोपीय आयोग

यूरोपीय आयोग भारत को वर्ष 1976 से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है जो सहायता अनुदान के रूप में पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में है। आरंभिक चरण में, ईसी की विकास सहायता परियोजना के वित्तपोषण के रूप में थी। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रक कार्यक्रम के समर्थन के साथ, ईसी ने अपनी कार्यनीति को बदलकर क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित कर दिया।

ईसी ने अपनी कार्यनीति में परिवर्तन किया है और राज्य भागीदारी कार्यक्रम (एसपीपी) के अंतर्गत, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को, इन राज्यों में उनके संसाधनों का शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए प्रपुंज मात्रा में परिनियोजित करने के लिए, अंगीकृत किया है।

ईसी अपने देश कार्यनीति प्रलेख के जरिए भागीदार देशों में क्रियान्वित करने के लिए बहु-वार्षिक आर्थिक और विकास सहयोग कार्यक्रम तैयार करता है। देश कार्यनीति प्रलेख ईयू उद्देश्यों, भागीदार देश की नीतिगत कार्यसूची तथा देश/क्षेत्र की स्थिति के विश्लेषण पर आधारित है। देश कार्यनीति प्रलेख में सामान्यतः दो निरंतर बहुवार्षिक संसूचक कार्यक्रम शामिल होते हैं। प्रथम बहु-वार्षिक संसूचक कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2007-2010 की अवधि के लिए यूरोपीय पक्ष द्वारा 260 मिलियन यूरो की कुल राशि की वचनबद्धता की गई है और तदनुसार बहुवार्षिक संसूचक कार्यक्रम-२ (2007-2010) के लिए समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में आयोजित 8वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और ईसी के बीच दिनांक 30.11.2007 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के लिए बहुवार्षिक संसूचक कार्यक्रम-I, 2007-2010 में प्रत्येक प्राथमिकता के लिए निम्नानुसार सांकेतिक बजट का अनुमान है:

क्र. स.	क्षेत्र	राशि
1	स्वास्थ्य (एनआरएचएम/आरसीएच 2)	110 मिलियन यूरो
2	शिक्षा (एसएसए-II)	70 मिलियन यूरो
3	संयुक्त कार्रवाई योजना का क्रियान्वयन	80 मिलियन यूरो

स्वास्थ्य क्षेत्र (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/प्रजननात्मक बाल स्वास्थ्य-रू के लिए क्षेत्र नीति समर्थन कार्यक्रम) के संबंध में 26.12.2008 को 110 मिलियन यूरो के वित्तपोषण वित्तीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इसी के साथ, शिक्षा क्षेत्र के लिए (सर्व शिक्षा अभियान-2 के लिए क्षेत्र नीति समर्थन कार्यक्रम) 26.12.2008 को हस्ताक्षर किए गए। इसी प्रकार, संयुक्त कार्रवाई योजना क्रियान्वयन के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यद्यपि, संयुक्त कार्रवाई योजना के अंतर्गत 38.9 मिलियन यूरो की राशि उपलब्ध है, जिसके लिए हमने वाणिज्य विभाग से परियोजनाओं को अभिविन्हांकित करने और ईसी को अप्रेषित करने के लिए, उन्हें हमें भेजने का अनुरोध किया है।

भारत-ईसी विकास सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

- (1) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास कार्यक्रम एनआरएचएम/आरसीएच-2 के लिए क्षेत्र नीति समर्थन कार्यक्रम
- (3) हरियाणा समुदाय वानिकी परियोजना
- (4) छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ राज्य भागीदारी कार्यक्रम
- (5) इरासमस मुंडस-भारत विंडो कार्यक्रम
- (6) भारत में नागर विमानन क्षेत्र के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण।

वर्ष 2008-2009 के दौरान चालू विकास सहयोग परियोजनाओं के लिए ईसी सहायता का संवितरण 35.716 यूरो था (239.605 करोड़ रुपए)।

6.3 एमआर-II अनुभाग (पूर्ववर्ती यूएन अनुभाग)

6.3.1 भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

यूएनडीपी वर्ष 1951 से देश के विकास में भारत का सहयोगी रहा है। यूएनडीपी का समग्र उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, महिला-पुरुष समानता, महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देकर स्थायी मानव संसाधन विकास में क्षमता अभिवृद्धि करके कार्यक्रम देशों की मदद करना है। यूएनडीपी की समस्त सहायता अनुदान सहायता के रूप में मुहैया करायी जाती है।

यूएनडीपी विभिन्न दाता देशों के स्वैच्छिक अंशदानों से अपनी निधियां प्राप्त करता है। यूएनडीपी को भारत का वार्षिक अंशदान 4.5 मिलियन अमरीकी डालर है, जो विकासशील देशों में सबसे अधिक है।

6.3.2 देश सहयोग ढांचा (सीसीएफ)

यूएनडीपी संसाधनों का देश-विशिष्ट आबंटन देश सहयोग ढांचे के अंतर्गत प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है जो सामान्यतः भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के समकालिक हैं। पिछला देश सहयोग ढांचा (सीसीएफ-रू) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2003-07) के समकालिक है और निम्नलिखित विषय क्षेत्रों पर संकेन्द्रित है (1) मानव संसाधन विकास तथा महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देना; (2) विकेन्द्रीकरण के लिए क्षमता निर्माण; (3) गरीबी उपशमन एवं स्थायी आजीविका; तथा (4) संवेदनशीलता में कमी लाना एवं पर्यावरण स्थायित्व।

देश सहयोग ढांचा-II का कुल संसाधन आधार 190 मिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें से 93 मिलियन अमरीकी डालर के बुनियादी संसाधन हैं। देश सहयोग ढांचा-रू के अंतर्गत, 114.74 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 26 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी।

6.3.3 नया देश कार्यक्रम (न्यू कंट्री प्रोग्राम)

यूएनडीपी के कार्यपालक बोर्ड में सितम्बर, 2007 में अंगीकृत किए गए कंट्री प्रोग्राम (सीपी): 2008-12 को भारत सरकार और यूएनडीपी कंट्री आफिस द्वारा तैयार किया गया था जो सर्वाधिक लाभ वंचित वर्गों-विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं के सामाजिक संवर्धन, आर्थिक और राजनतिक समावेशन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता ढांचे पर आधारित है। यह समावेशी विकास के संबंध में 11वीं योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य के अनुकूल है। यह मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता ढांचे के चार लक्ष्यों नामतः लोकतांत्रिक शासन, गरीबी उपशमन, एचआईवी एवं विकास, आपदा जोखिम प्रबंधन, तथा ऊर्जा एवं पर्यावरण पर संकेन्द्रित है। यह आर्थिक रूप से पिछड़े सात राज्यों नामशः बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर ध्यान देगा।

नए देश कार्यक्रम के लिए 200-250 मिलियन अमरीकी डालर की कुल संसाधन आवश्यकता अनुमानित है, जिसमें से एक-तिहाई हिस्सा आधारिक होगा, एक-तिहाई आधारिक-भिन्न होगा और शेष संयुक्त राष्ट्र न्यास के कोषों आदि से जुटाया जाएगा।

देश कार्यक्रम कार्रवाई योजना (सीपीएपी), जो 2008-2012 की अवधि के दौरान यूएनडीपी कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करेगी, पर आर्थिक कार्य विभाग और यूएनडीपी के बीच 27.2.2008 को हस्ताक्षर किए गए और यह 31 दिसम्बर, 2012 तक लागू रहेगा।

01.01.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान सीपीएपी 2008-2012 के अंतर्गत लगभग 44 मिलियन अमरीकी डालर के आधार संसाधनों वाली निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं :-

- आजीविका संवर्धन कार्यनीतियों संबंधी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समर्थन;
- वित्तीय समावेशन;
- जिला आयोजना के लिए क्षमता विकास;
- प्रशमनकारी जलवायु परिवर्तन में उप-लाभों के साथ राष्ट्रीय विकास संबंधी उद्देश्यों का समर्थन करना;
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन;
- रसायन प्रबंधन संबंधी मामलों के निवारण हेतु राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन; तथा
- स्थानीय अभिशासन हेतु क्षमता विकास।

उपर्युक्त क्रम संख्या 1,3 और 5 में दी गई परियोजनाओं के संबंध में यूएनडीपी और कार्यान्वयन मंत्रालयों/राज्य सरकारों के बीच वार्षिक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

6.4 एमआर-III अनुभाग (पूर्ववर्ती डब्ल्यूटीओ अनुभाग)

इस वर्ष के दौरान डब्ल्यूटीओ स्थित गैट्स (जीएटीएस) के अंतर्गत वित्तीय सेवाओं से संबंधित अनेक मामलों और मुक्त व्यापार करारों, क्षेत्रीय व्यापार करारों और जापान, कोरिया, श्रीलंका और ईयू के साथ वित्तीय सेवाओं को कवर करते हुए व्यापक आर्थिक सहयोग के अंतर्गत वार्ताएं शुरू की गईं।

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 23-27 जनवरी 2008 को दावोस (स्विट्जरलैंड) में आयोजित की गई थी। माननीय वित्त मंत्री ने इस बैठक में भाग लिया। विश्व आर्थिक मंच की इससे अगली बैठक 28 जनवरी, 2009 को दावोस (स्विट्जरलैंड) में आयोजित की गई थी।

सार्क विकास निधि (एसडीएफ बोर्ड) की दूसरी बैठक 20-21 मई, 2008 को काठमांडू में आयोजित की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य सार्क विकास निधि का शीघ्र प्रचालन करना था। सार्क विकास निधि बोर्ड की तीसरी बैठक 21 जुलाई, 2008 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित की गई थी। 15वां सार्क शिखर सम्मेलन 2-3 अगस्त, 2008 को कोलंबो में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन माहौल और उपलब्धि के लिहाज से सफल रहा था और इस शिखर बैठक में निम्नलिखित चार करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे:

- (क) सार्क विकास निधि का चार्टर;
- (ख) सार्क क्षेत्रीय मानक संगठन की स्थापना;
- (ग) आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधायी सहायता संबंधी सार्क सम्मेलन;
- (घ) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार में अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के शामिल होने से संबंधित प्रोटोकॉल।

सेपा के बारे में भारत और श्रीलंका के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता का 13वां दौर 8-9 जुलाई 2008 को कोलंबो, श्रीलंका में चला था।

चीन के साथ तीसरा भारत-चीन वित्तीय संवाद 16 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में हुआ था। दोनों पक्षों ने इस बात को माना कि सुधार प्रक्रिया का

उद्देश्य स्थिरता के साथ समावेशी विकास करना है। समुचित सुधार और प्रभावशाली वित्तीय पैकेज से आर्थिक विकास और रोजगार में सतत तेजी संभव हो पाएगी। दोनों देश विवेकपूर्ण मानदंड और बाजार अनुशासन सुदृढ़ करने, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कों का अंगीकरण, सांठनिक परिवर्तन का प्रबंधन और प्रौद्योगिकीय तथा मानव संसाधन उन्नयन करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को स्वयं जारी रखने के लिए सहमत हुए। दोनों पक्षों ने अपने-अपने देशों में एक दूसरे की वित्तीय संस्थाओं की मौजूदगी में विस्तार करने में एक दूसरे के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की।

6.5 एमआर-IV अनुभाग (पूर्ववर्ती टी.ए. अनुभाग)

कोलम्बो योजना के तहत तकनीकी सहयोग योजना (टीसीएस)

एशिया और पैसिफिक में सहयोग एवं आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कोलम्बो योजना क्षेत्र के देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के संवर्धन के लिए एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। कोलम्बो योजना की दक्षिण-दक्षिण तकनीकी सहयोग योजना के भाग के रूप में, भारत सरकार ने उन 18 देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने की दृष्टि से तकनीकी सहयोग योजना शुरू की थी, जो कोलम्बो योजना के हस्ताक्षरकर्ता हैं।

वर्ष 2008-2009 के दौरान, 18 कोलम्बो योजना सदस्य देशों के 332 अध्येताओं ने, जिनमें 110 महिला अध्येताएं शामिल थीं, कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना के तहत भारत के 44 संस्थानों में प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, लेखा परीक्षा तथा लेखा, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर शिक्षा, संसदीय मामले, ग्रामीण विकास, वस्त्र, जल संसाधन, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरी, वित्तीय प्रबंधन, बीमा आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त, भारत सहस्त्राब्दि कोष के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनरुज्जीवित किया गया और चार कार्यक्रमों का संचालन किया गया, जिनमें 40 अध्येताओं को विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, कोलम्बो योजना स्टाफ कालेज, मनीला को दी जाने वाली तकनीकी और वित्तीय सहायता कोलम्बो योजना का एक महत्वपूर्ण संघटक है। कोलम्बो योजना स्टाफ कालेज, मनीला को संकाय सहायता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव 2008-2009 के दौरान अनुमोदित किया गया। भूटान के साथ नियोजन के संबंध में, सात संकाय सदस्यों की अंतर्वेशन प्रक्रिया 2008-2009 में पूरी की गई। इन संकाय सदस्यों के परिनिर्वाहन से, भारत द्वारा नीतिबद्ध किए गए सभी 13 व्याख्याता पद भर जाएंगे।

6.6 एमआर-V अनुभाग (पूर्ववर्ती सीआईई-1 अनुभाग)

एमआर-ज अनुभाग मुख्यतया विदेश व्यापार के संबंध में नीतिगत मामलों पर सलाह देने के लिए जिम्मेवार है। 2008-09 के दौरान इस अनुभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

- मानित निर्यात के मुद्दे पर एफआईईओ के संयोजन से हितधारकों की बैठक आयोजित की गई। नवंबर 2008 में अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई थी और कार्य बिन्दुओं की पहचान की गई थी।
- भुगतान शेष के आंकड़ों के मिलान संबंधी बैठकें डीजीसीआईएंडएस, भारतीय रिजर्व बैंक, पेट्रोलियम मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों के साथ पण्य व्यापार आंकड़ों के मिलान के लिए आयोजित की गईं और कार्य बिन्दुओं की पहचान की गई और एक कठोर अनुवर्ती तंत्र की स्थापना की गई है।

7. सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग की प्रस्तावना

7.1 यह प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग के विदेशी वित्त स्कंध का अंग है, जो विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं से भारत सरकार को प्राप्त विदेशी ऋणों/अनुदानों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इस प्रभाग द्वारा निपटाए जाने वाले कार्यकलापों में परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों एवं दाताओं के साथ विचार-विमर्श, परियोजनाओं से प्राप्त दावों पर कार्रवाई तथा विभिन्न दाताओं से निधियों के आहरण में कमी की व्यवस्था, प्राप्त किए गए विभिन्न ऋणों के मामले में भारत-सरकार की ऋण शोधन देयता का समय पर निर्वहन, ऋण-रिकार्ड, विदेशी ऋण सांख्यिकी का रखरखाव, विभिन्न प्रबन्ध सूचना रिपोर्टों का संकलन, विदेशी सहायता विवरणिका का वार्षिक आधार पर प्रकाशन, तथा सहायता प्राप्तियों और ऋण शोधन के बजट अनुमानों को तैयार करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग डीजीएफटी के तहत 40 लाइसेंस कार्यालयों (निर्यात संवर्धन क्षेत्रों सहित) द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए पंजीकृत निर्यातकों को जारी आयात लाइसेंसों की लेखा-परीक्षा करता है।

7.2 विगत वर्ष तक निष्पादन/उपलब्धियां

ऋण/क्रेडिट के रूप में वर्ष 2008-09 के दौरान सरकारी खाते में विदेशी प्राप्तियाँ 19784.22 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 19578.35 करोड़ रुपये थीं। 2008-09 में प्राप्त नकद अनुदान सहायता 2745.52 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 2745.49 करोड़ रुपये थी।

7.3 मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान निष्पादन/उपलब्धियां

वर्ष 2009-10 के दौरान विदेशी ऋण/क्रेडिट की निकासी 27080.41 करोड़ रुपए के बजट अनुमान (14 मई, 2009 की स्थिति के अनुसार) की तुलना में, 1003.82 करोड़ रुपए है और वित्तीय वर्षों के दौरान (14 मई, 2009 की स्थिति के अनुसार) प्राप्त की गई नकद अनुदान सहायता, 2134.20 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 78.08 करोड़ रुपए है।

7.4 ई-गवर्नेंस

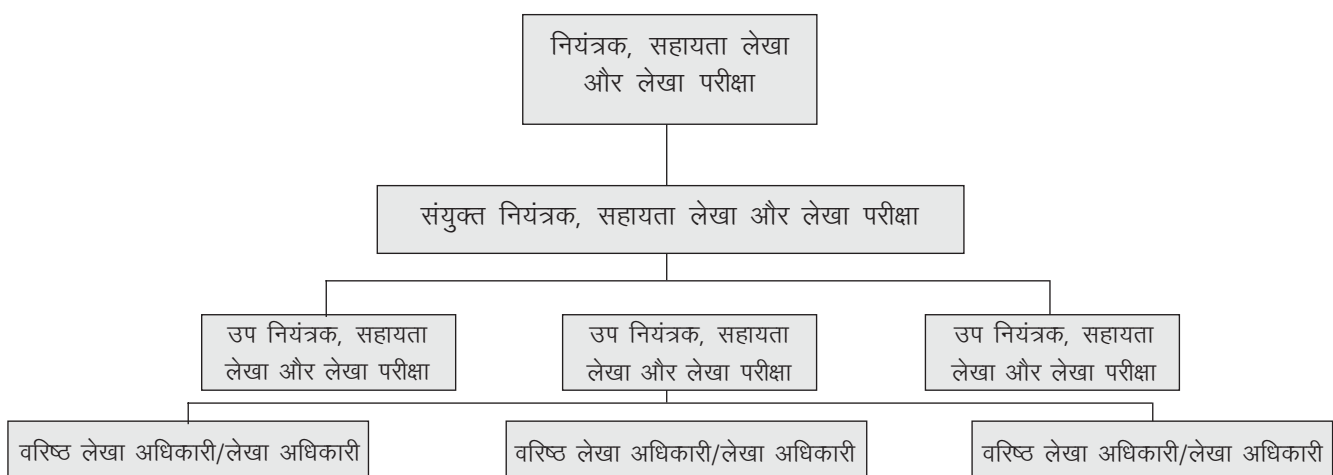
7.4.1 सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग के समस्त कार्यकलापों को अप्रैल, 1999 से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है जो “एकीकृत कम्प्यूटरीकृत

प्रणाली (आईसीएस)” नामक ऑन लाइन प्रणाली पर आधारित है। आईसीएस प्रणाली में ऋण चक्र, प्राप्ति और भुगतान दोनों के लिए विदेशी सहायता हेतु बजट तैयार करने, वार्षिक विदेशी सहायता पुस्तिका तैयार करने और अद्यतन सीएस-डीआरएमएस बनाए रखने से संबंधित सभी कार्यकलाप शामिल हैं। गत वर्ष आईसीएस को उपभोक्ता की अपेक्षा के अनुरूप परिष्कृत/सुसज्जित किया गया है। ऑन-लाइन सिस्टम आईसीएस ने सभी कार्यकलापों की बारीकी से मानीटरिंग को सक्षम बनाने के अलावा इस कार्यालय की कार्यप्रचालन क्षमता को बढ़ाने में भी योगदान दिया है। इस प्रभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कम्प्यूटरीकृत कार्य परिवेश में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

7.4.2 सभी ऋण प्रभागों, राज्य सरकारों, परियोजना प्राधिकरणों और दाताओं आदि के लाभार्थ वेबसाइट पता 'http://fin.min.nic.in/caaa' के अन्तर्गत इस प्रभाग द्वारा विदेशी सहायता पर एक विस्तृत वेबसाइट बनाई जा रही है। इस वेबसाइट पर दाताओं के अनुसार ऋण/उधार/अनुदान के अनुसार, राज्य-वार, क्षेत्रवार मासिक, तिमाही और वार्षिक आधार पर संवितरण की स्थिति से संबंधित व्यापक सूचना समाविष्ट है। वेबसाइट को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। वेबसाइट में समस्त दावों के चक्र अर्थात् दावा प्राप्ति से लेकर एसीए जारी किए जाने तक को शामिल करते हुए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत दावों की अद्यतन स्थिति भी दिखाई गई है। इस दावा चक्र के अतिरिक्त, 1.4.2002 से पीएफ-रू प्रभाग द्वारा बनायी गयी एसीए निर्गम की एक अलग विस्तृत रिपोर्ट वेबसाइट पर मुहैया करायी गयी है। इसके अतिरिक्त, वेबसाइट से विभिन्न पैरामीटरों पर विदेशी प्रभुसत्ता वाले उधारों के संबंध में संवितरित बकाया ऋणों पर भी जानकारी ली जा सकती है। यह अद्यतन स्थिति इस प्रभाग में बनाए गए “सर्वर” से उपलब्ध करायी गयी है। वेबसाइट में विभिन्न दाताओं से विदेशी सहायता के संवितरित बकाया ऋणों और उनकी शर्तों के अलावा विदेशी सहायता के समग्र पोर्टफोलियो से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकीय सूचना भी शामिल है। विदेशी सहायता पुस्तिका की “साफ्ट कॉपी” किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा संदर्भ के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

7.4.3 ई-प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजनाओं सहित दावों को प्राप्त करने की संभावना की जांच की गई है और कार्य प्रगति पर है। इससे दाताओं को शीघ्रता से दावे प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी।

प्रभाग का संगठन चार्ट



7.4.4. एक गतिशील वेबसाइट 'aadmf.gov.in' जिससे कोई भी प्रयोक्ता अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार परिवर्तित रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है, को भी एएएडी द्वारा कार्यान्वित किया गया है। संवितरण की व्यवस्था करने के लिए दावे की ई-प्रोसेसिंग तथा वर्तमान दावों से विश्व बैंक द्वारा वसूल की गई लेखा-परीक्षा अस्वीकृतियों की जांच करने के लिए भी कार्य चल रहा है।

7.4.5. इस प्रभाग ने मई, 2006 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन भी प्राप्त किया है।

8. प्रशासन प्रभाग

8.1 कार्य

प्रशासन प्रभाग, विभाग के कार्मिकों एवं कार्यालय प्रशासन तथा आर्थिक कार्य विभाग एवं इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

8.2 कर्मचारियों की संख्या

आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य) और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में, 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या तथा निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व तालिका 1.6 और 1.7 में दिया गया है।

8.3 सहायता अनुदान

वर्ष 2008-09 के दौरान, तीन संस्थाओं को कुल 90 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई। इनका ब्यौरा तालिका 1.8 में दिया गया है।

8.4 महिला कर्मचारियों की यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों की यौन-प्रताड़ना की रोकथाम से संबंधित विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.1997 के निर्णय के अनुपालन में, आर्थिक कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है। समिति की संरचना अनुबंध-IV में दी गई है।

8.5 सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाती रही। संसद में सभी दस्तावेज द्विभाषी प्रस्तुत किए गए।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 और राजभाषा विभाग द्वारा जारी अन्य अनुदेशों का पूरी तरह अनुपालन किया गया। वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग में अनेक कदम उठाए गए:

- (1) राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम विभाग के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/प्रभागों/अनुभागों में परिचालित किया गया और इसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के सभी प्रयास किए गए;
- (2) वर्ष के दौरान, विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 26 जून, 2008 को आयोजित की गई। इस बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया;
- (3) 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के पुनीत अवसर पर, माननीय वित्त मंत्री ने अपने “संदेश” में वित्त मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन

कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की अपील की;

- (4) सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में अधिकारियों व कर्मचारियों की हिचक दूर करने और उन्हें भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी नियमों और अन्य निर्देशों की जानकारी देने के लिए, हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई;
- (5) विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु, 14-28 सितम्बर, 2008 तक “हिन्दी पखवाड़ा” आयोजित किया गया। इस अवसर पर, कई हिन्दी प्रतियोगिताएं जैसे हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग, निबंध लेखन, हिन्दी टंकण व आशुलिपि, कविता पाठ, आशुभाषण आदि आयोजित की गईं। विजेताओं को योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिए गए। हिन्दी सलाहकार समिति के निर्णय का अनुपालन करते हुए, पुरस्कारों की राशि और पुरस्कारों की संख्या, दोनों में, वृद्धि की गई;
- (6) आर्थिक विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर प्रथम पुरस्कार 20,000/-रु से 50,000/-रु, द्वितीय पुरस्कार 15,000/-रु से 40,000/-रु तथा तृतीय पुरस्कार 10,000/-रु से 30,000/-रु की गई है;
- (7) विभाग की वेबसाइट पूरी तरह द्विभाषी की गई। अन्य सामग्री के साथ-साथ, सभी बजट दस्तावेज, आर्थिक समीक्षा व अन्य प्रकाशन तथा महत्वपूर्ण परिपत्र, आदि अंग्रेजी व हिन्दी में साथ-साथ अपलोड किए जाते हैं;
- (8) राजभाषा अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा से संबंधित आदेशों और अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के अनुभागों तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया; और
- (9) विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और इनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई तथा दिए गए सुझावों पर समुचित कार्रवाई की गई।

8.6 वित्त पुस्तकालय और प्रकाशन अनुभाग

वित्त पुस्तकालय और प्रकाशन अनुभाग की स्थापना 1945 में हुई। वित्त पुस्तकालय मंत्रालय में केन्द्रीय अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है तथा मंत्रालय के सभी तीनों विभागों के अधिकारियों, समय-समय पर गठित की गई तदर्थ समितियों और आयोगों तथा भारत के व विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह पुस्तकालय मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग के रूप में भी कार्य करता है और भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों की मांग पर सरकारी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने व वितरण में समन्वय स्थापित करता है।

वित्त पुस्तकालय को व्यय विभाग के दिनांक 24.7.1990 के का0ज्ञा0सं0 19(1)/आईसी/85 के आधार पर श्रेणी-III पुस्तकालय के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। पुस्तकालय के सभी पद संवर्ग-बाह्य पद हैं।

8.7 संग्रह

पुस्तकालय में आर्थिक और वित्तीय मामलों पर दो लाख से अधिक दस्तावेजों का विशिष्ट संग्रह है और इसमें प्रतिवर्ष 800 से अधिक पीरियोडिकल/समाचार-पत्र मंगाए जाते हैं।

8.8 इलैक्ट्रॉनिक संसाधन

इलैक्ट्रॉनिक संसाधनों में निम्नलिखित सीडी-रोम डाटाबेस शामिल हैं-

- भारत की जनगणना 2001
- सीएमआईई प्रकाशन
- डीजीसीआईएंडएस-भारत के विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े
- डीजीसीआईएंडएस-भारत के विदेशी व्यापार संबंधी सांख्यिकी आंकड़े
- डीजीसीआईएंडएस-भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े
- आर्थिक समीक्षा
- आईएमएफ-भुगतान संतुलन के आंकड़े
- आईएमएफ-व्यापार की दिशा संबंधी आंकड़े
- आईएमएफ-सरकारी वित्त आंकड़े
- आईएमएफ-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आंकड़े
- भारतीय रिजर्व बैंक-बैंकिंग आंकड़े तथा मूल सांख्यिकीय विवरणियां
- विश्व बैंक-विश्व विकास संकेतक
- विश्व बैंक - वैश्विक विकास वित्त
- यूएन - अंतरराष्ट्रीय व्यापार आंकड़े वार्षिक पुस्तक
- केन्द्रीय बजट

8.9 सेवाएँ

पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसे किताबें उधार देना, अंतर-पुस्तकालय उधार पुस्तक विनियम, परामर्श, रेप्रोग्राफी, समाचार-

पत्रों और पत्रिकाओं का परिचालन, संदर्भ सेवा, “वीकली बुलेटिन” के जरिए ताजा घटनाओं के संबंध में जानकारी देना तथा ई-मेल के जरिए सेवाएं प्रदान करना। वित्त पुस्तकालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशनों को राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों और भारत तथा विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को वितरित करने का कार्य भी करता है।

वित्त पुस्तकालय अग्रणी समाचार-पत्रों में प्रकाशित आर्थिक कार्य विभाग संबंधी जन शिकायतों की स्कैनिंग का कार्य भी करता है।

8.10 प्रकाशन

वित्त पुस्तकालय एक साप्ताहिक प्रकाशन “वीकली बुलेटिन” - एक विषय ग्रंथ सूची भी संकलित करता है जिसमें लगभग 200 जर्नलों/समाचार-पत्रों के रुचिकर लेखों को सूचीबद्ध किया जाता है।

अर्थशास्त्र संबंधी लगभग 200 पूर्ण पाठ जर्नल पुरालेखों को ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पुस्तकालय ने जेएसटीओआर के साथ एक समझौता किया है।

8.11 कंप्यूटरीकरण

पुस्तकालय ने अपने प्रायः सभी कार्यकलापों को कंप्यूटरीकृत कर लिया है। यह डाटाबेस प्रबंधन, रिट्राइवल, पुस्तकालय ऑटोमेशन और अन्य आंतरिक कार्यों के लिए लिबासिस लाइब्रेरी पैकेज का प्रयोग करता है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

जहाँ तक ऑनलाइन डाटा की उपलब्धता का संबंध है, इंटरनेट साइट “Finance.nic.in” पर एक लिंक देकर सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है।

तालिका 1.6

आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य) के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व														
समूह	कर्मचारियों की संख्या					गत कैलेन्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या								
						सीधी भर्ती द्वारा				प्रोन्नति द्वारा		अन्य पद्धतियों द्वारा		
	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क	110	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	303	38	16	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	198	38	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	184	71	2	7	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	807	167	32	23	12	3	-	-	1	-	-	-	-	-

आर्थिक कार्य विभाग के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों (अर्थात् राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई) के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या					गत कैलेन्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या								
						सीधी भर्ती द्वारा			प्रोन्नति द्वारा			अन्य पद्धतियों द्वारा		
	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क	रा.ब.स.	13	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्र.अ.न्या.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	रा.ब.स.	17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्र.अ.न्या.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
समूह ग	रा.ब.स.	69	13	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्र.अ.न्या.	8	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	रा.ब.स.	24	10	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	प्र.अ.न्या.	7	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	रा.ब.स.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्र.अ.न्या.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		149	30	4	19	2	-	-	1	-	-	-	1	-

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, सेबी के कर्मचारी फॉलों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, न कि समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के रूप में :-

समूह	कर्मचारियों की संख्या				गत कैलेन्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				प्रोन्नति द्वारा			अन्य पद्धतियों द्वारा		
	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अधिकारी	430	54	19	100	58	6	6	8	-	-	-	-	-	-
सचिव	124	7	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एमएसएन- जीआर	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	556	62	19	115	58	6	6	8	-	-	-	-	-	-

तालिका 1.7

a) आर्थिक कार्य विभाग(मुख्य) के संबंध में निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती			प्रोन्नति										
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की गई नियुक्तियों की संख्या						
	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
समूह क	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	303	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	198	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ	196	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	807	2	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ख) आर्थिक कार्य विभाग के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों (अर्थात् राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई) के संबंध में निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती			प्रोन्नति										
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की गई नियुक्तियों की संख्या						
	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
क रा.ब सं. नागपुर	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्र. अ.न्या.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख रा.बसं. नागपुर	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्र. अ.न्या.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग रा.ब सं. नागपुर	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्र. अ. न्या.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ रा.बसं. नागपुर	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्र. अ. न्या.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	149	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, सेबी के कर्मचारी फॉलों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, न कि समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के रूप में :-

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती			प्रोन्नति										
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की गई नियुक्तियों की संख्या						
	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
अधिकारी	430	10	1	5	1	-	1	58	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
सचिव	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एमएसएन-जीआर	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	556	10	1	5	1	-	1	58	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-

तालिका 1.8

क्रम सं.	अनुदानग्राही संस्था का नाम	प्रयोजन	जारी की गई राशि (रुपए में)
1	भारतीय विधि संस्थान	विधायी प्रारूपण, संधि एवं करार पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स चलाने हेतु	15 लाख
2	अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नेशनल कॉन्सिल	उनके प्रशासनिक खर्च के भाग को पूरा करने हेतु	50 लाख
3	इंडियन कॉन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस	मुख्य आर्थिक मुद्दों पर इसके अनुसंधान कार्यक्रमों के विस्तार हेतु अनावर्ती अनुदान	25 लाख
	कुल		90 लाख

9 द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग

9.1 जापान

क. ओडीए ऋण

जापान वर्ष 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता देता आ रहा है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता, अनुदान सहायता तथा तकनीकी सहयोग जेआईसीए (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण) के माध्यम से प्राप्त होता है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। 2003-04 से, भारत जापानी ओडीए ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है।

भारत को मिलने वाली जापानी शासकीय विकास सहायता (ओडीए) ऋण बिना शर्त ऋण हैं। इसकी अधिप्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा की जाती है। ओडीए ऋण अधिकांशतः परियोजनाबद्ध होता है। ब्याज दरें सामान्य परियोजनाओं के लिए 30 वर्ष की चुकौती अवधि के साथ 1.2% प्रतिवर्ष है और पर्यावरण क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 40 वर्ष की चुकौती अवधि के साथ 0.55% प्रतिवर्ष की ब्याज दर है। इसके अतिरिक्त, ऋण करार पर हस्ताक्षर करने के 120 दिन के पश्चात असंवितरित ऋण पर 0.17% की दर पर वचनबद्धता शुल्क लगाया जाता है।

जापान सरकार ने 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक भारत में पंद्रह परियोजनाओं के लिए 421.622 बिलियन येन (18787 करोड़ रुपए) की वचनबद्धता की। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, जापानी ऋण सहायता से 59 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं के लिए 1050.618 बिलियन येन (अर्थात् लगभग 52530.90 करोड़ रुपए) की वचनबद्धता की गई। इसके ब्यौरे अनुबंध-रू में दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान ओडीए ऋण संवितरण 122.50 बिलियन येन (5860.99 करोड़ रुपए था)। भारत को संचयी जापानी ओडीए ऋण 2008-09 तक वचनबद्धता आधार पर 2898.59 बिलियन यूरो पर पहुंच गया (मौजूदा विनिमय दर पर लगभग 113209.77 करोड़ रुपए)।

1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक भारत को 170.378 बिलियन येन (7716.81 करोड़ रुपए) का ओडीए ऋण संवितरण प्राप्त हुआ।

मुद्रा अदला-बदली करार : दिनांक 29.6.2008 को भारतीय रिजर्व बैंक, भारत और सेंट्रल बैंक ऑफ जापान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह करार 3 महीने की आरंभिक

अवधि के लिए भारत या जापान के समक्ष आने वाली अस्थायी भुगतान शेष समस्याओं का सामना करने के लिए हाजिर दर पर घरेलू मुद्रा के लिए अधिकतम 3 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के विनिमय अथवा पुनःविनिमय का प्रावधान करता है। यह व्यवस्था अधिकतम सात बार नवीकृत की जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक की अवधि 90 दिन होगी।

ख. अनुदान सहायता

जापान सरकार तीन श्रेणियों अर्थात् सामान्य अनुदान सहायता, मत्स्य पालन के लिए अनुदान सहायता और सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए अनुदान सहायता के तहत भारत को अनुदान सहायता प्रदान करती है। सामान्य अनुदान सहायता के प्रमुख लक्ष्य आधारभूत मानव आवश्यकताओं के लिए परियोजनाएं हैं जिनकी आर्थिक व्यवहार्यता अनिवार्यतः कम है और इसलिए इन्हें ऋणों द्वारा वित्तपोषण करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। शामिल किए गए प्राथमिकता क्षेत्र हैं : (1) जन स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल; (2) कृषि और ग्रामीण विकास; और (3) पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा। मत्स्य पालन के लिए अनुदान सहायता मत्स्य सुविधाओं, प्रशिक्षण के लिए नावों, मछली पकड़ने के लिए पोत सुविधाओं आदि के लिए दी जाती है, जिनका उपयोग मत्स्य पालन उद्योग के संवर्धन के लिए किया जाता है। सांस्कृतिक गतिविधियों, शिक्षा और अनुसंधान के संवर्धन के लिए सांस्कृतिक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

अनुदान सहायता के अंतर्गत कोई अनुदान सहायता परियोजनाएं नहीं चल रही हैं।

अनुदान सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत की गई नौ परियोजनाओं के लिए जापान सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

ग. जापान के साथ तकनीकी सहयोग

तकनीकी सहयोग का उद्देश्य मानव संसाधनों को विकसित करने और उन्हें सुधारने के प्रयास में प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान का अंतरण करना है और इस प्रकार भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करना है। तकनीकी सहयोग में आधारभूत आवश्यकताओं से लेकर कृषि और औद्योगिक विकास के विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं। भारत में जेआईसीए के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं : (1) जनस्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल; (2) कृषि और ग्रामीण विकास; (3) पर्यावरण परिरक्षण एवं संरक्षण; और (4) आर्थिक अवसंरचना का सुधार।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार जेआईसीए सहायता प्राप्त चल रही परियोजनाओं की सूचा

क्र.	आईडीपी संख्या और परियोजना का नाम	अवस्थिति	ऋण राशि 2008-09	
			(मिलियन येन)	(करोड़ रुपए)
विद्युत मंत्रालय				
1	(आईडीपी-119) टयूरियल जलविद्युत बिजली परियोजना	मिजोरम	11695	2.55
2	(आईडीपी-142) सिंहाद्री और विजैग पारेषण प्रणाली-II	आन्ध्र प्रदेश	6400	0.48
3	(आईडीपी-143) पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना- II	पश्चिम बंगाल	3127	2.61
4	(आईडीपी-147) बाकरेश्वर ताप विद्युत स्टेशन इकाई विकास परियोजना	पश्चिम बंगाल	36771	155.76
5	(आईडीपी-152) पुरुलिया पम्प संचयन प्रणाली परियोजना- II	पश्चिम बंगाल	23578	0.00
6	(आईडीपी-153) धौलीगंगा जलविद्युत बिजली संयंत्र निर्माण परियोजना- II	उत्तराखंड	13890	6.75
7	(आईडीपी-156) उमियाम चरण- रूद्र जलविद्युत संयंत्र परियोजना- II	मेघालय	1964	0.28
8	(आईडीपी-160) उत्तरी कर्णपुरा सुपर ताप विद्युत परियोजना	केन्द्र	15916	0.00
9	(आईडीपी-167) पुरुलिया पम्प संचयन परियोजना- III	पश्चिम बंगाल	17963	78.18
10	(आईडीपी-169) ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र	20629	287.03
11	(आईडीपी-177) बंगलौर वितरण उन्नयन परियोजना	कर्नाटक	10643	0.21
12	(आईडीपी-178) हैदराबाद महानगर क्षेत्र में पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण	आन्ध्र प्रदेश	23697	0.00
13	(आईडीपी-188) महाराष्ट्र पारेषण प्रणाली परियोजना	महाराष्ट्र	16749	0.00
14	(आईडीपी-190) हरियाणा पारेषण प्रणाली परियोजना	हरियाणा	20902	28.19
पर्यावरण और वन मंत्रालय				
15	(आईडीपी-146) पंजाब वानिकीकरण परियोजना	पंजाब	5054	19.06
16	(आईडीपी-148) राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	राजस्थान	9054	14.84
17	(आईडीपी-149) यमुना कार्य योजना परियोजना-II	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा	13333	44.77
18	(आईडीपी-158) एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन परियोजना	हरियाणा	6280	56.88
19	(आईडीपी-162) तमिलनाडु वानिकीकरण परियोजना-II	तमिलनाडु	9818	97.99
20	(आईडीपी-163) कर्नाटक वन प्रबंधन और जैवविविधता संरक्षण परियोजना	कर्नाटक	15209	114.70
21	(आईडीपी-164) गंगा कार्य योजना (वाराणसी)	उत्तर प्रदेश	11184	0.00
22	(आईडीपी-172) स्वान नदी एकीकृत जल संभरण प्रबंधन	हिमाचल प्रदेश	3493	11.26
23	(आईडीपी-173) उड़ीसा वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना	उड़ीसा	13937	74.39
24	(आईडीपी-182) त्रिपुरा वन पर्यावरणीय सुधार और गरीबी उपशमन परियोजना	त्रिपुरा	7725	25.15
25	(आईडीपी-183) गुजरात वानिकी विकास परियोजना चरण-2	गुजरात	17521	57.62
26	(आईडीपी-194) उत्तर प्रदेश भागीदारी वन प्रबंधन और गरीबी उपशमन परियोजना	उत्तर प्रदेश	13345	0.49
शहरी विकास मंत्रालय				
27	(आईडीपी-145) दिल्ली जनदुत परिवहन प्रणाली परियोजना-IV	दिल्ली	34012	2.56
28	(आईडीपी-151) दिल्ली जनदुत परिवहन प्रणाली परियोजना-V	दिल्ली	59296	82.26
29	(आईडीपी-157) बिलासपुर जयपुर जलापूर्ति (परियोजना)	राजस्थान	8881	112.52
30	(आईडीपी-165) बंगलौर जलापूर्ति और मल निकासी परियोजना (II)	कर्नाटक	41997	6.92

31	(आईडीपी-159) दिल्ली जनदुत परिवहन प्रणाली परियोजना (VI)	दिल्ली	19292	11.03
32	(आईडीपी-168) बंगलौर जलापूर्ति और मल व्यवस्था (II- 2)	कर्नाटक	28358	0.00
33	(आईडीपी-170) दिल्ली जनदुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण -II	दिल्ली	14900	13.68
34	(आईडीपी-171) बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	कर्नाटक	44704	22.88
35	(आईडीपी-174) हुसैन सागर झील और जल ग्रहण क्षेत्र सुधार परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	7729	13.85
36	(आईडीपी-175) कोलकाता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधार परियोजना	पश्चिम बंगाल	3584	4.88
37	(आईडीपी-179) दिल्ली जल दुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-2 (II)	दिल्ली	13583	57.73
38	(आईडीपी-184) केरल जलापूर्ति परियोजना (II)	केरल	32777	460.84
39	(आईडीपी-185) आगरा जलापूर्ति परियोजना (II)	उत्तर प्रदेश	24822	8.15
40	(आईडीपी-186) अमृतसर मल व्यवस्था परियोजना	पंजाब	6961	2.99
41	(आईडीपी-187) उड़ीसा एकीकृत स्वच्छता सुधार परियोजना	उड़ीसा	19061	0.00
42	(आईडीपी-189) गोवा जलापूर्ति और मल व्यवस्था परियोजना	गोआ	22806	0.00
43	(आईडीपी-191) दिल्ली जन दुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-2 (III)	दिल्ली	72100	2421.63
44	(आईडीपी-193) हैदराबाद बाहरी मुद्रिका सड़क परियोजना चरण-I	आन्ध्र प्रदेश	41853	61.96
45	(आईडीपी-196) तमिलनाडु शहरी अवसंरचना परियोजना	तमिलनाडु	8551	0.00
46	(आईडीपी-192) कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना	पश्चिम बंगाल	6437	0.00
47	(आईडीपी-192) हैदराबाद बाहरी मुद्रिक सड़क परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	42027	0.00
48	(आईडीपी-197) चेन्नई मेट्रो मुद्रिक सड़क परियोजना	तमिलनाडु	21751	0.00
जल संसाधन मंत्रालय				
49	(आईडीपी-154) रेंगाली सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	6342	66.00
50	(आईडीपी-155) के.सी. नहर आधुनिकीकरण परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	4773	20.98
51	(आईडीपी-161) राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	राजस्थान	11555	1.67
52	(आईडीपी-181) आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और आजीविका सुधार परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	23974	18.25
ग्रामीण विकास मंत्रालय				
53	(आईडीपी-111) अटटापडडी बंजरभूमि परियोजना	केरल	5112	24.62
पर्यटन मंत्रालय				
54	(आईडीपी-150) अजंता एलौरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना(II)	महाराष्ट्र	7331	91.45
55	(आईडीपी-166) उत्तर प्रदेश बौद्ध मंडल विकास परियोजना	उत्तर प्रदेश	9495	0.00
पोत परिवहन मंत्रालय				
56	(आईडीपी-176) विशाखापत्तनम पोत विस्तार परियोजना (इंजीनियरी सेवाएं)	केन्द्र	161	0.00
57	(आईडीपी-180) विशाखापत्तनम पोत विस्तार परियोजना (इंजीनियरी सेवाएं)	केन्द्र	4129	0.00
पेय जलापूर्ति विभाग				
58	(आईडीपी-195) होंगेनक्कल जलापूर्ति और फ्लूरोसिस प्रशामन परियोजना वित्तीय सेवा विभाग	तमिलनाडु	22387	2.90
59	(आईडीपी-200) अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यम बिजली बचत परियोजना	संपूर्ण भारत में	30000	1258.31
जोड़			1050618 (52530.90 करोड़ रुपए)	5847.25 #

* जापान सरकार द्वारा ऋण करार की वैधता को बढ़ाया गया है।

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान बंद की गई परियोजनाएं (जो 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार नहीं चल रही थीं) सूची में शामिल नहीं की गई हैं।

तकनीकी सहयोग के प्रमुख संघटक हैं : (1) परियोजना किस्म की तकनीकी सहयोग परियोजनाएं, (2) विकास अध्ययन, (3) विशेषज्ञों को भेजना, (4) जापानी विदेशी सहयोग स्वयं-सेवी कार्यक्रम, (5) अनुवर्ती सहयोग कार्यक्रम, (6) भारतीय सरकारी कर्मियों का प्रशिक्षण, (7) तृतीय देश प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें विभिन्न देशों के कर्मियों को भारत में प्रशिक्षण देना शामिल है।

तकनीकी सहयोग और विकास अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत 9 परियोजनाएं चल रही हैं।

“आन्ध्र प्रदेश सिंचाई जल प्रबंधन सुधार परियोजना” के लिए चर्चाओं और बैठक के कार्यवृत्त संबंधी रिकार्ड पर 19.6.2008 को हस्ताक्षर किए गए।

“राज्य वन प्रशिक्षण विद्यालय/संस्थानों का क्षमता निर्माण” नामक परियोजना पर चर्चाओं और बैठक के कार्यवृत्त संबंधी रिकार्ड पर 27.2.2009 को हस्ताक्षर किए गए।

निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप देने हेतु 11.11.2008 को भारत सरकार और जापान सरकार के बीच सम्भाषण टिप्पणी आदान-प्रदान की गई:

- (1) कोलासिब जिले में भूमि और जल संसाधनों का व्यापक विकास और प्रबंधन;
- (2) मल व्यवस्था और मल उपचार संयंत्रों के संचालन और रखरखाव संबंधी नियम-पुस्तिका तैयार करना; और
- (3) दिल्ली में जल आपूर्ति प्रणाली के सुधार संबंधी मास्टर योजना और व्यवहार्यता अध्ययन।

“भारत में तापीय ऊर्जा संयंत्रों के प्रचालन की क्षमता को बढ़ाना (एनटीपीसी के क्षमता हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना)” नामक परियोजना के लिए 31.10.2008 को कार्यक्षेत्र संबंधी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए।

“दिल्ली में जलापूर्ति पद्धति में सुधार संबंधी मास्टर प्लान और व्यवहार्यता अध्ययन” परियोजना के लिए अप्रैल, 2009 में कार्यक्षेत्र संबंधी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए।

“मल व्यवस्था और मल व्यवस्था उपचार संयंत्रों के प्रचालन तथा रखरखाव संबंधी नियम-पुस्तिका की तैयारी” नामक परियोजना पर अप्रैल, 2009 में कार्यक्षेत्र संबंधी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए थे।

जेओसीवी कार्यक्रम के तहत, दस संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों को वर्ष 2008-09 के लिए जापान राजदूतावास के सामने रखा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत आठ जापानी स्वयंसेवकों को नियुक्त किया गया था।

जेआईसीए भागीदारी कार्यक्रम

जेआईसीए भागीदारी कार्यक्रम, जिसमें भारतीय और जापानी गैर-सरकारी संगठन शामिल थे, 2001 में शुरू हुआ और 1.1.2008 से 31.3.2009 तक छः प्रस्ताव समाशोधित किए गए।

घ. आधारिक निधियन

जापान सरकार अपनी आधारिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता की योजना के अंतर्गत भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को लघु अनुदान सहायता भी प्रदान करती है। इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.03.2009 तक आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बाईस प्रस्ताव समाशोधित किए जा चुके हैं।

ड हरित सहायता योजना

जापान सरकार (आर्थिक व्यापार और उद्योग मंत्रालय) हरित सहायता योजना के अंतर्गत नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक विकास संगठन (नेडो) जैसे अभिकरणों के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इस योजना की प्रमुख नीति विकासशील देश को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों का सामना करने में उसके स्व-सहायता प्रयास के लिए सहायता देना है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट पदार्थ उपचार एवं पुनर्चक्रण और ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत सहयोग के क्षेत्र हैं।

नेडो को जापानी हरित सहायता योजना के अंतर्गत मॉडल परियोजनाओं की वार्ता एवं कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। यह जापानी शासकीय विकास सहायता कार्यक्रम से भिन्न एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम है। नेडो जापानी विशेषज्ञों को भारतीय संगठनों में प्रशिक्षण देने के लिए भेजता है और जापान में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है।

च. वित्त वर्ष 2008-09 में शुरू की गई मॉडल परियोजनाएं

वित्त वर्ष 2008-09 में शुरू की गई मॉडल परियोजनाएं तालिका 1.8 पर दी गई हैं।

छ. नेडो द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

2008-09 में, नेडो ने कोयला, इस्पात और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए सीसीटी (स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। इन क्षेत्रों से कुल 20 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

9.2 आस्ट्रेलिया

भारत को आस्ट्रेलियाई विकास सहायता का प्रारंभ वर्ष 1951 में हुआ। यह सहायता आस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आसएआईडी) के माध्यम से दी जाती है। वर्ष 2003 में द्विपक्षीय विकास सहयोग पर भारत सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसरण में आस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग बंद कर दिया गया था।

भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को आस्ट्रेलियाई सहायता

आस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अपनी दक्षिण एशियाई समुदाय सहायता योजना (एसएसीएस) के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में भारतीय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली आधारभूत परियोजनाओं के लिए लघु अनुदान सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत आस्ट्रेलियाई उच्च आयोग/आस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से इस वित्त वर्ष में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

9.3 उत्तरी अमरीका (एनए) अनुभाग

(1) भारत को सं.रा. अमरीका की आर्थिक सहायता से संबंधित मामले तथा सं.रा. अमरीका से जुड़े अन्य क्षेत्रीय मामले। इनमें द्विपक्षीय सहायता हेतु संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के लिए परियोजना प्रस्तावों की जांच और उन पर कार्रवाई किया जाना, परियोजना करारों का मूल्यांकन और जांच, चालू और कार्याभिमुखी परियोजनाओं की समीक्षा और मॉनीटरिंग, यूएसएड सहायता के लिए विदेशी सहायता बजट की तैयारी और द्विपक्षीय सहायता संवितरण की मॉनीटरिंग किया जाना शामिल है।

(2) कनाडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीआईडीए) द्वारा सहायता प्राप्त द्विपक्षीय परियोजनाओं का शेष कार्य और कनाडा से संबंधित अन्य क्षेत्रीय मामले।

तालिका 1.9

वित्त वर्ष 2008-09 में शुरू की गई मॉडल परियोजनाएं

क्र. स. परियोजना का नाम	कार्यान्वयन अवधि	संबंधित मंत्रालय का नाम और क्रियान्वित करने वाला अभिकरण
1 एक डीज़ल जेनरेटर को दोहरे-ईंधन प्रचालन में परिवर्तित करने के लिए मॉडल परियोजना	2008-2011	विद्युत मंत्रालय, मैसर्स टाटा मोटर्स
2 जापानी उच्च क्षमता वाली कोयला तैयार करने की प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए मॉडल परियोजना	2008-2011	कोयला मंत्रालय, मैसर्स मोन्टे इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (एमआईईएल)

- (3) भारत-अमरीका वित्तीय और आर्थिक मंच से संबंधित मामले
- (4) यूएस पब्लिक लॉ 480 के तहत सहायता से संबंधित मामले, जिसके अन्तर्गत यूएसएड विभिन्न संगठनों जैसे कि केयर/कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज इत्यादि के जरिए वितरण के लिए कृषि-वस्तुएं मुहैया कराता है।
- (5) भारतीय संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को कनाडा उच्च आयोग, फोर्ड फाउंडेशन (एफएफ), कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आईडीआरसी) द्वारा अनुदान प्रदान किया जाना।
- (6) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय प्रभार।

9.4 संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका वर्ष 1951 से भारत को आर्थिक सहायता देता आ रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका की विकास सहायता संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के माध्यम से दी जाती है। इस समय, संयुक्त राज्य अमरीका की विकास सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होती है तथा परियोजना सहायता के रूप में उपलब्ध है।

वर्ष 2007-08 में संवितरित 31.51 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2008-09 में 30.04 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता संवितरित की गई।

पीएल-480 (शीर्षक-II) के तहत, संयुक्त राज्य अमरीका एकमुश्त अनुदान के रूप में कृषि वस्तुएं देता रहा है। यूएस एआईडी ने वर्ष 2007-08 के दौरान संवितरित 28.47 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2008-09 में 11.93 मिलियन अमरीकी डालर (मालभाड़ा सहित) की कुल राशि संवितरित की है।

आर्थिक कार्य विभाग भारत-अमरीका वित्तीय एवं आर्थिक मंच के लिए केन्द्रीय एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समन्वित समग्र भारत-अमरीका आर्थिक वार्ता के अन्तर्गत चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ विचारों का नियमित आदान-प्रदान किया जाता है। मंच की अंतिम (चौथी) बैठक नई दिल्ली में 30 अक्टूबर, 2007 को आयोजित हुई थी जिसकी सह-अध्यक्षता वित्त मंत्री और अमरीका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने की थी। इसके बाद तकनीकी समूह स्तर की एक बैठक जून, 2008 में वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई।

9.5 कनाडा

भारत को कनाडियन आर्थिक सहायता वर्ष 1951 में मिलनी शुरू हुई थी। मार्च, 2007 तक, भारत को दी गई कुल सहायता लगभग 2.743 बिलियन कनाडियन डालर रही है। इस सहायता में मुख्यतया विकास सहायता, खाद्य एवं तकनीकी सहायता शामिल है। कनाडियन सहायता कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (सीडा) के माध्यम से दी जाती है। 1 अप्रैल, 1986 से सीडा द्वारा यह सहायता अनुदानों के रूप में दी जा रही है। सरकारी बजट के माध्यम से मिलने वाली सहायता नगण्य है। अक्टूबर, 2003 में सीडा ने वर्ष 2006-2007 तक अपने चालू द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। भारत सरकार ने अक्टूबर, 2003 में 1966-1984 के दौरान भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋणों में से 419.941 मिलियन कनाडियन डालर के सम्पूर्ण कनाडियन ऋण का पूर्व-भुगतान कर दिया है।

भारत सरकार ने भारत की आर्थिक नीति में उदारीकरण और सुधारों की दिशा की पुष्टि करने के लिए द्विपक्षीय विकास सहयोग संबंधी नीति की समीक्षा की है। दि. 20.09.04 को घोषित नीति के अनुसार द्विपक्षीय विकास सहायता यूरोपीय देशों के साथ-साथ कनाडा सहित सभी जी-8 देशों से स्वीकार की जाएगी।

कनाडा ने भारत की स्थानीय पहलों (सीएफएलआई) के लिए वर्ष 2006-07 में अनुदान सहायता देना आरंभ किया है। वर्ष 2007-08 के दौरान 0.50 मिलियन कनाडियन डालर की अनुदान सहायता के 14 प्रस्तावों की तुलना में 2008-09 के दौरान 0.47 मिलियन कनाडियन डालर की अनुदान सहायता के 12 मामलों को स्वीकृति दी गई है।

9.6 फोर्ड फाउंडेशन से सहायता

फोर्ड फाउंडेशन वर्ष 1952 से विभिन्न भारतीय गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं को स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, संस्कृति आदि के क्षेत्रों में परियोजनाओं/अध्ययन आदि के क्रियान्वयन हेतु अनुदान सहायता प्रदान करता आ रहा है। वर्ष 2007-08 में 85 परियोजना प्रस्तावों, जिनमें 24.0 मिलियन अमरीकी डॉलर का कुल अनुदान शामिल था, की तुलना में वर्ष 2008-09 में 13.4 मिलियन डॉलर के कुल अनुदान वाले 59 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं।

9.7 कनाडा के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी) से सहायता

आईडीआरसी कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण आदि के क्षेत्रों की परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को

अनुदान सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2007-08 में कुल 2.80 मिलियन कनाडियन डॉलर की अनुदान सहायता वाले 22 परियोजना प्रस्तावों की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 0.70 मिलियन कनाडियन डॉलर की अनुदान सहायता वाले 9 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

9.8 विदेशी सहायता पर समन्वयन और निर्णय सहायता प्रणाली का विकास

भारत को लगभग 4.46 बिलियन अमरीकी डालर की वार्षिक विदेशी सहायता मिली है जबकि कुल बकाया विदेशी सहायता ऋण (31 मार्च, 2008 को) 48.89 बिलियन अडालर है। यह राशि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के बहुत बड़े और विविधीकृत पोर्टफोलियो को दर्शाती है। प्राप्त सहायता और ऋण भुगतान का प्रबंधन वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक द्वारा किया जाता है जो विदेशी सहायता प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय कार्यक्रम की परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मानीटरिंग करने के लिए अपनी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। तथापि, यह जरूरत अनुभव की गयी है कि सभी पणधारकों को उपलब्ध इन परियोजनाओं के लिए एक ऐसा समान दृष्टिकोण दिया जाए जो कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को पहले से देख ले।

समन्वयन और निर्णय सहायता प्रणाली (सीडीएसएस) इस आवश्यकता को पूरा करती है। इसे यूएनडीपी की सहायता से आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विदेशी सहायता अन्तःप्रवाहों में प्रगति की व्यवस्थित रिकार्डिंग और उसकी समय-समय पर समीक्षा, विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए आधार मुहैया कराती है। सीडीएसएस समुन्नत विकास सहायता प्रभावकारिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

सीडीएसएस विकास सहायता डाटाबेस के उस प्रचलित रूपान्तरण पर आधारित है जो पणधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात, विशेषरूप से केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और दाता एजेंसियों के साथ, भारत में संस्थागत जरूरतों को पूरा करने हेतु तैयार की गई है। वेब-आधारित प्रयोग के रूप में विकसित होते हुए उपयोगकर्ता इससे अपनी जरूरतों के अनुसार रिपोर्टें और चार्ट तैयार कर सकते हैं (राज्य सेक्टर और विकास भागीदार द्वारा विकास सहायता), और अलग-अलग परियोजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ले सकते हैं। सीडीएसएस उन उपयोगकर्ताओं को जो अलग-अलग परियोजनाओं और कार्यक्रमों की अधिक ब्यौरेवार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें परियोजना और कार्यक्रम प्रलेखन की जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

परियोजना के उद्देश्य

यह पहल निर्णय सहायता हेतु विकसित समुन्नत सूचना प्रणाली के माध्यम से भारत में विदेशी सहायता के उपयोग की गति और गुणवत्ता को बढ़ाती है।

परिणाम और उपलब्धियां (अद्यतन)

- पूरे देश में फैली हुई सीडीएसएस (सफल प्रायोगिक चरण के पश्चात) वर्तमान में 73.8 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक की कुल वचनबद्धता सहित कुल 1259 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (जिसमें 401 चल रही परियोजनाएं हैं) से सम्पर्क बनाए हुए है।

- सीडीएसएस को प्रचालनात्मक बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्य (अर्थात् निर्णय लेने के लिए डाटा प्रविष्टि और विश्लेषण) 12 ऋण डिविजनों, 10 दाता एजेंसियों, 16 राज्य परियोजना प्रबंधन यूनितों (पीएमयू) और इन राज्यों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए पूरा हो गया था।
- सीडीएसएस आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संचालित और अनुरक्षित समर्पित सर्वर पर उपलब्ध है और वित्त मंत्रालय के मुख्य वेब पेज से प्राप्त किया जा सकता है।
- सीडीएसएस कार्यान्वयन संबंधी विषयों और चुनौतियों पर निगरानी रखने हेतु वित्तीय, भौतिक प्रगति और अन्य निर्णायक पहलुओं पर परियोजना की अद्यतन सूचना निगरानी रखता है।
- पेरिस घोषणा निर्देशकों की तर्ज पर प्रोजेक्ट लेवल पेरिस घोषणा निर्देशक और जेंडर निर्देशकों को सभी विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए एकीकृत किया गया है और निगरानी रखी जाती है।
- सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक (सीएएए) सहायता अन्तर्प्रवाह प्रबंधन प्रणाली के साथ संस्थागत सम्पर्क और सीडीएसएस और सीएएए के बीच आटोमेटिड डाटा सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करते हुए वित्तीय आंकड़ा समरूपता स्थापित की गयी है।

भविष्य की ओर देखते हुए

- सीडीएसएस अपनेपूरे “रोल आउट” चरण में प्रवेश कर चुका है। सीडीएसएस की पहली प्राथमिकता चल रही परियोजनाएं और कार्यक्रम होंगे (जिसके लिए भारतीय लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से विदेशी सहायता संवितरित की जाती है)। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के ब्यौरे एक अभिलेख में रखे जाएंगे और वे विकास सहायता अन्तर्प्रवाहों के लिए वित्तीय समुच्चयों के आकलन में योगदान देंगे।

इस प्रमुख पहल को संस्थागत रूप देने के लिए आर्थिक कार्य विभाग में एक उपयुक्त कार्यनीति तैयार करके पूर्ण व्यापी कार्यान्वयन चरण में प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

9.9 यूनाइटेड किंगडम

3 (1) प्रस्तावना

वर्ष 1958 से यू.के. भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता देता रहा है। वर्ष 1975 से, यू.के. सहायता अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई है। वर्तमान में भारत द्वारा प्राप्त अनुदानों का सबसे बड़ा भाग यू.के. से आता है तथा भारत यू.के. द्वारा इसके विकास भागीदारों को प्रदत्त अनुदानों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। यू.के. की भारत को सहायता मुख्यतः एमडीजी के उद्देश्यों पर संकेन्द्रित है। यह सहायता चार डीएफआईडी संकेन्द्रित राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दी जाती है।

3 (2) निष्पादन/उपलब्धियां

वर्ष 2008-09 में, वार्षिक वार्ता के दौरान डीएफआईडी ने निर्दिष्ट किया है कि अगले तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-2011 तक अनुमानित

संवितरण 825 मिलियन पौंड (लगभग 6,600 करोड़ रुपए) होगा। भारत सरकार के खाते के द्वारा वास्तविक संवितरण 227.478 मिलियन पौंड (1710 करोड़ रुपए) है। वर्ष 2008-09 के लिए एक नए करार पर हस्ताक्षर करके 18 मिलियन पौंड (145 करोड़ रुपए) की वचनबद्धता की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डीएफआईडी के लिए कोई नई परियोजना नहीं रखी गई है।

3 (3) महत्वपूर्ण घटनाक्रम

डीएफआईडी ने जून, 2008 में भारत 2008-2015 के लिए “तीन भारत” उद्देश्यों (1) वैश्विक भारत (क्योंकि भारत समृद्ध हो रहा है और व्यापार पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रभावी वैश्विक प्रतिभागी के रूप में उभर रहा है); (2) विकासशील भारत (गरीबी और समृद्धि की सीमा रेखा पर रहने वाले समाज के वर्ग के लिए जिन्हें बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सेवा, अच्छा पोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है); और (3) निर्धनतम भारत (वह वर्ग जो अत्यंत गरीबी में रह रहा है, बहुधा अपनी भौगोलिक अवस्थिति और सामाजिक स्थिति द्वारा लाभवंचित होता है जिसके लिए सहायता की आवश्यकता है ताकि वह भारत के विकास में भागीदार हो सके), के साथ अपनी नई देश योजना शुरू की है। डीएफआईडी देश योजना का दूसरा पहलू आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिक परिपक्व राज्यों से अंतरित बिहार की ओर बढ़ना है जो भारत में सबसे गरीब राज्य माना जाता है। डीएफआईडी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों में सहायता कार्यक्रम जारी रखेगा। डीएफआईडी का लगभग 45.50% वर्तमान पोर्टफोलियो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर संकेन्द्रित होता है यथा सर्व शिक्षा अभियान, प्रजननात्मक बाल स्वास्थ्य (आरसीएच 2) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आदि।

9.10 नार्वे

भारत में नार्वे का द्विपक्षीय विकास सहायता कार्यक्रम केरल में तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता के माध्यम से पारम्परिक मात्सियकी परियोजना के साथ 1952 में आरंभ हुआ था। वर्ष 1970 से, नार्वे सहायता मुख्य रूप से सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग और स्थानीय लागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हो रही है। नार्वे यूरोपीय समुदाय का तथा जी-8 का सदस्य देश नहीं है। वित्त वर्ष 2006-07 से नार्वे द्विपक्षीय विकास सहायता का कोई संवितरण नहीं किया गया है। नार्वे ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के सुदृढीकरण और साम्यापूर्ण वितरण के लिए तकनीकी सहयोग देने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के माध्यम से 80 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सहायता की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

नार्वे पक्ष ने दिनांक 21.10.2008 को श्री थार्वाल्ड मोई, उप-महा सचिव, वित्त मंत्रालय, नार्वे के भारत दौरे के दौरान यू.एन प्रमाणित सीडीएम परियोजनाओं के लिए लगभग 500 मिलियन यूरो की समर्पित बजट की उपलब्धता दोहराई है। बैठक के दौरान श्री मोई ने सूचित किया कि नोर्जेस बैंक भारत में अधिक निवेश करने के लिए सहमत हुआ है और दिसम्बर, 2008 तक भारत में 2 बिलियन अमरीकी डालर निवेश किया जाएगा। भारत और नार्वे के वित्त मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 22-23 मई, 2009 को पहली वार्षिक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी।

9.11 स्वीडन

भारत, वर्ष 1965 से स्वीडिश विकास सहायता प्राप्त कर रहा है। 1990 के दशक के दौरान भारत-स्वीडिश विकास सहायता संबंध चरम सीमा पर थे। तथापि, 1998 के बाद विकास सहयोग संबंध शिथिल हो गए। स्वीडन ने 1.1.1997 से 31.12.1999 तक की अवधि का 900 मिलियन एसईके की राशि वाला द्विपक्षीय सहयोग करार एक पक्षीय रूप से रद्द कर दिया।

जी-8- भिन्न और ई.यू.- भिन्न देश होने के कारण, स्वीडन से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) स्वीकार की जा सकती है, यदि वह भारत सरकार की संशोधित नीति के अनुसार भारत को 25 मिलियन अमरीकी डालर की न्यूनतम वार्षिक विकास सहायता की वचनबद्धता दे। तथापि, स्वीडन ने इसका उत्तर नहीं दिया। फिर भी, भारत के लिए नए देश कार्यनीति प्रलेख में, स्वीडन ने यह निश्चय किया है कि 2005-2009 की अवधि के दौरान की पारम्परिक सहायता को धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा और सहयोग को नए रूपों में बदला जाएगा। इस संदर्भ में, भारत गणराज्य और स्वीडन के बीच 29.10.2007 को मुख्यतः पर्यावरणीय सुरक्षा और चिरस्थायी विकास व सामाजिक विकास के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग हेतु करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। उपर्युक्त करार का कार्यकाल 31.12.2009 को समाप्त होता है। विकास सहायता के लिए भारतीय दिशानिर्देशों की तर्ज पर 2009-2013 की अवधि के लिए भारत और स्वीडन के बीच तकनीकी सहायता के लिए नई कार्ययोजना का विकास और तकनीकी सहयोग संबंधी करार प्रक्रियाधीन है।

9.12 इटली

पृष्ठभूमि : इटली भारत को 1981 से रियायती सहायता प्रदान करता आ रहा है। 1981 के पहले इटली आयातकों को प्रत्यक्ष रूप से आपूर्तिकर्ता ऋण देता था। तकनीकी सहयोग संबंधी द्विपक्षीय करार पर फरवरी, 1981 में हस्ताक्षर किए गए जिसके द्वारा इटली विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान के आधार पर विशेषज्ञ सेवा तथा संबंधित उपकरण देने के लिए सहमत हुआ।

इतालवी सहायता से चालू परियोजनाएं : भारत सरकार पश्चिम बंगाल के 16 चुनिंदा जिलों में जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए 25,822,844.95 यूरो की सशर्त ऋण राशि प्रदान कर रहा है। वित्तीय समझौता पर 10 जनवरी, 2006 को हस्ताक्षर किए गए। इस अवधि के लिए इतालवी ऋण 0.0% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध होगा जिसकी पुनःअदायगी की अवधि 39 वर्ष होगी जिसमें 19 वर्ष की माफी अवधि शामिल है। अप्रैल, 2009 तक 1,854 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया।

परियोजना की शर्तें रखी गईं और इस पर वर्ष 2006 में हस्ताक्षर किए गए, इसे चालू परियोजना माना गया, चूंकि ऋण के लिए बातचीत बहुत प्रगत अवस्था पर चल रही थी, यद्यपि, सशर्त सहायता स्वीकार नहीं करने के लिए भारत सरकार की नीति में वर्ष 2004 में संशोधन हुआ था। इतालवी सरकार ने 2005 में घोषित हमारी संशोधित द्विपक्षीय विकास सहयोग नीति का कोई उत्तर नहीं दिया और भारत सरकार ने सभी पहले के इतालवी ऋणों की पूर्व अदायगी 02.01.2004 को पूरी तरह कर दी है।

9.13 जर्मनी संघीय गणराज्य

वर्ष 2008 में भारत और जर्मनी विकास सहयोग हेतु कार्यनीतिक ढांचा पर सहमत हुए। यह अक्टूबर, 2008 में जर्मन आर्थिक और विकास सहयोग

मंत्री सुश्री हेडमेरी विकजोरे जीयुल के दौर के दौरान आरंभ किया गया। कार्यक्रम के पारस्परिक रूप से सम्मत क्षेत्रगत प्राथमिकताएं हैं, ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्थायी उपयोग, स्थायी आर्थिक विकास। जर्मनी भारत को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देता है।

वर्ष 2008 के लिए जर्मनी ने 364 मिलियन यूरो (लगभग 2362 करोड़ रुपए) (पुनः कार्यक्रम की गई निधि सहित) की कुल वचनबद्धता की है। वर्ष 2008-09 के दौरान भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत करारों पर हस्ताक्षर तालिका 1.10 पर दी गई है।

सीएएण्डए के द्वारा सरकारी परियोजनाओं को किया गया कुल संवितरण (2008-09 के दौरान दी गई तकनीकी सहायता को छोड़कर) 111.075 मिलियन यूरो (713 करोड़ रुपए) था जबकि भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत केएफडब्ल्यू द्वारा किया गया कुल संवितरण 170.47 मिलियन यूरो था।

9.14 फ्रांस

फ्रांस सरकार वर्ष 1968 से भारत को विकास सहायता देती रही है। फ्रांस सरकार ने अब फ्रांसीसी विकास अभिकरण (एजेंसे फ्रांसेस डी डेवलपमेंट - एएफडी) को 'शर्त रहित' उदार ऋणों के लिए भारत में प्रचालन करने के लिए आंबटित किया है। एएफडी के माध्यम से 25 जनवरी, 2008 को भारत-फ्रांस विकास सहयोग संबंधी अंतर सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए। करार का प्रयोजन भारत में एएफडी के माध्यम से फ्रांसीसी विकास सहयोग कार्यक्रमों से संबंधित सामान्य ढांचा, संस्थागत व्यवस्थाओं और राजकोषीय पहलुओं को पारिभाषित करना है। अंतर सरकारी करार की शर्तों के अनुसार आर्थिक कार्य विभाग और एएफडी के बीच 19.09.2008 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत-फ्रांसीसी विकास सहयोग के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं - ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी सार्वजनिक परिवहन, जैव विविधता का संरक्षण और आविर्भावी तथा संक्रामक रोगों के विरुद्ध संघर्ष।

तालिका 1.10

वर्ष 2008-09 के दौरान भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत करारों पर हस्ताक्षर

क्र. सं. परियोजना का नाम	राशि करोड़ रुपए में (लगभग)
(क) सरकार का सरकार के साथ अम्ब्रेला करार	
1 भारत-जर्मन अम्ब्रेला करार -2007(एफसी)	1857.05
2 भारत-जर्मन अम्ब्रेला करार -2007 (टीसी)	110.50
(ख) ऋण/वित्तपोषण/संशोधन करार	
1 भागीदारी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम, त्रिपुरा - अनुदान	78.00
2 तमिलनाडु में स्थायी नगर अवसंरचना वित्तपोषण - ऋण	422.50
3 तमिलनाडु में स्थायी नगर अवसंरचना वित्तपोषण - ऋण और अनुदान	78.00
4 जल संभरण विकास कार्यक्रम, आन्ध्र प्रदेश -अनुदान	13.00
5 सिडबी-स्वच्छ पर्यावरणीय क्रेडिट लाइन (किस्त-II) -अनुदान	49.85
6 पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम-X -ऋण	201.50
7 पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम-XI -ऋण	91.59
8 स्थायी ऊर्जा कार्यक्रम -आईआरडीए - ऋण	325.00
9 स्थायी ऊर्जा कार्यक्रम -आईआरडीए - अनुदान	6.5
10 पीएआरई जल विद्युत संयंत्र - ऋण	520.00
11 पीएआरई जल विद्युत संयंत्र - अनुदान	3.25
12 विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम - I -अति-महत्वपूर्ण विद्युत स्टेशन, आंध्र प्रदेश (कृष्णापटनम) - ऋण के लिए करार में संशोधन	1827.00
13 आरईसी - ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम -II - ऋण	455.00
14 आरईसी - ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम -III - अनुदान	3.25

आर्थिक कार्य विभाग और फ्रांसीसी विकास अभिकरण के बीच पहली वार्षिक परामर्श बैठक 24 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में हुई।

9.15 दूसरे देशों को दी गई भारत के एक्जिम बैंक की ऋण श्रृंखलाएं:

वर्ष 2008-09 (अप्रैल 2008 से मार्च 2009 तक) में, भारतीय एक्जिम बैंक के माध्यम से दी जाने वाली भारत सरकार से सहायता प्राप्त ऋण-श्रृंखलाएं देने के निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है:

- (1) श्रीलंका सरकार को 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (2) नाइजीरिया सरकार को 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (3) नाइजर सरकार को 20 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (4) मध्य अफ्रीकी गणराज्य सरकार को 29.5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (5) सेनेगल सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (6) मेडागास्कर सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (7) जांबिया सरकार को 50 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (8) इथियोपिया सरकार को 166.23 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (9) म्यांमार सरकार को 20 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (10) बुर्किना फासो सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (11) सियरा लियोन सरकार को 15 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (12) मोजाम्बिक सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (13) सूरीनाम सरकार 4.3 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (14) कैमरून सरकार को 37.65 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (15) मोजाम्बिक सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (16) घाना सरकार को 21.72 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला
- (17) बेलारूस सरकार को 50 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला

10 एकीकृत वित्त प्रभाग

एकीकृत वित्त प्रभाग का अध्यक्ष वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार होता है। यह प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग को भी सेवा प्रदान करता है।

यह प्रभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है :

आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय जैसे निवेश आयोग/13वां वित्त आयोग/राष्ट्रीय बचत संस्थान/प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण/ऋण वसूली न्यायाधिकरण/अभिरक्षक कार्यालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना हेतु अपीलीय प्राधिकरण/विशेष न्यायालय का कार्यालय, मुम्बई और न्यायालय परिसमापक का कार्यालय, कोलकाता को वित्तीय सलाह प्रदान करना/ उनके व्यय संबंधी प्रस्तावों की सहमति हेतु जांच करना;

व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार व्यय के योजितकीकरण और मितव्ययिता उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय नियंत्रण और प्रबंधन करना तथा साथ ही साथ मासिक/तिमाही समीक्षाओं के जरिए व्यय की नियमित मॉनिटरिंग करना और संबंधित सचिवों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

यह प्रभाग अनुदानों की तीन ब्यौरेवार मांगों अर्थात् अनुदान सं0-31 आर्थिक कार्य विभाग अनुदान सं0-32-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान; और अनुदान सं0-33-वित्तीय सेवा विभाग की भी देख-रेख करता है। इसके अंतर्गत बजट/संशोधित बजट को अंतिम रूप देना/अंतिम आवश्यकताओं का अनुमान तैयार करना/बचतों का अभ्यर्पण, पुनर्विनियोग और शीर्ष-वार विनियोग लेखों की विधीक्षा करना शामिल है; तालिका 1.11 पर दी गई है।

पूरे वित्त मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों का समन्वयन और मुद्रण कार्य ;

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा वर्ष के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों के जांच संबंधी सभी मामलों का समन्वयन;

वित्त मंत्रालय का परिणाम बजट तैयार करना और आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग में विभिन्न एककों के परिणाम बजट लक्ष्यों की मॉनिटरिंग भी करना ; और

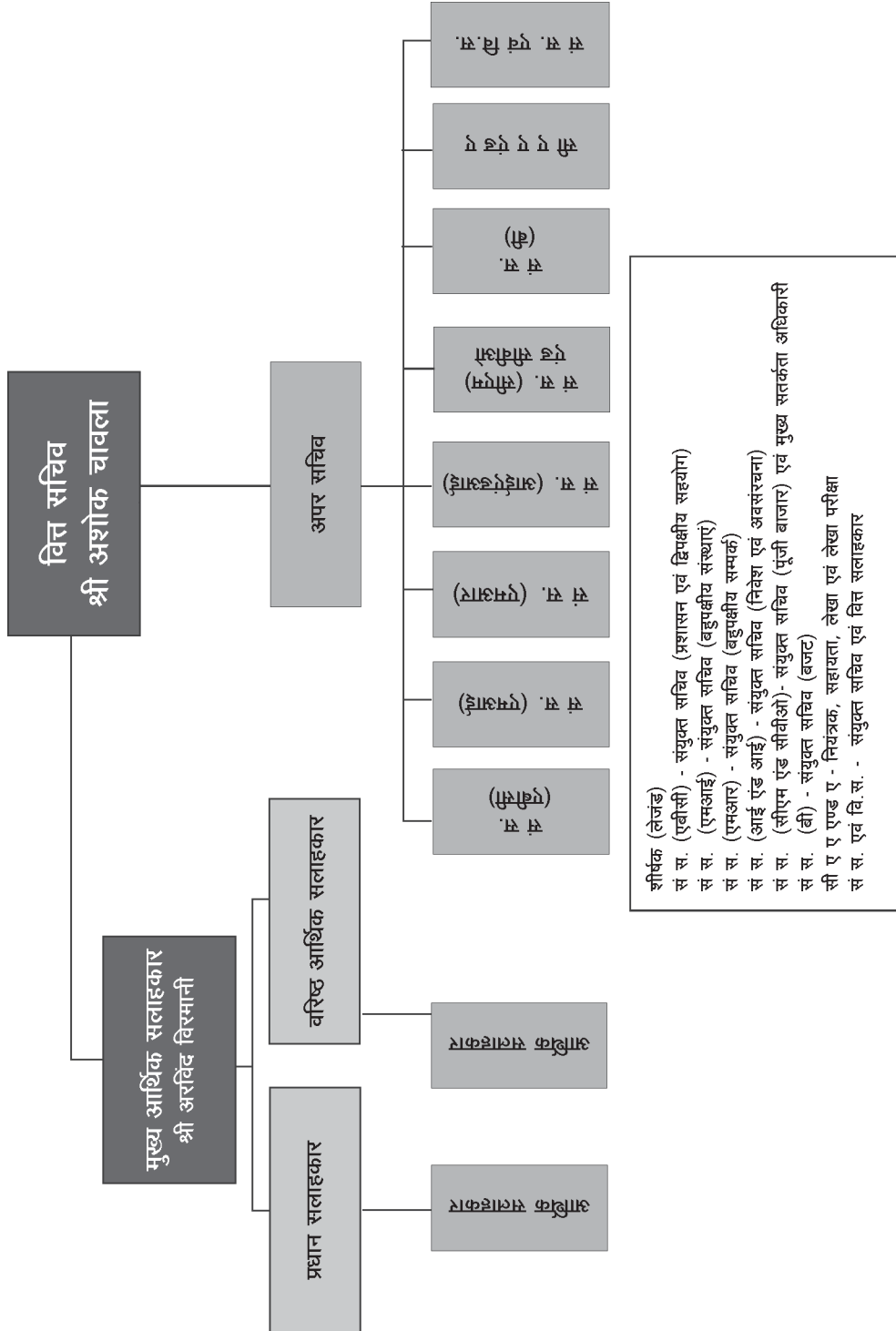
लोक लेखा समिति/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा पैरों के उत्तर की मॉनिटरिंग करना।

प्रभावी व्यय नियंत्रण के लिए अपनाई गई सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) विस्तृत विवरण सहित व्यय प्रमुख शीर्ष/योजनावार प्रगति की समीक्षा संबंधित सचिवों के साथ मासिक रूप से की गई।
- (ख) ब.अ. आंकड़ों की तुलना में प्रमुख शीर्ष वार और योजनावार व्यय प्रगति वित्त मंत्रालय की वेबसाइट में डाली गई।
- (ग) आंतरिक नियंत्रण तंत्र को आंतरिक लेखपरीक्षा करवाकर सुदृढ़ किया गया।
- (घ) परिणाम बजट में शामिल विभागों की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों की मासिक मॉनिटरिंग की गई।

तालिका 1.11				
अनुदान संबंधी बजटीय आवंटन				
अनुदान		ब.अ. 2008-09	सं.अ. 2008-09	ब.अ. 2009-2010
31-आर्थिक कार्य विभाग	आयोजना	1639.90	1609.47	2308.36
	आयोजना-भिन्न	3084.06	4845.75	11091.71
	जोड़	4623.96	6455.22	13400.07
32-वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	आयोजना	1900.00	1900.00	ब.अ. 2009-10 से
	आयोजना-भिन्न	8172.87	57637.49	अनुदान सं0 32 और 33
	जोड़	10072.87	59537.49	को मिलाकर अनुदान सं. 33- वित्तीय सेवा विभाग बना दिया गया है। ब0अ0 2009-10 से अनुदान सं0-32 आ0 का0 विभाग के लिए है।
33-वित्तीय सेवा विभाग	आयोजना	0.00	0.00	542.00
	आयोजना-भिन्न	60.00	77.40	36871.54
	जोड़	60.00	77.40	38413.54

आर्थिक कार्य विभाग का संगठनात्मक ढांचा



21

अध्याय-II

व्यय विभाग

1. संस्थापना प्रभाग

संस्थापना प्रभाग, संयुक्त सचिव (कार्मिक) के तहत कार्य करता है तथा सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना और सेवा-शर्तों का निर्धारण, मजदूरी नीति का निर्धारण, वेतनमानों में संशोधन, पदों के सृजन, वेतन निर्धारण के मूलभूत सिद्धांतों, मकान किराया भत्ता, यात्रा/ दैनिक भत्ता, महंगाई भत्ता और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न अन्य प्रतिपूर्ति भत्तों के बारे में कार्रवाई करता है। यह व्यय विभाग से संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए भी उत्तरदायी है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न अथवा अन्यथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामलों से संबंधित विभिन्न समस्याओं तथा विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तक इसके विस्तार तथा उन पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा समय-समय पर संदर्भित कानूनी/न्यायालयी मामलों का निराकरण उपयुक्त ढंग से किया गया था।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के परिलब्धियों, भत्तों, सेवा-शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना पर अपनी रिपोर्ट 24 मार्च, 2008 को प्रस्तुत की थी। सरकार ने कुछ संशोधनों की शर्त पर आयोग की सिफारिशों को एक पैकेज के रूप में स्वीकार कर लिया था। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को अनुमोदित किए जाने के बाद केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 को जी.एस.आर. संख्या 622(ई), दिनांक 29 अगस्त, 2008 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया था तथा संशोधित वेतनमान कार्यान्वित कर दिए गए थे। वेतनमानों तथा पेंशन संबंधी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वित होने के कारण 01.01.2006 से भूतलक्षी प्रभाव से बकाया राशि के 40 प्रतिशत की पहली किस्त की अदायगी वर्ष 2008-09 में पहले ही की जा चुकी है।

गैर-योजना, गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने के लिए वित्त मंत्रालय समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को मितव्ययिता संबंधी अनुदेश जारी कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन - मितव्ययिता उपायों और व्यय की औचित्यपूर्ण व्यवस्था के संबंध में दिनांक 05.06.2008 को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन से मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी वाहनों को बदलने के लिए दिनांक 10.12.2008 को का.ज्ञा. जारी करके उदार बनाया गया है। अनुपयोगी वाहनों के स्थान पर दूसरे वाहन लाने की प्रक्रिया को ऑपरेशनल प्रयोजनों और एस.पी.जी. तथा रक्षा बलों के लिए का.ज्ञा. दिनांक 01.12.2008, आई.डी. नोट दिनांक 15.12.2008 और 16.12.2008 के द्वारा उदार बनाया गया है।

2. वेतन अनुसंधान एकक (पी.आर.यू.)

वेतन अनुसंधान एकक की स्थापना 1968 में की गई थी और इसका मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों तथा केन्द्र शासित प्रशासन के कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रकार के भत्तों पर किए गए वास्तविक व्यय तथा इन कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और विश्लेषण करना है। यह एकक 'केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर लघु-पुस्तिका (ब्रोशर)' नाम से एक वार्षिक पुस्तिका भी प्रकाशित करता है। यह ब्रोशर केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों जैसे कि उनके नियमित कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, समयोपरि भत्ता आदि पर किए गए व्यय के संबंध में सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराता है। इसमें स्वीकृत पदों और उन पर विद्यमान पदधारियों की मंत्रालय/विभाग-वार और समूहवार संख्या की सूचना भी उपलब्ध कराई गई है। ब्रोशर में विषमता अनुपात अर्थात् विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात भी शामिल होता है।

इस एकक ने वर्ष 2006-07 के लिए ब्रोशर श्रृंखला का 29वां अंक नवम्बर, 2008 में जारी किया। वर्ष 2007-08 के लिए ब्रोशर से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

3. एकीकृत वित्त एकक (आई.एफ.यू.)

एकीकृत वित्त एकक संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करता है तथा मांग संख्या-38 व्यय विभाग के तहत व्यय और बजट से संबंधित प्रस्तावों को देखता है जिनमें (1) व्यय विभाग, महालेखानियंत्रक, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त आयोग प्रभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा और मुख्य लेखा नियंत्रक के लिए संस्थापना बजट को शामिल करते हुए सचिवालय की सामान्य सेवाएं तथा (2) शासकीय लेखा और वित्त संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय निकाय में योगदान (ए.जी.ए.ओ.ए.) तथा नई पेंशन स्कीम के लिए केन्द्रीय रिकार्डकीपिंग एजेन्सी के लिए सेवा प्रभागों के भुगतान से संबंधित बजट शामिल है।

यह एकक अनुदान संख्या-39 - पेंशन, अनुदान संख्या - 40 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग तथा अनुदान संख्या - 44 विनिवेश विभाग के अंतर्गत व्यय की मॉनिटरिंग भी करता है।

अलग-अलग अनुदानों के अंतर्गत किया गया आबंटन तालिका 2.1 पर दी गई है।

एकीकृत वित्त एकक ने परामर्शदाताओं की नियुक्ति, अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति, एन.आई.एफ.एम. को सहायता अनुदान, समय-समय पर जारी मितव्ययिता अनुदेशों का विधिवत अनुपालन सहित व्यय विभाग से संबंधित वित्तीय एवं व्यय संबंधी प्रस्तावों की शीघ्रता से जांच की और उनका निपटारा किया। स्थायी वित्त समिति से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ बजट से संबंधित सभी मामलों की जांच की गई और उनका निपटारा किया गया था। इसी प्रकार, व्यय विभाग के सी.एंड ए.जी. के सभी लेखापरीक्षा पैराओं की मॉनिटरिंग की गई और उनको क्लियर किया गया था।

व्यय विभाग के व्यय रुझान को निरंतर मॉनीटर किया गया है और सरकारी व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखा गया है। समीक्षा की रिपोर्ट सचिव (व्यय) को त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की गई है।

4. राज्य वित्त प्रभाग (योजना वित्त-I)

व्यय विभाग का राज्य वित्त प्रभाग योजना आयोग/संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिश पर राज्य क्षेत्र की योजना निर्मुक्तियों और वित्त आयोगों की सिफारिश पर गैर-योजना निर्मुक्तियों सहित राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह प्रभाग उधार लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने, अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत उधार लेने की अनुमति प्रदान करने, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सघन समन्वय में अर्थोपाय की स्थिति का प्रबोधन करने, संबंधित वित्त आयोग आदि द्वारा यथासंस्तुत ऋण को बट्टे खाते डालना सहित राज्य सरकारों की उधार संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के मामलों को भी देखता है।

राज्य वित्त प्रभाग के प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं-

- केन्द्र राज्य के राजकोषीय मुद्दों को सहज समाधान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
- योजना और गैर-योजना अनुदानों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं/आपदा प्रबंधन हेतु निर्मुक्तियों के तहत केन्द्रीय सहायता जारी करना।
- राज्य ऋण समेकन और राहत सुविधा की व्यवस्था करना तथा राज्यों के अस्थायी वित्तीय दबाव पर केन्द्र की प्रतिक्रिया को शासित करना।

- भारत सरकार द्वारा यथास्वीकृत वित्त आयोग अवार्ड का कार्यान्वयन एवं अनुदानों के लक्षित उपयोग की मॉनिटरिंग करना।
- संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अधीन सहमति के अनुसार उधार लेने की वार्षिक सीमा निर्धारित करना तथा बेल आउट्स सहित भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ठोस समन्वय करके अर्थोपाय की स्थिति की मॉनिटरिंग करना।
- राज्य योजना स्कीमों तथा वित्त आयोग अवार्ड के संबंध में बजट तैयार करने तथा राज्यों की वार्षिक योजना के लिए वित्त व्यवस्था संबंधी स्कीमों को अंतिम रूप देने के लिए आदान मुहैया कराना।

उपर्युक्त कार्यों को सहजता से निष्पादित करने के लिए इस प्रभाग को निम्नलिखित तीन मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है:-

- **योजना वित्त शाखा**, जो राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करती है,
- **वित्त आयोग शाखा**, जो भारत सरकार द्वारा यथास्वीकृत वित्त आयोग के अवार्ड को लागू करती है, और
- **राज्य ऋण और देयताएं शाखा**, जो राज्यों के ऋण एवं देयताओं से संबंधित है तथा इस संबंध में केन्द्र की गतिविधियों और पहलों का समर्थन करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक और शाखा है जो **राजकोषीय सुधार एकक** कहलाती है और जो वित्त संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव करती है, राज्य की वित्तीय स्थिति के सुझावों का विश्लेषण करती है तथा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप तैयार की गई राज्यों के ऋण समेकन और राहत सुविधा की व्यवस्था करती है।

फ्लैगशिप स्कीमों जिनके लिए वर्ष 2008-09 में योजना शीर्ष के अंतर्गत निधियां जारी की गई थीं, उनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.), त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम, बृहन् मुंबई स्टार्म वाटर ड्रेन (बी.आर. आई.एम.एस.टी.ओ.डब्ल्यू.ए.डी.) और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स आदि शामिल हैं। वर्ष 2008-09 में योजना

करोड़ रुपए में

तालिका 2.1

अनुदान सं.	बजट अनुमान 2008-09			संशोधित अनुमान 2008-09		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
38-व्यय विभाग	10.00	37.86	47.86	5.30	56.66	61.96
39- पेंशन	-	7966.14	7966.14	-	10629.53	10629.53
40- भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	-	1283.50	1283.50	-	1908.13	1908.13
44- विनिवेश विभाग	-	2351.00	2351.00	-	2348.90	2348.90

स्कीमों के लिए 62,488.81 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष के दौरान 60,991.31 करोड़ रुपए (97.60 प्रतिशत) जारी किए गए हैं।

गैर योजना के लिए, इस प्रभाग ने 2008-09 के दौरान सेवाओं के स्तरोन्नयन, आपदा सहित आदि (2008-09 हेतु 27599.92 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का 98.40 प्रतिशत होने के कारण) के लिए 27158.65 करोड़ रुपए जारी किए। सहायता अनुदान के अतिरिक्त, इस प्रभाग ने 2008-09 के दौरान गम्भीर प्रकृति की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन.सी.सी.एफ.) के तहत अनुदान के रूप में 2279.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की। 2008-09 में 23 राज्यों की अपेक्षा 15 राज्यों को 5431.88 करोड़ रुपए की ऋण माफी दी गई।

राज्य की वित्तीय स्थिति में 2008-09 से लगातार सुधार हो रहा है। वर्ष 2004-05 से पहले के वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा नकदी के तीव्र दबाव की तुलना में अधिकांश राज्य सरकारों की अर्थोपाय की स्थिति अच्छी रही है, जिसमें अधिक अधिशेष राशि दर्शायी गई है और जिसका 14 दिवसीय खजाना और नीलामी टी बिलों में निवेश किया गया है। 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार, राज्यों का भारतीय रिजर्व बैंक में 101,969.67 करोड़ रुपए का मिश्रित नकद शेष था। आशा है कि ये अधिशेष दोनों केन्द्र और राज्य करों के संग्रहण में उछाल, राज्यों में केन्द्रीय अंतरण में वृद्धि करने, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्र द्वारा ऋण को बढ़े खाते डालने तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान आदि के कारण राज्यों द्वारा व्यय को विवेकपूर्ण स्तर पर सीमित करने के फलस्वरूप हुए हैं।

वर्ष 2008-09 में राज्यों के लिए उधार लेने की वार्षिक अधिकतम सीमा राज्यों के अपने राजकोषीय सुधार पथ के अनुसार अपने-अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की 3 प्रतिशत निर्धारित की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा घोषित दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में छूट दी गई थी तथा राज्यों को अनुमति दी गई थी कि वे बाजार से अपने जी.एस.डी.पी. की 3.5 प्रतिशत राशि, जो पूंजीगत व्यय हेतु करीब 30,000 करोड़ रुपए बैठती है, तक बाजार से उधार ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 2008-09 के लिए राजस्व घाटे को समाप्त करने हेतु ऋण समेकन और राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) की आवश्यकता में भी छूट दी गई थी ताकि राज्य डी.सी.आर.एफ. के लाभों से वंचित न हों। वर्ष के दौरान, इस छूट के रूप में राज्यों ने योजना आयोग द्वारा आबंटित उधार राशि के अतिरिक्त बाजार से 24,673 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उधार ली तथा भारत सरकार ने एन.एस.एस.एफ. में जमा रकम में कमी आ जाने की वजह से अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी। राज्यों को कुल 1,25,019.33 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन, राज्य सरकारों ने केवल 118,137.65 करोड़ रुपए उधार लिए।

नेशनल ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत इस प्रभाग को राज्य खजाना कम्प्यूटरीकरण का कार्य मिशन मोड के रूप में सौंपा गया है ताकि सभी राज्यों में इसको लागू किया जा सके। यह प्रभाग खजानों के कम्प्यूटरीकरण की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग, राज्य सरकारों और सी.ए.जी. के घनिष्ठ सहयोग से कार्य कर रहा है।

5. वित्त आयोग प्रभाग

वर्ष 2008-09 बारहवें वित्त आयोग की अवधि का उपांतम वर्ष था। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार इस प्रभाग ने राज्यों को गैर-योजना कार्यों पर बतौर सहायता अनुदान 29438.56 करोड़ रुपए जारी

किए, जिसमें गैर-योजना राजस्व घाटे, सड़कों एवं पुलों तथा सरकारी भवनों का रख-रखाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, राज्य की विशिष्ट जरूरतों आदि (2008-09 के लिए 36192.42 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के 81 प्रतिशत होने के कारण) के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दी गई सहायता शामिल है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निरूपित ऋण समेकन और राहत सुविधा के अनुसार वित्त मंत्रालय ने जम्मू व कश्मीर राज्य को समेकन हेतु केन्द्रीय ऋण स्वीकृत किया था, जिससे एफ.आर.बी.एम. अधिनियम बनाने वाले सभी 28 राज्यों में से 26 राज्यों के ऋण समेकित कर लिए गए हैं। 2008-09 में 23 राज्यों को 5,431.88 करोड़ रुपए तक की ऋण माफी दी गई थी। 2008-09 और 2009-10 में डी.सी.आर.एफ. के तहत राज्यों के लिए घाटे के लक्ष्यों और उधार की अधिकतम सीमा में छूट दी गई थी ताकि दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग और क्रम (सीक्वेल) के रूप में पूंजीगत व्यय किया जा सके।

6. योजना वित्त II प्रभाग

योजना वित्त-II प्रभाग का सरोकार मुख्यतः केन्द्रीय योजना से संबंधित मामलों से है। योजना वित्त-II प्रभाग वित्त मंत्रालय के भीतर एक झरोखे के रूप में कार्य करता है, जो परियोजना और क्षेत्रीय नीतिगत स्तरों पर केन्द्र सरकार के विकास संबंधी कार्यकलापों का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। विकास संबंधी स्कीमों और परियोजनाओं के संबंध में बेहतर परियोजना निरूपण, आउटपुट पर विशेष बल, डिलीवरेबल्स, प्रभाव आकलन, परियोजनाकरण (मिशन दृष्टिकोण) और कनवर्जेंस के जरिए विकासात्मक व्यय की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

ग्यारहवीं योजना अवधि की शुरुआत के साथ, सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना स्कीमों/परियोजनाओं के निरूपण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए का.ज्ञा. सं.1 (3)/यो.वि. II/2001, दिनांक 15 नवंबर, 2007 के द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और इन्हें फिर से जारी किया गया है ताकि स्कीमों के आगे प्रत्यायोजन को युक्तिसंगत बनाया जा सके, तीव्र गति से बदलते हुए आर्थिक वातावरण से जोड़ा जा सके, निवेश कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को और अधिक शक्तिसंपन्न बनाया जा सके तथा इसे समय पर और निर्णय लेने में भली-भांति सुविज्ञ बनाने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को और अनुकूल एवं लचीला बनाया जा सके। ये दिशा-निर्देश, जो ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान लागू होंगे, मंत्रालय की वेबसाइट (www.finmin.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान, व्यय वित्त समिति की सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 113 बैठकें हुईं, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 2,58,670.25 करोड़ रुपए के 108 योजना निवेश प्रस्तावों/स्कीमों पर विचार किया गया। इसके अलावा, सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) की 14 बैठकें हुईं, जिनमें 49,233.84 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय वाली 13 परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया। सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा विचारित परियोजनाओं की मंत्रालय/विभाग-वार स्थिति तालिका 2.2 पर दी गई है।

योजना वित्त-II प्रभाग लोक उद्यम पुनर्गठन ब्यूरो (बी.आर.पी.एस.ई.) की सिफारिशों पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन को भी देखता है। योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी से संबंधित मुद्दों को भी देखता है।

तालिका 2.2

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुमोदन के लिए संस्तुत परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रुपये)
1	विद्युत	5	30354.76
2	जहाजरानी	2	919.25
3	कोयला	3	1242.37
4	नागर विमानन	2	2117.46
5	शहरी विकास	1	14600.00
	कुल	13	49233.84

7. कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू.)

कर्मचारी निरीक्षण एकक का गठन 1964 में प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ विकसित होते हुए निष्पादन मानकों और कार्य प्रतिमानों के अनुरूप सरकारी संघटनों की स्टाफिंग में किराया बरतने के उद्देश्य से किया गया था। वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन कर्मचारी निरीक्षण एकक के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन विभागाध्यक्ष द्वारा गठित समिति, जिसमें कर्मचारी निरीक्षण एकक का प्रतिनिधि मुख्य सदस्य होता है, ऐसे संगठनों की स्टाफिंग का अध्ययन करती है।

बदलते हुए परिदृश्य में कर्मचारी निरीक्षण एकक की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। कर्मचारी निरीक्षण एकक संबंधित मंत्रालयों और स्वायत्तशासी संगठनों को उनकी संगठनात्मक प्रभावकारिता में सुधार लाने की दृष्टि से सहायता देने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की स्थिति में आ गया है। नए अधिदेश के अनुसार, एस.आई.यू. अब संगठनात्मक प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, डिलीवरी प्रणाली, ग्राहक की संतुष्टि, कर्मचारियों के सरोकारों आदि क्षेत्रों को कवर करने तथा आदर्श संगठनात्मक संरचना, प्रक्रियाओं का पुनर्निर्धारण, संसाधनों का इष्टतम उपयोग एवं न्यूनतम व्यय से निष्पादन (आउटपुट)/प्रभावकारिता बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ कार्य-कलापों की आउटसोर्सिंग की संभावनाओं का पता लगाने के अलावा विलम्ब पर काबू पाने का सुझाव देने के लिए प्राथमिक तौर पर संगठनात्मक विश्लेषणों का अध्ययन करेगा।

वर्ष 2008 के दौरान कर्मचारी निरीक्षण एकक ने प्रवासी जांच चौकी और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों, गृह मंत्रालय और होटल प्रबंधन, केटरिंग प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक पोषाहार संस्थान, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के दो मानक अध्ययनों सहित 2924 स्वीकृत पदों को कवर करते हुए 16 अंतिम रिपोर्ट जारी कीं। 2924 स्वीकृत पदों में से कर्मचारी निरीक्षण एकक ने 951 अधिशेष पद घोषित करते हुए 1973 पदों के बने रहने के औचित्य की सिफारिश की है। वर्ष के दौरान स्टाफिंग अध्ययनों से 22.33 करोड़ रुपये की सालाना बचत होगी। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 1333 पदों को कवर करते हुए 6 स्टाफिंग अध्ययनों पर अंतिम रिपोर्ट भी जारी की गई।

वर्ष के दौरान, कर्मचारी निरीक्षण एकक वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठनों, नामतः महानिदेशक, खनन, धनबाद, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और पेटेंट

कार्यालय एवं पेटेंट सूचना प्रणाली (मानकों) और महानिदेशक पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेड मार्क का कार्यालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की जनशक्ति आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए गठित 2 समितियों में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में जुड़ा रहा है।

8. मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय

मुख्य सलाहकार लागत (सी ए सी) का कार्यालय, लागत लेखा मामलों पर मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय एक प्रभाग है जो कि व्यय विभाग में कार्य कर रहा है। यह एक व्यावसायिक दक्षता प्राप्त निकाय है जिसके कर्मचारी लागत/सनदी लेखाकार हैं।

मुख्य सलाहकार लागत, लागत निर्धारण तथा मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों, उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए और उनके लिए लागत जांच करने के लिए औद्योगिक स्तर पर अध्ययनों, उपभोक्ता प्रभागों पर अध्ययनों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कटौती मामलों, परियोजनाओं का लागत-लाभ विश्लेषण, लाभकारी विश्लेषण को डील करते हैं तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए लागत एवं वाणिज्यिक वित्तीय लेखांकन को विकसित करने वाले आधुनिक प्रबंधन उपकरणों को लागू करते हैं।

इसकी स्थापना पहले उत्पादन की लागत के सत्यापन और रक्षा खरीद सहित सभी तरह के सरकारी खरीद के उचित बिक्री मूल्य के निर्धारण के लिए की गई थी। इस कार्यालय की भूमिका और विस्तार देते हुए प्रशासित मूल्य मैकेनिज्म (ए पी एम) के अंतर्गत आवश्यक सामग्री अधिनियम के तहत आने वाली वस्तुओं जैसे कि पेट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट आदि की कीमत निर्धारण करने में इसके कार्यकलाप का विस्तार किया गया। चूंकि मंत्रालयों में लागत/मूल्य निर्धारण का काम काफी बढ़ गया है इसलिए अन्य कई मंत्रालयों/विभागों ने ऐसे कार्यों, जिनमें लागत/वाणिज्यिक लेखा संबंधी मामलों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है, के लिए अधिकारियों की सेवाएं लेकर इन-हाउस विशेषज्ञता हासिल करने की शुरुआत कर दी है। उदासीकरण के बाद के इस दौर में यह कार्यालय लागत मूल्यांकन के परंपरागत अध्ययनों के अलावा सरकार की उदासीकरण की नीति के साथ-साथ समक्रमण करते हुए अध्ययनों का आमंत्रण प्राप्त कर रहा है तथा उनका संचालन कर रहा है।

मुख्य सलाहकार लात का कार्यालय भारतीय लागत लेखा सेवा (आई सी ए एस) का संवर्ग नियंत्रण कार्यालय भी है तथा विभिन्न प्रतिभागी संगठनों में कार्यरत आई सी ए एस अधिकारियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन देने के अलावा यह कार्यालय अधिकारियों के ज्ञान और कौशल में लगातार वृद्धि करने के लिए उनकी प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को देखता है।

मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय के मुख्य व्यावसायिक कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

- 1 मिश्रित मूल्य/लागत संबंधित मामलों को सुलझाने में केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को विभिन्न सेवाओं/उत्पादों हेतु उचित मूल्यों को नियत करने में सहयोग देना।
 - 2 सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा आपूर्तिकर्ताओं के बीच क्रय कार्यों के कारण जनित दावों की जांच/सत्यापन।
 - 3 आपूर्तिकर्ता संगठनों के साथ मूल्यों पर आपसी विचार-विमर्श के लिए सरकारी विभागों को समर्थ बनाने में सरकार को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण करना।
 - 4 लागत/उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए इकाई विशिष्ट के साथ-साथ उद्योग स्तर के अध्ययन तथा उत्पादों के लिए उचित मूल्यों/दरों तथा सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों, इन प्रभारों के पुनर्विलोकन के लिए सिफारिशें करना तथा प्रभारित मूल्यों, शुल्क संरचना आदि की तर्कसंगतता का भी निर्धारण करना।
 - 5 अधिगृहीत व्यवसाय की परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का मूल्यांकन।
 - 6 लागत/वित्तीय तथा मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों के संबंध में सरकार/विभिन्न विभागों द्वारा गठित समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में कार्य करना।
 - 7 औद्योगिक उपक्रमों की लागत एवं निष्पादन लेखापरीक्षा।
 - 8 उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा निर्धारित यूरिया निर्माणकारी एककों के वृद्धिदावों की समवर्ती आंतरिक लेखापरीक्षा।
 - 9 सब्सिडी से होने वाली हानि तथा दावों का सत्यापन।
- विभागीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के लिए लागत लेखा प्रणाली।
- 10 अधिसमय और अधिलागत, दक्षता एवं प्रतिस्पर्धा संबंधी अध्ययन।
 - 11 मूल्य निर्धारण के विवादों को सुलझाने में विवाचक।
 - 12 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रयोजन से कटौती दर के निर्धारण संबंधी मामलों पर सलाह।

जनवरी, 2008 से मार्च 2009 के दौरान मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय द्वारा 78 अध्ययन/रिपोर्ट पूरी कर ली गई थीं वर्ष के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों का स्वरूप काफी अलग अलग है। अंतः इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है:

(1) समितियों के सदस्यों के तौर पर लागत एवं प्रबंधन सलाह

- (क) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए पेट्रोलियम उत्पाद संबंधी तेल विपणन कंपनियों का वसूली के अधीन अध्ययन।

- (ख) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और मूल्य-निर्धारण संबंधी मुद्दे - 31 मार्च, 2002 के बाद शुरू हुए नए एल.पी.जी. बॉटलिंग संयंत्र हेतु सब्सिडी दर की मंजूरी।

(2) प्रणाली अध्ययन

नासिक, गंगटोक, कोराट्टी, शिमला, सांतागाची (हावड़ा), मायापुरी और राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालयों के संबंध में लागत-निर्धारण की प्रणाली की समीक्षा और प्रति घंटा सामान्य दर एवं ऊपरी व्यय प्रतिशतता का नियतन।

(3) एकल निविदा आधार पर या सीमित खोतों से खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं का उचित मूल्य

- (क) एकल निविदा प्रणाली के तहत वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेशन एवं एपेक्स सोसाइटीज ऑफ हेंडलूम (ए.सी.ए. एस.एच.) द्वारा आपूर्तित हथकरघा सूती दरियों (बेड दरियां) के अंतिम/उचित मूल्यों का निर्धारण।

- (ख) फॉरस्ट अटैक क्राफ्ट (एफ.ए.सी.) - सी.बी. 90 एच. की कीमत का विश्लेषण।

(4) उत्पादों/सेवाओं, जहां सरकार उत्पादक/सेवा प्रदाता तथा उपभोक्ता दोनों है, का उचित बिक्री मूल्य

- (क) भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय नासिक द्वारा वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए तथा सुरक्षा मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए उत्पादित एवं डाक विभाग को आपूर्तित डाक संबंधी स्टेशनरी की मदों की उत्पादन लागत और उनका उचित बिक्री मूल्य।

- (ख) वर्ष 2008-09 के लिए सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर, ग्वालियर की आंसू गैस इकाई (टी.एस.यू.), द्वारा उत्पादित आंसू गैस सामग्री का उचित मूल्य।

(5) अन्य की ओर से सरकारी विभाग/एजेन्सी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए सेवा-प्रभारों का निर्धारण

- (क) वर्ष 2003-04 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में आलू, वर्ष 2007 के दौरान मिजोरम में मदनमस्त फल, 2007 के दौरान मिजोरम राज्य में अदरक, 2007-08 के दौरान मिजोरम राज्य में बर्डस आई चिली के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) के दावों की जांच।

- (ख) खरीफ, 2003 के लिए गिरी, सूरजमुखी बीज, कुसुम बी, रबी 2004 के लिए चना, रबी 2005 के लिए तोरिया, रबी 2005 के लिए मसूर, खरीफ 2005 और 2006 के लिए सीसम बीज, खरीफ 2006 के लिए सोयाबीन, रबी 2005 के लिए कपास, खरीफ 2004 के लिए उड़द, खरीफ 2004 के लिए मूंगफली हेतु मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) के दावों की जांच।

- (ग) बिक्रीकर देयता के कारण सरसों बीज रबी 2001 हेतु पी.एस.एस. ऑपरेशन के लिए नेफेड का अतिरिक्त दावा।

(6) सब्सिडी का निर्धारण

- (क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा देय उत्तर रेलवे के सब्सिडी संबंधी दावे का निर्धारण।
- (ख) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए संसद आवास परिसर में कार्यरत उत्तर रेलवे भोजन-प्रबंधन इकाई को देय सब्सिडी।

(7) विभागीय विनिर्माण करने वाली इकाइयों के मामलों में प्रोद्भवन लेखांकन सिद्धांतों पर तुलन-पत्र

वर्ष 2007-08 के लिए सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर के तुलन-पत्र एवं आय-व्यय के लेखे तैयार करना।

(8) एफ.आई.सी.सी. द्वारा अदा किए गए एस्कालेशन दावों की समवर्ती लेखापरीक्षा

वर्ष 2008 के दौरान विभिन्न उर्वरक कंपनियों की समान भाड़ा दर/एस्कालेशन दावे की समवर्ती लेखा परीक्षा के संबंध में 20 रिपोर्ट जारी की गई थी।

(9) विविध अध्ययन

- (1) बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एम.एम.आई.सी.) की उचित लागत/मूल्य सुनिश्चित करना।
- (2) भारतीय रेलवे को सप्लाई करने के लिए विभिन्न इकाइयों द्वारा रेलवे वैगनों के विनिर्माण हेतु इस्तेमाल में आने वाली बोगियों की उत्पादन-क्षमता।
- (3) रेलवे को बी.ई.एम.एल. द्वारा एस.जी. जी.एस.सी.एल. कोचों पर आने वाली लागत की जांच।
- (4) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता प्रभारों/ शुल्क की समीक्षा।
- (5) डी.डी.टी. (टी) और डी.डी.टी. (एफ) और माल (टी) का 2006-07 के लिए दर निर्धारण और 2007-08 के लिए अनंतिम मूल्य।
- (6) गैर-कर राजस्व - पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के लिए शुल्क की समीक्षा।
- (7) वर्ष 2004-05 के लिए सी.डब्ल्यू.सी. को एफ.सी.आई. द्वारा देय भण्डारण प्रभारों का परिशोधन।
- (8) मूल्य-निर्धारण अवधि 2007-08 और 2008-09 के लिए सी.जी.एच.एस. औषधालयों को मैसर्स आई.एम.पी.सी.एल. द्वारा आपूर्ति आयुर्वेदिक/यूनानी दवाइयों के मूल्यों की जांच।
- (9) केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, सी.आर.आई. कसौली में किए गए विभिन्न परीक्षणों हेतु प्रयोगशाला परीक्षण प्रभारों का निर्धारण।
- (10) हाइड्रोजन फैक्ट्री, आगरा इण्डिया मिटियोलोजिकल विभाग के लिए ऊपरी प्रभार।
- (11) वर्ष 2008-09 के लिए फिल्म डिवीजन हेतु फिल्म प्रसंस्करण दरों का निर्धारण।
- (12) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) की विज्ञापन दरों में संशोधन।

प्रमुख समितियों का प्रतिनिधित्व

मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय के अधिकारियों ने वाणिज्यिक लेखांकन में दक्षता के कारण निम्नवत मुख्य बहु-विषयक अंतःमंत्रालयी/विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में सेवा की है:

- (1) पैनल में शामिल टी.वी./रेडियो चैनलों की दरों के नियतन के माध्यम से निजी चैनलों को व्यापक रूप से पैनल में शामिल करने के लिए एम्पैनलमेंट सलाहकार समिति (ई.ए.सी.)।
- (2) डी.सी.आई. को अदा की जाने वाली राशि का निर्धारण करने के लिए समिति-सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना (एस.एस.सी.पी.) का कार्यान्वयन - तलमार्जन संविदा दिया जाना।
- (3) राष्ट्रीय औषधीय मूल्यांकन प्राधिकरण, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग।
- (4) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.) फरीदाबाद, का गवर्नर मंडल और सोसाइटी।
- (5) उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर में कटौती के संबंध में सलाहकार समिति - राजस्व विभाग।
- (6) आंसू गैस इकाई, बी.एस.एफ., टेकनपुर का अधिशासी निकाय।
- (7) अधिसमय एवं अधिलागत की जिम्मेदारी तय करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित स्थाई समितियां।
- (8) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति, उर्वरक विभाग।
- (9) बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत कृषि जिनसों की अधिप्राप्ति पर विचार करने के लिए समिति।
- (10) भारतीय सर्वेक्षण विभाग की सेवाओं एवं उत्पादों के मूल्य/लागत निर्धारण का अध्ययन करने के लिए समिति।
- (11) पेटेंट कार्यालय, पेटेंट महानियंत्रक, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में कार्यों के व्यापक कम्प्यूटरीकरण हेतु सी - डैक के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए समिति।
- (12) विभिन्न उत्पादों के संबंध में कंपनी कार्य विभाग द्वारा बनाए गए लागत लेखा नियमों के प्रारूप की जांच करने के लिए गठित सलाहकार समिति।
- (13) स्टाम्प एवं पंजीकरण के राज्य सचिवों की स्थायी समिति।
- (14) विभिन्न टकसालों एवं मुद्रणालयों के लिए एक समान लागत निर्धारित करना एवं प्रोफार्मा तैयार करने के लिए समिति।
- (15) पी.एस.यू. तेल विपणन कंपनियों की वसूलियों के अधीन मुद्दों की जांच-समिति।
- (16) भारत सरकार के मुद्रणालयों हेतु मसौदा लेखांकन मैनुअल में वर्णित विभिन्न नीतियों तथा प्रक्रियाओं के गहन अध्ययनों के लिए समिति।
- (17) प्रेषण बिन्दु तक डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग ऑपरेशन में स्टॉक हानियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन।
- (18) भारत सरकार में एक समान लागू आंतरिक लेखापरीक्षा मानकों को बनाने की दिशा में प्रक्रिया शुरू करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पर समिति।

- (19) सैनिक फार्मों की मौजूदा लेखांकन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ लेखांकन समिति।
- (20) हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशक (डी.जी.एच.) के कार्यालय को अपने कामकाज में अधिक स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने के लिए उपायों को सुझाने के लिए सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत) की अध्यक्षता में समिति।
- (21) कॉमनवेल्थ युवा खेल, 2008, पुणे और कॉमनवेल्थ खेल, 2010, दिल्ली के संबंध में ए.एस.एवं एफ.ए., सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति।
- (22) डी.ए.वी.पी. की विज्ञापन दरों की समीक्षा करने के लिए ए.एस.एंड एफ.ए., सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में दर संरचना समिति।
- (23) सभी बकाया मुद्दों और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित जूट उद्योग की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए त्रिपक्षीय समिति।

9. मुख्य लेखा नियंत्रक

मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए) मंत्रालय के लेखांकन संगठन का समग्र प्रभारी है, जिसकी सहायता के लिए तीन लेखा नियंत्रक, दो उप लेखा नियंत्रक, 36 वरिष्ठ लेखा अधिकारी वेतन एवं लेखा अधिकारियों तथा विभिन्न स्तरों पर लगभग 300 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य संक्षेप में निम्नवत हैं:

- मुख्य लेखा नियंत्रक वित्त मंत्रालय के पांच विभागों यथा आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, विनिवेश विभाग एवं वित्तीय सेवा विभाग की अदायगियों, लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यों को देखता है।
- मुख्य लेखा नियंत्रक का एक और महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग है। वित्त मंत्रालय के लिए मासिक लेखों और वार्षिक लेखों को समेकन हेतु महालेखा नियंत्रक के कार्यालय को भेजता है।
- लेखों के विभागीकरण की स्कीम के लिए प्रबंधन लेखों की प्रणाली पर विचार किया गया है। मुख्य लेखा नियंत्रक प्रत्येक विभाग के सचिवों को सूचना के लिए आय और व्यय की मासिक और त्रैमासिक समीक्षा तैयार करता है। संक्षिप्त विवरणों को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड (डाला) किया गया है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य लेखा नियंत्रक का है। वित्त मंत्रालय में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (स्कंध) सभी डी.डी.ओ., संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक भविष्य निधि, विशेष जमा स्कीम और वरिष्ठ नागरिक जमा स्कीम जैसी सरकारी स्कीमों का रख-रखाव करने वाले बैंकों सहित सभी की लेखापरीक्षा को भी शुरू किया है। आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार में लगभग 130 डी.डी.ओ. हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 50 लेखापरीक्षा शुरू किए गए हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा ने 2007 से जोखिम पर आधारित एक लेखापरीक्षा प्रविधि को भी अपनाया है।

9.2 केन्द्र से राज्य को निधियों के अंतरण का मॉनिटरिंग

मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को विधानमंडलों के साथ राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को धन राशियां जारी करने का मुख्य उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इनमें करें, ऋणों एवं अनुदानों का अंतरण,

राज्य प्रतिभूतियों में एन.एस.एस.एफ. से लघु बचत संग्रहों का निवेश शामिल है। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों, चाहे वे ऋणों, अनुदानों और/अथवा निवेश को वित्त मंत्रालय के अंतरणों से संबंधित समग्र डाटाबेस को कम्प्यूटरीकरण किया गया है। ऋण अनुदानों और निवेश (एल.जी.आई.) को इन जारी की गई धनराशियों की मानीटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। राज्यों से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैदा स्कीमवार जारी धनराशियों और पुनर्अदायगियों को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। इससे राज्य सरकारें और अन्य स्टेक होल्डर निम्न ढंग से समर्थ होंगे:-

- इसमें वित्त मंत्रालय के समस्त विभाग पोर्टफोलियो वेबसाइट पर दिए गए हैं।
- राज्यों को जारी की गई (स्कीमवार/राज्यवार) मासिक निर्मुक्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट शामिल हैं।
- पूरे वर्ष (माहवार/ऋणवार) के लिए राज्यों की अनुसूचीगत पुनर्अदायगियां।
- राज्यों की वास्तविक पुनर्अदायगी के साथ-साथ उनकी अनुसूचित पुनर्अदायगियां।
- ऋण विनिमय स्कीम के अंतर्गत राज्यों के द्वारा प्रभावित पुनर्अदायगी।
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर राज्यों के बकाया अधिशेष (बाजार दर वार/ऋण वार)।
- पी.डी.एफ. फोरमेट में डाउनलोड मंजूरियों की प्रतिलिपियां और आई.जी. सूचना।
- एफ.वाई. 2004-05 के बाद से वेबसाइट अनुप्रयोग पर पूरी तरह से सत्यापित और संगत आंकड़े उपलब्ध हैं।

9.3 आंतरिक ऋण का मॉनिटरिंग

मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय सरकारी प्रतिभूतियों और बांडों की प्रवाहशील पूंजी के माध्यम से उत्पन्न भारत सरकार के आंतरिक ऋण का काम भी देखता है तथा 15 भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाओं और सी.ए.एस., नागपुर द्वारा सूचियों (स्करोल)/क्लियरेंस के माध्यम से सूचित करता है। सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक स्कीम आदि जैसी सरकारी स्कीमों से संबंधित लोक लेखों में सभी प्राप्तियों एवं निकासियों का भी इस कार्यालय द्वारा परिकलन किया जाता है। आंकड़ों का इंदराज और मासिक लेखों के संग्रहण के प्रयोजन के लिए, जिनका 2003-04 से प्रयोग हो रहा है, के लिए 'आंतरिक ऋण मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर' नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके द्वारा तैयार की गई विभिन्न प्रबंधन रिपोर्टें विभिन्न आंतरिक ऋण दस्तावेजों (साधनों) के लिए पुनर्अदायगी एवं ब्याज अदायगी हेतु बजट का सही अनुमान करने में बहुत प्रभावी हो सकती हैं। वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर इसको डालने से पूर्व सॉफ्टवेयर के सभी माड्यूल (मांपाकों) को स्थायी करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (भारतीय रिजर्व बैंक), बजट प्रभाग और यह मंत्रालय आनलाइन समाधान करने में समर्थ हो सकेंगे।

मुख्य लेखा नियंत्रक (वित्त) को विशेष जमा स्कीम- 1975 से संबंधित बकाया अधिशेषों को समन्वित करने का कार्य सौंपा गया है। इस दिशा में यथेष्ट प्रगति हुई है और भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक को उनके द्वारा दिए गए अंतिम आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए कहा गया है। समाधान प्रक्रिया के इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

9.4 भारत में बसे अन्य देशों के कुछ पेंशनभोगियों की अदायगी

मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को मुख्यता श्रीलंका, बर्मा और पाकिस्तान के विदेशी पेंशनभोगियों को अदा की जा रही पेंशन की प्रतिपूर्ति और लेखांकन का कार्य सौंपा गया है। मुख्य लेखा नियंत्रक ने उच्चायोगों और विदेशी देशों के अन्य प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर बातचीत द्वारा अदायगी और प्रतिपूर्ति को कारगर बनाने के लिए शुरुआती प्रयास किए हैं।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कुछ अन्य विशेषीकृत कार्यों को भी प्रतिपादित किया गया है:

- वित्तीय संस्थानों को ऋण जारी करना तथा ऋणों की पुनर्अदायगी का मानीटरन
- विदेशी सरकारों को दिए गए ऋणों का लेखांकन
- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम (सी.जी.ई. जी.आई.एस.) के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों की कुल प्राप्तियों और अदायगियों के समेकित लेखों को तैयार करना तथा बचत निधि और बीमा निधि से ब्याज की गणना
- भारत सरकार के कर्मचारी निरीक्षण एकक की समग्र देखभाल और अधीक्षण महालेखा नियंत्रक की जिम्मेदारी है
- बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण जारी करना तथा ऋण पुनर्अदायगी पर नजर रखना
- विदेशी सरकारों को दिए गए ऋणों का लेखांकन
- टकसाल लेखों को तैयार करना
- केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यिक विभागों में पूंजी परिव्यय पर ब्याज की औसत दर की गणना
- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों की कुल प्राप्तियों और अदायगियों के समेकित लेखों को तैयार करना तथा बचत निधि और बीमा निधि के ब्याज की गणना
- सभी ऋण वसूली अभिकरणों, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना अपीलीय प्राधिकरण, वित्त आयोग आदि को भुगतान करना
- प्रतिभूति शुल्क का प्रबंधन

10. महालेखा नियंत्रक

महालेखा नियंत्रक केन्द्र सरकार का शीर्षस्थ लेखांकन प्राधिकरण है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के लेखों के स्वरूपों के निर्धारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग कर रहा है।

मोटे तौर पर कार्य के आबंटन के अनुसार महालेखा नियंत्रक को सौंपे गए कार्य निम्नवत हैं:-

- संपूर्ण केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए सामान्य सिद्धांतों, लेखांकन के स्वरूप और प्रक्रिया से संबंधित नीति का निरूपण।

- सिविल लेखा संगठन का गठन करके केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों के भुगतान, प्राप्तियों और लेखा संबंधी मामलों में समन्वय एवं देखभाल करना।
- मंत्रालयों/विभागों में प्रबंधन लेखा प्रणालियों की शुरुआत करने में समन्वय एवं सहायता करना ताकि कुशल नकद प्रबंधन एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के जरिए सरकारी संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।
- सरकारी व्यय के वितरण एवं सरकारी प्राप्तियों के संग्रहण के लिए बैंकिंग व्यवस्था को शासित करना तथा संघ सरकार के नकद संतुलन के समाधान हेतु सेंट्रल बैंक के साथ पारस्परिक तालमेल बनाए रखना।
- केन्द्र सरकार के मासिक एवं वार्षिक लेखों को समेकित करना भारत सरकार द्वारा ठोस राजकोषीय नीति के निरूपण और कार्यान्वयन हेतु समग्र प्रयासों से ठोस राजकोषीय रिपोर्टिंग प्रणाली प्रस्तुत करना।
- भारतीय सिविल लेखा संगठन के भीतर दोनों पर्यवेक्षी एवं ऑपरेशनल स्तरों पर अपेक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, तैनाती और करियर प्रोफाइल प्रबंधन जैसे मानव संसाधन प्रबंधन, सुनिश्चित करना।

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, संघ सरकार के लेखों के मासिक और वार्षिक समेकन के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों, भुगतान, घाटे तथा इसके वित्तपोषित करने वाले साधनों की मासिक प्रवृत्ति का विस्तृत विश्लेषण प्रत्येक माह केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समय बीतने के साथ-साथ, दस्तावेज बजटीय अनुपालन के प्रबोधन और वित्तीय निर्णय लेने हेतु सहायक एम.आई.एस. संदर्भ के लिए एक अत्यंत उपयोग साधन के रूप में विकसित हो गए हैं। सार्वजनिक कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने के बारे में सरकार की नीति के साथ सामंजस्य रखने हेतु प्रतिमाह लेखा संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं। आंकड़े www.cgaindia.gov.in, <http://www.cgaindia.org> वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय वित्तीय वर्ष के पूरा होने के दो माह के भीतर भारत सरकार के अस्थायी लेखे भी तैयार करता है। चूंकि अस्थायी लेखों और अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के बीच बहुत मामूली सा अंतर दिखलाई पड़ता है। जिस व्यावसायिक दक्षता के साथ ये लेखे तैयार किए जाते हैं, उससे पिछले कुछ वर्षों से प्राप्त उच्चस्तरीय विशुद्धता के स्तर का पता चलता है।

वर्ष 2007-08 के लिए संघ सरकार वित्त और विनियोजन लेखे (सिविल) 20 फरवरी, 2009 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की संघ सरकार (सिविल) रिपोर्ट संख्या 1 के साथ रखे गए थे। एक प्रकाशन, जिसमें सरकारी प्राप्तियों और व्यय की विस्तृत और प्रमुख विशेषताएं निहित हैं, 'लेखा 2007-08 एक नजर में' नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया था और 20 फरवरी, 2009 को दोनों सदनों में माननीय सदस्यों को वितरित किया गया था।

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, रिजर्व बैंक की जमा पूंजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उंचतों के समाधान सरकारी लेनदेन अर्थात् सिविल एवं गैर-सिविल मंत्रालयों के रख-रखाव के लिए बैंकों को प्राधिकृत और प्राधिकृत बैंकों में बदलाव के काम को शुरु किया है। यह कार्यालय स्थायी समिति सिविल और गैर-सिविल मंत्रालयों/विभागों को अधिकृत बैंकों द्वारा सरकारी लेनदेन की देखभाल की समीक्षा के लिए शीर्ष समिति और निजी

क्षेत्र के बैंकों की बैठकें और विभिन्न बैंकों/मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त संबंधित मामलों की समीक्षा भी देखता है।

मानिटरिंग सैल प्रतिभूति संस्थानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मानिटरिंग करने के सक्रिय तौर पर लगा रहा है। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष प्रयासों के फलस्वरूप, मंत्रालय/विभागों द्वारा 118463.6 करोड़ रुपए की राशि के कुल 110997 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए। 30.04.2009 की स्थिति के अनुसार समग्र स्थिति यह है कि 68.78 प्रतिशत राशि की तुलना में 71.89 प्रतिशत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं।

10.2 आंतरिक लेखापरीक्षा का उत्कृष्टता केन्द्र

‘उत्कृष्टता केन्द्र’ को महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में स्थापित किया गया है जो संबंधित मंत्रालयों को आंतरिक लेखापरीक्षा के मामलों में तकनीकी सलाह और दिशानिर्देश उपलब्ध कराने और लेखापरीक्षा की सर्वोत्तम पद्धतियों की शेरिंग को सुसाध्य बनाने के लिए उत्तरदायी है।

पहले से जारी स्कीमों के लिए निष्पादन-परक लेखा परीक्षण और जोखिम आधारित लेखापरीक्षा करने का दायित्व निभाने में सक्षम तथा पूरी तरह से प्रखर व सचेत बनाने की दृष्टि से सिविल लेखा संगठन के समूह ‘क’, ‘ख’ तथा ‘ग’ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक-एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह प्रशिक्षण आई.एन.जी.ए.एफ. (इनगैफ) द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का पहला बैच अगस्त, 2008 में पूरा हो गया था और मध्य स्तर के कर्मचारियों के परवर्ती बैच का प्रशिक्षण जनवरी, 2009 में पूरा हुआ था। कई मंत्रालयों ने स्कीमों की जोखिम आधारित लेखापरीक्षा को अपने यहां शुरू किया है।

10.3 केन्द्रीय योजना स्कीमों की मानिटरिंग प्रणाली (सी.पी.एस.एम.एस.)

केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए एक व्यापक निर्णयक्षम अवलंबन तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से महालेखा नियंत्रक (सी.जी.ए.) द्वारा योजना आयोग की योजना लेखांकन तथा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन स्कीम के तहत केन्द्रीय योजना स्कीमों की एक प्रबंधन प्रणाली (सी.पी.एस.एम.एस.) शुरू की गई है। इसके कार्यान्वयन के प्रथम चरण में, इन स्कीमों को शासित करने वाले मंत्रालयों द्वारा निधियों के संवितरण के परिचालन के लिए सी.पी.एस.एम.एस. ने एक स्वीकृत आई.डी. प्रक्रिया स्थापित की है और इसे 01.04.2008 से परिचालित किया है।

सभी केन्द्रीय योजना स्कीमों की मानिटरिंग के लिए एक केन्द्रीय पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल संस्वीकृत आई.डी. को तैयार करने, संस्वीकृति आदेशों के मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक्स बिलों के तैयार करने में मदद करता है। यह प्रणाली विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत एजेंसीवार, स्कीमवार, राज्यवार जारी की गई धनराशियों पर उपभोक्ता आधारित रिपोर्टों को तैयार करने में मदद करता है। राज्यों को विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत जारी धनराशियों पर रिपोर्ट को स्थानीय आयुक्त (रिजिडेंट कमीशनर) के साथ शेयर किया गया है।

वर्ष 2009-10 से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले सभी अभिकरणों/संगठनों का पंजीकरण शुरू किया गया है। सभी कार्यान्वित अभिकरणों के एक केन्द्रीय आंकड़ा आधार को तैयार किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम (एन.सी.एल.पी.) के लिए निम्नतम कार्यान्वयन

स्तर की निधियों के अंतरण के मानीटर के लिए कर्नाटक और पंजाब राज्यों में घटकवार व्यय प्राप्त करने के लिए पायलेट (प्रस्तावों) को शुरू किया गया था।

केन्द्रीय योजना स्कीम मानिटरिंग प्रणाली ने मई, 2009 में न्यूयार्क (अमेरिका) में माइक्रोसॉफ्ट से वित्तीय सेवा डेवलपेर अवार्ड प्राप्त किया। यह एक सार्वभौमिक अवार्ड है जो अद्यतन प्रौद्योगिकी में विकास कार्य में उत्कृष्टता और इसे अपनाने और विस्तार करने के लिए दिया जाता है।

10.4. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

महालेखा नियंत्रक का सतत प्रयास रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों का विकास किया जाए ताकि आंकड़े एकत्र करने, उनका प्रसंस्करण करने, विश्लेषण करने और बहुविध उपयोगकर्ताओं की मूल्य वर्धित सेवाओं की प्रस्तुति में संगठन की प्रमुख शक्ति को बढ़ाया जा सके।

कॉम्पेक्ट: का विकास संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों में उपयोग हेतु किया गया है। कॉम्पेक्ट बजटीय प्रावधानों और प्राप्तियों, जी.पी.एफ. खातों के रख-रखाव, पेंशन/उपदान को प्राधिकृत करने, बैंकों के साथ समायोजना तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय के तहत तेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी की ओर से लेखों को शामिल करने के संबंध में व्यय का अनुवीक्षण किया जाता है। सिविल मंत्रालयों के लगभग सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों में इसको पहले से ही क्रियान्वित किया जा चुका है।

कॉन्टेक्ट/कॉन्टेक्ट (ओ.आर.ए.): सभी मंत्रालयों के वेतन एवं लेखा कार्यालय अपने-अपने मंत्रालयों के प्रधान लेखा कार्यालयों में अपने लेखों को प्रस्तुत करते हैं, जहां कॉन्टेक्ट/कॉन्टेक्ट (ओ.आर.ए.) का प्रयोग करते हुए लेखों का समेकन होता है। सभी प्रधान लेखा कार्यालय मंत्रालय के लिए लेखों के समेकन हेतु इस, एप्लीकेशन्स का उपयोग करते हैं।

गेन्स (जी.ए.आई.एन.एस.): संघ सरकार के वार्षिक लेखों तथा वार्षिक वित्त और विनियोग लेखों के समेकन के लिए, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय ‘गेन्स’ पैकेज का प्रयोग करता है। विभिन्न लेखांकन सर्किलों से प्राप्त संकलित लेखे इस अनुप्रयोग का इनपुट (निवेश) है।

ई-लेखा: वेतन एवं लेखा कार्यालयों के लेखों को प्रतिदिन केन्द्रीय डेटाबेस में डालने की प्रक्रिया को सरल एवं सुसाध्य बनाने का अनुप्रयोग विकास के चरण में है। यह अनुप्रयोग लेखों के तीव्र संग्रहण, डाटाबेस (आंकड़ा आधार) के लगातार बने रहने और लेखांकन सूचना के और अधिक प्रभावी उपयोग को सुसाध्य बनाएगा। ई-लेखा ने आई.सी.टी. आधारित उत्कृष्ट प्रेक्टिस के अनुकरणीय समस्तर अंतरण के लिए ई-गवर्नेंस 2008-09 हेतु सिल्वर राष्ट्रीय अवार्ड जीता है।

महालेखा नियंत्रक का सूचना प्रौद्योगिकी स्ट्रैजी (नीति) में विचार के अनुसार मासिक वित्त और विनियोजन लेखों को स्वचालित तैयार करने को सुसाध्य बनाने के लिए कॉन्टेक्ट/कॉन्टेक्ट (ओ.आर.ए.) और गेन्स की रिपोर्ट को अब ई-लेखा में समाकलित किया जा रहा है।

वेबसाइट: इस कार्यालय की वेबसाइट www.cgaindia.gov.in केन्द्रीय सरकार के मासिक और वार्षिक विनियोजन और वित्त लेखों को दर्शाता है। यह सिविल लेखा संगठन में कार्मिक प्रबंधन, महत्वपूर्ण आदेशों और परिपत्रों, महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी नियमावली/प्रकाशन, महत्वपूर्ण

लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) के लिए परीक्षा परिणामों से संबंधित सूचना को भी दर्शाता है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोक्ताओं के लिए एक सपोर्ट वेबसाइट www.compact.gov.in भी तैयार की गई है।

संगठन में बेहतर आंतरिक नियंत्रणों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली भी विकसित की गई है। पेंशन मामलों के निर्धारण में प्रगति, सामान्य भविष्य निधि, विभिन्न ऋणों के अंतर्गत अधिशेष, जमा, उचित तथा प्रेषण शीर्षों तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित विभिन्न नियंत्रकों द्वारा महालेखा नियंत्रक के कार्यालय को आनलाइन पर प्रस्तुत किया और तदन्तर इसका विश्लेषण किया गया है।

10.5. परीक्षा सुधार

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा का संचालन करता है। इस परीक्षा के विनियमों और पाठ्यक्रम को अंतिम बार वर्ष 1984 में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2006 में उपर्युक्त परीक्षा के विनियमों तथा पाठ्यक्रम की कायापलट की गई थी तथा विस्तृत पुनर्वलोकन तथा कर्मचारियों के साथ परामर्श के बाद इसका नवीकरण किया गया था। अधिकतर प्रश्न पत्रों में व्याख्यात्मक और प्रायोगिक प्रश्नों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत की गई है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों की कम्प्यूटर दक्षता और तीक्ष्ण करने के लिए संशोधित विनियमों के अनुसार परीक्षार्थी को डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा संचालित सी.सी.सी. परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। संशोधित प्रणाली के तहत परीक्षार्थी को डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी के अधिकृत संस्थानों से 80 घंटों का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा, 2008 में 819 परीक्षार्थी बैठे थे, जिसमें से 181 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे। यह कार्यालय लेखा निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन और लक्षद्वीप प्रशासन जैसे अन्य संगठनों के लिए भी एक अलग सामान्य कनिष्ठ लेखा अधिकारी परीक्षा आयोजित करता है।

10.6. सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित किया गया है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रकट की गई सूचना को इस विभाग की वेबसाइट <http://www.cga.nic.in> पर डाल दिया गया है। आवेदनकर्ता को जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों को सख्ती से पालन किया जाता है।

10.7. शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान (इनगैफ)

शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान (इनगैफ) की स्थापना में महालेखा नियंत्रक के तत्वाधान में की गई थी। इसका पाठ्यक्रम वैविध्यपूर्ण बनाया गया है ताकि संगठन की परिवर्तनशील जरूरतों का तेजी से पता लगाया जा सके तथा वित्तीय प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, राजकोषीय एवं बजटीय सुधारों, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों के संपूर्ण दायरे में उच्चस्तरीय क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

मुख्य परिसर दिल्ली में अवस्थित है, तथा इसके मुम्बई, कोलकाता तथा चैन्नै में इसके तीन क्षेत्रीय केन्द्र उच्च तकनीक, मल्टी-मीडिया कक्षाओं और कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं से सुसज्जित हैं। इसके संकाय में अनुभवी

व्यावसायिकों का समर्पित दल शामिल है, जो यथार्थपरक शैक्षणिक विश्लेषण एवं दक्षताओं के साथ मार्गदर्शी प्रभावी क्रियाकलापों का सम्मिश्रण है एवं परिपूर्ण है। इसने पाठ्यक्रम विकास, शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर संयुक्त पहल के लिए अन्य उत्कृष्ट संस्थानों के साथ मिलकर पारस्परिक सहभागिता भी विकसित की है।

पाठ्यक्रमों के क्रम, प्रकार तथा उनकी संख्या संचालित किए जाने के संदर्भ में इनगैफ की भूमिका में पिछले दो वर्षों के दौरान नाटकीय तौर पर इजाफा हुआ है जिससे रूपांतरकारी तथा समर्थकारी परिणाम उत्पन्न हुए हैं। यह प्रवेश तथा आरंभिक स्तर पर प्रशिक्षण, मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर व्यावसायिक दक्षता उन्नयन संचालित करने के साथ प्रत्येक वर्ष तकरीबन 5000 प्रतिभागियों को कवर करता है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को सुसाध्य बनाने के लिए एक मल्टी-मीडिया केन्द्र की शुरुआत की गई है तथा ऑनलाइन शिक्षण के ले एक सक्रिय वेबसाइट विचाराधीन है। विडियो सम्मेलन सुविधा भी निर्माण की अवस्था में है। एक बार स्थापित हो जाए, तो यह चैन्नैई, कोलकाता तथा मुम्बई में क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अन्य भागीदार प्रशिक्षण संस्थानों के साथ संसाधनों को आपस में बांटने को सुविधाजनक बना देगा।

इनगैफ ने बहुत से सार्क देशों के साथ द्विपक्षीय प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की शुरुआत की है तथा सार्क क्षेत्र के भीतर और अधिक पारस्परिक मेलजोल के लिए एशिया के शासकीय लेखांकन संगठनों की एसोसिएशन (ए.जी.ए.ओ.ए.) के मंच के माध्यम से प्रयत्न कर रहा है। इनगैफ की अवस्थिति ए.जी.ए.ओ.ए. के सचिवालय से यह संस्थान साक्षात् सरोकार के मुद्दों को आपस में बांटने तथा संबोधित करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्यावसायिकों के साथ नेटवर्किंग में अहम भूमिका अदा कर रहा है। संस्थान आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.पी. संघ के 100 से अधिक सदस्य देशों के लिए प्रबंधन एवं बजटीय सुधारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन कर रहा है जिससे पूरे विश्व में सैकड़ों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2008-09 की क्रियाकलापों की कुछ विशिष्टताएं नीचे संलग्न हैं।

1. वर्ष के दौरान कुल 5,069 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया।
2. संस्थान आंतरिक लेखा-परीक्षक (आई.आई.ए.) तथा वित्तीय प्रबंधन अनुसंधान एवं संसाधन सोसाइटी (एफ.एम.आर.आर.एस.) के साथ भागीदारी में जोखिम आधारित लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रणों पर विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत।
3. सी.पी.एस.एम.एस., परियोजना वित्तपोषण तथा मूल्यांकन, परिणाम एवं जेंडर बजट, योजना स्कीमों हेतु लेखापरीक्षा तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसे क्षेत्रों में नए मॉड्यूलों की शुरुआत।
4. पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के कवर करने के लिए कार्यक्रमों की पहुंच में बढ़ोतरी।
5. राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से 1,009 प्रशिक्षुओं के लिए लेखांकन संबंधी विभिन्न सुधारों पर प्रायोजित कार्यक्रम।
6. कनिष्ठ लेखा अधिकारी (जे.ए.ओ.) (सिविल) उम्मीदवारों के लिए सुव्यवस्थित गहन अनुशिक्षण।
7. समूह 'घ' कर्मचारियों को शामिल करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम कक्षा।

8. निष्पादन आधारित बजटीय तकनीकों में सी.आई.एस. के विभिन्न देशों के 100 प्रतिनिधिमंडलों को प्रशिक्षित करने के लिए विश्व बैंक संस्थान के साथ उज्बेकिस्तान में भागीदारी की।
9. आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.पी. संघ द्वारा कवरित 100 देशों को इनगैफ प्रशिक्षण कक्षा का विस्तार करते हुए 43 देशों से आए 112 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।
10. ए.जी.ए.ओ.ए. सचिवालय तथा सार्क क्षेत्र में प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पहचान स्थापित की। ए.जी.ए.ओ.ए. भागीदारों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए तथा इस्लामाबाद, कोलम्बो और नई दिल्ली में आयोजित अनुभव भागीदारी कार्यक्रमों/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रारंभिक योगदान दिया।

11. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, जिसकी स्थापना 01.01.1990 को हुई थी, 'प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी सिविल पेंशनरों को पेंशन की अदायगी के लिए योजना' को अंजाम दे रहा है। इसके कार्यक्रमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:-

- विशेष सील प्राधिकरण (एस.एस.ए.) जारी करना
- अनुदान के अंतर्गत बजट तैयार करना और उसके पश्चात उसका लेखांकन करना
- बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतान की लेखापरीक्षा

सी.पी.ए.ओ. भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, केन्द्रीय सिविल पेंशनरों, अखिल भारतीय सेवा पेंशनरों, वृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलने वाली सुविधाओं के भुगतान से संबंधित कार्यों को देखता है। यह बर्मा एवं नेपाल के पेंशनरों के पेंशन भुगतान को भी डील करता है। केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय पेंशन बजट भी तैयार करता है।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने गत वर्ष के दौरान सभी पेंशन मामलों को निर्धारित समय-सीमा के निपटाने में भूमिका दक्षतापूर्वक निभाई। अप्रैल, 2008 तथा मार्च, 2009 के बीच इस कार्यालय ने पेंशन/संशोधन/विनिमय/स्थानांतरण/प्री-90 के 54,126 मामले निपटाए। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों में नई पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने समन्वय कार्यालय के रूप में भी कार्य किया है।

अप्रैल, 2005 से, केन्द्र सरकार ने ए.आई.एस. पेंशनभोगियों की पेंशन देनदारियों को अपने ऊपर लेने का निर्णय लिया है। जहां कहीं भी राज्य सरकारों ने पदनामित नोडल अधिकारियों को नामांकित किया है, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने ऐसे राज्यों के ए.आई.एस. पेंशन मामलों को प्राधिकृत करना शुरू कर दिया है।

पेंशन भुगतान तथा व्यय की मानिट्रिंग के दक्षतापूर्वक तथा जल्दी निपटान हेतु वर्ष के दौरान कई नए उपाय शुरू किए गए। इनमें केन्द्रीयकृत पेंशन निपटारे केन्द्र, ई-स्करोल्स की शुरुआत, पेंशन प्राधिकरण के फार्मेट तथा ई-पी.पी.ओ. की पुनर्डिजाइनिंग शामिल है। इसके अलावा, इनगैफ, नई दिल्ली के साथ सहयोग में, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने 'पेंशन

सुपुर्दगी में बढ़ोतरी' पर विशेषकर बैंकों तथा बैंक कर्मियों को लक्ष्य करते हुए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है।

सूचना का अधिकार अधिनियम इस कार्यालय में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस अधिनियम के तहत अपेक्षित सभी सूचनाएं इस कार्यालय की वेबसाइट <http://cpao.nic.in> पर उपलब्ध है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सूचना अधिकारियों को भी पदनामित किया गया है। सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जा चुके हैं तथा इसी संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन परिचालित किया जा चुका है। शुरु की गई नई पहलों से पेंशन भुगतान के सेवा निष्पादन में काफी सुधार आएगा। स्टेक होल्डर को शिक्षित करने के लिए पेंशन भुगतान प्रणाली पर एक ब्रोशर भी तैयार किया गया है।

11.2 केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय में ई-गवर्नेन्स गतिविधियां

सी.पी.ए.ओ. स्पष्टतया एक कम्प्यूटरकृत कार्यालय है। प्राधिकृत बैंकों को पेंशन का प्राधिकार और बजट तथा लेखा तैयार करना इसका मुख्य कार्य है। पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्राप्ति के तुरंत बाद ही मामले को डायरी कर उसे एक नया डायरी नं. दिया जाता है और संबद्ध प्राधिकारी अनुभाग को प्रविष्टि तथा सत्यापन के लिए भेज दिया जाता है। इसके पश्चात एस.एस.ए.) विशेष सील प्राधिकरण मुद्रित किया जाता है और विभिन्न बैंकों को भेजने के लिए प्रेषण शाखा में भेजी जाती है। उपर्युक्त सभी कार्य एक केन्द्रीय कम्प्यूटर जिसके टर्मिनल हरेक अनुभाग में उपलब्ध हैं, के द्वारा किए जाते हैं। प्रक्रिया के दौरान किसी भी अवस्था में सी.पी.ए.ओ. में प्राप्त हुए मामले की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। स्वागत कक्ष में स्थापित पूछताछ कम्प्यूटर से अपना पी.पी.ओ. नं. बताकर कोई भी पेंशनभोगी अपने मामले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने कॉम्पेक्ट, पारस ए.जी. प्रबंधन सॉफ्टवेयर तथा डाटावेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर भी कार्यान्वित किया है।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने एनआईसी की सक्रिय तकनीकी सहायता से अपनी वेबसाइट <http://cpao.nic.in> विकसित की है जिसकी शुरुआत 8 अक्टूबर, 2001 को की गई थी। यह वेबसाइट पेंशन भोगियों को उनके मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। वे केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से पूछताछ भी कर सकते हैं और उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर पेंशन संबंधी नए परिपत्र भी हैं और इन्हें संबंधित वेबसाइट पर जोड़ दिया जाता है।

12. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान

इस संस्थान की स्थापना प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं वित्तीय परामर्शदाता का कार्य करने, लेखा एवं लेखापरीक्षा, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में की गई है। जिन प्राथमिक उद्देश्यों के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई, वे निम्नलिखित हैं:-

- 1) वरिष्ठ तथा माध्यमिक स्तर पर पुनर्शिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ प्रतिभागी सेवाओं के समूह 'क' अधिकारियों के लिए अनवरत प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन करना।
- 2) उच्चतम स्तर की व्यावसायिक सक्षमता और व्यवहार को बढ़ावा देने

के लिए वित्तीय प्रबंधन संस्थान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में संस्थान स्थापित करना।

- 3) लेखा, लेखापरीक्षा, वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन और उससे संबंधित विषयों के क्षेत्र में अनुसंधान परामर्शदात्री अध्ययनों को आरंभ तथा बढ़ावा देना।
- 4) एसोसिएट सेवाओं/ केन्द्र/ राज्य सरकारों के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थानों के अधिकारियों के लिए वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन में शिक्षा को बढ़ावा देना।
- 5) अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा वित्त एवं लेखा विशेषकर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में शेष बचे कार्य में हुई प्रगति के संदर्भ में उसे अद्यतन करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने सरकार में उच्च स्तर के वित्त कार्यों को सही ढंग से निपटाने की दृष्टि से छह केन्द्रीय ग्रुप 'क' और लेखा सेवाओं के परिवीक्षाधीनों को 44 हफ्तों का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया है। यह प्रशिक्षण वित्तीय प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, मात्रात्मक तकनीकों तथा परियोजना प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है।

एन.आई.एफ.एम. केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा साथ ही विदेशों (विशेषकर सार्क देशों) के सेवारत अधिकारियों को व्यापार प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा के आयोजन से एकीकृत मिड-करियर व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन के समसामयिक मुद्दों तथा सार्वजनिक और निगमित अभिशमन में सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों से परिचय कराना है।

प्रबंधन विकास कार्यक्रम केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य स्तर से वरिष्ठ स्तर तक के अधिकारियों के लिए लघु-आवधिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। ये पाठ्यक्रम व्यवसायिक विकास के अवसर प्रदान कराते हैं, विचारों के आदान-प्रदान को सुसाध्य बनाते हैं, गुणकारी वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं तथा अन्य विविध क्षेत्रों से सरकारी कार्मिकों और वित्त प्रबंधकों तथा व्यावसायिक लोगों को एक साथ करीब लाते हैं।

यह संस्थान वित्तीय नियमों की समीक्षा, नकद लेखों को एकूअल प्रणाली में तबदील करने, बजटीय मैनुअलों के प्रापण को तैयार करने तथा अर्थव्यवस्था, दक्षता एवं प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए एक खाका सुझाने की दृष्टि से स्वायत्तशासी निकायों के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में परामर्श की पेशकश भी करता है।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है। सोसाइटी के साधारण निकाय के अध्यक्ष, भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसाइटी शासक मंडल की अध्यक्षता सचिव (व्यय) द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान तीन दीर्घ-आवधिक के कार्यक्रमों को चलाता है, नामतः परिवीक्षाधीनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम; व्यापार प्रबंधन (वित्त प्रबंधन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और शासकीय लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमा।

जनवरी, 1994 में इसकी शुरुआत से राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने

अब तक विभिन्न लेखा, लेखापरीक्षा तथा वित्त सेवाओं के पंद्रह बैचों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।

15वां व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो जनवरी, 2008 में आरंभ हुआ था, नवम्बर, 2008 के पहले सप्ताह में पूरा हो गया था। इस बैच में आई.आर.ए.एस. से 4 प्रतिभागी, आई.सी.ए.एस. से 1 प्रतिभागी, आई.डी.ए.एस. से 2 प्रतिभागी तथा 2 प्रतिभागी भारतीय पी. एंड टी. (वित्त एवं लेखा) सेवा से थे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के 10 परिवीक्षाधीन तथा राज्य लेखापरीक्षा संस्थान, ओमान के 3 अधिकारियों तथा रॉयल लेखापरीक्षा प्राधिकरण, भूटान से 2 अधिकारीगण ने 04.08.2008 से 29.08.2008 तक संलग्नकता हेतु राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान से जुड़े हैं।

09 परिवीक्षाधीनों के 16वें बैच का प्रशिक्षण 05 जनवरी, 2009 से शुरू हुआ। इसमें आई.सी.ए.एस. से 2 प्रतिभागी, आई.डी.ए.एस. से 4 प्रतिभागी तथा भारतीय पी. एंड टी. (वित्त एवं लेखा) सेवा से 5 प्रतिभागी हैं।

पाठ्यक्रम प्रायोगिक कार्यों पर यथेष्ट जोर देता रहा है। चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी संगठनों में अध्ययन दौरे भी इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं। परिवीक्षाधीनों को भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी के साथ संलग्नता के आधार पर तथा दो सप्ताह के भारत दर्शन पर भेजा जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, अनौपचारिक चर्चाओं तथा समसामयिक विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यानों का उद्देश्य व्यापक दक्षता विकास होता है।

12.2. व्यापार प्रबंधन (वित्त प्रबंधन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान वर्ष 2002 से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त एम.बी.ए. (वित्त) कार्यक्रम का संचालन कर रहा था। वर्ष 2005 में, ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित व्यापार प्रबंधन (वित्त प्रबंधन) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पहले के एम.बी.ए. (एफ.) कार्यक्रम का स्थान लिया। यह कार्यक्रम 24 जनवरी, 2005 में शुरू हुआ था।

यह चार सत्रों का कार्यक्रम है जिसमें प्रति सत्र 22 हफ्तों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे स्तरों में पहले तीन सेमेस्टर्स में कक्षागत अध्ययन शामिल है जबकि चौथे हफ्ते में प्रतिभागियों को एक प्रोजेक्ट पर कार्य करना होता है। प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान, आमतौर पर उन्हें लुबयाना विश्वविद्यालय के साथ सहायता में लुबयाना, स्लोवोनिया में अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्द्धन केन्द्र पर दो हफ्ते के सम्मेलन में भाग लेना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई का बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर दोनों में एक-एक सप्ताह का संलग्नता के आधार पर कार्य प्रशिक्षण का भाग है।

यह कार्यक्रम केन्द्र अथवा राज्य सरकारों, संघ शासित सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा राज्य/केन्द्र सरकार से संबंधित स्वायत्तशासी संगठनों अथवा इस प्रकार के विदेशी संगठनों आदि के साथ काम करने वाले मध्यम/वरिष्ठ स्तर के अधिकारी प्रतिभागियों अथवा केन्द्रीय वित्त एवं लेखा सेवा के एन.आई.एफ.एम. प्रशिक्षुओं के लिए खुला है।

केन्द्र/राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा प्रायोजित प्रतिभागियों हेतु कार्यक्रम शुल्क वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। प्रायोजित प्रतिभागियों के ले वेतन भत्ते का खर्च उनके अपने विभागों द्वारा उठाया जाता है।

पाठ्यक्रम वाणिज्यिक एवं शासकीय लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक वित्त, बजटन, प्रबंधन तकनीकों, परियोजना प्रबंधन तकनीकों जैसे क्षेत्रों के ज्ञान एवं विकास कौशल प्रदान करने और वित्तीय निर्णय लेने तथा एम.आई.एस. हेतु इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों के लिए तैयार किया जाता है। एक शैक्षणिक सलाहकार समिति कम से कम हर तिमाही में एक बार बैठती है और पी.जी.डी.बी.एम. (एफ.एम.) कार्यक्रम के निम्नलिखित पहलुओं पर निदेशक राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को अपनी सलाह देती है।

- पाठ्यक्रम
- संकाय विशेषता एवं विकास
- सभी शैक्षणिक क्रियाकलापों का सामान्य निरीक्षण

पी.जी.डी.बी.एम. (एफ.एम.) 2007-08 बैच

केन्द्र/राज्य सरकारों से नामित कुल 20 अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत 29.01.2007 को हुई।

बैच ने क्लासरूम सेगमेंट अर्थात् पहले, दूसरे, तीसरे सत्र पूरे किए तथा परीक्षा उत्तीर्ण की (परिणाम घोषित)। चौथा सत्र अभी चल रहा है, जिसमें प्रतिभागी अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं।

पी.जी.डी.बी.एम. (एफ.एम.) 2007-08 के प्रतिभागियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय एवं लेखांकन प्रणालियों में सुधार के क्षेत्र में एक्सपोजर के लिए सार्वजनिक उपक्रम संस्थान, हैदराबाद में 26-30 मई, 2008 तक एक सप्ताह के संलग्नता कार्यक्रम में भेजा गया।

पी.जी.डी.बी.एम. (एफ.एम.) 2007-08 कार्यक्रम की विवरण पुस्तिका में यथा प्रकाशित तथा माननीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित एन.आई.एफ.एम. तथा आई.सी.पी.ई., स्लोवेनिया के बीच हुए समझौते ज्ञापन के अनुसार प्रतिभागियों ने 23 जून, से 05 जुलाई, 2008 तक लुबियाना, स्लोवेनिया गणतंत्र में स्थित संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थन प्राप्त 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरप्राइजेज़ (आई.सी.पी.आई.)' में दो सप्ताह के संलग्नता/सेमिनार में भाग लिया। आई.सी.पी.आई. में हुए संलग्नता कार्यक्रम/सेमिनार में मौजूदा विश्वव्यापी बदलावों तथा शासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् वित्तीय प्रबंधन, आर्थिक कूटनीति, गुणवत्ता प्रबंधन, एस.डी.एम. के विश्वव्यापी पहलुओं आदि के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण के व्यापक पैकेज को कवर किया गया।

पी.जी.डी.बी.एम. (एफ.एम.), 2008-09 बैच

45 अधिकारियों के बैच के साथ कार्यक्रम की शुरुआत 28.01.2008 से हुई। 45 अधिकारियों में से 31 अधिकारी विशेष श्रेणी तथा बीमारु राज्यों के हैं। 12 अधिकारी केन्द्र सरकार तथा 2 अधिकारी स्व-वित्तपोषित श्रेणी के हैं। ये सीटें वित्त मंत्रालय की योजना स्कीम द्वारा वित्तपोषित होती हैं।

राज्य सरकारों के अधिकारियों के वित्तीय व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने की दृष्टि से एन.आई.एफ.एम. ने योजना आयोग से उपर्युक्त स्कीम के तहत इन सीटों को 15 से 100 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। सहभागी क्षमता को 15 से 100 तक करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तथा इसमें राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिभागियों के लिए 80 तथा केन्द्र सरकार के प्रतिभागियों के ले 20 सीटें होंगी।

पहले, दूसरे तथा तीसरे सत्र की कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं तथा परीक्षाएं भी ली जा चुकी हैं।

शैक्षिक मोड्यूल के घटक के रूप में, तीसरे सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने 18 से 22 अगस्त, 2008 तक एक सप्ताह की अवधि के लिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग (सी.ए.बी.), आर.बी.आई. पुणे कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें प्रतिभागियों को भारतीय वित्तीय प्रणाली, मनी मार्केट, आर्थिक नीति, आर.बी.आई. अधिनियम तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, ग्रामीण ऋणों की ओर भारत का रुझान, भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा रुझान, वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण, विदेशी मुद्रा बाजार, जोखिम प्रबंधन आदि पर एक्सपोजर मिला।

चौथे सत्र की कक्षाएं 01.12.2008 से शुरू हुईं।

इस सत्र के दौरान, प्रतिभागियों को 23.12.2008 से 27.12.2008 तक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज़ (आई.पी.ई.), हैदराबाद में एक सप्ताह के संलग्नता कार्यक्रम में सार्वजनिक उपक्रम प्रबंधन- नई रूपरेखा, भारतीय अर्थव्यवस्था की नई रूप-रेखा, सार्वजनिक उपक्रमों में उत्पादकता, परियोजना प्रबंधन, कूटनीति प्रबंधन, कूटनीतिक वित्तीय प्रबंधन, विलयन एवं अभिग्रहण, उपभोक्ता संबंध प्रबंधन, बिज़नेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग आदि पर एक्सपोजर मिला।

बिज़नेस मैनेजमेंट (वित्तीय प्रबंधन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के दो बैचों यथा 2005-06 तथा 2006-07 ने अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तथा दोनों बैचों के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। 16 जनवरी, 2009 को हुए दीक्षांत समारोह में दोनों बैचों के 29 तथा 21 प्रतिभागियों को डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

12.3. सरकारी लेखांकन तथा आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमा

एन.आई.एफ.एम. ने महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारियों/लेखा अधिकारियों के लिए सरकारी लेखांकन तथा आंतरिक लेखापरीक्षा (डी.जी.ए. एवं आई.ए.) में एक वर्ष का डिप्लोमा शुरू किया है। इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर अधिकारियों को डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का पहला बैच 02 जून, 2008 को शुरू हुआ जिसमें 31 अधिकारी थे। इस पाठ्यक्रम में 3 सत्र हैं, प्रत्येक सत्र चार माह का है। अंतिम सत्र में प्रोजेक्ट वर्क भी शामिल है। पाठ्यक्रम में ज्यादातर निर्दिष्ट कार्यों, व्यवहारिक अभ्यास और अध्ययन दौरों पर विशेष जोर दिया गया है। मार्च, 2009 के दूसरे सप्ताह तक कक्षा में पढ़ाई हुई तथा इसके पश्चात अधिकारियों ने प्रोजेक्ट वर्क किया। यह कार्यक्रम 29 मई, 2009 को समाप्त होगा।

12.4. प्रबंधन विकास कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. प्रत्येक वर्ष विभिन्न अवधियों के प्रबंधन विकास कार्यक्रमों (एम.डी.पीज़) का आयोजन करता है। वर्ष 2008-09 में एन.आई.एफ.एम. ने 1702 प्रतिभागियों को 58 कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जिससे 6.10 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ।

कार्यक्रम का फोकस निम्नवत क्षेत्रों पर था:-

- बजटिंग तथा सार्वजनिक व्यय प्रबंधन

- सरकार में लेखांकन प्रणालियां तथा वित्तीय प्रबंधन: वित्तीय विवरणों का विश्लेषण
- वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रापण, मानक नियमों तथा विश्व-बैंक की प्रक्रियाओं पर आशोधित कार्यक्रम
- संरक्षण अर्थव्यवस्था में राजकोषीय चुनौतियां
- निविदाएं और अनुबंध
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन
- अवसंरचनात्मक वित्तपोषण
- साइबर सुरक्षा
- व्यावसायिक कौशल विकास

इसके अतिरिक्त श्रीलंका के अधिकारियों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। सामान्यतः भारत सरकार इन कार्यक्रमों के लिए निधि देती है। इनमें से कुछ कार्यक्रम विभिन्न सरकारी विभागों, विदेशी सरकारों आदि द्वारा प्रायोजित होते हैं। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी

विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि संस्थान द्वारा आयोजित विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों को प्रायोजित करते हैं।

वर्ष 2008-09 में भारतीय आर्थिक सेवा, मणिपुर प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के परिवीक्षाधीनों के लिए चार कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें से प्रत्येक सेवा के परिवीक्षाधीनों के लिए एक-एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

12.5. 'व्यापार एवं प्रौद्योगिकी में विश्वव्यापी मुद्दों' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

'व्यापार एवं प्रौद्योगिकी में विश्वव्यापी मुद्दों' पर डी.बी.एम.ए., मैरीलैंड विश्वविद्यालय, अमेरिका तथा मॉर्डन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन्कोर्पोरेशन, अमेरिका के सहयोग से 31 जुलाई-01 अगस्त, 2008 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की सह-अध्यक्षता डॉ. जिएनैन एस. बॉयस, प्रोफेसर, मोन्टगोमेरी कॉलेज, अमेरिका द्वारा की गई तथा कार्यक्रम का संचालन डॉ. कमल नयन अग्रवाल, हॉवर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका तथा डॉ. दिनेश के. शर्मा, मैरीलैंड विश्वविद्यालय, पूर्वी छोर, अमेरिका द्वारा किया गया। उदघाटन भाषण श्रीमती रीता मेनन, अपर सचिव (व्यय) द्वारा किया गया।

तालिका 2.3

परामर्शी कार्य

क्र.सं.	परामर्शदाता का नाम	संगठन	स्थिति
1.	नया छावनी लेखा कोड तैयार करना	महानिदेशालय रक्षा संपदा रक्षा मंत्रालय	कार्य प्रगति पर है
2.	12वें वित्त आयोग अनुदानों के कारगर उपयोग का अध्ययन	वित्त आयोग प्रभाग वित्त मंत्रालय	पूरा हो चुका है
3.	भारतीय प्रतिभूति एवं टकसाल निगम लि. हेतु परामर्शदात्री परियोजनाएं	वित्त मंत्रालय	पूरा हो चुका है
4.	डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. (वैपकोस) के लिए परामर्शी परियोजना	जल एवं विद्युत परामर्श सेवा लिमि.	कार्य प्रगति पर है
5.	वित्त संरचना की पुनर्संरचना/शक्तियों का प्रत्यायोजन	आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली	कार्य प्रगति पर है
6.	लेखों के नए प्रारूपों को अपनाना	आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली	कार्य प्रगति पर है
7.	भारतीय कंपनी कानून सेवा का पुनर्गठन	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	पूरा हो चुका है
8.	आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों के प्रकार्यों का अध्ययन	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	पूरा हो चुका है
9.	नेक्सजैन संकाय की कार्यक्षमता में वृद्धि	नेक्सजैन इंडिया ल्यूशन्स लि., नई दिल्ली	कार्य प्रगति पर है
10.	कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 तथा कोयला खान भविष्यनिधि संगठन का पुनर्मूल्यांकन	कोयला खान भविष्यनिधि आयुक्त, धनबाद का कार्यालय	कार्य प्रगति पर है

कार्यक्रम को न केवल भारी संख्या में लेखों अपितु प्रतिभागियों के रूप में काफी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। प्राप्त कुल 143 लेखों में 109 लेखों को प्रस्तुतीकरण के लिए चुना गया जिनमें 12 अंतर्राष्ट्रीय लेख थे। इस सम्मेलन ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत में अपनी साख के साथ-साथ अपनी एक स्पष्ट पहचान बनाए रखने में एन.आई.एफ.एम. की मदद की।

12.6. सिल्वर ओक में मुद्रा के भविष्य पर एक दिन की कार्यशाला

03 जनवरी, 2009 को आई.सी.एस.आई. - एन.आई.आर.सी. ने एन.आई.एफ.एम. तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) के सहयोग से सिल्वर ओक में मुद्रा के भविष्य पर इंडियन हेबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री जितेश खोसला, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

डॉ. ए.एम. शैरी ने कार्यशाला की विषय-वस्तु के बारे में बताया और उसके पश्चात् श्री दिवेन्द्र मेहता, अध्यक्ष, आई.सी.एस.आई. - एन.आई.आर.सी. ने सभा को संबोधित किया। प्रतिभागियों को संबोधित करने वाले अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के नाम हैं- श्री महेश एल. सोनेजी, मुख्य परिचालन अधिकारी, बी.एस.ई., श्री जी.पी. गुप्ता, निदेशक, एन.आई.एफ.एम., श्री जितेश खोसला, श्री मनीश बंसल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ट्रेजरी, सिटी बैंक, मुम्बई।

संस्थान, फरीदाबाद में 42 एकड़ के हरे-भरे मैदान में फैला हुआ है। हरित क्षेत्र में वन क्षेत्र तथा क्रिकेट एवं फुटबाल मैदान शामिल हैं। सितम्बर, 2005 में एक आधुनिक खेल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ जिसमें बैडमिंटन, स्कॉश, बिलियर्ड्स, टेबल-टेनिस के लिए सुविधा प्राप्त है तथा इसमें एक आधुनिक व्यायामशाला भी है। एन.आई.एफ.एम. नियमित तौर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। जिसमें मुख्य आकर्षण बॉलीबाल का डायरेक्टर कप होता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक आडियो - विजुल उपकरणों से सुसज्जित 9 वातानुकूलित कक्षाओं में आयोजित किए जाते हैं। सम्मेलन कक्ष तथा बोर्ड रूम भी प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पूर्ण रूप से स्वचालित पुस्तकालय में 28,600 किताबें हैं तथा पत्रिकाएं हैं तथा 115 से अधिक भारतीय एवं विदेशी जर्नल हैं। पुस्तकालय डेलनेट का इस्तेमाल करता है जहां 100 से अधिक पुस्तकालयों का डाटा आनलाइन उपलब्ध रहता है। सूची तैयार करने के लिए पुस्तकालय में इन-हाउस सॉफ्टवेयर के अलावा बार कोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यहां तीन अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब हैं। लैब की सारी मशीनें लेन द्वारा जुड़ी हुई हैं। यूज़र नेम तथा पासवर्ड की सुरक्षा प्रणाली से लैस लैन द्वारा संपूर्ण डाटा ट्रांसफर को नियंत्रित करने के लिए पॉच पेंटियम सर्वर वाला एक पूर्ण-विकसित सर्वर-रूम मौजूद है। 24 घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए संस्थान के पास 256 के.बी.पी.एस. की इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों द्वारा 185 सीटों की ऑडिटोरियम तथा एम्फीथियेटर में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।

सारे कार्यक्रम आवासीय हैं, हालांकि कुछ दिल्ली में रहने वाले पी.जी.डी.बी.एम. (एफ.एम.) तथा एम.डी.पी.जे. के प्रतिभागी दिल्ली से आवागमन परसंद करते हैं। प्रतिभागी 182 कमरों के हॉस्टल जिसमें 104 वातानुकूलित कमरे, 6 वी.आई.पी. कमरे तथा एक एकजक्यूटिव हॉस्टल, जिसमें 12 विशेष कमरे हैं, में रहते हैं।

संस्थान में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 85 है, जिसमें 28 संकाय पद है वर्तमान में 11 संकाय पदों सहित 55 पद भरे हुए हैं।

स्टाफ को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में सामूहिक बीमा स्कीम तथा चिकित्सा सुविधाओं में इन-हाउस चिकित्सक तथा स्थानीय अस्पतालों से समझौता शामिल है। स्टाफ को आवास उपलब्ध हैं। एन.आई.एफ.एम. कैम्पस में 24 घंटे बिजली एवं पानी की आपूर्ति हेतु एक 650 के.वी.ए. के जनरेटर का बंदोबस्त है।

संस्थान में संकाय तथा स्टाफ के मनोबल एवं प्रेरणा के स्तर में वृद्धि के लिए कैरियर प्रोन्नयन स्कीम चलाई जाती है। रिक्रीएशन क्लब जिसके सदस्य संकाय तथा स्टाफ हैं, नियमित तौर पर सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करता है।

12.7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

जो सूचना (आर.टी.आई. अधिनियम के खंड 4 मद (1) से (17) संस्थान द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई जानी है वह सूचना सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए एन.आई.एफ.एम. की वेबसाइट www.nifm.ac.in पर दी गई है। सूचना में संगठन का ब्यौरा, प्रकार्य, ड्यूटी, अधिकार एवं परिलब्धियों सहित कर्मचारियों की सूची आदि शामिल हैं। एक केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अपीलीय प्राधिकारी, सूचना एकत्र करने का तरीका तथा शुल्क आदि जैसे अन्य संबंधित ब्यौरे भी वेबसाइट पर दिए गए हैं।

12.8. हिन्दी को बढ़ावा देना

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की नीति के अनुपालन में संस्थान में हिन्दी समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ संकाय सदस्य द्वारा की जाती है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो आदि द्वारा आयोजित हिन्दी टंकण, नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रशिक्षण के लिए स्टाफ को भेजा जाता है। 01.12.2008 से 05.12.2008 तक आयोजित एक सप्ताह के 'अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद' में प्रशिक्षण के ले स्टाफ के सदस्यों को भेजा गया था। एन.आई.एफ.एम. में 22 से 28 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसमें निबंध, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, हिन्दी में डिक्टेसन आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें संकाय, अधिकारियों, स्टाफ तथा प्रशिक्षण अधिकारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

13. सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

व्यय विभाग का हिन्दी अनुभाग, विभाग में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों अर्थात् सामान्य आदेश, संसदीय प्रश्नोत्तरों सहित सदन के दोनों पटलों पर रखी जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों और मंत्री महोदय के पत्रों, भाषणों आदि के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार के अनुवाद की व्यवस्था भी करता है।

विभाग में लगभग 98 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त है। इस विभाग में अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगभग 30 से 76 प्रतिशत तक सरकारी कामकाज हिन्दी में किया जाता है। हिन्दी टंकण/आशुलिपि न जानने वाले टंककों/आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण दिलाने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है और जिन अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें हिन्दी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों अर्थात् प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ के प्रशिक्षण में भेजा जाता है। विभाग में समय-समय पर हिन्दी

कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और इनमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 1200/- रुपए, 1000/- रुपए और 800/- रुपए के नकद पुरस्कार तथा 500/- रुपए का नकद प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है।

वर्ष के दौरान 30 जुलाई, 2008 को राजस्व एवं व्यय विभागों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं विनिवेश विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। उक्त बैठक में अपर सचिव, संयुक्त सचिव (कार्मिक) तथा अन्य अधिकारियों ने व्यय विभाग का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में माननीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा व्यय विभाग के 5 मैनुअलों के हिन्दी रूपांतर का विमोचन किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।

विभाग में हिन्दी प्रचार-प्रसार हेतु हिन्दी अनुभाग द्वारा नियमित रूप से 'व्यय पत्रिका' प्रकाशित की जाती है, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाली रचनाओं के लेखकों को क्रमशः 2000/- रुपए, 1500 रुपए तथा 1000 रुपए के नकद पुरस्कार और 500/- रुपए के 2 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा विशेष आमंत्रित लेख के लिए 2500 रुपए का मानदेय प्रदान किया गया। पत्रिका का नया अंक प्रक्रियाधीन है।

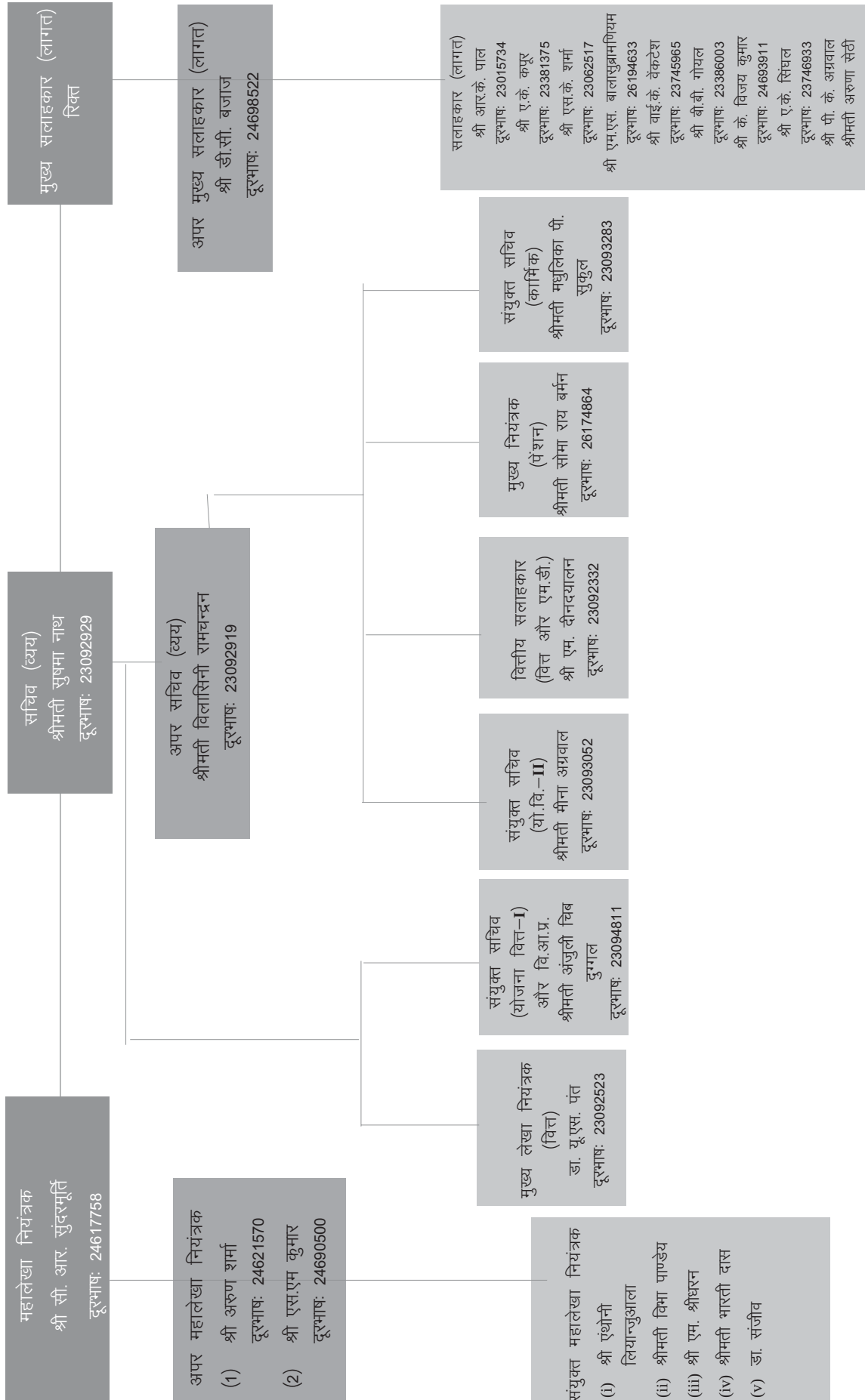
विभाग में 14 सितम्बर से लेकर 14 अक्तूबर 2008 तक हिन्दी माह मनाया

गया जिसमें पिछले वर्ष 11 प्रतियोगिताओं की तुलना में 13 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के कई अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में हिन्दी निबंध, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, हिन्दी कविता, हिन्दी आशुभाषण, श्रुतलेख तथा सुलेख, हिन्दी स्लोगन तथा गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए विशेष तौर पर आयोजित हिन्दी सामान्य ज्ञान और व्यवहार आदि शामिल थीं। इसके अलावा हिन्दी प्रश्न मंच तथा राजभाषा से संबंधित विषयों पर आयोजित संगोष्ठियां भी हिन्दी माह का विशेष आकर्षण रहीं। इन सभी प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र के साथ-साथ 5000 रुपए 3000/- रुपए तथा 2000/- रुपए के क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए तथा 1000-1000/- रुपए के दो नकद प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इसके अलावा, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) की हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन नकद पुरस्कार योजना के अधीन 2 कर्मचारियों को 1000/- रुपए का प्रथम तथा एक को 600/- रुपए का द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

हिन्दी अनुभाग द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान 8 अनुभागों और 1 अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनुभागों द्वारा कामकाज के दौरान आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए।

विभाग की वेबसाइट की मुख्य-मुख्य सामग्री को पहले ही द्विभाषी कराया जा चुका है।

व्यय विभाग का संगठनात्मक ढांचा



राजस्व विभाग

अध्याय III

राजस्व विभाग

1. संगठन और कार्यकलाप

1.1 राजस्व विभाग सचिव(राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रहण के कार्य किए जाते हैं जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष कर लगाने व संग्रहण से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आता है। ये दोनों कानूनी बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे। वर्तमान में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में 5 सदस्य हैं।

1.2 राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है:-

1. आयकर अधिनियम, 1961
2. धनकर अधिनियम, 1957
3. व्यय कर अधिनियम, 1987
4. बेनामी कारोबार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988
5. अधिलाभ कर अधिनियम, 1963
6. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964
7. अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना अधिनियम, 1974
8. वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 (प्रतिभूति कारोबार कर लगाने से संबंधित) का अध्याय VII
9. वित्त अधिनियम, 2005(बैंकिंग नकद संव्यवहार 2005-2006 कर से संबंधित) का अध्याय VII
10. वित्त अधिनियम, 1994(सेवा कर से संबंधित) का अध्याय ज
11. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले
12. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले
13. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955
14. केन्द्रीय बिजली कर अधिनियम, 1956
15. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

16. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
17. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976
18. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता हो)
19. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974; और
20. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

क्रम सं0 3, 5, 6 तथा 7 पर उल्लिखित अधिनियमों का प्रशासन उस अवधि से संबंधित मामलों तक सीमित है जब ये कानून प्रवृत्त थे।

1.3 यह विभाग निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों की देखभाल करता है:-

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय
2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय;
3. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो;
4. प्रवर्तन निदेशालय;
5. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो;
6. मुख्य कारखाना नियंत्रक;
7. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण;
8. आयकर समझौता आयोग;
9. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (समझौता आयोग);
10. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण;
11. आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण;
12. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण;
13. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति; और
14. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी।

तालिका 3.1

क्रम सं. कर की प्रकृति	वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली गई राशि (करोड़ रुपये में)		
	2007-2008 (मार्च, 2008 तक)	2008-2009 (मार्च, 2009 तक)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1. निगमित कर	1,92,911	2,15,056	10.84%
2. व्यक्तिगत आयकर	1,18,904	1,22,094	4.26%
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क।	1,23,611	1,09,786	-11.2%
4. सीमा शुल्क	1,04,119	99,687	-4.3%
5. सेवा कर	51,301	59,970	16.9%
कुल	5,90,846	6,07,233	2.77%

* वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उप करों की 1359 करोड़ रुपए की राशि शामिल है (संशोधित अनुमान : 2008-09)

15. भारत वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू-इंड)
16. आयकर लोकपाल
17. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपील अधिकरण
18. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण
- 1.4 गत वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली का तुलनात्मक ब्यौरा तालिका 3.1 पर दी गई है।
- 1.5 राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट पृष्ठ सं. 180 पर दिया गया है।

2. राजस्व मुख्यालय प्रशासन

2.1 राजस्व विभाग का मुख्यालय विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों से संबंधित मामलों, दोनों बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.बोर्ड तथा के.प्र. कर बोर्ड) के बीच समन्वय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक वह संघ के क्षेत्राधिकार में आता है), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन डी पी एस अधिनियम) तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण), अधिनियम 1976 (सफेम) (फोप) अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) के प्रशासन का कार्य करता है। यह निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों को संभालता है:-

- क) प्रवर्तन निदेशालय
- ख) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी ई आई बी)
- ग) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी।
- घ) मुख्य कारखाना नियंत्रक
- ड.) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो,
- च) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट)
- छ) समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (ए टी एफ पी)

- ज) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (सी सी ई एस सी)
- झ) आयकर समझौता आयोग (आई टी एस सी)
- ञ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (ए ए आर)
- ट) आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (ए ए आर)
- ठ) सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति (एन सी पी एस ई डब्ल्यू)
- ड) भारत वित्त आसूचना एकक - (एफ आई यू-आई इंड)
- ढ) आयकर लोकपाल
- ण) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपील अधिकरण
- त) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण
- महानिदेशक (सी ई आई बी) सीधे राजस्व सचिव को रिपोर्ट करते हैं। सचिव (एन सी पी एस ई डब्ल्यू) अध्यक्ष, के0प्र0कर बोर्ड के माध्यम से राजस्व सचिव को रिपोर्ट करते हैं।

2.2 मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों पर भी कार्य किया जाता है:-

1. निम्नलिखित की नियुक्ति

- क) के0उ0शु0एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा के0प्र0कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य
- ख) सम्पहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य
- ग) सीस्टेट के, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- घ) सी0शु0तथा के0उ0शु0 समझौता आयोग तथा आयकर समझौता आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- ड) सी0शु0/के0उ0शु0 तथा आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य
- च) प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक
- छ) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के महानिदेशक
- ज) सक्षम प्राधिकारी (सफेम (एफ ओ पी) अधिनियम तथा एन डी पी एस अधिनियम)

- झ) निदेशक (एफ आई यू-इंड)
- ज) आयकर लोकपाल
- ट) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य
- ठ) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित अपील अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य
1. राजस्व विभाग के अधीन आयोगों/समितियों की स्थापना करना
2. विभाग के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण और विदेशों में कार्य के लिए भेजना।
3. केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम अथवा किसी बोर्ड/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में भारतीय राजस्व सेवा/भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मामलों पर कार्यवाई करना।
4. सीमा शुल्क सहयोग परिषद, ब्रूसेल्स (बेल्जियम) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को वार्षिक अंशदान के भुगतान हेतु स्वीकृति जारी करना।

2.3 आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक

राजस्व विभाग के आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक ने प्रशासन में सुधार तथा कार्यकुशलता, स्वच्छता लाने के लिए और लागत में मितव्यता लाने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों के प्रसार हेतु नोडल एजेंसी के रूप में वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व विभाग के अंतर्गत संगठनों में प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास जारी रखे हैं। एकक ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग एवं व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार से निम्नलिखित क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखा :-

1. आदेश/अनुदेशों का संकलन और समेकन करना;
2. नियमों व विनियमों और मैनुअलों की समीक्षा;
3. आवधिक रिपोर्टें एवं विवरणों की समीक्षा;
4. रिकार्ड प्रबंधन;
5. अति विशिष्ट व्यक्तियों के लंबित मामलों के निपटान की प्रगति का अनुवीक्षण करना;
6. राजस्व विभाग में अनुभागों का वार्षिक निरीक्षण।

उपर्युक्त के अलावा विभाग के परिचयात्मक सामग्री का नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है। आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक ने विभाग के अनुभागों/शाखाओं को संगठन एवं प्रबंधन निरीक्षणों के दायरे में लाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। राजस्व विभाग में लंबित अति विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित संसद सदस्यों के संदर्भों के निपटान की प्रगति को विभाग में संबंधित अधिकारियों के साथ अपर सचिव (राजस्व) के स्तर पर मानीटर किया गया है। अति विशिष्ट व्यक्तियों/संसद सदस्यों से संबंधित संदर्भों की लंबित स्थिति को संकलित करके प्रत्येक पखवाड़े में वित्त राज्य मंत्री (राजस्व) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को परिचालित किया जाता है। इससे अतिविशिष्ट व्यक्तियों, संसद सदस्यों के बकाया मामले पर्याप्त रूप से कम हुए हैं।

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

3.1 संगठन एवं कार्य

3.1.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड) का कार्य सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगाने और उनकी वसूली करने से संबंधित नीति तैयार करना, तस्करी और शुल्कों के अपवंचन की रोकथाम करना और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क एवं सेवा कर कार्यालयों से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में नीति तैयार करना है। बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों नामतः सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालयों तथा निदेशालयों की सहायता से सौंपे गए अपने कार्यों को पूरा करता है।

3.1.2 सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (निवारक) जोन

देश भर में इस समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के 23 मंडल हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, भुवनेश्वर, शिलांग, लखनऊ, मेरठ, रांची, मुम्बई-I, मुम्बई-II, जयपुर, भोपाल, पुणे, नागपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, बैंगलूर, मैसूर, कोच्चि, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, चेन्नई और कोयम्बटूर इन मंडलों के अध्यक्ष मुख्य आयुक्त होते हैं।

सीमा शुल्क/सीमा शुल्क(निवारक) के 11 विशिष्ट मंडल हैं जिसके अध्यक्ष मुख्य आयुक्त होते हैं। ये हैं दिल्ली, मुम्बई-I, मुम्बई-II, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलूर, अहमदाबाद, दिल्ली सीमा शुल्क (निवारक), पटना सीमा शुल्क (निवारक), मुम्बई-III सीमा शुल्क, चेन्नई सीमा शुल्क (निवारक)।

3.1.3 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्तालय

देश भर में 94 आयुक्तालय हैं जो मुख्यतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगाने तथा उनका संग्रह करने का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ आयुक्तालय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सीमा शुल्क और तस्करी-रोधी कार्य भी देखते हैं। ये प्रादेशिक यूनितों के रूप में संगठित हैं जो आम तौर पर किसी राज्य अथवा महानगर क्षेत्र के आंशिक अथवा पूर्ण क्षेत्र में स्थित हैं।

ये 94 आयुक्तालय निम्नानुसार हैं:- दिल्ली-I, दिल्ली-II, दिल्ली-III (गुडगांव), दिल्ली-IV (फरीदाबाद), पंचकुला, रोहतक, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, जम्मू और काश्मीर, कोलकाता-V, कोलकाता-II, कोलकाता-III, कोलकाता-IV, कोलकाता-V, कोलकाता-IV, कोलकाता-VII, बोलपुर, सिलीगुड़ी, हल्दिया, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, शिलांग, डिब्रुगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ-I, मेरठ-II, गाजियाबाद, नोएडा, जमशेदपुर, पटना, रांची, मुम्बई-I, मुम्बई-II, मुम्बई-III, मुम्बई-IV, मुम्बई-V, थाने-I, थाने-II, बेलापुर, रायगढ़, जयपुर-I, जयपुर-II, भोपाल, इंदौर, रायपुर, पुणे-रू, पुणे-II, पुणे-III, गोवा, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर, वडोदरा-I, वडोदरा-II, वापी, सूरत-I, सूरत-II, दमण, अहमदाबाद-I, अहमदाबाद-II, अहमदाबाद-III, भावनगर, राजकोट, बंगलोर-I, बंगलोर-II, बंगलोर-III, मैसूर, मंगलोर, बेलगाम, कोचि, तिरुवनंतपुरम, कोजीकोड, हैदराबाद-I, हैदराबाद-II, हैदराबाद-III, हैदराबाद-IV, तिरुपति, गुंटुर, विशाखापट्टनम-I, विशाखापट्टनम-II, चेन्नई-I, चेन्नई-II, चेन्नई-III, चेन्नई-IV, पांडिचेरी, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सलेम, मदुरई, तिरुनेलवेली और गुवाहाटी।

3.1.4 सेवा कर आयुक्तालय:

मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद तथा बंगलूर में स्थित 6 विशिष्ट सेवा कर आयुक्तालय, दिनांक 14 सितम्बर, 2004 से कार्य कर रहे हैं।

3.1.5 सीमा शुल्क और सीमा शुल्क (निवारक) के आयुक्तालय

ये आयुक्तालय, जो कि कुल 35 हैं, देश भर में फैले हुए हैं। इन आयुक्तालयों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं-

- (क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबद्ध अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करना जिसमें उनके क्षेत्राधिकारों में सीमा शुल्क लगाना और संग्रहण करना तथा प्रवर्तन कार्य शामिल हैं।
- (ख) तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए तटीय और भू-सीमा की निगरानी करना। इन आयुक्तालयों को उनके तस्करी-रोधी कार्य और संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की निगरानी में मदद देने के लिए बोर्ड के पास मैरिन और दूरसंचार विंग उपलब्ध है।

सीमा शुल्क और सीमा शुल्क (निवारक) के 35 कार्यालय निम्नानुसार हैं:- दिल्ली (एयर कार्गो आयात एवं सामान्य) दिल्ली (आई सी डी), दिल्ली (एयर कार्गो निर्यात) मुम्बई (सामान्य), मुम्बई (निर्यात), मुम्बई (आयात), न्हावा शेवा (आयात एवं मुलुन्ड सी एफ एस), न्हावा शेवा (निर्यात) मुम्बई एयर कार्गो (आयात), मुम्बई एयर कार्गो (निर्यात), मुम्बई (विमानपत्तन), पुणे सीमा-शुल्क, कोलकाता (विमानपत्तन), कोलकाता (पत्तन), चेन्नई (विमानपत्तन एवं एयर कार्गो), चेन्नई पत्तन (निर्यात), चेन्नई पत्तन (आयात), बंगलूर, मैंगलूर, कोची, अहमदाबाद, कान्दला, विशाखापटनम, अमृतसर सीमा शुल्क(निवारक), जोधपुर सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली सीमा शुल्क (निवारक), पटना सीमा शुल्क (निवारक), लखनऊ सीमा शुल्क (निवारक), मुम्बई सीमा शुल्क (निवारक), तुतीकोरिन, तिरुचिरापल्ली, पश्चिमी बंगाल सीमा शुल्क (निवारक), कोलकाता, शिलांग सीमा शुल्क (निवारक) और जामनगर सीमा शुल्क (निवारक)।

3.1.6 अपील एवं कर वसूली मशीनरी

इस समय 54 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय (अपील), (आयुक्त सहित) (टी ए आर) और 6 सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) हैं। अपीलीय मशीनरी जिसमें आयुक्त (अपील) शामिल हैं, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा सेवा कर विधानों के अंतर्गत पारित आदेशों के खिलाफ अपील का कार्य देखते हैं।

3.1.7 आयुक्त (न्यायनिर्णयन)

इस समय अखिल भारतीय प्रसार और उच्च राजस्व मूल्य वाले मामलों का निर्णय करने के लिए 12 आयुक्त (न्याय-निर्णयन) के पद हैं। ये आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ सीमा शुल्क के मामले देखते हैं।

दिनांक 25.4.2005 से क्षेत्रीय कार्यालयों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में आयुक्त के छः पदों पर पुनः तैनाती की गई है।

3.1.8 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

प्रशासनिक और कार्यपालक कार्यों के निष्पादन में पुनर्गठित ढांचे में निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय बोर्ड की सहायता करते हैं-

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय
2. राजस्व आसूचना निदेशालय
3. निरीक्षण निदेशालय

4. मानव संसाधन विकास
5. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी
6. सतर्कता निदेशालय
7. प्रणाली निदेशालय
8. आंकड़ा प्रबंध निदेशालय
9. लेखा परीक्षण निदेशालय
10. रक्षोपाय निदेशालय
11. निर्यात संवर्द्धन निदेशालय
12. सेवाकर निदेशालय
13. मूल्यांकन निदेशालय
14. प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय
15. संभार तंत्र निदेशालय
16. विधिक कार्य निदेशालय
17. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय
18. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

इन निदेशालयों, मुख्य विभागीय प्रतिनिधि कार्यालय एवं केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के कार्य संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अपवंचन के संबंध में आसूचना एकत्र करना, संकलित करना तथा उसका प्रसार करना,
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के लिए सुभेद्य वस्तुओं के मूल्य ढांचे, विपणन पद्धतियों तथा वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना,
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में आयकर आदि जैसे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना,
- अंतर आयुक्तालय विस्तार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में जांच करना; और
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन की कार्यपद्धति के बारे में सलाह देना तथा हानियों को दूर करने की दृष्टि से उचित उपचारी उपायों, प्रक्रियाओं तथा प्रचलनों के संबंध में बोर्ड और आयुक्तालयों को सलाह देना।

2. राजस्व आसूचना निदेशालय

- तस्करी के बारे में आसूचना का अध्ययन एवं इसका प्रसार करना
- तस्करी के संगठित गिरोहों तथा तस्करी के लिए सुगम क्षेत्रों का पता लगाना, उनके विरुद्ध आसूचना एकत्र करना तथा उनकी गतिशीलता रोकना।
- आसूचना को एकत्र करने तथा अंतःआयुक्तालयों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले महत्वपूर्ण मामलों की गहराई से जांच करने के लिए भारत तथा विदेश में आसूचना तथा प्रवर्तन कार्यों में लगी एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना,

- संदिग्ध व्यक्तियों तथा निषिद्ध माल को पकड़ने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का सतर्क करना, तस्करी के सामयिक तथा संभावित तरीकों का अंदाजा लगाना,
 - मंत्रालय को तस्करी रोधी उपायों से संबंधित सभी मामलों में परामर्श देना तथा कमियों को दूर करने की दृष्टि से कानूनों, प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों को तैयार करना या इन्हें संशोधित करना, और
 - ऐसे अन्य सभी मामलों के बारे में कार्यवाही करना, जो मंत्रालय अथवा बोर्ड द्वारा निदेशालय को जांच के लिए सौंपे गए हों।
- 3. निरीक्षण महानिदेशालय (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)**
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नार्कोटिक्स विभागीय मशीनरी के पूरे देश में कार्य का अध्ययन करना और कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए दोषों को निरीक्षण द्वारा सुधारने के तरीकों का सुझाव देना और उनके सुचारु कार्य हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना।
 - यह देखने के लिए निरीक्षण करना कि क्या क्षेत्रीय कार्यालयों में सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं के अनुसार ही कार्य हो रहा है और प्रक्रियात्मक कमियों, यदि कोई ध्यान में आई हैं, के संबंध में सिफारिशें करना।
 - क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य में सुधार लाने के लिए तरीकों का सुझाव देना।

4. मानव संसाधन विकास महानिदेशालय

(क) कैडर प्रबंधन प्रभाग

- (1) विभाग के लक्ष्यों और अनुमान के अनुरूप मानव संसाधन योजनाओं को तैयार कर उनकी रूपरेखा बनाना;
- (2) भर्ती नियमावली में परिवर्तनों का विश्लेषण और उनका प्रस्ताव देना ;
- (3) विभिन्न पदों के लिए कार्यों का चार्टर तैयार करना और उनकी आवश्यक समीक्षा करना;
- (4) वार्षिक सीधी भर्ती योजना तैयार करने में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सहायता करना;
- (5) भर्ती नीति के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सहायता करना;
- (6) मानव संसाधन नीतियों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करना तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के दीर्घकालिक लक्ष्य को मानव संसाधन पद्धतियों और प्रक्रियाओं से जोड़ना और साथ ही पदों को एक कार्यात्मक क्षेत्र से दूसरे कार्यात्मक क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव देना ;
- (7) प्रशिक्षण, पदस्थापना, कौशल उन्नयन तथा उत्तराधिकार आयोजना हेतु मानव संसाधन सूचना प्रणाली को तैयार रखना;
- (8) अधिकारियों की पदस्थापना तथा स्थानांतरण के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को आंकड़ों की सहायता प्रदान करना ;

- (9) स्थानांतरण नीति पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना तथा आगे की कार्रवाई के लिए इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को भेजना ;
- (10) कैडर समीक्षा और बदलती आवश्यकताओं के संदर्भ में विभाग के पुनर्गठन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सहायता प्रदान करना ;
- (11) विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों की वरीयता सूची तैयार करने और रखने में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सहायता करना ;
- (12) अधिकारी संघों के साथ आवधिक विचार-विमर्श हेतु सांस्थानिक व्यवस्था का सृजन ;
- (13) प्रशासन संबंधी मामलों पर नियम पुस्तिका और संदर्भ साहित्य को तैयार करना; तथा
- (14) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुकरण की जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता/समरूपता लाने में बोर्ड को सहायता प्रदान करना।

(ख) निष्पादन प्रबंधन प्रभाग

- (1) वैयक्तिक निष्पादनों को देखने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को विकसित करना ;
- (2) जनशक्ति और अवसंरचना की कमी पर विचार करते हुए लक्ष्य निर्धारण के आधार पर संगठन, वर्ग और व्यक्तिगत पदों के लिए निष्पादन सूचकों का विकास ;
- (3) वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली और निष्पादन माप स्कीम आदि की रूपरेखा तैयार करना ;
- (4) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकनों को समेकित करना;
- (5) पुरस्कारों को निष्पादन के साथ जोड़ना और उपयुक्त पुरस्कार नीति की रूपरेखा तैयार करना;
- (6) सहायता प्राप्त करने और व्यक्तिगत निष्पादन की मानीटरिंग करने तथा जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करने हेतु 'बाहरी परामर्शदाताओं' के साथ संपर्क बनाना; तथा
- (7) एसीआर प्ररूपों की समीक्षा।

(ग) क्षमता निर्माण और स्ट्रेटेजिक विजन प्रभाग

- (1) सभी स्तरों पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाना;
- (2) मानव संसाधन विकास संबंधी मुद्दों के संबंध में सूचना का प्रसार;
- (3) डीजी, एनएसीईएन के परामर्श से सेवा अंतरालों (अर्थात् 6-9 वर्षों की सेवा, 10-16, 17-19 और 20-30 वर्षों की सेवा) पर देश के अंदर और बाहर स्थित संस्थाओं में अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना;

- (4) प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, सीधा प्रशिक्षण कौशल, प्रशिक्षण की रूपरेखाएं आदि के व्यावहारिक मॉडलों के विकास में मंत्रालय की सहायता करना तथा डीजी, एनएसीईएन के परामर्श से प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को नामित करना;
- (5) वर्तमान समय में एनएसीईएन द्वारा संचालित किए जा रहे बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर विदेशी प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की सिफारिश करना;
- (6) उर्ध्वगामी संबंधों (अनुक्रम के अंतर्गत) और महिला एवं पुरुष संबंधों सहित संगठनात्मक संबंधों के प्रबंधन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सहायता प्रदान करना;
- (7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण के लिए परिवर्तन का प्रबंधन;
- (8) स्ट्रैटेजिक विजन ग्रुप का गठन जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी एवं बाहरी विशेषज्ञ शामिल हों;
- (9) भावी विकासों का अनुमान बताना और उसके प्रति कार्य करने हेतु संगठन, कार्मिक एवं प्रक्रिया में परिवर्तनों का सुझाव देना; तथा
- (10) भारत सरकार की घरेलू निधियन स्कीम के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करने में मंत्रालय की सहायता करना;

(घ) कल्याण प्रभाग

- (1) कल्याण उपायों का पता लगाना और उनकी सिफारिश करना;
- (2) कल्याण कोष के शासी निकाय द्वारा निधियों की संस्वीकृति हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही करना;
- (3) कल्याण कोष और विशेष उपस्कर कोष के बीच निधियों के आबंटन के लिए संचार तंत्र निदेशालय तथा मुख्य सीसीए के निधि लेखा कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित करना;
- (4) अधिवर्षिता विशेष तौर पर मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक एवं वित्तीय पहलुओं के संबंध में सेवा निवृत्ति के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने और (सेवानिवृत्ति के लाभों का उचित प्रबंध करने के लिए एनएसीईएन और/अथवा बाहरी विशेषज्ञों के जरिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना);
- (5) सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों के कार्य अनुभव की विशिष्टता का ब्यौरा तैयार करना और उन्हें अनुशिक्षित करना तथा उन्हें अन्यमंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उनके संबंधित क्षेत्र के उपक्रमों में उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए उनकी आवश्यकताओं के बाबत परामर्श देना; और
- (6) कल्याण स्कीमों/उपायों के संबंध में सूचना का प्रसार करना।

(ड.) अवसंरचना प्रभाग

अवसंरचना संबंधी सभी मुद्दों पर विचार करना और अपने सुझाव/

अपनी सिफारिशें बोर्ड/बोर्ड के अंतर्गत संबंधित निदेशालय को आगे की कार्रवाई के लिए भेजना।

5. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा नार्कोटिक्स अकादमी

- (1) सीधी भर्ती वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देना तथा विभागीय अधिकारियों के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना ;
- (2) सीधी भर्ती वाले तथा विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण नीतियां तैयार करने में सहायता करना तथा अध्ययन संबंधी योजनाएं और पाठ्यक्रम तैयार करके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को कार्यान्वित करना;
- (3) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पड़ोसी देशों से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के अध्ययन दौरों की व्यवस्था करना।

6. सतर्कता निदेशालय

- (1) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता मामलों की मानीटरिंग करना;
- (2) संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की उचित निगरानी रखना; और
- (3) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व आसूचना एवं सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी महानिदेशालय के साथ घनिष्ठ तालमेल रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी कार्यक्रम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नार्कोटिक्स कार्यालयों के सभी आयुक्तालयों में क्रियान्वित किये जाएं।

7. और 8. पद्धति निदेशालय एवं डाटा प्रबंधन निदेशालय

(क) पद्धति निदेशालय

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हार्डवेयर अधिग्रहण करने, साफ्टवेयर का विकास और रखरखाव, कार्मिकों का प्रशिक्षण और कंप्यूटरीकरण संबंधी बजट व्यय मानीटर करने सहित सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं के सभी पहलुओं का ध्यान रखना।

(ख) डाटा प्रबंध निदेशालय

- (1) अप्रत्यक्ष करों से राजस्व वसूली संबंधी डाटा और सांख्यिकी एकत्र करना और समेकित करना और मंत्रालय और बोर्ड को बजट अनुमानों के पूर्वानुमान में सलाह देना; और
- (2) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राजस्व, बकायों, अधिग्रहणों, अदालती मामलों, आदि के संबंध में सांख्यिकीय बुलेटिनों, और सांख्यिकीय वार्षिकी के संकलन हेतु आंकड़े एकत्र करना।

9. लेखा परीक्षा निदेशालय

- (क) लेखा परीक्षा तकनीकों और प्रक्रियाओं के विकास और उनमें सुधार करने के विषय में निदेश देना;
- (ख) आवधिक समीक्षाओं द्वारा नई लेखा परीक्षा प्रणाली का प्रभावी और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- (ग) बाह्य एजेंसियों और विभाग के अंदर अन्य कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (घ) कर अनुपालन में सुधार के लिए उपाय सुझाना;
- (ड.) लेखा परीक्षा मानकों और निर्धारित संतुष्टि के स्तर का पता लगाना;

- (च) सही डाटा बेस विकसित करने के लिए नीति बनाना और साथ ही लेखा परीक्षा को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए लेखा परीक्षकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना;
- (छ) नीति निर्माण में बोर्ड को सहायता करना और सलाह देना और स्थानीय स्तर पर लेखा परीक्षा की योजना, समन्वय और निरीक्षण में मार्गदर्शन करना तथा कार्यकारी निदेश देना;
- (ज) संगत सूचना को एकत्र करना और उसका प्रसार करना; और
- (झ) ई.ए.2000 लेखा परीक्षा एवं संबंधित परियोजनाएं जैसे कि जोखिम प्रबंधन, सी.ए.ए.पी लेखा परीक्षा आदि को लागू करना।

10. रक्षोपाय निदेशालय

- (1) भारत में किसी वस्तु के बढ़ते हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे की मौजूदगी की जांच करना;
- (2) रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए वस्तु की पहचान करना;
- (3) विनिर्दिष्ट देश से किसी वस्तु के बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा के संबंध में निष्कर्षों, अनंतिम अथवा अन्यथा, को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना;
- (4) निम्नलिखित की सिफारिश करना;
- (1) शुल्क की उस राशि के संबंध में, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति के खतरे को हटाने के लिए पर्याप्त हो।
- (2) रक्षोपाय शुल्क लगाने की अवधि और जहां सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक हो वहां सकारात्मक सामयोजना को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त उत्तरोत्तर उदारीकरण की सिफारिश करना; और
- (ड.) रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना।

11. निर्यात संवर्द्धन निदेशालय

- (1) वास्तविक निर्यातकों को पेश आ रही कठिनाईयों से निपटने के लिए निर्यात की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्यात संवर्द्धन काउंसिलों के साथ बातचीत करना;
- (2) निर्यात से संबंधित संबंध एजेंसियों के साथ गहरे संबंध स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक निर्यातक बिना किसी कठिनाई के निर्यात योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें;
- (3) मासिक और त्रैमासिक विवरणियों जैसे कि परित्यक्त शुल्क विवरण, प्रतिअदायगी की अदायगी संबंधी विवरण और त्रैमासिक प्रति-अदायगी भुगतान विवरण के जरिए क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य-निष्पादन को मॉनीटर करना तथा इन सब की तुलना करना और उन्हें संकलित करना ताकि मंत्रालय नीति की समीक्षा कर सके ;
- (4) मौजूदा विधिक प्रावधानों/नियमों तथा प्रक्रियाओं की दक्षता की जांच संबंधी अध्ययन करना और किए जाने वाले परिवर्तनों के विषय में मंत्रालय को सुझाव, यदि कोई हो, देना;
- (5) संबंधित आयुक्तों द्वारा निर्धारित ब्रांड दरों की उत्तर लेखा परीक्षा करना और चयनित मामलों का स्वतंत्र रूप से अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों की सहायता से भौतिक सत्यापन करना।

- (6) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अंतर्गत अनुमत्य शुल्क मुक्त आयातों के चयनित मामलों की उत्तर लेखा परीक्षा करना, और

बोर्ड और बोर्ड के सीमा शुल्क-IV और एफ टी टी अनुभागों, जो कि शत- % ई.ओ.यू./ई.पी.जेड. इकाइयों/एस.ई.जेड इकाइयों तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी पार्कों और रत्नों और आभूषणों के निर्यात से संबंधित योजनाओं का कार्य देखते हैं, के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना।

12. सेवा कर निदेशालय

- (1) सेवा कर की वसूली और उसके निर्धारण पर निगरानी रखना
- (2) क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा कर के प्रशासन का अध्ययन करना और राजस्व वसूलियां बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना ;
- (3) कानून और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना ;
- (4) डाटा बेस बनाना; और
- (5) आयुक्तालयों में सेवा कर प्रकोष्ठों का निरीक्षण करना।

13. मूल्यांकन निदेशालय

- (1) सीमा शुल्क मूल्यांकन के बारे में विश्व व्यापार संगठन करार को लागू करने और उस पर निगरानी रखने के कार्य में बोर्ड को सहायता और परामर्श देना;
- (2) पूर्व उदाहरणों, प्रकाशित मूल्य सूचना अथवा अन्य प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त मूल्यों का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक माल के संबंध में एक व्यापक मूल्यांकन डाटा बेस तैयार करना;
- (3) अवमूल्यांकन का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने और साथ ही निर्धारणों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए आन लाइन देखने और दैनिक निर्धारण में सहायता देने के एक साधन के रूप में सभी सीमा शुल्क कार्यालयों को सतत आधार पर मूल्य सूचना प्रसारित करना;
- (4) विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों की मूल्यांकन पद्धतियों पर निगरानी रखना और महत्वपूर्ण एवं नयी मूल्य निर्धारण पद्धतियों के बारे में बोर्ड को सूचित करना और जहां कहीं आवश्यकता हो वहां सुधारात्मक नीति तथा अन्य उपाय सुझाना;
- (5) अन्य सीमा शुल्क प्रशासनों के मूल्यांकन निदेशालय और विदेश में तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ संपर्क बनाना; और
- (6) संवेदनशील वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तियों और ट्रांस-नेशनल नियमों (उदाहरण के लिए अंतरण संबंधी मूल्य निर्धारण) और विदेशी सहयोग से चल रहे भारतीय उद्यमों की मूल्य निर्धारण पद्धतियों का अध्ययन करना और सुनियोजित अव-मूल्यांकन और मूल्यांकन संबंधी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए पद्धति विकसित करने में सहायता देना; और
- (7) यह निश्चय करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करना कि मूल्यांकन निदेशालय द्वारा विकसित किए गए मूल्यांकन प्रतिमानों को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जा रहा है।

14. प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय

- (1) सांविधिक और विभागीय मनुअलों को तैयार, संशोधित और प्रकाशित करना;
- (2) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तकनीकी और प्रशासनिक

मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों को समेकित करना;

- (3) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालयों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन करना;
- (4) शुद्धि सूचियों, आदि के जरिए सभी विभागीय मेनुअलों को अद्यतन बनाना; और
- (5) विवरणिकाओं, पोस्टरों, होर्डिंगों, रेडियो, टेलीविजन और प्रेस मीडिया के जरिए अप्रत्यक्ष करों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रचार करना।

15. संभार तंत्र निदेशालय

- (1) आयुक्तालयों और सुगम्य क्षेत्रों में तस्करी रोधी कार्य के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच करना, निर्धारण करना और मूल्यांकन करना;
- (2) विभिन्न आयुक्तालयों में न्यायनिर्णयन, अभियोजन तथा मुखबिरों तथा अधिकारियों को इनाम देने संबंधी मामलों में प्रगति पर नजर रखना, समन्वय करना और मूल्यांकन करना तथा अभियोजन संबंधी मामलों में जब्तशुदा माल के निपटान की प्रगति पर नजर रखना;
- (3) विभिन्न आयुक्तालयों में तस्करी रोधी कार्य के लिए अपेक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उपस्करों, वाहनों, जलयानों, संचार तथा अन्य स्रोतों की आवश्यकता की आयोजन करना तथा उसका मूल्यांकन करना, उनकी प्रचालनात्मक कार्यकुशलता का अंदाजा लगाना; और
- (4) अधिग्रहण, एकत्रण, खरीदे, मरम्मत और ऐसे संयंत्रों को पुनः लगाने संबंधी मामलों को निपटाना।

16. विधिक कार्य निदेशालय

- (1) बोर्ड के विधिक और न्यायिक कार्य को मॉनीटर करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना,
- (2) ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों द्वारा निर्णित सभी मामलों का डाटा बेस तैयार करना और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से मामलों को मॉनीटर करना कि क्षेत्रीय कार्यालय केवल पात्र मामलों में ही अपील दायर करने की सिफारिश करें ना कि उन मामलों में जिनमें पहले ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय दिया जा चुका है और इसे विभाग द्वारा स्वीकार किया जा चुका है;
- (3) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ट्रिब्यूनल के सभी आदेशों की जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां अपील दायर करने के लिए समयबद्ध प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जाता है और आदेश की स्वीकृति से संबंधित रिपोर्ट मुख्य आयुक्त को भेजी जाती है;
- (4) विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों, जिन्हें विभाग द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया है, और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करना ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहले से ही निपटाए गए मामलों पर अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके;
- (5) विभिन्न उच्च न्यायालयों में पड़े अनिर्णित मामलों से संबंधित डाटा बेस तैयार करना। अपीलीय/प्रतिवादी आयुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय मामलों से संबंधित डाटा बेस तैयार करने और उसे अद्यतन करने में निदेशालय को सहयोग करना अपेक्षित है;

- (6) क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए स्थायी काउंसिलों/पैनल काउंसिलों के पैनल तैयार करना। तथापि, निदेशालय की भूमिका सिफारिश करने तक ही सीमित होगी तथा पैनल के अनुमोदन/स्थायी काउंसिलों की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रालय का ही होगा;
- (7) प्रतिष्ठित वकीलों का अनुमोदित पैनल बनाना जो कि अप्रत्यक्ष कर कानूनों तथा प्रशासन संबंध मामलों की पूरी जानकारी रखते हों, जो सरकार के नियमित पैनल में न भी हों परन्तु उन्हें महत्वपूर्ण मामलों के निपटान के लिए विभाग द्वारा रखा जा सकता है।

17. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि कार्यालय

- (1) ट्रिब्यूनल रजिस्ट्री से मामलों की कारण सूची प्राप्त करना और विभागीय प्रतिनिधियों के बीच केस फाइल वितरित करना;
- (2) सीस्टेट को पीठों के समक्ष सभी सूचीबद्ध मामलों में विभागीय प्रतिनिधियों के प्रभावी प्रतिनिधित्व को मॉनीटर करना;
- (3) संबंधित आयुक्तालयों से समन्वय करना और प्रति आपत्ति, स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण की मांग करना ;
- (4) अध्यक्ष, सीस्टेट के साथ समन्वय स्थापित करना; और
- (5) विभागीय प्रतिनिधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना और सी.डी.आर कार्यालय, जिसमें उसके मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलोर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं, से संबंधित प्रशासनिक मामलों को देखना।

18. केन्द्रीय राजस्व रासायनिक प्रयोगशाला

माल के नमूनों का करना तथा विभिन्न प्रकार के माल की प्रकृति, विशिष्टताओं और संरचना के संबंध में बोर्ड तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को तकनीकी परामर्श देना।

3.2 वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व संग्रहण और अप्रत्यक्ष करों में टैरिफ परिवर्तन

3.2.1 सीमा शुल्क

वर्ष 2007-08 के दौरान सीमा शुल्क से 104119 करोड़ रुपये की राशि संग्रहित की गई जो उस वर्ष के बजट अनुमान से 5349 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान से 3353 करोड़ रुपये अधिक थी। वर्ष 2006-07 के दौरान सीमा शुल्क से राजस्व 86327 करोड़ रुपये था। आयात में अत्यधिक वृद्धि के कारण वर्ष 2007-08 के दौरान राजस्व में 20.6 % की वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09* के लिए अस्थाई राजस्व 99687 करोड़ रुपये है।

3.2.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

वर्ष 2007-08 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व संग्रहण 130220 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 127947 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 123611 करोड़ रुपये था। वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व 117613 करोड़ रुपये था। इस प्रकार वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व में 51 % की वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09* के लिए अस्थाई राजस्व 108427 करोड़ रुपये (राजस्व विभाग को छोड़कर अन्य विभाग द्वारा लगाए जानेवाले उपकर को छोड़कर) है।

3.2.3 सेवा कर

वर्ष 2007-08 के दौरान सेवा कर संग्रहण 50200 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 50603 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 51301 करोड़ रुपये थे। वर्ष 2006-07 के दौरान सेवा कर से राजस्व

दिनांक 1.1.2008 से 31.3.2009 के दौरान अप्रत्यक्ष करों से संग्रहित राजस्व

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं. शीर्ष	1.1.2008 से 31.3.2008 (अनंतिम)	1.4.2008 से 31.3.2009 (अनंतिम)	दिनांक 1.12.2008 से 31.3.08 के दौरान संग्रहित राजस्व (अनंतिम)
1 सीमा शुल्क	28985	99687	128672
2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	37893	109786	147679
3 सेवा कर	19844	59970	79814
कुल	86722	269443	356165

नोट : दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 की अवधि के लिए केन्द्रीय राजस्व आंकड़ों में राजस्व विभाग को छोड़कर अन्य द्वारा लगाया गया उपकर शामिल है, जो 1359 करोड़ रुपये (सं.अ.2008-09) है।

स्रोत: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक और विभाग के आंकड़े

37598 करोड़ रुपये था। इस प्रकार वर्ष 2007-08 के दौरान सेवा कर से राजस्व में 36.2% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 के दौरान अस्थाई राजस्व 59970 करोड़ रुपये है। अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण की वर्षवार प्रवृत्ति अनुबंध 1 में दर्शाई गई है।

3.3 बजट 2008-09 में परिवर्तन

3.3.1 सीमा शुल्क

क. परियोजना आयात

परियोजना आयातों पर सीमा शुल्क को 7.5 प्रति से घटाकर 5% कर दिया गया

ख. रसायन एवं पेट्रोरसायन

क्रुड और अपरिष्कृत सल्फर पर सीमा शुल्क को 5% से घटा कर 2% कर दिया गया। फोस्फोरिक एसिड पर शुल्क को इसके उपयोग को ध्यान में रखे बिना एक समान 5% कर दिया गया और विनिर्दिष्ट पॉलिमर्स के विनिर्माण के लिए नाथ्या पर उपलब्ध सीमा शुल्क छूट वापस ले ली गई।

ग. निर्यात संबर्द्धन

बिना काम किए गए अथवा साधारण रूप से तैयार कोरल पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया। अपरिष्कृत क्यूबिक जिरकोनिया पर शुल्क को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया। क्यूबिक जिरकोनिया (परिष्कृत) पर शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया। ट्यूनाबेट पर सीमा शुल्क को 30% से घटाकर शून्य कर दिया गया। खेलकूद सामानों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट मशीनों पर शुल्क को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया।

निर्यात के लिए खेलकूद के सामानों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया, पिछले वर्ष निर्यात के एफओबी मूल्य के 3% तक।

घ. डेरी/मुरगी

दुग्ध उत्पादों पर सीमा शुल्क को 7.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया। फीड एडिटिव्स/प्रिमिक्सेस पर शुल्क को 30% से घटाकर 20% कर दिया गया।

ड. सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

विनिर्दिष्ट अभिसरण उत्पादों पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग में प्रयोगार्थ विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों और निविष्टियों पर शुल्क को 10% से घटाकर 7.5% और फिर एंडयूस आधार पर शून्य कर दिया गया। सेट टॉप बॉक्स

के विनिर्दिष्ट पूर्णों पर शुल्क को 7.5% से घटाकर एंडयूस आधार पर शून्य कर दिया गया।

च. औषधि एवं किट्स

6 विनिर्दिष्ट औषधियों/किटों तथा उनके विनिर्माण के लिए थोक मात्रा में औषधियों पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 5% तथा उत्पाद शुल्क छूट के द्वारा शून्य सीवीडी कर दिया गया। इन औषधियों का उपयोग कैंसर/मधुमेह/दमा/हेपेटाइटिस बी आदि के उपचार में किया जाता है। ईएलआईएसए किटों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों पर शुल्क को 10%/7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया।

छ. इस्पात अथवा स्टील

लौह अथवा स्टील के गलने वाले स्कैप पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया।

ज. एनसीसीडी

पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न पर वर्तमान समय में उद्ग्राह्य 1% के राष्ट्रीय विपदा खेप शुल्क को वापस ले लिया गया।

झ. अन्य राहत उपाय

टायर उद्योग के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया। हेलिकॉप्टर सिमुलेटर्स पर शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया।

ञ. तम्बाकू उत्पाद

सिगार, चुर्रुट और सिगरिलो पर सीमा शुल्क को 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया।

ट. 4% का अतिरिक्त सीमा शुल्क

4% के अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट को ऊर्जा उत्पाद परियोजनाओं (मेगा ऊर्जा परियोजनाओं को छोड़कर), ट्रांसमिशन, सबट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं तथा उच्च वाल्टेज ट्रांसमिशन परियोजनाओं से वापस ले ली गई।

ठ. निर्यात शुल्क

सभी प्रकार के क्रोमियम अयस्क तथा सांद्रों पर निर्यात शुल्क दर को 2000 पीएमटी से बढ़ाकर 3000 पीएमटी कर दिया गया।

ड. विविध

1. निविदाओं में अस्थाई प्रयोग के लिए आयातित पट्टे पर दिए गए

अनुबंध ख									
अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण की वर्षवार प्रवृत्ति									
रूपये करोड़ों में									
क्र.सं.	शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	सीमा शुल्क								
	ब.अ.	54822	45193	49350	54250	53182	77066	98770	118930
	स.अ.	43170	45500	49350	56250	64215	81800	100766	108000
	वास्तविक	40268	44852	48629	57611	65067	86327	104119	99687
	ब.अ. की उपलब्धि का %	73.5	99.2	98.5	106.2	122.3	112	105.4	83.8
	स.अ. की उपलब्धि का %	93.3	98.6	98.5	102.4	101.3	105.5	103.3	92.3
	विगत वर्ष के दौरान वृद्धि का %	-15.3	11.4	8.4	18.5	12.9	32.7	20.6	-4.3
II	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क								
	ब.अ.	81720	91433	96791	109199	121533	119000	130220	137874
	स.अ.	74520	87383	92379	100720	112000	117266	127947	108359
	वास्तविक	72555	82310	90774	99125	111226	117613	123611	109786
	ब.अ. की उपलब्धि का %	88.8	90	93.8	90.8	91.5	98.8	94.9	79.6
	स.अ. की उपलब्धि का %	97.4	94.2	98.3	98.4	99.3	100.3	96.6	101.3
	विगत वर्ष के दौरान वृद्धि का %	5.9	13.4	10.3	9.2	12.2	5.7	5.1	-11.2
III	सेवा कर								
	ब.अ.	3600	6026	8000	14150	17500	34500	50200	64460
	स.अ.	3600	5000	8300	14150	23000	38169	50603	65000
	वास्तविक	3302	4122	7891	14200	23055	37598	51301	59970
	ब.अ. की उपलब्धि का %	91.7	68.4	98.6	100.4	131.7	109	102.1	93.0
	स.अ. की उपलब्धि का %	91.7	82.4	95.1	100.4	100.2	98.5	101.3	92.3
	विगत वर्ष के दौरान वृद्धि का %	26.4	24.8	91.4	80	62.4	63.1	36.4	16.9
IV	एफटीटी/आईएटीटी **								
	ब.अ.	850	1050	1115					
	स.अ.	965	1050	900					
	वास्तविक	1193	1324	1306					
	ब.अ. की उपलब्धि का %	140.4	126.1	117.1					
	स.अ. की उपलब्धि का %	123.6	126.1	145.1					
	विगत वर्ष के दौरान वृद्धि का %	53	11	-1.4					
V	अप्रत्यक्ष कर								
	ब.अ.	140992	143702	155256	177599	192215	230566	279190	321264
	स.अ.	122255	138933	150929	171120	199215	237235	279316	281359
	वास्तविक	117318	132608	148600	170936	199348	241538	279031	269443
	ब.अ. की उपलब्धि का %	83.2	92.3	95.7	96.2	103.7	104.8	99.9	83.9
	स.अ. की उपलब्धि का %	96	95.4	98.5	99.9	100.1	101.8	99.8	95.8
	विगत वर्ष के दौरान वृद्धि का %	-2.1	13	12.1	15	16.6	21.2	15.5	-3.4

एफटीटी/आईएटीटी को दिनांक 9/1/2004 को समाप्त कर दिया गया है ।

समस्त संख्याएं, स्रोत : प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, राजस्व विभाग के लिए वर्ष 2008-09 हेतु बजट प्राप्ति

उपस्कर और मशीनों के पुनः आयात के लिए अवधि को 12 महीनों से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया। ऐसे आयातों पर लागू शुल्क की स्लैब दरों को अब तिमाही आधार पर कर दिया गया जो पहले छमही आधार थी। दरों को भारत में माल को रोकने की अवधि के आधार पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74(2) के अंतर्गत अनुमत्य प्रतिअदायगी दरों के साथ जोड़ दिया गया है। तथापि, पट्टे पर दिए गए ऐसे माल का पुनः निर्यात करने पर कोई प्रति अदायगी अनुमत्य नहीं होगी।

2. आयात के बाद प्रयुक्त माल के संबंध में प्रतिअदायगी दरों को भारत में माल को रोकने की अवधि के आधार पर निवादाओं में अस्थाई प्रयोग हेतु आयातित पट्टे पर दिए गए उपस्कर और मशीनों पर देय शुल्क के लिए विहित दरों के साथ जोड़ दिया गया है। प्रतिअदायगी की अनुमति के लिए ऐसे माल को रोकने की अधिकतम अवधि को 36 महीने से घटाकर 18 महीने कर दी गई।
3. पॉलिमर लॉग रड इंसुलेटर्स पर प्रदान किए जाने वाले 5% के रियायती सीमा शुल्क को केवल 765 केवी के पॉलिमर लॉग रड इंसुलेटर्स तक सीमित कर दिया गया।
4. 0.177 कैलिबर के एयरगनों पर सीमा शुल्क और सीवीडी की छूट दे दी गई है। परिणामस्वरूप इन स्थगनों पर 4% के अतिरिक्त सीमा शुल्क की छूट भी लागू होगी।
5. विद्युत ऊर्जा पर 2000 प्रति 1000 कि.वा. की टैरिफ दर विहित की गई। तथापि, प्रभावी दर शून्य ही रहेगी।

3.3.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

क. सामान्य सेनवैट दर

उत्पाद शुल्क (सेनवैट) की सामान्य दर 16% से घटाकर 14% कर दी गई। 24%, 12% तथा 8% की अन्य यथामूल्य दरों को अपरिवर्तित रखा गया।

ख. क्षेत्र विशिष्ट राहत उपाय

1. औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स(क) सभी औषधियों (फामुलेसंस) पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% कर दिया गया।
 - (ख) इंस्टैंट स्टराईल ड्रेसिंग पैड्स, बर्न थैरेपी, पैड्स कार्न रिमोवर्स, स्टराईल सर्जिकल कैटगट, स्टराईल अघाजो रबो बाल सर्जिकल, स्टराईल, एडहेसिव फार वुन्ड्स क्लोजर, फर्स्ट एंड बाक्सेस एंड किट्स तथा ब्लड ग्रुपिंग रिएजेन्ट्स आदि पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% कर दिया गया।
 - (ग) एन्टी ऐड्स ड्रग, अटाजानावीर तथा इसके विनिर्माण के लिए थोक मात्रा में औषधियों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया।

2. ऑटो क्षेत्र

निम्नलिखित पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया:

- छोटी कारों पर 16% से 21%
- हाइब्रिड कारों पर 24 से 14%
- इलेक्ट्रिक कारों पर 8% से शून्य
- इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्दिष्ट पूर्जों पर एंडयूस आधार पर 16% से शून्य

- 13 से अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए बसों एवं अन्य वाहनों पर 16 से 12% और ऐसे वाहनों के चेसिस पर '16%, +10000/-रूपये से '12%, +10000/-रूपये

- टू व्हीलर एवं यात्री श्री व्हीलरों (7 व्यक्तियों तक) पर 16% से 12%।

3. फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र

- (क) पैकेज्ड टेंडर नारियल पानी, पाव, मुट्ठी (भुना चावल), खाद्य बादाम वाले दूध और चाय/काफीप्रिमिक्स को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया।
- (ख) एंड यूस आधार पर कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम अथवा रेफ्रिजरेटेड वाहन के लिए विनिर्दिष्ट रेफ्रिजरेशन उपसकर को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया।
- (ग) मुवेसली, कार्न फ्लेक्स एवं ऐसे ही अल्पाहार सेरियल्स, शरबत और पैकेजिंग सामग्री अर्थात् ओपनटाप सेनिटरी (ओटीएस) केन्स, असेप्टिक पैकेजिंग पेपर और असेप्टिक बैगों पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% कर दिया गया।

4. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र

- (क) वायरलेस डेटा माडेम कार्डों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया परिणामस्वरूप आयातित कार्डों पर सीवीडी से भी छूट मिलेगी। तथापि, 4% का अतिरिक्त सीमाशुल्क लागू रहेगा।
- (ख) विनिर्दिष्ट अभिसरण उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% कर दिया गया।
- (ग) पैकेज्ड साफ्टवेयर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 8% से बढ़ा कर 16% कर दिया गया।

5. कागज एवं कागज उत्पाद

- (क) लेखन कागज, मुद्रण कागज एवं पैकिंग कागज पर उत्पाद शुल्क को 12% से घटाकर 8% कर दिया गया है।
- (ख) किसी यूनिट से एक वर्ष में 3500 मिट्रिक टन की निकासी तक गैर-पारम्परिक कच्ची सामग्रियों से विनिर्मित कागज एवं कागज उत्पाद को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया।
- (ग) किसी यूनिट(संलग्न बांस/लकड़ी गुदा पौधा नहीं रखने वाली) से 3500 मिट्रिक टन प्रति वर्ष की निकासी के बाद गैर पारम्परिक कच्ची सामग्रियों से विनिर्मित कागज और कागज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 12% से घटाकर 8% कर दिया गया।

ग. अन्य छूटें(क) कम्पोजिंग मशीनों और मेन्थोल/मेन्थोल फलेक्स को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया।

- (ख) निम्नलिखित पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया
 - (1) वाटर फिल्टरेशन एव प्यूरिफिकेशन डिवाइस (2)विनियर्स एंड फ्लश डोर्स (3)हीट रेसिसटेंट रबड़ टेंशन टेप
 - (2) मार्कर पेन्स, हाईलाईटर्स आदि के लिए स्याही।
 - (3) अधिकतम 15% तक सुपाड़ी अवयव के साथ तम्बाकू रहित पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया। इसे राष्ट्रीय विपदा खेप शुल्क से भी मुक्त कर दिया गया।

(घ) सीमेंट

- (क) थोक सीमेंट पर उत्पाद शुल्क '400 रुपये प्रति टन' से '14% अथवा 400/-रूपये प्रति टन जो भी ज्यादा हो' कर दिया गया।

तालिका 3.2

संशोधित उत्पाद शुल्क दरें (बुनियादी + एनसीसीडी अस्वास्थ्य उपकर)

क्रम संख्या	विवरण	पहले	अब
1.	60 मि मी तक की लम्बाई वाले	168	819
2.	60 मि मी से अधिक परन्तु 70 मि मी तक की लम्बाई वाले	546	1323

तालिका 3.32

ब्रांडेड ईन्धन पर ड्यूटी की दरें

पेट्रोलियम (एमएस/एचडी जो बिना ब्रांड नाम के बेचा जाता है)

1	मोटर स्प्रीट	6% + 13 रु. प्र. ली.	14.35 रु. प्र. ली.
2	एचएसडी	6% + 3.25 रु. प्र. ली.	4.60 रु. प्र. ली.
पेट्रोलियम (एमएस/एचडी जो बिना ब्रांड नाम के बेचा जाता है)			
1	मोटर स्प्रीट	6% + 13 रु. प्र. ली.	
2	एचएसडी	6% + 3.25 रु. प्र. ली.	

(ख) सीमेंट क्लीकर्स पर उत्पाद शुल्क को 350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति टन कर दिया गया।

ड. सिगरेट

गैर-फिल्टर सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क दरों को उसी लम्बाई वाले फिल्टर सिगरेटों के बराबर लाने के लिए बढ़ा दिया गया है। गैर फिल्टर सिगरेटों पर संशोधित उत्पाद शुल्क दरें (बुनियादी + एनसीसीडी अस्वास्थ्य उपकर) तालिका 3.2 पर दी गई है।

च. पेट्रोलियम

बिना ब्रांड वाले एमएस/एचएसडी पर शुल्क दरों को 'निम्न प्रकार यथा मूल्यअविशिष्ट दर' से शुद्ध रूप से 'विशिष्ट दर' कर तालिका 3.3 पर दी गई है।

छ. एनसीसीडी

(क) मोबाईल फोन पर 1% की दर से राष्ट्रीय विपदा खेप शुल्क लगाया गया। आयातित मोबाईल फोन पर यह शुल्क सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अंतर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में लगाया गया।

(ख) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न पर वर्तमान समय में 1% की दर से उद्ग्राह्य राष्ट्रीय विपदा खेप शुल्क वापस ले लिया गया।

ज. विविध

(क) 1 अप्रैल, 2008 से बोरियों/थेलियों के विनिर्माण में चोरी से उपयोग किए जाने वाले एचडीपीई/पीपी टेपों को भी सामान्य एसएसआई छूट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।

(ख) निर्यातानुखी यूनितों, सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी पार्कों, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों आदि से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल की निकासियों के लिए लागू शुल्क दर को संशोधित कर बुनियादी सीमा शुल्क का 25% ऐसे माल पर देय उत्पाद शुल्क से बुनियादी सीमा शुल्क का 50% ऐसे माल पर देय उत्पाद शुल्क कर दिया गया।

(ग) उत्पाद शुल्क छूट वापस ले ली गई और इस प्रकार अब 8% उत्पाद शुल्क/सीवीडी लगेगा।

(घ) खुदरा विक्रय मूल्य आधार पर उत्पाद शुल्क पर उद्ग्राह्य विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद शुल्क दरों की कटौती के परिणामस्वरूप ऐसे माल के लिए कमी वाली दरों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया।

3.3.3 सेवा कर

(i) निम्नलिखित सेवाओं को अलग-थलग कराधेय सेवा के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया:

- व्यवसाय अथवा वाणिज्य के क्रम में अथवा इसे आगे बढ़ाने के प्रयोगार्थ सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं;
- सामान्यतया यूनिट लिंक बीमा योजना (यूलिप) स्कीम के रूप में ज्ञात यूनिट लिंक बीमा व्यवसाय के अंतर्गत निवेश के प्रबंधन के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं;
- सिक्यूरिटीज के संबंध में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;
- किसी भी माल के क्रय अथवा विक्रय अथवा आगे के कंटेक्टों के संबंध में किसी मान्यता प्राप्त संघ अथवा किसी पंजीकृत संघ (वस्तु एक्सचेंज) द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;
- सिक्यूरिटीज माल अथवा आगे के कंटेक्टों में कारोबार की कार्यवाही, क्लीयरिंग अथवा समायोजन के संबंध में कार्यवाही और क्लीयरिंग हाऊस द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;
- टोस माल के अधिग्रहण अधिकार और प्रभावी नियंत्रण को अंतरित किए बिना टोस माल की आपूर्ति के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं;
- इंटरनेट टेलिकम्यूनिकेशन के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं।

परिणामतः इंटरनेट टेलिकम्युनिकेशन के भाग के रूप में शामिल इंटरनेट टेलिफोनी के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं को शामिल नहीं किया जाएगा।

(II) विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के क्षेत्र को निम्न प्रकार संशोधित किया गया :

1. निम्नलिखित को शामिल करना:

- (1) बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवा के अंतर्गत प्राधिकृत डीलर अथवा प्राधिकृत मनीचेंजर द्वारा मुद्रा परिवर्तन सहित विदेशी मुद्रा का क्रय अथवा विक्रय ;
- (2) किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई विदेशी विनिमय ब्रोकर सेवाओं के अंतर्गत प्राधिकृत डीलर अथवा प्राधिकृत मनीचेंजर द्वारा मुद्रा परिवर्तन सहित विदेशी मुद्रा का क्रय अथवा विक्रय ;
- (3) लदान, माल उतारना, पैक खोलना, कार्गो के अंतर्गत हैंडलिंग सेवा जैसी एक अथवा अधिक अन्य सेवाओं के साथ अथवा बिना कार्गो अथवा माल के परिवहन के साथ पैकिंग;
- (4) तकनीकी जांच और विश्लेषण सेवा के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर की जांच अथवा उसका विश्लेषण;
- (5) तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन सेवा के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर का निरीक्षण, जांच और प्रमाणन;
- (6) यात्रा संचालक सेवा के अंतर्गत कंटेनर कैरेज वाहन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं। तथापि, वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा शिक्षण केन्द्र को छोड़कर किसी भी विषय अथवा क्षेत्र पर कौशल अथवा ज्ञान अथवा शिक्षण देने वाले किसी शैक्षिक निकाय द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है।

(2) निम्नलिखित का लोप करना :

- 1 पृथक कराधेय सेवा के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर सेवा को अधिसूचित करने के परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी सेवा को व्यवसाय सहायक सेवा से;
- 2 सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर सेवा को पृथक कराधेय सेवा के रूप में अधिसूचित करने के परिणामस्वरूप परामर्श इंजीनियर सेवा से कंप्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरिंग परामर्श सेवा ;
- 3 39 विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं से 'क्लायंट' अथवा 'ग्राहक' के रूप में सेवा प्राप्तकर्ता के संदर्भ में शब्दों को 'किसी व्यक्ति' के रूप में प्रतिस्थापित करना ;

(3) स्पष्ट करना कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों विधाओं में सुझाव देने परामर्श अथवा तकनीकी सहायता प्रदान करने के संबंध में परामर्शदाता इंजीनियर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को भी परामर्श इंजीनियर सेवा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा;

(4) शंका दूर करते हुए स्पष्ट करना कि -

- 1 व्यवसाय सहायक सेवा के अंतर्गत क्लायंट द्वारा प्रदान की गई सेवा को आगे बढ़ाने अथवा उसका विपणन करने के संबंध में सेवा

में क्लायंटद्वारा आयोजित, संचालित अथवा संवर्धित अवसर के खेल के उन्नयन अथवा विपणन के संबंध में प्रदान की गई कोई भी सेवा शामिल होगी ;

- 2 अचल सम्पत्ति सेवा को किराए पर देने की सेवा में अचल सम्पत्ति में उसके अधिग्रहण अथवा नियंत्रण के अंतरण को ध्यान में रखे बगैर स्थान के इस्तेमाल की अनुमति शामिल है;

- 3 प्रबंधन, रख-रखाव अथवा मरम्मत सेवा में उल्लिखित सम्पत्तियों में सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर शामिल है।

(3) सेवा कर से छूट

- (1) लघु सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा कर छूट की वार्षिक पारम्भिक सीमा को दिनांक 1.4.2008 से 8 लाख रुपये के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया।

- (2) दिनांक 1.3.2008 से सेवा कर से छूट निम्नलिखित को प्रदान की गई -

- 1 भारत से बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर स्थित ग्राहक को प्रदान की गई और भारत में स्थित होटल द्वारा भारत में स्थित उक्त होटल में आवास की बुकिंग के संबंध में प्राप्त की गई कराधेय सेवा;
- 2 माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) द्वारा बिना शर्त माल कैरेज में सड़क से माल के परिवहन के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अधिभार में रूप में ली गई सकल राशि का 75%। परिणामतः अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर, दिनांक 1 मार्च, 2006 के अंतर्गत प्रदान की गई। 75% की छूट को वापिस ले लिया गया है।

3.4 बजटोपरांत (2008-09) महत्वपूर्ण परिवर्तन

3.4.1 महत्वपूर्ण सीमा शुल्क परिवर्तन

- कच्चे तेल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमत को देखते हुए कच्चे पेट्रोलियम पर सीमा शुल्क को दिनांक 4.6.2008 को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया।
- दिनांक 4.6.2008 से पेट्रोल और डीजल पर भी बुनियादी सीमा शुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर 10% से घटाकर 5% कर दिया गया।
- कच्चे कपास की कीमत को कम करने तथा घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के दृष्टिकोण से कच्चे कपास को दिनांक 8.7.2008 के प्रभाव से सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया।
- दिनांक 31.10.2008 के प्रभाव से एविएशन टरबाइन इंजन को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया।
- ऊर्जा क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत उत्पादन के लिए (चोरी से उपभोग को छोड़कर) आयातित नापथा को दिनांक 7.12.2008 के प्रभाव से बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया।
- दिनांक 2.1.2009 के प्रभाव से सीमेंट पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और विशेष प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की छूट वापस ले ली गई।
- दिनांक 01.5.2008 के प्रभाव से बासमती चावल पर 8000 प्रति मिट्रीक टन का निर्यात शुल्क लगाया गया। तथापि, उसे वापस ले

लिया गया और दिनांक 2.2.2009 के प्रभाव से बासमती चावल को सीमा शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया।

- दिनांक 26.5.2008 के प्रभाव से पोस्त दाने पर सीमा शुल्क को 40% तक कम कर दिया गया और पुनः दिनांक 3.2.2009 के प्रभाव से 20% तक कम कर दिया गया।
- दिनांक 11.2.2009 से प्रिंट मीडिया को राहत प्रदान करने के लिए न्यू प्रिंट पर शुल्क को 3% से घटाकर शून्य और पत्रिका कागज (हल्के वजन वाले कोटेड कागज) पर 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया।
- दिनांक 1.4.08 के प्रभाव से सभी खाद्य कच्चे तेलों पर सीमा शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। सभी रिफाईन्ड खाद्य तेलों जैसे नारियल तेल, मूंगफली तेल, लीनसीड सीसेम, कास्टर, महुआ, कोकम, कूडपाम कर्नेल तेल, जैतून तेल आदि पर भी सीमा शुल्क को घटाकर 7.5% कर दिया गया। तथापि, तेल पर 20% का बुनियादी सीमा शुल्क लगा दिया गया, परंतु फिर भी दिनांक 24.3.2009 के प्रभाव से उसे वापस ले लिया गया।
- 26.03.2009 को जारी की गई अधिसूचना के द्वारा दालों पर दी जा रही सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट को 1.4.2010 तक जारी रखने की अनुमति दे दी गई है।
- 20.3.2008 से, सेमी मिल्ड और होली मिल्ड चावल पर सीमा शुल्क को 70% से कम करके शून्य कर दिया गया है। हालांकि 01.4.2009 से सीमा शुल्क को बहाल करके पुनः 70% कर दिया गया है।
- लौह एवं इस्पात उद्योग के लिये कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं-
 - (1) लौहा और गैर मिश्र धातु इस्पात (सीमा शुल्क टैरिफ के शीर्ष 7203 और 7205 से 7217) पिग आयरन, स्पीजेल्लिन, मेटकोक, जिंक और लौह-मिश्र धातुओं पर दिनांक 29.4.2008 से सीमा शुल्क को 5% से कम करके कर दिया गया।
 - (2) इसके अलावा, टी एम टी बार्स और स्ट्रक्चरल्स पर सी वी शुल्क को दिनांक 29.4.2008 से 14% से कम करके शून्य कर दिया गया।
 - (क) इसके बाद 7.11.2008 से, लोहा और गैर-मिश्र धातु इस्पात (इन्गोट्स, अधिनिर्मित उत्पाद, फ्लैट ऐल्ड प्रोडक्ट्स, बार्स और राड्स आदि जैसे मद) पर सीमा शुल्क को से बढ़ाकर 5% कर दिया गया।
 - (ख) टी एम टी बार्स पर दी जाने वाली सी वी डी छूट को दिनांक 02.1.2009 से वापस ले लिया गया।
 - (ग) फेरोमोली ब्डेनम और फेरो वैनैडियम पर 31.10.2008 से 5% का सीमा शुल्क फिर से लागू कर दिया गया।
 - (घ) इसके बाद जिंक और रूनी प्रकार की मिश्र धातुओं पर दिनांक 2.1.2009 से 5% का सीमा शुल्क फिर से लागू कर दिया गया।
 - (3) दिनांक 10.5.2008 से पिग आयरन, स्पंज आयरन, आयरन एण्ड स्टील छीलन, पिग आयरन के ग्रेन्यूल्स और पाउडर, स्पीजेल्लिन आयरन एण्ड स्टील पेन्सिल इन्गोट्स, सेमी

फिनिश प्रोडक्ट, एच आर क्वायल्स/शीट्स पर 15S की दर से निर्यात शुल्क, मूल्यानुसार, लगा दिया गया है।

- (4) बार्स एण्ड राड्स, रंगल्स, शेप्स, सेक्शन और वायर्स और सी आर क्वायल्स/शीट्स पाइप्स और ट्यूब्स पर 10.5.2008 से 10% की दर से निर्यात शुल्क, मूल्यानुसार लगाया गया है।
- (5) जी पी पर और क्वायल/शीट के रूप में कोटेड स्टील उत्पादों पर 10.5.2008 से मूल्यानुसार 10% की दर से उत्पाद शुल्क लगा दिया गया है।
 - क. इसके बाद 13.6.2008 से लोहा और गैर-मिश्र धातु इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पादों लोहा और गैर मिश्र धातु इस्पात के हाट रोल्ड, नाट क्लैड, फ्लैट या कोटेड फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट, लोहा या गैर मिश्र धातु इस्पात के कोल्ड रोल्ड, (कोल्ड रिड्यूस्ड), नाट क्लैड, फ्लैटेड कोटेड, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट या जिंक कोटेड या लोहा या इस्पात के ट्यूब्स पाइप्स पर उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गयी थी।
 - ख. लम्बाई वाले उत्पादों जैसे कि बार्स, राड्स, एंगल्स, शेप्स सेक्शन्स और वायर्स पर दिनांक 13.6.2008 से निर्यात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।
- (6) लौह अयस्क (लम्प्स और फाइन्स जिसमें लौह तत्व की मात्रा 62% से अधिक अथवा इससे कम हो सकती है) पर निर्यात शुल्क को दिनांक 13.6.2008 से बढ़ाकर मूल्यानुसार 15% की दर तक कर दिया गया है।
 - क. दिनांक 31.10.2008 से अच्छे अयस्क पर निर्यात शुल्क को कम करके 200 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है।
 - ख. इसके बाद दिनांक 7.11.2008 से अच्छे लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क को संशोधित करके 8% मूल्यानुसार शुल्क कर दिया गया है।
 - ग. अंततः दिनांक 7.12.2008 से अच्छे लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क के कम करके शून्य कर दिया गया है और लौह अयस्क लेम्प्स पर इसे 5% मूल्यानुसार कर दिया गया है।
- (7) लोहा और इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पादों (जिसमें गैलवनाइड उत्पाद भी शामिल हैं), पाइप्स और ट्यूब्स पर दिनांक 31.10.2008 से निर्यात शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी गयी है।
- (8) लोहा और इस्पात पर 18.11.2008 से 5% का सीमा शुल्क लगा दिया गया था।

3.4.2 बड़े उत्पाद शुल्क प्रभार

- 10.5.2008 से पहले पैकेज्ड फार्म में क्लियर हुए सीमेंट पर जिनकी कीमत 250 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग थी (या जो 3800 रुपये प्रति मीट्रिक टन के समतुल्य थी) पर 600 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता था। हालांकि 10.5.2008 से, 250 रुपये प्रति 50 किलो के बैक से अधिक दान

वाले सीमेंट पर उत्पाद शुल्क उसके खुदरा बिक्री मूल्य का 12% कर दिया गया था।

- मोटर स्प्रिट (एम एस) और हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) (जो बिक्री के लिये नहीं थे, जैसा कि बाण्डेड थे) पर दिनांक 4.6.2008 से उत्पाद शुल्क को क्रमशः 6.35 रुपये प्रति लीटर से कम करके 5.35 रुपये प्रति लीटर और 2.60 रुपये प्रति लीटर से कम करके 1.60 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था।
- सीमेंट पर से दिनांक 7.12.2008 से उत्पाद शुल्क को कम कर दिया गया था तालिका 3.4 पर दी गई है।
- सूती कपड़े और सूती वस्तुओं पर शुल्क की दर को दिनांक 7.12.2008 से 4S से कम करके शून्य कर दिया गया है।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की तीन प्रमुख मूल्यानुसार दरें यथा 14%, 12% और 18% जो गैर पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू हैं, में से प्रत्येक में 4% की कमी कर दी गयी है और 7.12.2008 से क्रमशः 10%, 8% और 4% की संशोधित दरें लागू हो गयी है।
- 13.6.2008 से, बड़ी कारों, बहु उद्देश्यीय वाहनो (एम यू वी) और खेल संबंधित वाहनो जिनके इंजन की क्षमता 1500 सी सी से अधिक है लेकिन 1999 सी सी से अधिक नहीं है पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो 24% अधिक नहीं है पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को 24% मूल्यानुसार से बढ़ाकर 24%+15,000 रुपये प्रति ईकाई कर दिया गया है। इसी प्रकार, बड़ी कारों, बहु उद्देश्यीय वाहनो (एम यू वी) और खेल संबंधित वाहनो जिनके इंजन की क्षमता 1999 से अधिक है, पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को 24% मूल्यानुसार से

बढ़ाकर 24%+20,000 रुपये प्रति ईकाई कर दिया जाता है। हालांकि 17.12.2008 से इन वाहनो पर शुल्क को कम करके 20%+15,000 रु./ 2000 रुपये प्रति ईकाई, जैसी भी स्थिति हो, कर दी गई थी।

- सीमेंट क्लिंकर्स पर उत्पाद शुल्क को दिनांक 24.12.2008 से 450 रुपये प्रति मीट्रिक टन से कम करके 300 रुपया प्रति मीट्रिक टन पर दिया गया था।
- प्रचुर सीमेंट पर उत्पाद शुल्क को दिनांक 24.2.2009 से 10% या 290 रुपये प्रति टन जो भी अधिक हो, से कम करके 8% या 230 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, कर दिया गया है।
- सामान्य सेनवेट दर को 10% से कम करके 8% कर दिया गया। सी वी डी भी 10% से कम करके 8% कर दी गयी है।

3.4.3 सेवाकर में बड़े शुल्क प्रभार

माल वाहन एजेन्सियों को 8 सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को 5 जनवरी, 2009 से छूट दे दी गयी थी। ये 8 सेवायें निम्नलिखित हैं-

1. बिजनेस एक्जिलियरी सर्विस
2. पैकेजिंग सर्विस
3. कार्गो हैंडलिंग सर्विस
4. स्टोरेज एण्ड वेयर हाउसिंग सर्विस
5. बिजनेस आफ टैन्जिवल गुड्स सर्विस

तालिका 3.4

सीमेंट पर से दिनांक 7.12.2008 से उत्पाद शुल्क को कम कर दिया गया

सभी माल, जो लघु सीमेंट संयंत्र में उत्पादित हो और पैकेज्ड फार्म में क्लीयर किये गये हों, जिनका खुदरा मूल्य 190 रुपये प्रति 50 किलो बैग से अधिक न हो अथवा प्रति टन समतुल्य खुदरा मूल्य 3800 रुपये से अधिक न हो	220 रुपये प्रति टन	145 रुपये प्रति टन
सभी माल, जो लघु सीमेंट संयंत्र में उत्पादित हो और पैकेज्ड फार्म में क्लीयर किये गये हों, जिनका खुदरा मूल्य 190 रुपये प्रति 50 किलो बैग से अधिक हो अथवा प्रति टन समतुल्य खुदरा मूल्य 3800 रुपये से अधिक हो	370 रुपये प्रति टन	250 रुपये प्रति टन
सभी माल चाहे वे लघु सीमेंट संयंत्र में उत्पादित हो या नहीं, जो उपर्युक्त में शामिल न हों, और जो पैकेज्ड फार्म में क्लीयर किये गये हो जिनकी कीमत 190 रुपये प्रति 50 किलो के बैग से अधिक न हो अथवा जिनका समतुल्य खुदरा बिक्री मूल्य 3800 रुपये से अधिक न हो	350 रुपये प्रति टन	230 रुपये प्रति टन
सभी माल चाहे वे लघु सीमेंट संयंत्र में उत्पादित हो या नहीं, जो उपर्युक्त में शामिल न हों, और जो पैकेज्ड फार्म में क्लीयर किये गये हो जिनकी कीमत 190 रुपये प्रति 50 किलो के बैग से अधिक हो अथवा जिनका समतुल्य खुदरा बिक्री मूल्य 3800 रुपये से अधिक हो	12%	8%
सीमेंट, प्रचुरता में	14% या 400 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो	10% या 290 रुपये प्रति टन जो भी अधिक हो

6. सप्लाई आफ टैन्जिविल गुड्स सर्विस
 7. क्लियरिंग एफ फारवर्डिंग सर्विस
 8. मैन पावर रिकूटमेंट एण्ड सप्लाई सर्विस
- सेवा कर में निर्यात माल के लिये 18 कर योजना सेवाओं पर निर्यातकों द्वारा भुगतान किये गये सेवाकर को वापस करने का प्रावधान है। अब इस योजना का लाभ निर्यातकों को सेवा प्रदान करने वाले क्लियरिंग और फारवर्डिंग एजेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी दिया जा रहा है। इसके अलावा विदेशी कमीशन एजेंट सेवाओं पर निर्यातकों द्वारा भुगतान किये गये सेवाकर की वापसी की थ्रेशोल्ड सीमा निर्यात माल के एफ ओ बी मूल्य के 2% से बढ़ाकर इसके एफ ओ बी मूल्य की 10% कर दी गयी है। इसके अलावा, निर्यात के संबंध में भुगतान किये गये सेवाकर की वापसी के साथ-साथ अब प्रतिअदायगी का भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
 - दिनांक 24.2.2009 से सेवाकर की दर को 12% से कम करके 10% करना

3.5 व्यापार को सुकर बनाने/सीमा शुल्क में प्रक्रियाओं आदि को सरल करने के लिए किए गए उपाय

सीमा शुल्क

हाल ही में सीमा शुल्क द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाये गये हैं:-

ऑटोमेटिड सीमा शुल्क प्रोसेसिंग

- कुल 85% आयात/निर्यात लेनदेनों समेत 40 बड़े सीमा शुल्क केन्द्रों पर आयात/निर्यात सामान के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया पूर्णतया ऑटोमेटिड है।
- सामान की निकासी के लिए आयात और निर्यात घोषणाओं की सीमा शुल्क प्रोसेसिंग में डेस्क से डेस्क का पता लगाने, किसी भी विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व का पता लगाने के लिए सहायता मिलती है।
- इस प्रकार किसी भी स्तर अथवा बंदरगाह पर विलम्ब अथवा धीमी प्रोसेसिंग के किसी भी विशिष्ट मामले का पता लगाया जा सकता है और ऐसे विलम्ब को रोकने के लिए आवश्यक उपाय कार्यान्वित किए जा सकते हैं।

प्रधान मंत्री पुरस्कार का दिया जाना

2009 के अवसर पर दिनांक 21.4.2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री हामिद अंसारी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये डायरेक्टर जनरल सिस्टम एण्ड डेटा मैनेजमेण्ट, सी बी ई सी को वर्ष 2007-08 का प्रधान मंत्री पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार शुल्क में जोखिम प्रबंधन प्रणाली का में की गई शुरुआत के लिये दिया गया था।

सीमा शुल्क व्यापार को सुकर बनाने वाले उपाय

- इन्टरनेट पर फाइल करना: आयातक, निर्यातक अथवा उनके प्राधिकृत एजेंट इन्टरनेट के जरिए ऑन लाइन सीमा शुल्क घोषणा कर सकते हैं। वे सीमा शुल्क प्रोसेसिंग के परिचालन और स्थिति का पता लगा सकते हैं और इन्टरनेट पर उनके द्वारा अदा किए जाने वाले शुल्क का पता लगा सकते हैं;
- अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम: किसी प्राधिकृत व्यक्ति, जो सीमा शुल्क द्वारा निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करते हैं और उनका अनुपालना

रिकार्ड अच्छा हो, के लिए के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक के अनुसार अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम में अधिकृत आयातकों को उनकी घोषणा के आधार पर और सामान की जांच किए बिना सामान की निकासी की अनुमति प्रदान करके सुनिश्चित सुविधा प्रदान की गई है। उनके आयातित सामान की जांच केवल प्रणालीबद्ध यादृच्छिक जांच के कुछ प्रतिशत के अधधीन होगी।

- जोखिम प्रबंध प्रणाली: सीमा शुल्क निर्धारण और आयातित माल की निकासी की जांच के लिए जोखिम विश्लेषण प्रणाली प्रारंभ की गई है। जोखिम प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत विस्तृत सीमा शुल्क निर्धारण और जांच के लिए केवल उच्च जोखिम कार्गो को ही लिया जाता है जबकि अन्य कार्गो को निर्धारण और जांच के बिना ही सीधे सीमा शुल्क से भारमुक्त कर दिया जाता है।
- व्यापार को सुकर बनाने पर सभी पणधारियों से संपर्क: सीमा शुल्क आयुक्त सभी समुद्री बंदरगाहों, वायुपत्तनों/कार्गो पर व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए मासिक बैठक आयोजित करते हैं ताकि व्यापार और उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यात आयात समस्याओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाया जा सके।

3.6 प्रति अदायगी प्रभाग

शुल्क प्रति अदायगी योजना का उद्देश्य उस सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क को प्रभावहीन बनाना है जो निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग में आने वाले इनपुटों पर दिये गये होते हैं। शुल्क प्रतिअदायगी से भारतीय निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बन जाता है। शुल्क प्रति अदायगी की दरों को सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शुल्कज एण्ड सर्विस टैक्स प्रतिअदायगी रूल्स, 1995 के अंतर्गत निर्धारित/संशोधित किया जाता है।

केन्द्रीय बजट में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की ड्युटियों में किये गए परिवर्तनों को देखते हुए प्रति अदायगी की दरों को भी संशोधित किया जाता है।

प्रति अदायगी की दरों को निर्यात संवर्धन परिषद/संघों/निर्यात संगठनों द्वारा दिये गए आकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

प्रतिअदायगी की दरों का निर्धारण कुछ व्यापक पैरामीटरों के आधार पर किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ शामिल है- इनपुटों का तत्कालीन प्रचलित मूल्य विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा प्रकाशित स्टेण्डर्ड इनपुट/आउटपुट नार्म्स (एस आई ओ एन), इनपुट की कुल खपत में आयातों का हिस्सा और ड्यूटी की लागू दर

3.6.1 प्रति अदायगी दर, 2007-08 की प्रमुख विशेषतायें

- (1) केन्द्रीय बजट 2007-08 में, सीमा शुल्क की चरम दर को 12.5% से घटाकर 10% कर दिया गया था। ताबां एल्यूमीनियम और जिंक पर सीमा शुल्क 5% ही है जो कि बजट पूर्व था। स्टेनलेश स्टील और अन्य मिश्रधातु इस्पात पर सीमा शुल्क वही अर्थात 5% ही है। शिक्षा उपकरण की दर को 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। नई ड्यूटी दरों को देखते हुए विभिन्न आदानों से विनिर्मित संबंधित निर्यात उत्पादों की आदानों से विनिर्मित संबंधित निर्यात उत्पादों की प्रतिअदायगी दरों में भी संशोधन कर दिया गया है।
- (2) पिछले वर्ष की ही तरह, मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है, श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य, प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद जिसके अध्यक्ष हैं और इस समिति के अन्य सदस्य हैं श्री एस बी मोहा पात्र, पूर्व सचिव, कपड़ा मंत्रालय और श्री टी आर रूस्तगी पूर्ण मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इस समिति का कार्य

प्रति अदायगी की दरों को निर्धारित करना और इसके बारे में सलाह देना है। समिति ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विभिन्न स्थानों के कई औद्योगिक और व्यापारिक संघों के साथ मिलकर व्यापक विचार विमर्श किया है और 06.07.2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने समिति द्वारा सुझाये गये प्रति अदायगी की दरों को स्वीकार कर लिया है और प्रतिअदायगी अनुसूची 2007-08 की दिनांक 16.07.2007 को घोषणा कर दी है। यह अनुसूची 18.7.2007 से लागू हो गयी है।

- (3) एच एस डी और फर्नेस आयल पर लगने वाली शुल्क को प्रति अदायगी की गणना में एक कारक के रूप में शामिल किया गया था। निर्यात माल के प्रसंस्करण या विनिर्माण में इनपुट सेवाओं के रूप में प्रयोग की गयी कर योग्य सेवाओं पर भुगतान किये गये सेवाकर को भी इस गणना में एक कारक के रूप में शामिल किया गया था।
- (4) प्रति अदायगी की अनुसूची में कई नई मदें भी शामिल हैं। इनमें है- एल डी पी ई/एल एल डी पी ई से बने मैट्स/एस लेदर का सिंथेटिक/टेक्सटाइल फूट वियर अपर क्वायर मैट्स इथेट्रिक उपकरणों के पुर्जे जो ताबाँ/ब्रास से बने हैं, स्टेनलेस स्टील के हस्त्र शिल्प/आर्टवेयर कुछ डाई और डाई इन्टरमीडिएट्स।
- (5) प्रतिअदायगी अनुसूची 2007-08 की एक खास विशेषता यह थी कि प्रति अदायगी की दर लगभग हर मामले में बढ़ाई गई थी और बढ़ी हुई दर पीछे से यथा 1.4.2007 से लागू हुई थी। हालांकि जो दरें कम हुई थी वे आगे से यथा 18.07.2007 से लागू हुई थी, अर्थ इस तिथि से जिस तिथि को यह अधिसूचना लागू हुई थी इसके अलावा व्यापार को सरल बनाने के उपाय स्वरूप बोर्ड के परिपत्र सं. 39/2007-सीमा शुल्क, दिनांक 9.10.2007 के द्वारा ये निर्देश जारी कर दिये गये थे कि प्रतिअदायगी की विचलन राशि को, जोकि 1.4.2007 से अर्थात् भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिअदायगी की दरों में वृद्धि होने से निर्यातकों को देय हो गयी थी, कस्टम हाउस की ई डी आई प्रणाली के द्वारा निर्यातकों के खातों में स्वतः जमा करा दी जायें और इसके लिये निर्यातकों को इस बात की जरूरत न पड़े कि वे प्रत्येक ई डी आई शिपिंग बिल के एवज में पूरक दावा पेश करें।
- (6) विभाग ने सभी बड़े-बड़े सीमा शुल्क स्थानों पर पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरेफेस (ई डी आई) की व्यवस्था कर दी है। इस प्रणाली के अंतर्गत स्वयं शिपिंग बिल को प्रतिअदायगी के लिए एक दावा माना जाता है। प्रतिअदायगी की प्रक्रिया आन लाइन होती है और यह राशि सीमा शुल्क द्वारा नामित बैंक के निर्यातक के खाते में जमा हो जाती है। यह राशि लेट एक्सपोर्ट आर्डर के बाद और कैरियर द्वारा मैनिफेस्ट के दायर किये जाने के तत्काल बाद जमा की जाती है और इसके लिए अतिरिक्त कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। आयुक्तों को यह निर्देश दे दिया गया है कि प्रतिअदायगी के बारे में निर्यातकों की सभी शिकायतों और समस्याओं का 72 घंटे के अंदर समाधान हो जाये और यदि किसी मामले में यह संभव नहीं है तो, इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य (सीमा शुल्क/निर्यात संवर्द्धन) के जानकारी में लाया जाये। यदि 72 घंटे से ज्यादा विलंब होता है तो निर्यातक स्वयं इस बात को सदस्य (सीमा शुल्क/निर्यात संवर्द्धन) की जानकारी में ला सकते हैं।

3.6.2 प्रति अदायगी दरें 2008-2009 की प्रमुख विशेषतायें

- (1) वित्त मंत्रालय ने 2008-09 की शुल्क प्रतिअदायगी की सभी औद्योगिक दरों को दिनांक 01.09.2008 से सशोधित कर दिया है।
- (2) पिछले वर्ष की ही तरह, मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है, श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य, प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार

परिषद जिसके अध्यक्ष हैं और इस समिति के अन्य सदस्य हैं श्री एस बी मोहा पात्र, पूर्व सचिव, कपड़ा मंत्रालय और श्री टी आर रूस्तगी पूर्ण मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इस समिति का कार्य प्रति अदायगी की दरों को निर्धारित करना और इसके बारे में सलाह देना है।

- (3) एच एस डी और फर्नेस आयल पर लगने वाली शुल्क को प्रति अदायगी की गणना में एक कारक के रूप में शामिल किया गया था। निर्यात माल के प्रसंस्करण या विनिर्माण में इनपुट सेवाओं के रूप में प्रयोग की गयी कर योग्य सेवाओं पर भुगतान किये गये सेवाकर को भी इस गणना में एक कारक के रूप में शामिल किया गया था।
- (4) प्रति अदायगी की अनुसूची में नये मद शामिल किये गये हैं। इनमें शामिल हैं-काफी (रा बीन्स), बहुतायत में, काफी (रोस्टेड और/ या डिक्फिनेटड), बहुतायत में, चाय बहुतायत में, उपभोक्ता फैक्स में बद चाय जिसमें टी बैग्स (सेवेट्स) भी शामिल है, इन्स्टेंट काफी चमड़े या गैर-चमड़े से बनी हार्नेस और सैडलरी के भाग/घटक, टेक्सटाइल और सिन्थेटिक पदार्थ आते हैं, स्टेनलेसटील आभूषण ब्रास वुशेस और आप्टिकल फाइबर के बल्स
- (5) अधिकांश जिंसों की प्रतिअदायगी की दरों में सामान्य कटौती की गई थी। शुल्क में होने वाले परिवर्तन के साथ-साथ प्रतिअदायगी की दरों में भी परिवर्तन होता गया है। 2008-09 में सकल आयात शुल्क की चरम दर 31.7% थी जबकि पिछले साल यही दर 34.13% थी। प्रमुख कच्चे पदार्थ जैसे कि कूड आयल, रा काटन, जिक और फेरो एलायज पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया गया था। उत्पाद शुल्क को हर जगह 16% से कम करके 14% कर दिया गया है।
- (6) कुछ जिंसों के मामले में प्रति अदायगी की दर में वृद्धि की गयी है। फ्लैक्स यार्न और फ्लैक्स फ्रेब्रिक्स पर प्रतिअदायगी की दरों को क्रमशः 7.6% से बढ़कर 9% और 6.5% से बढ़ाकर 7.6% कर दिया गया है। इसी प्रकार, काफी, चाय, बूडेन आर्टवेयर और आप्टिकल फाइबर्स पर प्रतिअदायगी की दर में वृद्धि की गई है।
- (7) प्रतिअदायगी दावों की स्वचालित स्वीकृति की व्यवस्था 35 स्थानों पर उपलब्ध है जिसमें लगभग 85% निर्यात कवर होता है। एक नई व्यापार सुविधा प्रक्रिया शुरू की गयी है, जिसके द्वारा अब किसी नये निर्यातक के लिये यह जरूरी नहीं रह गया है कि वह निर्यात पत्तन पर किसी नामित प्राधिकृत बैंक की शाखा में ही अपना खाता खोले। सीमा शुल्क द्वारा प्राधिकृत बैंक की शाखायें, जो निर्यात पत्तनों पर अवस्थित हो, ऐसी आवश्यक कार्रवाई करेंगी जिससे कि प्रतिअदायगी की राशि देश में कही भी स्थित उसी बैंक में निर्यातक के खाते में कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जमा की जा सके। अन्य बैंको की किसी भी बैंक शाखा में खातों के बारे में (कोर बैंकिंग, आर टी जी एस/एन ई एफ टी सुविधा प्राप्त) सीमा शुल्क प्राधिकृत बैंक शाखा आर टी जी एस/ई एफ टी सुविधा के माध्यम से प्रति अदायगी की राशि को अंतरित कर देगी।

3.7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रभाग

अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रभाग (आई सी डी) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:-

- (1) सीमा शुल्क के मामले में सहयोग और परस्पर सहायता के उद्देश्य से भारत गणतंत्र और दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

तालिका 3.5

(i) क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा-परीक्षा संबंधी काम काज

वर्ष	की गई लेखा परीक्षा की सं.	पता लगी शुल्क की राशि	(करोड़ रुपये में) वसूल की गई शुल्क की राशि
2007-08	30884	5100.57	924.32
01.01.2008 से 31.03.2008	10768	2239.10	408.10
2008-09	35256	7503.72	1522.49

(ii) अपवंचन विरोधी काम काज को निम्न सारणी

वर्ष	दर्ज मामलों की	निहित शुल्क की राशि	(करोड़ रुपये में) वसूल की गई राशि
2007-08	7651	8770.29	2785.45
01.01.2008 से 31.03.2008	1913	1675.74	355.18
2008-09	5672	6943.10	1230.78

- (2) प्रशिक्षण और क्षमता सृजन के मामले में, रूसी राष्ट्रपति के दिनांक 5.12.2008 को भारत आगमन नेशनल एकेडेमी आफ कस्टमस, एक्साइज एण्ड नार्कोटिक्स (नासेन) और रूसी कस्टमस एकेडेमी के बीच एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। भारत की ओर से श्री पी सी झा अध्यक्ष केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने और रूस की ओर से श्री ए वाई बेलिया नीनोव, प्रमुख रशियन कस्टमस ने उक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। इस ज्ञापन से परस्पर हितों के क्षेत्र में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण क्रियाकलापों के संचालन, विशेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से सीमा शुल्क मामलों में क्षमता सृजन में मदद मिलेगी।
- (3) सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर सहायता के लिये भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तथा भारत और फिनलैंड के बीच कार्यकारी योजनाओं पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- (4) सीमा शुल्क मामलों में सहयोग के क्षेत्र में गार्डिया डी फिनान्जा, मुख्यालय इटली और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
- (5) सीमा शुल्क के मामले में सहयोग और परस्पर सहायता के लिए भारत और आस्ट्रेलिया के बीच एक कार्यकारी योजना पर हस्ताक्षर किए गए।
- (6) वरीयतापरक दरों के अंतर्गत अम्पतम विकसित देशों में आयातित माल के निर्धारण के लिये अधिसूचना सं. 100/2008-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 13.8.2008 के द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ (डिटर्मिनेशन आफ ओरिजिन आफ प्रोडक्ट्स अण्डर शुल्क फ्री टैरिफ 2008 के अधिसूचित किया गया।

3.8 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

3.8.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

- (क) **तीसरे पक्ष से जानकारी:** कर का अपवंचन की आदत वाले विनिर्माताओं का पता लगाने के लिये और स्वेच्छापूर्वक अनुपालन का वातावरण पैदा करने के लिए सितम्बर, 2008 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली में कुछ परिवर्तन किये गये हैं जिससे कि तीसरे पक्ष से या स्वयं विनिर्माता में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो। इस संबंध में निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्र की जा रही हैं:-

- (1) **वार्षिक स्थापित क्षमता रिटर्न:-** इस रिटर्न को वर्ष में एक बार भरा जाना होता है जिसमें संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता दर्शाती होती है। विनिर्माता द्वारा घोषित वार्षिक क्षमता की संयंत्र द्वारा घोषित वास्तविक क्षमता से तुलना की जाती है और यदि दोनों में खास अंतर देखने में आता है तो आवश्यक जांच करायी जाती है।
- (2) **एसएसआई ईकाइयों से सूचना :** एसएसआई ईकाइयों जिनका कारोबार 150 लाख रुपये से कम है, को उत्पाद शुल्क विभाग के साथ पंजीकरण आवश्यक नहीं है। परंतु ईकाइयों जिनका विगत वर्षों में कारोबार 90 से 150 लाख के बीच था, को एक सरल घोषणा जिसमें विवरण जैसे कारखाने का पता, विनिर्माण वस्तुओं का विवरण और विगत वर्षों का कारोबार का विवरण फाइल करना आवश्यक था। इन ईकाइयों को अब सूचनाएं यथा पैन्, वैट रजिस्ट्रेशन संख्या और विद्युत मीटर विवरण प्रदान करना होता है। यह सूचनाएं विभाग द्वारा कुछ चुनिन्दा मामलों में यदि उत्पाद कम सूचित किया गया है को सुनिश्चित करना है।
- (3) **विद्युत उपभोगा डाटा :** केन्द्रीय उत्पाद क्षेत्रीय कार्यालयों को अपवंचन प्रणत वस्तुओं की पहचान करने तथा ऐसी ईकाइयों द्वारा उपभोग की गई बिजली से संबंधित डाटा वितरण कम्पनियों से प्राप्त करने तथा मासिक उत्पाद शुल्क विवरणी में घोषित उत्पादन विवरण को सत्यापित करने की सलाह दी गई है।

- (4) अधिक कर निर्धारितियों द्वारा ईआर 4, ईआर 5 और ईआर 6 विवरणी दाखिल करना : सरकार ने भी अन्य उत्पाद शुल्क विवरणी (यथा ईआर 4, ईआर 5 और ईआर 6) को दाखिल करने के तरीके को संशोधित कर दिया है तथा इसे सभी करदाताओं / कर निर्धारितियों के लिए जो कुल शुल्क (सेनवेट क्रेडिट+रोकड़) या 1 करोड़ रुपये से अधिक वित्तीय वर्ष में अदा किया है को दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। ईआर 4 एक वार्षिक वित्तीय विवरणी है जो कर निर्धारितियों द्वारा वित्तीय विवरण जो खरीद, बिक्री अन्य आय इत्यादि के बारे में होंगे, दाखिल की जाती है। ईआर 5 और ईआर 6 कर निर्धारितियों द्वारा प्रयुक्त प्रधान निविष्टियों से संबंधित सूचना एवं ऐसी निविष्टियों के मासिक उपभोग की सूचना कर विवरणी में दी जाती है। इस स्रोतों से प्राप्त सूचना का नियमित विश्लेषण करों के अपवर्जन को खोजने में प्रयुक्त की जाएगी।

3.8.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में अन्य परिवर्तन

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून में उत्पादन क्षमता आधारित उदग्रहण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में धारा 3क के अंतर्गत शुरू किया गया। धारा 3क के अंतर्गत सरकार अधिसूचना के द्वारा ऐसी वस्तुओं को अधिसूचित वस्तु के रूप में निदिष्ट कर सकती है और ऐसी वस्तुओं के कारखाने द्वारा उत्पादन क्षमता के निर्धारण के तरीका उपलब्ध करा सकती है। इस धारा में शुल्क से मुक्ति का प्रावधान है, यदि कारखाने ने अधिसूचित वस्तु का उत्पादन लगातार 15 दिवस की अवधि या अधिक तक नहीं किया है। अभी तक पान मसाला और गुटके को इस धारा के अंतर्गत 1.7.2008 से अधिसूचित कर दिया है। इसके अतिरिक्त राजस्व में इन दो वस्तुओं के संबंध में उत्पादन आधारित उदग्रहण की शुरुआत से अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944 की धारा 2 में सुधार खण्ड

घ में व्याख्या को जोड़ कर किया है जिसका उद्देश्य इस खण्ड में वस्तुओं में कोई सामान, वस्तु या पदार्थ जो किसी मूल्य के लिए खरीदा एवं बेचा जा सके शामिल है।

3.8.3 सेवा कर वर्ष के दौरान कार्य निष्पादन एवं उपलब्धियों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं।

- विवाद समाधान योजना, 2008: विवादसमाधान योजना 2008 को सेवा कर में लागू किया गया था ताकि 1.3.2008 से लम्बित मामले जिसमें केवल जुर्माना/ब्याज या 25000 तक सेवा का बकाया था या 50% कर बकाया और 25% जुर्माना/ब्याज राशि निहित थी का शमन करने हेतु किया गया। बकाया मामलों के शीघ्र निबटान के लिए यह करदाता को लिए एक महत्वपूर्ण सुकर योजना थी। इस योजना को अपनाने की समय सीमा 30.9.2008 तक थी।
- सेवा कर विवरणी तैयारी योजना - सेवा कर कानून में सेवाकर विवरणी तैयारी योजना, को कार्यान्वयन करने का एक प्रावधान बनाया गया। सेवा कर विवरणी तैयारी योजना (एसटीआरपी) को बनाया गया तथा उसे अधिसूचना संख्या 7/2009-एसटी, दिनांक 3 फरवरी 2009 के द्वारा अधिसूचित किया गया।

3.8.4 वृहद करदाता ईकाईयां (एलटीयूस)

वृहद करदाता ईकाई बंगलौर देश की प्रथम वृहद करदाता ईकाई थी जो देश में 1.10.2006 से प्रचालन में थी। इसके बाद एल.टी.यू चेन्नै ने 1.12.2007 से काम करना शुरू कर दिया है। इन वृहदकरदाता ईकाईयों के मुखिया मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क है। इनका विवरण नीचे दिया गया है।

एलटीयू बैंगलौर

करदाता के संबंध में सूचना जो एलटीयू बैंगलौर में सम्मिलित हुई (31.3.2009)

■ करदाताओं की संख्या जो सम्मिलित हुए : 57

तालिका 3.6							
राजस्व (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) (बंगलौर)							
	वर्ष 2008-09 के लिए लक्ष्य	वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त राजस्व	वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त राजस्व	लक्ष्य से संबंधित अधिक्य/कमी		पूर्व वर्ष के राजस्व के संदर्भ में अधिक्य/कमी	
				राशि	%	राशि	%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1010	902.52	614.43	-395.57	-39.17%	-288.09	-31.92%
सेवा कर	500	401.33	982.49	482.19	96.38%	581.16	144.81%
कुल	1510	1303.85	1596.92	86.92	5.76%	293.07	22.48%
राजस्व (आयकर)							
	वर्ष 2008-09 के लिए लक्ष्य	वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त राजस्व	वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त राजस्व	लक्ष्य से संबंधित अधिक्य/कमी		पूर्व वर्ष के राजस्व के संदर्भ में अधिक्य/कमी	
				राशि	%	राशि	%
आयकर	2768	2241	2898	130	4.69%	657	29.32%

तालिका 3.7

राजस्व (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) (चेन्नै)

	वर्ष 2008-09 के लिए लक्ष्य	वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त राजस्व	वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त राजस्व	लक्ष्य से संबंधित अधिक्य/कमी		पूर्व वर्ष के राजस्व के संदर्भ में अधिक्य/कमी	
						(करोड़ रुपये में)	
				राशि	%	राशि	%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	5390	5409.07	3999.02	-1390.98	-25.81%	-1410.05	-26.07%
सेवा कर	460	569.46	771.11	311.11	67.63%	201.65	35.41%
कुल	5850	5978.53	4770.13	-1079.87	-18.46%	-1208.40	-20.21%
राजस्व (आयकर)							
	वर्ष 2008-09 के लिए लक्ष्य	वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त राजस्व	वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त राजस्व	लक्ष्य से संबंधित अधिक्य/कमी		पूर्व वर्ष के राजस्व के संदर्भ में अधिक्य/कमी	
						(करोड़ रुपये में)	
				राशि	%	राशि	%
आयकर	4678	2061	3063.13	-1617.87	-34.52%	1002.13	48.62%

- इन करदाताओं में 170 विनिर्माण ईकाइयां हैं, 77 डीलर/गोदाम पंजीकृत हुए और 208 सेवा कर पंजीकरण (कुल 455 पंजीकरण निहित है।

एलटीयू बैंगलूर द्वारा 1.1.2008 से 31.3.2009 के दौरान प्राप्त राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है।

कर	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रुपये में)
केन्द्रीय उत्पाद	879.52
सेवा कर	1132.52
आयकर	3229.02

एलटीयू चेन्नै

करदाताओं के संबंध में सूचना जो एल टी यू चेन्नै में सम्मिलित हुए (31.03.2009 के अनुसार)

- करदाताओं की संख्या जो सम्मिलित हुए : 36

इन करदाताओं में 165 विनिर्माण ईकाइयां, 124 डीलर/ मालगोदाम पंजीकरण और 258 सेवा कर पंजीकरण (कुल 547 पंजीकरण)

एलटीयू चेन्नै द्वारा 1.1.2008 से 31.3.2009 के दौरान प्राप्त राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है।

कर	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रुपये में)
केन्द्रीय उत्पाद	5523.25
सेवा कर	913.48
आयकर	3656.10

3.9 अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत वाद

3.9.1 विधिक प्रकोष्ठ

बोर्ड के सीएक्स58ए/विधिक प्रकोष्ठ पर सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के मामले में उच्च न्यायालयों के आदेशों के कारण उत्पन्न वादों के मामले में उच्चतम न्यायालय में पैरवी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। देश भर के विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष इस विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजन अधिकारियों ओर अधिवक्ताओं की नियुक्ति की भी जिम्मेदारी इसी विधिक प्रकोष्ठ पर डाली गई है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष अप्रत्यक्ष कर के विवादों में पैरवी करने के लिए स्थाई अधिवक्ताओं के एक पैनल का गठन किया है। अप्रत्यक्ष करों के विवाद अब से कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा स्थाई अधिवक्ताओं के पैनल द्वारा संचालित किए जाते हैं। न्याय मंत्रालय ने अगस्त, 2007 में अप्रत्यक्ष करों के विवादों के लिए पहली बार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड को स्थाई अधिवक्ताओं के पैनल के गठन की शक्तियां प्रदान की थी। तदनुसार कानून मंत्रालय की सहमति से उल्लिखित पैनल का गठन किया गया था। यह कदम विभाग को उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद को सरल बनाने में मदद करेगा।

कानून मंत्रालय के साथ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में दाखिल मामलों के संचालन में बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान समय-समय पर सचिव स्तर की बैठकें आयोजित की गई हैं।

3.9.2 न्यायिक प्रकोष्ठ

सीबीईसी का न्यायिक प्रकोष्ठ सिस्टैट के आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विभागीय अपीलों के दायर करने और इसके पहले इन अपीलों की जांच परख करने में सदस्य (एल एंड जे) के कार्यालय की मदद करता है और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के साथ उत्पन्न विवादों के मामले में यह

तालिका 3.8

वर्ष 2007-08 व 2008-09 के दौरान निष्पादन

विभागीय अपील								
वर्ष		प्राप्त सिविल अपील प्रस्तावों की संख्या		दायर की गई अपीलों की संख्या		मामलों की संख्या जहां सेसटेट आदेश स्वीकृत हुआ		
2007-08		411		280		131		
2008-09 (1.1.2008 से 31.3.2009)		397		299		98		
पीएसयू के साथ विभागीय विवाद - सीओडी								
(क) सीओडी प्रस्तावों की प्रक्रिया								
वर्ष		शुरूआती शेष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या		कुल	निबटाए गए प्रस्तावों की संख्या		समाप्ति शेष
2007-08		43	122		165	114		41
2008-09 (1.1.2008 से 31.3.2009)		67	212		279	187		92
(ख) सीओडी बैठकों की प्रगति								
वर्ष	बैठकों की संख्या	पीएसयू मामले	विभागीय मामले	स्वीकृत पीएसयू मामले	अस्वीकृत पीएसयू मामले	स्वीकृत विभागीय मामले	अस्वीकृत विभागीय मामले	
2007-08	22	468	137	296	172	36	101	
2008-09 (1.1.2008 से 31.3.2009)	27	546	190	381	106	75	60	

तालिका 3.9

विगत वर्ष तक निष्पादन/उपलब्धि के बारे में सूचना

विभागीय अपीलों			
वर्ष	सिविल अपील के प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	दायर अपीलों की संख्या	मामलों की संख्या सीसटेट आदेश स्वीकृत हुआ
2004-05	736	322	414
2005-06	551	347	204
2006-07	443	326	117
2007-08	411	280	131
2008-09	311	234	77

सीओडी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष विभाग के वाद को रखता है।
न्यायिक प्रकोष्ठ निम्नलिखित काम/कार्य भी करता है:-

1) सभी अपीलीय मंचों पर इस विभाग की अपीलों की गुणवत्ता के समुन्नत करने के लिए चैतन्यतापूर्ण प्रयास करना किया है। वादों की संख्या को कम करने पर जोर दिया गया है और अपील संबंधी

प्रस्तावों की बेहतर ढंग से जांच-परख करके तथा विश्लेषण करके प्रयास किये गये हैं कि इस विभाग के वाद सफल रहें।

2) सिविल अपील (सीए) को दायर करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए सही ढंग से प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों के कारण उच्चतम न्यायालय में तेजी और जल्दी से सिविल अपील दायर की जा सकी है।

तालिका 3.10

पीएसयू - सी.ओ.डी. के साथ विभागीय विवाद

सीओडी प्रस्तावों की प्रोसेसिंग					
वर्ष	शेष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	कुल	निबटाए गए प्रस्तावों की संख्या	अंत शेष
2004-05	60	240	300	228	72
2005-06	72	171	243	193	50
2006-07	50	178	228	185	43
2007-08	43	122	165	114	41
2008-09	41	160	201	119	82

सीओडी बैठक की प्रगति					
वर्ष	बैठकों की संख्या	पीएसयू मामले	विभागीय मामले	अनुमत पीएसयू मामले	अनुमत विभागीय मामले
2004-05	23	347	106	240	27
2005-06	25	537	150	420	83
2006-07	26	459	112	235	58
2007-08	22	468	137	296	36
2008-09	20	373	139	267	62

माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन समान वाद के मामलों का समेकन

उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसे ही मुद्दों वाले लम्बित मामलों का समेकन माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों को समेकित करने का कार्य शुरू किया गया।

विभिन्न मुद्दों पर 2500 से अधिक मामले लम्बित थे। इन मामलों को सम्बद्ध मुद्दे के आधार पर जांच कर संवर्गीकृत किया गया। समान मुद्दों पर 573 मामले दर्ज किए गए। पुराने मामले, उच्च राजस्व वाले मामले, अखिल भारतीय प्रशासन वाले महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित मामले, आदि जैसे विभिन्न संवर्गों में मामलों को वर्गीकृत करने का कार्य भी किया गया। इसी प्रकार मूल्यांकन, वर्गीकरण, विनिर्माण, सेनवैट, 100% ई ओ यू अपर्याप्त/अनिवार्य अर्थदंड, छूट अधिसूचना, डी ई ई सी स्कीम का दुरुपयोग, प्रतिदाय, जब्ती, क्राउन ऋण, डीमड क्रेडिट शिक्षा उपकरण की छूट के वी एस एस आदि जैसे संवर्गों में मामलों को उपवर्गीकृत भी किया गया।

3.10 लोक लेखा समिति अनुभाग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर संबंधी मामलों के संबंध में लेखा परीक्षा टिप्पणियां, वर्ष 2008 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या सी ए 7 (अनुपालन लेखा परीक्षा) और वर्ष 2008 की लेखा परीक्षा संख्या 6 (निष्पादन लेखा परीक्षा) में की गई हैं, जो लोक लेखा समिति से संबंधित थे। अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट (ऊपर उल्लिखित) में मसौदा लेखा परीक्षा पैरा (डीएपी) निहित होते हैं जिन्हें लेखा परीक्षा पैराओं में परिवर्तित किया गया है। निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट (ऊपर उल्लिखित) में पद्धति पुनरीक्षा निहित है।

वर्ष 2006-07 के दौरान 303 मसौदा लेखा परीक्षा पैरा (डीएपी) प्राप्त हुए

थे और लोक लेखा समिति अनुभाग द्वारा उनका उत्तर दिया गया था। इन 303 मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं में से अधिक से अधिक 272 मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं को लेखा परीक्षा पैरा (एपी) में परिवर्तित किया गया था और मंत्रालय ने उन सभी के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी (एटीएन) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दी है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से 370 मसौदा लेखा परीक्षा पैरा प्राप्त हुए हैं और 275 मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं के उत्तर पहले ही 31.3.2009 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिए गए हैं।

प्रबंधन परामर्शदायी सेवा, वैज्ञानिक अथवा तकनीकी परामर्शदायी सेवा, तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण सेवा तथा तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवा, जो वर्ष 2007 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 7 के अध्याय ६ से संबंधित है, पर सेवा कर पर पुनरीक्षा पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी (एटीएन) भी वित्त वर्ष के दौरान भेज दी थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रतिदायों पर पुनरीक्षा (अध्याय II) के संबंध में वर्ष 2008 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या पी ए 6 के संबंध में मंत्रालय की की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी को भी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया गया था। रेंट-ए-कैब स्कीम ऑपरेटर सेवा पर सेवा कर की पुनरीक्षा, फोटोग्राफी सेवा तथा स्वास्थ्य क्लब एवं फिटनेस सेन्टर सेवाओं पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई विषयक टिप्पणी तैयार हो रही है।

उपर्युक्त के अलावा, “अनंतिम कर निर्धारण की पुनरीक्षा” पर अग्रिम प्रश्नावली का उत्तर भी लोक सभा सचिवालय को भेज दिया था।

मंत्रालय ने निम्नलिखित रिपोर्टों पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर इसकी की गई कार्रवाई को भी भेज दिया है :-

- (क) “परस्पर सम्मत निम्न दर को अपनाने के कारण कम मूल्यांकन” पर लोक लेखा समिति की 57वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा)
- (ख) “छोटे पैमाने के उद्योगों को देय छूटों का बड़े पैमाने के विनिर्माताओं द्वारा लाभ उठाने” पर लोक लेखा समिति की 68वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा)
- (ग) “मांगों को अंतिम रूप देने में हुई देरी” पर लोक लेखा समिति की 71वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा)

उपर्युक्त से परे, वर्ष 2008-09 के दौरान, चालू वर्ष के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित लंबित लेखा परीक्षा पैराओं के आगे उत्तर देने के लिए कठोर प्रयास किए गए थे। सतत प्रयासों के कारण जिसमें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रधान निदेशक के साथ कार्मिकों की बैठकें शामिल हैं, वर्ष 2006-07 के अधिक से अधिक 166 मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से निपटा दिया गया था।

3.11 तस्करीरोधी यूनिट

3.11.1 तस्करी-रोधी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड का कार्य-निष्पादन तालिका 3.11 पर दी गई है।

3.11.2 सीमा शुल्क समुद्रीयानों की खरीद

निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने, जो आर्थिक सुरक्षा और बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गम्भीर आशंका को पैदा करता है, पर उच्च स्तरीय सतर्कता बरतने तथा ध्यान केंद्रित करना परम महत्वपूर्ण है, यद्यपि पिछले दशक या दो दशक में सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य

कारोबारी सामान की तस्करी में जबरदस्त कमी आई है जो तस्करी के कम होने की निशानी थी। देश के समुद्री सीमाओं के पार इस तरह की निषिद्ध माल की तस्करी संबंधी गतिविधि को रोकने/पता लगाने में सीमाशुल्क विभाग की मदद करने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति 109 समुद्री पोतों (3 श्रेणियों में) के अधिग्रहण हेतु जो 358.19 करोड़ रुपये की लागत पर पहले से बेकार अथवा बेकार किए जाने वाले पोतों के बदले में है, फरवरी, 2007 में प्राप्त की गई थी। श्रेणी I के पोत उच्च गति, उच्च क्षमता की पेट्रोलिंग वाल पोत होते हैं। श्रेणी III के पोत अवरोधक पोत होते हैं और श्रेणी II के पोतों को ऊपरी जल क्षेत्रीय जैसे हार्बर/क्रीक/डेल्टा आदि में प्रयोग किया जाएगा। श्रेणी I के पोतों का निर्माण अनुसूची में है तथा इस श्रेणी में 5 पोत मार्च, 2009 तक सुपुर्द किए गए थे। श्रेणी III ए और श्रेणी III बी (24 पोत प्रत्येक के) में 48 पोत मार्च, 2009 तक सौंपे गए हैं। श्रेणी II पोतों के लिए आदेश 12.12.2008 को किया गया है।

3.11.3 7 ट्रक/कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम का प्रापण

मंत्रिमंडल ने 27.10.2007 की अपनी बैठक में 172.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मुम्बई, चेन्नई, तूतीकोरीन और काण्डला पत्तनों पर अधिष्ठापन हेतु 7 कंटेनर स्कैनर (4 फिक्स्ड एक्सरे और 3 मोबाइल गामा रे स्कैनर) के प्रापण हेतु राजस्व विभाग का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। एक फिक्स्ड 9 एमईवी एक्सरे स्कैनर प्रत्येक स्थान पर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 1 मोबाइल गामा रे स्कैनर चेन्नई, तूतीकोरीन एवं काण्डला में लगाया जाएगा। मोबाइल एवं फिक्स्ड स्कैनरों, दोनों के लिए टैंडर संबंधी प्रक्रिया आरम्भ की गई है। पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारियों से भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया भी आरम्भ की गई है। सभी 4 पत्तनों पर संबंधित पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके भूमि की पहचान कर ली गई है और भू-तकनीकी सर्वे करने के बाद भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

तालिका 3.11

तस्करी-रोधी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड का कार्य-निष्पादन

जब्ती संबंधी मामले (पूर्णतया तस्करी संबंधी मामले)		
वर्ष	सम्पूर्ण भारत (पूर्णतया तस्करी संबंधी मामले)	डी आर आई
2007-2008	1021.08	634.70
1.1.2008-31.3.2008	181.69	53.83
2008-2009	1479.42	706.18
सीमाशुल्क के अपवंचन संबंधी मामले (आंकड़े, जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर आधारित हैं)		
वर्ष	मांग की गई शुल्क सम्पूर्ण भारत (डी.आर.आई. सहित)	मांगा गया शुल्क डी आर आई
2007-2008	1221.77	1073.58
1.1.2008 से 31.3.2008	419.76	368.13
2008-2009	1867.24	1487.08
अखिल भारतीय एवं डी आर आई आधार पर वसूल किया गया शुल्क		
वर्ष	सम्पूर्ण भारत	डी आर आई
2007-2008	338.47	249.02
1.1.2008 से 31.3.2008	106.37	53.37
2008-2009	646.59	342.36

कंटेनर स्कैनरों के अधिष्ठापन से, सीमाशुल्क विभाग की गैर-अंतर्वेधी निरीक्षण क्षमता बढ़ेगी और सीमाशुल्क विभाग द्वारा अपने सांविधिक कार्यों अर्थात् सीमाशुल्क की वसूली और अन्य उद्ग्रहणों के साथ-साथ देश के अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं के पार निषिद्ध माल की तस्करी संबंधी गतिविधि को रोकने/पता लगाने के काम का अधिक दक्षता से निर्वहन होगा। यह पोर्ट सुविधा सुरक्षा को बढ़ाने में भी सरकार को समर्थ बनाएगा जैसा अन्तरराष्ट्रीय जहाज एवं पोर्ट सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड द्वारा अपेक्षित है।

3.12 वर्ष 2008-09 में अप्रत्यक्ष कर बकायों की वसूली संबंधी निष्पादन

वर्ष 2008-09 के लिए अप्रत्यक्ष कर बकाया वसूली लक्ष्य निम्नलिखित ब्यौरे के सा 3250 करोड़ रुपये निर्धारित कर : उत्पाद शुल्क - 1300 करोड़ रुपये, सीमाशुल्क - 950 करोड़ रुपये, सेवा कर - 1000 करोड़ रुपये।

वर्ष 2008-09 के दौरान बकाया राशियों की वसूली में अखिल भारतीय निष्पादन लक्ष्य की तुलना में तालिका 3.12 पर दी गई है।

01.01.2008 से 31.03.2009 तक अप्रत्यक्ष कर में राजस्व की बकाया राशियों की वसूली के ब्यौरे तालिका 3.13 पर दी गई है।

3.13 प्रचार एवं जन-सम्पर्क निदेशालय

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान निष्पादन एवं उपलब्धियों की विशिष्टताएं

प्रचार

निदेशालय ने सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में जन जागृति बढ़ाने के लिए एक सामूहिक मल्टी-मिडिया अभियान तैयार किया है और

निष्पादित किया है। शिक्षाप्रद संदेशों के साथ मल्टी-मिडिया विज्ञापन, जिसमें महत्वपूर्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर स्कीमों/उपबंधों एवं संशोधनों पर सूचना अंतर्निहित है, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार व्यापक रूप से प्रचारित की गई थी। तालिका 3.14 पर दी गई है।

प्रकाशन

केन्द्रीय बजट 2008-09 के शीघ्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात पूरी रात बजट बुलेटिन मुद्रित किए गए थे और क्षेत्रीय कार्यालयों को हवाई-कोरियर किए गए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क टैरिफों को नवीनतम किया गया और इन्हें उपयुक्त व्यवधान रहित कर संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष संवाहक द्वारा भेजा गया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर से संबंधित अधिसूचनाएं/परिपत्र प्रकाशित किए गए और क्षेत्रीय कार्यालयों और अंशदाताओं को भेजे गए और दिन-प्रति-दिन आधार पर व्यावसायिकों और आम जनता को बेचे गए। मासिक प्रकाशन अर्थात् सीबीईसी डाइजेस्ट, आईसीई ट्रेड डाइजेस्ट, यात्री पुस्तिका का नवीनतम प्रकाशन और सम्पर्क मुद्रित किए गए थे और क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे गए। बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालयों से निदेशालय को भेजी गई नियमावल्यां/प्रकाशनों को भी मुद्रित किया गया।

संगठन का कार्य/कार्यप्रणाली और प्रभाग की संरचना

निदेशालय, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग का प्रचार, जन सम्पर्क और प्रकाशन आवश्यकताओं की देखरेख कर रहा है और यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है

तालिका 3.12

वर्ष 2008-09 के दौरान बकाया राशियों की वसूली में अखिल भारतीय निष्पादन लक्ष्य की तुलना

(मूल्य करोड़ रुपए में)

शुल्क शीर्ष	2008-09 के लिए लक्ष्य 2008-09 में मार्च तक बकाया	राशियों की वसूली	प्राप्त किए गए लक्ष्य का प्रतिशत
के.उ.शुल्क	1300	17818.4	134.55
सीमाशुल्क	950	1120.9	118.05
सेवा कर	1000	2062.6	206.35
कुल	3250	4931.9	151.85

तालिका 3.13

01.01.2008 से 31.03.2009 तक अप्रत्यक्ष कर में राजस्व की बकाया राशियों की वसूली के ब्यौरे

(मूल्य करोड़ रुपए में)

शुल्क शीर्ष	जन.-मार्च, 2008 के दौरान भकाया राशियों की वसूली	वित्त वर्ष 2008-09 में भकाया राशियों की वसूली	1.1.2008 से 31.3.2009 के दौरान कुल भकाया राशियों की वसूली
के.उ.शुल्क	751.41	1748.4	2499.81
सीमाशुल्क	591.91	1120.9	1712.81
सेवा कर	829.13	2062.6	2891.73
कुल	2172.45	4931.9	7104.35

तालिका 3.14

प्रिन्ट मिडिया 31.03.2009 (1.1.2008 से 31.3.2009)

(1)	(क)	हिन्दी विज्ञापनों की संख्या	27
	(ख)	समाचार पत्रों की संख्या	45
(2)	(क)	अंग्रेजी विज्ञापनों की संख्या	28
	(ख)	समाचार पत्रों की संख्या	56
(3)	(क)	शामिल क्षेत्रीय भाषा सेगमेंटों की संख्या	11
	(ख)	समाचार पत्रों की संख्या	13

टेलीवीजन

- (1) निदेशालय को भारतीय सीमाशुल्क पर बनी एक फिल्म विभाग के अनजान पहलूओं से जनता को अबगत कराने तथा देश के विकास में इसके सहयोग को चिन्हित कराने की दृष्टि से प्राप्त हुई है। "आर्थिक सीमाओं का संरक्षक" शीर्षक की यह 25 मिनट वाली फिल्म को मार्च, 2009 के दौरान शीर्ष अंग्रेजी समाचार चैनलों पर प्रसारित किया गया था।
- | | | |
|------|---|----|
| (क) | हिन्दी विज्ञापन फिल्मों की संख्या | 5 |
| 1. | एवॉइड पेनल्टी (30 सैकेंड) | |
| 2. | प्रोग्रेस एवं टैक्सस (30 सैकेंड) | |
| 3. | 'डी आर एस' (45 सैकेंड) | |
| 4. | ई-पेमेन्ट (35 सैकेंड) | |
| 5. | 31 मार्च, 2009 (20 सैकेंड) | |
| (ख) | हिन्दी चैनलों की संख्या जिन पर (आज तक, इण्डिया टी.वी., आई बी एन 7, जी न्यूज़, इण्डिया टी.वी., सहारा नेशनल) दिखाया गया। | 6 |
| (ग) | अंग्रेजी चैनलों की संख्या जिन पर (एन.डी.टी.वी. 24न; सी.एन.एन.-आई.बी.एन.; टाइम्स एन.ओ.डब्ल्यू; बी.बी.सी. वर्ल्ड) दिखाया गया। | 4 |
| (घ) | बिजनेस चैनलों की संख्या जिन पर (सी.एन.बी.सी. 18; एन.टी. टी.वी प्रोफिट; जी बिजनेस; आवाज; लोक सभा टी.वी. के अलावा) दिखाया गया। | 5 |
| (ङ.) | क्षेत्रीय चैनलों की संख्या जिन पर एनईटीवी (असमिया 16 भाषाएं) स्टार अनन्दा (बंगला); ईटीवी गुजराती, ईटीवी कन्नड़; मनोरमा न्यूज (मलयालम); स्टार मझा (मराठी); ओटीवी (उड़िया); जी पंजाबी/पीटीसी, सन न्यूज (तमिल); ईटीवी 2 (तेलुगू) दिखाया गया। | 11 |
- (2) सेवा कर विवाद समाधान स्कीम में टीवी नामावली
- | | | |
|-----|--|----|
| (क) | हिन्दी चैनलों की संख्या जिन पर (इण्डिया टी.वी.; आई बी एन 7; एनडीटीवी इंडिया; सहारा नेशनल) दिखाया गया | 4 |
| (ख) | अंग्रेजी चैनलों की संख्या जिन पर (एन.डी.टी.वी. 24न, सी.एन.एन.-आई.बी.एन., टाइम्स एन.ओ.डब्ल्यू) दिखाया गया। | 3 |
| (ग) | बिजनेस चैनलों की संख्या जिन पर (सी.एन.बी.सी. 18, एन.टी. टी.वी प्रोफिट, जी बिजनेस, आवाज, लोक सभा टी.वी. के अलावा) दिखाया गया | 4 |
| (घ) | क्षेत्रीय चैनलों की संख्या जिन पर एनईटीवी (असमिया और अन्य एनई भाषाएं) स्टार अनन्दा (बंगला); ईटीवी गुजराती; ईटीवी कन्नड़; मनोरमा न्यूज (मलयालम); स्टार मझा (मराठी); ओटीवी (उड़िया); पीटीसी, (पंजाबी); सन न्यूज (तमिल); ईटीवी 2 (तेलुगू) दिखाया गया। | 10 |

रेडियो

- (1) दो रेडियो स्पॉट्स केपशन्ड "वाय टू आई पे" (30 सैकेंड) और "फिफ्टी लाख" (35 सैकेंड) तैयार किए गए और दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई में ऑल इंडिया रेडियो नेशनल हुक-अप और रेड एफएम फ्रीकेन्सीज़ पर फरवरी-मार्च, 2009 के दौरान प्रसारित किए गए।

आउटडोर मीडिया

- (2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर विशेष बल देते हुए शिक्षात्मक सूचना वाले पैनल/गेन्द्रीज़ (बोर्ड) तैयार किए गए और कर दाताओं में स्वैच्छिक कर अनुपालना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास 11 चुनिन्दा स्थानों पर लगाए गए।

3.14 निरीक्षण महानिदेशालय

क. कार्यों का घोषणा-पत्र

निरीक्षण महानिदेशालय के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :-

- पूरे देश में सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागीय तंत्र की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना ;
- इसकी कार्यक्षमता में सुधार हेतु और निरीक्षण के माध्यम से इसकी महत्वपूर्ण कमियों को सुधारने के लिए उपायों का सुझाव देना और सुचारु रूप से कार्य करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करना ;
- यह निश्चित करने के लिए निरीक्षण करना कि क्या क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्य प्रणाली सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं के अनुसार है और प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ, यदि कोई पाई जाती हैं, के लिए सिफारिशें करना ;
- क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलाप में सुधार के लिए उपायों का सुझाव देना ;
- सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल कार्यालय।

ख. संगठनात्मक ढांचा

निरीक्षण महानिदेशक इस विभाग के अध्यक्ष हैं जिनका क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है। वह मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में स्थित सभी क्षेत्रीय यूनिटों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर रहे हैं।

प्रत्येक क्षेत्रीय एकक की अध्यक्षता एक अपर महानिदेशक द्वारा की जाती है जो विभाग का अध्यक्ष है। मुख्यालय में अपर महानिदेशक (प्रशा.) को विभाग के अध्यक्ष की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। उनके पास मुख्यालय में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षण का प्रभार भी है। वह राजभाषा अनुभाग नेपाल, छूट और भूतान प्रतिदाय अनुभाग भी देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यालय में अपर महानिदेशक (सीमाशुल्क) क्षेत्रीय सीमाशुल्क कार्यालयों का निरीक्षण भी करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, अपने संबंधित

क्षेत्राधिकार में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क निरीक्षण भी करते हैं। सभी अपर महानिदेशकों की सहायता अपर निदेशकों/संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों और सहायक निदेशक द्वारा की जाती है।

निरीक्षण महानिदेशक, निरीक्षण महानिदेशालय, महानिदेशक (सतर्कता), महानिदेशक (आवास और कल्याण), महानिदेशक (निर्यात संवर्धन), सीडीआर का कार्यालय, विधि कार्य निदेशालय, महानिदेशक (लेखापरीक्षा) महानिदेशक और महानिदेशालय, मानव संसाधन के लिए समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है।

ग. कार्यविधि

निदेशालय का गठन 1939 में बोर्ड के एक भाग के रूप में निरीक्षण करने और तकनीकी प्रश्नों और सीमाशुल्क गृहों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में संगठन और प्रक्रिया के मानकीकरण पर परामर्श देने के लिए किया गया। इसे 1 अप्रैल, 1946 को बोर्ड से अलग किया गया और एक सम्बद्ध कार्यालय का दर्जा दिया गया।

घ. कार्य निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

डीजीआईसीसीई द्वारा किए गए आयुक्तालयों और इसके क्षेत्रीय यूनिटों के निरीक्षणों की संख्या तालिका 3.15 पर दी गई है।

ड. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क - विशेष कार्य/अध्ययन

1. अस्थाई निर्धारण पर पुनरीक्षा
2. विधि कार्य निदेशालय और निरीक्षण निदेशालय की पुनर्संरचना के लिए प्रस्ताव तैयार करना
3. वे मामले जिनमें 1 करोड़ रुपये और इससे अधिक का शुल्क शामिल है, में अधिनिर्णयन आदेशों के द्वारा अभिपुष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/अर्थदंड की मांग, वर्तमान स्थिति और वसूली का अध्ययन करना।
4. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विचाराधीन मामलों पर विशेष बल देने के साथ-साथ मासिक तकनीकी रिपोर्टों के निष्पादन की मॉनीटरिंग करना।

तालिका 3.15

डीजीआईसीसीई द्वारा किए गए आयुक्तालयों और इसके क्षेत्रीय यूनिटों के निरीक्षणों की संख्या

गठन/कार्यालय	04-05	05-06	06-07	2007-08	01.01.08 से 31.03.08	2008-09 (01.04.08- 31.03.2009)
डीजीआईसीसीई(के.उ.शु.)	18	19	19	13	4	1933 (विशेष अध्ययन)
डीजीआईसीसीई (सी.शु.)	1	10	15	6	1	12
एनआरयू	-	-	17	7	1	08
आईईआरयू	1	-	12	1433 (विशेष अध्ययन)	3	13
सीआरयू	4	1	7	11	2	10
एसआरयू	5	2	18	1234 (विशेष अध्ययन)	4	12
डब्ल्यूआरयू	11	-	10	13	1	18
कुल	40	32	98	83	16	92

5. लंबित न्यायनिर्णयन मामलों के निपटान की मॉनीटरिंग करना। निदेशालय में एक विशेष सैल बनाया गया है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 क (2 क) में निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित मामलों के न्याय-निर्णयन और ऐसे मामलों जिनमें एक करोड़ से ज्यादा का राजस्व शामिल है, की पृथक रिपोर्ट बनाई गई है और एम टी आर सहित प्रत्येक माह प्रस्तुत की जाती है। यह निदेशालय आयुक्तालय के पास न्याय निर्णयन मामलों की उच्च पेंडेंसी की पहचान करता है और निदेशालय के अधिकारी इन मामलों को अंतिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए इन आयुक्तालयों का दौरा करते हैं और मुख्य आयुक्तों के साथ मामले पर नियमित रूप से पत्र व्यवहार करते हैं।
6. फरवरी, 2009 माह में, निदेशालय ने दिनांक 28.2.2009 को विभिन्न कारणों से राजस्व की बकाया राशियों की लंबिता वाले मामलों को समेकित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। 21,94,056/- रूपए (राशि लाख रूपए में) की राशि वाले कुल 36978 मामले नोटिस में आए हैं। इन में से 3,33,678/- रूपए (राशि लाख रूपए में) की राशि वाले ऐसे 2660 मामले नोटिस में आए हैं जो क्रमशः प्रत्यायंक कार्रवाई और प्रमाणक कार्रवाई के अधीन हैं। सीमाशुल्क पक्ष में दिनांक 31.10.2008 को वसूली योग्य क्षेत्रों के रूप में 6879 मामलों, जिन में 2,72,368/- रूपए की राशि शामिल है, की पहचान की गई है। उच्च पेंडेंसी वाले संबंधित क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तों के पास मामले को भेजा गया है और उन से इन बकाया राशियों की वसूली के लिए विशेष प्रयास करने का अनुरोध किया गया है।
7. निदेशालय द्वारा भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ और विजाग क्षेत्रों में स्थित, प्रत्यक्ष नियंत्रण की प्रभावकारिता को प्राप्त करने के लिए सिगरेट विनिर्माता युनिटों की गतिविधियों का अध्ययन किया गया। बोर्ड को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

च. सीमा शुल्क

1. निर्यात संवर्द्धन योजना की मानीटरिंग प्रक्रियाधीन है।
2. मासिक तकनीकी रिपोर्टों (एम टी आर) में निष्पादन की मानीटरिंग।
3. एक वर्ष से अधिक समय के लिए लंबित मामलों अथवा जहां सन्निहित राशि एक करोड़ रूपए से अधिक है अथवा दोनों श्रेणियों में न्यायनिर्णयन मामलों का अध्ययन।
4. अभियोजन मामलों पर योजनाबद्ध अध्ययन आयोजित किया गया

तथा जारी किए जाने के लिए सीबीईसी को प्रारूप परिपत्र सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

5. ए टी ए कारनेट की प्रदर्शनी करने को अनुमति दी गई।

छ. प्रशासन/स्थापना

1. एन ए सी ई एन के निदेशानुसार समूह 'घ' गैर-मैट्रिक पास कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा किया गया।
2. सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
3. छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर समूह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' के संबंध में सम्पूर्ण वेतन निर्धारण और जनवरी, 2006 के बाद के पेंशनर मामलों के निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया है और 40S बकाया राशि की पहली किस्त जारी कर दी गई है।
4. एस आई ओ, इंस्पेक्टर, स्टेनो ग्रेड-रू, सिपाही और ड्राइवर ग्रेड-रू पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (डी.पी.सी.) बैठाई गई और इन ग्रेडों में प्रोन्नति की गई।
5. सीमाशुल्क गृह एजेन्टों के लिए दो बार दिनांक 3.5.2008 और 12.11.2008 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई।
6. सी एच ए लाइसेंस को जारी करने के लिए मानदण्डों के निर्धारण हेतु चैनैन्सी सीमाशुल्क गृह और विजाग सीमाशुल्क पर एक अध्ययन संचालित किया गया।

ज. हिन्दी/राजभाषा

1. राजभाषा (रा.भा.) नीति के कार्यान्वयन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों के दिनांक 1.1.2008 से 31.3.2008 के दौरान 8 निरीक्षण और 1.4.2008 -31.3.2009 की अवधि के दौरान 27 निरीक्षण किए गए।
2. राजभाषा पर संसदीय समिति और उप-समिति की 1.1.2008 से 31.3.2008 के दौरान तीन बैठकें और 1.4.2008 से 31.3.2009 के दौरान 12 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें अपर महा निदेशक (प्रशा.) द्वारा भाग लिया गया। समिति द्वारा महा निदेशालय द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की गई।
3. सभी 12 विभागीय नियमावलियों का हिन्दी में अनुवाद किया गया और उनका हिन्दी में प्रकाशन किया गया।

तालिका 3.16

नेपाल सरकार को छूट का भुगतान

क्र.सं.	वर्ष	कुल राशि (रूपए में)	संसाधित बीजकों की संख्या
1.	2004-05	1,28,09,71,495	53427
2.	2005-06	96,63,46,688	40769
3.	2006-07	1,70,31,97,397	54607
4.	2007-08	1,77,78,88,830	48927
5.	1.1.2008 से 31.3.2008	57,90,51,423	13888
6.	2008-09 (1.4.2008 से 31.3.2009)	1,86,69,71,356	38348

4. छाप्पाही आधार पर हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन।
5. सेवोत्तम पर नागरिक घोषणा पत्र का हिन्दी में अनुवाद किया गया। इस के हिन्दी रूपान्तर का प्रकाशन भी किया गया है।
6. विद्यमान सभी 52 कम्प्यूटरों में द्विभाषी हिन्दी सॉफ्टवेयर को लोड किया गया और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर से सम्बन्धित 7 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।
7. एन सी एच, नई दिल्ली के लिए डी जी (निरीक्षण) द्वारा विशेष रूप से राजभाषा पर कार्यशाला आयोजित की गई।
8. संसदीय समिति की तीसरी उप समिति द्वारा डी.जी.आई. सी सी ई का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में इस महा निदेशालय की तैयारियों और निष्पादन की समिति द्वारा सराहना की गई।
9. गैर हिन्दी भाषी परिवीक्षाधीनो के लिए विशेष हिन्दी कक्षाओं का आयोजन करने में एन ए सी ई एन की सहायता करना।
10. डी जी आई सी सी ई ने दिनांक 30.09.2008 को एन ए सी ई एन, फरीदाबाद में आयोजित हिन्दी समारोह में सहायता की।
11. डी जी आई सी सी ई में विशेष रूप से समूह 'क' अधिकारियों के लिए राजभाषा नीति कार्यान्वयन कार्यशाला भी आयोजित की गई।
12. राजस्व विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भी भाग लिया गया। बैठकों में हिन्दी में कार्य से संबंधित निष्पादन पर काफी कुछ कहा गया और इस बारे में सराहना पत्र भी प्रदान किया गया।

झ. डी जी आई सी सी ई, नई दिल्ली द्वारा नेपाल को छूट की अनुमति
निदेशालय का नेपाल छूट अनुभाग नेपाल सरकार को छूट तथा भूतान सरकार को शुल्क के प्रतिदाय भुगतान से संबंधित कार्यों का निपटान करता है। इस संबंध में नेपाल सरकार को प्रत्येक माह चैक दिया जाता है। नेपाल सरकार ने उन के दावे को संसाधित करने और अपेक्षित कार्रवाई करने में इस निदेशालय की नियमितता की सराहना की है। इसी प्रकार, प्रत्येक वर्ष भूतान सरकार को प्रतिदाय अदा किया जाता है। इस वर्ष, भूतान सरकार को प्रतिदाय का चैक पहले ही भेज दिया गया है और इस निदेशालय के पास भूतान सरकार का कोई दावा लंबित नहीं है। तालिका 3.16 पर दी गई है।

ज. भूतान की शाही सरकार के उत्पाद शुल्क का प्रतिदाय दिया जाना। भूतान को निर्यातों पर स्वीकृत प्रतिदाय की राशि
डी जी आई सी सी ई भुगतान की शाही सरकार को उत्पाद शुल्क प्रतिदाय के दावों के निपटान का कार्य करता है। वर्ष 2005 के बाद से भूतान सरकार को उत्पाद शुल्क प्रतिदाय के संबंध में दावेकित राशि और अंतिम रूप दी गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है :-

वर्ष 2005 (वर्ष 2002 के लिए)

दावेकित राशि	60,78,07,582/- रूपए
अंतिम राशि	51,00,88,512/- रूपए

वर्ष 2006 (वर्ष 2003 के लिए)

दावेकित राशि	90,07,63,887/-
अंतिम राशि	62,55,71,543/-

वर्ष 2007 (वर्ष 2004 के लिए)

दावेकित राशि	92,24,03,487/-
अंतिम राशि	72,51,52,173/-

वर्ष 2008 (वर्ष 2005 के लिए)

दावेकित राशि	1,03,10,80,789.98/-
अंतिम राशि	90,03,40,484.37/-

4. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

4.1 संगठन और कार्य

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत सृजित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सर्वोच्च संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के अभिशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीडीटी में एक अध्यक्ष और छः सदस्य होते हैं। यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है।

सीबीडीटी के कामकाज में निम्नलिखित कार्यालय भी उसकी सहायता करते हैं:

(1) आयकर महानिदेशालय (प्रशासन)

- आयकर निदेशालय (जन सम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
- आयकर निदेशालय (वसूली)
- आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा परीक्षा)
- आयकर निदेशालय (स्रोत पर कर कटौती)

(2) आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)

- प्रणाली निदेशालय
- अवसंरचना निदेशालय
- आयकर निदेशालय (प्रचालन एवं प्रबंध प्रणाली)

(3) व्यवसाय प्रक्रिया री-इंजिनरिंग (बी पी आर) महानिदेशालय

- आयकर महानिदेशालय (कानून एवं अनुसंधान)
- आयकर महानिदेशालय (प्रशिक्षण)
- आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास)
- आयकर महानिदेशालय (सतर्कता)

4.1.1 पूरे देश में तैनात विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष करों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं एवं करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं। आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) अन्वेषण मशीनरी का पर्यवेक्षण करता है जिसे कर अपवंचन रोकने एवं बेहिसाबी धन को प्रकट करने का कार्य सौंपा गया है। आयकर महानिदेशालय (छूट) छूट के कार्य का पर्यवेक्षण करता है और आयकर महानिदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) अंतर्राष्ट्रीय कर और अंतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में कार्य का पर्यवेक्षण करता है। आयकर आयुक्त/ आयकर निदेशक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मुख्य आयकर आयुक्तों/ आयकर महानिदेशकों की सहायता करते हैं। आयकर आयुक्त अपीलीय

तालिका 3.17

वित्त वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान प्रत्यक्ष करों का बजट अनुमान और वास्तविक संग्रहण (करोड़ रुपए में)						
कर	2006-07		2007-08		2008-09	
	बजट अनुमान	संग्रहण	बजट अनुमान	संग्रहण	बजट अनुमान	संग्रहण
कारपोरेट आयकर	1,33,010	1,44,318	1,68,401	1,92,911	2,26,361	2,15,076
*वैयक्तिक आयकर	77,409	85,550	98,774	1,18,915	1,38,314	1,21,652
अन्य	265	316	315	387	325	442
कुल	210684	230184	2,67,490	3,12,213	3,65,000	3,37,150
नोट:- *वैयक्तिक आयकर संग्रहण में प्रतिभूति संव्यवहार कर, अनुषंगी लाभ कर और बैंककारी नकद संव्यवहार कर के अंतर्गत संग्रहण शामिल है।						
1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण (करोड़ रुपए में)						
निगमित आयकर						2,79,737
वैयक्तिक आयकर (अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर, बैंककारी नकद संव्यवहार कर तथा अन्य कर शामिल हैं)						1,63,550
कुल प्रत्यक्ष कर						4,43,287

तालिका 3.18

वित्त वर्ष 2007-08 तथा वित्त वर्ष 2008-09 के लिए कारपोरेट आयकर और वैयक्तिक आयकर की बकाया तथा चालू मांग (करोड़ रुपए में)		
	वित्त वर्ष 2007-08	वित्त वर्ष 2008-09
क. कुल बकाया मांग	1,30,732	2,13,648
ख. कारण-वार विश्लेषण	6,459	12,372
1. देय न हुई राशि		
2. राशि जिसे वसूल करना मुश्किल है जिसमें आयकर प्राधिकरणों, न्यायालयों आदि द्वारा स्थगन आदेशित राशि शामिल है।	1,09,744	1,87,575
ग. निवल संग्रहणीय मांग (क-ख)	14,529	13,701

कार्य, करदाताओं एवं कर निर्धारण अधिकारियों के बीच विवादों के न्याय निर्णयन का भी कार्य करते हैं। आयकर विभाग ने पूरे भारत के 530 शहरों एवं कस्बों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। 3.5 करोड़ करदाता आधार के साथ आयकर विभाग देश के लगभग प्रत्येक शहरी परिवार के साथ संपर्क करता है।

4.1.2 मुख्य उपाय के रूप में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सीबीडीटी आयकर विभाग में व्यापक कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित

कर रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य करदाता अनुकूल प्रणाली स्थापित करना, कराधार बढ़ाना, पर्यवेक्षण बढ़ाना और सरकार के लिए अधिक राजस्व का सृजन करना है। आयकर विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा इलैक्ट्रॉनिक अभिशासन नामक अध्याय के अंतर्गत दिया गया है।

4.2 प्रत्यक्ष कर संग्रहण

गत 5 वर्षों से प्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रहण निरंतर बढ़ रहा है। सकल

तालिका 3.19

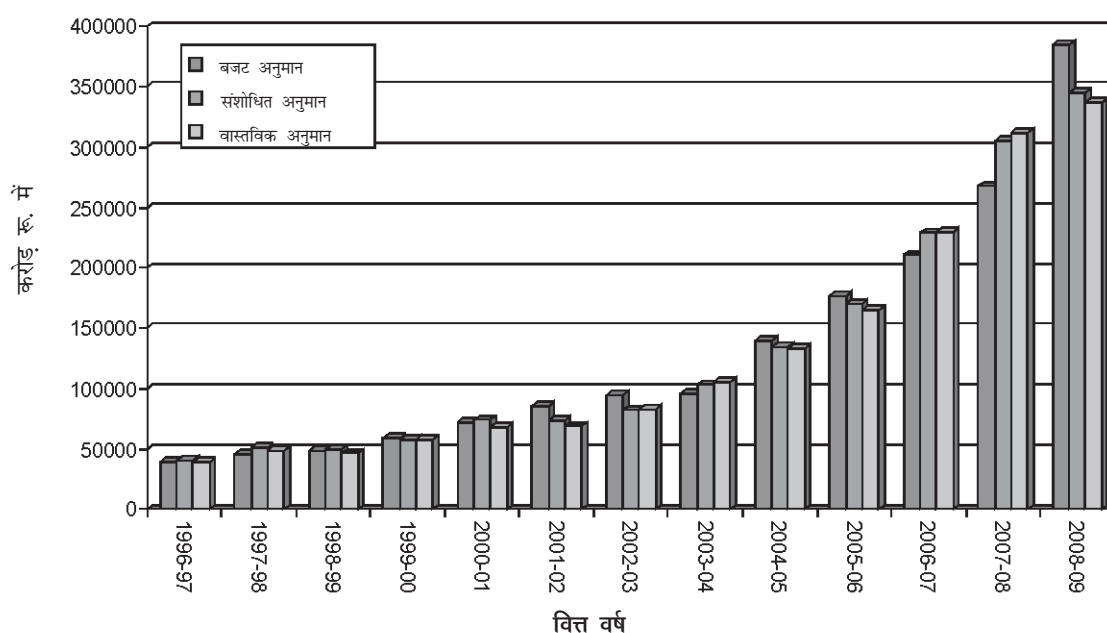
प्रत्यक्ष करों का भजट अनुमान-संशोधित अनुमान-वास्तविक संग्रहण

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक संग्रहण	पिछले वर्ष से वास्तविक संग्रहण की वृद्धि दर	प्राप्त बजट अनुमान का प्रतिशत	(करोड़ रु. में) प्राप्त संशोधित अनुमान का प्रतिशत
1996-97	39004	40163	38895	15.88%	99.72%	96.84%
1997-98	45710	51260	48280	24.13%	105.62%	94.19%
1998-99	48855	49854	46600	-3.48%	95.38%	93.47%
1999-00	59235	58074	57959	24.38%	97.85%	99.80%
2000-01	72105	74467	68305	17.85%	94.73%	91.73%
2001-02	85275	73972	69198	1.31%	81.15%	93.55%
2002-03	91585	82445	83088	20.07%	90.72%	100.78%
2003-04	95714	103400	105088	26.48%	109.79%	101.63%
2004-05	139510	134194	132771	26.34%	95.17%	98.94%
2005-06	177077	170077	165208	24.43%	93.30%	97.14%
2006-07	210684	229272	230184	39.33%	109.26%	100.40%
2007-08	267490	304760	312202	35.63%	116.72%	102.44%
2008-09	365000	345000	337150	7.99%	92.37%	97.72%

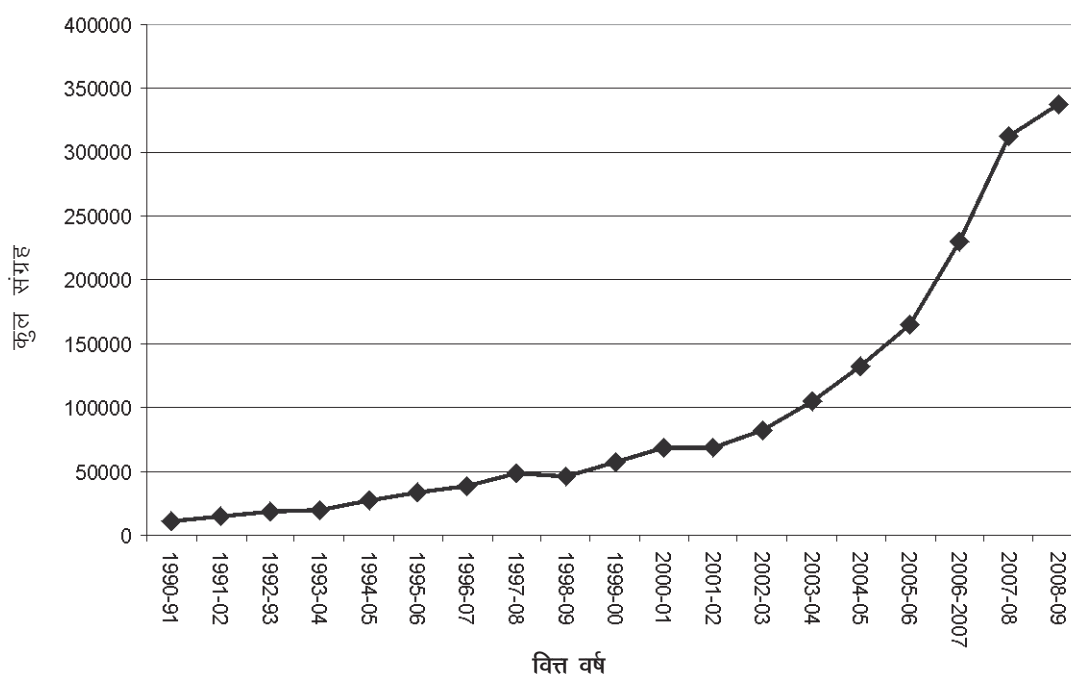
** 2008-09 के आंकड़े अंतिम हैं ।

निम्नलिखित ग्राफ गत 10 वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि का संकेत देते हैं एवं तुलनात्मक आंकड़े परिलक्षित करते हैं जिससे संग्रहण की घटती हुई लागत एवं सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष कर संग्रहणों के बढ़ते हुए शेयर का पता चलता है :-

ग्राफ -1 बजट अनुमान-संशोधित अनुमान वास्तविक संग्रहण



ग्राफ-2: प्रत्यक्ष करों में वृद्धि



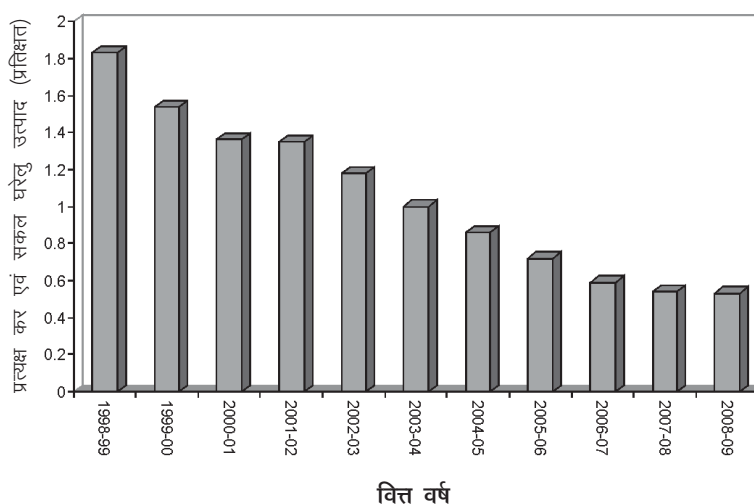
तालिका 3.20

संग्रहण लागत

वित्त वर्ष	कुल संग्रहण	कुल व्यय (राजस्व)	(करोड़ रु. में)
			संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में व्यय
1998-99	46,600	852	1.83%
1999-00	57,959	894	1.54%
2000-01	68,305	929	1.36%
2001-02	69,198	933	1.35%
2002-03	83,088	984	1.18%
2003-04	105,088	1050	1.00%
2004-05	132,771	1138	0.86%
2005-06	165,208	1194	0.72%
2006-07	230,184	1348	0.59%
2007-08	312,202	1687	0.54%
2008-09	337,150	1772	0.53%

* 2008-09 के आंकड़े अनंतिम हैं ।

ग्राफ 3: संग्रहण की कीमत



तालिका 3.21

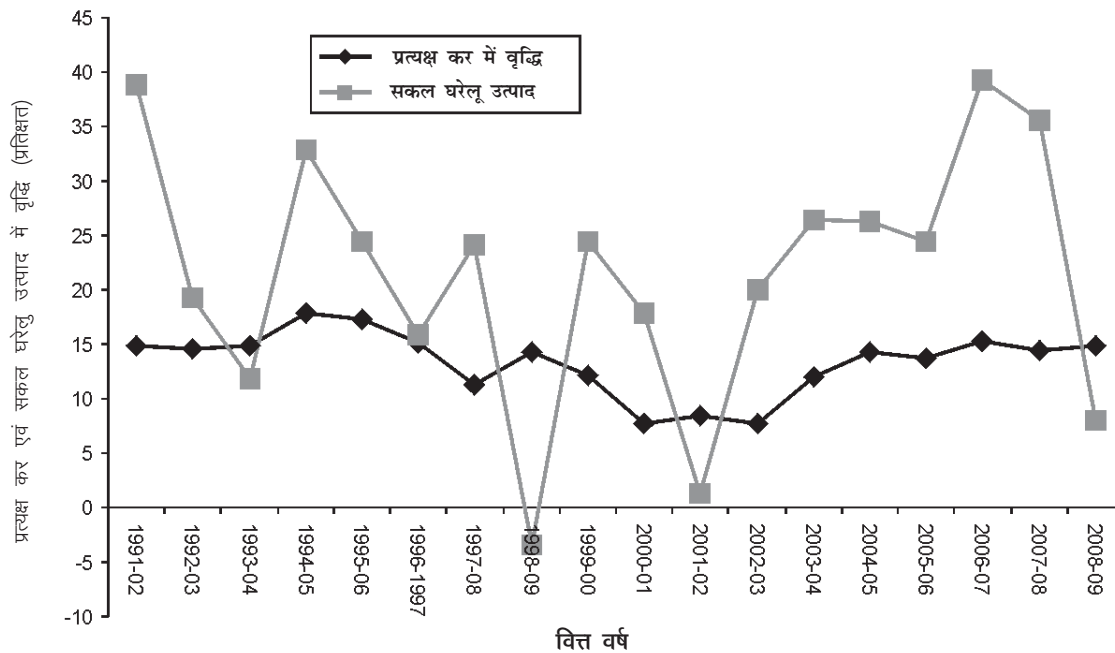
प्रत्यक्ष कर - जीडीपी अनुपात

वित्त वर्ष	प्रत्यक्ष करों का निवल संग्रहण	वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी	प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात	जीडीपी विकास दर	कर वृद्धि दर	(करोड़ रु. में) वृद्धि कारक
1990-91	10947	568674	1.93%			
1991-92	15207	653117	2.33%	14.85%	38.91%	2.62
1992-93	18142	748367	2.42%	14.58%	19.30%	1.32
1993-94	20299	859220	2.36%	14.81%	11.89%	0.80
1994-95	26971	1012770	2.66%	17.87%	32.87%	1.84
1995-96	33564	1188012	2.83%	17.30%	24.44%	1.41
1996-97	38895	1368208	2.84%	15.17%	15.88%	1.05
1997-98	48280	1522547	3.17%	11.28%	24.13%	2.14
1998-99	46600	1740985	2.68%	14.35%	-3.48%	-0.24
1999-2000	57959	1952035	2.97%	12.12%	24.38%	2.01
2000-01	68305	2102376	3.25%	7.70%	17.85%	2.32
2001-02	69198	2281058	3.03%	8.50%	1.31%	0.15
2002-03	83088	2458084	3.38%	7.76%	20.07%	2.59
2003-04	105088	2754621	3.81%	12.06%	26.48%	2.19
2004-05	132771	3149412	4.22%	14.33%	26.34%	1.84
2005-06	165208	3580344	4.61%	13.68%	24.43%	1.79
2006-07	320184	4129173	5.57%	15.33%	39.33%	2.57
2007-08	312202	4723400	6.61%	14.39%	35.63%	2.48
**2008-09	337150	5426277	6.21%	14.88%	7.99%	0.54

** वर्ष 2008-09 के आंकड़े अनंतिम हैं। वर्ष 2008-09 के लिए सकल घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुमान पर आधारित है।

वर्ष 2007-08 के लिए सकल घरेलू उत्पाद संशोधित अनुमानों पर आधारित है।

ग्राफ-4 प्रत्यक्ष कर में वृद्धि तथा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि



घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर संग्रहण वित्त वर्ष 1998-99 के 2.68% से बढ़कर 2008-09 में 6.21% हो गया है। परिष्कृत कर प्रशासन और बेहतर कर अनुपालन के फलस्वरूप प्रत्यक्ष कर संग्रहण में काफी उछाल आ रहा है।

31 मार्च, 2009 तक 3,37,150 करोड़ रुपए (अंतिम) की धनराशि संग्रहीत की गई है जो पूर्ववर्ती वर्ष के 3,12,202 करोड़ रुपए के तदनुसंगी संग्रहण की लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक है। पिछले पांच वर्षों के दौरान संग्रहण तीन गुणा से अधिक हो गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रहण 1,05,088 करोड़ रुपए का और वर्ष 2008-09 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रहण 3,37,150 करोड़ रुपए (अंतिम) तक पहुंच गया है।

31 मार्च, 2009 तक टीडीएस से संग्रहण 1,33,500 करोड़ रुपए है जो पिछले तदनुसंगी वर्ष की 25 प्रतिशत वृद्धि से काफी अधिक है। ज्यादातर टीडीएस प्रशासन में सुधार तथा अन्य विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वरिष्ठ प्रबंधन एवं डीडीओ के प्रशिक्षण एवं जागरूकता के माध्यम से पहुंच कार्यक्रमों की वजह से यह संभव हुआ है।

प्रत्यक्ष कर मोर्चे पर कार्य निष्पादन सराहनीय है जिसमें इस तथ्य पर विचार किया गया है कि वर्ष 2001-02 में जो राजस्व संग्रहण की लागत 1.44 प्रतिशत थी वह वर्ष 2008-09 में घटकर 0.53 प्रतिशत हो गई है जो विश्व में सबसे कम है।

विभाग पिछले वर्ष 9,071 करोड़ रु. के तदनुसंगी संग्रहण के मुकाबले वर्ष 2008-09 के दौरान चालू मांग से 10.42 प्रतिशत वृद्धि दर से 10,016 करोड़ रुपए की राशि पहले ही संग्रहीत कर चुका है और वर्ष 2008-09 के लिए चालू मांग में संग्रहण 21,226 करोड़ रु. बैठता है जो वर्ष 2008-09 में वृद्धि दर 11.1 प्रतिशत है। अपीलीय प्राधिकरणों, न्यायालयों के आदेशों के अनुसरण में तथा सुधार याचिकाओं के माध्यम से 25,667 करोड़ रु. की बकाया मांग राशि का परिसमापन किया गया है।

इससे यह देखा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद की दर 3.81 प्रतिशत से बढ़कर 6.21 प्रतिशत हो गई है। वस्तुतः प्रत्यक्ष कर से सेंट्रल किटी तक अंशदान फलहाल संग्रहीत कुल कर राजस्व का लगभग 55 प्रतिशत है।

4.2.1 कर संग्रहण में वृद्धि तथा नई पहल

आयकर विभाग ने कर संग्रहण की गति को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

- सभी मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों को सलाह दी गई है कि वे अप्रकटीकृत आय, स्रोत पर कम कर काटे गए तथा स्रोत पर कर कटौती न किए गए मामलों का पता लगाने की दृष्टि से और अधिक सर्वेक्षण करें।
- प्रतिदायों को तुरन्त जारी करके तथा करदाताओं की शिकायतों का निवारण करके कर तंत्र को और अधिक करदाता अनुकूल बनाया जा रहा है।
- बकायों में अंतर्ग्रस्त ज्यादा रकम वाले मामलों की पहचान करना जो आयुक्तों (अपील), आयकर अपीलीय अधिकरण तथा समझौता आयोग के समक्ष लंबित हैं और इन प्राधिकारियों से ऐसे मामलों का तुरन्त निपटान करने के लिए कहना।
- विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शीर्षस्थ करदाताओं द्वारा दिए गए अग्रिम कर संदायों की निगरानी करना।
- विभागीय कार्य प्रक्रियाओं का और अधिक कंप्यूटरीकरण तथा डाटाबेस को सूचना से जोड़ना और कर प्राधिकारियों को उच्च मूल्य के संव्यवहारों की सूचना देना।
- अधिकांश वित्तीय संव्यवहारों में पैन का उल्लेख करना अनिवार्य बना जा रहा है।

- कर कानूनों के स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टी मीडिया अभियान।
- खास तौर पर स्रोत पर कर कटौती के आधार पर नया निदेशालय सृजित किया गया है ताकि सर्वेक्षणों, निरीक्षणों आदि पर बल देने के साथ-साथ स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण आदि पर प्राथमिकता दी जा सके।

4.2.2 नई पहल

- (1) **ज्ञान प्रबंधन:** दिनांक 9 जून, 2008 को हुए मुख्य आयकर आयुक्तों तथा आयकर महानिदेशकों के 24वें वार्षिक सम्मेलन में ज्ञान प्रबंध संबंधी संकल्पनात्मक ढांचे पर चर्चा हुई। एक नोडल एजेंसी के रूप में मुख्य आयकर आयुक्त एवं आयकर निदेशक (संगठन एवं प्रबंध प्रणाली) की अध्यक्षता में क्षेत्रीय समितियों से मूल्यांकन कराए जाने के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों से आदेश एकत्र करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। व्यापक मूल्यांकन करने के पश्चात, संकलन तैयार किया गया और दिनांक 4 फरवरी, 2009 को श्री एस.एस. पलानीमाणिकम, वित्त राज्य मंत्री द्वारा नामक एक पुस्तक जिसमें सर्वोत्तम पद्धतियां तथा आदेश निहित हैं, का लोकार्पण किया गया। यह पहला अवसर है जब आयकर विभाग में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को शामिल करके एक संस्थागत स्मृति का सृजन करने के लिए प्रयास किया गया है। इस संकलन की शुरुआत सर्वोत्तम पद्धतियों पर आधारित खंड से होती है। इस खंड में विभाग द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर सफलतापूर्वक प्रयोग की गई विभिन्न पद्धतियां, पहले तथा अभिनव परिवर्तन प्रलेखित हैं। अन्य खंडों में विभाग के कार्य के विभिन्न पहलुओं को संक्षिप्त रूप में दर्शाया गया है। इसका केन्द्र बिन्दु पूर्ण क्रम को न बनाकर खास मुद्दों में बनाया गया है। नई वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in शुरू करके ज्ञान के आदान-प्रदान का प्रयास किया जा रहा है। कर अदा करने वाली जनता को विषय वस्तु प्रदान करने के अलावा विभागीय अधिकारियों के उपयोग के लिए यह अनन्य रूप से एक ज्ञान पोर्टल है।
- (2) **वसूली अभियान :** 25 करोड़ रु. से अधिक वसूली योग्य मांग वाले डोजियर मामलों की गहन निगरानी आयकर निदेशालय (वसूली) की सहायता से सदस्य (राजस्व), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा की जाती है। 25 करोड़ रु. से अधिक के सभी डोजियरों का विस्तृत विश्लेषण निदेशालय द्वारा किया गया है। इस अभियान के फलस्वरूप 10016 करोड़ रु. की राशि वसूली गई।
- (3) **ई-फाइलिंग :** आयकर अधिनियम द्वारा दिनांक 11-04-2008 से 40 लाख रु. तक कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विवरणी दायर करने के अनिवार्य कर दिया गया है (धारा 44कख के अंतर्गत मामले में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी)। इसके अलावा सभी निगमित कर-निर्धारितियों को अपने आय की विवरणी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अनिवार्य रूप से दाखिल करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल की गई विवरणियों में से लगभग दो-तिहाई विवरणियां करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से दाखिल की गई हैं। इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विवरणी दाखिल करने की सुविधा मोटे तौर पर स्वीकार कर ली गई है। वित्त वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही की स्थिति के अनुसार लगभग 29 लाख ई-विवरणियां प्राप्त हुई हैं।

- (4) **ई-पेमेंट :** नेट बैंकिंग फेसिलिटी का प्रयोग करके प्रत्यक्ष कर अर्थात आयकर, निगमित कर, अनुषंगी लाभकर, बैंकिंग नकद संव्यवहार का स्रोत पर कटौती, अग्रिम कर, स्व-कर-निर्धारण कर का ऑन लाइन भुगतान किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2008-09 में 2,40,562 करोड़ रूपए की राशि ई-पेमेंट के माध्यम से आई।
- (5) **बीपीआर (बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग) :** आयकर विभाग द्वारा एक बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग प्रक्रिया शुरू की गई जिसका मुख्य उद्देश्य बढ़े हुए कार्यभार, जनशक्ति में कमी तथा मैन्युअल से कंप्यूटरीकृत कार्य परिवेश में बदलने की चुनौतियों का सामना करने के लिए आयकर विभाग को सक्षम बनाना है।

एक बाहरी परामर्शदाता की मदद से बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग का अध्ययन दिनांक 1 मई, 2007 को शुरू किया गया। यह अध्ययन दिसंबर, 2007 में पूरा हो गया और अंतिम रिपोर्ट अप्रैल, 2008 में प्रस्तुत की गई। वे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिन पर विशेष ध्यान दिया गया उनमें पूर्व कर-निर्धारण, कर-निर्धारण, पोस्ट कर निर्धारण तथा अपील/विवाद परिहार तथा सक्षम बनाने वाली अन्य प्रक्रियाएं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, अवसंरचना आदि शामिल हैं। यह अध्ययन दो चरणों जैसा है और किया जाने वाला माडल में शुरू किया गया और यह 15 स्थानों आयकर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा करदाताओं की सहसभागिता महानगर, मझौल आकार के शहर तथा मुफसिल क्षेत्रों में शुरू किया गया। अध्ययन की महत्वपूर्ण सिफारिशें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 19,20 तथा 24 मार्च, 2008 को प्रस्तुत कर दी गईं और इनमें से अधिकांश सिफारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

शामिल की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नवत हैं :

- मोटे तौर पर विभाग कार्य प्रणाली के कार्यों को अलग-अलग करना; थोक कार्य प्रभाग नेमी, आवर्ती तथा ऐसे कार्यकलापों को करता है जिनमें व्यष्टि के मामलों में विवेक का प्रयोग करना अपेक्षित नहीं है तथा अनुपालन कार्य प्रभाग अपेक्षाकृत छोटे करदाताओं के लिए विशेष प्रवर्तन कार्यकलाप करना है।
- थोक कार्यों को पूरा करने के लिए नए स्थानों पर उचित संख्या में नए आधुनिक क्षेत्रीय प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना करना।
- आयकर विभाग की ओर से सेंटर द्वारा प्राप्त सभी संव्यवहारों की ऑन लाइन रिकार्डिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की स्थापना किया जाना तथा आयकर विभाग को नेटवर्क से जोड़ा जाना।
- सभी आयकर विभाग के भवनों में जो फ्रंट कार्यालय के सभी कार्यों को निष्पादित तो करेंगे किन्तु प्रबंध विभागीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।
- कर दाता को सूचना प्रदान करने एवं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए काल सेंटर।
- एक बहुस्तरीय समाशोधन प्रक्रिया बैंकों में भुगतान प्राप्ति से आरंभ करना ताकि लेखांकन के विभिन्न स्तरों पर बेमेल समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
- करों की अदायगी को सरल बनाने के लिए प्राधिकृत बैंकों के एटीएम नेटवर्क के माध्यम से करों के भुगतान को सुविधाजनक बनाना।
- एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली जो दो-आयामी दृष्टिकोण वाली हो। पहले दृष्टिकोण वाली मौजूदा रिकार्डों से संबंधित होगी जबकि दूसरी नए रिकार्डों से।

- एक डीप स्टोरेज साइट जो थोक कार्य प्रभाग में विवरणियों के डिजिटाइजेशन तथा स्कैनिंग के पश्चात विवरणियों को स्टोर करेगी।
- विवरणियों की आवधिक छंटाई।
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली जहां आयकर विभाग प्रणाली (आंतरिक तथा तीसरी पार्टी दोनों) में आंकड़ों के तार्किक नियंत्रणों के समर्थन से आय के घटकों की सूचना दी जाएगी वहां रिपोर्टाधीन आय, यदि कोई, सुनिश्चित की जाएगी।
- ज्ञान प्रबंध प्रणाली आयकर विभाग के सभी कार्मिकों में सूचना का आदान-प्रदान करेगी जिसमें विभिन्न न्यायालयों के निर्णय, आयकर विभाग द्वारा निर्णयों पर दृढ़ रहना, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र, अनुदेश, रिपोर्ट तथा सांख्यिकी सर्वोत्तम प्रक्रियाएं, कार्य विज्ञापन, मैं कैसे करूं ? दिग्दर्शिका, एक विशेषज्ञ से पूछिए, प्रशिक्षण सामग्री, आदि शामिल है।
- एक अपील रजिस्ट्री जो अपील मामलों के विवरण तथा आबंटन को सुनिश्चित करेगी।
- शिकायत निवारण प्रणाली के पास आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए विविध चैनलों की तथा उनकी स्थिति का पता लगाने की सुविधा होगी।
- मानव संसाधन विकास जोखिम कर-निर्धारण तथा ज्ञान प्रबंधन की कार्य प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाने के लिए तीन निदेशालयों के सृजन का प्रस्ताव।
- सुझाए गए माडलों तथा प्रक्रियाओं की तर्ज पर पर एक नया आयकर विभाग साफ्टवेयर अनुप्रयोग को विकसित किया जाना है।

(vi) **मीडिया केन्द्र :-** अगस्त, 2006 में सीबीडीटी में मीडिया केन्द्र की स्थापना की गई। यह केन्द्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रत्यक्ष करों से संबंधित सार्वजनिक महत्व की सूचना प्रसारित करता है। वर्ष के दौरान, आयकर विभाग की विभिन्न उपलब्धियों को उजागर करने तथा महत्वपूर्ण निर्णयों को आम जनता की जानकारी में लाने के लिए भारी संख्या में (50 से अधिक) प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। मीडिया के साथ नियमित संपर्क के फलस्वरूप, विभाग की अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक और सही तस्वीर रखी जा सके।

4.3 वार्षिक सम्मेलन

दिनांक 9 तथा 10 जून, 2008 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मुख्य आयकर आयुक्तों तथा आयकर महानिदेशकों को 24वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने किया। उन्होंने इसकी बहुत सराहना की और वित्त वर्ष 2007-08 के लिए संशोधित बजट लक्ष्यों को अधिक करने के लिए विभाग को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सम्मेलन में राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने, विवरणियों की तुरंत प्रोसेसिंग करने, ज्ञान बैंक सृजित करने, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने, जांच प्रणाली ढांचा तथा ई-टीडीएस आदि का आधुनिकीकरण करने पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन के दौरान कंप्यूटरीकरण तथा विजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरी की प्रगति पर भी चर्चा की गई। वित्त राज्य मंत्री श्री एस.एस. पलानीमाणिकम द्वारा दिनांक 10 जून, 2008 को विदाई भाषण दिया गया।

4.4 प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियां

करदाताओं और आयकर अधिकारियों के बीच आपसी समझ बढ़ाने तथा प्रत्यक्ष करों से संबंधित सामान्य कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए दिल्ली में एक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (सीडीटीएसी) और महत्वपूर्ण केन्द्रों पर 61 क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियां (आरडीटीएसी) हैं। इन समितियों में व्यापार और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल गठन की तिथि से दो वर्ष होता है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। सचिव (राजस्व), सीबीडीटी के अध्यक्ष तथा सदस्य (राजस्व), सीबीडीटी इसके सरकारी सदस्य हैं। गैर-सरकारी सदस्यों में चार संसद सदस्य दोनों सदनों से दो-दो तथा फिक्की, एसोचैम आदि जैसे उद्योग एवं वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि, वकील और अन्य व्यावसायिक शामिल हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का पुनर्गठन दिनांक 24 सितंबर, 2008 को किया गया था और इसकी पहली बैठक वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में दिनांक 26 नवंबर, 2008 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में प्रतिभागियों के सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया।

4.5 कर अपवंचन से निपटने के लिए उपायः

सरकार सुव्यवस्थित सर्वेक्षण अभियानों, तलाशी एवं जब्ती अभियानों तथा अन्य जांचों के माध्यम से कर अपवंचन और बेहिसाबी धन की वृद्धि रोकने के लिए निरंतर प्रयास करती है। उपर्युक्त कार्य संपन्न करने के लिए, 14 आयकर महानिदेशकों को अन्वेषण प्रकोष्ठ की क्षेत्र यूनिटों का प्रमुख बनाया गया है जो दिल्ली, कोलकता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बंगलौर, कोच्चि, पुणे, जयपुर, पटना, चंडीगढ़ और भोपाल में तैनात हैं। उनके कार्यों में मामलों की छानबीन करना और वित्तीय लेनदेन से संबंधित सूचना का सत्यापन करना शामिल है। 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2008 की अवधि के दौरान 803 वारंट निष्पन्न किए गए और नकद जवाहिरात तथा अन्य परिसम्पत्तियों के रूप में 12279.68 लाख रूपए के मूल्य की परिसम्पत्तियां जब्त की गईं।

4.6 कराधार बढ़ाना, कर निर्धारण और प्रतिदाय

4.6.1 कराधार बढ़ाना

पिछले 7 वर्षों के दौरान कर निर्धारितियों की संख्या दर्शाने वाली सांख्यिकी।

क्र.सं.	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष के 1 मार्च का कर निर्धारितियों की कुल संख्या (लाख में)
1.	2002-03	300.19
2.	2003-04	301.78
3.	2004-05	308.08
4.	2005-06	315.37
5.	2006-07	319.26
6.	2007-08	326.87
7.	2008-09 (फरवरी, 2009 तक)	326.86

* स्रोत सीएपी-II

तालिका 3.22							
वित्त वर्ष 2008-09 के लिए तलाशियों से संबंधित आंकड़े							
आयकर महानिदेशक	समूह की संख्या	वारंटों की संख्या	जब्तशुदा परिसम्पत्तियों का मूल्य				(करोड़ रु. में)
			नकद	जवाहिरात	अन्य परिसम्पत्तियां	कुल	
अहमदाबाद	32	422	17.70	18.78	8.97	45.45	328.95
बंगलौर	24	151	34.22	1.62	0.00	35.84	531.26
भोपाल	29	229	7.90	5.48	0.82	14.20	234.76
चंडीगढ़	34	348	32.73	6.59	10.38	49.70	386.93
चेन्नई	30	168	15.67	15.42	0.00	31.09	232.08
हैदराबाद	61	285	54.77	8.82	0.37	63.96	496.75
जयपुर	23	118	13.29	10.98	0.63	24.90	101.07
कोच्चि	24	91	4.31	3.43	5.12	12.86	51.14
कोलकाता	32	287	107.22	20.08	12.32	139.62	633.35
लखनऊ	12	278	10.36	5.10	30.50	45.96	215.13
मुम्बई	50	480	45.76	23.96	10.60	80.32	840.37
नई दिल्ली	20	267	27.77	12.93	0.66	41.36	705.58
पटना	23	174	13.76	1.33	0.59	15.68	135.84
पुणे	35	185	14.24	9.54	0.78	24.56	459.99
योग	429	3483	399.70	144.06	81.74	625.50	5353.21

प्रतिदाय दावों का निपटान: विवरणियों की प्रोसेसिंग के पश्चात, स्वीकार किए गए प्रतिदायों की संख्या निम्नवत है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	मुनाए गए प्रतिदायों की सं. (आंकड़े लाख में)
1.	2006-2007	44.19
2.	2007-2008	48.77
3.	2008-2009	45.50

स्रोत : महानिदेशक आयकर (प्रणाली)

प्रतिदाय दावों को दायर करने में विलम्ब की माफी

प्रतिदाय दावों को इस कर निर्धारण वर्ष की जिससे दावा संबंधित है, की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर दाखिल करना अपेक्षित है। आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वह विलम्ब को माफ कर दे यदि वह समझता है कि किसी मामले में असली कठिनाई से बचने के लिए ऐसा करना वांछनीय अथवा आवश्यक है।

4.6.2 मूल्यांकन सैल :

मूल्यांकन सैल के पास निम्नलिखित के संबंध में सांविधिक शक्तियां हैं :-

- (1) धन कर, पूंजीगत अभिलाभ तथा दान कर अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपत्तियों का मूल्य निर्धारण करना;
- (2) कुर्क संपत्तियां जो बकाया करों की वसूली के लिए नीलाम की गई हैं, का उचित बाजार मूल्य निर्धारण करना;
- (3) कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन सैल से प्राप्त अनुरोध किया गया है कि वे संपत्ति में निर्माण लागत का कर निर्धारण करें।

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान मूल्यांकन सैल ने 3279 मामलों में से 2284 मामलों का निपटान किया। चालू वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 31 मार्च, 2009 तक 3267 मामलों में से 2195 मामलों का निपटान किया।

4.7 कर प्रशासन और सामाजिक उद्देश्य

4.7.1 नागरिक विमानन क्षेत्र का संवर्धन: नागरिक विमानन क्षेत्र के संवर्धन के लिए सी बी डी टी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा

10(15क) के अनुसार प्रतिबंधों के अधीन विदेशी सरकार अथवा किसी विदेशी उद्यम से पट्टा पर एयरक्राफ्ट अधिगृहीत करने हेतु किसी भुगतान के संबंध में छूट प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान पट्टा पर एयरक्राफ्ट प्राप्त करने हेतु अनुमोदनों की कुल संख्या सोलह (16) थी।

4.7.2 धारा 10(23छ) के अंतर्गत आदेश:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23छ) के अंतर्गत बोर्ड कारोबार में पूर्णतः लगे किसी उपक्रम में शेयर अथवा दीर्घकालीन वित्त के रूप में 1 जून, 1998 को अथवा इसके बाद किए गए निदेश से किसी अवसंरचना पूंजी निधि अथवा किसी अवसंरचना पूंजी कम्पनी के लाभांश, ब्याज अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत अभिलाभ के रूप में किसी आय के संबंध में अनुमोदन प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान अनुमोदित मामलों की कुल संख्या बीस (20) थी।

4.7.3 व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रोत्साहन: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (17क) अवार्ड के रूप में, नकद या वस्तु के रूप में किए गए किसी भुगतान के संबंध में छूट प्रदान करती है बशर्ते उक्त अवार्ड जनहित में शुरू किया गया हो और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो। इस अवधि के दौरान अनुमोदित किए गए कुल अवार्डों की संख्या तीन (3) थी।

4.7.4 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत विलम्ब की माफी : इस अवधि के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत विलम्ब माफी से संबंधित 6(छ) मामलों में आवेदन अस्वीकार किए गए हैं।

4.7.5 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120(1)/(2) के अंतर्गत मुख्य आयकर आयुक्तों के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना: आयकर निर्धारण-1 अनुभाग का कार्यक्षेत्र होने के नाते क्षेत्राधिकार प्रदान करते हुए आदेश जारी किए गए जिसमें विभिन्न स्तर के अधिकारियों अर्थात् मुख्य आयुक्त/आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों/आयुक्तों तथा आयकर निदेशकों के क्षेत्राधिकार अधिसूचित किए गए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दस (10) अधिसूचनाएं जारी की गईं।

4.7.6 औद्योगिक पार्कों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन: भारत सरकार ने औद्योगिक विकास को तेज करने, निर्यात को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के निमित्त औद्योगिक पार्कों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों की विशेष योजनाएं क्रियान्वित की हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुमोदन बोर्ड औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों के लिए आवेदन को मंजूरी प्रदान करने वाला प्राधिकरण था जिसके सीबीडीटी के सदस्य (आईटी) सदस्य हैं। औद्योगिक पार्कों के संदर्भ में, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा औद्योगिक पार्क स्कीम के अंतर्गत मंजूरी दिए जाने के उपरांत वित्त मंत्रालय द्वारा धारा 80झक (4)(3) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाती है। औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अनुमोदन करने वाला प्राधिकरण है। इस वर्ष के दौरान औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में भी अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया जाता है जिसके सदस्य (आयकर) एक सदस्य हैं। तथापि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के मामलों में अधिसूचनाओं के साथ-साथ अनुमोदन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अब तक विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए 552 (पांच सौ बावन) आपचारिक तथा 141 (एक सौ इकतालीस) सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए गए।

दिनांक 08.01.2008 की अधिसूचना संख्या 2/2008 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक(4)(3) के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की पात्रता के लाभों के प्रयोजनार्थ आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18ग में संशोधन करने के लिए आयकर नियमावली, 2008 (पहला संशोधन) जारी किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक(4)(3) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 के विनिर्दिष्ट करने के लिए दिनांक 08-01-2008 की अधिसूचना संख्या 3/2008 जारी की गई है।

4.7.7 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(vii) के प्रयोजनार्थ भारत सरकार की कर मुक्त पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए दिनांक 14-01-2008 को अधिसूचना संख्या 7/2008 जारी की गई है।

4.7.8 आयकर अधिनियम की धारा 10(39) के प्रयोजनार्थ व्यक्ति के रूप में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन; इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट के रूप में कॉमनवेल्थ गेम्स, 2010; तथा विनिर्दिष्ट आय के रूप में 7.3 मिलियन जीबीपी आय की धनराशि के लिए दिनांक 15-01-2008 की अधिसूचना संख्या 7/2008 जारी की गई है।

4.7.9 नियम 40ग(4) के खंड (च) को विलोपित करने तथा नियम 40घ को अंतःस्थापित करने अर्थात् आयकर नियमावली, 1962 के नियम 40ग के पश्चात ' में इक्विटी शेयर न होने के नाते विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के लिए दिनांक 18.01.2008 की अधिसूचना संख्या 11/2008 के तहत आयकर नियमावली, 2008 (दूसरा संशोधन) जारी किया गया है।

4.7.10 आयकर नियमावली, 1962 के नियम 14ख को अंतःस्थापित करने अर्थात् परीक्षा के लिए खर्चों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ के लिए दिनांक 05-02-2008 की अधिसूचना संख्या 20/2008 के तहत आयकर नियमावली, 2008 (तीसरा संशोधन) जारी किया गया है।

4.7.11 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(xii) के प्रयोजनार्थ आयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड को विनिर्दिष्ट करने के लिए दिनांक 05-02-2008 की अधिसूचना संख्या 21/2008 जारी की गई।

4.7.12 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(48) के अंतर्गत दस वर्षीय जीरो कूपन बांड आफ नेशनल हाउसिंग बैंक को विनिर्दिष्ट करने के लिए दिनांक 06-02-2008 की अधिसूचना संख्या 23/2008 जारी की गई है।

4.7.13 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115कग(1) के प्रयोजनार्थ एक स्कीम के रूप में ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजबल बांड्स स्कीम, 2008'' को विनिर्दिष्ट करने के लिए दिनांक 21-10-2008 की अधिसूचना संख्या 28/2008 जारी की गई है।

4.7.14 हीरा विनिर्माण तथा/अथवा व्यापार से जुड़े कर-निर्धारितियों के लिए हितकर कर-निर्धारण प्रक्रिया के बारे में अनुदेश संख्या 02/2008 जारी किया गया है।

4.7.15 भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड की स्कीम उधार देने वाली/ उधार लेने वाली प्रतिभूतियों के बारे में परिपत्र संख्या 02/2008-जारी किया गया है।

4.7.16 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख)(1) के प्रयोजनार्थ कोई वस्तु या चीज होने के नाते कृषि उपकरणों के विनिर्माण अथवा उत्पादन के विनिर्दिष्ट करने के लिए दिनांक 29-02-2008 की अधिसूचना संख्या 29/2008 जारी की गई है।

4.7.17 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख)(1) के प्रयोजनार्थ कोई वस्तु या चीज होने के नाते बीजों के विनिर्माण अथवा उत्पादन को विनिर्दिष्ट करने के लिए दिनांक 29-02-2008 की अधिसूचना संख्या 30/2008 जारी की गई है।

4.7.18 कर-निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए आयकर विवरणी प्रपत्र (आ.क.वि.-1) से आ.क.वि.-8) हेतु दिनांक 28-03-2008 की अधिसूचना संख्या 50/2008 के तहत आयकर नियमावली, 2008 (छठा संशोधन) जारी की गई है।

4.8 न्यायिक कार्य

आई टी जे अनुभाग आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निपटारे की मानीटरिंग, उनके मानदंडों तथा आई टी ए टी के समक्ष विभाग के प्रतिनिधि द्वारा मामलों के प्रतिनिधित्व की निगरानी के अलावा, प्रत्यक्ष करों के मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुकदमों, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अन्य सरकारी विभागों के मामलों में विवाद समिति (सी ओ डी) के समक्ष संदर्भ दायर करने, उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों के समक्ष मामलों के प्रतिनिधित्व के लिए स्थाई वकीलों/विशेष वकीलों आदि की नियुक्ति का कामकाज देखता है।

4.8.1 वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग द्वारा दायर की गई अपीलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है जिसे निम्नवत दर्शाया गया है:

न्यायालय/अधिकरण	वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान	वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान
आयकर अपीलीय अधिकरण	20,022	19,063
उच्च न्यायालय	10,968	10,286
उच्चतम न्यायालय	762	668

आयकर आयुक्तों (अपील) द्वारा निपटाई गई अपीलों का उल्लेख नियमानुसार है :

वित्त वर्ष 2007-08 में निपटाई गई अपीलों की संख्या	वित्त वर्ष 2006-07 में निपटाई गई अपीलों की संख्या
63,645	67,630

वर्ष 2007-08 के दौरान दिए गए विवाद समिति संदर्भ के आंकड़े

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान विचारार्थ भेजे गए मामलों की संख्या	वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान विचारार्थ भेजे गए मामलों की संख्या
319	291

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान स्थायी काउन्सेलों, अभियोजन काउन्सेलों तथा विशेष काउन्सेलों की नियुक्ति के आंकड़े निम्नवत हैं :-

काउन्सेलों की श्रेणी	2007-08	2006-07
स्थायी काउन्सेल	26	40
अभियोजन काउन्सेल	06	20
विशेष काउन्सेल	37	08

4.8.2 पक्ष प्रस्तुत करने के स्तर में सुधार करने खासकर अंतर्ग्रस्त अधिक राजस्व वाले तथा जटिल मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों/आयकर अपीलीय अधिकरणों/अन्य

न्यायालयों में आयकर विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्थाई काउन्सेल की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 25-03-2008 को अनुदेश संख्या 3/2008 जारी किया है। अन्य अनुदेश दिनांक 25-03-2008 को जारी किया गया जो आयकर अपीलीय अधिकरण में तैनात सहायक आयकर आयुक्त (विभागीय प्रतिनिधियों) तथा वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधियों के बीच कार्य आबंटन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 268क(1) के अंतर्गत दिनांक 15-05-2008 को एक और अनुदेश जारी किया गया है जो आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभाग द्वारा अपीलों दायर करने के लिए आर्थिक सीमाओं के पुनरीक्षण के संबंध में है। उच्च न्यायालय/आयकर अपीलीय अधिकरण/अन्य न्यायालयों के समक्ष आयकर विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए विशेष काउन्सेलों की नियुक्ति के दिशानिर्देश हेतु दिनांक 25-3-2008 को अनुदेश संख्या 3/2008 जारी किया गया है।

4.9 विधायी उपाय

वर्ष 2008-09 के दौरान निष्पादन एवं उपलब्धियों के प्रमुख अंश और बजट 2008-09 की घोषणाओं पर की गई कार्रवाई का संक्षिप्त ब्यौरा

क. कर की दरों में परिवर्तन

1. बुनियादी छूट सीमा 1,10,000/- रु. से बढ़ाकर 1,50,000/- रु. कर दी गई है।
2. भारत में प्रत्येक महिला तथा जिसकी आयु पैंसठ वर्ष से कम है, के लिए छूट सीमा 1,45,000/- रु. से बढ़ाकर 1,80,000/- रु. कर दी गई है।
3. प्रत्येक व्यक्ति निवासी जिसकी आयु पैंसठ वर्ष या इससे अधिक है मौलिक छूट सीमा को 1,95,000/- रु. से बढ़ाकर 2,25,000/- रु. कर दिया गया है।
4. इक्विटी उन्मुख निधि की कंपनी या यूनिट में इक्विटी शेयर होने के नाते, अल्पावधिक पूंजी परिसम्पत्ति के अंतरण से उत्पन्न अल्पावधिक पूंजी अभिलाभ पर 10% की विशेष कर दर का धारा 111क एवं 115कघ प्रावधान करती है, जहां किसी संव्यवहार प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभार्य है। कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से यह कर दर बढ़ाकर 15% कर दी गई है।
5. घरेलू कंपनी से भिन्न कंपनी के मामले में, केवल ऐसे मामले में 2.50% की दर से अधिभार लगाया जाता है जहां कुल आय एक करोड़ रु. से अधिक होती है 1 तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए इन सभी मामलों में सीमांत राहत अनुमत है कि एक करोड़ रु. से अधिक की आय अधिभार समेत संदेय आयकर की अतिरिक्त राशि उस राशि तक सीमित हो जिस राशि तक आय एक करोड़ रु. से अधिक है।
6. इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 115 ज ख के अंतर्गत कर प्रभार्य कुल आय प्रत्येक कंपनी के मामले में जहां ऐसी आय एक करोड़ रु. से अधिक है, सीमांत राहत अनुमत है।

ख. अन्य प्रमुख परिवर्तन संशोधन

आयकर अधिनियम की धारा 2 में एक स्पष्टीकरण यह प्रावधान करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है कि नर्सरी में उगाए गए एक पौधों से प्राप्त किसी आय को कृषि आय समझा जाएगा।

धारा 2 के खण्ड (15) में यह प्रावधान है कि में गरीबों को राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत तथा सामान्य सार्वजनिक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को आगे बढ़ाना शामिल है, बशर्ते सामान्य सार्वजनिक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को आगे बढ़ाना धर्मस्य प्रयोजन के लिए नहीं होगा, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के स्वरूप की किसी गतिविधि या किसी उपकरण या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल न हो, ऐसी गतिविधि से आय के प्रयोग या अनुप्रयोग, या अवधारण का स्वरूप चाहे जो भी हो।

सार्वजनिक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को आगे नामक पदबंध के दायरे को सीमित करने के विचार से, धारा 2(15) को संशोधित किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 10 ऐसी आय से संबंधित है जो कुल आय का अंग नहीं है। धारा 10 में एक नया खण्ड (26ककक) यह प्रावधान करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है कि सिक्कमी व्यष्टियों को प्रोद्भूत या उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित आय को आयकर से छूट प्राप्त होगी : (1) सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से आय, अथवा (2) प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के रूप में आय। यह छूट ऐसी सिक्कमी महिलाओं को उपलब्ध नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2008 को या इसके बाद किसी गैर सिक्कमी व्यष्टि से शादी करती है।

धारा 10 के खण्ड (29क) में उपखण्ड (ज) अंतःस्थापित किया गया है तथा 1 अप्रैल 2002 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा जो प्रावधान करता है कि नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का

संशोधन का औचित्य

अधिनियम की धारा 2(1क) में इस रूप में परिभाषित किया गया है कि इसमें अन्य बातों के साथ ऐसी भूमि से आय शामिल है जो भारत में स्थित है तथा कृषि के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाती है। ऐसी कृषि आय का आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10(1) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त है। न्यायायिक प्राधिकारियों ने राय दी है कि नर्सरी चलाने से प्राप्त आय कृषि आय है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होगा। यदि नर्सरी का अनुसूक्ष्ण भूमि पर बुनियादी प्रचालनों को संपन्न करके किया जाता है तथा परवर्ती, प्रचालन बुनियादी प्रचालनों की सततता में संपन्न किए जाते हैं, तो ऐसी नर्सरी से प्राप्त आय कृषि आय होगी जो धारा 10 के अंतर्गत कराधेय नहीं है। तथापि, यदि भूमि पर बुनियादी प्रचालनों का सहारा लिए बिना नर्सरी स्वतंत्र रूप से अनुसूक्ष्ण की जाती है तो ऐसी नर्सरी से प्राप्त आय कृषि आय नहीं होगी तथा कुल आय में शामिल किए जाने का पात्र होगी। इस मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए, धारा 2(1क) को संशोधित किया गया है ताकि प्रावधान हो कि नर्सरी में उगाए गए पौधों से प्राप्त किसी आय को कृषि आय समझा जाए। तदनुसार, बुनियादी प्रचालन भूमि पर संपन्न किए गए हों या न किए गए हों, ऐसी आय को कृषि आय समझा जाएगा, जो अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत छूट का पात्र होगी।

अधिनियम की धारा 2(15) को परिभाषित करते हुए गरीबों को राहत, शिक्षा चिकित्सा राहत तथा सामान्य सार्वजनिक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के कार्य को शामिल करती है। देखा गया है कि वाणिज्य के तर्ज पर प्रचालन कर रही अनेक संस्थाएं अधिनियम की धारा 10(23ग) या धारा 11 के अंतर्गत अपनी आय पर छूट का दावा इस आधार पर कर रही हैं कि वे धर्मस्व संस्था हैं। यह इस तर्क पर आधारित है कि वे सार्वजनिक उपयोग के किसी उद्देश्य को आग में लगे हैं जो कि की वर्तमान परिभाषा के चौथे पहलू में शामिल है। वाणिज्य के तर्ज पर संपन्न किसी गतिविधि के संबंध में अगर ऐसा दावा किया जाता है तो प्रावधान की मंशा के खिलाफ है। सार्वजनिक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को आगे नामक पदबंध के दायरे को सीमित करने के विचार से, धारा 2(15) को संशोधित किया गया है।

यह छूट सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में प्रदान की गई।

धारा 10 (29क) प्रावधान करती है कि कतिपय निर्दिष्ट बोर्डों एवं निर्यात विकास प्राधिकरणों की किसी आय को आयकर से छूट प्राप्त होगी। नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत स्थापित नारियल जटा

45) की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित नारियल-जटा बोर्ड को प्रोद्भूत या उत्पन्न आय को कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

धारा 10 में खण्ड (43) यह प्रावधान करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है कि धारा 47 के खण्ड (xvi) में उल्लिखित रिवर्स बंधक के संव्यवहार में, एकमुश्त या किस्तों में ऋण के रूप में व्यष्टि द्वारा प्राप्त किसी राशि को कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

1 अप्रैल 2009 से आयकर अधिनियम की धारा 35 में यह प्रावधान करने के लिए उपधारा (1)ए खण्ड (iiBÉE) अंतःस्थापित किया गया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी प्रयोग करने हेतु, किसी कंपनी को संदत्त किसी राशि के एक चौथाई भाग को निर्धारित शर्तों के अधीन कटौती के रूप में अनुमत किया जाएगा। धारा 35 की उपधारा (2कख) में खण्ड (6) अंतःस्थापित किया गया है जिसके अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान में सभी कंपनी द्वारा 31 मार्च 2008 के बाद किए गए व्यय की कोई कटौती अनुमत नहीं है।

कतिपय निर्दिष्ट प्रारंभिक व्यय की कटौती के लिए सेवा क्षेत्र को पात्र बनाने हेतु धारा 35घ को संशोधित किया गया है।

मार्च के महीने की गई कटौतियों से संबंधित टीडीएस को जमा करने के लिए अतिरिक्त समय (आयकर विवरणी दायर करने की नियत तिथि तक) देते हुए धारा 40(क)(झक) के प्रावधानों को संशोधित किया गया ताकि ऐसे मामलों में धारा 40(क)(झक) के अंतर्गत अनानुमति लागू न हो। टीडीएस कटौतीकर्ताओं के अधिकतर मामलों में यह तिथि 30 सितंबर होगी। इसलिए करदाता (कटौतीकर्ता) मार्च के महीने में किए गए व्यय पर टीडीएस जमा करने हेतु 6 माह (अप्रैल से सितंबर) का समय प्राप्त करेंगे ताकि धारा (क)(झक) के अंतर्गत अनानुमति से बचा जा सके। यह संशोधन कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क की उपधारा (3) का खंड (क) यह प्रावधान करता है कि किसी ऐसे व्यय को कटौती के रूप में अनुमत नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में भुगतान किसी बैंक में आहरित खाता आदाता बैंक द्वारा या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट से भिन्न अन्यथा द्वारा 20,000/- रूपए से अधिक राशि में किया जाता है। धारा 40क की उपधारा (3) का खंड (ख) कारोबार या पेशा के लाभ या अभिलाभ के रूप में भुगतान समझने का भी प्रावधान करता है, यदि व्यय किसी विशिष्ट वर्ष में किया जाता है किन्तु भुगतान किसी परवर्ती वर्ष में खाता आदाता बैंक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट से भिन्न अन्यथा द्वारा 20,000/- से अधिक

बोर्ड को प्रोद्भूत पर उत्पन्न किसी आय के संबंध में ऐसी ही छूट सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में अनुमत की गई है।

इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, रिवर्स बंधक योजना के अंतर्गत ऋणग्राही ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ बंधक रखने वाले व्यक्ति द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति के परकीयाकरण के समय ही आयकर (पूँजीगत अभिलाभ पर कर के रूप में) का पात्र है। ये संशोधन 1 अप्रैल 2008 से लागू हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 35(1) (2) में करदाता के लिए कतिपय निर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, अनुमोदित विश्वविद्यालय, कालेज या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संदत्त राशि के 125% तक भारित कटौती का प्रावधान है। विशेष रूप से छोटी कंपनियों द्वारा, जो अपने यहां वैज्ञानिक सुविधाओं के लिए भारी निवेश करने में सक्षम हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के वर्हिस्तोतन को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में एक नया खण्ड (iiBÉE) अंतःस्थापित किया गया है ताकि निर्धारित शर्तों के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनार्थ किसी कंपनी को किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त राशि की 125% भारित कटौती अनुमत की जा सके। तथापि, कटौती के लिए अनेक दावों से बचने के लिए धारा 35(1)(iiBÉE) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमोदित कंपनी द्वारा धारा 35(2कख) के अंतर्गत 150S की कटौती की पात्रता को हटा दिया गया है। तथापि, वैज्ञानिक अनुसंधान पर राजस्व व्यय के रूप में खर्च की गई राशि के 100% तक कटौती, जो धारा 35(1)(1) के अंतर्गत उपलब्ध है, अनुमत बनी रहेगी।

धारा 35घ में कतिपय निर्दिष्ट प्रारंभिक व्यय की कटौती के लिए प्रावधान है। कटौती लगातार पांच वर्षों के लिए ऐसे व्यय के पांचवें भाग पर औद्योगिक उपक्रम या यूनिट को अनुमत है। सेवा क्षेत्र को समान स्तर प्रदान करने के विचार से, निर्दिष्ट आरंभ-पश्चात प्रारंभिक व्यय के परिशोधन का यही लाभ प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया जो उपक्रम में विस्तार करने या नई यूनिट स्थापित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को उपलब्ध है।

टीडीएस अनुशासन को बनाए रखते हुए 40(क)(झक) के प्रावधानों द्वारा उत्पन्न किसी मुश्किल का उपशमन करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2008 ने धारा 40(क)(झक) के प्रावधानों को संशोधित किया। निवासियों को किए गए भुगतान से संबंधित धारा 40(क)(झक) के प्रावधानों को न केवल टीडीएस प्रावधानों का अधिक अनुपालन सुनिश्चित करने अर्थात् ब्याज, कमीशन, दलाली आदि के कारण गैर जायज भुगतानों पर रोक लगाने के लिए भी लागू किया गया।

धारा 40क (3) कर अपवंचन रोधी उपाय है। खाता आदाता लिखत के माध्यम से भुगतान करने की अपेक्षा रखने से, लेन देन की यथार्थता का सत्यापन करना संभव है जिससे कर अपवंचन का जोखिम काफी कम हो जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों ने सूचित किया है कि कर निर्धारितियों में एक व्यक्ति को अधिक मूल्य के किसी विशिष्ट भुगतान को अनेक नकद भुगतानों, प्रत्येक 20,000/- रूपए से कम, में विखंडित करके धारा 40क (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एकल दिन के क्रम में किए गए भुगतानों के लिए भी इस विखंडन का सहारा लिया जाता है। न्यायालयों ने इस धारा में प्रयुक्त शब्द को एकल राशि के रूप में

राशि में किया जाता है। तथापि, इस धारा के प्रावधान आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6घघ में प्रदत्त छूटों के अधीन हैं। धारा 40क (3) के प्रावधानों को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि धारा 40क (3) के प्रावधानों वहां भी लागू होंगे जहां किसी बैंक में आहरित खाता आदाता बैंक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट से भिन्न अन्यथा द्वारा किसी एकल पक्ष को किए गए भुगतानों का योग एक दिन में बीस हजार रुपये से अधिक है।

आयकर अधिनियम की धारा 43 की उपधारा 6 में, स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया गया है तथा इसे 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, जो प्रावधान करता है कि जहां कर निर्धारिती से इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी पूर्ववर्ती वर्ष या विचाराधीन कर निर्धारण वर्ष से संगत पिछले वर्ष से पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अपनी कुल आय की गणना करने की अपेक्षा नहीं थी, लेखा बही में ऐसी परिसम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित राशि, यदि कोई हो, द्वारा परिसम्पत्ति की वास्तविक लागत को समायोजित किया जाएगा तथा कर निर्धारिती की लेखा बही में प्रदत्त, ऐसी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास की कुल राशि को इस अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुतः अनुमत मूल्यहास समझा जाएगा। वस्तुतः अनुमत मूल्यहास को परिसम्पत्ति के ऐसे पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यहास की राशि द्वारा समायोजित किया जाएगा।

धारा 47 में उपधारा (x क) यह प्रावधान करने के लिए अंतःस्थापित की गई कि किसी कम्पनी के शेयर या डिबेंचर में एफ सी इडू बी के परिवर्तन को आयकर अधिनियम के अर्थ के अंदर हस्तांतरण नहीं समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 49 की उपधारा (2क) को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया कि बांड के परिवर्तन पर प्राप्त शेयरों के अधिग्रहण की लागत वह मूल्य होगी जिस पर तदनु रूप बांड प्राप्त किया गया था।

धारा 80-झख की उपधारा (9) में खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन या तेल शोधन से प्राप्त लाभ एवं अभिलाभ की शत प्रतिशत कटौती का प्रावधान है। इस धारा के प्रयोजनार्थ, खनिज तेल शब्द में अन्य धाराओं या अधिनियम से भिन्न, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस शामिल नहीं है। इस उपधारा के अंतर्गत कटौती किसी उपक्रम को शुरूआती कर निर्धारण वर्ष समेत लगातार सात कर निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध है।

धारा 80ग की उपधारा (2) में दो नए खंड अंतःस्थापित किए गए जिनके अनुसार पिछले वर्ष के दौरान कर निर्धारिती द्वारा किए गए निम्नलिखित निवेश एक लाख रुपये की समग्र अधिकतम सीमा के अन्दर धारा 80ग के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र होंगे: (1) डाक घर सावधि जमा नियमावली, 1981 के अन्तर्गत किसी खाते में पांच वर्षीय जमा राशि ; और (2) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियमावली, 2004 के अन्तर्गत किसी खाते में जमा राशि।

व्याख्या करके ऐसे विखंडन को अनुमोदित किया है जिससे प्रत्येक लेन देन पर यह सीमा लागू होती है। न्यायालयों की व्याख्या विधायी मंशा के खिलाफ है और इसके परिणाम स्वरूप इस दुरुपयोग रोधी प्रावधान की कारगरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए धारा 40क (3) के प्रावधानों को तदनुसार संशोधित किया गया है।

संशोधन विधायी मंशा को स्पष्ट करने के लिए किया गया क्योंकि एक मामले में, आयकर अपीली अधिकरण (आई टी ए टी) ने राय व्यक्त की है कि क्योंकि कोई कर देयता नहीं थी, इसलिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति की आय की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जिन वर्षों में आय को छूट प्राप्त थी उन वर्षों में बहियों में प्रदत्त मूल्यहास को अनुमत मूल्यहास के रूप में नहीं लिया जा सकता। तदनुसार, राय व्यक्त की गई कि पिछले वर्ष में, जिसमें ऐसा व्यक्ति पहले आयकर छूट का लाभ लेना बंद करता है, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यहास का दावा करने के प्रयोजनार्थ परिसम्पत्ति की वास्तविक लागत हासित मूल्य था। यह व्याख्या मूल्यहास के प्रावधानों की मंशा एवं प्रयोजन से संगत नहीं है, इसलिए संशोधन किया गया।

1992 में, सरकार ने स्थापित भारतीय कम्पनियों को अनिवासी निवेशकों के लिए विशेष कर व्यवस्था के साथ विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बांड (एफ सी सी बी) जारी करने की अनुमति दी ताकि भारत में विदेशी मुद्रा के आगमन को बढ़ावा मिले। सरकार ने अब स्थापित भारतीय कम्पनियों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बांड (एफ सी ई बी) जारी करने की अनुमति दी है। ये विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त बांड हैं जिनके संबंध में मूजधन एवं ब्याज विदेशी मुद्रा में संदेय होता है। एफ सी ई बी इस मायने में एस सी सी बी से भिन्न है कि एफ सी सी बी केवल जारीकर्ता कम्पनी के शेयरों में परिवर्तनीय हैं जबकि एफ सी ई सी एक समूह की कम्पनी के शेयरों में भी परिवर्तनीय है तथा उनका आपस में आदान-प्रदान किया जा सकता है। एफ सी ई बी को समानता का स्तर दिलाने के उद्देश्य से संशोधन किया गया।

धारा 80झख की उपधारा (9) में एक नया परन्तुक अंतःस्थापित किया गया है ताकि प्रावधान हो कि इस उपधारा के अन्तर्गत खनिज तेल के शोधन में लगे किसी उपक्रम को ऐसी स्थिति में कोई कटौती अनुमत नहीं होगी जब यह 1 अप्रैल, 2009 को या इसके बाद तेल शोधन का कार्य आरंभ करेगा, जब तक कि यह कतिपय निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करे, अर्थात् इसका पूर्ण स्वामित्व किसी सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी या किसी अन्य कम्पनी के हाथ में हो जिसमें किसी सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी या कम्पनियों के पास कम से कम 49 प्रतिशत मताधिकार हो; यह केन्द्र सरकार द्वारा 31 मई, 2008 को या इससे पहले अधिसूचित हो; और यह अधिकतम 31 मार्च, 2012 तक तेल शोधन का कार्य शुरू कर दे।

पात्र बचत लिखतों का दायरा बढ़ाकर छोटी बचतों को बढ़ावा देने के विचार से यह कल्याणकारी उपाय के रूप में किया गया है।

अपने माता-पिता की मृत्यु पर बीमा को प्रभावी बनाने या प्रभावी बनाए रखने के लिए किए गए किसी भुगतान पर व्यष्टि के रूप में कर निर्धारिती को धारा 80घ के अन्तर्गत पचास हजार रूपए तक की अतिरिक्ति कटौती अनुमत की गई है। माता-पिता के संबंध में की विद्यमान शर्त का त्याग कर दिया गया है। यह कटौती स्वयं के लिए, अपनी पत्नी/पति एवं आश्रित बच्चों के लिए चिकित्सा बीमा पर व्यक्तिगत कर निर्धारिती को उपलब्ध विद्यमान कटौती के अलावा है। इसके अलावा, यदि व्यक्तिगत कर निर्धारिती के माता-पिता जिसका चिकित्सा बीमा कराया गया है, में से कोई वरिष्ठ नागरिक है, तो बीस हजार रूपए तक की कटौती अनुमत होगी।

धारा 80-झख में एक नई उपधारा (11ग) अंतःस्थापित की गई है, जिसमें 2001 की जनगणना के आधार पर शहरी समूह से युक्त निर्दिष्ट बहिष्कृत क्षेत्र से भिन्न भारत में कहीं भी स्थित अस्पताल, जिसका निर्माण 1 अप्रैल, 2008 से लेकर 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के दौरान होता है तथा इस अवधि के दौरान किसी समय कार्य आरंभ किया है या कार्य करना शुरू करता है, के प्रचालन एवं अनुक्षण के कारोबार से प्राप्त लाभ के संबंध में शुरुआती कर निर्धारण वर्ष से लेकर लगातार पांच कर निर्धारण वर्ष के लिए कर लाभ का प्रावधान है।

धारा 80-झघ के अन्तर्गत उपलब्ध कर लाभों का दायरा विश्व विरासत स्थल वाले निर्दिष्ट जिलों में स्थित टू-स्टार, थ्री स्टार या फोर-स्टार श्रेणी के नए होटलों तक बढ़ाया गया है। ऐसी अपेक्षा कि ऐसे होटल 1 अप्रैल, 2008 से लेकर 31 मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान किसी समय निर्मित हों तथा कार्य करना शुरू करें।

अनुषंगी लाभ कर के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- (क) आयकर अधिनियम की धारा 115 ब ख की उपधारा (2) को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि अनुषंगी लाभ की गणना के लिए पूर्व प्रदत्त इलेक्ट्रानिक भोजन कार्ड पर किसी व्यय का इसके माध्यम से भुगतान को आश्रित से बहिष्कृत किया जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रानिक भोजन कार्ड हस्तांतरणीय नहीं होना चाहिए, ईटींग ज्वाइंट्स या आउटलेट्स पर प्रयोज्य होना चाहिए तथा यथा निर्धारित अन्य शर्तें पूरी होनी चाहिए।
- (ख) खंड (ड.) के स्पष्टीकरण को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि किसी सांविधिक दायित्व को पूरा करने, वृत्तिक संकटों का उपशमन करने, नियोक्ता द्वारा संचालित औषधालय, अस्पताल में प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने, कर्मचारियों के बच्चों को क्रेच की सुविधा प्रदान कराने, कर्मचारी के रूप में किसी खिलाड़ी को प्रायोजित करने या कर्मचारियों के लिए क्रीड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किए गए किसी व्यय या भुगतान को अनुषंगी लाभ की गणना के प्रयोजनार्थ कर्मचारियों के कल्याण के लिए व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (ग) खंड (क) को विलोपित कर दिया गया है। इसलिए अतिथि गृह के रूप में किसी आवास के रख-रखाव के लिए किए गए किसी व्यय अथवा भुगतान को अनुषंगी लाभों की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
- (घ) इसके अलावा, धारा 115 बग की उपधारा (1) के खंड (ग) एवं खंड (घ) को संशोधित किया गया है ताकि प्रावधान हो सके कि त्रौहारी मनाने पर व्यय के कारण अनुषंगी लाभों का मूल्य पचास प्रतिशत की विद्यमान दर की बजाए बीस प्रतिशत हो।

आयकर अधिनियम की धारा 80घ व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में कर निर्धारिती के लिए चिकित्सा बीमा को प्रभावी बनाने या प्रभावी बनाए रखने हेतु भुगतान करने के लिए कटौती का प्रावधान करती है। इन प्रावधानों को कल्याणकारी उपाय के रूप में तथा चूंकि बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा अपेक्षातया तथा अधिक मूल्य पर उपलब्ध होती है इसलिए स्वयं का चिकित्सा बीमा कराने से जुड़े माता-पिता के प्रयासों को सम्पूरित करने के लिए व्यक्तिगत कर निर्धारितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतः स्थापित किया गया है।

गैर-मैट्रो शहरों में अस्पतालों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कतिपय क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों को कटौती का लाभ प्रदान किया गया है।

पर्यटन को बढ़ावा देने तथा भारत के कतिपय विश्व विरासत स्थलों तक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए धारा 80-झघ के अन्तर्गत उपलब्ध कर लाभों का दायरा बढ़ाया गया है।

अनुषंगी लाभ कर के प्रावधानों को तर्क संगत बनाने के लिए ये संशोधन किए गए हैं।

यह प्रावधान करने के लिए एक नई धारा 115 ब ट ख अंतःस्थापित की गई है कि जहां अनुषंगी लाभ कर (निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर के आबंटन या हस्तांतरण के संबंध में) का भुगतान नियोजित किया गया है तथा बाद में कर्मचारी से वसूल किया गया है, वहां अनुषंगी लाभ कर की वसूली को इस रूप में समझा जाएगा कि यह कर्मचारी को प्रदत्त अनुषंगी लाभों के मूल्य के संबंध में उसके द्वारा भुगतान किया गया कर है। समवत प्रावधान केवल उस सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक वसूली की राशि ऐसे कर्मचारी को प्रदत्त अनुषंगी लाभों के मूल्य से संबंधित है। नई धारा में यह भी प्रावधान करने का प्रयास है कि कर्मचारी अन्य आय पर कर देयता के विरुद्ध या किसी अन्य कर देयता के विरुद्ध कर के ऐसे समवत भुगतान के किसी प्रतिदाय या इसके किसी क्रेडिट का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

धारा 142 (2क) की उपधारा (2ग) के परन्तुक को संशोधित किया गया ताकि कर निर्धारण अधिकारी भी स्व प्रेरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की यह अवधि बढ़ाने को अनुमत कर सके। अतएव कर निर्धारिणी द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर विस्तार मंजूर की शक्ति कर निर्धारण अधिकारी के पास बनी रहेगी और जब ऐसे विस्तार के लिए अच्छे एवं पर्याप्त कारण मौजूद होंगे तो वह स्वयं भी ऐसा विस्तार मंजूर कर सकता है।

विवरणियों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग के माध्यम से धारा 143 (1) के अन्तर्गत गणितीय त्रुटियों एवं गलत दावे का समायोजन (धारा 143)

(i) आयकर अधिनियम की धारा 148 को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ऐसी आय का आकलन अथवा पुनर्आकलन कर सके जो कर प्रभार्य है तथा कर निर्धारण से बच गई है। यह आय उस आय से भिन्न है जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं जो किसी अपील, संदर्भ या संशोधन की विषय वस्तु हैं; (2) आयकर अधिनियम की धारा 151 को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया कि धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने हेतु मामले की उपयुक्तता के बारे में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज कारणों से संतुष्ट होने पर यथास्थिति संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त को स्वयं नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है।

यह नई धारा अनुषंगी लाभ कर के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के लिए अंतःस्थापित की गई है।

प्रशासनिक एवं अनुपालन प्रक्रियाओं को तर्कसंगत एवं सरल बनाना।

सामान्यतया, पूरे देश में कर प्रशासन के अन्तर्गत जोखिम प्रबंधन रणनीति के अंग के रूप में कर निर्धारण की दो चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले चरण में, गणितीय त्रुटियों, आंतरिक विसंगति, कर गणना को ठीक करने तथा कर भुगतान के सत्यापन के लिए सभी कर विवरणियों को प्रोसेस किया जाता है। इस चरण पर आय का कोई सत्यापन नहीं किया जाता है। दूसरे चरण में, कर अपवंचन का पता लगाने की संभाव्यता के आधार पर संवीक्षा / लेखा परीक्षा के लिए कर विवरणियों के एक निश्चित प्रतिशत का चयन किया जाता है। इस चरण पर कर प्रशासन आय के सत्यापन से संबंधित होता है। भारत में, 1 जून, 1999 से लागू सारांश कर निर्धारण योजना में प्रथम दृष्टया समायोजन को अनुमत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान योजना का दायरा केवल इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या विवरणीकृत आय पर सही ढंग से करों का भुगतान किया गया है। धारा 143 (1) के विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत गणितीय त्रुटियों या आंतरिक विसंगतियों को ठीक करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इससे परिहार्य राजस्व क्षति होती है। ऐसी राजस्व क्षति को कम करने के उद्देश्य से धारा 143 को संशोधित किया गया।

कर निर्धारण से बच गई है तथा जो किसी अपील, संदर्भ या संशोधन का विषय वस्तु नहीं है, उस आय के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिए धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी की जा सकती है। (2) आयकर अधिनियम की धारा 151 के अन्तर्गत यह अपेक्षा है कि कर निर्धारण अधिकारी ऐसे मामले में संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करे- जब संगत कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 143 (3) अथवा धारा 147 के अन्तर्गत कोई कर निर्धारण नहीं किया गया है; और संगत कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष बीत जाने के बाद नोटिस जारी किया जाना है। प्रावधान किया गया है कि ऐसा नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला होने के बारे में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारणों से जब संयुक्त आयुक्त संतुष्ट होंगे तभी ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। डॉ. शशिकांत गर्ग बनाम सी आई टी 285 आई टी आर 158 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च

धारा 153क में संशोधन के जरिए धारा 153क के अन्तर्गत कार्यवाही के निरसन के मामले में कर निर्धारण का प्रावधान किया गया तथा तलाशी कर निर्धारण के निरस्त होने के मामले में मूल कर निर्धारण कार्यवाही की बहाली का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, ऐसे बहाल किए गए कर निर्धारण को पूरा करने की समय सीमा का प्रावधान करने के लिए धारा 153क को संशोधित किया गया।

आयकर अधिनियम की धारा 193 में, परन्तुक में यह प्रावधान करने के लिए खंड (ix) अंतःस्थापित किया गया है कि किसी कम्पनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर संदेय किसी ब्याज से ऐसे मामले में कोई कर नहीं काटा जाएगा जहां ऐसी प्रतिभूति डीमैट फार्म में है तथा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अनुसरण में किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

आयकर अधिनियम की धारा 194ग को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि व्यक्तियों का कोई संघ या व्यष्टियों के निकाय, निगमित हो या न हो, धारा 194ग की उपधारा(1) के अन्तर्गत ठेकेदार के खाते में ऐसी राशि की क्रेडिट या भुगतान के समय स्रोत पर आयकर काटने के लिए जिम्मेदार होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 195 में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा किसी अनिवासी को भुगतान करने लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति बोर्ड द्वारा यथा विहित स्वरूप एवं ढंग से ऐसी राशि के भुगतान से संबंधित सूचना प्रस्तुत करेगा।

न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसी स्थिति में धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा। ऐसी स्थिति में विधाई मंशा बहुत स्पष्ट रही है संयुक्त आयुक्त को केवल कर निर्धारण द्वारा दर्ज किए गए कारणों से संतुष्ट होना होता है। संशोधन में उपर्युक्त विधाई मंशा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, जब धारा 143 के अन्तर्गत तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अन्तर्गत खाता बही या अन्य दस्तावेज या किसी परिसम्पत्ति की मांग की जाते (हैं, तो धारा 153 क के प्रावधान प्रभावी हो जाती हैं। अन्य बातों के साथ-साथ यह धारा पिछले वर्ष जिसमें तलाशी ली जाती है या लेखा बही आदि मंगाई जाती है, से संगत कर निर्धारण वर्ष के ठीक छः कर निर्धारण वर्ष पूर्व की अवधि के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कुल आय के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का प्रावधान करती है। ऐसे कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण को पूरा करने की समय सीमा धारा 153ख में दी गई है। इस समय कार्यवाहियों की बहाली एवं समय सीमा के बारे में अनेक प्रश्न हैं जो अस्पष्ट हैं। स्पष्टता लाने एवं विवाद कम करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 153क में संशोधन किया गया।

आयकर अधिनियम की धारा 193 में किसी निवासी को संदेय प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी आय पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) का प्रावधान है। अवसंरचना विकास के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाने हेतु कारपोरेट बांड के बाजार के विकास को सुकर बनाने के लिए किसी कम्पनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर ऐसे मामले में किसी निवासी को संदेय किसी ब्याज पर टी डी एस देयता हटाई गई है जहां ऐसी प्रतिभूति डीमैट फार्म में है तथा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टाक सक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

आयकर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (1) ठेकेदार एवं सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, सांविधिक निगमों, कम्पनियों, सहकारी समितियों, आवासन आवास उपलब्ध कराने में लगे सांविधिक प्राधिकरणों, पंजीकृत सोसायटियों, न्यासों, विश्वविद्यालयों, फर्मों तथा धारा 44कख के अन्तर्गत अपने लेखाओं की लेखा परीक्षा कराने के लिए अपेक्षित व्यष्टियों/ एचयूएफ के बीच संविदा के अनुसरण में कोई कार्य (कोई कार्य सम्पन्न करने हेतु श्रमिक की आपूर्ति समेत) सम्पन्न करने के लिए किसी निवासी ठेकेदार को क्रेडिट या अदा की गई किसी राशि से स्रोत पर आयकर काटने का प्रावधान करती है। विशाल कार्य संविदाएं संपन्न करने के लिए अनेक विशेष उद्देश्य वाहन (एस पी वी) स्थापित किए जात रहे हैं। इनमें से कुछ एस पी वी की संरचना व्यक्तियों के संघ (ए ओ पी) या व्यष्टियों के निकाय (बी ओ आई) के स्वरूप के संयुक्त उपक्रम (जेवी)/ संघ के रूप में है। चूंकि धारा 194ग के प्रावधानों के अन्तर्गत इस समय ए ओ पी या बी ओ आई से स्रोत पर कर काटने की विशिष्ट रूप में अपेक्षा नहीं है, इसलिए राजस्व क्षति की संभावना है।

धारा 195 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी विदेशी कम्पनी को या अनिवासी को कर प्रभार्य किसी ब्याज या किसी अन्य राशि, लाभांश एवं शीर्ष के अन्तर्गत आय को छोड़कर) का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति से प्रभावी दर से स्रोत पर कर काटने की अपेक्षा है। इस समय, धन भेजने वाले व्यक्ति से निर्धारित प्रारूप में किसी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ कर निर्धारण अधिकारी को संबोधित बचनपत्र (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। यह बचनपत्र एवं प्रमाणपत्र

धारा 199 एवं धारा 206ग को संशोधित किया गया है ताकि जिस ढंग से टी डी एस / टी सी एस की क्रेडिट दी जानी है उसे धारा 199 एवं धारा 206ग(4) के अन्तर्गत बनाए जाने वाले नियमों द्वारा अभिशासित किया जाएगा अर्थात् टी डी एस/ टी सी एस या धारा 192(1क) के अन्तर्गत परिलाभ पर नियोक्ता द्वारा संदत्त कर के संबंध में क्रेडिट देने के प्रयोजनार्थ बोर्ड यथा आवश्यक नियम बना सके।

धारा 201 की उपधारा (1) को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति, जिसमें किसी कम्पनी का प्रधान अधिकारी भी शामिल है जिससे आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में कोई राशि काटने की अपेक्षा है, राशि नहीं काटता है, या काटने के बाद अदा नहीं कर पाता है, या अदा नहीं करता है, तो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा यथा अपेक्षित समूचे कर या इसके किसी भाग को धारा 201 के अन्तर्गत कर निर्धारिती की चूक समझा जाएगा।

आयकर अधिनियम की धारा 254 को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया कि मूलतः अनुमत अवधि तथा इस प्रकार विस्तारित या अनुमत अवधि या अवधियों का योग किसी भी स्थिति में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगा, भले ही अपील के निपटान में विलम्ब कर निर्धारिती की वजह से न हो।

एक नई धारा 268क अन्तःस्थापित की गई ताकि प्रावधान हो कि बोर्ड अन्य आयकर प्राधिकरणों को यह नियत करते हुए आदेश, अनुदेश या निर्देश जारी कर सके कि अपील या आवेदन दायर करने को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ मौद्रिक सीमाएं क्या होंगी तथा यह भी प्रावधान हो सके कि बोर्ड के उपर्युक्त आदेशों/ अनुदेशों/ निर्देशों के अनुसरण में यदि आयकर प्राधिकारी द्वारा संदर्भ के लिए कोई अपील या आवेदन दायर नहीं किया गया है तो कर निर्धारिती के लिए यह तर्क देना विधि सम्मत नहीं होगा कि किसी मामले में संदर्भ के लिए अपील या आवेदन दायर न करके विवादित मुद्दे पर आयकर प्राधिकारी ने निर्णय से मौन स्वीकृति व्यक्त की है।

भारतीय रिजर्व बैंक या इसके अधिकृत डीलरों को प्रस्तुत किया जाता है जिनसे इसकी प्रतिलिपि कर निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करने की अपेक्षा होती है। बचन पत्र एवं प्रमाणपत्र का प्रयोजन उस स्तर पर कर एकत्रित करना है जब धन भेजा जाता है क्योंकि हो सकता है कि अनिवासियों से बाद में कर वसूलना संभव न हो। विदेशी धन प्रेषण में काफी वृद्धि हुई है जिससे प्रमाणपत्रों की मैनुअल हैंडलिंग एवं ट्रैकिंग दुष्कर हो गई है। लेन देन की समयबद्ध ढंग से निगरानी करने एवं जानकारी रखने के लिए, प्रमाणपत्र एवं बचन पत्र की सूचनाओं की ई-फाइलिंग शुरू करने का प्रस्ताव है, इसलिए यह संशोधन किया गया है।

प्रौद्योगिकी एवं कारोबार प्रक्रिया में हो रहे निरंतर परिवर्तन को देखते हुए टी डी एस/ टी सी एस के लिए कर निर्धारितियों को क्रेडिट अनुमत करने की प्रणाली में कुछ लोच प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। स्वयं अधिनियम में टी डी एस/ टी सी एस के लिए क्रेडिट देने की विधि के संबंध में सख्त शर्तों का प्रावधान करने से बदलते प्रौद्योगिकी परिवेश के अनुसार प्रणाली का पुनर्गठन एवं कार्यान्वयन कठिन हो जाता है। इसके मद्देनजर, धारा 199 एवं धारा 206ग (4) को संशोधित किया गया है।

धारा 201 के अन्तर्गत, किसी व्यक्ति को चूककर्ता कर निर्धारिती समझा जाता है, यदि स्रोत पर कर काटने में विफलता होती है या कर काटने के बाद इसे जमा करने में विफलता होती है। धारा 201 की परिधि में शामिल व्यक्ति इस प्रकार हैं: (1) धारा 200 में उल्लिखित व्यक्ति ; (2) धारा 194 में उल्लिखित मामलों में (लाभांश पर स्रोत पर कर काटने से संबंधित) प्रधान अधिकारी एवं कम्पनी जिसका वह प्रधान अधिकारी है। धारा 200 की उपधारा (1) प्रावधान करती है कि वेतन से भिन्न भुगतानों पर स्रोत पर कोई कर काटने वाला कोई व्यक्ति निर्धारित समय के अन्दर केन्द्र सरकार को या बोर्ड के निर्देशानुसार काटी गई राशि का भुगतान करेगा। ऐसी राय व्यक्त की गई है कि धारा 201 की उपधारा (1) के प्रावधान स्रोत पर कर कटौती में विफलता को शामिल नहीं करते हैं। ऐसी व्याख्या कानून की मंशा के खिलाफ है, इसलिए प्रावधानों को तदनुसार संशोधित किया गया है।

विधार्थ मंशा को स्पष्ट करने के लिए कि आई टी ए टी कुल मिलाकर 365 दिन से अधिक अवधि के लिए मूल आदेश के अन्तर्गत या किसी परवर्ती आदेश के अन्तर्गत स्थगन आदेश मंजूर नहीं कर सकता।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विवाद समाधान का एक निर्धारित तंत्र है। इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने समय समय पर अनुदेश जारी किया है जिसमें विभागीय अधिकारियों को ऐसी स्थिति में अपील दायर न करने का निर्देश दिया गया है जब कर प्रभाव इसके द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम होता है। मैसर्स बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड बनाम सी आई टी, कोलकाता (सिविल अपील संख्या 2004 का 1081 से 1083) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राय दी है कि यदि राजस्व ने उच्च न्यायालय द्वारा विहित कानून की सटीकता को चुनौती नहीं दी है तथा एक कर निर्धारिती के मामले में इसे स्वीकार किया है, तो उचित कारण के बिना अन्य कर निर्धारितियों के मामले में सटीकता को चुनौती देने के लिए राजस्व स्वतंत्र नहीं है। विभाग के अपीलों को न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा इस आधार पर खारिज किया जा रहा है कि उसी कर निर्धारिती के मामले में या किसी अन्य कर निर्धारिती के मामले में विवादित मूद्दे को नहीं हिलाया गया। बोर्ड के निर्देश का प्रचलन उद्देश्य छोटे मामले में मुकदमेबाजी

धारा 271 में उपधारा (1ख) यह प्रावधान करने के लिए अंतःस्थापित की गई है कि यदि कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के किसी आदेश में कर निर्धारिती की कुल आय या नुकसान की गणना में कोई राशि जोड़ी जाती है या अनानुमत की जाती है, तथा ऐसे आदेश में उपधारा (1) के अन्तर्गत दंडात्मक कार्यवाहियों की सूचना देने के लिए निर्देश है, तो कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के ऐसे आदेश को उपधारा (1) के अन्तर्गत दंडात्मक कार्यवाहियों की सूची के लिए कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि समझा जाएगा। धनकर अधिनियम में भी ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव है।

दंड एवं अभियोजन से प्रतिरक्षण के संबंध में प्रावधान तथा निपटान कार्यवाही के उपशमन के संबंध में कर निर्धारण की समय सीमा का प्रावधान लागू किया जाए। (धारा 153, धारा 173कक एवं धारा 278कख)

आयकर अधिनियम में यह प्रावधान करने के लिए एक नई धारा 282क अंतःस्थापित की गई कि जहां कोई नोटिस या अन्य दस्तावेज जारी करने, तामील करने या देने की अपेक्षा है, वहां यदि उस पर आयकर प्राधिकारी का नाम एवं पद मुद्रित, स्टैम्प या अन्यथा लिखित है तो इसे अधिप्रमाणित समझा जाएगा। यह भी प्रावधान करने का प्रस्ताव है की इस धारा के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी का आशय इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी आयकर प्राधिकारी से है।

आयकर अधिनियम में एक नई धारा 292 खख यह प्रावधान करने के लिए अंतःस्थापित की गई है कि जहां कर निर्धारिती कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही में उपस्थित हुआ है या सहयोग दिया है, वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत कोई नोटिस अधिनियम के संगत प्रावधान के अनुसरण में उसे

को कम करना है। अपील दायर करने या न करने संबंधी राजस्व के अधिकार की रक्षा करने के लिए यह संशोधन किया गया। इस संशोधन को 1 अप्रैल, 1999 से लागू किया गया है।

आयकर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) इस उपधारा में सूचीबद्ध कतिपय अपराधों के लिए कर निर्धारण अधिकारियों का दंड लगाने का अधिकार देती है। यह अपेक्षा है कि इस तरह का दंड लगाने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए। इस मुद्दे पर न्यायिक राय में काफी अन्तर है कि क्या कर निर्धारण अधिकारी से इस उपधारा के अन्तर्गत नोटिस जारी करने से पूर्व अपनी संतुष्टि दर्ज करने की अपेक्षा है। कुछ न्यायिक प्राधिकारियों ने राय व्यक्त की है कि ऐसी संतुष्टि दर्ज करने की जरूरत नहीं है। तथापि, सी आई टी बनाम राम कामर्शियल इंटरप्राइजिज लिमिटेड (246 आई टी आर 568) के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने राय दी है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी संतुष्टि अवश्य दर्ज की जाए। इस मुद्दे पर विरोधाभासी निर्णयों को देखते हुए तथा विधार्थी मंशा को स्पष्ट करने के लिए निश्चित तौर पर यह प्रावधान करने के लिए धारा 271 संशोधित की गई कि दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने से पूर्व लिखित में संतुष्टि दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है।

वित्त अधिनियम 2007 ने मामलों के निपटान की योजना में व्यापक संशोधन किया। यह योजना विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के उपशमन का प्रावधान करती है। विभिन्न मुद्दों, जो निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के उपशमन की स्थिति में उत्पन्न हो सकते हैं, से निपटने के लिए आयकर आयुक्त को ऐसे मामले में दंड एवं अभियोजन से प्रतिरक्षण मंजूर करने का अधिकार दिया गया है जो उपशमन करते हैं।

कार्य की मात्रा में वृद्धि के कारण कर प्रशासन पर मांग बढ़ती जा रही है। कराधार व्यापक एवं गहन होने से करदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कार्य की अत्यधिक मात्रा से निपटने तथा करदाताओं को समय पर सेवा प्रदान करने के लिए विभाग अपनी प्रमुख प्रक्रियाओं एवं कार्य-विधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का उत्तरोत्तर प्रयोग कर रहा है। ध्यान देने वाली बात विवरणियों की ई-फाइलिंग की योजना है। अन्य महत्वपूर्ण प्रयोजनाएं भी हैं जैसे प्रतिदाय बैंकर, करों का ई-भुगतान, आदि। इन योजनाओं से करदाता सेवा का स्तर उपर उठाने की अपेक्षा है जिनसे स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ने की भी अपेक्षा है। स्तरीय करदाता सेवा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विवरणियों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग तथा नोटिसों का केन्द्रीकृत निर्गम महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए, अधिकारी के हस्ताक्षर की अपेक्षा को समाप्त करना तथा एक आम मोहर का प्रयोग करना आवश्यक है। नोटिस, सूचना, आदि के निर्गम के संबंध में ऐसी आम मोहर की शुरुआत विभाग के साथ करदाताओं के इन्टरफेस को न्यूनतम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगे। इसके अलावा, इसकी वजह से व्यक्तिगत अधिकारी को अपने विवेक का काफी कम प्रयोग करना पड़ेगा तथा इससे जवाबदेही में एवं अनुपालन में वृद्धि होगी।

विभाग की जानकारी में ऐसे मामले आए हैं जहां धारा 143 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नोटिसों को, हलांकि उस माह की समाप्ति से बारह माह के अन्दर पंजीकृत डाक से जारी किया गया जिसमें विवरणी प्रस्तुत की गई, उस आधार पर ठहराया गया है कि नोटिस वस्तुतः सीमांकित तिथि के बाद कर निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई तथा धारा के अन्तर्गत यथा

समय पर विधिवत तामील की गई है। इसके अलावा, ऐसा कर निर्धारिती इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही या जांच में कोई आपत्ति करने से वारित होगा। इसके अलावा, धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (त्ते) को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया कि धारा 143 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नोटिस उसी वित्त वर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के अन्दर कर निर्धारिती को तामील की जाएगी जिसमें विवरणी प्रस्तुत की जाती है।

परकल्पित कोई नहीं है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि कर निर्धारिती ने तामील किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में कर निर्धारण की कार्यवाहियों में भाग लिया है। ऐसे मामले भी जानकारी में आए हैं जहां कर निर्धारण के आदेशों को इस आधार पर निरस्त किया जा रहा है कि नोटिस के तामील होने या जारी होने का कोई साक्ष्य नहीं है, हालांकि कर निर्धारिती एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि ने कर निर्धारण की कार्यवाही के दौरान अधिकारी के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हुआ है। इसके अलावा, माह की समाप्ति के सदर्भ में सीमांकित अवधि की डिजाइन से इस मामले में प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न होती है कि हर माह का अंतिम दिवस समय अवरोधक तिथि बन जाता है। इन मुद्दों से निपटने तथा मुकदमेबाजी को कम करने के लिए संशोधन किए जाते हैं।

(ग) प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण उपाय

(1) जिन्स संव्यवहार कर (सी टी टी) की शुरुआत वित्त अधिनियम, 2008 के अध्याय-VII में जिन्स संव्यवहार कर लगाने, संग्रहीत करने एवं वसूल करने, विवरणी प्रस्तुत करने, कर निर्धारण प्रक्रिया, कर निर्धारण अधिकारी की शक्ति, ब्याज की प्रभार्यता, दण्ड लगाने, अभियोग चलाने तथा अपील दायर करने आदि का प्रावधान है। केन्द्र सरकार को उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु अधिकार दिया गया है। स्टाक एक्सचेंज में व्यापारित प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) वित्त अधिनियम, 2004 के तहत पहले ही शुरू किया जा चुका है। सी टी टी शुरू करने का औचित्य एवं उद्देश्य सभी डेरिवेटिव्स की संव्यवहार लागत को समान बनाना है, अंतःनिहित परिसम्पत्ति जो भी हो। चूंकि पण्यों में फ्यूचर एवं ऑप्शन भी डेरिवेटिव्स हैं; इसलिए ऐसी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की संव्यवहार लागत अन्य डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की संव्यवहार लागत के बराबर होनी चाहिए।

(2) प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना जिस दर से एस टी टी लगाया जाता है उसे प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करके तर्कसंगत बनाया गया। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 88ड. को हटा दिया गया तथा धारा 36 के प्रावधानों को संशोधित किया गया ताकि प्रावधान हो कि कारोबार के सिलसिले में संपन्न किए गए कराधेय प्रतिभूति/जिन्स संव्यवहार के संबंध में वर्ष के दौरान कर निर्धारिती द्वारा संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर/जिन्स संव्यवहार कर की किसी राशि को इस शर्त के अधीन कटौती के रूप में अनुमत किया जाएगा कि कराधेय प्रतिभूति /जिन्स संव्यवहार से ऐसी पेशा से लाभ एवं शीर्ष के अंतर्गत शामिल की जाती है।

(3) बैंककारी नकद संव्यवहार कर (बी सी टी टी) का समाप्त किया जाना वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 95 में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करके समापन खंड लागू किया गया, जिसके तहत यह प्रावधान है कि 31 मार्च, 2009 के बाद किसी कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में कोई बी सी टी टी प्रभारित नहीं किया जाएगा।

4.10 अंतर्राष्ट्रीय कराधान**4.10.1 विदेश कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग**

दोहरा कराधान परिहार करार (टी टी ए ए)-सामान्य उद्देश्य

(1) अन्तर्राष्ट्रीय दोहरा कराधान एक ही विषय वस्तु के संबंध में तथा समान अवधियों के लिए दो या इससे अधिक राज्यों में तुलनीय कर लगाने के घटित होता है। दो राज्यों के बीच द्विपक्षीय कर संधि के लिखित के माध्यम से दोहरे कराधान से बचने का प्रयास किया जाता है। पारस्परिक आर्थिक संबंधों, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर संधि की जाती है। दोहरा कराधान परिहार करार (डी टी ए ए) में कारोबार आय, ब्याज, लाभांश, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, पूंजीगत अभिलाभ, पेंशन आदि समेत आय की विभिन्न धाराओं से दो राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे के लिए वितरण के नियमों का एक सेट होता है। इन डी टी ए ए को दोहरा कराधान परिहार अभिसमय (डीटीएसी) भी कहा जाता है, जो दो देशों के बीच अच्छे वाणिज्यिक संबंध के प्रतीक के रूप में काम करता है तथा दो देशों के बीच पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं कार्मिकों के प्रवाह को प्रेरित करते हैं।

(2) डी टी ए ए दो संविदाकारी राज्यों के बीच द्विपक्षीय करार है तथा कराधान अधिकारों के वितरण, कराधान से राहत, सूचना विनिमय एवं करों के संग्रहण में सहायता के संबंध में परस्पर सहमति का द्योतक है। ये पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित हैं। डी टी ए ए में पारस्परिक करार प्रक्रिया (एम ए पी) के माध्यम से वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र का प्रावधान होता है।

भारत एवं चिली के बीच दोहरा कराधान परिहार करार को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता के दूसरे दौर का आयोजन 17 से 21 मार्च, 2008 के बीच सेंटियागो, चिली में हुआ।

भारत एवं तजाकिस्तान के बीच दोहरा कराधान परिहार करार (डी टी ए ए) पर हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

इसके अलावा, भारत एवं इस्तोनिया के बीच दोहरा कराधान परिहार करार को अंतिम रूप देने के लिए 28 जनवरी, 2008 से 1 फरवरी, 2008 के बीच नई दिल्ली में वार्ता के पहले दौर का आयोजन किया गया।

अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के दौरान निष्पादन / उपलब्धियां

जून, 2003 से विदेश कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग का विभाजन दो प्रभागों अर्थात् विदेश कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग -I एवं विदेश कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग-II में कर दिया गया है। वर्ष 2008 के दौरान इन प्रभागों की उपलब्धियां / निष्पादन नीचे दिए गए हैं:

1. विदेश कर एवं कर अनुसंधान-I प्रभाग

- (1) माल्टा के साथ विद्यमान डी टी ए ए के संशोधन के लिए वार्ता के दूसरे दौर का आयोजन किया गया तथा आधिकारिक स्तर पर डी टी ए ए निष्पन्न किया गया।
- (2) नार्वे के साथ विद्यमान डी टी ए ए के संशोधन के लिए वार्ता के दूसरे एवं तीसरे दौर का आयोजन किया गया। आधिकारिक स्तर पर डी टी ए ए निष्पन्न किया गया।
- (3) अल्बानिया के साथ व्यापक डी टी ए ए आरंभ करने के लिए वार्ता के पहले दौर का आयोजन किया गया। आधिकारिक स्तर पर डी टी ए ए निष्पन्न किया गया।
- (4) मेक्सिको, लक्जमबर्ग, लाटविया, फिनलैंड एवं अल्बानिया के साथ डी टी ए ए निष्पन्न एवं हस्ताक्षरित करने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
- (5) जून, 2008 में सरकार के स्तर पर लक्जमबर्ग के साथ डी टी ए ए पर हस्ताक्षर किए गए
- (6) मोंटिनेग्रो एवं सर्बिया के साथ भारत के दोहरा कराधान परिहार अभिसमय को अधिसूचित करने वाली दो अधिसूचनाएं क्रमशः- अधिसूचना सं. का.आ. 96(अ), दिनांक 7 जनवरी, 2009 एवं अधिसूचना सं. का.आ. 97 (अ) दिनांक 7 जनवरी, 2009 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुईं।
- (7) भारत में उत्पन्न ब्याज के आय के स्रोत आधारित कराधान के संबंध में छूट के लिए कतिपय संस्थाओं को शामिल करने हेतु क्रमशः फिनलैंड के साथ डी टी ए ए के अनुच्छेद 12 एवं जापान के साथ डी टी ए ए के अनुच्छेद 11 के अनुसरण में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के अन्तर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 2428 (अ) दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 जारी की गई।

- (8) डी टी ए ए के अनुच्छेद करार (एम ए पी) के अन्तर्गत जापान एवं यू एस ए के साथ बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों के दौरान कई मामले सुलझाए गए।
- (9) डी टी ए ए के अनुच्छेद का के अन्तर्गत विभिन्न विदेशी कर प्राधिकारियों से कई मामलों में अनुरोध किए गए। कुछ मामलों में डी टी ए ए के अनुच्छेद का के अन्तर्गत सूचनाएं स्वतः भी प्राप्त हुईं। स्वतः प्राप्त सूचनाओं के साथ-साथ हमारे अनुरोध के प्रत्युत्तर में प्राप्त सूचनाओं का उपयोग क्षेत्र प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण एवं अन्वेषण में किया गया है। विदेश कर प्राधिकारियों से सूचना के आदान प्रदान के लिए प्राप्त अनुरोधों का विधिवत जवाब दिया गया तथा कई मामलों में उनको सूचनाएं प्रदान की गईं। कुछ मामलों में विदेशी कर प्राधिकारियों को सहायता प्रदान की गई है ताकि वे अपने देशों में करदाताओं से बकाया कर वसूल कर सकें।
- (10) लिचिन्स्टीन के एल जी टी बैंक के मामले में जर्मन सरकार के पास सी डी में उपलब्ध बैंक खातों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान से जुड़े उनके प्रस्ताव पर मेहनत के साथ कार्यवाही की गई तथा ऐसे भारतीय करदाताओं के संबंध में सूचनाएं 18 मार्च, 2009 को जर्मन संघीय केन्द्रीय कर कार्यालय से प्राप्त की गईं जिनके जर्मन प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सी डी में लिचिन्स्टीन स्थित एल जी टी बैंक में खाते थे। जर्मन प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाएं आवश्यक कार्यवाही हेतु जांच प्रभाग को हस्तांतरित की गईं। यू बी एस संबद्ध प्रगति के मद्देनजर स्विस् प्राधिकारियों से यह सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया कि क्या भारत एवं स्विट्जरलैंड के बीच डी टी ए ए के अनुच्छेद रुद्ध का के अन्तर्गत स्विस् बैंकों के सीमा पारीय कारोबार के भारतीय ग्राहकों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना संभव होगा। स्विस् प्राधिकारी ने कहा कि डी टी ए ए के विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत डी टी ए ए के सही अनुप्रयोग के लिए न कि भारत के अन्तर्गत कानूनों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- (11) आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ ई सी डी) की राजकोषीय कार्य समिति में प्रेक्षक के रूप में, भारत ने ओ ई सी डी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया तथा इसकी वर्किंग पार्टी की बैठकों में भी सक्रियता से भाग लिया।
- (12) ओ ई सी डी माडल कर अभिसमय पर भारत के दृष्टिकोण को अन्तिम रूप दिया गया तथा ओ ई सी डी को सूचित किया गया। इस ओ ई सी डी माडल कर अभिसमय एवं टिप्पणी को जुलाई, 2008 के संस्करण में समाविष्ट किया गया है।
- (13) भारत के दोहरा कराधान परिहार करारों में प्रयुक्त शब्द लगाया जा सकता है को परिभाषित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दो अधिसूचनाएं-आयकर अधिनियम की धारा 90 (3) के अन्तर्गत सं.का.आ. 2123 (अ) दिनांक 28 अगस्त, 2008 और धारा 90क (3) के अन्तर्गत का. आ. 2124 (अ) दिनांक 28 अगस्त, 2008 जारी की गईं।
- (14) संयुक्त सचिव (एफ टी एंड टी आर-1) ने 31 मार्च से 2 अप्रैल, 2008 तक आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के गैर ओ ई सी डी अर्थ व्यवस्थाओं के साथ सहयोग के लिए सलाहकार समूह की बैठक में भाग लिया।
- (15) भारत-माल्टा दोहरा कराधान परिहार करार के संशोधन के सिलसिले में वार्ता के पहले दौर के आयोजन के लिए माह के दौरान 15 से 17 जनवरी, 2008 तक संयुक्त सचिव (एफ टी एंड टी आर-1), निदेशक (एफ टी एंड टी आर-1) तथा अवर सचिव (एफ टी एंड टी आर-1) से युक्त एक शिष्टमंडल ने माल्टा का दौरा किया।
- ## 2. विदेश कर एवं कर अनुसंधान-II प्रभाग
- (1) ताइवान, इरान, चिली, कोलंबिया, इथोपिया एवं मोजाम्बिक के साथ व्यापक दोहरा कराधान परिहार करार/ अभिसमय (डी टी ए ए/ डी टी ए सी) करने के लिए वार्ताएं आयोजित की गईं।
- (2) मिस्र, दक्षिण कोरिया, सीरिया एवं नेपाल के साथ विद्यमान डी टी ए ए/ डी टी ए सी की समीक्षा के लिए वार्ताएं आयोजित की गईं।
- (3) इरान एवं ताइपेई आर्थिक सांस्कृतिक केन्द्र (टी ई सी सी) के साथ डी टी ए ए को अंतिम रूप दिया गया तथा आधिकारिक स्तर पर इरान के साथ प्रस्तावित करार पर हस्ताक्षर किए गए।
- (4) मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सरकार के स्तर पर तजाकिस्तान एवं म्यांमार के साथ व्यापक डी टी ए ए तथा सीरिया के साथ संशोधित डी टी ए ए पर हस्ताक्षर किए गए।
- (5) भारत एवं बोत्स्वाना के साथ डी टी ए ए को अधिसूचना सं. 70/ 2008- एफ टी डी/ फा. सं. 501/2/99- एफ टी डी दिनांक 18 जून 2008 के तहत अधिसूचित किया गया। डी टी ए ए 30.1.2008 को प्रभावी हुआ तथा 1.4.2009 से भारत में प्रभावी होगा। भारत एवं सीरिया के बीच संशोधित डी टी ए ए अधिसूचना सं. 33/2009 एफ टी डी -II/ फा. सं. 503/7/2005-एफ टी डी -II दिनांक 30.9.2009 के तहत अधिसूचित किया गया। डी टी ए ए 10.11.2008 को प्रभावी हुआ तथा भारत में 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी हुआ।
- (6) मारीशस: भारत-मारीशस डी टी ए सी पर भारत मारीशस संयुक्त कार्य समूह (जे डब्ल्यू जी) की पांचवीं एवं छठी बैठक क्रमशः 8 से 10 फरवरी, 2008 और 19 मई, 2008 को पोर्ट लूईस में आयोजित की गईं।
- (7) आई बी एस ए राजस्व प्रशासन कार्य समूह
- अध्यक्ष (के.प्र.क.बो.) एवं संयुक्त सचिव (एफ टी एंड टी आर-II) ने आई बी एस ए राजस्व प्रशासन संचालन समूह (आई आर ए एस जी) की तीसरी बैठक में भाग लिया जिसका आयोजन 6-7 मई, 2008 को केपटाउन में किया गया तथा आई बी एस ए फोकल प्वाइंट मिटिंग का आयोजन 8 मई, 2008 को अफ्रीका में किया गया। हमारी विशेष रूचि के क्षेत्रों अर्थात् सूचना का आदान प्रदान, जोखिम प्रोफाइलिंग एवं मूल्यांकन तथा कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में सहयोग आदि में सहयोग बढ़ाने में बैठक सफल रही।
 - आई बी एस ए राजस्व प्रशासन संचालन समूह की चौथी बैठक नई दिल्ली में 15-16 सितम्बर, 2008 को आयोजित की गई। इस बैठक के बाद 17 तथा 18 सितम्बर, 2008 को राजस्व प्रशासन कार्य समूह के प्रमुखों की तीसरी बैठक हुई। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में, तीन राजस्व प्रशासन सूचना का आदान मूल्य निर्धारण एवं अंतरराष्ट्रीय कराधान, जोखिम प्रोफाइलिंग एवं मूल्यांकन, कम्प्यूटरीकरण, वृहत करदाता यूनिट एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में

अपना सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए तथा अपनी कर संधियों के दुरुप्रयोग की चुनौती से निपटाने के लिए सहयोग बढ़ाने का संकल्प किया।

- (8) अध्यक्ष (के.प्र.क.बो.) एवं संयुक्त सचिव (एफ टी एंड टी आर-II) के दो सदस्यीय भारतीय शिस्टमंडल ने दक्षिण अफ्रीका के विशाल कारोबार केन्द्र एवं जोखिम मूल्यांकन प्रणाली का अध्ययन करने के लिए आई बी एस ए फोरम के तत्वावधान में 7 से 8 जनवरी, 2008 तक जोहान्सबर्ग का दौरा किया तथा 10 से 15 जनवरी, 2008 तक कैपटाउन में ओ ई सी डी के कर प्रशासन मंच (एफ टी ए) की चौथी बैठक में भाग लिया।

भारत के अधिसूचित डीटीए/डीटीएसी की स्थिति

आज की स्थिति के अनुसार, भारत ने 73 देशों के साथ आय के सभी स्रोतों को शामिल करते हुए व्यापक डी टी ए / डी टी ए सी अधिसूचित किया है। इसी तरह, भारत के 10 देशों के साथ सीमित वायु एवं नौ परिवहन करार हैं।

4.10.5 अन्तरराष्ट्रीय कराधान निदेशालय:

आयकर महानिदेशक (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) सीधे अध्यक्ष , के.प्र.क.बो. के अधीन कार्य कर रहे हैं। 13 आयकर निदेशक (भारत सरकार में संयुक्त सचिव के वेतनमान में) हैं जो नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, अहमदाबाद, एवं पुणे स्थित अंतरराष्ट्रीय कराधान निदेशालयों एवं अन्तरण मूल्य निर्धारण निदेशालय का काम काज देखते हैं।

विशिष्टताएं

4.10.6 अंतरण मूल्य निर्धारण निदेशालय

भारत में, अंतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधान वर्ष 2001 में लागू किए गए तथा वित्त वर्ष 2007-08 तक अंतरण मूल्य निर्धारण संबंधी लेखा परीक्षा के तीन दौर पूरे किए गए जिससे 4330 मामलों में 6938.14 करोड़ रूपए का समायोजन किया गया।

अंतरण मूल्य निर्धारण संबंधी लेखा परीक्षा के चौथे दौर में, जो 31.10.2008 को सम्पन्न हुई, 6155.42 करोड़ रूपए का समायोजन किया गया। कर निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए अन्तरण मूल्य समायोजन से भारत में करों का भुगतान घटाने के लिए निम्नलिखित तौर-तरीकों का पता चला है।

- औप्टिकल स्टोरेज एवं सेटेलाइट कास्टिंग के विनिर्माण के कारोबार में लगे कर निर्धारितियों के मामले में क्रमशः 239.3 करोड़ रूपए एवं 19.14 करोड़ रूपए के लाभ के भारत से टैक्स हैवन / कम कर वाले क्षेत्रों में अन्तरण का पता चला।
- कृषि उत्पादों के व्यापार में लगे एक उद्यम के मामले में हानि को छिपाने के लिए लेखा परीक्षा लेखाओं में हेरा-फेरी का पता चला जिसके फलस्वरूप 550.17 करोड़ रूपए का समायोजन किया गया।
- साफ्टवेयर विकास हववाइटगुड्स के वितरण एवं कार विनिर्माण के कारोबार में लगी कम्पनियों के मामले में भारत में अमूर्त के सृजन पर व्यय की गैर प्रतिपूर्ति के कारण समायोजन की सूचना दी गई जिसमें क्रमशः 73.85 करोड़ रूपए, 27.26 करोड़ रूपए और 206.5 करोड़ रूपए शामिल थे।

4.11 राजस्व लेखा परीक्षा और लोक लेखा समिति (ए एंड पी ए सी)

4.11.1 आयकर विभाग के कामकाज में नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित करने में सी एंड ए जी तथा संसद की लोक लेखा समिति के महत्व को देखते हुए प्रारूप पैराग्राफ एवं प्रणाली मूल्यांकन के रूप में सी एंड ए जी की टिप्पणियों की सी बी डी टी के लेखा परीक्षा एवं लोक लेखा समिति (ए एंड पी ए सी) प्रभाग द्वारा बारीकी से जांच की जाती है। मंत्रालय की टिप्पणियां क्षेत्रीय प्राधिकारियों के परामर्श से तैयार की जाती हैं और फिर सी एंड ए जी को प्रस्तुत की जाती हैं। यह प्रभाग लोक लेखा समिति की अग्रिम प्रश्नावली तथा समिति द्वारा लिखित साक्ष्य के बाद उत्पन्न प्रश्नों का जवाब देकर लोक लेखा समिति को भी सूचना प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त किए गए 880 प्रारूप पैराग्राफों में से 700 के जवाब सी एंड ए जी को प्रस्तुत किए गए। जहां तक ए टी एन का संबंध है, 815 ए टी एन सी एंड ए जी को तथा 395 ए टी एन निगरानी प्रकोष्ठ को सी एंड ए जी से विधिक्षा टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद भेजे गए।

1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 की अवधि के दौरान वर्षवार लेखा परीक्षा रिपोर्ट, डी पी/ ए टी एन के निपटान का ब्यौरा तालिका 3.23 पर दी गई है।

सी एंड ए जी की रिपोर्ट सं. 8 (2008) जिसमें निम्नलिखित विषयों पर प्रभावी मूल्यांकन/समीक्षा है:

- (1) निर्धारण प्रक्रिया में तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग / प्रमाणन का मूल्यांकन रूप पर समीक्षा।
- (2) कर निर्धारण की लेखा पर समीक्षा
- (3) आयकर अधिनियम, 1961 की अवसंरचना विकास से संबंधित कर निर्धारण की लेखा परीक्षा (धारा 80झक के अन्तर्गत कटौतियों) पर समीक्षा।

उपर्युक्त समीक्षाएं टिप्पणी के लिए सभी संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयकर आयुक्तों/ संबंधित निदेशालयों/ अनुभागों को अग्रेषित की गई हैं। उपर्युक्त समीक्षा पर सी एंड ए जी को प्रारूप उत्तर प्रस्तुत किया गया है। अब तक प्राप्त जवाबों को संकलित किया जा रहा है। तथा टिप्पणी के लिए शेष संबंधित मुख्य आयकर आयुक्तों को अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

4.11.2 पी ए सी के समक्ष मौखिक साक्ष्य

- (1) पी ए सी ने निम्नलिखित की जांच का चयन किया है:

(क) 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के सी एंड ए जी का पैरा 2.7 से 2.7.2, 2.8.3.1 एवं 2.9.1 से 2.9.3.1, संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) नं. पी ए 7 (2008) (निष्पादन लेखा परीक्षा) जो मौखिक साक्ष्य के लिए रूख निर्धारण कार्यवाही में तीसरे पक्ष की रिपोर्टिंग / प्रमाणन के मूल्यांकन पर के संबंध में है।

(ख) मौखिक साक्ष्य के लिए बैंकों के कर निर्धारण के मूल्यांकन पर समीक्षा के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के सी एंड ए जी का पैराग्राफ 1.91 से 1.96, 1.10.1 से 1.10.4, संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) सं. पी ए 7 (2008) (निष्पादन लेखा परीक्षा)।

- (2) मौखिक साक्ष्य के सिलसिले में सभी मामलों पर विभाग के जवाब

तालिका 3.23

1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 की अवधि के दौरान वर्षवार लेखा परीक्षा रिपोर्ट, डी पी/ ए टी एन के निपटान का ब्यौरा

लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष	डी पी की सं. जिनका उत्तर दिया गया	ए टी एन/संशोधित ए टी एन की संख्या जिन्हें सी एंड ए जी को भेजा गया	सी एंड ए जी की विधिस्थापितियां प्राप्त करने के बाद निगरानी प्रकोष्ठ को भेजे गए ए टी एन की सं.
लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2004-2005	07	146	102
लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2005-2006	20	340	193
लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2006-2007	327	शून्य	शून्य
लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2007-2008	101	शून्य	शून्य
योग	460	499	295

के साथ पृष्ठभूमि टिप्पणी लोक सभा सचिवालय को प्रस्तुत की गई।

- (3) पी ए सी को अग्रिम प्रश्नावली पर विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया।
- (4) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित चयनित पैराग्राफों के संबंध में पी ए सी ने 15.9.2008 को मौखिक साक्ष्य लिया।
- (5) सचिव (राजस्व) एवं सदस्य (ए एंड जे) को विस्तृत टिप्पणियां एवं ब्रीफ्स भी प्रस्तुत किए गए ताकि वे पी ए सी द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान पूछे गए प्रश्नों का सटीक एवं विस्तृत उत्तर दे सकें।
- (6) मौखिक साक्ष्य के उपरांत लोक सभा सचिवालय ने एक और प्रश्नावली जारी की है जिसमें मौखिक साक्ष्य से उत्पन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसका भी उत्तर प्रस्तुत किया गया।

4.11.3 एक्जिट सम्मेलन:

2009 की सी एंड ए जी रिपोर्ट में समावेशन के लिए निम्नलिखित विषय पर तीन प्रारूप प्रणाली समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं:

- नौ परिवहन एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कटौतियों, छूटों एवं अनुमतियों की समीक्षा
- आयकर विभाग की ई-टी डी एस प्रणाली की आई टी लेखा परीक्षा
- अवसंरचना विकास उपक्रम से भिन्न कतिपय उपक्रमों से लाभ एवं अभिलाभ की कटौती पर समीक्षा (आयकर अधिनियम की धारा 801ख के अन्तर्गत कटौती)।

टिप्पणी के लिए उपर्युक्त समीक्षाएं बोर्ड के संबंधित अनुभागों/ क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित की गई हैं। उपर्युक्त समीक्षाओं पर चर्चा के लिए 5 दिसम्बर, 2008 को सी बी डी टी एवं सी एंड ए जी के बीच एक्जिट सम्मेलन का आयोजन किया गया। रिपोर्ट में समाविष्ट करने के लिए सी एंड ए जी को मंत्रालय के विचारों से अवगत कराया गया।

4.11.4 धारा 72क से संबंधित मामले

1. इस अवधि के दौरान कोई विशिष्ट प्राधिकारी बैठक नहीं हुई (1

फरवरी 2007 को आयोजित 117वीं एस ए बैठक आखिरी बैठक थी)।

2. धारा 72क (2) (2) के अन्तर्गत मैसर्स श्री एम्बेश्वर केमिकल्स प्रा.लि. के विलय के संबंध में मैसर्स श्री एम्बेश्वर पेपर मिल्स लि. का आवेदन। सी सी-III, मुम्बई से व्यापक रिपोर्ट मंगाई गई। रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा विचारार्थ प्रस्तुत की गई।
3. धारा 72क (2) (2) के अन्तर्गत मैसर्स प्रीमियर मेटलर्जिकल प्रा.लि. के साथ मैसर्स विक्रांत अलाय एंड फोर्जिंग प्रा. लि. का आवेदन। आवेदक कम्पनी ने अंतिम चरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।
4. धारा 72क (3) के अन्तर्गत मैसर्स डायमंड इंटरनेशनल प्रा. लि. के साथ मैसर्स डायमंड पालीमर्स प्रा. लि. और मैसर्स डायमंड एलास्टोमर्स प्रा. लि. का आवेदन सी सी आई टी-रू; दिल्ली से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा विचारार्थ प्रस्तुत की गई।
5. धारा 72क (2) (2) के अन्तर्गत मैसर्स ब्रुकबॉड इंडिया लि. (हिन्दुस्तान लिवर लि. के रूप में ज्ञात) के साथ मैसर्स कर्नाटक स्कूटर्स प्रा. लि. का आवेदन। सी सी आई टी- मुम्बई सिटी 1 से रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

4.12 आयकर महानिदेशालय (प्रशासन)

चार निदेशालय हैं जैसे:

- (1) आयकर निदेशालय (पी आर, पी पी एंड ओ एल)
- (2) आयकर निदेशालय (वसूली)
- (3) आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा परीक्षा)
- (4) आयकर निदेशालय (टी डी एस)

4.12.1 आयकर निदेशालय (जनसम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन तथा राजभाषा)

आयकर निदेशालय (जन सम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन तथा राजभाषा) पूरे भारत में आयकर विभाग में प्रचार एवं जन सम्पर्क, मुद्रण एवं प्रकाशन तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। सांख्यिकी के संकलन

से संबंधित कार्यात्मक नियंत्रण 7.12.2006 से आयकर महानिदेशालय (कानूनी एवं अनुसंधान) को हस्तांतरित किया गया है किन्तु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण अभी भी आयकर निदेशक (जन सम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन तथा राजभाषा) के हाथ में ही है। 1.4.2008 से 2.1.2009 तक की अवधि के दौरान इस निदेशालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से कुछ एक इस प्रकार हैं:

(क) जन सम्पर्क

(1) सूचना के अन्तर्गत पुस्तिकाएं कर कानूनों के प्रावधानों तथा कर कानूनों की जटिलताएं कम करने एवं करदाता सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास के अंग के रूप में प्रकाशित की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान करदाता सूचना श्रृंखला व निम्नलिखित पुस्तिकाओं के अद्यतनीकृत संस्करण निकाले गए।

- अपने पूंजीगत अभिलाभ की गणना कैसे करें
- गृह सम्पत्ति से आय का कर निर्धारण
- वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनरों एवं वरिष्ठ नागरिकों का कराधान
- परिलाभों का मूल्यांकन
- वेतन से भिन्न टी डी एस
- अपनी कर विवरणी दायर करना
- वेतन पर टी डी एस
- ई एस ओ पी पर अनुषंगी लाभ कर (अंग्रेजी एवं हिन्दी रूपान्तर)

(2) वर्ष 2009 के लिए जनवरी, 2009 में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम, पता, फोन नंबर एवं आयकर सांख्यिकी से युक्त प्रशासनिक हैंडबुक जारी किया गया है।

(ख) प्रचार: करदाताओं की उनकी कानूनी जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कर संबद्ध विभिन्न मामलों पर प्रचार अभियान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चलाया गया। अग्रिम कर के भुगतान, आयकर विवरणी दायर करने संबंधी जिम्मेदारियों के बारे में करदाताओं को जागरूक करने के लिए नियमित अन्तराल पर प्रचार अभियान चलाए गए। करदाताओं के लिए उपलब्ध की गई विभिन्न नई सुविधाओं के प्रचार किया गया, जैसे कि ई-फाइलिंग, ई-भुगतान, प्रतिदाय बैंकर योजना, कर विवरणी तैयारकर्ता योजना आदि। करदाताओं को यह संदेश दिया गया है कि राष्ट्र निर्माण में वे समान पणधारी हैं।

(ग) मुद्रण एवं प्रकाशन

- निम्नलिखित प्रकाशन मुद्रित एवं वितरित किए गए: तलाशी एवं जब्ती मैनुअल खंड-1 एवं II 2007, कर वसूली मैनुअल, 2007, कार्य योजना, 2008-09, तिमाही कर बुलेटिन (खंड 78 से 83), अर्द्धवार्षिक बुलेटिन (खंड 42 (2)), प्रशासन 6 (के.प्र.क.बो.) द्वारा 2007 के दौरान जारी किए गए आदेशों एवं अधिसूचनाओं का संग्रह, कानूनी शब्दावली, प्रत्यक्ष करो बुलेटिन खंड 51 (प्रशासनिक), जनवरी, 5 से दिसम्बर 5, सर्वेक्षण मैनुअल, 2007।
- निम्नलिखित प्रकाशन खरीदे एवं वितरित किए गए: आयकर अधिनियम, 2008, आयकर नियमावली, 2008, धनकर अधिनियम, 2008,

धनकर नियमावली, 2008, हिन्दी एवं अंग्रेजी के संस्करण खरीदे गए तथा पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालयों को वितरित किए गए।

- आयकर चालान फार्म आई टी एन एस -280, आई टी एन एस-281, आई टी एन एस-282, एवं आई टी एन एस -283, राजपत्रित एवं अराजपत्रित स्टाफ के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फार्म, 25,000 रूपए एवं उससे अधिक के लिए पी पी सी सी एस प्रतिदाय स्टेशनरी, आई टी, सी टी, एवं अन्य प्रत्यक्ष करों के संबंध में इन्डेन्ट वर्ष 2008-09 के लिए एम आई सी आर एवं गैर एम आई सी आर हेतु 24,999 रूपए तक पी पी सी सी एस प्रतिदाय स्टेशनरी मुद्रित एवं वितरित की गई।

(घ) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

- सदस्य (पी एंड वी), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में 7 जुलाई, 2008 को शिमला में प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 66वीं बैठक आयोजित की गई।
- सदस्य (पी एंड वी), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में 20 अक्टूबर, 2008 को उदयपुर में प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 67वीं बैठक आयोजित की गई।
- सदस्य (पी एंड वी), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में 9 जनवरी, 2009 को तिरुवनन्तपुरम में प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 68वीं बैठक आयोजित की जा रही है।
- संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने 17.6.2008 को मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून के कार्यालय का तथा 24.6.2008 को आयकर अधिकारी, श्रीनगर के कार्यालय का निरीक्षण किया। इस निदेशालय ने निरीक्षण प्रश्नावली तैयार करने में संबंधित कार्यालयों की सहायता की तथा मुख्यालय की प्रश्नावली से संबंधित सूचनाएं भी तैयार की।
- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महानिदेशक (प्रशा.), आयकर निदेशक (पी आर, पी पी एंड ओ एल), उप निदेशक (ओ एल) तथा सहायक निदेशक (ओ एल) ने मुख्यालय से बाहर विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। दिसम्बर, 2008 तक कुल 18 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है।
- 1 सितम्बर, से 15 सितम्बर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस पखवाड़े के दौरान दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला भी आयोजित की गई। पूरे देश में आयकर कार्यालयों में हिन्दी दिवस सप्ताह एवं पखवाड़े के आयोजन के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए।
- फरीदाबाद में 23 से 25 जुलाई, 2008 तक सहायक निदेशकों (ओ एल) के लिए अखिल भारतीय सेमिनार आयोजित किया गया।
- फरवरी, 2009 में लखनऊ में हिन्दी अनुवादकों के लिए अखिल भारतीय सेमिनार होन वाला है।
- डी आई टी पी आर, पी पी एंड ओ एल) की संयुक्त राजभाषा समिति तथा डी आई टी (वसूली) की दो बैठकें क्रमशः 12.8.2008 एवं 20.11.2008 को आयोजित की गई।
- राजभाषा विभाग, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्र/ परिपत्र

अनुवर्ती कार्रवाई एवं आगे परिचालन के लिए सी सी आई टी एवं डी जी आई टी के कार्यालयों को परिचालित किए गए।

- आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में तिमाही रिपोर्टें मंगाई गईं, समेकित की गईं तथा समीक्षा की गई। सी बी डी टी के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की समेकित रिपोर्टें राजस्व विभाग को भजी गईं। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की गई।
- इस निदेशालय द्वारा अंग्रेजी के समाचार पत्रों में जारी किए गए विज्ञापनों का हिन्दी में अनुवाद कराया गया ताकि हिन्दी के अग्रणी समाचार पत्रों में छपवाया जा सके।
- 25.4.2008 को नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में अपर सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर अनुपालन किया गया तथा 28.11.2008 को आयोजित बैठक के लिए आयकर विभाग के संबंध में सांख्यिकी प्रस्तुत की गई।
- सभी संवर्ग नियंत्रक सी सी आई टी/ डी जी आई टी से अपने-अपने क्षेत्रों में वरिष्ठ / कनिष्ठ अनुवादकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुरोध किया गया।
- सहायक निदेशक (राजभाषा) के रिक्त पदों को भरने के लिए डी पीसी की बैठक बुलाई गई। परिणामतः पदोन्नति एवं तैनाती के आदेश जारी किए गए।
- उप निदेशक (राजभाषा) के पद को भरने के लिए डी पी सी की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव यू पी एस सी को अग्रेषित किया गया।
- आयकर विभाग तथा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के राजभाषा संवर्ग के वेतनमान में विसंगति को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग तथा कार्यान्वयन प्रकोष्ठ को एक नोट भेजा गया। परिणामतः का.आ. सं. 1/1/2008-आई सी दिनांक 24.11.2008 के तहत केन्द्र सरकार के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा संवर्ग के वेतनमान में समानता बहाल की गई।

आयकर निदेशालय (पी आर, पी पी एंड ओ एल) की नई वेबसाइट
आयकर विभाग द्वारा आयोजित समारोह में राजस्व सचिव श्री पी वी भिडे द्वारा 4 फरवरी, 2009 को आयकर निदेशालय (पी आर, पी पी एंड ओ एल) की एक नई वेबसाइट शुरू की गई। इसका उद्देश्य बेहतर करदाता सेवाएं प्रदान करना तथा विभाग में ज्ञान के प्रबंधन के लिए इंटरफेस का प्रावधान करना है। करदाताओं को विश्वसनीय एवं भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। जब करदाता इस वेबसाइट को अक्सेस करेंगे तो यह उनको सूचना प्रदान करेगी, उनके प्रश्नों का उत्तर देगी तथा उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करेगी। अनेक करदाता अनुकूल विशेषताएं हैं; जैसे,

1. कर टयूटोरियल
2. करदाताओं की सूचना के लिए प्रकाशन/पुस्तकें
3. ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट, पैन आवेदन, कर भुगतान ट्रैकिंग स्तर आदि के लिए लिंक।
4. जनवरी, 2009 को राजस्व सचिव श्री पी वी भिडे ने इसका औपचारिक रूप से शुरुआत की।

यह वेबसाइट क्रियाशील है तथा प्रदान करेगी :

(क) करदाताओं/ जनता के लिए

1. कर दर, कर भुगतान के लिए कैलेंडर/अनुसूची, फार्म हर प्रकार के कर निर्धारितियों के लिए चालान;
2. निम्नलिखित के संबंध में करदाताओं को सेवाएं-
 - कर भुगतान
 - विवरणी दायर करना
 - टी डी एस विवरणी दायर करना
 - पैन/टैन प्राप्त करना
 - कर भुगतान ट्रैकिंग स्तर
 - सहायता डेस्क
3. आयकर अधिनियम/ नियमावली तथा अन्य संगत अधिनियम एवं नियमावलियां;
4. परिपत्र/ अधिसूचनाएं;
5. अधिकारियों का सम्पर्क ब्यौरा (प्रशासनिक हैण्डबुक);
6. करदाताओं की सूचना पर लक्षित प्रकाशन;
7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न;
8. निविदाएं;
9. करदाताओं की शिक्षा के लिए शिक्षण शृंखला; तथा
10. संबद्ध साइटें

(ख) विभागीय अधिकारियों के लिए, ज्ञान प्रबंधन पोटल में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. सर्वोत्तम प्रथाएं;
2. सर्वोत्तम कर निर्धारण आदेश;
3. सर्वोत्तम अपील आदेश;
4. सर्वोत्तम टी डी एस आदेश;
5. सर्वोत्तम तलाशी/सर्वेक्षण प्रचालन एवं रणनीतियां;
6. सर्वोत्तम विविध आदेश;
7. न्यायाधिकरण/न्यायालय के समक्ष सर्वोत्तम विभागीय प्रतिनिधित्व ;
8. लेख एवं प्रस्तुतियां ;
9. विभागीय मैनुअल;
10. तिमाही कर बुलेटिन (अनुदेश, परिपत्र एवं अधिसूचनाएं);
11. कानूनी शब्दावली;
12. सम्मेलन ;
13. न्यायिक संदर्भ (विभाग के पक्ष में मामले);

14. योजनाएं एवं परियोजनाएं;
15. विभाग द्वारा पर मुद्रित ऐसे अन्य प्रकाशन।

वेबसाइट की अंतर्वस्तु को नियमित आधार पर अपडेट करने की जरूरत है। इसके अलावा, वेबसाइट को उपयोगी एवं संगत बनाने के लिए नए शीर्षकों विचारों को समाविष्ट करने की जरूरत होगी। विभाग में ज्ञान प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए एक स्थाई संचालन समिति का गठन किया गया है जिनमें डी जी आई टी (प्रशा.) पदेन संयोजक है तथा डी आई टी (एच आर डी), डी आई टी (डी ओ एम एस), डी आई टी (पी आर, पी पी एंड ओ एल), तथा डी आई टी (टी डी एस) पदेन सदस्य हैं। संचालन समिति से परामर्श करके डी आई टी (पी आर, पी पी एंड ओ एल) वेबसाइट का अनुसंधान एवं अपडेशन करेगा।

“लेटस्ट शेयर” नामक प्रकाशन का विमोचन

सर्वोत्तम प्रथाओं एवं आदेशों से युक्त “लेटस्ट शेयर” नामक पुस्तक का विमोचन 4 फरवरी, 2009 को माननीय राजस्व राज्य मंत्री श्री एस.एस. पलानीमाणिकम ने किया। जनता एवं विभागीय प्रयोक्ताओं के लिए इस पुस्तक को दो अलग संस्करणों में छपवाया गया है।

4.12.2 आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा परीक्षा)

आयकर निदेशालय (आयकर) सी बी डी टी का संबद्ध कार्यालय है तथा इसके अन्तर्गत निरीक्षण प्रकोष्ठ, जांच प्रकोष्ठ एवं लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ शामिल हैं।

(क) निरीक्षण कार्य

आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष कर-निर्धारण, वसूली, जांच, विभागीय मामलों को प्रस्तुत करने के क्षेत्र में उच्च कोटि की कार्य-प्रणाली को बनाए रखने के साथ-साथ रिकार्ड प्रबंधन तथा शिकायत निवारण के लिए निरीक्षण एक सशक्त माध्यम है। यह निवारक सतर्कता का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। आयकर विभाग में पुनर्गठन होने के उपरान्त, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 1.10.2002 से जांच की एक नई प्रणाली लागू की गई थी जिसके द्वारा आयकर आयुक्तों/निदेशकों द्वारा निरीक्षण किए जाने हेतु रेंज कार्यालयों की मौलिक इकाइयां गठित की गईं और रेंज प्रमुखों द्वारा कर

वसूली अधिकारियों के निष्पादन कार्यों की जांच की जाती है। इस समय, एक वित्त वर्ष में दो श्रेणी अर्थात् प्रणाली जांच जिसमें रिकार्डों का निरीक्षण तथा विभिन्न आकस्मिक कार्यवाहियों जैसे मांग का परिशोधन, मांग का निपटान, अपील प्रभावों आदि का निपटान आदि और कर-निर्धारण की गुणवत्ता की जांच, वसूली, आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष विभागीय मामलों का प्रस्तुतीकरण आदि शामिल है। इन निरीक्षणों की समीक्षा संबंधित मुख्य आयकर आयुक्तों/महानिदेशकों द्वारा की जाती है और जांच रिपोर्टें जांच निदेशालय को भेजी जाती हैं। विभिन्न घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में, जांच प्रणाली को पुनर्गठन करने तथा इसे और अधिक कारगर बनाने की दृष्टि से एक समिति गठित की गई थी जो संशोधित जांच प्रणाली का सुझाव देगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 4.11.08 से एक नई जांच प्रणाली लागू है। इस नई जांच प्रणाली के अंतर्गत, संबंधित प्रशासनिक आयुक्त द्वारा उप आयकर आयुक्त/सहायक आयकर आयुक्त के कार्यालयों की जांच की जाएगी। आयकर अधिकारियों तथा कर वसूली अधिकारियों के कार्यालयों की जांच रेंज प्रमुख अर्थात् अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कई कार्यालयों को पहली बार जांच के दायरे में लाया गया है अर्थात् रेंज प्रमुखों के कार्यालयों (आयकर आयुक्त द्वारा जांच की जाती है, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त (लेखा परीक्षा), आयकर आयुक्त (स्रोत पर कटौती), आयकर आयुक्त (सीओ) के कार्यालय (मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा जांच की जाती है), आयकर अधिकारी (मुख्यालय), आयकर अधिकारी (न्यायिक), आहरण एवं संविरण अधिकारी के कार्यालयों (संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है)। आयकर निदेशालय जांच प्रगति की निगरानी करता है, जांच रिपोर्टों का निरीक्षण तथा संवीक्षा करता है। ऐसी समीक्षाओं के आधार पर, क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना दी जाती है। वर्ष 2001-02 से आज तक जांच के ब्यौरे तालिका 3.24 पर दी गई है।

(ख) जांच कार्य: (1) निरीक्षण स्कंध को सहायक आयकर आयुक्त (परिवीक्षाधीन) तथा आयकर विभाग के अन्य राजपत्रित संवर्ग के लिए विभागीय परीक्षाएं संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। निदेशालय का यह स्कंध विभागीय परीक्षाओं का स्वतंत्र तथा निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। यह निदेशालय आयकर के क्षेत्र में हो रहे नूतन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं के नियमों एवं

तालिका 3.24

वर्ष 2001-02 से आज तक जांच के ब्यौरे

वित्त वर्ष	प्राप्त रिपोर्टों की संख्या	संवीक्षा की गई रिपोर्टों की संख्या
2001-02	314	175
2002-03	675	450
2003-04	2800	387
2004-05	3091	-
2005-06	2458	428
2006-07	2546	128
2007-08	848	757
2008-09	1327	483

नीतियों/पाठ्यक्रमों की भी निरंतर समीक्षा करता रहा है। इस प्रकार, कार्मिकों तथा अधिकारियों को गुणवत्ता प्रदान करने में यह विभाग का एक जांच बिन्दु है। विभाग के अलग-अलग संग्रहों की परीक्षाएं संचालित करने तथा उनके परीक्षा परिणाम घोषित करने के अतिरिक्त, यह जांच स्कंध विभागीय परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न परीक्षाओं के नियमों तथा पाठ्यक्रमों की समीक्षा और व्याख्या करता है, सरकारी नीतियों को लागू करता है और विभाग द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की शिकायतों तथा अभ्यावेदनों का भी निराकरण करता है। यह एकक परीक्षाओं से संबंधित सूचना अधिकार के आवेदनों पर भी कार्यवाही करता है।

(ग) सहायक आयकर आयुक्तों (परिवीक्षाधीन) तथा आयकर अधिकारियों, आयकर निरीक्षकों, अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान निदेशालयों द्वारा संचालित की गई प्रमुख परीक्षाओं के विवरण निम्नवत हैं :-

- फरवरी, 2008 के दौरान सहायक आयकर आयुक्त (परिवीक्षाधीन) 60वें बैच के लिए दूसरी विभागीय परीक्षा आयोजित की गई। अप्रैल 2008 के दौरान उनके परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए।
- मार्च 2008 में सहायक आयकर आयुक्त (परिवीक्षाधीन) 60वें बैच की पहली विभागीय (पूरक) परीक्षा आयोजित की गई और जून, 2008 के दौरान इनके परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए।
- अगस्त, 2008 के दौरान सहायक आयकर आयुक्त भारतीय राजस्व सेवा के 61वें बैच की पहली विभागीय परीक्षा आयोजित की गई और इनके परीक्षा परिणाम 23 दिसम्बर, 2008 को घोषित कर दिए गए। इन परीक्षाओं में 103 अधिकारी प्रशिक्षणार्थी के रूप में शामिल हुए।
- सितम्बर, 2008 के दौरान अनुसचिवीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2008 में तथा नवम्बर, 2008 के दौरान आयकर अधिकारियों एवं आयकर निरीक्षकों के लिए पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर वर्ष 2008 में विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। देश के विभिन्न भागों में स्थित 54 केन्द्रों से आयकर अधिकारियों/आयकर निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा में लगभग 8000 अभ्यर्थी शामिल हुए। आयकर अधिकारियों/आयकर निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा की लगभग 24000 प्रतिलिपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(3) लेखा परीक्षा कार्य

आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य

- (1) नई आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली दिनांक 1 जून, 2007 से एक नई आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू की गई है जिसके अंतर्गत लेखा परीक्षा का कार्य एक विशिष्ट आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध को सौंपा गया है। इस स्कंध में 22 आयकर आयुक्त, 22 अपर आयकर आयुक्त, 22 विशेष लेखा परीक्षा पार्टी तथा 272 आन्तरिक लेखा परीक्षा पार्टी शामिल हैं। विशेष लेखा परीक्षा पार्टी की अध्यक्षता उप आयकर आयुक्त/सहायक आयकर आयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती है जबकि आन्तरिक लेखा परीक्षा पार्टी की अध्यक्षता आयकर अधिकारियों द्वारा की जाती है। अपर आयकर आयुक्त को भी आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य दिया गया है। आयकर आयुक्त (लेखा परीक्षा), लेखा परीक्षा स्कंध के समग्र प्रभारी हैं और मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) के क्षेत्राधिकार के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। अपर आयकर आयुक्त (लेखा परीक्षा) प्रतिवर्ष 50 मामलों की लेखा परीक्षा करते हैं जबकि विशेष लेखा परीक्षा पार्टी एक वर्ष में 300 मामलों की लेखा परीक्षा करेगी। आन्तरिक लेखा परीक्षा पार्टी को 600 कंपनियों के मामलों/700 गैर कंपनी कर-निर्धारितियों के मामलों की लेखा परीक्षा करने को कहा गया है।
- (2) दो पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के दौरान कार्य निष्पादन के साथ-साथ सितंबर, 2008 तक की अवधि के लिए कार्य निष्पादन पर आधारित एक तुलनात्मक विवरण तालिका 3.25 पर दी गई है और नई आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू करने के पश्चात छोटी एवं बड़ी लेखा आपत्तियों के लिए कोई अंतर नहीं दर्शाया गया है।

4.12.3 वसूली निदेशालय

कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में वसूली निदेशालय को सौंपे गए कार्य को मोटे तौर पर 3 शीर्षों में आवंटित किया जा सकता है। निगरानी वसूली/ बकाया मांग में कटौती, चालू तथा बकाया मांग से व्युत्पन्न होने वाले कर बकायों की वसूली से संबंधित आंकड़ों का संकलन तथा मिलान/अधिकांशतः इसका संबंध 1 करोड़ रुपये से अधिक मांग वाले डोजियर के संकलन तथा निगरानी, बड़े खाते में डालने की कार्यवाही, आंशिक बड़े खाते में

तालिका 3.25

दो पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के दौरान कार्य निष्पादन के साथ-साथ सितंबर, 2008 तक की अवधि के लिए कार्य निष्पादन पर आधारित एक तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	2006-07	2007-08	2008-09
1	आंतरिक लेखा परीक्षा मामलों की कुल संख्या जिनमें त्रुटियों का पता चला था।	2779	1791	19983
2	राजस्व प्रभाव	7023797	3954904	230836.55
3	निपटाई गई आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों की संख्या	4813	487	1911
4	राजस्व प्रभाव	3082920	321370	17958.21

डालने तथा मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार से प्राप्त बकाया मांग के प्रस्तावों को कम करने से है।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत राहत/रियायत देने के संबंध में बी आई एफ आर/ए एफ आई आर के मामलों पर कार्यवाही करना।

वित्त वर्ष के दौरान उपर्युक्त तीनों शीर्षों के अंतर्गत किए गए कार्य निम्नवत हैं :

क. बकाया तथा चालू मांगों की वसूली : बकाया मांग से रोकड़ संग्रहण का लक्ष्य 12407 करोड़ रु. है। संगठन तथा प्रबंध सेवा निदेशालय द्वारा निर्मित समेकित कैप के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर इस लक्ष्य की सतत रूप से निगरानी की गई है। मार्च, 2009 में संकलित की गई अंतिम कैप रिपोर्ट से कुल 10016 करोड़ रु. की वसूली दर्शायी गई है जो 12407 करोड़ रु. के लक्ष्य का 80.75 प्रतिशत है। राजकोषीय वर्ष 2007-08 के दौरान मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल वसूली 9070 करोड़ रु. थी जो 13000 करोड़ कार्य योजना लक्ष्य का 67.5 थी। अर्थव्यवस्था में मंदी तथा कठिन तरलता परिस्थिति होने के बावजूद भी हम आश्वस्त हैं कि पिछले वर्ष की उपलब्धि प्रतिशतता तथा संख्या में बहुत अधिक है।

इस वर्ष बोर्ड ने निर्णय लिया है कि दिसंबर, 2008 को समाप्त होने वाली तिमाही से निदेशालय केवल 10 करोड़ रु. अधिक के डोजियरों को प्राप्त करेगा। 10 करोड़ रु. तक के डोजियर मुख्य आयकर आयुक्त स्तर तक प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रत्यक्ष कर वसूली की वृद्धि दर में गिरावट आने के कारण केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस निदेशालय के माध्यम से वसूली-योग्य मांग वाले 25 करोड़ रु. से अधिक डोजियर मामलों की गहन निगरानी शुरू किया है।

इस निदेशालय द्वारा 25 करोड़ से अधिक, जिनकी कुल संख्या 408 है, के सभी डोजियरों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक डोजियर का विश्लेषण करने के पश्चात्, यह पाया गया कि 408 मामलों में से 185 मामलों में कुछ वसूली योग्य/कार्रवाई योग्य मांगें थी। इनमें वे मामले शामिल थे जिनमें विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा स्थगन दिया गया था अथवा कर-निर्धारिती को किस्ते प्रदान की गई थी। इन 185 मामलों का स्टेशनवार विश्लेषण करने से पता चला कि 160 ऐसे मामले भारत के नौ प्रमुख स्टेशनों में थे। इनमें से प्रत्येक स्टेशन का दौरा करने का निर्णय लिया गया। सदस्य (राजस्व), महानिदेशक (प्रशासन) तथा आयकर आयुक्त (वसूली) द्वारा दौरे किए जा रहे हैं, मामले-वार परिचर्चाएं तथा समीक्षाएं की जा रही हैं। क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा बकाया मांगों से वसूली की प्रतिबद्धताएं की जा रही हैं। इन सबके फलस्वरूप बकाया मांग की वसूली तथा इस वर्ष के सकारात्मक क्षेत्र में आने वाले नियमित कर-निर्धारण कर के लिए 80.75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

ख. मामलों को बड़े खाते में डालना : इस निदेशालय में कुल 66 मामलों को बड़े खाते में डाला गया, इनमें कैलेण्डर वर्ष 2008 के दौरान प्राप्त 4 नए मामले भी शामिल हैं।

इन 66 फाइलों में से प्रत्येक फाइल की समीक्षा की गई और बड़े खाते में डाले गए 30 अत्यन्त पुराने मामलों में कारण दर्ज करने के बाद इन फाइलों को बंद कर दिया गया। शेष मामलों में क्षेत्रीय प्राधिकारियों को पत्र जारी किए गए। बड़े खाते में डाले गए प्रस्तावों में खामियां दूर करने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारियों को कहा जा रहा है।

वर्ष के दौरान, कर-निर्धारण वर्ष 87-88 तथा 88-89 के लिए मोहम्मद अहमद सुपारीवाला के मामले में बड़े खाते में डाले गए प्रस्ताव में 5,60,46,048/- रु. की अन्तर्ग्रस्त राशि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अग्रेषित की गई। बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और इस अनुमोदन के लिए माननीय वित्त मंत्री को अग्रेषित किया गया। मैसर्स जनता जनता स्कीम के एक अन्य मामला जिसमें 6,80,58,653/- रु. की राशि अन्तर्ग्रस्त थी, को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अग्रेषित किया गया। इस पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदन विचाराधीन है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान नए कर वसूली अधिकारियों की नियम पुस्तक जो पिछले निदेशालय द्वारा अद्यतन की गई थी, को वित्त वर्ष में प्रकाशित कर दिया गया। निदेशालय ने क्षेत्रीय प्राधिकारियों को लिखा है वे नियम पुस्तक का पालन करें तथा इस राजकोषीय वर्ष की आखिरी तिमाही में कारगर तरीके से वसूली शुरू करें।

ग. बी आई एफ आर : वसूली निदेशालय में बी आई एफ आर एकक बी आई एफ आर तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच एक समन्वयकारी एजेंसी है। बी आई एफ आर ने एक रूग्ण कंपनी के पुनर्वास के लिए एक संस्वीकृत स्कीम का अनुमोदन किया है जिसमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से कतिपय राहतों की परिकल्पना की गई है। ऐसी राहतों को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए कर-निर्धारण अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है तथा कंपनी से अपेक्षित सूचना मांगी गई है और फाइलें प्रक्रियाबद्ध की गई हैं तथा निदेशालय द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की गई हैं। 01.04.08 से आज तक की अवधि के दौरान निदेशालय द्वारा संसाधित निम्नलिखित 14 मामलों को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अंततः अनुमोदित कर दिया गया है।

- प्रागा टूल्स लिमिटेड
- श्री कृष्ण केशव लेबोरेटरीज लिमिटेड
- लक्ष्मी आटोमेटिक लूम वर्क्स
- इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
- डीएसएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड
- एशियन लैक्टो लिमिटेड
- जेमश्री रंजीत सिंह जी एसपीजी एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड
- वेसी सिमेंटोलाइट्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- नथानी पेपर्स लिमिटेड
- एनएचएन कार्पोरेशन लिमिटेड
- चित्रदुर्गा सनफ्लावर आयल लिमिटेड
- श्री कार्तिक पेपर लिमिटेड
- शरत इंडस्ट्रीज
- इलेक्ट्रिकल मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड

वर्ष के दौरान, अधिकाधिक अनुकूल दृष्टिकोण प्रणाली लागू करके बीआईएफआर एकक की कार्य प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने अर्थात् रिहैविलिटेशन स्तर पर आयकर विभाग से परिकल्पित राहतों पर विशेष प्रतिक्रिया देने के लिए प्रयास किए गए हैं। यह एस आई सी ए के उपबंधों के अनुसरण में हैं जिसमें धारा 19(2) के अनुसार प्रत्येक स्कीम

बीआईएफआर द्वारा उन सभी व्यक्तियों जिन्हें अपनी सहमति के लिए वित्तीय सहायत देना अपेक्षित है, को साठ दिन की अवधि अथवा आगे बढ़ाई गई ऐसी बी आई एफ आर द्वारा जैसी अनुमति दी जाए, के भीतर परिचालित की जाती है।

ऐसी प्रणाली जिसे लागू किया गया है :

- ड्राफ्ट रिहैविलीटेशन स्कीम की मांग करना, जहां कहीं यह बी आई एफ आर से या सीधे कंपनी से अथवा प्रचालन एजेंसी से प्राप्त नहीं हुई है।
- कंपनी के साथ-साथ कर-निर्धारण अधिकारी जहां कहीं यह संभव है, से विशेष सूचना की मांग करना।
- सूचना के आधार पर धारा 19(2) के अनुसार जहां कहीं संभव हो, 60 दिन की विहित अवधि से पूर्व बी आई एफ आर को विभाग की ओर से परिकल्पित राहतों पर विशेष प्रतिक्रिया/सुझाव देना।

अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए यह माना गया है कि हम तेजी से संस्वीकृत की गई स्कीम के अनुमोदन संबंधी राहतों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।

बीआईएफआर/एआईएफआर के आदेश के विरुद्ध अपीलें दायर करने का कार्य चल रहा है किन्तु ड्राफ्ट रिहैविलीटेशन स्कीम (डी आर एस) स्तर पर बी आई एफ आर के समक्ष सक्रिय प्रस्तुतीकरण के चलते उसमें उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। इस अवधि के सांख्यिकीय आंकड़े तालिका 3.26 पर दी गई है।

4.12.4 टीडीएस निदेशालय

इस निदेशालय की अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाती है जो आयकर आयुक्त स्तर के होते हैं। टीडीएस निदेशालय को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

- वर्ष के दौरान टीडीएस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गाइडलाइन प्रकाशित करना
- टीडीएस विंग के कार्य योजना लक्ष्य, कीर्तिमान तथा उप कार्य लक्ष्य विहित करना
- टीडीएस विवरणियों की प्रोसेसिंग तथा प्रस्तावित टीडीएस प्रमाणपत्रों को निष्प्रभावी करने के लिए आयकर महानिदेशक (प्रणाली) के कार्यालय के साथ समन्वय करना

- टीडीएस विंग के लिए परिपत्र, अनुदेश, दिशानिर्देश जारी करना
- टीडीएस उपबंधों को लागू करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करना
- टीडीएस उपबंधों को लागू करने हेतु विधायी परिवर्तन करने के लिए टीपीएल/आईटीए अनुभाग के साथ समन्वय करना
- टीडीएस उपबंध संबंधी सूचना/अनुसंधान प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करना
- आन लाइन कर लेखांकन प्रणाली तथा नीतिगत अनुमानों के लिए ई-टीडीएस और चूककर्ताओं का पता लगाने में निहित आंकड़ों का विश्लेषण एवं मिलान करना
- आयकर महानिदेशक (प्रशासन)/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विशेष तौर पर सौंपे जाने वाले स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कोई अन्य कार्य।

जुलाई, 2008 में आयकर आयुक्तों (टीडीएस) तथा अन्तर्राष्ट्रीय कराधान निदेशकों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। दिनांक 16 जनवरी, 2009 को आयकर आयुक्तों (टीडीएस), आयकर (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) निदेशकों, मुख्य आयकर आयुक्तों का तीसरा अर्द्ध वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। निदेशालय द्वारा सभी 18 आयकर आयुक्तों (टीडीएस) के कार्यों का समन्वय किया गया है।

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान, निदेशालय ने दो समितियों की भी मदद की है जिनकी स्थापना क्रमशः रेल तथा रक्षा मंत्रालय में विधायी परिवर्तनों और स्रोत पर कर कटौती करने पर सुझाव देने के लिए की गई थी। दोनों समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

4.13 संगठन तथा प्रबंध सेवा निदेशालय (ओ एंड एम एस)

यह निदेशालय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का एक संबद्ध कार्यालय है और एक आंतरिक परामर्शदाता के रूप में नीतिगत तथा रणनीतिक मुद्दों पर निविष्टियां उपलब्ध कराके यह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की मदद करता है।

इस विभाग में केन्द्रीय ज्ञान आधान के सृजन में इस निदेशालय द्वारा एक मार्गनिर्देशित ज्ञान प्रबंध, नई रणनीतिक पहल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नामक सर्वोत्तम आदेशों तथा सर्वोत्तम पद्धतियों के संकलन की एक पुस्तक तैयार की गई जिसका लोकार्पण दिनांक 4 फरवरी, 2009 को किया जा रहा है। यह पुस्तक विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ

तालिका 3.26

सांख्यिकीय आंकड़े

(क)	ड्राफ्ट रिहैविलीटेशन स्कीम पर आपत्तियों पर सुनवाई हेतु बी आई एफ आर के समक्ष मामलों का निर्धारण	57
(ख)	विशेष सहमति देने वाले/सहमति अस्वीकार करने वाले दाखिल किए गए उत्तर कारण सहित	33
(ग)	एआईएफआर के समक्ष दाखिल की गई कुल अपीलें (यथा उपर्युक्त 5 को शामिल करके)	12
(घ)	एआईएफआर द्वारा निर्णीत अपीलें	8
(ङ.)	उच्च न्यायालय में दायर की गई अपीलें	2

दक्षताओं से परिपूर्ण होगी ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय कर प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भारत के राजस्व हितों की सुरक्षा करने में सक्षम हो सके।

यह निदेशालय कर संग्रहण के आंकड़ों, बकायों में कमी एवं निगम कर/आयकर की वर्तमान मांग दर्शाने वाले कैप-1 विवरणों एवं मासिक आधार पर आयकर निर्धारणों के उत्तरोत्तर कार्यभार एवं निपटान को दर्शाने वाले कैप-11 विवरणों के माध्यम से कार्ययोजना में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य निष्पादन की निगरानी करके केन्द्रीय कार्य योजना की समीक्षा भी करता है। यह निदेशालय निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य निष्पादन की तिमाही आधार पर निगरानी भी करता है।

4.13.1 निष्पन्न किए गए कतिपय महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

- (1) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से प्राप्त अनुदेशों के आधार पर, इस निदेशालय ने वर्ष 2002 से 2006 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल लेखा परीक्षा पैराओं से संबंधित विस्तृत सूचना का अध्ययन किया। इस प्रयोजनार्थ 1160 लेखा परीक्षाओं से संबंधित सूचना प्राप्त की गई और उसे मुख्य आयकर आयुक्त-वार (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) अलग किया गया और की गई कार्रवाई संबंधी सूचना के लिए विशेष तौर पर बनाए प्रोफोर्मा को तथा लेखा परीक्षा पैराओं में निहित आपत्तियों की अंतिम स्थिति को भेजा गया। अब तक मुख्य आयकर आयुक्त से (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) प्राप्त प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के निष्कर्षों के आधार पर एक अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 11-8-2008 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रस्तुत कर दी गई है।
- (2) राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी से समन्वय करके संगठन तथा प्रबंध सेवा निदेशालय ने सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की एक दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य नवीनतम विचारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाली प्रक्रिया का आत्मसात करना तथा पूरे देश में उसकी प्रतिवर्तित संभावनाओं की खोज करना था। पूरे देश में प्रतिवर्तन के लिए उक्त कार्यशाला में 16 ऐसी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की पहचान की गई।
- (3) बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा रोजगार और बेरोजगार, घरेलू उपभोक्ता व्यय तथा असंगठित विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित प्रकाशित रिपोर्टों का अध्ययन किया जाए। यह कार्य संगठन तथा प्रबंध सेवा निदेशालय को सौंपा गया। इन रिपोर्टों का अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि असंगठित विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित रिपोर्टें आयकर विभाग के संबंध में संगत थीं। अध्ययन से यह पता चला कि शहरी क्षेत्र के दोनों प्रकार के उद्यमों अर्थात् गढ़े गए धातु उत्पाद के विनिर्माण से जुड़े उद्यमों तथा कार्यालय, लेखांकन कंप्यूटिंग मशीन विनिर्माण से जुड़े उद्यमों को कर के दायरे में लाने की संभावना है। यह भी पाया गया कि यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि क्या उन्होंने पैन संख्या के लिए आवेदन किया है और ऐसे उद्यमों को पैन आबंटित किया गया है। इन मूल्यांकनों के संदर्भ में इन रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया और उसे दिनांक 13-10-2008 को सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजा गया।
- (4) दिनांक 9 जून, 2008 को आयोजित मुख्य आयकर आयुक्तों तथा आयकर महानिदेशकों के 24वें वार्षिक सम्मेलन में ज्ञान प्रबंधन

संबंधी संकल्पनात्मक ढांचे पर विचार-विमर्श हुआ। आयकर आयुक्त (संगठन एवं प्रबंध सेवा) द्वारा इस विषय का प्रतिपादन किया गया। विभाग की कार्यप्रणाली में ज्ञान को रणनीति परिसंपत्ति के रूप में महत्व देने के पश्चात्, आयकर आयुक्त (संगठन एवं प्रबंध सेवा) द्वारा उसके सृजन के समय ज्ञान हासिल करने के लिए एक संस्थागत तंत्र लाने का प्रस्ताव किया गया। यह संकल्प किया गया कि एक केन्द्रीय ज्ञान आधान का सृजन किया जाए। एक नोडल एजेंसी के रूप में मुख्य आयकर आयुक्त तथा आयकर आयुक्त (संगठन एवं प्रबंध सेवा) की अध्यक्षता में क्षेत्रीय समितियों से किए गए मूल्यांकन को प्राप्त करने के उपरांत क्षेत्रीय कार्यालयों से आदेश संकलित करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। अब संकलन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और संकलन का पहला खंड बेस्ट प्रैक्टिसेज एण्ड आर्इस के एक संकलन का लोकार्पण किया जाना है। यह संकलन सर्वोत्तम प्रक्रियाओं से संबंधित खंड से शुरू होता है। इस खंड में विभाग द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर किए गए प्रयोग में विभिन्न प्रक्रियाएं, पहले, नवाचार संबंधी दस्तावेज हैं। अन्य खंडों में संक्षिप्त रूप से विभाग के विविध पहलुओं को रखा गया है। इसका केन्द्र बिन्दु खास मुद्दों के बजाय संपूर्ण क्रम पर है। नई वेबसाइट www.incometaxindiaipr.gov.in शुरू करके ज्ञान बांटने का प्रयास किया जा रहा है। करदाता जनता के लिए सामग्री प्रदान करने के अलावा, यह विभागीय अधिकारियों के प्रयोग के लिए विशेष रूप से ज्ञान का पोर्टल है।

- (5) मई, 2008 में, सदस्य (राजस्व), सदस्य (ए तथा जे), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा एक अध्ययन समूह का गठन किया गया जो कैप-रूद्ध (संशोधित) मौजूदा प्रपत्र का विश्लेषण करेगा और जिस मौजूदा प्रपत्र को वर्ष 2005 में अंतिम रूप दिया गया था, के तथ्य को ध्यान में रखकर, यदि कोई संशोधन हो तो उसका सुझाव देगा। अध्ययन समूह ने नए प्रपत्र के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिसे सदस्य (राजस्व) तथा सदस्य (ए एंड जे), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बैठक में दिनांक 16-12-2008 को अनुमोदित कर दिया गया। नया प्रपत्र आई-टैक्सनेट पर शीघ्र ही उपलब्ध होगा।
- (6) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 8-8-2007 की अपनी अधिसूचना सं. 217/2007 के तहत आयकर कल्याण निधि के संचालन तथा रखरखाव करने के लिए संशोधित नियम जारी किए थे। इसने हाल ही में उपर्युक्त निधि का संचालन करने के लिए दिनांक 27-11-2008 को एक कार्यकारी समिति का गठन किया है। आयकर आयुक्त (संगठन एवं प्रबंध सेवा निदेशालय) इस समिति के संयोजक हैं। इस निधि के संचालन के लिए इस निदेशालय द्वारा एक मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया गया है और इसे अंतिम रूप देने के लिए कार्यकारी समिति के सदस्यों में परिचालित किया गया है। सभी मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों को सलाहकार समितियां गठित करने और विशेष प्रस्ताव भेजने के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं।

4.14 सतर्कता

आयकर विभाग के सतर्कता संगठन की अध्यक्षता आयकर महानिदेशक (सतर्कता) द्वारा की जाती है, जो आयकर विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। महानिदेशालय का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अंतर्गत आयकर के चार निदेशालय हैं जिनमें से प्रत्येक उत्तर, दक्षिण,

पश्चिम एवं पूर्वी क्षेत्रों से संबंधित मामलों को देखते हैं एवं जिनका संचालन आयकर निदेशक (सतर्कता) द्वारा किया जाता है जिनके मुख्यालय क्रमशः दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई एवं कोलकाता में हैं। आयकर (सतर्कता) के चार निदेशक उस क्षेत्र के प्रमुख भी होते हैं जिसका संचालन वे सतर्कता प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं। आयकर महानिदेशक (सतर्कता) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में हैं एवं यह मुख्य रूप से आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता मामलों की कार्यवाही पर नजर रखता है। सतर्कता मामलों से संबंधित सूचना का प्राथमिक स्रोत जन सामान्य से प्राप्त हस्ताक्षरित शिकायतें, वी आई पी संदर्भ, सी वी सी एवं अन्य विभागों/एजेंसियों से प्राप्त संदर्भ, आवधिक निरीक्षण इत्यादि हैं।

कार्य प्रणाली को सरल और सुगम बनाने तथा इसके क्षेत्रीय कार्य-अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर सतर्कता सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। कार्य संस्कृति में बदलते परिदृश्य तथा उदारीकरण और सूचना अधिकार अधिनियम, 2006 की बढ़ती पृष्ठभूमि में नैतिकताओं को ध्यान में रखते हुए, अभियोग-पत्र तैयार करने, शिकायतों की जांच-पड़ताल करने, निवारक सतर्कता जांच प्रक्रियाओं, सतर्कता निरीक्षण तथा सूचना अधिकार अधिनियम, 2006 जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

4.15 प्रशिक्षण

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, भारत में आयकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की एक शीर्ष संस्था है। यह भारतीय राजस्व सेवा के सीधे तौर पर भर्ती हुए नए प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह अकादमी आयकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं अन्य भारतीय एवं विदेशी संगठनों के लिए सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाती है। बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, चेन्नई, चंडीगढ़ एवं अहमदाबाद में इसके सात क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं 22 अनुसचिवीय प्रशिक्षण संस्थान हैं एवं देशभर में मंत्रालयीन 22 कर्मचारी प्रशिक्षण इकाइयां हैं जो आयकर विभाग के माध्यम एवं कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं।

संगठन के कार्य/कार्यप्रणाली तथा प्रभाग के ढांचा जिसमें इसके विभिन्न सलाहकार बोर्ड तथा परिषदें शामिल हैं।

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी की अध्यक्षता आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण) की अध्यक्षता में की जाती है जिनका स्तर भारत सरकार के अपर सचिव का होता है। उनकी सहायता दो अपर महानिदेशक तथा टीम के अन्य अधिकारी जिनमें सात अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, पांच उप निदेशक/सहायक निदेशक तथा 2 सहायक निदेशक (राजभाषा) करते हैं। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की अध्यक्षता आयकर निदेशक द्वारा की जाती है जिनकी सहायता अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, उप निदेशक/सहायक निदेशक तथा आयकर अधिकारी करते हैं। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी अपने-अपने क्षेत्र के अनुसचिवीय स्टाफ प्रशिक्षण एककों की कार्यप्रणाली पर नजर रखते हैं। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा यह अकादमी विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए कई अन्य पाठ्यक्रमों को संचालित करती है। इनमें कराधान, कानून से संबंधित पाठ्यक्रम तथा इन विषयों से संबंधित जिनका आशय उनकी दक्षता में विकास उनके व्यक्तित्व में सुधार तथा सूचना प्रदान करने से है, शामिल है। यह अकादमी सभी अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों तथा अधिकारियों को सूचना का अधिकार, कार्यस्थलों पर महिला एवं पुरुष

मुद्दों, सार्वजनिक जीवन में नैतिक/मूल्यों, विपणन तथा छवि निर्माण, नागरिक चार्टर तथा हिन्दी एवं राजभाषा को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण एवं सम-सामयिक क्षेत्रों में जागरूक करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। सभी दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के सत्र में इन विषयों को शामिल किया गया है। संस्थागत तथा अतिथि संकाय सदस्यों दोनों से व्याख्यानों के अलावा प्रशिक्षण पद्धति में पैनल विचार-विमर्श, मामलों का अध्ययन, सामूहिक परिचर्चा, कार्यशाला, सेमिनार, रोल प्ले, अनुकरण अभ्यास तथा ट्यूटोरियल आदि शामिल हैं। प्रभाग/विभाग द्वारा की गई अन्य पर्यावरणीय पहलों के साथ-साथ प्रदूषण उपशमन के लिए नीतिगत विवरण को लागू करने हेतु की गई कार्यवाहियों का लेखाजोखा पेश किया गया।

4.15.1 राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित विशेषज्ञता प्राप्त पाठ्यक्रम

4.15.1. विदेशी पाठ्यक्रम

इस वर्ष के दौरान विदेशी राज्यों के प्रतिभागियों के लिए कई बढ़ाए गए पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इस बढ़े हुए पाठ्यक्रमों की मात्रा ने प्रदर्शन, उत्पादकता तथा मानकों की वृद्धि के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में अकादमी तथा विभाग की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद की है। आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

तंजानिया राजस्व प्राधिकरण से अधिकारियों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लेखा परीक्षा तथा जांच पर पाठ्यक्रम (5 से 9 अप्रैल, 2008)

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी तथा 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (मुम्बई, बंगलौर तथा चेन्नई) आयोजित अन्तर्देशीय राजस्व विभाग, श्रीलंका के कर-निर्धारकों के लिए जांच, कर-निर्धारण तथा अन्तर्देशीय कराधान पर प्रशिक्षण

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता में दिनांक 15 से 26 दिसंबर, 2008 तक आयोजित राजस्व विभाग तथा सीमा शुल्क, भूटान के राजस्व लेखा परीक्षा निरीक्षकों के लिए जांच तथा लेखांकन सिद्धान्त पर पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में दिनांक 1 से 5 दिसंबर, 2008 तथा 15 से 19 दिसंबर, 2008 तक आयोजित राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड, बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए लेखा तथा पर पाठ्यक्रम

4.15.2. ओईसीडी, पेरिस के तत्वावधान में दिनांक 23 फरवरी, 2009 से 2 मार्च, 2009 तक (क) लेखा परीक्षण बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा (ख) अंतरण मूल्यन पर आयोजित किए जा रहे पाठ्यक्रम

ये विभाग द्वारा शुरू की गई पहलों का हिस्सा है ताकि इसके ज्ञान प्रबंध रंग पटल को बढ़ाने के साथ-साथ इसकी समृद्धि तथा ख्याति को अन्तर्देशीय स्तर पर पहुंचाया जा सके। अंतरण मूल्यन तथा लेखा परीक्षण बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे प्रतिस्पर्धात्मक एवं उच्च राजस्व सृजन के क्षेत्र में सर्वोत्तम अन्तर्देशीय पद्धतियों से जुड़ने तथा अनुकूल होने के लिए विभाग में अधिकारियों के लिए तात्कालिक जरूरत मौजूद है। ऐसी पद्धतियों को उत्पादकता मूल्य की उच्चतम सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा यदि सर्वोत्तम अन्तर्देशीय संकाय को आमंत्रित किया जाए और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। विभिन्न राष्ट्रों से आने वाले प्रतिभागियों में परस्पर विचार-विमर्श हो तथा विविध मानव जातियों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों वाली भिन्न-भिन्न व्यावसायिक प्रणालियों का तारतम्य हो।

4.15.3. सम्मेलन**केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों का 7वां सम्मेलन (10 तथा 11 जुलाई, 2008)**

इस सम्मेलन का लक्ष्य विभिन्न राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमियों जिनमें लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी भी शामिल हैं, में संस्थानों के संसाधनों का आदान-प्रदान करना था। इसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था :-

- 1 ई-कनेक्टिविटी पोर्टल क्रिएशन
- 2 सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए दशाओं को एक समान बनाया जाना
- 3 सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन में प्रभावी तरीके से सुधार करने के लिए उपाय
- 4 बारंबार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों की ओर से उत्पन्न होने वाली समस्याएं
- 5 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

4.15.4. अन्य पाठ्यक्रम निम्नवत थे :-

- ई-इंवेस्टिगेशन पर पाठ्यक्रम (7 से 9 अप्रैल 2008)
- ट्रस्टों का कर-निर्धारण तथा छूट पर पाठ्यक्रम (15 से 17 अप्रैल 2008)
- विलयन तथा अधिग्रहण पर पाठ्यक्रम (02 से 04 जून 2008)
- पूंजी बाजारों में संयवहारों के कर निर्धारण पाठ्यक्रम (02 से 04 जुलाई 2008)
- रीयल एस्टेट डीलरों तथा बिल्डरों के कर-निर्धारण पर पाठ्यक्रम (15 से 17 दिसंबर 2008)
- मुख्यालयों के कार्यों पर पाठ्यक्रम (03 से 05 नवंबर 2008)
- भारतीय राजस्व सेवा के 59वें बैच के अधिकारियों के लिए फीड बैक सेमिनार (12 से 16 मई 2008)

मौलिक पाठ्यक्रम

- रेंज प्रमुखों के लिए न्यायिक एवं पर्यवेक्षी कार्यों पर सेमिनार (भारतीय राजस्व सेवा का 46वां बैच (26 से 28 मई 2008) तथा भारतीय राजस्व सेवा का 47वां बैच (17 से 19 नवंबर 2008)
- हाल ही में पदोन्नत हुए संयुक्त आयकर आयुक्तों (1997) के लिए जांच एवं प्रबंध सेमिनार (16 से 27 जून 2008)
- हाल ही में पदोन्नत हुए सहायक आयकर आयुक्तों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम (14 जुलाई से 22 अगस्त 2008)
- भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों के 11वें बैच (रिट्रीट-50) के लिए सेमिनार (24 तथा 25 अप्रैल 2008)
- सर्वोत्तम पद्धतियों पर कार्यशाला (4 तथा 5 दिसंबर 2008)
- अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए आपसी तालमेल के पाठ्यक्रम

- भारतीय वन सेवा अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयकर का मूल्यांकन (01 से 03 अक्टूबर 2009)
- आई सी एवं सी ई एस के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के आयकर का मूल्यांकन (24 से 28 नवंबर 2008)
- परिवर्तन प्रबंध प्रशिक्षण
- वरिष्ठ आयुक्तों के लिए सृजनात्मक नेतृत्व पर कार्यशाला (भारतीय राजस्व सेवा का 1982 बैच) (8 से 10 सितंबर 2008) भारतीय राजस्व सेवा का 1983 बैच (22 से 23 सितंबर 2008) तथा भारतीय राजस्व सेवा का 1984 बैच (20 से 22 अक्टूबर 2008)
- आयुक्तों का न्यायिक एवं प्रबंध (1987 बैच) (13 से 17 अक्टूबर 2008)
- मुख्य आयकर आयुक्तों पर परिवर्तन प्रबंध सेमिनार (1975 बैच) (10 से 12 नवम्बर 2008)

4.15.5 भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी प्रशिक्षणार्थी प्रवेश पाठ्यक्रम

4.15.5.1 60वें बैच का प्रवेश प्रशिक्षण : भारतीय राजस्व सेवा के 60वें बैच के जिन 45 अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों ने दिसंबर, 2006 में अकादमी ज्वाइन किया था, 16 महीने के दीर्घकालीन प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें विदाई दी गई। सभी अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों ने विभागीय परीक्षाओं के दूसरे चरण में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए।

4.15.5.2 61वें बैच का प्रवेश प्रशिक्षण : इस बैच के दूसरे प्रशिक्षण माड्यूल के दौरान क्षेत्र में सहायक आयकर आयुक्त की कार्यप्रणाली के व्यावहारिक पहलुओं तथा पूर्ववर्ती माड्यूल में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को दी गई सैद्धांतिक निविष्टियों को पुनः लागू करने पर बल दिया गया। पुनर्गठन स्कीम को ध्यान में रखते हुए, कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा कार्यालय प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया गया। इस वर्ष का केन्द्रबिन्दु अगस्त, 2008 में हुई पहली विभागीय परीक्षा के परिणाम थे। 101 अधिकारी प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया था, में से 100 अधिकारियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 3 मार्च से 7 मार्च, 2008 तक संचालित पांच दिवसीय मूल्यांकन पाठ्यक्रम में अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। इस यात्रा के दौरान अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति से मिलने का एक अवसर मिला। यह अवसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून (8 से 11 मार्च, 2008 तक) में प्राकृतिक संसाधन प्रबंध पर चार दिवसीय प्रबोधन माड्यूल के बाद था। इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि देश के विभिन्न स्थानों में 19 कार्यालयों तथा इनक्रस्टियल कुर्की पर अंतःकार्य प्रशिक्षण में शामिल होना था।

4.15.5.3 62वें बैच का प्रवेश प्रशिक्षण : भारतीय राजस्व सेवा के 62वें बैच के कुल 173 अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों ने राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर को रिपोर्ट किया। 61वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षणार्थी सेवा में नवीनतम प्रवेश की अगवानी में तथा उद्घाटन समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या के आयोजन में शामिल थे। यह उद्घाटन समारोह 24 दिसंबर, 2008 को आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री नइमुद्दीन, सदस्य (कार्मिक एवं सतर्कता), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने की जिसमें 67 सरकारी तथा शेष 15 निजी क्षेत्र के लोगों ने कार्य किया। प्रवेश प्रशिक्षण के लक्ष्य निम्नवत हैं :

- प्रत्यक्ष कर कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की गहन समझ विकसित करना,

- बही खातों की जानकारी प्रदान करना वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना तथा खातों की जांच करना;
- अन्य संगत कानूनों एवं प्रक्रियाओं की कार्यसाधक जानकारी प्रदान करना.
- प्रबंधकीय तथा प्रशासनिक दक्षता एवं नेतृत्व क्वालिटी प्रदान करना;
- चहुंमुखी एवं संतुलित व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित करना;
- सर्वोत्कृष्टता प्रोफेशनलिज्म की भावना उत्पन्न करना;
- वैयक्तिक एवं प्रोफेशनल अखंडता के मूल्यों की शिक्षा देना;
- सामुदायिक सेवा के मूल्यों की शिक्षा देना;
- सार्वजनिक जीवन में अधिक से अधिक सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना;

उपर्युक्त लक्ष्यों के अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्रों में विशद शिक्षा प्रदान की गई है :

- प्रत्यक्ष कर कानून सिद्धांत एवं व्यवहार
- लेखा-बही
- लेखाओं की जांच
- संबद्ध कानून
- कार्यालय प्रबंध
- कर प्रक्रिया
- जांच करने की दक्षता
- अन्तर्राष्ट्रीय कराधान
- आदेशों तथा रिपोर्टों का प्रारूपण
- प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक दक्षता
- विभिन्न उद्योगों का कराधान
- लेखांकन मानक
- कंप्यूटरीकरण पर व्यापक निवेश तथा आईटीडीअनुप्रयोग पैकेज।

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित महत्वपूर्ण संबंधित क्षेत्रों में भी निवेश प्रदान किए गए हैं :

- लोक वित्त तथा बजट विश्लेषण
- पूंजी बाजार, धन बाजार, वायदा कारोबार तथा विकल्प
- बैंकिंग विनियमन
- धन शोधन
- फेमा
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
- साइबर अपराध
- सूचना का अधिकार अधिनियम

- निवारक सतर्कता
- शिकायत निवारण
- संसदीय प्रश्न तथा रिपोर्टें
- लिंग संप्रेरण
- आपदा प्रबंधन
- प्रबंध सिद्धांत; टीक्यूएम, समूह गतिशीलता, सार्वजनिक बोल-चाल, लोक संबंध तथा प्रभाव प्रबंध।

4.15.5.4 व्यापक पहल तथा किए गए कार्य: शुरु की गई नई पहल आयकर विभाग में प्रशिक्षण इतिहास का प्रलेखन : राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी अभिलेखागार अब अकादमी के दौरे का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है तथा अपने तरह का अनोखा प्रयास होने के नाते इसे प्रशंसा प्राप्त हुई है। विभाग में फॉर एक्सिलेंस इवॉल्यूशन आफ ट्रेनिंग इन इनकम टैक्स नामक एक पुस्तक जारी की गई जिसमें विभाग के भीतर प्रशिक्षण के ऐतिहासिक विकास को प्रलेखित किया गया। इसी पुस्तक का हिन्दी रूपांतर की ओर आयकर विभाग में प्रशिक्षण की विकास जारी किया गया। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संकलित नामक पुस्तक जनवरी, 2009 में आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा जारी की गई।

4.15.5.5 मध्यावधि प्रशिक्षण समीक्षा (29 से 30 सितंबर, 2008)

इस सेमिनार का उद्देश्य वर्ष की शेष अवधि के लिए वार्षिक प्रशिक्षक सम्मेलन तथा योजनागत पाठ्यक्रमों के पश्चात सेवाकालीन प्रशिक्षण संचालित करने में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करना है।

4.15.5.6 वार्षिक प्रशिक्षक सम्मेलन (22 से 23 जनवरी, 2008) यह ऐसा समय है जब राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के प्रशिक्षक जो देश में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के मानवीय पूंजी प्रबंधन के प्रभारी हैं, एक साथ मिल-बैठकर विगत का मूल्यांकन करें, वर्तमान का अध्ययन करें तथा भविष्य की योजना बनाएं। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को समर्थ बनाने तथा कर्मचारियों के तन तथा मन को संगठित करने तथा अन्यथा उनके आत्मसात करने के बारे में है ताकि वे संगठनात्मक लक्ष्यों तथा वैयक्तिक अभिरूचि के अनुरूप सही निर्णय ले सकें। ऐसे निर्णयों की कारगरता का अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो सकता है, उन पर विचार-विमर्श किया गया।

4.15.5.7 राजभाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा देना राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नियमित रूप से तिमाही बैठकें, हिन्दी कार्यशालाएं तथा राजभाषा निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी ने दिनांक 1 से 15 सितंबर 2008 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जिसमें हिन्दी निबंध लेखन, टिप्पण-प्रारूपण, वाद-विवाद, अनुवाद, हिन्दी सामान्य ज्ञान, कवितापाठ, आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर द्वारा इसे दिनांक 24 सितंबर, 2008 को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से विशेष पुरस्कार

प्राप्त आयकर विभाग में आयोजित किए गए जयन्ता के उपलक्ष्य में की नामक एक हिन्दी पुस्तक प्रकाशित की गई। भारतीय राजस्व सेवा के 61वें तथा 62वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को मौलिक तथा प्रशासनिक हिन्दी में नियमित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। हिन्दी माध्यम में विशिष्ट रूप से कतिपय सह-पाठ्यचर्या सत्र आयोजित किए गए। देश के क, ख और ग क्षेत्रों में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को उनके कार्यों के लिए वार्षिक प्रशिक्षक सम्मेलन 2009 के दौरान आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण), राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी द्वारा प्रदान की गई।

4.16 छूट

आयकर महानिदेशक (छूट), नई दिल्ली के पास कोलकाता, अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद तथा मुंबई में आयकर निदेशालय (छूट) हैं। आयकर महानिदेशक (छूट) के कार्यालय के मुख्य कार्यों में शैक्षणिक ट्रस्टों तथा अस्पतालों को क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(ध) के अंतर्गत छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचनाओं को स्वीकार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण भारत अथवा कोई संपूर्ण राज्य अथवा राज्यों के महत्व वाले चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए अधिसूचना स्वीकार करने हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना के मामलों की सिफारिश की जाती है। इसी प्रकार, पूर्णतः सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों अथवा सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों तथा चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए संलग्न ट्रस्टों की अधिसूचना के मामलों की सिफारिश की जाती है। इसी प्रकार, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सामाजिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान में संलग्न संस्थाओं की अधिसूचना की रिपोर्टें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजी जाती हैं। इसके अलावा, धारा 10(17क), 10(23) 10(23क) आदि के अंतर्गत अधिसूचना के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में रिपोर्टें भी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजी जाती हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क(क) के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्टों, समितियों, संस्थाओं आदि का कर-निर्धारण विभिन्न आयकर निदेशालय (छूट) करते हैं। आयकर निदेशक (छूट) धारा 12क तथा धारा 80छ के अंतर्गत पात्र आवेदकों को रजिस्ट्रेशन प्रदान करते हैं।

4.17 आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास) (एचआरडी)

आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 31 दिसंबर, 2007 की सरकारी अधिसूचना संख्या 292/2007- (फा.सं. डीजीआईटी (एडमिन)/एचआरडी/2007-08) के तहत अधिसूचित किया गया था जिसकी अध्यक्षता आयकर महानिदेशक निदेशक (एचआरडी), तीन अपर आयकर निदेशकों द्वारा की जाती है जिसमें एक आयकर निदेशक (भा.सं.वि.) तथा तीन अपर आयकर निदेशक जो तीन शीर्ष प्रभागों अर्थात् संवर्ग प्रबंधन प्रभाग, कार्य निष्पादन प्रबंधन तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रभाग और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण प्रभाग से होंगे।

इस निदेशालय के कार्यालय की स्थापना द्वितीय तल, आईसीएडीआर बिल्डिंग, प्लॉट नं. 6, वसंत कुंज, इन्स्टिट्यूशनल एरिया, फेज-ऋ, नई दिल्ली में की गई है और इसका प्रचालन पूरी तरह से कंप्यूटरों तथा नेटवर्किंग से चल रहा है किन्तु स्टाफ की संख्या सीमित है। राजस्व विभाग द्वारा इस निदेशालय को बजटीय प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है।

4.17.2. निदेशालय द्वारा किए जा रहे कार्य

4.17.2.1 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के समूह 'A' के अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण नीति संबंधी एक

समिति गठित की गई थी जो भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के समूह 'ए' के अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से मौजूदा स्थानान्तरण नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी और उचित संशोधन करने का सुझाव देगी। क्षेत्रों से प्राप्त अनेकों सुझावों तथा पूर्ववर्ती एवं मौजूदा नीतियों और विभाग की प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर एक संशोधित स्थानान्तरण गाइडलाइन को तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है और इसी रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है।

4.17.2.2 छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में जारी भारत सरकार, व्यय विभाग के दिनांक 29/08/08 के संकल्प संख्या 1/1/2008-आई सी के पैरा 1(झक) में निहित उपबंधों के अनुसार संवर्ग समीक्षा समिति की स्थापना की गई है और इस निदेशालय द्वारा समिति की कार्यवाहियों का समन्वय तथा समर्थन किया जा रहा है।

4.17.2.3 छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट का लागू किया जाना :

विभाग से संबंधित छठे वेतन आयोग के मुद्दों के लिए एक नोडल प्राधिकरण के रूप में इस निदेशालय ने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की समेकित सिफारिशों के विश्लेषण, समेकन, प्रोसेसिंग तथा अग्रेषण कार्य को आरंभ किया और उन्हें पूरा किया ताकि सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके जिसमें सरकारी निर्णय के फलस्वरूप विसंगतियां उत्पन्न हुई तथा जटिल हुई। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के परिणामस्वरूप, आयकर विभाग में कतिपय पदों के वेतनमानों को स्तरोन्नयन करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। आयकर अधिकारियों के लिए 5,400 रु. का ग्रेड पे देने का एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

4.17.2.4 अधिकारियों के लिए एडवांस्ड मिड-कैरियर कार्यक्रम :

यह निदेशालय उस संशोधित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसके संबंध में रिपोर्ट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी को भेजी गई है, के लिए विदेशी संस्थाओं तथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों की पहचान करने की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है ताकि माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समामेलन एवं अंतिम सिफारिशों को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सके।

4.17.2.5 जून 2008 में मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों के सम्मेलन में विभाग की जनशक्ति तथा विभाग को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

4.17.2.6 अन्य कार्य जो प्रगति के विभिन्न चरण में हैं :-

- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के निर्णय के तर्ज पर कतिपय समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राजस्व सेवा के लिए भर्ती नियमावली का प्रारूपण भारतीय राजस्व सेवा भर्ती नियमावली का दुबारा प्रारूप तैयार किया गया है जो विचाराधीन है और अंतिम रूप देने के लिए आखिरी चरण में है।
- प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II की मांगों का निपटान उनके वेतनमान को आयकर अधिकारी, मूल्य निर्धारण (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), अधीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क) में रखना जैसा कि माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के अनुसरण में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू किए जाने से पूर्व स्थिति थी।

- आयकर विभाग में निदेशालयों का पुनर्गठन।
- वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का विश्लेषण।
- उपर्युक्त डाटाबेसों का संकलन कार्य।

4.18 आयकर निदेशालय (एल एण्ड आर)

आयकर निदेशालय (एल एण्ड आर) को मौजूदा कार्यों में विवाद से संबंधित सभी मामलों के निपटान का दायित्व सौंपा गया है जैसे न्यायालय द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई/प्रारंभिक स्तर से लेकर अंतिम निपटान तक शीर्षस्थ न्यायालय अधिकार से संबंधित विशेष अनुमति याचिकाएं (अल्प काल के लिए विशेष अनुमति याचिकाएं)। इसके अतिरिक्त, इस निदेशालय से विविध मध्यवर्ती भूमिकाओं जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वय तथा आपसी सहयोग की परिकल्पना की गई है जिससे यह विवाद उत्पन्न होता है, ऐसे मामलों में विधि मंत्रालय से विभाग का पूर्णकालिक संबंध होने के नाते यह अतिरिक्त सालिसीटर जनरल जैसे वरिष्ठ केन्द्रीय सरकार के कानूनी प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क में रहता तथा उनसे सीधा संबंध स्थापित करता है, शीर्षस्थ न्यायालय की आपत्तियों/अपेक्षाओं की तत्काल व्यापक प्रतिक्रियाएं उपलब्ध कराता है; मंत्रालय को अवसंरचना सहयोग उपलब्ध कराता है ताकि शीर्षस्थ न्यायालय आदि के समक्ष विभाग के मामलों पर त्वरित कार्रवाई तथा समय पर ध्यानाकर्षण सुनिश्चित किया जा सके।

उपर्युक्त न्यायिक कार्य के अलावा, आयकर निदेशालय (एल एण्ड आर) समय-समय पर अनुसंधान परियोजनाएं भी शुरू करता है। इसके अतिरिक्त, इसे आयकर विभाग के सांख्यिकी स्कंध के कार्यात्मक नियंत्रण का भी दायित्व सौंपा गया है। इस निदेशालय की अध्यक्षता आयकर महानिदेशक (एल एण्ड आर) द्वारा की जाती है तथा इसमें दो आयकर निदेशक, दो अपर आयकर आयुक्त, दो सहायक आयकर आयुक्त तथा पांच आयकर अधिकारी होते हैं। सांख्यिकी स्कंध में एक उप आयकर महानिदेशक तथा दो मुख्य सांख्यिकी अधिकारी शामिल हैं।

वर्ष 2008 के दौरान, इस निदेशालय को क्षेत्र से विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने के लिए 2281 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें 2078 मामलों (अर्थात् कुल मामलों में 91 प्रतिशत से अधिक) में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं। वर्ष 2008 में निष्पादित कार्यों का परिणाम पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में बहुत अधिक था। वर्ष 2006 तथा 2007 के दौरान निदेशालय ने

क्रमशः 1269 तथा 1971 विशेष अनुमति याचिकाओं पर कार्यवाही की।

निर्णीत मामलों का न्यायिक डाटाबेस तैयार करने तथा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं आयकर अपीलीय अधिकरणों में विचाराधीन मामलों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 16-01-2008 के कार्यालय ज्ञापन फा. सं. 279/विविध-04/2008-आईटीजे के तहत एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, आयकर महानिदेशक (एल एण्ड आर) की अध्यक्षता में एक कार्यन्वयन समिति गठित की गई जो विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष न्यायिक उद्घोषणाओं तथा सभी लंबित अपीलों की न्यायिक संदर्भ प्रणाली (अल्पकाल के लिए न्यायिक संदर्भ प्रणाली) तैयार करेगी। न्यायिक संदर्भ प्रणाली में आयकर अपीलीय अधिकरणों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में सभी सूचित किए गए तथा गैर सूचित किए गए मामलों का एक आधान डाटाबेस शामिल होगा। न्यायिक संदर्भ प्रणाली के पास सर्व इंजिन की सुविधा होगी जिसके माध्यम से आधान डाटाबेस में तथा अपीलों का पता लगाने (न्यायिक मानिट्रिंग डाटाबेस) में मामलों की खोज की जाएगी। न्यायिक संदर्भ प्रणाली वेब आधारित होगी और इसे आयकर विभाग के सभी कर-निर्धारण अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। आयकर महानिदेशक (एल एण्ड आर) इसके संचालन तथा रखरखाव के लिए नोडल अधिकारी होंगे। इस कड़ी में, कार्यन्वयन समिति की सक्रिय विचार-विमर्श प्रक्रिया चल रही है और आशा है कि न्यायिक संदर्भ प्रणाली वित्त वर्ष 2008-09 में पूरी हो जाएगी।

4.19 अवसंरचना

इस निदेशालय द्वारा वर्ष के दौरान किए गए मुख्य कार्य तालिका 3.27 पर दी गई है।

4.19.2 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की गई उनमें निम्नलिखित शामिल हैं : (1) 22.43 करोड़ रु. की लागत से अम्भावदी, अहमदाबाद में आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन का निर्माण तथा केन्द्रीय वायु प्रशीतन प्रणाली का संस्थापन; (2) 6.09 करोड़ रु. की लागत से बरेली में आयकर विभाग के मौजूदा कार्यालय भवन का विस्तार; (3) 7.97 करोड़ रु. की लागत से सिल्लीगुड़ी में 49 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण; (4) 6.83 करोड़ रु. की लागत से

तालिका 3.27

31-3-2009 तक शीर्षवार संस्वीकृतियां प्रदान की गईं

क्र.सं.	शीर्ष	संस्वीकृति सं.	राशि
1	4059-मुख्य शीर्ष (कार्यालय भवन का निर्माण)	96	104.74
2	4216-मुख्य शीर्ष (आवासीय परिसर का निर्माण)	43	40.30
3	किराया, दर तथा कर	10	42.08
4	कार्यालय व्यय	5	0.51
5	1 प्रतिशत प्रोत्साहन स्कीम-लैपटॉपों की खरीद	1	52.62
6	प्रशासनिक अनुमोदन	12	शून्य
	कुल	167	240.25

सूत में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण; (5) 4.28 करोड़ रुपए की लागत से त्रिशूर में स्टाफ क्वार्टरों तथा अतिथि गृह का निर्माण; (6) 9.81 करोड़ रु. की लागत से चंडीगढ़ में कार्यालय भवन का निर्माण; (7) 3.46 करोड़ रु. की लागत से न्यू पनवेल में कार्यालय तथा स्टाफ क्वार्टरों और अतिथि गृह के लिए भूमि की खरीद, (8) एलटीयू दिल्ली की स्थापना के लिए एनबीसीसी प्लाजा, साकेत में कार्यालय स्थल की खरीद; (9) वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुम्बई में हाल में अधिगृहीत कार्यालय स्थल में एलटीयू मुम्बई सेट अप का उद्घाटन; (10) 12,44,82,602/- रु. की राशि से एचएमटी भूमि पर जलाहली, बंगलौर में डीटीआरटीआई परिसर निर्माण के लिए प्रस्ताव संसदीय किया गया। सिविक सेंटर, दिल्ली में दिल्ली नगर निगम, से कार्यालय स्थल प्राप्त करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई और फिलहाल बातचीत अंतिम स्तर पर चल रही है। प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा दो हॉस्टल ब्लॉक के निर्माण की योजना अंतिम स्तर पर चल रही है।

इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रस्तावों के संबंध में योजना भिन्न व्यय समिति को दो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किए :-

- (1) साकेत, दिल्ली में एनबीसीसी द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण (60.6 करोड़ रु.)
- (2) भोपाल में एनबीसीसी द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण (22 करोड़ रु.)
- (3) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बांद्रा कुर्ला आवासीय परिसर, मुम्बई का निर्माण (77.71 करोड़ रु.)

4.19.3. निम्नलिखित मामलों जिनमें संसदीय आदेश प्राप्त कर लिए गए, उनमें एम.ओ.यू.डी. द्वारा एक मुख्य अभियंता जोन से अन्य जोन में फंड लगाने के प्रयास किए गए। यह कार्य निदेशालय द्वारा काफी समझाने-बुझाने तथा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बाद ही पूरा हो सका तालिका 3.28 पर दी गई है।

तालिका 3.28

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक मुख्य इंजीनियर क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निधियों को ले जाना ।

पनवेल में भूमि की खरीद	3,46,50,000/- रु.
जलगांव में भूमि खरीद के लिए अतिरिक्त अदायगी	1,16,63,442/- रु.
भालासोर में भूमि की खरीद	2,36,71,875/- रु.
करनाल में भूमि की खरीद	3,82,236/- रु.
पीलीभीत में भूमि की खरीद	1,35,00,000/- रु.

तालिका 3.29 पैर आबंटन

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2007-08	2008-09
आबंटन	44,60,038	63,73,028	58,98,470	79,48,426	1,59,41,833

तालिका 3.30

ईसीएस प्रतिदाय पर उपलब्धि प्रतिदाय बैंकर परियोजना

वर्ष	पेपर चैक	इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय (ईसीएस)	कुल	ईसीएस प्रतिदाय का प्रतिशत
वि.व. 06-07	20,220	6,480	26,700	24.27%
वि.व. 07-08	2,45,673	1,41,536	3,87,209	36.55%
वि.व. 08-09	4,09,223	4,56,916	8,66,139	52.75%

तालिका 3.31

ई-टी डी एस. तथा ई-टी सी एस दाखिल करने की स्थिति

	प्राप्त की गई ई-टीडीएस विवरणी	प्राप्त की गई ई-टीसीएस विवरणी
2005-06 तिमाही I	4,74,237	8,871
2005-06 तिमाही II	4,95,157	9,597
2005-06 तिमाही III	5,17,278	10,182
2005-06 तिमाही IV	6,60,640	11,467
2006-07 तिमाही I	6,14,128	11,270
2006-07 तिमाही II	6,43,542	11,940
2006-07 तिमाही III	6,61,725	12,378
2006-07 तिमाही IV	8,26,804	13,713
2007-08 तिमाही I	7,39,611	13,550
2007-08 तिमाही II	8,11,233	15,338
2007-08 तिमाही III	8,43,712	16,030
2007-08 तिमाही IV	11,02,184	17,885
2008-09 तिमाही I	7,00,593	14,744
2008-09 तिमाही II	7,06,590	15,102
2008-09 तिमाही III	6,67,466	14,419

तालिका 3.32

कैस प्रणाली के अंतर्गत संवीक्षा के लिए चयनित मामलों की संख्या

वित्तीय वर्ष	संवीक्षा के लिए चयनित मामलों की संख्या
2005-06	60,434
2006-07	1,51,876
2007-08	4,18,479
2008-09	1,57,623

तालिका 3.33						
वार्षिक सूचना विवरणी (31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार स्थिति)						
संव्यवहार की श्रेणी	वित्त वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक सूचना विवरण		वित्त वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक सूचना विवरणी		वित्त वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक सूचना विवरणी	
	संव्यवहारों की संख्या	मूल्य (करोड़ रु.)	संव्यवहारों की संख्या	मूल्य (करोड़ रु.)	संव्यवहारों की संख्या	मूल्य (करोड़ रु.)
किसी बैंक के सर्विस खाते में कुल 10 लाख रुपए या अधिक के नकद डिपॉजिट	4,75,631	62,905	5,93,293	1,02,769	7,43,241	1,73,482
कुल 2 लाख रुपए या अधिक के क्रेडिट कार्ड बिलों के प्रति भुगतान	2,09,413	8,818	2,93,267	13,994	3,98,210	34,407
म्यूचुअल फंड की यूनिटों की खरीद के लिए 2 लाख रुपए या अधिक के भुगतान	10,14,205	10,25,621	10,50,240	18,86,181	14,00,180	41,57,293
किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए बांड/डिबेंचर्स अधिग्रहण के लिए 5 लाख रुपए या अधिक की अदायगी	26,138	1,25,710	35,566	2,31,878	40,737	4,58,658
किसी कंपनी द्वारा जारी किए शेयरों (पब्लिक या राइट्स इश्यू के माध्यम से) 1 लाख रु. अथवा उससे अधिक की अदायगी	1,52,103	88,755	1,45,923	1,26,009	92,379	1,77,156
30 लाख रुपए या अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति की खरीद	64,653	94,616	79,296	87,098	83,891	1,08,486
30 लाख रुपए या अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति की बिक्री	65,071	95,468	70,457	79,065	77,050	1,08,441
आर बी आई बांड की खरीद के लिए कुल 5 लाख रुपए या अधिक के भुगतान	1,57,954	1,72,659	43,311	1,81,860	3,161	3,52,338
कुल	21,65,168	16,79,551	23,11,353	27,08,855	28,38,849	55,70,261

तालिका 3.34

वार्षिक सूचना विवरणी में वैध पैन के तुलनात्मक आंकड़े (31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार)

	संव्यवहार प्रकार	कुल	पैन के साथ	पैन मामलों का %
2005-06	नकद जमा	4,24,365	1,16,193	27.38
	क्रेडिट कार्ड	1,89,602	23,536	12.41
	म्यूचुअल फंड	12,15,022	10,52,431	86.62
	बांड/डिबेंचर	31,422	17,729	56.39
	शेयर	1,49,551	1,24,197	83.05
	अचल संपत्ति की खरीद	85,969	16,058	18.68
	अचल संपत्ति की बिक्री	1,21,144	18,747	15.47
	आर बी आई बांड	1,48,474	89,409	60.22
	कुल	23,65,569	14,58,300	61.65
2006-07	नकद जमा	5,56,792	1,70,759	30.67
	क्रेडिट कार्ड	2,93,019	68,204	23.28
	म्यूचुअल फंड	13,01,637	11,55,587	88.78
	बांड/डिबेंचर	44,875	39,393	87.78
	शेयर	1,47,472	1,34,292	91.06
	अचल संपत्ति की खरीद	1,35,488	51,045	37.67
	अचल संपत्ति की बिक्री	1,49,686	29,134	19.46
	आर बी आई बांड	45,776	34,651	75.70
	कुल	26,74,745	16,83,065	62.92
2007-08	नकद जमा	7,76,662	2,97,917	38.36
	क्रेडिट कार्ड	3,98,394	1,64,133	41.20
	म्यूचुअल फंड	17,22,316	16,53,393	96.00
	बांड/डिबेंचर	47,965	43,453	90.59
	शेयर	81,757	75,533	92.39
	अचल संपत्ति की खरीद	1,36,396	57,895	42.45
	अचल संपत्ति की बिक्री	1,64,201	42,857	26.10
	आर बी आई बांड	3,911	3,525	90.13
	कुल	33,31,602	23,38,706	70.20

5. स्वापक नियंत्रण प्रभाग

5.1. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (के0स्वा0ब्यू0) के कार्य/प्रकार्य

5.1.1 वैध अफीम की खेती के बारे में

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 5 (2) के अनुसार स्वापक आयुक्त या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अफीम पोस्त की खेती और अफीम के उत्पादन की निगरानी से संबंधित सभी कार्यों को निष्पादित करेंगे और सभी शक्तियों का उपयोग करेंगे तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई ऐसी सभी शक्तियों का उपयोग भी करेंगे और सभी कार्य भी निष्पादित करेंगे। अफीम की वैध खेती की केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित केवल कुछ ही जिलों एवं तहसीलों में अनुमति दी जाती है।

5.1.2 स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों तथा पूर्वगामी रसायनों के व्यापार पर नियंत्रण

भारत स्वापक औषधि, अभिसमय (कन्वेंशन), 1961 मनःप्रभावी पदार्थ अभिसमय (कन्वेंशन), 1971 और स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (कन्वेंशन), 1988 का हस्ताक्षरकर्ता है।

भारत में स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थ व पूर्वगामी रसायन पर नियंत्रण स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के माध्यम से किया जाता है।

भारत में स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थों को केवल स्वापक आयुक्त (स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 58 के नियम 55) द्वारा जारी निर्यात प्राधिकरण/ आयात प्रमाणपत्र के अंतर्गत भारत से बाहर निर्यात/भारत में आयातित किया जा सकता है। पोस्त बीज के आयात के लिए पंजीकरण जारी करने की जिम्मेदारी भी केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो को सौंपी गई है।

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो विनिर्दिष्ट पूर्वगामी रसायनों के आयात एवं निर्यात के नियंत्रण हेतु भी निर्दिष्ट प्राधिकरण है। आयात एवं निर्यात नीति के अनुसार एसेटिक एनहाईड्राइड, एफेड्राइन, स्फूडोएफेड्राइन, 3-4 मेथिलीन, डाईआक्सीफीनाइल 2-प्रोपेनोन, 1-फीनाइल, 2-प्रोपेनोन, मिथाइल इथाइल केटोन, एनथ्रालिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के निर्यात के लिए स्वापक आयुक्त से प्रमाण (एन0ओ0सी0) अपेक्षित है। आयात और निर्यात नीति के अंतर्गत एसेटिक एनहाईड्राइड, एफेड्राइन, स्फूडो-एफेड्राइन के आयात के लिए भी स्वापक आयुक्त से प्रमाण अपेक्षित है।

सिंथेटिक स्वापक औषधियों के विनिर्माण के लिए भी केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो विनिर्माण अनुज्ञप्ति जारी करता है, विनिर्माण अनुज्ञप्ति का नवीकरण करता है।

5.1.3 उपलब्धियां

(1) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान पूर्वगामी रसायनों के निर्यात/आयात के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों की संख्या निम्नानुसार:-

पूर्वगामी रसायनों के निर्यात के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों की संख्या: 1334

पूर्वगामी रसायनों के निर्यात के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों की संख्या: 91

(2) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने संव्यवहारों की सत्यता की जांच के लिए निर्यात पूर्व अधिसूचना (पी ई एन) की प्रणाली के प्रयोग को प्रारंभ किया है। के0स्वा0ब्यूरो ने वर्ष 2008-09 (1.4.2008 से 31.3.2009 तक) के दौरान आयातक देश के सक्षम प्राधिकारी को संव्यवहार की वैधता की जांच के लिए 1250 निर्यात पूर्व अधिसूचनाएं जारी की हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आई एन सी बी) ने सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारियों के मध्य सूचना के आदान प्रदान के लिए आन लाइन निर्यात पूर्व अधिसूचना (पेन) प्रणाली विकसित की है।

(3) उदयपुर में 11 और 12 फरवरी, 2008 को औषधि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

पूर्वगामी रसायनों के विमार्गीकरण को नियंत्रित करने के लिए रणनीति के भाग के रूप में उदयपुर में 11 और 12 फरवरी, 2008 को औषधि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पूर्वगामी रसायनों पर नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न संगठनों के औषधि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा एक दूसरे से संवाद के लिए एक मंच उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र में अवैध औषधि व्यापार पर सूचना के आदान प्रदान के उद्देश्य से किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नीचे दिए गए विभिन्न संगठनों के 66 अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया था:-

1. मध्य प्रदेश की राज्य पुलिस
2. राजस्थान की राज्य पुलिस
3. सीमा शुल्क
4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
5. राजस्व एवं आसूचना निदेशालय
6. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
7. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो

प्रतिभागियों को निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में जागरूक किया गया:

- संबंधित पूर्वगामियों के लिए कानूनी रूपरेखा
- इन रसायनों की दिखावट, विशेषताएं एवं गुण तथा उन्हें क्षेत्रीय जांच किट की सहायता से पहचानने के लिए प्रशिक्षित करना
- विमार्गीकरण के जोखिम और स्वास्थ्य पर उनके संभावित प्रभाव एवं मानव का कल्याण
- विमार्गीकरण के संभावित तरीके तथा इसको रोकने के लिए उठाए जा सकने वाले सावधानियों के उपाय
- औषधि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना

(4) वित्तीय वर्ष 2007-2008 व 2008- 2009 (31.03.2009 तक) के दौरान स्वापक औषधियों/मनःप्रभावी पदार्थ के निर्यात/आयात के लिए केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निर्यात प्राधिकरण एवं आयात प्रमाण पत्र की संख्या तालिका 3.35 पर दी गई है।

(5) सिंथेटिक स्वापक औषधि के विनिर्माण के लिए जारी/नवीकृत लाइसेंसें

तालिका 3.35

निर्यात प्राधिकरण एवं आयात प्रमाण पत्र की संख्या

	मनःप्रभावी पदार्थ		स्वापक औषधि		केटामाइन	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
जारी निर्यात प्राधिकरणों की सं०	1390	1516	244	236	11	120
जारी आयात प्रमाण पत्रों की सं०	120	114	66	89	लागू नहीं	लागू नहीं

की संख्या एवं पोस्ट के बीजों के आयात के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान जारी किए गए पंजीकरणों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	पंजीकरण	विनिर्माण लाइसेंस
2007-2008	173	20
2008-09	129	17

(6) भारत द्वारा नई दिल्ली में 13 से 17 अक्टूबर, 2008 तक परियोजना प्रिज्म एवं परियोजना कोहेसन के कार्यदल की संयुक्त बैठक आयोजित की गई

भारत ए टी एस पूर्वगामियों के विमार्गीकरण को रोकने के लिए किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में आगे रहा है। भारत परियोजना प्रिज्म (जोकि एफेडराइन और स्यूडो एफेडराइन के आयात निर्यात से संबंधित विद्यमान कार्यप्रणाली की समीक्षा करता है और उसे कार्यकुशल बनाता है) के कार्यबल और परियोजना कोहेसन (जो एसेटिक एनहाईड्राईड तथा पोटेशियम परमागनेट से संबंधित प्रचलन में रहने वाली गतिविधियों की निगरानी करता है) के कार्यबल का सदस्य है। परियोजना प्रिज्म एवं परियोजना कोहेसन के कार्यदल की संयुक्त बैठक भारत द्वारा नई दिल्ली में 13 से 17 अक्टूबर, 2008 को सफलतापूर्वक आयोजित की। अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आई एन सी बी), वियना ने बैठक के उत्तम आयोजन के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई प्रशंसा गौरव का विषय है तथा यह केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के आयोजक अधिकारियों द्वारा मेहनत से किए गए कार्य और अपने कार्य में निपुणता को दर्शाता है।

(7) अवैध अफीम पोस्ट की फसल को खोजना एवं नष्ट करना :-

(1) अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रशासन के साथ केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा संयुक्त अभियान:

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रशासन के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश के लोहित, तिरप और अपर सियांग जिले में अफीम पोस्ट की अवैध फसल को नष्ट करने का संयुक्त अभियान चलाया गया था।

20.3.2008 से 29.3.2008 तक अरुणाचल प्रदेश के लोहित, तिरप और अपर सियांग जिले में नष्ट करने के लिए चलाए गए संयुक्त अभियान में अपर सियांग में लगभग 93.75 हैक्टेयर क्षेत्र में और लोहित में 250 हैक्टेयर और तिरप जिले में 100 हैक्टेयर क्षेत्र में अवैध पोस्ट की फसल नष्ट की गई थी। उपर्युक्त अभियान में अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में कुल 443.75 हैक्टेयर क्षेत्र में संपूर्ण रूप से अवैध पोस्ट फसल नष्ट की गई थी।

(2) उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवैध अफीम पोस्ट फसल को नष्ट करने के लिए केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो का नष्ट करने का अभियान

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा अप्रैल, 2008 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में उंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पोस्ट की अवैध फसल के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी।

अतएव केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अधिकारियों का एक दल इस रिपोर्ट की सत्यता की जांच के लिए और अवैध पोस्ट फसल को नष्ट करने के लिए तैनात किया गया था। केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के दल ने बांगन पट्टी क्षेत्र के 12 गांवों में और गोविंद जंगल अभ्यारण्य के निकट फतह पर्वत के 10 गांवों में अवैध अफीम की खेती को पाया। यह क्षेत्र उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील के अंतर्गत आता है। यह दुर्गम क्षेत्र था और अधिकारियों को प्रतिदिन 4000 से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कठिन क्षेत्र में स्थित इन गांवों तक पहुंचने के लिए 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ता था।

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा 6 मई, 2008 से 20 मई, 2008 तक की अवधि के दौरान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील में बांगन पट्टी एवं फतह पर्वत क्षेत्र में लगभग 152 हैक्टेयर क्षेत्र में अवैध पोस्ट की फसल का पता लगाया गया और उसे नष्ट किया गया। केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के दल ने अवैध पोस्ट की खेती करने वाले गांवों का पता लगाने के लिए स्थानीय राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी सहायता ली।

5.1.4 वर्ष 2007-08 के दौरान अफीम पोस्ट की खेती एवं अफीम का उत्पादन

फसल वर्ष 2007-08 के दौरान 70 डिग्री की घनत्व वाली 170 टन (अंतिम) अफीम प्राप्त हुई थी। फसल वर्ष 2007-08 के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से प्राप्त अंतिम परिणामों के आधार पर 70 डिग्री की घनत्व वाली औसत उपज क्रमशः 65.90, 62.09 एवं 49.83 किलोग्राम/हैक्टेयर थी। वर्ष 2007-08 के दौरान अखिल भारतीय औसत उपज 70 डिग्री संघनता वाली (अंतिम) 64.23 किलोग्राम/हैक्टेयर थी जोकि अफीम की इस समय की सर्वाधिक उच्च औसत उपज थी। अफीम की खेती से संबंधित आंकड़े अभी अंतिम हैं क्योंकि फसल वर्ष 2007-08 के लिए अंतिम रिपोर्टें अभी प्रतीक्षित हैं। आंकड़े 2007-08 के लिए हैं क्योंकि अफीम की खेती के लिए फसल चक्र अक्टूबर से लेकर अगले वर्ष के सितम्बर तक होता है।

पिछले पांच वर्षों के लिए अनुज्ञाप/खेती किए गए क्षेत्र का ब्यौरा, कृषकों की संख्या अफीम उत्पादन, औसत उपज को दर्शाने वाला एक चार्ट तालिका 3.36 पर दी गई है।

तालिका 3.36					
पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्र, गांवों एवं लाइसेंस प्राप्त कृषकों की संख्या/काटी गई फसल, उत्पादित अफीम की मात्रा, अफीम की औसत पैदावार और कृषकों को कुल किया गया भुगतान दर्शाते हुए सारणी					
फसल का मौसम					
युनिट का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अंतिम)
लाइसेंस प्राप्त/ काटी गई फसल का क्षेत्र हैक्टेयर में					
मध्य प्रदेश	9642/8565	4236/3876	3637/3500	3416/3294	2830/1518
राजस्थान	9339/8461	4354/3918	3492/3411	2824/2616	1844/1131
उत्तर प्रदेश	2160/1565	180/39	123/65	29/3	6/4
कुल	21141/18591	8770/7833	7252/6976	6269/5913	4680/2653
लाइसेंस प्राप्त/काटी गई फसल के गांवों की संख्या					
मध्य प्रदेश	1735/1721	1228/1218	1128/1128	1049/1049	901/847
राजस्थान	2127/2098	1368/1338	1211/1211	1001/998	691/666
उत्तर प्रदेश	1311/1181	161/87	105/84	31/9	9/7
कुल	5173/5000	2757/2643	2444/2423	2081/2056	1601/1520
लाइसेंस प्राप्त कृषकों /वास्तविक काटी गई फसल की संख्या					
मध्य प्रदेश	48207/46553	42351/39215	36352/35799	34151/33538	28286/15860
राजस्थान	46695/43931	43532/39406	34909/34614	28233/26659	18439/11727
उत्तर प्रदेश	10795/8071	1787/396	1217/706	274/35	50/41
कुल	105697/98555	87670/79017	72478/71119	62658/60232	46775/27628
70ओसं. में उत्पादित अफीम (टन में)					
मध्य प्रदेश	509	234	226	207	100
राजस्थान	523	221	206	146	70
उत्तर प्रदेश	64	2	3	@	#
कुल	1096	457	435	353	170
70ओसं. में प्रति हैक्टेयर औसत उपज (किलोग्राम में)					
मध्य प्रदेश	59.43	60.37	64.46	62.87	65.90
राजस्थान	61.73	56.45	60.39*	55.77	62.09
उत्तर प्रदेश	40.66	42.22	41.20	16.21	49.83
अखिल भारतीय	58.95	58.34	62.36	59.53*	64.23
कृषकों को भुगतान (लाख रूपयों में) (पूर्ण)					
मध्य प्रदेश	6355	3141	3298	2926	1521
राजस्थान	6851	2845	2843	1905	935
उत्तर प्रदेश	512	9	18	0.33	2
कुल	13718	5995	6159	4831	2458\$
कृषकों को प्रति किलोग्राम भुगतान किए गए अफीम की औसत लागत					
मध्य प्रदेश	1256	1353	1474	1422	1520
राजस्थान	1321	1302	1379	1306	1457
उत्तर प्रदेश	876	837	746	900	919
कुल	1252	1312	1420	1369	1446\$
* आंकड़े अंतिम है कृषकों को 90S किए गए भुगतान के आधार पर					
@ 70 डिग्री पर वास्तविक रूप से उत्पादित अफीम 43 किलोग्राम है जिसमें अनुमानित धोई और खुर्चन को निकाला गया है।					
# 70 डिग्री पर वास्तविक रूप से उत्पादित अफीम 199 किलोग्राम है जिसमें अनुमानित धोई और खुर्चन को निकाला गया है।					

5.1.5 वर्ष 2008-09 के दौरान निष्पादन एवं उपलब्धियों की अन्य उल्लेखनीय सूचनाएं

औषधि दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाना:-

जन समुदाय विशेष रूप से सर्वाधिक असुरक्षित समूह अर्थात् बच्चे एवं किशोरों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 26.06.2008 को औषधि दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। औषधि दुरुपयोग के विरुद्ध और इसके बुरे प्रभावों के संबंध में सूचना देने के लिए एक अभियान का आयोजन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया जैसे कि बच्चों के लिए पोस्टर, पेंटिंग प्रतियोगिता, शहर में प्रमुख स्थानों पर पर्चों का वितरण और प्रभावी स्लोगनों वाले बैनर लगाना।

5.1.6 स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का प्रवर्तन:

सी बी एन स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों तथा पूर्वगामी रसायनों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कार्यवाही करता है। यह औषधि से संबंधित अपराधों की जांच करता है और औषधि से संबंधित अपराधों का अभियोजन करता है और औषधि के अवैध व्यापार से प्राप्त सम्पत्ति का पता लगाता है, उस पर रोक लगाता है और उसको सम्पत्ति तथा जब्त करता है।

- (1) जनवरी, 2008 माह के दौरान केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने विशिष्ट सूचना पर कार्यवाही करते हुए तस्करों के अंतरराष्ट्रीय गिरोह को पकड़ा है जो सागर (मध्य प्रदेश) से उत्तर प्रदेश एसेटिक एनहाईड्राईड ले जाने में शामिल थे तथा अनुवर्ती कारवाई के रूप में सागर (मध्य प्रदेश) में 854.900 किलोग्राम एसेटिक एनहाईड्राईड तथा लखनऊ में 640.700 किलोग्राम एसेटिक एनहाईड्राईड पकड़ी गई तथा 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। एसेटिक एनहाईड्राईड एक पूर्वगामी रसायन है और हरोईन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार एसेटिक एनहाईड्राईड की तत्काल जब्ती से हरोईन की बड़ी मात्रा के विनिर्माण को रोका गया है।
- (2) इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने अफीम उत्पादन के क्षेत्रों में एसेटिक एनहाईड्राईड के अनेक मामले तैयार किए हैं जैसे (क) फरवरी, 2008 के दौरान राजस्थान में 15 किलो एसेटिक एनहाईड्राईड की जब्ती, (ख) मार्च, 2008 के दौरान मध्य प्रदेश में 48.50 किलो एसेटिक एनहाईड्राईड की जब्ती और (ग) दिसम्बर, 2008 के दौरान लखनऊ में 207.320 किलो एसेटिक एनहाईड्राईड की जब्ती जिससे पुनः घातक औषधि के विनिर्माण को रोका जा सका।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के मामलों में बरी/दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

व्यक्तियों की कुल सं० जिनके मामलों में मुकदमा चला रहा है	124
दोषी पाए गए व्यक्तियों की सं०	85
बरी व्यक्तियों की कुल सं०	39
दोषसिद्ध दर (%)	68.54 अथवा 69

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के मामलों में बरी/दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

व्यक्तियों की कुल सं० जिनके मामलों में मुकदमा चला रहा है	86
दोषी पाए गए व्यक्तियों की सं०	68
बरी व्यक्तियों की कुल सं०	19
दोषसिद्ध दर (%)	79.08 अथवा 79

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 37 मामले दर्ज किए गए थे, 72 व्यक्तियों को पकड़ा गया था और 13 गाड़ियां जब्त की गई थी तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान अरुणाचल प्रदेश में 256 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध पोस्त की खेती को बर्बाद किया गया था।

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों और जख्तियों का संगत सांख्यिकीय ब्यौरा तालिका 3.37 पर दी गई है।

5.2 सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य (जी ओ ए डब्ल्यू)/मुख्य नियंत्रक फैक्टरी

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य अपनी दो फैक्ट्रियों नामतः गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य और नीमच (म०प्र०) के माध्यम से निर्यात एवं अफीम क्षारोद के विनिर्माण के लिए कच्ची अफीम को संसाधित करने में लगा है। सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य में विनिर्मित उत्पाद मुख्यतया भारत के औषधि उद्योग द्वारा कफ सीरप, दर्द निवारक एवं अत्यधिक कैसर एच आई वी रोगियों के लिए गोलिएं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य का प्रशासन भारत सरकार द्वारा 970 में गठित एवं अधिसूचित द्वारा किया जाता है जो कि उच्च शक्ति प्राप्त है। अपर सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। आयुक्त/संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी फैक्ट्रियों के मुख्य नियंत्रक होते हैं जो संगठन के प्रमुख होते हैं तथा दोनों नीमच और गाजीपुर स्थित दोनों फैक्ट्रियां अपर आयुक्त/निदेशक रैंक के महा प्रबंधक द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। फैक्ट्रियों का विपणन एवं वित्तीय कक्ष नई दिल्ली में स्थित है। प्रत्येक फैक्टरी में अफीम फैक्टरी और क्षारोद कार्य दो इकाइयां होती हैं। अफीम फैक्ट्रियां खेतों से अफीम प्राप्त करती हैं उनका भंडारण करती हैं तथा उन्हें घरेलू उपभोग एवं निर्यात के लिए संसाधित करती हैं। क्षारोद कार्य औषधि उद्योग की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अफीम से फार्मा कोपोयल ग्रेड का क्षारोद निकालते हैं। सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी का कुल कार्यबल 1400 लोगों का है जो दो अफीम एवं क्षारोद प्लांटों में कार्यरत है। इन फैक्ट्रियों में कार्यरत अधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला से लिए गए हैं इसके अतिरिक्त, संघ लोक सेवा आयोग से भी सीधे कार्मिकों का चयन होता है। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा का कार्य गृह मंत्रालय के अर्द्ध सैनिक बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किया जाता है।

6. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

संगठन एवं कार्य

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो आर्थिक आसूचना के लिए एक नोडल एंजेंसी है। 1985 में इसका गठन आसूचना एकत्र करने से संबंधित गतिविधियों के समन्वय एवं सुदृढ़ीकरण तथा आर्थिक कानून के प्रवर्तन एवं आर्थिक अपराधों की जांच से संबंधित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन के लिए किया गया था।

तालिका 3.37

वित्तीय वर्ष 0-7-08 /08-09 में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा किए गए अभिग्रहण मामले

औषधि का नाम		07-08	08-09
अफीम	मात्रा (किलोग्राम में)	108.55	69.77
	मामलों की सं०	17	12
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	27	21
हेरोइन	मात्रा (किलोग्राम में)	20.295	4.43
	मामलों की सं०	17	8
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	27	18
मार्फिन	मात्रा (किलोग्राम में)		0.5
	मामलों की सं०		1
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		1
चरस	मात्रा (किलोग्राम में)	3.05	6.05
	मामलों की सं०	1	1
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	1	1
गांजा	मात्रा (किलोग्राम में)	4599.8	14.5
	मामलों की सं०	1	1
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	2	4
एसेटिक एनहाईड्राईड	मात्रा (किलोग्राम में)	1757.25	262.22
	मामलों की सं०	6	2
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	10	2
मैथाकोलन	मात्रा (किलोग्राम में)		
	मामलों की सं०		
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		
अल्पराजोलम	मात्रा (किलोग्राम में)	1.11	112.4
	मामलों की सं०	2	1
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	5	2
डाइजेपाम	मात्रा (किलोग्राम में)		
	मामलों की सं०		
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		
नाइट्रोजेपाम	मात्रा (किलोग्राम में)		4950
	मामलों की सं०		1
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		1
इफेड्राइन	मात्रा (किलोग्राम में)		0.002
	मामलों की सं०		
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		
काफिन	मात्रा (किलोग्राम में)		
	मामलों की सं०		
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		
कोडिन	मात्रा (किलोग्राम में)		
	मामलों की सं०		
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		
पॉपी हुस्क	मात्रा (किलोग्राम में)	3.000	847.6
	मामलों की सं०	0	4
	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	0	4

अवैध पॉपी को नष्ट किया गया क्षेत्र (स्केवर मीटर)		
14.04.09 को शुद्ध किया गया		
खेती (अरुणाचल में पॉपी की खेती मामलों की सं०)		
अवैध पॉपी को नष्ट किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	1873.575	152
उपजाऊ क्षेत्र	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	
प्रयोगशाला		
हेरोइन फार्मूला		1.2
अवैध पॉपी की खेती क्षेत्र (हेक्टेयर में)		
अरुणाचल प्रदेश	1328.575	256
पश्चिम बंगाल	-	
जम्मू कश्मीर	545	-

1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च 2009 की अवधि के लिए समग्र निष्पादन				
अफीम और क्षारोघ की सरकारी फैक्ट्रियां (जी ओ ए एफ)				
क्र. सं.	विवरण	इकाई	वास्तविक उत्पादन	वास्तविक बिक्री
क.	उत्पादन			
1	90 ह पर निर्यात हेतु अफीम को सुखाना	मी०ट०	75.855	565.330
2	औषधि विनिर्माण :			
	1) कोडीन सल्फेट	कि०ग्रा०	13	
	2) मॉर्फिन साल्ट	कि०ग्रा०	397	250
	3) कोडीन फास्फेट	कि०ग्रा०	14731	13189
	4) डायोनीन	कि०ग्रा०	559	505
	5) शुद्ध थेबेन	कि०ग्रा०	858	315
	6) नास्केपाइन बी पी	कि०ग्रा०	3839	3141
	7) फोल्कोडाइन	कि०ग्रा०	158	138
	कुल संसाधित औषधियां	कि०ग्रा०	20555	17538
	ज) आई एम ओ पावडर	कि०ग्रा०	5775	6200
	झ) आई एम ओ केक	कि०ग्रा०	2404	1836
	उ) पापावेराइन एस.	कि०ग्रा०	1859	2090
3.	1) देशी बाजार के लिए आयात		42987	37680
	2) विक्रेता विशिष्ट के लिए आयात			
	क) कोडीन फास्फेट यू.एस.पी	कि०ग्रा०	12050	12050
	ख) थेबेन	कि०ग्रा०	100	100
	कुल (ii)		12150	12150

ग. अफीम का देशवार निर्यात (आई एम ओ पाउडर और केक को छोड़कर)				
इकाई	सं रा0 अ0	फ्रांस	जापान	कुल
गाजीपुर	257	0	124	381
नीमच	177	7	0	184
कुल	434	7	124	565

घ. औषधियों के उत्पाद हेतु प्रभारित अफीम (90रुसी0 पर मात्रा मी0 टनों में)	
(90 सी पर मात्रा मी. टन में)	160.687

राजस्व प्राप्तियां (वसूली के आधार पर)			
इकाई	अफीम फैक्टरियां	अफीम कारखाना	योग (रूपये करोड़ों में)
गाजीपुर	190.96	77.88	268.84
नीमच	50.45	116.23	166.68
कुल	241.41	194.11	435.52

ब्यूरो के अध्यक्ष विशेष सचिव एवं महानिदेशक हैं जिनकी सहायता उप-महानिदेशक, संयुक्त सचिव(कोफेपोसा), सहायक महानिदेशक, अवर सचिव, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और अन्य स्टाफ कार्य करते हैं। ब्यूरो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या 113 है।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के मौजूदा चार्टर के अनुसार यह आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) के लिए सचिवालय के रूप में और आर्थिक आसूचना (इकोइनट) के समन्वयक और निधान के रूप में कार्य करता है। यह कोफेपोसा अधिनियम को भी क्रियान्वित करता है।

ब्यूरो 22 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों (क्षे.आ.आ.स.) का पर्यवेक्षण करता है और इनके कार्यकलापों की निगरानी करता है जो क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय के लिए नोडल एजेंसियां हैं और आर्थिक अपराधों से निपटने वाली विभिन्न प्रवर्तन एवं अन्वेषण एजेंसियों के बीच समन्वयन कार्य हेतु गठित की गई हैं।

ब्यूरो का निष्पादन

केन्द्र एवं क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद दोनों में वर्तमान समन्वय की व्यवस्था घटक सदस्यों के बीच सघन समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मजबूत की गई है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तरों दोनों पर सूचना के आदान-प्रदान में सुधार हो रहा है और साथ ही सूचना की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। निगरानी व सूचना की व्यवस्था भी की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2009 तक) के दौरान ब्यूरो द्वारा किए गए मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :-

नीति स्तर समन्वय

आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी), जो आर्थिक आसूचना से संबंधित सभी मामलों के लिए उच्च स्तरीय समन्वय फोरम है, इसकी बैठक दिनांक 7.10.2008 को माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ आसूचना आदान-प्रदान और समन्वय, आर्थिक अपराधों के रूझान और क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के कार्यकरण से संबंधित मुद्दों पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए चर्चा की गई।

दिनांक 28.4.2008 को आसूचना उपकरणों पर कार्यदल की बैठक राजस्व सचिव की अध्यक्षता में हुई थी।

क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के संयोजकों के चार क्षेत्रीय सम्मेलन भोपाल (पश्चिमी क्षेत्र), हैदराबाद (दक्षिण क्षेत्र), चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) और पटना (पूर्वी क्षेत्र) में हुई थी जिसकी अध्यक्षता विशेष सचिव एवं महानिदेशक, आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा की गई। क्षेत्रीय सम्मेलनों में संबंधित क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के संयोजकों की हैसियत से उनके संबंधित महानिदेशक आयकर (जांच)/मुख्य आयुक्त (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने भाग लिया। क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों की विभिन्न समस्याओं और वर्तमान सामान्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी और सुधारार्थक कदम उठाए गए हैं। दिनांक 7.2.2009 को सचिव राजस्व की अध्यक्षता में क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। संबंधित विषयों के साथ-साथ एजेंसियों, क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के समन्वय और कार्यकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और उपयुक्त निर्णय लिए गए।

राष्ट्रीय आर्थिक आसूचना नेटवर्क (एनईआईएन)

ब्यूरो को मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के अनुसार महत्वपूर्ण आर्थिक अपराधियों के डोजियर तैयार करने के लिए अधिकार दिया गया है। तदनुसार ब्यूरो ने आर्थिक अपराधियों संबंधी डाटाबेस सृजित किया है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे निश्चित संरूप में डाटाबेस में दर्ज किये जाते हैं। इन ब्यौरों का मिलान किया जाता है और आर्थिक अपराधियों संबंधी डोजियर तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस डाटाबेस को सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा योगदान किया जा रहा है। इसे डाटा बेस में 7000 से अधिक मामलों को पहले ही दर्ज कर दिया गया है। 700 से अधिक आर्थिक अपराधियों के डोजियर पहले ही तैयार कर लिए गये हैं और उसे विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के द्वारा नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। इस प्रकार विकसित डाटाबेस का प्रयोग विभिन्न एजेंसियों के बीच आर्थिक अपराधियों/अधिकारियों के ब्यौरों का आदान-प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

आसूचना निविष्टियों का आदान-प्रदान

ब्यूरो विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आसूचना निविष्टियों का आदान-प्रदान कर रहा है। इनके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन), हवाला/संदिग्ध संव्यवहारों, जाली पासपोर्ट/ वीजा स्टीकर्स, अवैध मानव व्यापार, आतंकवादी गतिविधियों, तस्करी, स्वापक औषधियों आदि से संबंधित संसूचनाएं प्राप्त होती हैं।

विभिन्न एजेंसियों के बीच आसूचना के आदान प्रदान और समन्वय हेतु ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित तंत्र स्थापित किए गए हैं।

आर्थिक आसूचना संबंधी समूह

आर्थिक आसूचना (इकोइनेट) से संबंधित सभी मामलों में काम करने वाली आसूचना और अन्वेषण एजेंसियों के बीच सही समय के आधार पर संस्थागत सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने हेतु वर्ष 2005 में आर्थिक आसूचना समूह स्थापित किया गया था। आसूचना/प्रवर्तन एजेंसियों विनियामकों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) भी आर्थिक आसूचना संबंधी समूह के सदस्य हैं। ब्यूरो में नियमित रूप से नोडल अधिकारियों के समूह की बैठक होती है और वे आर्थिक आसूचना (इकोइनेट) से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। समूह निविष्टियों का आदान-प्रदान करता है जिसको संबंधित एजेंसियों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है।

एजेंसियों का अध्यक्ष

आर्थिक आसूचना परिषद के निर्णय के परिणामस्वरूप राजस्व विभाग के अंतर्गत एजेंसियों के अध्यक्षों के समूह का गठन किया गया था। आर्थिक अपराधों के उभरते क्षेत्रों पर चर्चा करने और निर्णय करने के लिए और खोज किए गए महत्वपूर्ण लक्ष्यों के प्रति समन्वित कार्रवाई के लिए ब्यूरो में एजेंसियों के अध्यक्षों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस संबंध में चार बैठकें आयोजित की गई हैं:-

कार्रवाई के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय लिए गए हैं:-

- उनके अंतर एजेंसी के प्रभाव के संदर्भ में इन एजेंसियों के डाटाबेस में उपलब्ध मामलों का मूल्यांकन करना,
- निर्धारित समय के अंदर संगत एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक अपराधियों संबंधी सूचना को एकत्रित करना,

- उपलब्ध सूचना के आधार पर लक्ष्यों की पहचान करना

- एजेंसियों से प्राप्त अनुवर्तन और जानकारी जो अन्ततः पहचाने गये लक्ष्यों के प्रति संयुक्त समन्वित कार्रवाई में परिणत होगी।

सुरक्षित सूचना आदान प्रदान नेटवर्क (एसआईईएन)

ब्यूरो को विभिन्न आसूचना/प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन सूचना आदान-प्रदान तंत्र स्थापित करने हेतु अधिकार दिया गया था ताकि वे अल्प समय में सूचना आदान-प्रदान करने में समर्थ हो सकें। यह सुरक्षित नेटवर्क गृह मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसियों और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित सभी एजेंसियों और सभी सदस्य एजेंसियों को जोड़ने की प्रक्रिया में है। यह प्रणाली एक सुरक्षित प्रकार के ऑनलाइन सूचना के आदान-प्रदान, एजेंसियों को उनके द्वारा बुक किए गए मामलों के ब्यौरे आदान-प्रदान करने के लिए समर्थ बनाएगी और महत्वपूर्ण आर्थिक अपराधियों संबंधी डोजियर तैयार करने में सहायता करेगी।

आयकर आसूचना निविष्टियां

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त टेलेक्स रिपोर्टों के रूप में प्राप्त आसूचना निविष्टियों की विस्तार में जांच की गई और विश्लेषण किया गया।

अन्वेषक अध्ययन/विश्लेषणात्मक अध्ययन:-ब्यूरो द्वारा कतिपय क्षेत्रों जैसे ईट एवं रेत उद्योग, खनन उद्योग, डेयरी उद्योग एवं फल व सब्जी बाजार का व्यापक अध्ययन किया गया था और तदनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया था, क्योंकि यह प्रतीत हुआ है कि इन क्षेत्रों में कर अपवंचन काफी हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप आयकर विभाग द्वारा तलाशियां ली गई थीं तथा की गई ऐसी कार्रवाई से उड़ीसा के निर्धारितियों के एक समूह द्वारा किए गए 90 करोड़ रुपये की गैर हिसाबी आय का पता चला है।

चैक पर बड़ा काटना : इस क्षेत्र में यह परामर्श दिया गया है कि चैकों/ड्राफ्टों के फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप परिवर्तन करते हुए कोड 'अहस्तांतरणीय' को पहले से ही चैक पर मुद्रित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क(3) में भी आगे एक संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिसके अनुसार 'आदाता के खाते में' वाले चैक के स्थान पर 'अहस्तांतरणीय' डाला जाएगा तथा 'आदाता के खाते' वाले वैध ड्राफ्ट पर 'अहस्तांतरणीय' ड्राफ्ट को शामिल किया जाएगा। इससे बाजार में असंख्यक परांकनों द्वारा ऐसे परक्राम्य लिखितों के धन की चोरी से प्रेषण अथवा जाली बिल बनाकर दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। इस संबंध में अंतिम रिपोर्ट दे दी गई है।

सूचना का संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रसार : वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त टेलेक्स रिपोर्टों के रूप में प्राप्त आसूचना निविष्टियों की जांच की गई और विस्तृत विश्लेषण किया गया। निविष्टियों को कर-अपवंचकों द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली, मौजूदा व्यापारिक प्रयासों और ऐसी व्यापारिक गतिविधियों में संबद्ध कर अपवंचन और भारत के विभिन्न भागों में कर अपवंचन के क्षेत्रीय तरीकों का अध्ययन करने के लिए संसाधित किया जा रहा है। देश भर में की गई तलाशी एवं जब्ती प्रचालनों में देखे जाने वाले रुझान के विश्लेषण को संबंधित प्राधिकारियों को संक्षेप में दिया गया है। कर अपवंचन के मामलों के संबंध में विशिष्ट सूचना बहुत से मामलों में अपने पोषित एवं विश्वसनीय स्रोतों से भी एकत्रित की गई थी और इसे क्षेत्राधिकार वाली एजेंसियों को ऐसे व्यक्तियों/संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने और संसाधित करने के लिए अग्रेषित किया गया।

इस ब्यूरो में प्राप्त की गई केस रिपोर्ट का अन्य एजेंसियों के लिए संभव प्रभावों के लिए ब्यूरो में विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर महत्वपूर्ण सूचना का आदान-प्रदान किया गया था और पर्याप्त कर अपवंचन का पता चला है।

समन्वय

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा आर्थिक अपराधों के क्षेत्रों में एजेंसियों के कार्यकरण के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रयास/क्षेत्र के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(1) अवैध अफीम पोस्त खेती का पता लगाने, नष्ट करने के लिए सेटेलाइट चित्रों का उपयोग करना

विभिन्न राज्यों में व्यापक अवैध अफीम पोस्त खेती की रिपोर्टों के आधार पर ब्यूरो द्वारा इन अवैध फसलों का पता लगाने और नष्ट करने के लिए समन्वित कार्रवाई के लिए योजना बनाई गई थी। तदनुसार, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एडीआरआईएन, हैदराबाद से संदिग्ध राज्यों नामतः पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तरांचल के सेटेलाइट चित्र प्राप्त किये गये थे। इन चित्रों की स्वापक नियंत्रक ब्यूरो (एनसीबी), केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सीबीएन) और आसूचना ब्यूरो (आईबी) के परामर्श से जांच की गयी और खेती नष्ट करने के प्रचालनों के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस सूचना का आदान-प्रदान किया गया। स्वापक नियंत्रक ब्यूरो (एनसीबी) को राज्यों के साथ समन्वय कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

(2) गैर सरकारी संगठनों का संदिग्ध स्रोतों से वित्तपोषण:

विदेशी संदिग्ध स्रोतों से निधियां प्राप्त करने वाले कतिपय गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में ब्यूरो ने निविष्टियां प्राप्त की जा रही हैं। ब्यूरो ने विदेशी निधियां प्राप्त करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों की सूची प्राप्त कर ली है और इसे क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद (आरआईआईसी) और भारत वित्त आसूचना एकक को भी परिचालित किया है। आसूचना ब्यूरो (आईबी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य एजेंसियों से प्राप्त संदिग्ध और गैर सरकारी संगठनों की सूची को उनके विरुद्ध समन्वित कार्रवाई करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ भी सूचना का आदान-प्रदान किया गया है।

भारत वित्त आसूचना एकक ने इन संगठनों के संबंध में उनके वित्तीय संव्यवहार की बाबत संगत ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए कहा है जिनका आगे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ विनिमय किया जाएगा।

(3) विदेशी राष्ट्रों द्वारा मुद्रा घोषणा:

- ब्यूरो को विदेशी नागरिकों द्वारा देश के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पहुंचने पर की जा रही बड़ी विदेशी मुद्रा घोषणाओं के संबंध में आसूचना ब्यूरो (आईबी) और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) से निविष्टियां प्राप्त हुई थीं। आर्थिक आसूचना परिषद (आईआईसी) में इसपर चर्चा की गई थी तथा आर्थिक आसूचना परिषद (आईआईसी) के निर्देशनों के अनुसार और ब्यूरो द्वारा इसकी मानीटरिंग व विश्लेषण किया जा रहा है।
- ब्यूरो को भारत के अंदर पहुंचने वाले विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए 25,000 से अधिक अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा की घोषणा के संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालयों

से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। अन्य बातों के साथ-साथ की गई घोषणाओं और की गई आवर्ती यात्राओं के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है।

- इनका विश्लेषण किया जा रहा है और जहां कहीं वीजा प्रदान करने से पहले आवश्यक हो, पूर्व जांच श्रेणी में रखने के लिए विदेश मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, आसूचना ब्यूरो और संयुक्त सचिव(आईएस), गृह मंत्रालय के साथ जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा है।
- क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (आरआईआईसी) क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर के समन्वय को बनाने और उन्नयन करने के लिए कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट और निगरानी प्रणाली को सरल बना दिया गया है और उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रणाली बनाई गई है। क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद (आरआईआईसी) में सूचना के आदान-प्रदान से कर अपवंचन के मुख्य मामलों का पता चला है।

कोफेपोसा अधिनियम का प्रशासन

राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी सहित कोफेपोसा अधिनियम, 1974 (विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम) का समग्र प्रशासन केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा निष्पादित कार्य में से एक है। तस्करी और विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी के विरुद्ध कोफेपोसा अधिनियम, 1974 निवारक के रूप में कार्य करता है। 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार के विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारियों द्वारा नजरबंदी आदेश जारी किए गए थे। वास्तव में इस अवधि के दौरान 22 व्यक्तियों को नजरबंद किया गया जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिसके लिए इस वर्ष और गत वर्ष के दौरान नजरबंदी आदेश जारी किए गए थे।

प्रशिक्षण

आसूचना एकत्र करने की तकनीक इत्यादि में राजस्व विभाग के अधिकारियों की अन्वेषणात्मक कुशलता को बढ़ाने के लिए ब्यूरो ने विभिन्न विशिष्टीकृत प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे -

- राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में 'बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी का निवारण'
 - सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी, हैदराबाद में 'कंप्यूटर और इंटरनेट अपराध'
 - स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में 'बैंककारी प्रचालन एवं वित्तीय कानून प्रवर्तन'
 - सेना/आसूचना प्रशिक्षण स्कूल एवं डिपो पुणे में 'आसूचना एकत्रण एवं आसूचना ट्रेडक्राफ्ट'
 - भारतीय पूंजी बाजार, मुम्बई में 'वित्तीय बाजार में आर्थिक अपराध की जांच'
- मंत्रिमंडल सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान, गुड़गांव में 'आसूचना एकत्रण एवं आसूचना ट्रेडक्राफ्ट'

7. प्रवर्तन निदेशालय

क. संगठन एवं कार्य

प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख भारत सरकार के अपर सचिव रैंक के निदेशक होते हैं। अन्य अधिकारियों में विशेष निदेशक (3), अपर निदेशक (2), उप निदेशक (12) तथा सहायक निदेशक (74) हैं इनकी सहायता के लिए विधि अधिकारी हैं। निदेशालय मुख्यतः तीन कानूनों जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को कार्यान्वित करता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (जो अब निरस्त हो चुका है) के अंतर्गत दर्ज मामलों के न्यायनिर्णयन अभियोजन तथा शास्ति वसूली का कार्य निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2006-07 के दौरान निदेशालय का पुनर्गठन किया गया है और फिलहाल इसके निम्नलिखित 10 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उपक्षेत्रीय कार्यालय हैं-

क्षेत्रीय: मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बैंगलोर और हैदराबाद

उप-क्षेत्रीय: जयपुर, जालंधर, श्रीनगर, वाराणसी, गुवाहाटी, कालीकट, इंदौर, नागपुर, पटना, भुवनेश्वर और मदुरै

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम/विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत निदेशालय के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं

- 1 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उल्लंघन से संबंधित आसूचना को एकत्र करना और उसका विकास करना, उसका प्रचार करना। आसूचना जानकारी विभिन्न स्रोतों जैसे केन्द्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों, शिकायतों आदि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।
- 2 विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी, निर्यात से होने वाली आय की वसूली न होना, विदेशी मुद्रा के गैर प्रत्यावर्तन जैसी गतिविधियों से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उपबंधों के संदेहास्पद उल्लंघनों 1999 के अधीन उल्लंघनों के अन्य रूपों की जांच पड़ताल करना।
- 3 तत्कालीन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अधीन और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उल्लंघन के मामलों का न्यायनिर्णयन करना।
- 4 न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों की समाप्ति पर अधिरोपित शास्तियों को वसूल करना।
- 5 तत्कालीन फेरा, 1973 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन, अपीलें और अभियोजन मामलों को देखना।
- 6 विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपासा) के अधीन मामलों पर कार्रवाई करना और निवारक नजरबंद करने के लिए सिफारिश करना।

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका

(क) धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (जिसे इसके बाद पी एम एल ए के रूप में संदर्भित किया जाएगा) 1.07.2005 से लागू हो गया

है। यह अधिनियम एक प्राधिकरण अर्थात् प्रवर्तन निदेशालय को भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादी कार्रवाईयों सहित अनुसूचित अनेक अपराधों से संबंधित धन शोधन अपराधों को रोकने के लिए एक प्राधिकरण बनाता है। इस अधिनियम में कानून द्वारा दी गई विभिन्न कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए चार सांविधिक ईकाइयां बनाई हैं जैसे 1. धन शोधन के लिए दोषी व्यक्तियों को अभियोजित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय उत्तरदायी है। 2. भारत वित्त आसूचना एकक के कार्यों के लिए पर्यवेक्षण के लिए निदेशक वित्त आसूचना एकक 3. धन शोधन या अन्यथा कार्य में लिप्त किसी सम्पत्ति के मामले को निर्णित करने के लिए न्यायनिर्णय प्राधिकरण 4. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालय

(ख) दिनांक 1.7.2005 की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 441 (अ) के साथ पठित धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 48 के प्रावधान निदेशालय के अधिकारियों को धन शोधन के मामलों की जांच करने और अभियोजन प्रारंभ करने की शक्तियां प्रदान करते हैं।

धन शोधन का अपराधीकरण

धन शोधन निवारण अधिनियम के मुख्य प्रावधान धारा 2 (प) और (म) तथा धारा 3 हैं। धारा 2 (प) अपराध की आय को परिभाषित करती है और धारा 2 (म) अनुसूचित अपराधों को परिभाषित करता है जिसकी आय इस अधिनियम के अंतर्गत जांच का विषय होती है।

धारा 3 धन शोधन के आरोपों को बनाती है तथा इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है :-

जो कोई भी अपराध की आय के साथ जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि से प्रत्यक्ष: या अप्रत्यक्षतः शामिल होने का प्रयास करता है या जानते बूझते सहयोग करता है या जानते हुए उसका एक पक्ष होता है या वास्तविक रूप में संलिप्त होता है तथा इसे बेदाग सम्पत्ति दर्शाता है वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना

आतंक के वित्त पोषण से संबंधित धन शोधन, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक अपराध है

- (1) धन शोधन को अपराध के रूप में धारा 3 के अंतर्गत अपराधिकृत बनाया गया है तथा इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत यह दंडनीय है।
- (2) धारा 3 में अपराध की आय में जानते हुए कार्य करने की गतिविधि को तथा उसे बेदाग संपत्ति (जिसे वैध एवं उचित स्रोत से प्राप्त करने का दावा किया है तथा साथ ही उस निधि के आपराधिक स्रोत को दबाने व छुपाने का कार्य किया है) के रूप में दर्शाने को संक्षेप में दांडिक बनाया गया है।
- (3) धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 (प) के अंतर्गत अपराध की आय को इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित आपराधिक गतिविधियों से संबंधित आय के रूप में परिभाषित किया गया है।

- (4) इस अधिनियम के साथ 3 अनुसूचियां संलग्न हैं नामतः भाग ६, भाग-ख और भाग-ग
- (5) भाग क में पैराग्राफ 4 है जो (निवारण) अधिनियम, 1967 (यथासंशोधित), की विभिन्न धाराओं को समाविष्ट करता है जो आतंकवादियों के वित्त पोषण और आतंकवादी अधिनियम का कार्य करता है। (क) धन शोधन से जुड़े हुए अपराधों की धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत जांच की जानी होती है। निम्नलिखित प्रकार की संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जो धन शोधन के अपराधों में सम्मिलित संपत्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं और अतएव इस अधिनियम के अंतर्गत जब्ती के योग्य होती है:

- किसी भी व्यक्ति द्वारा आतंकवादी कार्यवाही के वित्त पोषण के उद्देश्य की मंशा से भारत या विदेश में निधियों को एकत्रित करना या उगाहना। निधियों के दान की कार्यवाही भी अपराध है यदि ये निधियां आतंकवादी कार्यवाही को प्रोत्साहित करने/बढ़ाने की नियत से दी जाती हैं।
- आतंकवादी कार्रवाई करने से उत्पन्न/प्राप्त सम्पत्ति (अपराध की आय) को धारित करना (धारा 21)
- आतंकवादी शिविरों को आयोजित करके प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः (अपराध की आय) प्राप्त संपत्ति (धारा 18 क)
- आतंकवादी शिविरों के लिए व्यक्तियों की भर्ती द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः (अपराध की आय) प्राप्त संपत्ति (धारा 18 ख)
- आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए प्राप्त की गई सम्पत्ति (अपराध की आय)। (धारा 16 के साथ पठित धारा (15))
- आतंकवादी संगठन के सदस्य के रूप में धारित सम्पत्ति (धारा 38)

आतंकवादियों के वित्त पोषण तथा धन शोधन के अपराध के लिए धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण के मामले

यह निदेशालय की ही जिम्मेदारी है कि वह धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन के अपराधों का पंजीकरण करे तथा अपराध की संदेहास्पद आय को पहचाने के लिए वित्तीय जांच करे

धन शोधन के मामले की जांच

धन शोधन के अपराध के लिए पंजीकृत मामले की विभिन्न माध्यमों जैसे संबंधित व्यक्ति को बुलाकर, सर्वे करके (धारा 16), धन शोधन में लिप्त संपत्ति के लिए तलाशी अभियान चलाकर तथा उसे जब्त कर (धारा 17), संदिग्ध की तलाशी (धारा 18), अपराध में फंसाने वाली सामग्री का एकत्रीकरण करके संदिग्ध की गिरफ्तारी (धारा 19) का प्रयोग करके आगे की जांच की जाती है।

धन शोधन में लिप्त होने के संदेह वाली सम्पत्ति की कुर्की अनंतिम रूप से धारा 5 के अंतर्गत की जाती है जिससे की इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वह अंतिम जब्ती के लिए उपलब्ध रहे।

न्याय निर्णयन प्राधिकरण के समक्ष कार्रवाईयां (धारा 8)

निदेशालय द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के सम्मुख शिकायत दायर की जाती है जहां धन शोधन के अपराध में शामिल सम्पत्ति के साक्ष्य को

प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है तथा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार पुष्टि के आदेश प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया हो। निदेशालय को अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार कुर्क सम्पत्ति का कब्जा लेने की आवश्यकता होती है, प्राधिकरण द्वारा आदेश के पुष्ट करने पर निदेशालय को जहां कहीं आवश्यक हो धन शोधन निवारण अधिनियम (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के प्रतिकूल आदेश के प्रति) की धारा 26 के अनुसार अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की आवश्यकता होती है।

अभियोजन को प्रारंभ करना

विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाईयां (धारा 43 से 45)

निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4 (धन शोधन के अपराध के लिए दंड)

के अंतर्गत किसी भी दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालय के सम्मुख धारा 45 के आशय के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत है। निदेशालय के लिए यह अपेक्षित है कि वह अभियोजन के दौरान सरकारी वकील के साथ पूर्ण समन्वय रखे जिससे मामले का हित पूरी तरह से सुरक्षित रहे एवं देश के कानून के अनुसार दोषी को दंडित किया जाए।

भारत-वित्त आसूचना एकक के साथ सूचना का विनिमय

वित्त आसूचना एकक से प्राप्त होने वाली संदिग्ध संव्यवहार रिपोर्टों पर निदेशालय कार्रवाई करता है और वित्त आसूचना एकक के लिए कतिपय अनुरोध विदेशी आसूचना एककों के साथ उठाए जाने के लिए मूल रूप से भेजता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (परस्पर कानूनी सहायता) अधिनियम का अध्याय IX

- धारा 3 के अंतर्गत अपराध के निष्पादन से व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उत्पन्न या प्राप्त अपराध की आय की कुर्की, जब्ती और अभिग्रहण करना परन्तु अपराध की ऐसी आय के संविदाकारी राज्य में उपलब्ध होने पर उस पर कार्रवाई परस्पर विधिक सहायता करार के अंतर्गत निर्दिष्ट न्यायालय के माध्यम से अनुरोध पत्र भेजकर की जा सकती है तथा अधिनियम की धारा 60 के अनुरूप भारत में ऐसे अनुरोधों को उसी प्रकार से निष्पादित किया जा सकता है।

- संविदाकारी राज्यों से आरोपियों का प्रत्यार्पण: यह सहयोग न्यायिक माध्यम से उपलब्ध है जैसा कि अधिनियम की धारा 59 में उपबंधित है।

- मामले में अपेक्षित एवं संविदाकारी राज्य में उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का संग्रहण अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत उपबंधित किए गए अनुसार अनुरोध पत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी अनुरोध का निष्पादन अधिनियम की धारा 58 के अनुसार किया जाता है।

- आने वाले और साथ ही बाहर भेजे जाने वाले अनुरोध पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। विदेश मंत्रालय (सी पी वी प्रभाग), गृह मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), विधि मंत्रालय की भूमिका विदेशी कानून एजेंसियों से प्राप्त होने वाले संदर्भों (अनुरोध पत्रों) के निष्पादन में स्पष्टतः परिभाषित किए गए हैं।

सामर्थ्य सुदृढीकरण

निदेशालय विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी के सहयोग में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के लिए नियमित पाठ्यक्रम चला रहा है।

ख. निदेशालय की मुख्य विशेषताएं और उपलब्धियां**(1) फेरा व फेमा के अंतर्गत**

इस निदेशालय ने अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान 160 मामलों (पूर्ववर्ती फेरा, 1973 के अधीन) तथा 233 मामलों (फेमा, 1999 के अंतर्गत) का न्यायनिर्णयन किया और इसी अवधि के दौरान, निदेशालय ने फेरा, 1973 के अंतर्गत 13.43 करोड़ रुपये और फेमा के अंतर्गत 01.56 करोड़ रुपये की शास्तियों की वसूली की।

फेरा 1973 की धारा 56 और 57 के अंतर्गत पहले आरंभ किए गए अभियोजनों में से 130 मामलों का निपटान कर लिया गया।

(2) धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत

धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत निदेशालय ने अब तक 58 मामले में सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की हैं और निदेशालय ने चौतीस (34) कुर्की के आदेश किए हैं जहां धन शोधन में शामिल सम्पत्तियों/ परिसम्पत्तियों (चल और अचल) को कुर्क किया गया है और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा 27 सम्पत्ति कुर्क करने के आदेशों की पुष्टि की गई थी। धन शोधन निवारण अधिनियम के अपराध में शामिल होने के कारण 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत विदेशी प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त 2 अनुरोध पत्रों का निष्पादन किया था और विदेश में समानारूपी कानून के अंतर्गत आगे जांच/ कार्यवाहियों के लिए उन्हें अपेक्षित सामग्री भेजी थी। निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य/कागजात आदि देने के लिए 3 अनुरोध पत्र विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे हैं।

8. गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति के समपहरण के लिए व्यवस्था

समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत नजरबंद व्यक्तियों की गैर-कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्तियों के समपहरण के लिए तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (सफेम (फोप)ए) में प्रावधान किया गया है। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस. अधिनियम) में अथवा किसी दूसरे देश के किसी समनुरूपी कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के निवारण अधिनियम, 1988 में तथा जम्मू एवं कश्मीर में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार का निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत नजरबंद व्यक्तियों की गैर कानूनी रूप से अभिग्रहीत सम्पत्ति का पता लगाने, खरीद फरोख्त पर रोक लगाने, जब्ती और समपहरण के लिए प्रावधान है।

8.2. गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति के समपहरण का कार्य निष्पादित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति हेतु तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में प्रावधान है। सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय

कोलकाता, चेन्नई दिल्ली, मुम्बई और एक यूनिट अहमदाबाद में स्थित है। सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों के प्रति अपीलों को सुनने के लिए तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में एक अपीलीय फोरम नामतः समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई है। समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। समपहृत सम्पत्ति अपीलीय अधिकरण में एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो अथवा न्यायाधीश होने का पात्र हो और दो सदस्य होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाते हैं जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से कम के नहीं होते हैं।

8.3. वित्त वर्ष 2008-2009 के दौरान सक्षम प्राधिकारियों ने 28 मामलों में कुल 1115.33 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति समपहृत की है। वर्ष 2000-2001 से 2008-2009 तक तक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या, जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या और इसमें संलिप्त सम्पत्ति का मूल्य, समपहरण के लिए जारी किए गए आदेशों की संख्या और इसमें संलिप्त सम्पत्ति का मूल्य और बेची गई सम्पत्ति की बिक्री से हुई आय के मूल्य का वर्षवार विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

8.4. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण में 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान सफेम (फोप) ए के तहत 46 अपीलों और 64 विविध याचिकाएं तथा एन डी पी एस अधिनियम के तहत 93 अपीलों और 48 विविध याचिकाएं दर्ज की गईं। उपर्युक्त अवधि के दौरान केवल 81 अपीलों और 64 विविध याचिकाओं का निपटान किया गया।

9. राज्य कर**9.1 राज्य कर अनुभाग**

राजस्व विभाग का राज्य कर अनुभाग राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क वाले केन्द्रीय करों से संबंधित विधायी कार्य को देखता है जिसमें बिक्री कर कानूनों और विधिमाम्य करण अधिनियम, 1956, केन्द्रीय बिक्री कर 1956, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 भी शामिल है। राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित (वैट) मुद्रों के संबंध में सुविधाएं देना तथा देश भर में माल और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लक्ष्य से संबंधित मुद्दे राज्य कर अनुभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं।

राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट)

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के तहत किसी राज्य के अंदर वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर' राज्य का विषय है। राज्यों की पहले की बिक्री कर प्रणालियों को प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य वैट को लागू करना राज्य स्तर पर अत्यधिक उल्लेखनीय कर सुधार उपाय है। राज्य वैट को क्रियान्वित करने का निर्णय 18 जून, 2004 को हुई अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिया गया था, जिसमें राज्यों के बीच 1 अप्रैल, 2005 से वैट लागू करने के लिए मोटे तौर पर सर्वसम्मति हुई थी। तदनुसार अब तक वैट सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जा चुका है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के अतिरिक्त जो बिक्री कर/वैट नहीं लगाते हैं।

चूंकि बिक्री कर /वैट राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्र सरकार वैट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभाती रही

तालिका 3.38			
प्रवर्तन निदेशालय सांख्यिकी आंकड़े वर्ष 2008-09 (31 मार्च, 2009 तक)			
क. तलाशियां और जब्तियाँ		फेमा	
1.	ली गई तलाशियां	93	
2.	जब्त और कब्जे में की गई विदेशी मुद्रा (रु 0 करोड़ों में)	0.62	
3.	जब्त भारतीय मुद्रा(रु0करोड़ों में)	15.70	
ख. अन्वेषण			
1.	आरंभ की गई	1092	
2.	निपटाई गई	761	
3.	लंबित 5422		
4.	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	380	
5.	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में अन्तर्ग्रस्त राशि (रु0 करोड़ों में)	1036.42	
ग.	न्याय निर्णयन	फेरा	फेमा कुल
1.	न्याय निर्णित मामले	160	233 393
2.	न्याय निर्णयन के लिए बकाया मामले	3740	1277 5017
3.	विदेशी मुद्रा की जब्ती (रु. करोड़ों में)	00.07	00.28 00.35
4.	भारतीय मुद्रा की जब्ती (रु. करोड़ों में)	03.52	1.02 4.54
घ.	शास्तिया		
1.	लगाई गई (रु. करोड़ों में)	3150.87	146.51 3297.38
2.	वसूली गई(रु. करोड़ों में)	13.43	1.56 14.99
3.	लंबित(रु. करोड़ों में)	8452.00	691.97 9143.97
ड.	अभियोजन	फेरा	
1.	निपटाए गए	130	
	1. दोषसिद्धि	28	
	2. दोष मुक्त	21	
	3. उन्मोचन	15	
	4. वापस लिए गए	35	
	5. अन्यथा	31	
2.	लंबित	4112	
धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए)-2002 के अंतर्गत सांख्यिकीय आंकड़े			
1.	ई सी आई आर की संख्या	58	
2.	जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की सं०	34	
3.	कुर्की के अधीन संपत्तियों का मूल्य	62,54,81,456	
4.	पुष्ट संपत्ति कुर्की आदेशों की सं०	27	
5.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट संपत्ति कुर्की आदेशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का मूल्य	49,44,34,936	
6.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष लंबित/ पुष्टि के अंतर्गत संपत्ति कुर्की आदेशों की सं०	6	
7.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट न किए गए संपत्ति कुर्की आदेशों की सं०	1	
8.	न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट न किए गए संपत्ति कुर्की आदेशों के संबंध में परिसम्पत्तियों का मूल्य	4,00,00,000	
9.	अधिकरण के समक्ष अपीलों की सं० (1) पक्ष द्वारा दायर (2) निदेशालय द्वारा दायर	1601	
10.	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	07	
11.	मामलों की सं० जिनमें अभियोजन शिकायतें दायर की गई	02	

तालिका 3.39

एन डी पी एस ए अधिनियम तथा सफेम(फोप) अधिनियम के तहत गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति का सम्पहरण

वित्तीय वर्ष	प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या	समपहरण के लिए जारी किए गए नोटिसों की संख्या उसमें शामिल सम्पत्ति का मूल्य	जारी किए गए समपहरण आदेशों की संख्या उसमें शामिल सम्पत्ति का मूल्य	बेची गई सम्पत्ति की बिक्री आय का मूल्य (रुपये लाखों में)		
2000-2001	491	159	2755	103	1662	201
2001-2002	228	89	7223.12	50	3202.39	107
2002-2003	995	72	1269.22	53	2498.60	18
2003-2004	1180	97	1547.75	25	977.01	51.6
2004-2005	1357	162	3251.64	25	650.93	73.67
2005-2006	607	214	10074.59	91	744.60	153.27
2006-2007	514	243	3017.27	112	868.57	2.63
2007-2008	507	210	12784.31	24	551.10	366.97
2008-2009	99	39	2065.88	28	1115.33	121.30

है। भारत सरकार ने बिक्री कर सुधारों/राज्य वैट से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) गठित की है। केन्द्र सरकार, द्वारा इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं :

- वैट को लागू करने के कारण किसी राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए पैकेज की घोषणा की गई थी और उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजस्व हानि प्रतिपूर्ति की दर वर्ष 2005-06 के दौरान 100 प्रतिशत, 2006-07 के दौरान 75 और 2007-08 के दौरान 50 प्रतिशत थी। केन्द्र सरकार द्वारा 31 मार्च, 2009 तक 14, 805.83 रुपये की राशि जारी पहले ही जारी की जा चुकी है।
- पूर्वोत्तर राज्यों को 100 प्रतिशत तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है ताकि वे कंप्यूटरीकरण करने में समर्थ हो सकें। केन्द्र सरकार ने अधिकार प्राप्त समिति को हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में पर्याप्त वित्त पोषण सहायता के लिए प्रतिबद्धता के साथ वैट प्रशासन के कंप्यूटरीकरण के लिए परियोजना चलाने के लिए पदनामित किया है। इसके अतिरिक्त 20 अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वैट प्रशासन के कंप्यूटरीकरण के प्रयोजनों को बना लिया गया है।
- अन्तरराज्यीय लेनदेनों पर नजर रखने के लिए टीआईएनएक्सएस सवाईएस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को 50 प्रतिशत निधि प्रदान की जा रही है।
- कराधान अध्ययन केन्द्र केरल को राष्ट्रीय स्तर के लोक वित्त संस्थान तक उन्नत करने की परियोजना जिसमें उस संस्थान को गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान (जीआईएफटी) नाम से निरूपित किया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत 33.13 करोड़ रुपये की 23.63 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की प्रतिबद्धता शामिल है।

- वैट से संबंधित प्रचार और जागरूकता अभियानों को चलाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति के साथ-साथ राज्यों को भी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है।

अब तक वैट के कार्यान्वयन का अनुभव बहुत उत्साहजनक रहा है। नई प्रणाली में बदलाव काफी निर्बाध रहा है तथा इसका सभी पण्यधारियों द्वारा स्वागत किया गया है। वैट का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों ने वर्ष 2005-06 के दौरान कर राजस्व ने लगभग 13.8 प्रतिशत तथा वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2007-08 के दौरान, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के राज्य वैट तथा बिक्री करों में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें वैट मदों से राजस्व में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में अप्रैल-दिसम्बर, 2008 की अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई अनंतिम वृद्धि वित्तीय वर्ष 2007-08 की समकक्ष अवधि की तुलना में 19.1 प्रतिशत अधिक थी।

9.2 केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी)

सूची-1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 92 केन्द्रीय सरकार को वस्तुओं की अंतरराज्यीय बिक्री पर कर लगाने का अधिकार देती है। इसके अलावा, अनुच्छेद 269 (3) संसद को अंतरराज्यीय व्यापार के वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद कब होती है यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार, संविधान का अनुच्छेद 286(2) संसद को किसी राज्य के बाहर अथवा भारत से आयात अथवा निर्यात के दौरान वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद कब होती है, यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 286(3) संसद को अंतरराज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य में कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित की गई विशेष महत्व की वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर राज्यों द्वारा कर लगाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत करता है।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 वस्तुओं की अंतरराज्यीय बिक्री पर कर

लगाता है और सिद्धांत तैयार करता है तथा संविधान द्वारा प्रदत्त उपयुक्त अधिकारों के अनुसार प्रतिबंध लगाता है। भारत सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 13(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और कारोबार) नियम, 1957 भी तैयार किए हैं। यद्यपि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 केन्द्रीय अधिनियम है फिर भी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर वसूलती हैं और प्रतिफल का विनियोग करती हैं।

केन्द्रीय बिक्री कर उद्गम आधारित, गैर छूट आधारित होने के कारण वैट की अवधारणा के अनुरूप है जो कि गंतव्य आधारित है। अतएव कर सुधार प्रक्रिया को जारी रखने के उद्देश्य से 31.3.2010 तक (अर्थात् माल एवं सेवा कर को लागू करने के लिए नियत तारीख से पहले) केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की पद्धति पर राज्यों के गहन विचार विमर्श के बाद सहमति हो गई थी। तदनुसार 1.4.2007 से केन्द्रीय बिक्री कर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है और 1 जून, 2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए एक पैकेज पर सहमति हो गई है तथा राज्यों को राजस्व वृद्धि उपायों व बजट सहायता के सम्मिलित उपायों के साथ प्रतिपूर्ति की जा रही है। इस कर सुधार प्रक्रिया के भाग के रूप में, 'फार्म घ' के विरुद्ध रियायती केन्द्रीय विक्रय कर दरों पर सरकारी विभागों द्वारा अंतरराज्यीय बिक्री की सुविधा को 1.4.2007 से वापस ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त, तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों जिनके लिए अधिकार प्राप्त समिति बाद में 12.5 प्रतिशत की वैट दर पर सहमत हो गई है उन पर वैट उदग्रहण के लिए राज्यों के लिए समर्थकारी प्रावधान बनाए गए हैं। अतः इस मद को वैट प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया है। केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली हानि के लिए प्रतिपूर्ति के बजटीय सहायता घटक के रूप में 31 मार्च, 2009 तक केन्द्र सरकार ने राज्यों को 4118.88 करोड़ रुपये राज्यों को होने वाली शेष हानि की प्रतिपूर्ति के लिए और जारी किए हैं।

9.3 बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क(ए ई डी)

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यों के साथ कर किराया व्यवस्था के भाग के रूप में चीनी और वस्त्रों पर बिक्री कर के एवज में अब अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। यह कर किराया व्यवस्था राज्यों के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क मदों पर बिक्री कर/वैट लगाने के संविधानात्मक अधिकारों को नहीं छीनती, तथापि, वर्तमान में, राज्य अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की मदों पर बिक्री कर/वैट लगाने के अपने अधिकार को छोड़ने के एवज में विभाजन योग्य पूल का एक प्रतिशत का हिस्सा प्राप्त करते हैं जो कि राज्य अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की मदों पर बिक्री कर/वैट लगाने पर खो देते हैं। एक प्रतिशत भाग का आबंटन बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और यह अंतरण संविधान (राजस्व का वितरण) संख्या 5 आदेश, 2005 के तहत होता है।

अप्रत्यक्ष कर सुधारों की चलने वाली प्रक्रिया के भाग के रूप में, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना उचित समझा गया था। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ सहमति के बाद, तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 01.04.2007 से समाप्त कर दिया गया है ताकि इसे वैट योजना में लाया जा सके। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ परामर्श के साथ भी वस्त्रों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त करने के प्रयास किए गए हैं।

9.4 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का2) एक राजकोषीय कानून है

जिसके तहत लेन-देन अभिलिखित करने वाले प्रपत्रों का स्टाम्प के रूप में कर लगाने संबंधी कानून निर्धारित किए गए हैं। संविधान के अंतर्गत उपबंधित की गई स्टाम्प शुल्क संबंधी योजना के विवरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-

- अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संविधान के सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को (अर्थात्, विनियम बिलों, चेकों, वचन-पत्रों, लदान पत्रों, साख पत्रों, इश्योरेंस पालिसियों, शेयरों, डिबेंचरों, प्राक्सियों के हस्तांतरणों एवं रसीदों) पर स्टाम्प शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, परन्तु अनुच्छेद 268 के अनुसार प्रत्येक राज्य, जहां यह लगाया जाता है (केवल संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर जिनके मामले में इससे होने वाली आय भारत की समेकित निधि का हिस्सा होती है), वहीं इसकी वसूली की जाती है और इससे होने वाली आय को अपने पास रखता है। वर्तमान में यह शुल्क, चेकों को छोड़कर, इन सभी दस्तावेजों पर लगाया जा रहा है ;
- ऊपर दिये गये दस्तावेजों को छोड़कर अन्य दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क, संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 63 की वजह से, राज्यों द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है।
- शुल्क की दर से संबंधित प्रावधान जो अन्य सभी प्रावधान सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 44 के तहत संघ और राज्यों, दोनों के विधायी अधिकार में आते हैं।

स्टाम्प शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, परन्तु संघशासित क्षेत्रों में इसकी वसूली को छोड़कर राज्यों के भीतर इसकी वसूली व विनियोजन संबंधित राज्यों द्वारा ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 268 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। उपरोक्त संविधानिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को केन्द्रीय अथवा राज्य लिखित/प्रपत्रों पर देय शुल्क को, चाहे वह भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से हो, घटाने या छूट देने के लिए प्राधिकृत करता है, जैसा भी मामला हो।

यह निर्णय लिया गया था कि संघ सूची की प्रविष्टि-91 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रपत्र होने के कारण दो प्रपत्रों, अर्थात् डिबेंचरों तथा वचनपत्रों पर स्टाम्प शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाया जाए। डिबेंचरों व वचनपत्रों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरों को अधिसूचित करते हुए भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा 9 (1) (क) के अंतर्गत दिनांक 12.9.2008 के सा.आ. 2189(अ) द्वारा आवश्यक स्टाम्प आदेश जारी कर दिया गया है।

स्टाम्प शुल्क संबंधी सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिभूतियों के लिए एक सही पैर भारतीय बाजार सृजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ कार्य करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति से अनुरोध किया गया था जिससे बाजार का आधार बढेगा और राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होगी।

माल एवं सेवा कर (जी एस टी)

दोहरे कराधान और कर निरंतरता से बचने के लिए तथा परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमारे उत्पादों के लिए समान अवसर तथा बाजार प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय/राज्य कराधान में माल एवं सेवा कर को लागू करना सुधारों का तार्किक विस्तार है। माल एवं सेवा कर को लागू करने की प्रक्रिया राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति, जिसको सौंपे गए कार्यों का मूल संकल्प में दिनांक 4 मई, 2007 के फा.सं. 31/78/2000-एस.टी.के तहत संशोधन द्वारा विस्तार किया गया है, के सहयोग से शुरू हुई है, ताकि अधिकार प्राप्त समिति 1 अप्रैल, 2010 से देश में माल एवं सेवा कर(जी.एस.टी.) लागू करने एवं उससे संबंधित मामलों से निपटने के लिए मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ काम करने में समर्थ हो सकें।

अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 10 मई, 2007 के सं0 15/45/ई0सी0/जी0एस0टी0/2007/190 द्वारा एक संयुक्त कार्यदल स्थापित किया है जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के सरकारी अधिकारी हैं। कार्यदल ने क्षेत्रीय दौरो सहित जी0एस0टी0 के विभिन्न मॉडलों एवं इस विषय पर उपलब्ध अन्य संगत सामग्री का अध्ययन का कार्य शुरू किया है। दल ने वैकल्पिक मॉडलों की पहचान तथा भारत के राजकोषीय संघीय संदर्भ में माल एवं सेवा कर को लागू करने की उनकी उपयुक्तता के निर्धारण का कार्य भी किया है। संयुक्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट अधिकार प्राप्त समिति को 19 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत कर दी है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा इसकी जांच कर ली गई है तथा 'भारत में माल एवं सेवा कर हेतु मॉडल एवं मार्गदर्शन' पर उनके विचार वित्त मंत्रालय को 30.4.2008 को सूचित किए गए हैं।

मंत्रालय में कर अनुसंधान एकक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सेवा कर आयुक्त एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त से परामर्श सहित, अधिकार प्राप्त समिति के विचारों पर गहराई से विचार किया गया। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की समेकित प्रारम्भिक टिप्पणी दिनांक 8.10.2008 को अधिकार प्राप्त समिति को भेजी गई थी। दिनांक 22.10.2008 को भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के साथ हुई एक बैठक में संबंधित विषयों पर विचार विमर्श के बाद अधिकार प्राप्त समिति को भारत सरकार की संशोधित टिप्पणी से अवगत कराया गया था ताकि माल एवं सेवा कर की रूपरेखा को सरल एवं कारगर बनाने में मदद मिल सके तथा उसे और विस्तार से तैयार कराया जा सके।

10. भारत-वित्त आसूचना एकक (भारत - वि0आ0ए0)

पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने भारत-वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू-इंड) की स्थापना 18 नवम्बर, 2004 के आदेश के तहत एक केन्द्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में की, जिसका कार्य संदेहास्पद वित्तीय संयवहारों के बारे में सूचना प्राप्त करना, उन्हें संसाधित करना, उनका विश्लेषण करना तथा प्रवर्तन/आसूचना एजेंसियों को प्रसारित करना है। भारत- वित्त आसूचना एकक एक बहुविषयक निकाय है जिसमें 43 कर्मिकों के स्वीकृत पद हैं। निदेशक, भारत- वित्त आसूचना एकक के प्रमुख हैं जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी हैं।

भारत-वित्त आसूचना एकक का कार्य:

भारत - वित्त आसूचना एकक का मुख्य कार्य वित्तीय सेक्टर में विभिन्न तत्वों से धन एवं संदेहास्पद संयवहारों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना और जिस सूचना पर वह ठीक समझें, उस पर कार्यवाई करने के लिए उसे विदेशी वित्त आसूचना एककों सहित कानून लागू करने वाली एवं जाँच एजेंसियों को सूचित करना है।

भारत-वित्त आसूचना एकक को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) प्रत्येक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थानों एवं प्रतिभूति बाजार के मध्यवर्तियों को यह बाध्य करता है कि वे निम्नलिखित सूचनाएं एफ आई यू-इंड को दें-

- (1) दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के या इसके समकक्ष विदेशी मुद्रा में सभी नकदी लेन-देन;
- (2) दस लाख रुपए से कम मूल्य या इसके समकक्ष विदेशी मुद्रा में ऐसे सभी नकदी लेन-देन की श्रृंखला के मामले, जो समग्र रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, और जहां यह लेन-देन का सिलसिला एक माह के भीतर हुआ हो।
- (3) ऐसे सभी नकदी लेन-देन जहाँ नकली या जाली करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में प्रयोग किया गया हो या जहां लेन-देन के लिए किसी जाली मूल्यवान प्रतिभूति या दस्तावेज का प्रयोग किया गया हो।

- (4) सभी संदेहास्पद लेन-देन चाहे वे नकद किये गये हों या नहीं।

भारत-वित्त आसूचना एकक के परिचालन संबंधी स्थिति

भारत-वित्त आसूचना एकक के प्रथम निदेशक की नियुक्ति मार्च, 2005 में की गई थी तथा पांच अधिकारियों की स्थायी टीम ने नवम्बर, 2005 में कार्यभार ग्रहण किया था। वित्त आसूचना एकक के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 32 है। भारत-वित्त आसूचना एकक द्वारा किये जा रहे कार्यों की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :-

- 1) भारत-वित्त आसूचना एकक को रिपोर्टिंग हस्तियों, नामतः बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों तथा मध्यवर्तियों से नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सी टी आर) व संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट (एस टी आर) प्राप्त हो रही हैं। बैंकों द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉनिक रूप से नकदी लेन-देन रिपोर्टों में डॉटा की गुणवत्ता संबंधी कमियों का पता करने के लिए भारत-वित्त आसूचना एकक ने एक डॉटा सत्यापन सेवा (डॉटा वैलीडेशन यूटिलिटी) का विकास किया है। कमियों की पहचान की जाती है और रिपोर्टिंग तत्वों को इन कमियों से अवगत कराया जाता है। इससे रिपोर्टों की गुणवत्ता बढ़ी है। 31.03.2009 तक भारत-वित्त आसूचना एकक में 11 लाख से अधिक नकदी लेन-देन रिपोर्टें और 7000 से अधिक संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।
- 2) विभिन्न रिपोर्टिंग हस्तियों से प्राप्त संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है और उचित मामलों में सूचना घरेलू आसूचना एवं प्रवर्तन एजेंसियों को दी गई हैं। 31.03.2009 तक 3800 मामलों में भारत-वित्त आसूचना एकक ने आसूचना एवं कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सूचना दी है। इस कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में इन एजेंसियों से प्राप्त प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक है।
- 3) भारत वित्त आसूचना एकक ने "धन शोधन एवं संबंधित अपराध से लड़ने के लिए मूल्यवान वित्तीय सूचना संग्रहित, विश्लेषित एवं प्रचारित करने के लिए उद्योग की उत्तम प्रयासों एवं उपयुक्त तकनीकी को अपनाने" के उद्देश्य से फिन-नेट वित्त आसूचना नेटवर्क परियोजना शुरू की है। परियोजना में दो चरण होंगे, अर्थात् चरण-रू - परामर्शी रिपोर्ट को तैयार करना, एवं चरण-रू - परामर्शी रिपोर्ट का कार्यान्वयन। परियोजना के प्रथम चरण का कार्य मैसर्स अर्नस एंड यंग को सौंपा गया था, जिन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है तथा दिनांक 30.11.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। परियोजना-II के लिए प्रणाली इंटीग्रेटर की नियुक्ति का प्रस्ताव (आर. एफ. पी.) जारी किया गया है।
- 4) भारत-वित्त आसूचना एकक ने अपनी वेबसाइट विकसित करके डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. एफ आई यू इंडिया.गोव.इन. पर प्रस्तुत की है। वेबसाइट में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002, रिपोर्टिंग तत्वों की बाध्यताएं, नियत किये अपराध, अधिसूचनाएं एवं प्रकाशन तथा संबद्ध खंडों के बीच संपर्क के संबंध में जानकारी दी गई है। वेबसाइट को धनशोधन से संबंधित सभी मामलों में एक विस्तृत साइट बनाने के लिए इसमें सभी संबंधित अधिनियमों, संबंधित साइटों, डाउनलोडस के बारे में जानकारी तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों व परिभाषाओं को शामिल किया गया है।
- 5) भारत-वित्त आसूचना एकक को रिपोर्ट किये जाने वाले मामलों व

धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए) के अंतर्गत बाध्यताओं के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए विनियमकों एवं उद्योग सहयोगियों द्वारा रिपोर्टिंग तत्वों के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई विभिन्न कायशालाओं के लिए भारत-वित्त आसूचना एकक ने संकाय सहयोग प्रदान कर अपना समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

- 6) भारत-वित्त आसूचना एकक - जून, 2007 में वित्त आसूचना एककों में परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एगमोंट ग्रुप का सदस्य बना है। भारत-वित्त आसूचना एकक ने अपने प्रतिपक्षी वित्त आसूचना एककों से जानकारी का आदान-प्रदान आरंभ कर दिया है।

11. एकीकृत वित्त प्रभाग

राजस्व विभाग का एकीकृत वित्त प्रभाग संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त) के सीधे पर्यवेक्षण में है। इसकी तीन यूनिटें, राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदानों संबंधी बजट, अर्थ प्रबंधन तथा व्यय प्रबंधन का कार्य करती हैं। निदेशक (वित्त), राजस्व/उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग तथा निदेशक (वित्त) प्रत्यक्ष कर/व्यय विभाग, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की सहायता करते हैं।

एकीकृत वित्त प्रभाग (आई एफ यू) द्वारा किये गये कार्यकलाप:

एकीकृत वित्त प्रभाग की तीनों यूनिटें बजट बनाने, आवंटन, व्यय मॉनिटरिंग, नियंत्रण, अर्थव्यवस्था लागू करना, क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे व्यय प्रस्तावों की संवीक्षा एवं मंजूरी के संबंध में राजस्व विभाग के अंतर्गत उन सभी कार्यालयों को सेवाएं प्रदान करती हैं जिनमें अन्यो के साथ-साथ राजस्व मुख्यालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, स्वापक नियंत्रण प्रभाग, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, मुख्य नियंत्रक फैक्टरी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक/(वि0आ10ए0 भा0), प्रवर्तन निदेशालय, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपील अधिकरण, समझौता आयोग(आई टी/डब्ल्यू टी), अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, आयकर लोकपाल, राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संवर्धन समिति, आयकर (प्रणाली) महानिदेशालय, आयकर (विधिक व अनुसंधान) महानिदेशालय, आयकर (ओ एंड एम सर्विसेज) महानिदेशालय, आयकर (अवसंरचना) महानिदेशालय, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी सहित आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं।

व्यय एवं वित्तीय प्रस्तावों के विवरण जिनकी संवीक्षा की गई व मंजूर किये गये:

- (क) राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और इसके संबद्ध कार्यालयों के लिए पदों का सृजन एवं जारी रखना, रिहायशी आवासों के साथ-साथ कार्यालयों का विनिर्माण/क्रय/किराये पर लेना।
- (ख) तस्करीरोधी उपकरणों जैसे स्कैनर व जलयान प्राप्त करने सहित सामान व सेवाएं उपलब्ध करना।
- (ग) विभाग तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव।

- (घ) पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संघटक एककों के कार्मिकों की पुनः तैनाती।

- (ड.) राजस्व विभाग तथा सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठन एवं आयकर संगठन और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण।

- (च) वैट लागू करने के लिए तथा वैट लागू करने के कारण राज्यों को राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यों का कम्प्यूटरीकरण?

- (छ) केन्द्रीय सेवा कर समाप्त किये जाने के कारण राज्यों को हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति।

- (ज) सरकारी अफीम एवं ऐलकेलाइड वर्क्स (जी ओ ए डब्ल्यू) के कार्यों की देखभाल करने वाली राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रबंधन समिति से प्राप्त प्रस्ताव।

- (झ) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति तथा केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड को सहायता अनुदान।

- (ञ) स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की व्यापक कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित योजनेतर व्यय समिति (सी एन ई) एवं आर्थिक कार्यों के लिए मंत्रिमंडल समिति (सी सी इ ए) से प्राप्त प्रस्ताव एवं तीनों विभागों के लिए कार्यालय/आवासीय परिसरों के निर्माण एवं निर्मित कार्यालय/आवासीय भवनों के लिए पूंजीगत व्यय संबंधी प्रस्ताव।

- (ट) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि एवं विशेष उपकरण निधि के लिए वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए लॉजिस्टिक्स निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव। विभागीय अधिकारियों के लिए मनोरंजन/खेलकूद क्लब, जिम्नेसियम्स, विभागीय केन्टीन, विभागीय अधिकारियों के बच्चों के लिए क्रेच, अतिथि गृह स्थापित करने/उन्हें पुनः सजाने के संबंध में मानकों के संशोधन को अंतिम रूप दिया गया। बालिकाओं को विशेष महत्व देते हुए और 'श' वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों, मेधावी बच्चों के लिए नकद पुरस्कार योजना के स्कोप को संशोधित किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के बहुत से बच्चों को लाभ मिला।

- (ठ) अवसंरचना निदेशालय, के0प्र0क0बो0 से मुंबई और दिल्ली में बड़ी कर देने वाली इकाइयों (एल0 टी0 यू0) की स्थापना, आयकर विभाग के लिए कार्यालयों/रिहायशी भवनों की खरीद/विनिर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए।

- (ड) व्यय विभाग/वित्त मंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के लिए 1 प्रतिशत वृद्धिशील राजस्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बजट प्रावधानों का उपयोग करने के लिए के0प्र0क0बोर्ड/के0उ0शु0सी0 बोर्ड द्वारा प्रस्तावित स्कीमों की जाँच की गई।

- (ढ) वित्तीय नियमों में छूट/व्यावस्था संबंधी प्रस्ताव तथा ऐसे सभी प्रस्ताव जिन्हें विचारार्थ व्यय विभाग को भेजना अपेक्षित है।

राजस्व विभाग का व्यय बजट/कर भिन्न राजस्व प्राप्ति, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों का वर्ष 2008-09 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2009-10 का बजट अनुमान तैयार किया गया, सचिव (व्यय) के

तालिका 3.40

राजस्व विभाग का व्यय बजट/ गैर कर राजस्व प्राप्तियां

अनुदान	अनुदान सं०	2008-09			2009-10	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		बजट अनुमान	
राजस्व विभाग	41	6197.82	6721.67		9647.87	
प्रत्यक्ष कर	42	1975.00	2517.63		3502.00	
अप्रत्यक्ष कर	43	2121.00	2962.00		3385.00	

साथ इन पर विचार विमर्श किया गया तथा निम्न प्रकार से अंतिम रूप तालिका 3.40 पर दी गई है।

एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा 2008-09 के दौरान उठाये गये कदम/की गई पहल:-

- (1) बजट प्रभाग द्वारा यथा परिकल्पित मासिक व्यय योजना (एम ई पी) एवं त्रैमासिक व्यय हेतु आवंटनों (क्यू ई ए) के अनुसार नकद प्रबंध योजना का कार्यान्वयन।
- (2) बजटीय आवंटनों एवं मासिक व्यय योजना (एम ई पी)/त्रैमासिक व्यय हेतु आवंटनों की तुलना में मासिक व तिमाही व्यय की समीक्षा करना, तथा त्रैमासिक डी ओ के माध्यम से राजस्व सचिव एवं व्यय सचिव को रिपोर्ट करना।
- (3) व्यय विभाग द्वारा जारी किये गये किफायत संबंधी अनुदेशों के अनुरूप खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए व्यय करने वाली प्राधिकारियों को परामर्श देना तथा किये गये खर्च की आवधिक समीक्षा द्वारा खर्च में किफायत के अनुदेशों को लागू करना।
- (4) परिणामी बजट को तैयार करना व इसकी समीक्षा, तथा वैट स्कीम लागू करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं व वैट/केन्द्रीय सेवा कर (सी एस टी) लागू करने से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के संबंध में लक्ष्यों व बजटीय आवंटन के संदर्भ में उत्पादों व परिणामों की मॉनिटरिंग की गई, कर संबंधी सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (वैट/केन्द्रीय) स्थापित करना, सरकारी अफीम एवं एल्कालायड वर्क्स, आयकर विभाग का व्यापक कम्प्यूटरीकरण, आवासीय एवं कार्यालय हेतु स्थान का अभिग्रहण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ई-प्रशासन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना, समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए जहाजों और बेड़े प्राप्त करना और तस्करी रोधी उपकरण प्राप्त करना।
- (5) 2006-07 के वित्तीय वर्ष में विभागाध्यक्षों को जारी संशोधित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के क्रम में, आगे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित राजस्व विभागों के प्रमुखों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों की समीक्षा पर भी विचार किया गया, तथा वित्तीय शक्तियों का संशोधित प्रत्यायोजन जारी किया गया। प्रबंध समिति को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों की भी समीक्षा की गई और उन्हें जारी किया गया।
- (6) विचार के वर्तमान स्तरों की समीक्षा तथा व्यय प्रस्तावों को स्वीकृति तथा प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना।
- (7) प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों हेतु अनुदानों के व्यय बजट के प्रबंधन के लिए क्रमशः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा राजस्व मुख्यालय में नोडल प्राधिकारियों की नियुक्ति।
- (8) माननीय प्रधान मंत्री और व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुक्रम में विदेश यात्रा और घरेलू यात्रा सहित विभिन्न योजनेतर मदों पर होने वाले व्यय में 5-10S कटौती लागू करने संबंधी विस्तृत अनुदेश।
- (9) सभी संघटक एककों को ई-प्रापण लागू करने के लिए अनुदेश।

इसके अतिरिक्त, अग्रिमों, जैसे गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, कम्प्यूटर अग्रिम आदि से संबंधित बजट का आवंटन एवं मॉनिटरिंग भी की गई।

एकीकृत वित्त प्रभाग महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों की स्कीमों को तैयार करने की प्रारंभिक अवस्था से उन पर नजर रखता है तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, ड्राफ्ट लेखा परीक्षा पैरों, पी ए सी/स्थायी समिति की रिपोर्टों के निपटान पर भी नजर रखता है।

12. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजस्व विभाग के अंतर्गत एक पूर्ण राजभाषा प्रभाग है जिसे भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। इस प्रभाग के प्रमुख, निदेशक (राजभाषा) हैं और यह चार हिन्दी अनुभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक अनुभाग का प्रमुख एक सहायक निदेशक होता है और दो उप निदेशक इनका पर्यवेक्षण करते हैं। यह प्रभाग संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं अनुदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है। विभाग का अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी का सम्पूर्ण अनुवाद कार्य भी राजभाषा प्रभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

राजस्व विभाग राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत 12 अनुभागों को अपना सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान राजभाषा प्रभाग का निष्पादन:-

- (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत सभी दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए गए;
- (ख) सभी राजपत्रित अधिसूचनाएं, संसदीय प्रश्नों के उत्तर और आश्वासन द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराए गए;
- (ग) मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों और मासिक सारांश का हिन्दी अनुवाद

किया गया है और उन्हें द्विभाषी रूप से उपलब्ध कराया गया; और

(घ) दोहरे कराधान को रोकने के लिए अनेक देशों के साथ किए गए करारों का भी हिन्दी अनुवाद किया गया।

हिन्दी सलाहकार समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:-

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित अन्तराल पर आयोजित की गईं। इन बैठकों में संघ की राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु किये जाने वाले उपायों पर सदस्यों ने विचार विमर्श किया। इस विभाग के एक प्रतिनिधि ने दिल्ली स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी भाग लिया।

फरवरी, 2008 में विनिवेश विभाग को राजस्व विभाग, व्यय विभाग तथा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति बैठक में शामिल किया गया तथा वर्तमान समिति का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् अप्रैल 2009 तक बढ़ाया गया। तत्पश्चात्, 30 जुलाई, 2008 को वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग एवं बीमा) की अध्यक्षता में संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

इस विभाग के एक प्रतिनिधि ने सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी भाग लिया तथा इन बैठकों में लिए गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्यवाई की गई।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण:-

विभाग में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का जायज़ा लेने के लिए हिन्दी प्रभाग के अधिकारियों द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 9 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और इन कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के 19 कार्यालयों का निरीक्षण किया तथा संबंधित कार्यालयों द्वारा अपने रोजमर्रा के कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग हेतु उनसे प्राप्त बहुमूल्य सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई की।

हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा:-

हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, मंत्रिमंडल सचिव तथा अपर सचिव (राजस्व) महोदय की ओर से अपीलें जारी की गईं जिनमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपना दिन प्रतिदिन का सरकारी कामकाज अधिकाधिक हिन्दी में करने का आग्रह किया गया।

14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी टिप्पणी एवं मसौदा आलेखन, निबंध लेखन, आशु कविता, आशु भाषण, प्रश्नमंच, हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता, समूह "घ" कर्मचारियों के लिए हिन्दी श्रुतलेख जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को 5000/-रु० (प्रथम पुरस्कार), 3000/-रु० (द्वितीय पुरस्कार) एवं 2000/-रु० (तृतीय पुरस्कार) तथा 1000/- रुपये के तीन प्रोत्साहन पुरस्कार नकद दिए गये।

प्रोत्साहन योजनाएं

राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत टिप्पणी और मसौदा

आलेखन और अन्य सरकारी कार्य हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को 1000/-रु०, 600/-रु० एवं 300/-रु० के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

हिन्दी में सृजनात्मक और मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए, विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, स्वापक पदार्थ तथा सेवाकर जैसे विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं समीक्षा के लिए दो प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गई हैं। इन योजनाओं में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। प्रत्येक वर्ग (अर्थात् हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन तथा समीक्षा) में विजेताओं के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं।

प्रशिक्षण

वर्ष 2008-09 के दौरान, 27 अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों/सहायकों तथा 17 आशुलिपिकों को क्रमशः हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि के लिए नामित किया गया।

13. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय समिति

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी०एन० भगवती की अध्यक्षता में वर्ष 1992 के आरंभ में गठित समिति केन्द्रीय सरकार को खेल, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी परियोजनाओं को आयकर अधिनियम की धारा 35 क ग के अंतर्गत अधिसूचना हेतु सिफारिश करती है। अनुमोदित परियोजनाओं के लिए दान के माध्यम से धन पोषण होता है जिस पर दानकर्ता आयकर कानून के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर छूट के लिए पात्र हैं।

राष्ट्रीय समिति तीन वर्षों की अवधि के लिए गठित की जाती है और इसमें कुल 14 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य 13 सदस्य विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से लोक महत्व के होते हैं। इसके सचिवालय में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (1) सचिव (राष्ट्रीय समिति)
- (2) उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)
- (3) अनुभाग अधिकारी

वर्तमान समिति का गठन 01 फरवरी, 2008 को हुआ था। समिति के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

- | | |
|---|-----------|
| 1. न्यायमूर्ति श्री एस०पी०भारूच (अध्यक्ष) | मुम्बई |
| 2. प्रोफेसर (सुश्री) साबरा हबीब | लखनऊ |
| 3. प्रोफेसर माग्रेट च० ज़ामा कोलकाता | |
| 4. सुश्री ओतया हबीब क़िदवई | नई दिल्ली |
| 5. डा० जगदीश कृष्ण स्वामी | बंगलौर |
| 6. श्रीमती वीणा सिंह | नई दिल्ली |
| 7. श्री एल डी शर्मा | राजस्थान |
| 8. डा० कांचना कमलनाथन | तमिलनाडू |

9. डा0 ए0 एम0 अरुण मुरुगैया	तिरुचिरापल्ली
10. डा0 जे0 प्रभाकर रेड्डी	हैदराबाद
11. श्री अजीत पाल सिंह	नई दिल्ली
12. डा0 भागीरथ प्रसाद	इंदौर
13. डा0 मोहम्मद अब्बास अली	हैदराबाद
14. श्री मौरिस सबैसटियन	अहमदाबाद

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान पाँच कारोबार बैठकें आयोजित हुईं, जिसमें 689 आवेदनों पर विचार किया गया और 249 मामले अनुमोदित किये गये थे।

14. सम्पत्ति अपील अधिकरण

सम्पत्ति अपील अधिकरण (ए0टी0एफ0पी0) की स्थापना तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (सफेमा) के अंतर्गत हुई थी। इसने दिनांक 03.01.1977 से कार्य करना आरम्भ किया। तत्पश्चात, अधिकरण का गठन स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस.) के तहत वर्ष 1989 में संशोधन के पश्चात अपील अधिकरण के रूप में किया गया।

अधिकरण में एक अध्यक्ष (जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश हों या रह चुके हैं) और दो सदस्य (जो सामान्यतः भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के होते हैं) होते हैं। यह अधिकरण दिल्ली में स्थित है तथा इसकी अन्यत्र कोई पीठ नहीं है। तथापि, अधिकरण उपयुक्त अधिनियमों के उपबंधों के तहत लोगों के आवास के निकट न्याय प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न जगहों में शिविर बैठकें आयोजित करता है।

अधिकरण, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अथवा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दोषी अथवा कोफेपोसा, 1974 अथवा पी0आई0टी0एन0डी0एस0 अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों और अपने संबंधियों और सहयोगियों के नामों में ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित सम्पत्तियों के समपहरण के लिए और एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों को रोकने अथवा जब्ती के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों द्वारा पारित किए गए अन्य आदेशों अथवा दायर किए गए संबंधित मामलों और समपहरण अपीलों की सुनवाई करता है।

अपीलों और याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा गठित कम से कम दो सदस्यों की बनी पीठों द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2008 की अवधि के दौरान सफेमा के अधीन 46 अपीलों और 64 विविध याचिकाएं एवं स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन 93 अपीलों और 48 विविध याचिकाएं दर्ज की गईं। इस अवधि के दौरान 81 अपीलों एवं 64 विविध याचिकाओं का निपटान किया गया।

15 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के तहत सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए एक स्वतंत्र मंच उपलब्ध कराने के लिए सीमा शुल्क, उत्पाद

शुल्क एवं सेवा कर, अपील अधिकरण (पूर्व में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण) का सृजन किया गया था। स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 अब निरस्त कर दिया गया है। अब सेवा कर अपीलों को शामिल कर लिया गया है। प्रतिपाटन मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी अधिकरण के पास है और अध्यक्ष, सीस्टेट की अध्यक्षता में एक विशेष पीठ, वाणिज्य मंत्रालय में पदनामित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों सुनता है। अधिकरण का मुख्यालय व प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है और इसकी अन्य क्षेत्रीय पीठें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर एवं अहमदाबाद में स्थित हैं। प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होता है। दस लाख रुपए तक के वित्तीय दावे वाले छोटे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक एकल सदस्य वाली पीठ का गठन किया गया है। यह अधिकरण, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधी मामलों में अपीलीय प्राधिकरण है। अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाती है।

वित्त अधिनियम, 1995 के द्वारा संशोधन के परिणामस्वरूप, विशेष पीठों और अन्य पीठों के बीच के भेद को समाप्त कर दिया गया था और अब दो या इससे अधिक सदस्यों वाली कोई भी पीठ, प्रतिपाटन के मामलों को छोड़कर, उन सभी मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम है जिनकी सुनवाई पहले दिल्ली में की जा रही थी।

अधिकरण के प्रमुख माननीय अध्यक्ष हैं। इसमें दो पद उपाध्यक्ष के हैं तथा 18 पद सदस्य (न्यायिक) एवं सदस्य (तकनीकी) के हैं।

सदस्यों व अपेक्षित स्टाफ की रिक्तियों सहित कई बाध्यताओं के बावजूद, अपीलों के निपटान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दाखिल की गई और निपटाई गई अपीलों को दर्शाते हुए एक तुलनात्मक तालिका निम्न प्रकार है :-

वर्ष	दाखिल की गई अपीलों
निपटाई गई अपीलों	19,088
जनवरी, 2008 से मार्च, 2009 तक	15,757

16. आयकर समझौता आयोग

आयकर समझौता आयोग (आयकर/धनकर) का गठन प्रत्यक्ष कर जांच समिति (जो वांगचू समिति के नाम से प्रचलित है) की सिफारिश पर किया गया तथा इसे 1976 में स्थापित किया गया। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है तथा आयोग के संगठन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा निकाय उपलब्ध कराना है जिसमें सत्यनिष्ठा एवं उत्कर्ष योग्यता वाले व्यक्ति हों, जिन्हें व्यापक कर देयता के निपटान के लिए प्रत्यक्ष करों व व्यवसायिक खातों का विशेष ज्ञान हो व उनसे संबंधित समस्याओं का अनुभव हो। मामलों के निपटान संबंधी प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय में दिए गए हैं।

आयोग की चार न्यायपीठें हैं जो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता व मुंबई में स्थित हैं। दिल्ली में स्थित न्यायपीठ प्रधान न्यायपीठ है। अन्य न्यायपीठें अतिरिक्त न्यायपीठ कहलाती हैं। आयोग का कार्य है निपटान के लिए प्राप्त आवेदनों पर, आवेदक व विभाग दोनों की सुनवाई का अवसर प्रदान करके, न्याय सम्मत एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निर्णय लेना।

आयकर समझौता आयोग में निपटान के लिए लंबित व निपटाये गये आवेदनों के समेकित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों की सं०	35
31.3.2009 को ग्रहण के लिए लंबित मामलों की संख्या	15
आयकर अधिनियम की धारा 245घ (4) के अंतर्गत निपटाए गए मामलों की सं० (इसमें 1.4.2008 से पहले लंबित मामले भी शामिल हैं)	244
31.3.2009 को लंबित मामलों की सं०	1295

17. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग

संगठन के कार्य और प्रकार्य

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32 के अन्तर्गत दिनांक 9.6.99 की अधिसूचना सं० 40/99-सी०एक्स (एन०टी०) और 41/99-सी०एक्स (एन०टी०) के द्वारा सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग का गठन किया है। आयोग में नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ है जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं और चैन्नई, मुम्बई और कोलकाता में तीन अतिरिक्त पीठें हैं जिनकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं व प्रत्येक पीठ में 2 सदस्य होते हैं। आयोग में अधिकारियों/ कर्मचारियों की वर्तमान संस्वीकृति संख्या 118 है - नई दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में प्रत्येक के लिए 30 तथा चैन्नई पीठ के लिए 28। आयोग राजस्व विभाग में वित्त मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

समझौता आयोग की स्थापना का मूल उद्देश्य महंगी व समय लेने वाली मुकदमों की प्रक्रिया को टालते हुए विवादों में संलिप्त सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क का शीघ्र भुगतान कराना है, और उन करदाताओं, जिन्होंने शुल्क के भुगतान का अपवंचन किया है को अपवंचन कबूल करने के लिए एक अवसर देना है। इसलिए समझौता आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है जिसमें निष्ठा एवं उत्कृष्ट वाले अनुभवी कर अधिकारियों को लिया गया है, जो व्यापार एवं उद्योग में एक विश्वास को बनाने में सक्षम हो और जिन्हें को परिभाषित करने व सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रकार समझौता आयोग ने कर विवादों को विपरीत दृष्टिकोण के माध्यम से उन्हें लम्बा खींचने के बजाय समझौते की भावना से सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत शीघ्र निपटाने के लिए एक चैनल उपलब्ध कराने हेतु एक अवसर प्रदान किया है। कोई भी निर्धारिती, आयातक या निर्यातक, जो कर विवाद को समझौता आयोग के द्वारा निपटाने का इच्छुक है उसे स्वेच्छा से उसके द्वारा स्वीकृत शुल्क देनदारी का पूर्ण व सत्य प्रकटन करना होगा और इसी क्रम में इसके लिए सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे शास्ति, ब्याज एवं दण्ड से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से छूट प्रदान करने के लिए और उपर्युक्त अधिनियमों तथा केन्द्रीय अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्णतया या आंशिक छूट देने के लिए समझौता आयोग को शक्ति प्राप्त है।

18. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (आयकर)

प्रस्तावना

अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (आयकर) वित्त मंत्रालय के अधीन एक गैर-न्यायिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना आय कर अधिनियम, 1961 के अध्याय १४ ख के उपबंधों के अनुसार 1993 में की गई थी और 1.6.1993 से अतिरिक्त अधिनियम, 1993 में अन्तर्विष्ट किया गया था। यह

प्राधिकरण, निवासी के साथ प्रारंभ किए गए/प्रारंभ किए जाने हेतु प्रस्तावित लेन-देन से संबंधित गैर निवासियों द्वारा उठाए गए कराधान मामलों पर बाध्यकारी निर्णय देता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामले में आवश्यक स्वीकृति दिए जाने के अध्याधीन निर्णय देता है।

यह प्राधिकरण, इसके प्रारंभ होने के साथ ही अत्यन्त सक्रिय रहा है और उद्योगों द्वारा इसकी अधिक मांग की गई है। यह प्राधिकरण मुख्य तौर पर आयकर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों और दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों की व्याख्या करता है। उद्योगों से यह प्रतिपुष्ट हुआ है कि भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि होने के साथ ही निवेशकों के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि वे पहले से ही अपने प्रस्तावित लेन-देनों और जोखिमपूर्ण कार्यों की विवेक्षाओं के संबंध में पता लगाएँ। यह अत्यन्त गर्व का विषय है कि हाल ही में अग्रिम निर्णयों पर अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे जापान में आई एफ ए सम्मेलन और वार्षिक रूप से मुम्बई में आयोजित बी एम ए अन्तर्राष्ट्रीय कर सम्मेलन और अन्य सम्मेलनों में महत्वपूर्ण रूप से विचार विमर्श किया गया है।

संरचनात्मक ढांचा

यह प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसके भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक के दो सदस्य अर्थात् प्रत्येक भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय विधिक सेवा से हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियों वाला एक गैर न्यायिक निकाय है। इस प्राधिकरण की सहायता सचिवालय द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव के रूप में पदनामित आयकर आयुक्त द्वारा की जाती है।

कार्य

अग्रिम निर्णय (आयकर) के लिए प्राधिकरण के रूप में

गैर निवासी अथवा निवासियों की विशेष श्रेणी, जो आयकर से संबंधित अग्रिम निर्णय प्राप्त करने के इच्छुक हैं, लेन-देन से संबंधित तथ्यों तथा उन प्रश्नों पर जिनपर अग्रिम निर्णय चाहिए, को बताते हुए निर्धारित फार्म में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जाँच और पदनामित आयकर आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने एवं संगत रिकार्ड, जहाँ उपलब्ध हैं, की जाँच के पश्चात् प्राधिकरण आवेदन के स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए लिखित रूप में आदेश पारित करता है किन्तु कोई भी आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर प्राप्त न हो जाए। आयुक्त और आवेदक की विस्तार से सुनवाई के पश्चात् संदर्भित मामलों पर निर्णय लिखित रूप में प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित किया जाता है। यह निर्णय कर प्राधिकारियों और आवेदक पर बाध्यकारी है। इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाती। कर कानूनों और भारत और विदेशों के मध्य दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों की विवेचना समेत अधिकतर निर्णय कर पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं।

केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में

अग्रिम निर्णय प्राधिकरण को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के साथ पठित धारा 6 क के अन्तर्गत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में दिनांक 17.3.2005 (जैसा कि दिनांक 7.6.2005 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया है। इसने दिनांक 3.2.2006 की अधिसूचना के तहत 1.3.2006 से केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था।

कार्य-निष्पादन

- (1) प्राधिकरण ने अब तक विधि एवं तथ्यों के जटिल प्रश्नों पर 500 से अधिक मामलों पर निर्णय/आदेश पारित किए हैं जिससे गैर निवासियों को भारत में उनके निवेश कार्यों में सहायता प्राप्त हुई है। प्राधिकरण के समक्ष कई प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं जिनमें आमतौर पर उच्च न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि निर्णय केवल उस आवेदक के मामले में ही बाध्यकारी है जो उच्च शक्ति प्राप्त प्राधिकरण से आ रहे हैं, निर्णय का विश्वासोत्पादक महत्व है और इसी प्रकार के तथ्यों पर किसी अन्य मामले में अनुप्रयोज्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे कानूनी उपबंधों के अनुप्रयोग में एक रूपता लाने और विधि के समक्ष समता को सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है। इन विशेषताओं की अद्वितीयता के कारण भारत में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का स्वागत एक सही दिशा में उठाए गए कदम के रूप में किया गया है।
- (2) प्राधिकरण के इसके प्रारंभ होने से लेकर 31.03.2009 तक कार्यनिष्पादन के संबंध में सूचना तालिका 3.39 पर दी गई है।

इसके अलावा धारा 245 (आर) (2) के अन्तर्गत कई आवेदनों की सुनवाई हुई और आदेश पारित किए गए।

केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 25 (केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन अधिनियम 2005) की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित) में संशोधन को देखते हुए, राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध

दायर की गई अपीलों के अलावा वे सभी अपीलें जो केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लम्बित हैं, को 1 मार्च, 2006 से संबंधित राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया। 1.3.2006 को प्राधिकरण के पास 104 अपीले प्राप्त हुई हैं। 104 अपीलों में से 99 अपीले संबंधित राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकरण को स्थानांतरित की गई थी क्योंकि ये अपीलें राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के प्रति दायर नहीं की गई थी। 1.4.2006 के पश्चात् लम्बित मामलों की स्थिति तालिका 3.42 पर दी गई है।

अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के जरिए विदेशी निवेशकों को उपलब्ध सुविधा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा कई सक्रिय और लाभकारी प्रयास किए गए हैं।

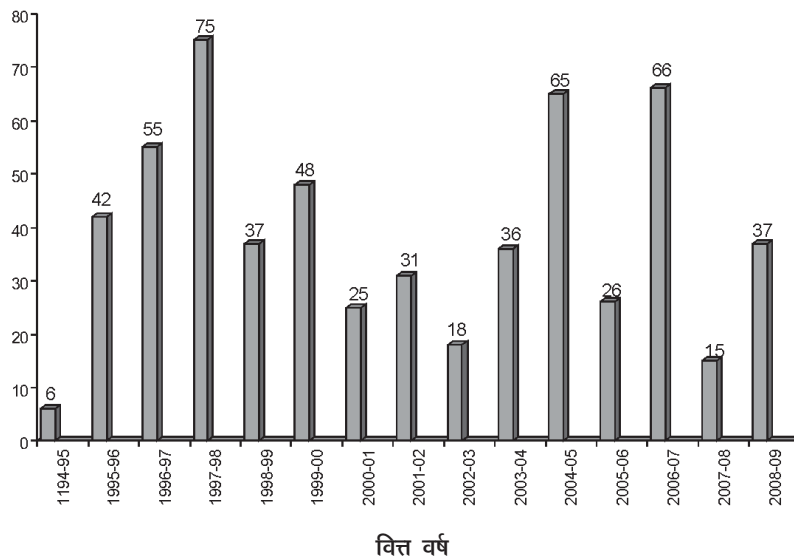
- मंत्रालय की कार्यालय वेबसाइट को संशोधित किया गया है और अद्यतन निर्णयों से इसे नवीनतम किया गया है और अग्रिम निर्णय प्राधिकरण पर पुस्तिका, जो पहले उल्लिखित सभी सम्मेलनों में वितरित की गई थी, के जरिए विभिन्न देशों में इसे सार्वजनिक किया गया है। इससे दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की विवेचना पर निर्णयों के साथ-साथ अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की प्रणाली में काफी रुचि उत्पन्न हुई है।
- अग्रिम निर्णय पर अभी हाल में प्रकाशित हैंड बुक का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। यह पुस्तिका सभी मंचों पर व्यापक रूप से परिचालित की गई है और इसका पूर्णतया स्वागत किया गया है। यह पुस्तिका कार्यालय की कार्यालयी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

तालिका 3.41

प्राधिकरण के इसके प्रारंभ होने से लेकर 31.03.2009 तक कार्यनिष्पादन के संबंध में सूचना

वित्तीय वर्ष	अथ-शेष	प्राप्त आवेदन	कुल	निर्णय	स्पष्टीकरण
1993-94	शून्य	05	05	शून्य	05
1994-95	05	15	20	06	14
1995-96	14	66	80	42	38
1996-97	38	66	104	55	49
1997-98	49	69	118	75	43
1998-99	43	47	90	37	53
1999-2000	53	31	84	48	36
2000-2001	36	39	75	25	50
2001-2002	50	55	105	31	74
2002-2003	74	16	90	18	72
2003-2004	72	26	98	36	62
2004-2005	62	23	85	65	20
2005-2006	20	67	87	26	61
2006-2007	61	22	83	66	17
2007-2008	17	26	43	15	28
2008-2009 (31.3.2009तक)	28	34	62	37	25

निपटान आँकड़े देते हुए एक बार चार्ट नीचे दिया गया है ।



19. अग्रिम निर्णय हेतु प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमाशुल्क एवं सेवा कर)

संगठन के कार्य और कार्य प्रणाली

देश में विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में कुछ कदम उठाए गए हैं। भारत में निवेश जोखिमो से संबंधित सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर मामलों पर पहले से ही बाध्यकारी निर्णय देने के लिए अग्रिम निर्णय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर) प्राधिकरण की स्थापना करना एक ऐसा ही उपाय है। अग्रिम निर्णयों से संबंधित उपबंध वित्त अधिनियम 1999-2003 और 2005 के जरिए संबंधित संविधि में प्रारंभ किए गए हैं। अग्रिम निर्णयों की स्कीम ने एफ डी आई पर अत्यधिक प्रभाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण और विशेष सार्थकता ग्रहण की है। प्राधिकरण के दायरे को विस्तृत करने के लिए किए गए सांविधिक परिवर्तन ही इसका प्रमाण है।

- अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर) एक उच्च स्तरीय गैर-न्यायिक निकाय है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और दो सदस्य (अपर सचिव रैंक के) शामिल हैं जिनका तकनीकी और कानूनी मामलों में व्यापक अनुभव है। वित्तीय वर्ष के दौरान माननीय श्री न्यायाधीश पी.बी.रेड्डी अध्यक्ष और श्रीमती चित्रा साहा और श्री ए. सिन्हा सदस्य बने रहे।

- प्राधिकरण का कार्यालय 4थी मंजिल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में है।

- अग्रिम निर्णय की स्कीम के अन्तर्गत निवेशकों की निम्नलिखित श्रेणियाँ अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन करने की पात्र है :-

- (क) कोई गैर निवासी निवेशक जो किसी गैर निवासी अथवा निवासी के सहयोग से भारत में संयुक्त उपक्रम की स्थापना करता है ;
- (ख) कोई भी निवासी जो किसी गैर-निवासी के साथ सहयोग से भारत में संयुक्त उपक्रम स्थापित करता है ;
- (ग) कोई भी पूर्णरूप से स्वामित्व भारतीय कम्पनी जिसकी धारक कम्पनी एक विदेशी कम्पनी है, जो अथवा जिसका, जैसा भी मामला है, भारत में कोई भी व्यवसाय कार्यकलाप प्रारंभ करने का प्रस्ताव करती है।
- (घ) भारत में कोई संयुक्त उपक्रम स्पष्टीकरण - इस परिशिष्ट के प्रयोजनार्थ "भारत में संयुक्त उपक्रम" का अर्थ एक व्यवस्था से है जिसके द्वारा दो अथवा इससे अधिक व्यक्ति कोई आर्थिक कार्यकलाप प्रारंभ करते हैं जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन हो और एक अथवा इससे अधिक सहभागी अथवा सहभागियों अथवा इक्विटी आइडर्स गैर निवासी हैं जिनकी ऐसी व्यवस्था में पर्याप्त रूचि हो।

तालिका 3.42

1.4.2006 के पश्चात् लम्बित मामलो की स्थिति

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्त आवेदन	कुल	निपटान	स्पष्टीकरण
2006-07	5	18	23	3	20
2007-08	20	08	28	08	20
2008-09 (31.3.2009 तक)	20	14	34	14	20

(ड.) व्यक्तियों की कोई भी श्रेणी अथवा वर्ग के अन्तर्गत आने वाला कोई भी निवासी जिसे केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इसे विनिर्दिष्ट करती है।

इस उपबंध के अन्तर्गत भारत गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के मध्य व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता के अन्तर्गत सिंगापुर गणराज्य से सामान के आयात के लिए प्रस्ताव करने वाले निवासी को अधिसूचना सं. 69/2005 सीमाशुल्क (एनटी) 29.7.2005 के तहत आवेदक के रूप में अधिसूचित किया है।

निम्नलिखित प्रश्नों/मामलों के संबंध में अग्रिम निर्णय लिया जा सकता है।

- (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के अन्तर्गत कराधेय सेवाएं (सेवा कर) के अन्तर्गत माल का वर्गीकरण;
- (2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत मूल्यनिर्धारण के सिद्धान्त ;
- (3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं जिनमें शुल्क की दरें हैं; और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय ज के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं की प्रयोज्यता ;
- (4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून (सेनवेट) के अन्तर्गत इनपुट -कर ऋण की ग्राह्यता ;
- (5) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V क के अन्तर्गत सेवा कर के ऋण की ग्राह्यता;
- (6) वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत सेवा कर प्रभारित करने के लिए कराधेय सेवाओं का मूल्यांकन;
- (7) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत अधिसूचित नियमों और इससे संबंधित मामलों के संदर्भ में माल के उद्गम का निर्धारण;

अग्रिम निर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यन्त सरल/कम खर्चीली और पारदर्शी है (प्रत्येक आवेदन के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से केवल 2500/- रुपये जमा किए जाने हैं) निर्णय अत्यन्त शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है क्योंकि प्राधिकरण को सांविधिक रूप से आवेदन के प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर निर्णय देना आवश्यक है। निर्णय, प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने और अन्य स्वीकृत न्यायिक मानदण्डों का अनुसरण करने के पश्चात् घोषित किए जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा घोषित अग्रिम निर्णय माल के निर्धारण और सेवाओं में लगे विभागीय अधिकारियों और आवेदक के लिए बाध्यकारी है जिससे बाद में विवादों और मुकदमेबाजी की संभावनाओं को निकाल दिया जाता है। सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर कानून के अन्तर्गत विभाग द्वारा अथवा आवेदक द्वारा अग्रिम निर्णय अपील योग्य नहीं हैं। अग्रिम निर्णय तब तक मान्य होते हैं जब तक कि कानून अथवा तथ्यों जिनके आधार पर निर्णय घोषित किया गया था, में परिवर्तन न हो।

अग्रिम निर्णय में आवेदक द्वारा प्रारंभ किए जाने/उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित “क्रियाकलाप” के संबंध में शुल्क देयता को पहले से ही सूचित किया जाएगा अर्थात् सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आयात अथवा निर्यात, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत माल का “उत्पादन” अथवा “कराधेय सेवाएं”। (सेवा कर कानून का नियंत्रण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जाता है)।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कार्य निष्पादन और उपलब्धियों की विशेषताएं।

अग्रिम निर्णयों से संबंधित संविधि के उपबंधों के अनुसार आवेदनों का शीघ्र निपटान किया गया। स्वाभाविक न्याय का सिद्धान्त प्राधिकरण का यू.एस.पी. है। 1.4.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान अग्रिम निर्णय हेतु 15 आवेदन प्राप्त हुए थे। अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा अग्रिम निर्णय की उद्घोषणा के लिए आवेदनों की कुल संख्या 24 थी जिसमें पूर्व अवधि के 9 लम्बित आवेदन थे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 4 आवेदन लम्बित थे और 20 आवेदनों का निपटान किया गया।

अग्रिम निर्णय 6 आवेदनों में जारी किए गए हैं - 2 सीमाशुल्क से संबंधित, 2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 2 सेवा कर मामलों से संबंधित थे। 14 मामलों में आदेश जारी किए गए - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 281 (2) के अन्तर्गत जारी किए गए सीमाशुल्क से संबंधित 5 मामले, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 23 डी (2) के अन्तर्गत जारी किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित 2 मामले, और वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर उपबंध) की धारा 96 डी (2) के अन्तर्गत जारी किए गए सेवा कर से संबंधित 7 मामले।

व्यापार और उद्योग में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रचार उपाय प्रारंभ किए गए थे। सभी आयुक्तालयों/क्षेत्रीय अधिकारियों को वित्त अधिनियम 2008 द्वारा किए गए संशोधनों से सूचित किया गया और व्यापार और उद्योग की सूचना और सार्वजनिक सूचना के लिए सार्वजनिक/व्यापार नोटिस जारी करने का अनुरोध किया।

प्राधिकरण द्वारा जारी अद्यतन अग्रिम निर्णयों और आदेशों को अन्तर्विष्ट करने के लिए नियमित आधार पर प्राधिकरण की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. सीबीईसी गर्वमेन्ट. आईएन/सीईई/एएआर. एचटीएम को अद्यतन किया जा रहा है। प्राधिकरण से संबंधित वित्त अधिनियम द्वारा प्रत्येक वर्ष किए गए किसी भी सांविधिक परिवर्तनों और कोई अन्य विधान जैसे आर टी आई अधिनियम, 2005 द्वारा परिवर्तनों को शीघ्र अपलोड करने हेतु पर्याप्त ध्यान रखा जाता है।

पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 31.3.2008 तक कार्य निष्पादन/उपलब्धियाँ ;

यह प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2002-03 में प्रचलनात्मक बन गया था। सीमाशुल्क (अग्रिम निर्णय) नियमावली, 2002 और केन्द्रीय उत्पादशुल्क (अग्रिम निर्णय) नियमावली, 2002 अधिसूचना सं. 55/2002-सीमाशुल्क (एन.टी.) और 28/2002 - केन्द्रीय उत्पादशुल्क (एन.टी.) दोनों 23.8.2002 को अधिसूचित की गई थी। सेवा कर (अग्रिम निर्णय) नियमावली अधिसूचना सं. 17/2003 - सेवा कर (एन.टी.) दिनांक 23.7.2003 के तहत अधिसूचित की गई। प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को संचालित करने की प्रक्रिया का उल्लेख दिनांक 21.3.2003 की अधिसूचना के तहत जारी किए गए अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (प्रक्रियात्मक) नियमावली, 2003 के तहत किया गया। अग्रिम निर्णयों के दायरे में विस्तार और प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप इन नियमों को सरल बना दिया गया और 7.1.2005 की अधिसूचना सं. 1/2005 के तहत जारी अग्रिम निर्णय (सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवा कर) प्रक्रिया विनियम, 2005 के तहत अधिक्रमित किया गया।

अग्रिम निर्णय प्राप्त करने के लिए पहला आवेदन 20.11.2002 को प्राप्त हुआ था 20.11.2002 से 31.3.2008 तक की अवधि के दौरान 112 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 73 मामलों (63 सीमाशुल्क, 6 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 4 सेवा कर से संबंधित) में निर्णय घोषित किए गए। इस अवधि के दौरान 28 मामलों (सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 281 (2) के अन्तर्गत जारी किए सीमाशुल्क से संबंधित 10 मामले; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 की धारा 23 डी (2) के अन्तर्गत जारी किए

गए केन्द्रीय उत्पादशुल्क, से संबंधित 4 मामले और वित्त अधिनियम 1994 की धारा 96 डी (2) के अन्तर्गत जारी किए गए सेवा कर से संबंधित 14 मामले में आदेश जारी किए गए।

30 दिवस के भीतर आवेदकों द्वारा 2 आवेदन वापिस लिए गए थे जिसके लिए अग्रिम निर्णयो से संबंधित उपबंधों के अन्तर्गत आवेदन वापिस लेने हेतु अनुमति के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। 31.3.2008 को 9 आवेदन लम्बित थे।

विवरणिकाएं प्राधिकरण की मूल अनिवार्य सूचना वाली विवरणिकाएं अद्यतन और प्रकाशित की गईं और देश के अन्तर्गत व्यापार और उद्योग के मुख्य चैम्बरों को वितरित/परिचालित की गईं ताकि उन्हें सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानून के अन्तर्गत इस नए संगठन को सौंपे गए बिल्कुल नई अवधारणा के साथ कार्यान्वयन के उत्तरदायित्व के प्रति अवगत कराया जा सके। विशेष कर व्यापार और उद्योगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए थे।

बैठकें और सेमिनार पुणे, अहमदाबाद, बंगलौर और इलाहाबाद जैसे औद्योगिक वाणिज्यिक शहरों के अलावा भारत में सभी मेट्रोपोलिटन शहरों में वाणिज्य और उद्योगों के चैम्बरों के साथ बैठकें और सेमिनारों का आयोजन किया गया।

भारत में अग्रिम निर्णय की प्रणाली पर अन्तः क्रिया सम्मेलन भारत में अग्रिम निर्णय प्रणाली पर अन्तः क्रिया सम्मेलन 30.7.2007 को बंगलौर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति पी.वी. रेड्डी, अध्यक्ष, ए.ए.आर (सीई कस्ट एसटी) द्वारा की गई थी। यह संयुक्त रूप से उद्योग एवं वाणिज्य चैम्बर, बंगलौर और कर्नाटक कर एडवोकेट्स संघ द्वारा आयोजित किया गया था। एएआर (सीई कस्ट एसटी) और एएआर (आईटी) दोनों ने इसमें भाग लिया। इस प्राधिकरण से सदस्य (सीएस) और मुख्य आयुक्त ने इस अन्तः क्रिया सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन को माननीय अध्यक्ष श्रीमती चित्रा साहा ने सम्बोधित किया। इस प्राधिकरण से सदस्य श्री विजय कुमार, अपर आयुक्त ने अग्रिम निर्णय (सीई, कस्ट एसटी) की स्कीम के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया। अन्तः क्रिया सम्मेलन में 200 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। सहभागियों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रमुख कर अधिवक्ता, उद्योग और वाणिज्य से प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें बंगलौर में तैनात सभी मुख्य आयुक्त - सीमाशुल्क और सभी आयुक्त (सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने भाग लिया।

प्राधिकरण की वेबसाइट इस अवधि के दौरान www.cbec.gov.in/cae/aar/aar.htm भी प्रारंभ की गई। इच्छुक व्यक्तियों/पक्षों की सूचना एवं जागरूकता के लिए एफएक्यू के साथ-साथ प्राधिकरण से संबंधित सांविधिक प्रावधानों, नियमों एवं विनियमों को लोड किया गया।

20. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अधिनिर्णयन प्राधिकरण;

धनशोधन और इससे संबंधित कार्यकलापों को रोकने, अपराध बढ़ने के समपहरण और धन शोधन से निपटने के लिए समन्वित उपायों हेतु अभिकरण और कार्यप्रणाली की स्थापना के लिए संसद द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 लागू किया गया था।

निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है और अस्थाई तौर पर धन शोधन में शामिल तथा कथित सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए प्राधिकृत भी किया गया है। अधिनिर्णयन प्राधिकारी को अपकृत पक्षों की सुनवाई और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि अनुसूचित अपराध अथवा धन शोधन के अपराध के लिए जांच लम्बित रहने के दौरान सम्पत्ति का निपटान नहीं किया गया, अस्थाई रूप से सम्पत्ति को कुर्क करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

अधिनिर्णयन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं। इस समय विधि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी इन पदों का अतिरिक्त प्रभार धारित किए हुए हैं।

31.3.2009 को अधिनिर्णय प्राधिकरण में 53 प्रवर्तन मामले सूचना रिपोर्ट और 31 मूल शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 26 शिकायतों पर पहले से ही अन्तिम आदेश पास कर दिए हैं और 6 मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है।

21. धन शोधन निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण को 1 जुलाई, 2005 से कार्यात्मक बनाया गया।

अधिकरण में एक अध्यक्ष (जो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा है) और दो सदस्य हैं। इसका एक सदस्य लेखापाल सदस्य है जो कम से कम 10 वर्ष तक चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में लेखाविधि की प्रक्रिया में रहा है और दूसरा सदस्य वह व्यक्ति है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है अथवा जो भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य है और जिसने आयुक्त/संयुक्त सचिव अथवा भारतीय विधिक सेवा, आयकर, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क सेवा अथवा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में कम से कम 3 वर्षों तक समतुल्य पद धारित किया हो।

पीएमएलए के अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण एक राष्ट्रीय अधिकरण है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह अधिकरण पीएमएलए के अन्तर्गत धन शोधन में शामिल सम्पत्तियों की कुर्की/जब्ती करने के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पारित कुर्की/जब्ती आदेशों के प्रति अपीलों और इससे सम्बद्ध याचिकाओं पर निर्णय देता है। यह निदेशक - वित्तीय आसूचना यूनिट इण्डिया द्वारा पारित अर्थदंड लगाने वाले आदेशों के प्रति दायर अपीलों पर भी निर्णय देता है; अपीलीय अधिकरण की पीठों का अधिवेशन नई दिल्ली में होता है। इसकी देश में कहीं पर कोई पीठ नहीं है।

अपीलों और सम्बद्ध याचिकाएं अध्यक्ष द्वारा एक अथवा दो सदस्यों, जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझे, के साथ गठित पीठों द्वारा निपटाई जाती है। 1.4.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान 32 अपीलों और 6 सम्बद्ध याचिकाएं दायर की गईं जिनकी सुनवाई चल रही है।

22. राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान

राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान का आम जनता के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं है, अतः जन सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए उनके प्रयास का उल्लेख करने के लिए कुछ भी नहीं है। तथापि, इस वर्ष भी नीति परामर्श के द्वारा संस्थान के सहयोग से देश में आन्तरिक और बाह्य वित्तीय संतुलन को बनाए रखने में काफी हद तक सहायता मिली है।

कर नीति और संचालन, लोक व्यय और नियंत्रण, लोक ऋण और इसका प्रबंध, अन्तः सरकारी वित्तीय संबंध, आर्थिक और लोक वित्त के अन्य पहलुओं के अलावा लोक और औद्योगिक उपक्रमों के मूल्यनिर्धारण से संबंधित मामलों में अनुसंधान किए थे जिससे मध्य में दीर्घकालीन समय सीमा में भारतीय अर्थ व्यवस्था की कार्य क्षमता, वृद्धि क्षमता और प्रतियोगिता क्षमता में अच्छे परिणाम निकले।

संस्थान ने लोक सेवकों और नीति निर्माताओं के लिए कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों और नीति वार्ताओं का आयोजन करके और इसकी अनुसंधान सफलताओं का प्रचार प्रसार करके उपर्युक्त मामलों के ज्ञान में वृद्धि और इसमें सुधार किया है। क्रमिक वित्तीय आयोगों, उच्च स्तरीय समितियों में एन आई पी एफ जी संकाय की विशेषज्ञ सलाह से नीति निर्माताओं को अत्यधिक वित्तीय क्षेत्रों को सम्पादित करने के लिए राजस्व कमी को दूर करने हेतु स्कीमें तैयार करने में सहायता प्राप्त हुई है।

23. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

23.1 राजस्व मुख्यालय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 राजस्व मुख्यालय में कार्यान्वित किया गया। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सभी नियमावली भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना के लिए आवेदन/अनुरोधों को निपटाने के लिए निष्पादित आन्तरिक प्रक्रिया आसानी से कार्य कर रही है।

23.2 केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

- 1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना के उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
- 2) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड और अधीनस्थ कार्यालयों के अपीलीय प्राधिकारियों को पुनः पदनामित किया गया है और सहायक/उपायुक्तों के रैंक के अधिकारियों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और उनसे ऊपर के अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है।
- 3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों सी.ए.पी.आई.ओ. और अपीलीय प्राधिकारियों के विवरण अर्थात् नाम, पते, सम्पर्क नम्बर आदि विभागीय वेबसाइट पर दर्शाए गए हैं और उन्हें आवधिक तौर पर अद्यतन किया जाता है।
- 4) सूचना का अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 के उपबंधों का विभिन्न तरीकों जैसे सूचना सुविधा काउंटर, सहायता केन्द्रों, सार्वजनिक नोटिस और व्यापार के सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित करने के द्वारा व्यापक प्रचार किया गया है।
- 5) क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों को सूचना का अधिकार संबंधी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उनके लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के संबंध में भली-भांति अवगत करा दिया गया है और उसके अन्तर्गत अनुदेश जारी किए गए हैं।

23.3 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

वर्ष 2008 में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 74 आवेदन प्राप्त हुए थे और उन्हें अवधि के दौरान निपटा दिया गया है।

23.4 अग्रिम निर्णय, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम और प्राधिकरण से संबंधित 12 नियमावलियाँ विधिवत् रूप से तैयार की गई थी और प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू सीबीआईसी. गवर्में/आईएन/सीआई/एएआर.एचटीएम पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी को भी यथावत् रूप से अधिसूचित किया गया है और उनके विवरण प्राधिकरण के सूचना बोर्ड के साथ-साथ वेबसाइट पर दिए गए हैं।

23.5 प्रवर्तन निदेशालय

वर्ष 2008-09 (मार्च, 2009 तक) के दौरान सूचना का अधिकार के अन्तर्गत 75 आवेदन प्राप्त हुए थे जिन्हें तत्परता से संसोधित किया गया और उत्तर आवेदकों को भेजे गए।

23.6 केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

सूचना का अधिनियम, 2005 के उचित कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए गए हैं।

- (क) अफीम प्रभागों के सभी जिला अफीम अधिकारियों और इस ब्यूरो के निवारक एवं आसूचना कक्षों के अधीक्षक (निवारक) को इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह सूचना आसानी से प्राप्त हो सके।
- (ख) नारकोटिक्स उप आयुक्तों और नारकोटिक्स आयुक्त के प्रत्येक कार्यालय में एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को नामित किया गया है।
- (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने में व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए ब्यूरो के मुख्यालय में एक सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है।
- (घ) नारकोटिक्स आयुक्त, विभागाध्यक्ष, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभाग में नामित सभी केन्द्रीय जन सम्पर्क अधिकारियों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी हैं।

23.7 राज्य कर अनुभाग

राज्य कर अनुभाग के कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं पर सूचना/नियमावलियों को प्रकाशित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाई प्रारंभ की गई है। इन्हें वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है ताकि आम जनता को इसकी सूचना आसानी से मिल सके। सूचना को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अनुभाग में सभी रिकार्डों को ठीक तरीके से रखा जा रहा है ताकि जब भी कभी कोई सूचना मांगी जाती है, उसे तुरन्त उपलब्ध कराया जा सके। 15.12.2008 तक आरटीआई अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए 24 आवेदन राज्य कर अनुभाग में प्राप्त हुए थे और इन सभी आवेदनों को निपटा दिया गया।

23.8 सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कार्यान्वित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयोग से संबंधित 12 नियमावलियाँ विधिवत् रूप से तैयार की गई थी। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और एसीपीआईओ को नामित किया गया है।

23.9 अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (आयकर)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय/प्रयास पहले से ही प्रारंभ किए गए हैं। अधिनियम के परिशिष्ट 4 (1) (ख) के अन्तर्गत यथाअपेक्षित 17 नियमावलियाँ संकलित की गई हैं। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी को नियुक्त किया गया है इस संगठन के विवरणों, कार्य और कर्तव्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिकाओं से संबंधित सूचना वाली एक वेबसाइट प्रारंभ की गई है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के संबंध में आयकर अधिनियम, आय कर नियमावली और प्रक्रिया नियमों से संगत उपबंध वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित सभी निर्णय जनता के लाभ के लिए नियमित रूप से वेबसाइट पर डाले जाते हैं और नवीनतम किए जाते हैं। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण पर एक पुस्तिका वेबसाइट पर भी डाली गई है।

23.10 सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाने

इस संगठन की प्रत्येक यूनिट में जैसे गाजीपुर और नीमच कारखाने तथा सीसीएफ के दिल्ली और ग्वालियर कार्यालय में भी एक-एक सैल स्थापित किया गया है। ये सैल सीधे ही सीपीआईओ/एपीआईओ जैसे पदनामित अधिकारियों के अधीन काम कर रहे हैं। प्राप्त आवेदनों का भी निर्धारित समय-अवधि के भीतर निपटान किया जा रहा है।

23.11 केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो सीपीआईओ एवं सीपीआईओ को नियुक्त करता है। वर्ष 2008-09 (31.12.2008) की अवधि के दौरान ब्यूरो ने अधिनियम के तहत 15 आवेदन प्राप्त किए हैं जिनका समय-सीमा के भीतर निपटान कर दिया गया है।

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलिय अधिकरण

24. ई.अभिशासन गतिविधियाँ

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

- (1) सभी निर्धारितियों को करों के ई-भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है और कारपोरेट एवं उन निर्धारितियों के लिए अनिवार्य कर दी गई है जिनके लेखा की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के तहत लेखापरीक्षा किया जाना अनिवार्य है।
- (2) विवरणियों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा सभी निर्धारितियों को प्रदान की गई है और कारपोरेट तथा उन निर्धारितियों के लिए अनिवार्य बना दी गई है जिनके लेखों की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के तहत लेखा परीक्षा किया जाना अनिवार्य है।
- (3) आय की विवरणियों को त्वरित रूप से संसाधित किए जाने के उद्देश्य के साथ, आयकर विभाग 2जी संरचना से 3जी संरचना की ओर अग्रसर हो रहा है। एक केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सीपीसी) भी सभी आयकर विवरणियों को एक ही स्थान पर संसाधित किए जाने के लिए बंगलौर में खोला जा रहा है।

I. परियोजना का नाम : बायोमीट्रिक पैन परियोजना

पैन (स्थायी लेखा संख्या) एक दस अंक का शब्दांक है जो आयकर विभाग द्वारा कर दाताओं और उन व्यक्तियों को आवंटित किया जाता है जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इसके लिए आवेदन किया है। पैन जारी करने की प्रक्रिया का काम मै. एनएसडीएल और मै. यूटीआईटीएसएल को सौंप दिया गया है जो अपने 2400 प्रमुख कार्यालयों के विस्तृत नेटवर्क के जरिए पैन आवेदनों को प्राप्त और संसाधित करते हैं और आयकर विभाग द्वारा पैन नम्बर आवंटित किए जाने के बाद आवेदकों को पैन कार्ड जारी करता है।

- आयकर विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक बायोमीट्रिक समाधान प्रस्तुत करने का निर्णय किया है कि कोई डुप्लीकेट पैन आवंटित न किया जाए अर्थात् एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन नम्बर प्राप्त नहीं होता।
- डुप्लीकेट पैन आवेदकों का पता लगाने के लिए आवेदक के बायोमीट्रिक फीचर उदा. चेहरा और चार उंगुलियों की छाप (प्रत्येक हाथ की दो) प्राप्त करने और डाटाबेस के प्रति बैकेंड में बायोमीट्रिक फीचर्स का मिलान करने का निर्णय किया गया है। एक परामर्शदाता (अर्नेस्ट एंड यंग) को आरएफपी को तैयार करने और सर्वोत्तम बायोमीट्रिक सोल्यूशन प्रोवाइडर के चयन में आयकर विभाग की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है। आरएफपी बहुत जल्दी ही जारी किया जाएगा और बायोमीट्रिक पैन के डेढ़ वर्ष में तैयार हो जाने की संभावना है।

II परियोजना का नाम - आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग

परियोजना का उद्देश्य कर दाताओं द्वारा और ई-विवरणी मध्यस्थों के द्वारा सीधे ही इंटरनेट पर सभी आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग में सक्षम बनाना है।

उपलब्धियाँ

- आयकर अधिनियम द्वारा 40 लाख रुपये के टर्न ओवर वाले करदाताओं के लिए विवरणी की ई-फाइलिंग को दिनांक 1.4.2008 से अनिवार्य बना दिया गया है (वे मामले जो धारा 44 कख के तहत लेखा

परीक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है)। यह उन सभी सामूहिक निर्धारितियों के अतिरिक्त है जिन्हें अनिवार्यता अपनी आय विवरणियों की ई-फाइलिंग करनी होती है।

- करनिर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए आयकर अविवरणियों के लिए ई-फाइलिंग 19.4.2008 से आरंभ कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के क्यू 3 के अनुसार, लगभग 29 लाख ई-विवरणियां प्राप्त की गई हैं और वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 45 लाख ई-विवरणियों के प्राप्त होने की संभावना है। आयकर विभाग आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग का प्रयोग करने वाले कर दाताओं की उत्साहित प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित हैं।
- दायर की गई ई-विवरणियों में से, करीब दो-तिहाई विवरणियां करदाताओं द्वारा स्वैच्छा से दायर की गई है। जो ई-फाइलिंग की सुविधा को बड़े पैमाने पर स्वीकार किए जाने का संकेत है।
- नियमित कार्यालय घंटों (प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक) के पहले या बाद में इलेक्ट्रॉनिक विवरणी दायर कर पाना कर दाताओं की सुविधा का एक और संकेतक है। सभी ई-विवरणियों में से 27 प्रतिशत से ज्यादा विवरणियां कार्यालय घंटों से परे दायर की गई हैं, जो इसकी उपयोगिता को दर्शाता है।
- हालांकि डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग वैकल्पिक था सामूहिक विवरणियों के 40 प्रतिशत से अधिक तथा समग्र विवरणियों के 10 प्रतिशत ने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए विवरणी दायर की है, जिसने ऐसे मामलों में सम्पूर्ण विवरणी दायर करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से अलिखित बना दिया गया है।
- आयकर विभाग की आयकर विवरणी परियोजना की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को आउटस्टैंडिंग परफार्मेंस इन सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी श्रेणी में राष्ट्रीय ई-अभिशासन रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- विभाग ने www.incometaxindia.gov.in पर वेब सेवाएं भी आरंभ की है जिसका द्वारा ई-विवरणी माध्यस्थ ई-फाइलिंग/वेबसाइट में लॉगइन किए बिना सीधे/अप्रत्यक्षतः करदाता की विवरणियों को अपलोड कर सकते हैं और करदाता ई-मेल पर ही पावती प्राप्त कर सकेंगे।

III परियोजना का नाम : आयकर विवरणियों के लिए केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सीपीसी)

एक ही स्थान पर सभी आयकर विवरणियों के केन्द्रीकृत संसाधन को सक्षम बनाना

परियोजना विशेषताएं

- बंगलौर स्थित सीपीसी आंशिक आउटसोर्सड मॉडल का प्रयोग करते हुए एक क्षेत्राधिकार मुक्त तरीके में कर दाताओं से प्रत्यक्षतः मिले बिना पेपर और ई-रिटर्नस को संसाधित करेगा।
- सीपीसी एक प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए चुने गए एक सेवा प्रदाता (एसपी) द्वारा स्थापित और संचालित किया जाएगा।
- सेवा प्रदाता आयकर कार्यालयों से विवरणियों को प्राप्त करने, स्कैनिंग, डाटा एंट्री और विवरणी के संसाधन, तदन्तर प्रतिदाय जारी करने और विवरणियों के स्टोरेज के लिए उत्तरदायी होगा।
- प्रारंभ में सीपीसी, बंगलौर के लिए सभी ई-फाइलड आयकर विवरणियों (आईटीआर) और लिखित आईटीआर के लिए कार्य सम्पादन करेगा। सीपीसी के स्थापित होते ही प्रचालन को बढ़ाने के लिए कर्नाटक, गोवा और संलग्न राज्यों से भी लिखित आईटीआर सीपीसी को सौंपे जाएंगे ताकि उसे 20 लाख लिखित विवरणियां और 60 लाख ई-फाइलड विवरणियां तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके।

- सीपीसी विभाग को करदाताओं की तेजी से बढ़ती हुई संख्या तथा तदनुसार कर्मचारियों के लिए काम की बढ़ी हुई मात्रा को संभालने में सक्षम बनाएगा। यह विभाग को विश्वस्तरीय सर्वोत्तम कर प्रशासन द्वारा प्रस्तुत अधिक कार्य कुशल प्रक्रियाओं तथा आधुनिक नागरिक सेवाओं को अपनाने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही, यह संभावना की गई है कि सीपीसी मॉडल बंगलौर स्थित सीपीसी से अनुभव और जानकारी प्राप्त करते हुए पूरे देश में अपनाया जाएगा।
- बंगलौर स्थित सीपीसी में वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत तक प्रचालन आरंभ होने की संभावना है।

IV. परियोजना का नाम - प्रतिदाय बैंकर

प्रतिदाय बैंकर परियोजना आयकर प्रतिदायों की कुशल और सुरक्षित आपूर्ति के लिए है। यह प्रतिदायों को लिखित रूप में जारी करने के लिए तीसरी पार्टी के रूप में करता है ताकि प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित और पारदर्शी बनाया जा सके।

मुख्य विशेषताएं और उपलब्धियां

- प्रारंभ में परियोजना 24.1.2007 को दिल्ली और पटना में 3-वेतन प्रभार और एक वेतन प्रभार में आरंभ की गई थी किंतु उसके बाद यह 6 केन्द्रों अर्थात् कोलकाता, मुम्बई, बंगलौर, चैन्नई, दिल्ली और पटना में विस्तारित की गई थी।
- प्रतिदाय बैंकर स्कीम के तहत प्रतिदाय भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा इलैक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम (ईसीएस) के जरिए सीधे ही कर दाताओं को भेजे जाते हैं।
- जिसे विभाग के एजेंट के रूप में पदनामित किया गया है। एसबीआई ने त्वरित डिलीवरी के लिए ईसीएस के अतिरिक्त आरटीजीएस/एनईसीएस के जरिए डिलीवरी के अन्य अधिक त्वरित तरीके भी अपनाए हैं। इन तरीकों में एसबीआई को डाटा डिलीवर किए जाने के तीन दिन के भीतर प्रतिदाय को करदाता के लेख में जमा कर दिया जाता है। प्रतिदाय जारी करने में करनिर्धारण अधिकारी की भूमिका कम्प्यूटर पर विवरणीकृत आय को संसाधित करने तक सीमित है।
- वर्ष के दौरान भारतीय डाक एवं राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) के सहयोग से एक वेब आधारित स्थिति खोज सुविधा भी आरंभ की गई है।
- ईसीएस पद्धति से डिलीवरी का समय कम हो कर 7-8 दिन रह गया है जबकि लिखित प्रतिदाय में 10-12 दिन लगते थे। भारतीय स्टेट बैंक ने चैन्नई में आयकर प्रतिदाय के लिए रिमोट प्रिंटिंग सुविधा स्थापित की है और इस सुविधा को कलकत्ता, दिल्ली और बंगलौर तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
- वित्तीय वर्ष 2008-09 के क्यू-5 के लिए ईसीएस प्रतिदाय जारी की गई कुल प्रतिदाय राशियों का 55.91 प्रतिशत उबरता है और इन ईसीएस चैकों की संख्या लिखित प्रतिदायों की संख्या से अधिक है, जैसा कि सारणी 3.46 में दिया गया, जो प्रतिदाय बैंकर स्कीम की सफलता को दर्शाता है।

V. डाटा बेस समेकन की सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) प्रोजेक्ट परियोजना का वर्णन

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट (एसआई) का उद्देश्य 36 क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों में अंतर्निहित क्षेत्रीय डाटा बेस को एकल राष्ट्रीय डाटा बेस (प्राथमिक डाटा बेस केन्द्र - पीडीसी के रूप में संदर्भित) में संघटित करना है। एसआई पहलों में मुम्बई में एक पूर्ण-रूपेण कारोबार निरन्तरता (बीसीपी) साइट के रूप में और चैन्नई में एक डिजास्टर रिकवरी साइट (डीआर) के रूप में पीडीसी की प्रतिकृति की स्थापना द्वारा

एक डाटा रेप्लीकेशन एंड डिजास्टर योजना पर भी विचार किया गया है जो डाटा स्टोरेज के रूप में कार्य करेगा। डी आर साइट में आवेदनों को निपटाने की क्षमता होने की संभावना नहीं है बल्कि उस में प्राइमरी साइट के समान ही डाटा स्टोरेज व्यवस्था की प्रतिकृति होगी। एसआई प्रोजेक्ट के तहत, डाटा को नियमित आधार पर प्राइमरी साइट से बीसीपी और डी आर साइट में प्रतिकृति किया जाएगा। एसआई के लाभ इस प्रकार हैं :-

- प्रबंधकीय क्षमता और संसाधन लागत के रूप में 36 आरसीसी की तुलना में एक समेकित आरसीसी डाटा बेस का प्रबंधन अधिक सरल है।
- सॉफ्टवेयर का रूपान्तरण वर्तन नियंत्रण अधिक साधारण होगा क्योंकि यह एक आरसीसी में लागू किया जाएगा।
- डाटा का भू-मंडलीय परिदृश्य एमआईएस को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 3-टियर संरचना में मैसेजिंग सोल्यूशन जैसी बेहतर माप क्षमता और असाधारण विशेषताएं हैं।
- बुनियादी ढांचा संरचना प्रबंध - ईआरएम सोल्यूशन, एंटी वायरस और डाटा सेक्युरिटीज़ व डाटा एप्लीकेशन सोल्यूशन।
- परियोजना में विभाग की भविष्य की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हार्डवेयर की जरूरतों को बढ़ाने के लिए आंतरिक लचीलापन और क्षमता विद्यमान है।

उपलब्धियां

सभी 36 आरसीसी (क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र) के रोल आउट को सफलतापूर्वक 31 दिसम्बर, 2008 तक पूरा कर लिया गया है और आरसीसी के सम्पूर्ण डाटा को पीडीसी (प्राइमरी डाटा सेंटर) में स्थानांतरित कर दिया गया।

- परियोजना को आरंभ करने का कार्य 31.12.2008 तक पूरा किया जा चुका है और डाटा समेकन का कार्य चल रहा है।
- बीसीपी और डीआर केन्द्रों की प्रास्थिति : बीसीपी साइट ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और डीआर साइट पर कार्य चल रहा है और समाधान की स्वीकृति से पहले प्रचालन आरंभ होगा।

VI. परियोजना का नाम - वार्षिक सूचना विवरणी (एआईआर)

परियोजना विवरण

एआईआर कर अनुपालन को सुनिश्चित करने, कराधार को विस्तृत तथा गहन करने, किसी करदाता के प्रोफाइल को सृजित करने तथा डाटा भंडारण/कारोबार आसूचना का संचालन करने के लिए एक असाधारण पहचानकर्ता के रूप में पैन सहित कंप्यूटर मीडिया के माध्यम से एक ढांचागत रूप में उच्च मूल्य के वित्तीय लेन-देन संग्रहित करने के लिए एक उपकरण है। वित्तीय गतिविधियों के मुख्य शक्ति केन्द्रों जैसे बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां/संस्थान, कंपनियां (शेयरों और बांड/डिवेचर्स के पब्लिक/राइट्स इश्यू जारी करने वाली) अचल संपत्तियों के रजिस्ट्रार, म्युचुअल फंड और भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई बांड जारी करना) द्वारा ए आई आर प्रस्तुत करने की योजना वित्तीय वर्ष के दौरान (1 अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले) उन के द्वारा रजिस्टर्ड/रिकार्डिड विशिष्ट वित्तीय लेन-देनों के संबंध में अगस्त, 2005 से प्रचालन में हैं।

उपलब्धियां

- वार्षिक सूचना विवरणी (एआईआर) की इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा आन लाइन (कर सूचना नेटवर्क tin-nsdl.com पर) और टी आई एन सुविधा केन्द्रों (इस समय पूरे देश में 460 स्थानों पर उपलब्ध) नाम से एन एस डी एल (नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरीज लि.) के क्षेत्रीय कार्यालयों, दोनों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

- वार्षिक सूचना विवरणियों में उपलब्ध लेन-देन संबंधी सूचना विभागीय सिस्टम पर अपलोड की जा रही है और संवीक्षा हेतु मामलों की सूची बनाने के लिए उपयोग किए जाने हेतु आयकर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को कम्प्यूटर की सहायता से संवीक्षा हेतु चयन (सीएसएस) के तहत ऑफ लाइन भी प्रचारित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए पैन उद्धरण अनुपात केवल 62% था और वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए यह 63% है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए वैध पैन उद्धरण अनुपात बढ़कर लगभग 71 प्रतिशत हो गया है।

सिक्कुरीटीज़ ट्रांसजेक्शन टैक्स (एसटीटी) विवरणियों के लिए साफ्टवेयर सिक्कुरीटीज़ ट्रांसजेक्शन टैक्स (एसटीटी) वित्त अधिनियम, 2004 द्वारा आरंभ किया गया है। एसटीटी विवरणियों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए टीआईएन के माध्यम से उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है:

- एसटीटी विवरणियों में दिए गए डाटा को एसटीटी विवरणी को संसाधित करने के लिए एसटीटी विवरणी प्रस्तुतकर्ता के क्षेत्राधिकार संबंधी कर निर्धारण अधिकारी को भेजा जाएगा अर्थात् एसटीटी की कटौती और उसके भुगतान की जांच के संदर्भ में एसटीटी विवरणियों की जांच-पड़ताल के लिए, विवरणी प्रस्तुत न करने वालों, देर से प्रस्तुत करने वालों की सूची तैयार करने के लिए, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने, डिमांड नोटिस जारी करने, अर्थदण्ड नोटिस जारी करने, अदायगी योग्य कर और ब्याज की संगणना, ऑनलाइन टैक्स एकाउंटिंग सिस्टम (ओएसटीएस) के संदर्भ में कर भुगतान का क्रेडिट आदि।
- लेन-देन संबंधी डाटा के निपटान से संबंधित सॉफ्टवेयर एसटीटी विवरणियों से लेन-देन करने वाली पार्टियों का डाटा एकत्र करेगा और विवरणी के साथ जांच-पड़ताल के लिए लेन-देन करने वाली पार्टियों (लेन-देन करने वाली पार्टी के पैन के आधार पर) के संबंधित करनिर्धारण अधिकारी को आईटीएस (वैयक्तिक लेन-देन विवरण) में ऐसे डाटा को प्रसारित करेगा। एआईआर लेन-देन डाटा के लिए भी समान प्रक्रिया लागू होगी।

इस प्रयोजन के लिए टीसीएस के परामर्श में साफ्टवेयर आवश्यकता विवरणों (रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन्स) (एसवीआरएस) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

VII. परियोजना का नाम: ई-भुगतान

परियोजना की विशेषताएं:

- नेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करते हुए, सभी प्रत्यक्ष करों उदा. आयकर, निगमित कर, एफ बी टी, बी सी टी टी (टी डी एस, अग्रिम कर एवं स्व-निर्धारण कर) को ऑन लाइन अदा करना।
- भुगतान में सुविधा कभी भी, कहीं भी।
- डाटा गुणवत्ता को प्रभावी रूप से मॉनीटर किया जा सकता है।
- कार्यकुशलता से दिए गए करों के लिए क्रेडिट।

उपलब्धियां

- ई-भुगतान के माध्यम से करों का भुगतान करने के लिए 1 अप्रैल, 2008 से सभी कंपनियों और 44 कर मामलों के लिए ई - भुगतान को अनिवार्य बना दिया गया है।
- कर दाता के नेट बैंकिंग खाते या किसी अन्य खाते का प्रयोग कर के ई-भुगतान किया जा सकता है।
- 32 एजेन्सी बैंकों में से, जिनमें अब ई - भुगतान की सुविधा है, 30 बैंकों द्वारा इस समय ई-भुगतान सुविधा प्रदान की जा रही है।

- चालू वित्तीय वर्ष में 80 प्रतिशत संग्रहण ई-भुगतान के माध्यम से आया।
- सिर्फ सितम्बर, 2008 माह में, ही ई-भुगतान के माध्यम से 47,262 करोड़ रूपए का कर संग्रहण प्राप्त हुआ है।

परियोजना का नाम :- ई-टीडीएस (स्रोत पर काटा गया कर)

परियोजना की विशेषताएं

निम्नलिखित के लिए ई - टीडीएस की फाइलिंग अनिवार्य बना दी गई है

- सभी निगमित कटौतीकर्ता
- सभी 44 कर कटौतीकर्ता
- सभी सरकारी कटौतीकर्ता, केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों।
- सभी कटौती कर्ताओं के लिए जहां कटौती अभीलेखों की संख्या 50 से अधिक है।
- एन.एस.डी.एल/एन.एस.डी.एल का टी आई एन-एस सी सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत विवरणी।

उपलब्धियां

- कर कटौतीकर्ताओं का आधार वित्तीय वर्ष 2007-08 में 9.3 लाख से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2008-09 में 12 लाख हो गया।
- समग्र पैन उल्लेख वित्त वर्ष 2006-07 के लिए 51 प्रतिशत से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही के लिए 87 प्रतिशत हो गया।
- ओ एल टी ए एस के साथ चालान का मिलान वित्त वर्ष 2007-08 की चौथी तिमाही में बढ़ कर 89% हो गया।
- लगभग 12 लाख निर्धारितियों को पैन खाते जारी किए गए हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तरेके के माध्यम से आई टी विवरणीयां प्रस्तुत की हैं।

परियोजना का नाम : ओ एल टी ए एस (ऑन लाइन टैक्स एकाउंटिंग सिस्टम)

परियोजना विवरण

ओ एल टी ए एस परियोजना को करदाताओं किए गए ऑनलाईन कर भुगतान के पद नामित बैंक में सीधे ही कर क्रेडिट के लिए विभाग द्वारा अनुरक्षित कर दाताओं के चालू बही खाते में समाकलित करने के लिए अभिकल्पित किया गया था। परियोजना का उद्देश्य कर क्रेडिट के लिए कागजी कार्रवाई और कागजी वैधीकरण व्यवस्था को समाप्त करना था। यह योजना कर दाताओं की शिकायतों को कम करने के लिए असाधारण रूप से स्थापित की गई थी और इसलिए ओ एल टी ए एस परियोजना विभाग द्वारा अपनाई गई प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों में से एक है।

- बैंक किए गए सभी भुगतान टी +3 आधार पर अपलोडिड किए गए हैं।
- नकद भुगतान की सुविधा बैंक में प्राप्त की जा सकती है और पैन रखने वाले निर्धारित किसी भी स्थान पर यह भुगतान कर सकते हैं।
- कर भुगतान के संग्रहण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 निजी क्षेत्र के बैंकों सहित पूरे देश में 32 एजेन्सी बैंक और उन की 13000 शाखाएं प्राधिकृत की गई हैं।

उपलब्धियां

- ओ एल टी ए एस अब पूर्णतः प्रचालनात्मक है और भारतीय रिजर्व बैंक तथा एजेन्सी बैंकों के घनिष्ठ सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।
- एन एस डी एल की सहायता से, क्षेत्राधिकार संबंधी आयकर

आयुक्तों द्वारा अब तक के संग्रहण को एफ एम डेशबोर्ड के माध्यम से देखा जा सकता है।

- ओ एल टी ए एस में वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त की गई एक अन्य उपलब्धि पैन आधारित एफ एम डेशबोर्ड आंकड़े को आरंभ किया जाना था अर्थात् क्षेत्राधिकार संबंधी संग्रहण को देखा जा सकेगा चाहे भुगतान कहीं भी किया गया हो। यह सुविधा विस्तारित की जा रही है और ए ओ स्तर तक बढ़ाई जा रही है।
- प्रस्तुति वैधता संबंधी निर्देश पहले ही 32 में से 19 बैंकों में स्थापित किए गए हैं और यह बेहतर डाटा गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे।
- बढ़ाई गई ओ एल टी ए एस निर्देश संख्या 31 को जारी किया गया है जो आयकर आयुक्त (सी ओ) संबंधित क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त के प्रभारी आयकर आयुक्त को संग्रहण की जानकारी देंगे।
- करदाताओं को कम्प्यूटरीकृत रसीद प्रदान करने प्रचालनात्मक बनाया गया है।
- कुल मामलों में से लगभग 98 प्रतिशत में, चालानों में सही पैन उल्लेख किया जा रहा है जो एजेन्सी बैंकों द्वारा सम्बद्ध पैन डाटा तथा ई-भुगतान डाटा दोनों की गुणवत्ता में सुनिश्चित सुधार के बारे में बताता है।

परियोजना : परिवर्तन प्रबंध

परियोजना विवरण और प्रगति

सभी अधिकारियों और प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी के एक कर्मचारी को नए वातावरण में आई टी डी एप्लीकेशन्स पर प्रशिक्षण प्रदान करने के द्वारा आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण को सुदृढ़ किया जा रहा है। परिवर्तन प्रबंध आयकर विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन को सरल बनाने, ई-अध्ययन को संस्थागत बनाने तथा सतत प्रशिक्षण प्रक्रिया के लिए एक जानकारी प्रबंध व्यवस्था की स्थापना के लिए अपनाई गई एक परियोजना है।

- परिवर्तन प्रबंध के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने और साधनों का विकास करने के लिए मै.एन आई आई टी - हैविट एसोसिएट्स कन्जोरटियम को निविदा प्रक्रिया के बाद चुना गया है। एस आई परियोजना में विलम्ब के कारण आशय पत्र जारी नहीं किया गया है। विधिज्ञा हेतु संविदा प्रारूप को विधि मंत्रालय को भेजा गया है। प्रशिक्षण हेतु हार्डवेयर का क्रय कर लिया गया है। प्रशिक्षण सत्रों के मार्च 2009 के बाद आरंभ होने की संभावना है।

परियोजना : कारोबार प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरिंग (बीपीआर)

आयकर विभाग के लिए बीपीआर परियोजना की अवधारणों की पहचान करने और पुनः अभिकल्पित प्रक्रियाओं के रूप में समाधान उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ संकल्पित की गई थी जो अधिक सरल और कुशल हों और जो अधिग्रहित की जा रही उन्नयित सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को प्रयोग में लाएगा। बीपीआर परियोजना के मुख्य उद्देश्य निरर्थक और अप्रयुक्त प्रक्रियाओं को हटा कर सभी चालू प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना तथा नई प्रक्रियाओं को पुनः डिजाइन करना अथवा सृजित करना है जो अधिक कार्यकुशल हैं तथा सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करती हैं।

बीपीआर अध्ययन को ब्राह्म्य परामर्श दाता मै. प्राइस वाटर हाउस कूपर की सहायता से संचालित किया गया था।

बीपीआर की जांच में विभाग के कार्य करने के तरीके को कार्यात्मक रूप से दो मुख्य क्षेत्रों में पृथक-पृथक करने की मुख्य सिफारिश की गई है - एक बल्क आपरेशनस डिवीजन (बीआडी) जो नैतिक और दोहराई जाने वाली गतिविधियों का निपटारा करेगा, जिनके लिए वैयक्तिक मामलों में

विवेकाधिकार की आवश्यकता नहीं होती और दूसरा कामप्लिएंस आपरेशनस डिवीजन (सीओडी) जो कर दाताओं की कम संख्या के लिए विशिष्ट गतिविधियां संचालित करता है। इस समय कुछ लोगों का कर्मचारियों का समूह इन दोनों ही कार्यों को कर रहा है। यह सभी प्रशासनिक संसाधनों का आरंभ में ही उपयोग करता है। अपर्याप्त संसाधनों के कारण करदाता को आईटीडी के साथ सम्पर्क रखने में शिकायत होती है। इसलिए, विवरणी संसाधन, कर क्रेडिट एकाउंटिंग, मिलान और समन्वय, प्रतिदाय/मांग को जारी करने का काम सहायक कार्यालयों को स्थानान्तरित करने की सिफारिश की गई है। आयकर कार्यालय करदाताओं के साथ सम्पर्क रखने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। मुख्य कार्यालय और सहायक कार्यालयों को आपस में नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। आयकर कार्यालयों को अतिसंकुल होने से बचाने के लिए विवरणियों की ऑफ साइट स्टोरेज (डीप स्टोरेज) और अभिलेखों के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु भी सिफारिशें की गई हैं।

विभाग के प्रचालन को कार्यात्मक रूप से बल्क और कामप्लिएंस (अनुपालन) में अलग-अलग करने और कर्मचारियों की दक्षता के उन्नयन के साथ नए प्रौद्योगिकी पहलों से विभाग को बेहतर कर सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने, प्रवर्तन कार्यों में सुधार करने जिसके परिणामस्वरूप अनुपालन में वृद्धि होगी, में सहायता मिलेगी। इससे उच्चतम राजस्व एकत्र होगा जो देश की विकासात्मक आवश्यकताओं को वहन करने के लिए वृहत वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा। अध्ययन की अधिकतम सिफारिशों को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

स्वचलन सीमाशुल्क प्रक्रिया : 2003-04 के दौरान ईडीआई व्यवस्था में प्रस्तुत और संसाधित की गई 87 प्रतिशत आयात और निर्यात घोषणाओं सहित 23 स्वचालित सीमाशुल्क स्थलों की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 40 प्रमुख सीमाशुल्क स्थलों में संसाधन 95 प्रतिशत तक बढ़ गया है। तथापि, बाकी सीमाशुल्क स्थलों के ईडीआई शामिल किए जाने को समेकन परियोजना के तहत अपनाया जाएगा। इस समय इस परियोजना पर निष्पादन कार्य चल रहा है इसका वित्त मंत्रालय में गठित अधिकारिता प्राप्त समिति द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

तालिका 3.41 पर दी गई आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2004 में आरंभ किए जाने के बाद से आईसीईजीएटीई के माध्यम से सीमाशुल्क दस्तावेज प्रस्तुत करने में तेजी से वृद्धि हुई है और वैयक्तिक रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करने में भी उल्लेखनीय रूप से कमी आई है :-

निम्नलिखित विशेषताओं के कारण सीबीईसी की परियोजनाओं से माल के कर निर्धारण की प्रक्रिया को पादर्शी बनाने में भी सहायता मिली है :-

- (क) टेली इंकवायरी व्यवस्था के प्रयोग के माध्यम से दस्तावेज की प्रास्थिति संबंधी जानकारी, टच स्क्रीन किओस्कस, एसएमएस, टीवी मॉनीटर और स्थानीय वेबसाइट्स पर दस्तावेज प्रास्थिति के प्रदर्शन से व्यापार द्वारा लदान की मॉनटरिंग में बहुत अधिक पारदर्शिता आई है।
- (ख) आईसीईजीएटीई पर दस्तावेज ट्रेकिंग, स्टेट्स क्वेरी और हेल्प डेस्क के माध्यम से पारदर्शिता उत्पन्न करना।
- (ग) विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in और www.icegate.gov.in के माध्यम से जानकारी का प्रसार।

इसके अतिरिक्त, व्यवस्था के उन्नयन और ई-मोड अपनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें भी की गई हैं :-

जोखिम प्रबंध व्यवस्था: कम जोखिम वाले आयातकों/निर्यातकों के लिए

सुगम बनाने और उच्च जोखिम वाले मामलों में प्रभावी प्रवर्तन उपलब्ध कराने के लिए माल की शीघ्र निकासी को बढ़ाने के लिए जोखिम प्रबंधन व्यवस्था (आरएमएस) पर आधारित स्व कर निर्धारण और सीमाशुल्क निकासी में पश्च लखा परीक्षा को आरंभ किया जाना। आरएमएस (आयात मॉड्यूल) इस समय 23 सीमाशुल्क स्थलों पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय आरएमएस एक संवितरित संरचना में चलाया जा रहा है। एक केन्द्रीय सर्वर पर विस्तारित करने के लिए अनुप्रयोग में परिवर्तन किए जा रहे हैं। आई जी एम डाटा के आधार पर पर्यवलोकन हेतु कंटेनरों के चयन के लिए आर एम एस न्हावा शेवा पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड परियोजना:

सीबीईसी प्रमुख स्वचलन पहल (समेकन परियोजना) पर कार्य कर रहा है। जिसे नवम्बर, 2007 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीसीईए के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, विक्रेताओं के साथ संविदाएं निष्पादित की गई हैं और परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है। डाटा सेंटर को पूर्णतः गठित किया जा चुका है और डाटा सेंटर के लिए आईटी हार्डवेयर को स्थापित तथा चालू किया जा चुका है। नेटवर्किंग आधारभूत संरचना (डब्ल्यूएएन/एलएएन) स्थापित की जा रही है और स्वीकृति के लिए साइट्स प्रस्तुत की जा रही है।

डाटा सेंटर पर लागू करने के लिए सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर कारोबार प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन्स को उन्नयित/विकसित किया जा रहा है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर एप्लीकेशन एलटीयू बंगलौर में दिसम्बर, 2008 में अग्रगामी आधार पर लागू किए गए हैं और इनके मार्च, 2009 के अंत तक अन्य अग्रगामी स्थलों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है और बाकी देश में जून, 2009 तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है। सीमाशुल्क पक्ष पर, भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई व्यवस्था (आईसीईएस रूपान्तर 1.5) का उन्नयित रूपान्तरण विकासाधीन है और इसे जल्दी ही चुनिन्दा सीमाशुल्क स्थलों में अग्रगामी आधार पर लागू कर दिया जाएगा। सफल विकास और परीक्षा के बाद, अधिक संख्या में समुद्री पत्तन और हवाई अड्डे इस स्वचालित सीमाशुल्क प्रक्रियाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस प्रोजेक्ट है जो विकासाधीन है।

सरकारी अफीम और क्षारोद कारखाने

मुख्य कारखाना नियंत्रक के संगठन ने अपनी स्वयं की वेबसाइट आरंभ की है जिसमें संगठन, इस की गतिविधियां। सम्पर्क विवरण आदि के बारे में पूरी जानकारी अन्तर्निहित है। विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की जानकारी और भागीदारी के लिए सभी निविदाएं समय पर लोड की जाती हैं। संगठन ने इंटरनेट के माध्यम से ड्रग्स के उत्पादन, ड्रग्स की बिक्री आदि से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करने का भी प्रबंध किया है। संबंधित

प्राधिकारियों की जानकारी के लिए विभिन्न अन्य जानकारीयां भी स्थापित की गई हैं और उन को जल्दी ही इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए अग्रिम निर्णय प्राधिकरण

अग्रिम निर्णय प्राधिकरण का कार्यालय कम्प्यूटर्स और इंटरनेट सुविधा से पूर्णतः सम्पन्न है। प्राधिकरण के कार्यालय से संबंधित सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.cbec.gov.in/cae/aar.htm पर उपलब्ध है। इंटरनेट पर इस प्राधिकरण के बारे में सारी सूचनाओं तक व्यापार, उद्योग-जगत और आवेदकों की पहुँच है। ई-मेल पर प्राप्त सभी प्रश्नों का ई-मेल के द्वारा ही तुरंत उत्तर देने के द्वारा इस प्राधिकरण का व्यापार और उद्योग-जगत तथा आवेदकों के साथ सम्पर्क बना रहता है।

जब्त सम्पत्ति के लिए अपीलीय प्राधिकरण

तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (साफेमा) के तहत जब्त संपत्ति अपीलीय प्राधिकरण (एटीएफपी) स्थापित किया गया था। इसने 3.1.1977 से कार्य करना आरंभ किया था। तदनुसार, वर्ष 1989 में इस में संशोधन के बाद स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस) के तहत अपीलीय अधिकरण के रूप में भी इस अधिकरण को स्थापित किया गया था।

अधिकरण में एक अध्यक्ष (जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा है) और दो सदस्य (जो सामान्यतः अपर सचिव, भारत सरकार के स्तर के अधिकारी होते हैं) शामिल हैं। यह नई दिल्ली में स्थित है और इस की कहीं कोई शाखा नहीं हैं। तथापि, जनता को उस के द्वार पर ही न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत देश में विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगाए जाते हैं।

अधिकरण अपीलों और जब्ती के विरुद्ध दायर संबंधित मामलों या सीमाशुल्क अधिनियम 1962 या एन डी पी एस अधिनियम, 1985 के तहत अथवा कोफपोसा 1974, पी आई टी एन डी पी एस अधिनियम, 1988 के तहत पकड़े गए दोषी व्यक्तियों की गैर-कानूनी सम्पत्तियों की जब्ती के लिए सक्षम प्राधिकारियों के रूप में पदनामित अधिकारियों द्वारा पारित अन्य आदेशों तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर धारित सम्पत्ति और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आने वाले व्यक्तियों की गैर कानूनी रूप से अधिग्रहित सम्पत्ति की जब्ती या कीलन (फ्रीजिंग) के लिए सुनवाई करता है।

अपीलों और याचिकाओं पर निर्णय बैंचों द्वारा किया जाता है जिस में कम से कम दो सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है। दिनांक 1.1.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि के दौरान एसएएफएफएमए

तालिका 3.41

सीमा शुल्क दस्तावेजों को दायर करना

वर्ष	आगम पत्र			लदान पत्र		
	ईडीआई	आईसीईजीएटीई के माध्यम से	वैयक्तिक रूप से	ईडीआई	आईसीईजीएटीई	वैयक्तिक रूप से
2004-05	17,66,674	8,25,159	1,58,013	29,58,490	14,63,286	3,55,318
2005-06	20,64,382	9,04,841	1,09,180	33,84,867	17,09,585	2,49,547
2006-07	23,36,919	21,14,975	71,301	37,22,998	24,22,457	2,06,635
2007-08	27,04,158	23,73,062	90,680	40,81,719	30,21,756	2,33,440

के तहत 35 अपीलें और 62 विविध याचिकाएं तथा एनडीपीएस के तहत 80 अपीलें और 61 विविध याचिकाएं दायर की गई थीं। इस अवधि के दौरान 62 अपीलों और 58 विविध याचिकाओं का निपटान किया गया।

अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (आयकर)

प्राधिकरण का कार्यालय कम्प्यूटर्स, ई-मेल, इंटरनेट सुविधा आदि से सम्पन्न है। अनुभाग अधिकारी के स्तर तक पीसी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी कर्मचारियों (समूह घ कर्मचारियों के अतिरिक्त) की कम्प्यूटर संचालन की उचित पृष्ठभूमि है। कम्प्यूटर्स का प्रयोग वेतन के बिल तैयार करने, हाउस कीपिंग रिकार्ड्स रखने, पुस्तकालय की पुस्तकों का रिकार्ड रखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ई-मेल का आवेदकों, राजस्व विभाग तथा वाणिज्य और उद्योग में विभिन्न संगठनों के साथ संप्रेषण करने के लिए निर्बाध रूप से प्रयोग किया जा रहा है। 30 जनवरी, 2006 को ए.ए.आर. की वेबसाइट भी आरंभ की गई थी, जिसमें ए.ए.आर. द्वारा घोषित कार्य करने के तरीकों, सुविधाओं और घोषित निर्णयों से संबंधित सभी विवरण अन्तर्निहित हैं। वेबसाइट में और सुधार किए गए हैं और निर्णयों को तत्काल उसी दिन अद्यतन कर दिया जाता है जिस दिन वे घोषित की जाती हैं।

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निपटान आयोग

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क निपटान आयोग के संबंध में जानकारी पहले से ही वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.firmin.nic.in में उपलब्ध है।

राज्य कर

आसूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एन ई जी पी) के अंतर्गत राजस्व विभाग वाणिज्यिक करों पर एक मिशन मोड प्रोजेक्ट का समन्वयन कर रहा है, जो राज्य करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस पहल है। विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, हैदराबाद (एन आई एस जी) को नीतिगत परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है ताकि समग्र स्कीम और फ्रेमवर्क का विकास किया जा सके जिस में कोई भी वैयक्तिक राज्य परियोजना को अपना सकता है। सभी राज्यों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई रूपरेखा के अनुसार ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कहा गया था। संबंधित राज्यों से डीपीआर प्राप्त कर लिए गए हैं और उन की एन जी पी के तहत एक परियोजना प्रस्ताव में समेकित करने हेतु जांच की जा रही है। इस के अतिरिक्त, विभाग हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर में कर प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना को समर्थन देने के लिए वचनबद्ध है जो अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अपनाई गई है।

सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण

अधिकरण की वेबसाइट अगस्त, 2003 में आरंभ की गई थी और अब अधिकरण की वाद-सूचियां और आदेश इस पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। पृथक 'आईकॉन' में विशेष रूप से महत्वपूर्ण निर्णयों की मुख्य बातें दी जा रही हैं। सेस्टेट की दो और क्षेत्रीय बैंचों अर्थात् बंगलौर और कोलकाता को कम्प्यूटराइज्ड करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। अन्य दो क्षेत्रीय बैंचों को कम्प्यूटरीकृत करने की प्रक्रिया पर भी कार्य चल रहा है।

जब्त संपत्ति के लिए अपीलीय अधिकरण

धन शोधन का निवारण अधिनियम, 2002 (सीएमएलए) के तहत दिनांक 1 जुलाई, 2005 को अपीलीय अधिकरण अस्तित्व में आया था।

अधिकरण में एक अध्यक्ष (जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं) और दो-दो सदस्य शामिल हैं। एक सदस्य एक लेखाकार सदस्य होगा, जो कम से कम दस वर्षों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा है और दूसरा सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा है या भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य है अथवा

रहा है और जिसने आयुक्त/संयुक्त सचिव का पद धारण करता हो अथवा भारतीय विधि सेवा, आयकर, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में कम से कम तीन वर्ष तक समकक्ष पद धारण किया हो।

पी एम एल ए के अधीन अपीलीय अधिकरण एक राष्ट्रीय अधिकरण है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह अधिकरण पी एम एल ए के अन्तर्गत धन शोधन में शामिल सम्पत्ति की कुर्की/जबती के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित कुर्की/जबती के विरुद्ध दायर अपीलों और सम्बद्ध याचिकाओं का न्याय निर्णयन कर रहा है। यह निदेशक - वित्तीय आसूचना यूनिट भारत (एफ आई यू-इंडिया) द्वारा अर्थदंड लगाने वाले आदेशों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों का न्याय निर्णयन भी करता है। अपीलीय प्राधिकरण की बैंचें नई दिल्ली में स्थित हैं, इस की देश में कहीं और कोई बैंच नहीं है।

अपील और सम्बद्ध याचिकाओं का अध्यक्ष और एक या दो सदस्यों सहित स्थापित बैंचों द्वारा निपटान किया जाता है, जैसा भी अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाए। दिनांक 1.4.2008 से 31.12.2008 की अवधि के दौरान 13 अपीलों और 6 सम्बद्ध याचिकाएं दायर की गई थी जिनपर सुनवाई चल रही है।

आयकर समझौता आयोग

प्रमुख बैंच सहित सभी चार बैंचों में सभी अनुभागों में कम्प्यूटरीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और अधिकतम कार्यवाही कार्य कम्प्यूटर पर किया जाता है।

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय में कम्प्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है। मुख्यालय और 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में एल ए एन नेटवर्क पहले ही पूरा किया जा चुका है। अन्य क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के लिए एल ए एन नेटवर्क का कार्य किया जा रहा है और इसके इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के स्टोरेज के लिए मुख्यालय में मुख्य सर्वर स्थापित किया जा रहा है। साफ्टवेयर तैयार करने के लिए प्रोग्रामर्स की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। मुख्यालय के कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को एन आई सी द्वारा ई-मेल पते भी आवंटित किए जा चुके हैं और अन्य कार्यालयों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सूचना और आसूचना के विकास में इंटरनेट का प्रयोग और इस के सहयोगी संगठनों के साथ सहभागिता बहुत सुविधाजनक सिद्ध हुई है।

अन्वेषण/आसूचना अनुभाग में निपटाए गए मामलों के लिए विकसित साफ्टवेयर और व्यक्तिगत सेवा डाटा बेस तथा एसीएमएम/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय। एटीएफई में लंबित मामलों से संबंधित डाटा एंट्री संबंधी कार्य पहले ही किया जा चुका है।

पी एम एल ए की मानीटरिंग के लिए साफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है और इसे सभी क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा चुका है।

25. शिकायत निवारण तंत्र

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना कर सुधार प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इस उद्देश्य को सर्वाधिक ध्यानकर्षण मिलना जारी है। इस संबंध में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :-

सिटीजन चार्टर में सीबीईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की जा रही प्रमुख सेवाओं की सूची सेवाओं के अनुरूप सेवा मानक और मानकों के गैर अनुपालन के लिए निर्धारित को उपलब्ध उपचार अन्तर्निहित हैं।

सीबीईसी और इसके क्षेत्रीय कार्यालय जनता के विभिन्न वर्गों अर्थात् अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों आयातकों, निर्यातकों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों और सेवा कर निर्धारितियों के साथ नियमित सम्पर्क रखते हैं। ये प्रतिवेदन/शिकायतें जनता की पूर्वोक्त श्रेणी से तथा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से भी प्राप्त होती है।

सीबीईसी के पास ऐसे प्रतिवेदनों/शिकायतों से निपटने के लिए एक विस्तृत व्यवस्था है। सीबीईसी सक्रियता से करदाताओं/पणधारियों को कर प्रशासन प्रक्रिया में शामिल करने के सिद्धांत का पालन कर रहा है। इस पहल के भाग के रूप में, महत्वपूर्ण करदाता विभिन्न विभागिय समितियों जैसे क्षेत्रीय सलाहकार समितियां, लोक शिकायत समिति आदि, के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त सभी सीमाशुल्क आयुक्तालय प्रमुख करदाताओं सहित आयात और निर्यात से संबंध रखने वाले सभी पणधारियों के साथ मासिक व्यापार सुविधा समिति की बैठकें भी कर रहे हैं। इन फोरा की बैठकें आवधिक रूप से की जाती हैं और व्यापार के सदस्यों से निविष्टियां प्राप्त की जाती हैं, उनकी जांच की जाती है और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाती है।

जनता और कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए सीबीईसी में लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है जो सीबीईसी में संयुक्त सचिव (प्रशा.) जो इस प्रयोजनार्थ एक नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किए गए हैं, के अधीन कार्य करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आयुक्तालय द्वारा भी व्यापार जगत से शिकायतों को सुनने के लिए आयुक्तालय और अधीनस्थ कार्यालयों में लोक शिकायत अधिकारी पदनामित किया गया है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

शिकायत निवारण तंत्र : आयकर विभाग में एक 3-टियर शिकायत निवारण तंत्र है, जैसाकि नीचे दिया गया है :-

- (1) अध्यक्ष केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिकायत सेल : यह सेल भारत सरकार के अधीन सीधे ही कार्य करता है।
- (2) प्रत्येक आयकर मुख्य आयुक्त/महा निदेशक की अधीनता में क्षेत्रीय शिकायत सेल: दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई जैसे स्थानों में जहां एक से अधिक मुख्य आयुक्त हैं, क्षेत्रीय शिकायत सेल मुख्य आयुक्त । की अधीनता में कार्य करता है।
- (3) जहां महानिदेशक का कोई मुख्य आयुक्त नहीं तैनात होता है वहां शिकायत कक्ष आयकर आयुक्त के अंतर्गत काम करता है।

शिकायत संबंधी याचिकाओं का, संबंधित आयुक्त के तहत कार्य कर रहे शिकायत सेल को अथवा शिकायतों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी से सीधे तौर पर सम्पर्क करके संबंधित आयुक्त के अंतर्गत कार्य कर रहे शिकायत सेल को संक्षिप्त में शिकायत का उल्लेख करते हुए सादे कागज में आवेदन किया जाए।

यदि आवेदन करने के एक महीने के बाद भी, जैसा इंगित किया गया है, शिकायत को दूर नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता, शिकायत को संबंधित मुख्य आयकर आयुक्त के अधीन काम कर रहे क्षेत्रीय शिकायत सेल को भेज सकता है। नोडल अधिकारियों को इन सेलों का प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, शिकायत संबंधी याचनाओं को प्राप्त करने तथा जनता की मदद के लिए सुविधा केन्द्र बनाए गए हैं।

यदि क्षेत्रीय शिकायत सेल द्वारा शिकायत को 2 महीने के भीतर दूर नहीं किया जाता है, तो आवेदन को अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय शिकायत सेल को भेज जा सकता है। केन्द्रीय शिकायत सेल, निदेशक (मुख्या.) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा संचालित होता है

राज्य कर अनुभाग

राज्य कर अनुभाग सीधे तौर पर किसी कर कानून को लागू नहीं करते और इसलिए इसमें सीधा जन हस्तक्षेप नहीं होता है। तथापि, जब कभी भी कोई शिकायत/सुझाव प्राप्त होते हैं, तो उन पर शीघ्रता से उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

अग्रिम निर्णय (आयकर) हेतु प्राधिकरण

इस तरह की कोई शिकायत संबंधी याचिका जन समुदाय से प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसार अग्रिम निर्णय संबंधी प्राधिकरण द्वारा जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। अन्य ब्यौरे, जैसे कि अग्रिम निर्णय संबंधी प्राधिकरण का कार्यकरण, इसकी शक्तियां, संगत फार्म आदि को अग्रिम व्यवस्था संबंधी प्राधिकरण की सरकारी वेबसाइट में भी प्रकाशित किया गया था, जिसे 30 जनवरी, 2006 को आरम्भ किया गया था।

अग्रिम निर्णय (सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) हेतु प्राधिकरण

प्राधिकरण, विदेशी निवेशकों के लिए एक सुविधा प्रदान करने वाला निकाय है तथा प्राधिकरण के अति अल्प स्टॉफ नफरी को ध्यान में रखते हुए एक अलग शिकायत दूर करने वाली मशीनरी संभव नहीं है। तथापि, प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं।

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय अधिकरण

महिलाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए माननीय श्रीमती अर्चना वाधवा, सदस्य (न्यायिक), सेस्टेट की अध्यक्षता में एक शिकायत कमेटी का गठन किया गया है।

आयकर समझौता आयोग

जहां तक आयकर समझौता आयोग का संबंध है, आयोग के प्रत्येक पीठ में जन शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। तथापि, आज की तारीख में कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

सरकारी अपीम एवं क्षारोद फौवरी

सीसीएफ के संगठन में जन शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। श्रमिक संबंधी शिकायतों में भी तेजी से वृद्धि हुई है और इस अवधि के दौरान प्रबंधन एवं कामगारों के बीच संबंध सुसंगत एवं सौहार्दपूर्ण थे।

प्रवर्तन निदेशालय

कार्य स्थल पर महिलाओं क यौवन उत्पीड़न के निवारण हेतु एक शिकायत समिति, प्रवर्तन निदेशालय, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, नई दिल्ली में गठित की गई है परन्तु लिंग विभेदीकरण अथवा कार्य स्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का कोई मामला समिति की जानकारी में नहीं आया है

26. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम का विकास

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

उत्तर-पूर्वी राज्यों (सिक्किम सहित) में अवस्थित उपक्रम के संबंध में करावकाश का लाभ

धारा 80 झग के तहत करावकाश का लाभ सांविधिक शर्तों को पूरा करने पर किसी भी उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवस्थित उपक्रम को उपलब्ध होता है। तथापि, धारा 80 झग के तहत कोई लाभ उपलब्ध नहीं होता है, यदि उपक्रम किसी वस्तु अथवा सामान का विनिर्माण अथवा उत्पाद आरम्भ करता है अथवा 31 मार्च, 2007 के बाद पर्याप्त विस्तार का वादा करता है। तथापि, सिक्किम के मामले में आखिरी तारीख इस धारा के तहत 31 मार्च, 2012 थी। इस आखिरी तारीख में भी वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधन कर 31 मार्च, 2007 किया गया है

एक नई धारा 80-झड. को कर लाभ मुहैया कराने के लिए अन्तःस्थापित

किया गया है और यह उस किसी भी उपक्रम पर लागू होती है जो किसी भी उत्तर-पूर्वी राज्यों (जिसमें सिक्किम राज्य शामिल है) में अवस्थित हो और 1 अप्रैल, 2007 को आरम्भ होने वाली तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निम्न को आरम्भ किया गया हो या आरम्भ करता हो-

- किसी उपयुक्त वस्तु अथवा सामान का विनिर्माण अथवा उत्पाद ;
- किसी उपयुक्त वस्तु अथवा सामान का विनिर्माण अथवा उत्पाद का पर्याप्त विस्तार आरम्भ करता हो; और
- कोई उपयुक्त कारोबार चलाता हो।

उपयुक्त वस्तु अथवा सामान को निम्नलिखित से भिन्न वस्तु अथवा सामान के रूप में परिभाषित किया गया है ;

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5), की पहली अनुसूची के अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाला माल ; जो तम्बाकू एवं विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्पों से संबंधित है ;
- पान मसाला, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय 21 के अंतर्गत आता है ;
- 20 माइक्रोन से कम के सामान ले जाने वाले प्लास्टिक बैग जैसा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 705(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1999 और का.आ. 698 (अ), दिनांक 17 जून, 2003 के तहत विनिर्दिष्ट है ; और
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला माल, जो पेट्रोलियम तेल अथवा गैस रिफाइनरी द्वारा उत्पादित हो।

निम्नलिखित के कारोबार को उपयुक्त कारोबार के रूप में परिभाषित किया गया है :

- होटल (दो सितारा श्रेणी से कम नहीं)।
- रज्जुमार्ग सहित एडवेंचर एवं फुर्सत देय खेल ;
- कम से कम 25 बिस्तरों की क्षमता के साथ नर्सिंग होम स्वरूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला हो
- प्रचलित वृद्धावस्था आश्रम की सुविधा हो।
- होटल प्रबंधन, कैटरिंग एवं फूड क्राफ्ट, उद्यमता विकास, नर्सिंग और पैरा मेडिकल नागरिक विमानन से संबंधित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की सुविधा हो।
- चालू सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र।
- सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर का विनिर्माण; और
- जैव प्रौद्योगिकी।

इस धारा के तहत देय छूट उन दस लगातार कर निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध होता है जो आरम्भिक कर निर्धारण वर्ष अर्थात् पूर्ववर्ती वर्ष के संगत कर निर्धारण वर्ष से आरम्भ होता है, जिसमें उपक्रम विनिर्माण करता हो अथवा वस्तुओं अथवा सामानों का उत्पाद करता हो या पर्याप्त विस्तार पूरा कर लिया हो या उपयुक्त कारोबार शुरू करता है।

नये रूप में अन्तःस्थापित की गई धारा में निम्नलिखित शर्तों को भी निर्धारित किया गया है :-

- उपक्रम को विभाजित करके अथवा पहले से मौजूद कारोबार का

पुनर्निर्माण करके तैयार नहीं किया जाना चाहिए। यह शर्त उस उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगी जिसे धारा 33ख में उल्लेख किए गए अनुसार परिस्थितिवश एवं उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी ऐसे उपक्रम के कारोबार के निर्धारित द्वारा पुनः संस्थापन, पुनर्निर्माण अथवा पुनरुद्धार के परिणामस्वरूप तैयार किया गया हो।

- इसे किसी नये कारोबारी मशीनरी अथवा पहले से प्रयुक्त प्लांट के अंतरण से तैयार नहीं किया जाना चाहिए। धारा 80-झक की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और 2 के उपबंध भी इस शर्त पर लागू होंगे।
- निर्धारित, जो धारा 80-झड़ के तहत उपक्रम के लाभ एवं अभिलाभों के संबंध में छूट पाने के लिए पात्र है, वह उक्त लाभो एवं अभिलाभों के संबंध में अध्याय 24 के किसी अन्य धारा के तहत अथवा में धारा 10क अथवा धारा 10कक अथवा धारा 10ख अथवा धारा 10खक के तहत किसी छूट के दावे के लिए पात्र नहीं होगा।
- धारा 80 झड. के तहत छूट की कुल अवधि की संगणना करते समय, वह अवधि, जिसके लिए धारा 80झख(4) अथवा धारा 80-झग अथवा धारा 10ग के दूसरे परन्तुक के अंतर्गत छूट अनुमत थी, शामिल होगी। दूसरे शब्दों में, धारा 80 झड. में निर्दिष्ट तारीखों से पहले संस्थापित तथा जो धारा 80-झख अथवा धारा- 10ग अथवा 80-झग के तहत छूट हेतु पात्र किसी उपक्रम के मामले में है, धारा 80-झड. के तहत छूट का दावा करने की समग्र अवधि 10 वर्षों से अधिक नहीं होगी ;
- धारा 80 झक की उप-धारा (5) और उप-धाराओं (7) से (12) में निहित उपबंध भी इस धारा के तहत पात्र उपक्रम पर लागू होंगे।

उपर्युक्त संशोधनों को कर निर्धारण वर्ष 2008-09 और उत्तरवर्ती वर्षों से लागू किया गया है।

आयकर अधिनियम की धारा 10 उन आयों से संबंधित होती है जो कुल आय का मुख्य भाग नहीं होते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए धारा 10 में एक नया खंड (26कक) यह मुहैया कराने के लिए अन्तः स्थापित किया गया है कि निम्नलिखित आय, जो किसी सिक्किमी व्यक्ति से प्रकट अथवा पैदा होती है, आयकर से छूट प्राप्त होगी -

(क) सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से प्राप्त आय ; अथवा

(ख) प्रतिभूतियों पर लाभांश अथवा ब्याज के रूप में प्राप्त आय।

यह छूट उस सिक्किमी महिला को प्राप्य नहीं होगी, जो पहली अप्रैल, 2008 को अथवा उसके बाद किसी गैर- सिक्किमी व्यक्ति से विवाहित हो।

राजस्व मुख्यालय (राज्य कर अनुभाग)

विभाग, मूल्यवर्धित कर कम्प्यूटरीकरण, को आरम्भ करने में उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जो कि मूल्यवर्धित कर के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु एक बहुत जटिल मांग है। महानिदेशक, सिस्टम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, 5 उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम एवं मेघालय को छोड़कर जिन्होंने मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण का दायित्व अपने ऊपर लिया है) के मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण के लिए टीसीएस के जरिए एक टर्नकी प्रोजेक्ट तथा सिक्किम में मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण के लिए एनआईसी के जरिए दूसरे प्रोजेक्ट को कार्यान्वित कर रहा है। इन प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन को आरम्भिक चरण के 14.50 करोड़ रुपये के कुल आरम्भिक बजट से पूरा कर लिया गया है। 6.50 करोड़ रुपये का एक बजटीय प्रावधान, उत्तर - पूर्वी राज्यों में मूल्यवर्धित कर के कम्प्यूटरीकरण प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में किया गया है। इसमें से 4,78,99,132/

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड				
क्र.सं.	मु.आ.क.आयुक्त प्रभार/स्टेशन	कार्य का नाम	स्वीकृति आदेश सं. एवं तारीख	राशि
1.	मु.आ.क.आ., शिलांग/शिलांग	वर्ष 2007-08 के दौरान शिलांग में आयकर विभाग के आवासीय एवं गैर-आवासीय भवन की मरम्मत ।	आर/2/2008-09 दिनांक 15.04.2008	4,33,600
2.	मु.आ.क.आ., शिलांग/शिलांग	आयकर कैम्पस शिलांग में कूड़ादान तथा अन्य मरम्मत संबंधी कार्य करते हुए ट्रॉजिट कार्यालय के पीछे भाउंड्री दीवार को ऊंचा करना ।	ओ/7/2008-09 दिनांक 15.4.2008	4,78,800
3.	मु.आ.क.आ., गुवाहाटी	राष्ट्रीय भवन निर्माण कार्पोरेशन लि. द्वारा आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	ओ/18/2008-09 दिनांक 23.04.2008	16,73,45,000
4.	मु.आ.क.आ., गुवाहाटी	मुख्य आयकर आयकर आयुक्त, गुवाहाटी के प्रभार में आयकर आवासीय कॉलोनी, गुस्मर, जोरहाट (असम), के भीतर सड़क का मरम्मत कार्य ।	आर/15/2008-09 दिनांक 07.10.2008	6,61,795

- रुपये का व्यय दिनांक 30.12.2008 तक प्राप्त किया गया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

एक नया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है, करदाताओं को कर प्रशासन के करीब लाने की दृष्टि से सृजित किया गया है। आयुक्तालय ने 01.12.2008 से काम करना आरम्भ कर दिया है।

मुख्य नियंत्रक, सरकारी अपील एवं क्षारोद फैक्ट्री

सरकारी अफीम एवं क्षारोद के डब्ल्यूज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संचालन में हैं और इस प्रकार यह विषय इस संगठन से संबंधित नहीं है।

अग्रिम निर्णय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क) हेतु प्राधिकरण
प्राधिकरण, मुख्य रूप से विदेशी निवेशकों के लिए सुविधा प्रदान करने वाला एक निकाय है और न कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के संबंध में किसी क्षेत्र से संबंधित।

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के संबंध में, चूंकि अधिकरण, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं डंपिंग-रोधी मामलों में अपीलों की सुनवाई के लिए एक उच्चतर न्यायिक अपीलीय निकाय है और अधिकरण की कोई पीठ उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अवस्थित नहीं है, अतः इस विषय पर अधिकरण को कोई सूचना नहीं है।

27. जेन्डर बजटिंग/महिला सशक्तिकरण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

महिलाओं की शिकायतों का देखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक आयुक्तालय/निदेशालय में एक यौवन उत्पीड़न समिति का गठन किया गया है। इस तरह की कोई भी शिकायत, जो क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त हुई हो, को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड में संभार-तंत्र निदेशालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण/कल्याण के लिए कुछेक विशिष्ट पहल आरम्भ किए जा रहे हैं। निदेशालय ने उन कर्मचारियों के आश्रितों के लिए

जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई है, उनकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए 64 मामलों में 58.25 लाख रुपये की अनुग्रही वित्तीय सहायता मंजूर की है। 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी उस कर्मचारी की पत्नी को मंजूर की गई है जिनकी अपवचन-रोधी कार्यों का निष्पादन करते समय मृत्यु हो गई हो। नकद पुरस्कार योजना, 2007 को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणामों के आधार पर होनहार विद्यार्थियों को ईनाम देने के लिए पात्रता प्रतिशत को कम करके तथा बालिकाओं के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि करके जेन्डर-सेंस्टिव बनाया गया है।

मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्ट्री

महिलाओं को इस संगठन में बराबर के अवसर एवं हैसियत प्राप्त है। इस संगठन में महा-प्रबंधक (वित्त) का अति वरिष्ठ स्तर का पद महिला द्वारा धारित है। इस संगठन में लिंग भेद-भाव/महिला उत्पीड़न के लिए कोई स्थान नहीं है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

- (1) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत भारत में रह रही उस महिला के लिए जिसकी उम्र 65 वर्ष से कम है, छूट सीमा 1,45,000/- रुपये की सामान्य छूट सीमा की बजाए 1,80,000/- रुपये है। भारत में रह रहे उन सभी वरिष्ठ नागरिकों (महिलाओं सहित) के मामले में जो 65 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के हैं, ऐसी छूट सीमा 2,25,000/- रुपये है।
- (2) धर्मार्थ न्यासों अथवा संस्थानों की आय जो अपनी आय को धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए प्रयोग में ला रहे हैं अथवा संचयन कर रहे हैं, जिसमें अशक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएं तथा समाज के कमजोर क्षेत्र के लोगों का हित शामिल है, कुछेक शर्तों को पूरा करने के अधधीन छूट प्राप्त है। (धाराओं 10-(23ग), 11 एवं 12)।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में इस क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों का निर्वाह किया जा रहा है :-

- (1) महिला जरूरतों के प्रति कर्मचारियों को सुग्राह्य बनाना।
- (2) स्टॉफ के बीच मनोरंजनात्मक अंतर्क्रिया संबंधी सत्र चलाना ताकि कार्य कर रहे स्टॉफ के बीच सहृदयता का भाव पैदा हो।

- (3) प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाना जिससे महिलाओं के प्रति जागरूकता, गौरव, सम्मान और शिष्टाचार सृजित हो।
- (4) यौवन उत्पीड़न की जांच करने तथा उचित कार्यवाई करने के लिए विशेष वॉचडॉग कमेटी का गठन किया गया है।
- (5) महिलाओं की प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा, स्वाधीनता, भारत के संविधान के प्रति आदर एवं विश्वास की अभिव्यक्ति को बढ़ाने के क्रम में व्यावहारिक परिवर्तन लाकर कार्यबल को सुग्राह्य बनाना।
- (6) तुम्हें बनाम उन्हें की भावना को दूर करके आदर एवं शिष्टाचार की पारस्परिकता को बढ़ाना।
- (7) महिलाओं को अपने सरकारी कार्यों के साथ-साथ अपने घरेलू काम-काज को पूरा करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उनके लिए एक अच्छी कार्मिक नीति बनाने के क्रम में महिलाओं की पारिवारिक जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना।

अग्रिम निर्णय (सी.शु. एवं के.उ.शु.) हेतु प्राधिकरण

प्राधिकरण, मुख्य रूप से विदेशी निवेशकों के लिए एक सुविधा प्रदान करने वाला निकाय है और न कि जेंडर बजटिंग/महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी क्षेत्र से संबंधित।

अग्रिम निर्णय(आयकर) हेतु प्राधिकरण

प्राधिकरण का संगठनात्मक गठन बहुत छोटा है और इस तरह इसका महिलाओं अथवा जेंडर से संबंधित मुद्दे पर किसी नीति हेतु उपलब्ध कोई विशिष्ट स्कीम/गतिविधि अथवा संसाधन नहीं है। तथापि, इन मुद्दों पर प्राधिकरण पर यथा -अनुप्रयोज्य भारत सरकार के अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय

कार्य स्थल पर महिलाओं क यौवन उत्पीड़न के निवारण हेतु एक शिकायत समिति, प्रवर्तन निदेशालय, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, नई दिल्ली में गठित की गई है परन्तु लिंग विभेदीकरण अथवा कार्य स्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का कोई मामला समिति की जानकारी में नहीं आया है।

28. अपांगता क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर क्षेत्रों के लिए आरम्भ की गई गतिविधियां

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अति पिछड़े वर्गों तथा अपंग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी (सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति) में आरक्षण की नीति का वास्तविक रूप में पालन किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अति पिछड़े वर्गों और अपंग व्यक्तियों के अभ्यावेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाता है और उनकी परेशानियों को हल किया जाता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड में संभार-तंत्र निदेशालय, कमजोर क्षेत्रों के लिए कुछेक विशिष्ट पहल आरम्भ किए गए हैं। निदेशालय, 10वीं तथा 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणामों के आधार पर योग्य विद्यार्थियों को पारितोषित करने के लिए नकद पुरस्कार योजना क्रियान्वित करता है और स्नातक पूर्व स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा कर रहे विभागीय कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने हेतु एक छात्रवृत्ति योजना लागू करता है। निदेशालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इन स्कीमों के तहत पात्रता मापदंड को शिथिल किया है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

- (1) धर्मार्थ न्यास अथवा संस्थानों की आय, जो अपनी आय को धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संचित कर रहे हैं या लगा रहे हैं, जिसमें अपंग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं एवं समाज के कमजोर क्षेत्र के लोगों का कल्याण सम्मिलित है, कतिपय शर्तों (धाराओं 10(23ग), 11 एवं 12)को पूरा करने के अधधीन छूट प्राप्त होती है।
- (2) किसी निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में रह रहा हो, को प्राप्त अथवा उद्भूत आय जो उक्त क्षेत्रों में किसी भी स्रोत से हो तथा लाभान्श अथवा प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज छूट प्राप्त होता है (धारा 10 (26))।
- (3) छूट एक निगम, जो केन्द्र, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के तहत संस्थापित हो अथवा एक निकाय/संगठन/संस्थान जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के सदस्यों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित हो, किसी भी आय को प्राप्त है (धारा 10(26ख))।
- (4) किसी सहकारी समिति की कोई भी आय, जिसकी अर्थ व्यवस्थाएं सरकार अथवा इसी तरह के प्रयोजनों के लिए गठित अन्य सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई हों और जिसकी सदस्यता में इसी तरह की अन्य सहकारी संस्थाएं, जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए गठित की गई हों, अन्तर्निहित हैं, आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है (धारा 10(27))।
- (5) आयकर अधिनियम की धारा 80घघ के अंतर्गत 50,000/- रुपये की छूट उस व्यक्ति/हिन्दू अविभाजित परिवार के निवासी को प्राप्त है जहां कोई भी व्यय, व्यक्ति अपंग होने के कारण किसी आश्रित की चिकित्सा हेतु प्राप्त किया गया हो। गम्भीर अपंगता के मामले में 75,000/- रुपये की वृहत् छूट उपलब्ध है।
- (6) आयकर अधिनियम की धारा 80घघख के तहत 40,000/- रुपये तक की छूट वास्तव में विशिष्ट रोगों एवं बीमारियों की चिकित्सा पर प्राप्त हुए किसी व्यय के लिए व्यक्ति/हिन्दू अविभाजित परिवार के निवासी को उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, 60,000/- रुपये की वृहत् छूट उपलब्ध है।
- (7) आयकर अधिनियम की धारा 80प के तहत 50,000 रुपये की छूट अशक्त व्यक्ति होने के कारण निवासी व्यति को उपलब्ध है। गम्भीर अपंगता के मामले में 75,000/- रुपये की वृहत् छूट उपलब्ध है।
- (8) आयकर अधिनियम की धारा 8घ एक निर्धारिती को व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार होने के कारण किसी चिकित्सा बीमा को प्रभावी अथवा प्रवृत्त रखने के लिए कोई भुगतान करने हेतु छूट की व्यवस्था देता है। एक कल्याण उपाय के रूप में तथा चूंकि वृद्धों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर अलग-अलग निर्धारितियों को उनके माता-पिता उन्हें चिकित्सीय रूप से बीमाकृत करने के प्रयास को पूरा करने में प्रोत्साहित करने हेतु सापेक्षत उच्चतर मूल्य पर आते हैं, पन्द्रह हजार रुपये तक की अतिरिक्त छूट, अलग-अलग होने के कारण निर्धारिती को अपने माता अथवा माता-पिता के स्वास्थ्य पर बीमा को कारगर एवं प्रवृत्त रखने के लिए किए गए किसी भुगतान पर धारा 80घ के तहत प्रदान की गई है। माता-पिता के संबंध में आश्रित की मौजूदा शर्त को छोड़ दिया गया है। यह छूट स्वयं उसके लिए, उसकी पत्नी एवं आश्रित बच्चों के लिए चिकित्सा बीमा पर अलग-अलग निर्धारिती को उपलब्ध मौजूदा छूट के अतिरिक्त

है। इसके अलावा, यदि अलग-अलग निर्धारिती के माता-पिता दोनों में से कोई एक जिसे चिकित्सीय रूप में बीमाकृत किया गया है, एक वरिष्ठ नागरिक है तो छूट बीस हजार रुपये तक अनुमत होगी।

सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्ट्री

सीसीएफ संगठन, अपंगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए निर्धारित नियमों एवं विनियमों का कड़ाई से पालन कर रहा है। ऐसे वर्गों की शिकायतों पर आन्तरिक शीघ्र कार्यवाई करने के उद्देश्य से ऐसे वर्गों से लिए गए सदस्यों से एक समिति गठित की गई है। इस प्रयोजन के लिए रोस्टर रजिस्टर भी बनाए जा रहे हैं।

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण

अधिकरण, सरकारी नियमों एवं नियमों के अनुसार, अपंगता क्षेत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सभी सुविधाएं एवं आरक्षण संबंधी राहतें प्रदान कर रहा है।

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग

समूह “ख”, “ग”, और “घ” श्रेणी के पदों के संबंध में सभी कर्मचारी अभी प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समझौता आयोग में समूह “ग” और “घ” श्रेणी के संबंध में भर्ती नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। समूह “क” श्रेणी के पदों को स्वयं मंत्रालय द्वारा भरा गया है। इस प्रकार “लागू नहीं होते”।

अग्रिम निर्णय (आयकर) हेतु प्राधिकरण

इस प्राधिकरण का अपना कोई संवर्ग नहीं है तथा समूह “घ” कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर इस प्राधिकरण में तैनात किया गया है। नियमों के अनुसार अपंग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की मांग के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है।

अग्रिम निर्णय (सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) हेतु प्राधिकरण

अपंगता वाले क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए क्रियाकलाप चलाए गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय अपने कर्मचारियों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती करता है, जो सरकारी नीति/नियमों के अनुसार अपंगों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की दी गई छूट/आरक्षण को कार्यान्वित करता है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि वर्ष 2007-08 के दौरान कोई भर्ती नहीं की गई है।

29. केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड (सीआरएसबी)

केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड को हमारे दो विभागों के कर्मचारियों को खेलों एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उनके बीच टीम भावना, पारस्परिक सम्मान एवं मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। प्रत्येक वर्ष जब भी इसका आरम्भ होता है, आयकर और सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग विभिन्न खेलों एवं सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करते रहे हैं। विस्तृत संभावित भागीदारी को सुनिश्चित करने के क्रम में ये समारोह उप-मण्डल एवं राष्ट्रीय स्तरों पर चलाए जाते हैं और अगले उच्चतर स्तर हेतु शैक्षिक अर्हता, योग्यता के आधार पर चयन द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2008-09 के लिए पुनर्गठित केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड की वार्षिक बैठक, नये रूप में गठित केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड के अध्यक्ष श्री पी.सी.झा की अध्यक्षता में दिनांक 11 सितम्बर, 2008 को रखी गई थी। बैठक में श्री अजय सिंह, सदस्य, सीबीडीटी तथा श्री बी.के.गुप्ता, सदस्य, सीबीईसी

और कार्यकारी समिति के सभी सदस्य एवं केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड के मण्डल अध्यक्षों ने भाग लिया था। उक्त बैठक में, पदमुक्त कार्यकारी सचिव की रिपोर्ट को पारित करने के अलावा, विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक घटनाक्रमों को आयोजित करने के लिए विस्तृत समय-सारणी पर चर्चा की गई थी और पारित किया गया था। विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक घटनाओं को सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा संचालित किया गया है। विभिन्न कार्यालयों द्वारा संचालित घटनाक्रमों के ब्यौरे निम्न रूप से :-

- (1) केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड संस्थापक दिवस 5 जनवरी, 2009 को मनाया गया था। इस कार्यक्रम को मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रसिद्ध गायक, श्री भूपिन्दर सिंह
- (2) चावला (भूपी) तथा सुश्री राधिका चोपड़ा ने आमंत्रित मेहमानों को भाव-विभोर किया।
- (3) केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड द्वारा बुलाए गए टेबल टेनिस टूर्नामेंट को मुख्य आयुक्त, आयकर, हैदराबाद द्वारा नवम्बर, 2008 में आयोजित किया गया था।
- (4) अखिल भारतीय साक्षरता कार्यशाला को मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोचीन द्वारा माह नवम्बर, 2008 के दौरान आयोजित किया गया था।
- (5) उप-मण्डलीय/मण्डलीय सांस्कृतिक समारोह को मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इंदौर द्वारा माह नवम्बर, 2008 में आयोजित किया गया था।
- (6) उप-मण्डलीय/मण्डलीय खेल समारोह को मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली द्वारा माह जनवरी, 2009 में आयोजित किया गया था।
- (7) 21वां अखिल भारतीय सांस्कृतिक समारोह को मुख्य आयुक्त, आयकर बंगलौर द्वारा माह जनवरी, 2009 में आयोजित किया गया था।
- (8) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा बुलाए गए लॉन टेनिस टूर्नामेंट को मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चण्डीगढ़ द्वारा माह नवम्बर, 2008 में संचालित किया गया था।
- (9) केन्द्रीय खेल बोर्ड द्वारा बुलाए गए गोल्फ टूर्नामेंट को मुख्य आयुक्त, आयकर कोलकाता द्वारा माह फरवरी, 2009 में आयोजित किया गया था।
- (10) केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड द्वारा बुलाए गए क्रिकेट टूर्नामेंट को मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता द्वारा माह नवम्बर, 2008 में संचालित किया गया था।
- (11) केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड द्वारा रखे गए बॉलीबाल टूर्नामेंट को मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर द्वारा माह नवम्बर, 2008 में संचालित किया गया था।
- (12) अखिल भारतीय सांस्कृतिक कार्यशाला को मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शिलांग द्वारा माह दिसम्बर, 2008 में आयोजित किया गया था।
- (13) अखिल भारतीय राजस्व खेल समारोह को मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे द्वारा माह जनवरी, 2009 में संचालित किया गया था।

30. सेवोत्तम

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने निरीक्षण महानिदेशालय (डीजीआई) में एक कार्यान्वयन समिति का विधिवत रूप से गठन किया है, जैसा कि इसके अध्यक्ष को सेवोत्तम स्कीम के कार्य को पूरा करना होता है। वर्ष 2008 के दौरान सेवोत्तम के कार्यान्वयन के भाग के रूप में नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया है और इसे दानों भाषाओं (हिन्दी और अंग्रेजी) में प्रकाशित किया गया है नागरिक चार्टर, जो कि सेवोत्तम का एक मुख्य अवयव है को क्षेत्रीय कार्यालयों एवं व्यापार संगठनों को प्रचालित किया गया था। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को सेवोत्तम के कार्यान्वयन में मदद करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड हेतु एक नया परामर्शदायी नियुक्त किया है।

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्तों के ई-मेल पते दिए गए थे और शीघ्र ही विभाग सभी मुख्य आयुक्तों को आई.डी. आवंटित करेगा ताकि केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) प्रचालित हो सके। विभाग सेवोत्तम के लिए हेल्पलाइन तैयार करने की प्रक्रिया में भी लगा है।

नासेन ने सेवोत्तम पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं जिसमें सेवोत्तम स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए एक अग्रगामी प्रोजेक्ट के रूप में दो दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है और नासेन द्वारा सेवोत्तम पर एक सेमिनार-सह-कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। उन्होंने, सेवोत्तम स्कीम पर कर्मचारियों को और प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए सेवोत्तम के प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सेवोत्तम, सरकारी विभाग के अनुसार उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मॉडल है। यह पहल प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआर एवं पीजी) द्वारा की गई थी और प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु एक रोड मैप पीएमओ द्वारा तैयार किया गया था। आयकर विभाग को सेवोत्तम के कार्यान्वयन के लिए दस विभागों में से चुना गया था। एक संगठन के मानकों के अनुसार उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के बाद आईएस 15700 : 2005 के तहत एक प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त किया गया होता।

आयकर विभाग ने एक ब्लू प्रिंट तैयार किया है जिसमें सेवोत्तम के तीन मॉड्यूलों अर्थात् (1) कार्यान्वयन, नागरिक चार्टर की मॉनीटरिंग एवं

पुनरीक्षा, (2) लोक शिकायतों की प्राप्ति, निवारण तथा उन्हें रोकना, और (3) सेवा प्रदान करने की क्षमता पर विस्तार में चर्चा की गई थी और कर दाता सेवा सेंटर (टीपीएससी) के गठन हेतु एक प्रोसेस दस्तावेज़ तैयार किया गया था, जो केन्द्रीकृत प्राप्ति, रजिस्ट्रेशन एवं डाक संवितरण हेतु एक सिंगल विंडो कम्प्यूटरीकृत सर्विस तंत्र होगा। सॉफ्टवेयर, हर एक डाक प्राप्ति के लिए तथा पदक्रम के सभी स्तरों पर इसके कोर स्टैंड मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेकिंग तंत्र भी उपलब्ध करेगा।

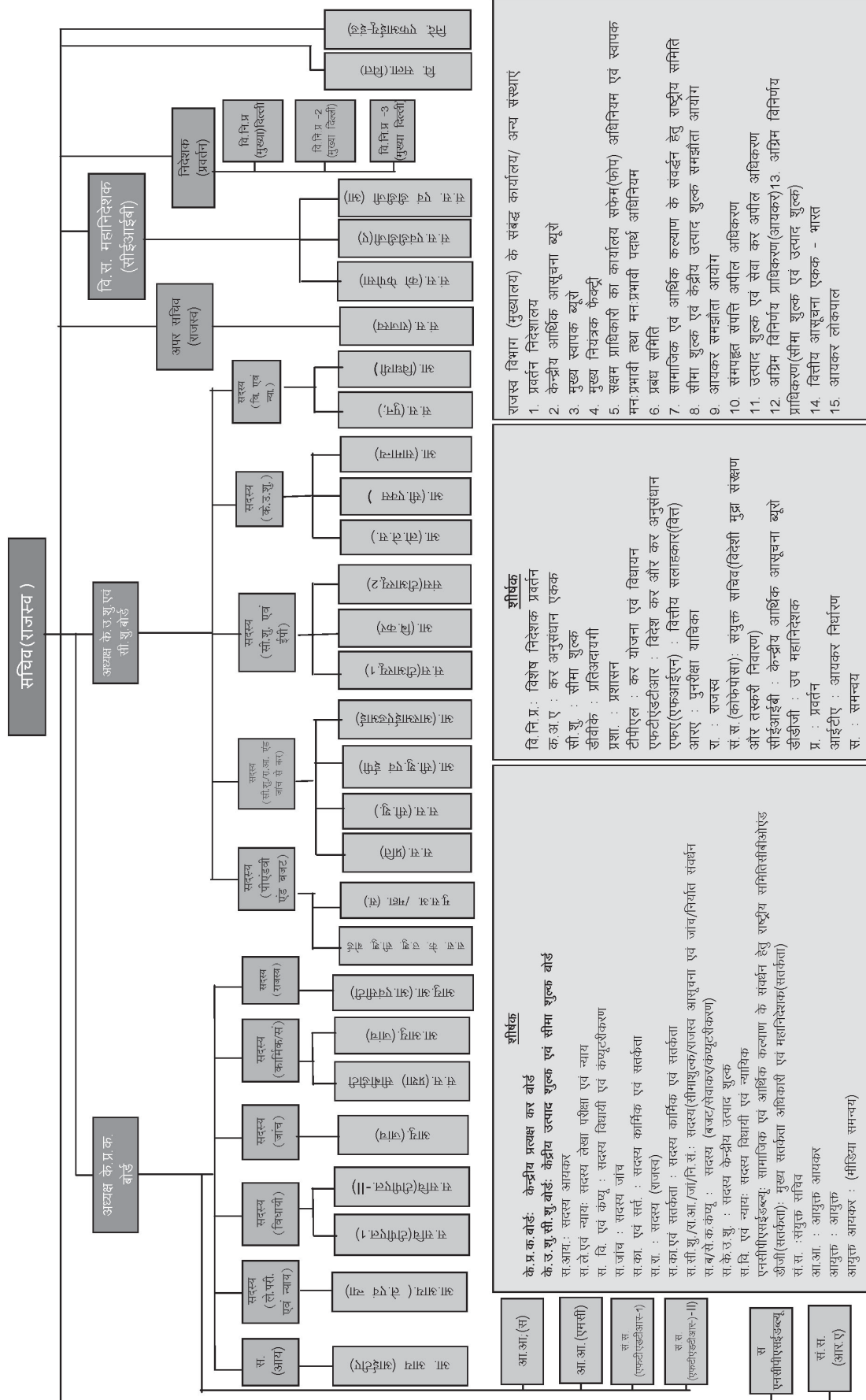
मार्च, 2007 में एक संशोधित नागरिक चार्टर तैयार किया गया है जिसमें उपलब्ध कराए गए सेवाओं के ब्यौरे, सेवा मानकों का निष्पादन, दूर की गई शिकायतें तथा सेवाओं का लाभ लेने के लिए कर दाताओं से अपेक्षाओं के ब्यौरे शामिल हैं। इस चार्टर को सेवोत्तम स्कीम के तहत विभिन्न पण्य-धारकों के विचारों को प्राप्त करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है।

नागरिक चार्टर में परिभाषित सेवा मानकों को मॉनीटर करने के लिए विभाग की प्रत्येक बिल्डिंग में कर दाता सेवा सेंटर गठित करने का निर्णय लिया गया है जो करदाताओं के लिए एकल विन्डो कान्टैक्ट के रूप में कार्य करेगा। तथापि, सेवोत्तम के अग्रगामी संचालन के पहले चरण में, कर दाता सेवा सेंट्रों को नागरिक चार्टर में निहित चार सेवाओं को मॉनीटर करने हेतु विशेष रूप से तैयार किए गए एक साफ्टवेयर की मदद से मुम्बई और उदयपुर में गठित किए गए थे। अग्रगामी संचालन के मूल्यांकन के बाद बोर्ड ने अब नागरिक चार्टर में अंतर्निहित सभी 16 मदों को मॉनीटर करने के लिए चण्डीगढ़, पुणे, कोवि और रांची के अग्रगामी संचालन को विस्तृत करने का निर्णय लिया है, इसकी तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

मुम्बई और उदयपुर में चल रहे अग्रगामी प्रोजेक्ट के तहत आय कर विभाग, मुम्बई ने सेवोत्तम स्कीम के तहत केन्द्रीकृत डाक प्राप्ति काउन्टर आरम्भ किया है। इस स्कीम के अंतर्गत इन प्रभागों में सभी अधिकारियों को संबोधित सामान्य पत्राचार, सिवाय आय की विवरणियों, के संवीक्षा नोटिसों, सम्मन एवं अर्थदंड संबंधी नोटिसों और आर.टी.आई अधिनियम आदि के तहत प्राप्त आवेदनों के प्रत्युत्तर में सभी अन्य निवेदन आयकर कार्यालय, मुम्बई के केन्द्रीकृत सेवोत्तम काउन्टर पर स्वीकार किए जाएंगे।

इस सुविधा में आयकर विभाग द्वारा कार्यान्वित अन्य ई-डिलीवरी संबंधी मुख्य-मुख्य बातें शामिल होंगी जैसेकि - विवरणियों की ई-फाइलिंग, करों का ई-भुगतान, टीडीएस विवरणियों की फाइलिंग, वार्षिक सूचना विवरणी, ऑनलाइन कर लेखाकरण पद्धति (ओएलटीएएस), कर विवरणी तैयारी योजना (टीआरपीएस), कर सूचना नेटवर्क एवं हेल्पडेस्क के साथ-साथ विभाग के सरकारी पोर्टल पर कर दाताओं के प्रश्न एवं फीडबैक।

राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट



विनिवेश विभाग

अध्याय IV

विनिवेश विभाग

1. कार्य और संगठनात्मक ढांचा

विनिवेश विभाग की स्थापना दिनांक 10 दिसम्बर 1999 की अधिसूचना सं. सी.डी./551/99 के तहत की गई थी। दिनांक 06 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. सी.डी.442/2001 के तहत विनिवेश विभाग को विनिवेश मंत्रालय के रूप में नया नाम दिया गया था। दिनांक 27 मई, 2004 की अधिसूचना सं.सीडी-160/2004 के तहत विनिवेश मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग में बदल दिया गया था और इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले।

(ख) पूर्व केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले।

टिप्पणी: पूर्व केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय - विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उभरने वाले मामलों सहित विनिवेश के बाद सभी मामलों पर जहां आवश्यक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

(ग) पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना।

(घ) सलाहकारों की नियुक्ति, शेरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करना।

(ङ.) विनिवेश आयोग।

(च) केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

(छ) राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति।

सरकार की नीति में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप विनिवेश आयोग का कार्यकाल आगे और नहीं बढ़ाया गया था तथा 31 अक्टूबर, 2004 से इसे समाप्त कर दिया गया था।

श्री विवेक मेहरोत्रा 01 अप्रैल, 2008 से 19 जनवरी, 2009 तक विनिवेश विभाग के सचिव के पद पर रहे। श्री राहुल खुल्लर ने 19 जनवरी, 2009 के अपराह्न में विनिवेश विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया।

विनिवेश विभाग के सचिव की सहायता के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी) के अलावा तीन संयुक्त सचिव हैं। विभाग डेस्क अफसर पद्धति पर कार्य करता है तथा विनिवेश संबंधी कार्य न्यूनतम अवर सचिव स्तर पर निष्पादित किया जाता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

3. विनिवेश संबंधी नीति

सरकार द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में सरकार की नीति की रूप-रेखा दी गई है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी का विनिवेश शामिल है। इस संबंध में राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) सरकार एक ऐसे सुदृढ़ और प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है जिसके सामाजिक उद्देश्यों को उसके वाणिज्यिक क्रियाकलापों द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन इसके लिए चयनात्मकता और एक अनुकूल फोकस की आवश्यकता है। सरकार प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्य करने वाली सफल, लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता सौंपने के लिए वचनबद्ध है। लाभ कमाने वाली कंपनियों का सामान्यतः निजीकरण नहीं किया जाएगा।

(ख) विनिवेश करने संबंधी समस्त विचार-विमर्श मामला दर मामला आधार पर परामर्शी तरीके से किए जाएंगे। सरकार मौजूदा 'नवरत्न' कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखेगी जबकि ये कंपनियां संसाधन पूंजी बाजार से जुटाएंगी। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों का आधुनिकीकरण और पुनर्संरचना करने तथा रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा लेकिन लगातार घाटे में चल रही कंपनियों को, सभी कामगारों को उनकी न्यायसंगत बकाया राशियां और मुआवजे मिल जाने के बाद या तो बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा। सरकार, उन कंपनियों के चहुंमुखी विकास के लिए निजी उद्योग को शामिल करेगी, जिनके पुनरुद्धार की संभावना है।

(ग) सरकार इस बात पर विश्वास करती है कि विनिवेश करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए, न कि घटनी चाहिए। यह किसी भी एकाधिकार के प्रादुर्भाव का समर्थन नहीं करेगी जिससे प्रतियोगिता

सीमित होती है। इसका यह भी मत है कि निजीकरण और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच सीधा संबंध होना चाहिए - उदाहरण के लिए निजीकरण से जुटाए गए राजस्व का उपयोग निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए करना। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को संसाधन जुटाने और खुदरा निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4. निष्पादन/उपलब्धियां

- 1 फरवरी, 2007 में, सरकार ने नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.(एनएचपीसी) में एनएचपीसी द्वारा कंपनी की 10 प्रतिशत निर्गम-पूर्व प्रदत्त पूंजी के समान इक्विटी के नए निर्गम के जरिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ 5 प्रतिशत निर्गम-पूर्व पूंजी का विनिवेश करने का निर्णय लिया था। इस आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को अक्टूबर, 2008 में आरम्भ करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। तथापि, अस्थिर पूंजी बाजार परिस्थितियों के कारण कंपनी द्वारा यह मामला फिलहाल आस्थगित कर दिया गया है।
- 2 जनवरी, 2008 में, सरकार ने रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) लिमिटेड की 10 प्रतिशत निर्गम-पूर्व इक्विटी पूंजी का, कंपनी की 25 प्रतिशत निर्गम-पूर्व प्रदत्त इक्विटी पूंजी का नए निर्गम के जरिए राइट्स लि. द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ-साथ विनिवेश करने का निर्णय लिया था। तथापि, अस्थिर पूंजी बाजार परिस्थितियों और अन्य कारकों के कारण कंपनी/रेल मंत्रालय द्वारा यह मामला फिलहाल आस्थगित कर दिया गया है।
- 3 ऑयल इण्डिया लिमिटेड की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दी गई थी। भारत सरकार, ऑयल इण्डिया लिमिटेड में अपनी धारिता के एक छोटे हिस्से की बिक्री की समकालीन सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से भी भागीदारी कर रही है। इस आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को नवम्बर, 2008 में आरंभ करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं। तथापि, पूंजी बाजार में अस्थिरता और संसाधन जुटाने के लिए प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण यह आरंभिक सार्वजनिक पेशकश फिलहाल आस्थगित कर दी गई है और बाद में उपयुक्त समय पर आरंभ की जाएगी।

5. विनिवेश से प्राप्त धन राशि

वर्ष 2008-09 के दौरान विनिवेश से कोई उपार्जन नहीं हुआ है।

6. राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ)

सरकार ने नवम्बर, 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) का गठन किया था, जिसमें केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) से प्राप्त निधियों को जमा किया जाता है। हालांकि, इस निधि की कार्यवाही औपचारिक रूप से अक्टूबर, 2007 में की गई थी, चूंकि वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कोई विनिवेश नहीं किया गया। एनआईएफ का प्रबंधन चुनिन्दा सरकारी क्षेत्र के व्यवसायिक म्युचुअल फण्डों जैसे कि एलआईसी म्युचुअल फण्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई फण्ड्स

मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तथा यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. द्वारा जमा पूंजी को समाप्त किए बिना सतत रूप से आय मुहैया कराना है।

राष्ट्रीय निवेश कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75% हिस्से का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय निवेश कोष की शेष 25% वार्षिक आय का उपयोग उन लाभप्रद तथा पुनरुद्धार योग्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा जो पर्याप्त आय प्रदान करते हैं ताकि विस्तार/विविधिकरण के वित्त पोषण के लिए उनके पूंजी आधार को बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय निवेश कोष का संचालन चयनित कोष प्रबंधकों द्वारा विभागीय प्रबंधन योजना की 'स्वैच्छिक पद्धति' के तहत किया जा रहा है, जो सेबी के दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय निवेश कोष के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण, राष्ट्रीय निवेश कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय निवेश कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस कोष के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देने के लिए सरकार द्वारा तीन सदस्यों के एक अंशकालिक सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया गया है।

पावर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) में सरकारी इक्विटी की बिक्री से प्राप्त 994.82 करोड़ रुपए की धनराशि, एनआईएफ की पहली खेप के तौर पर वित्त मंत्री द्वारा 06 अक्टूबर, 2007 को कोष प्रबंधकों के सुपुर्द कर दी गई थी।

तदुपरांत, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) में सरकारी इक्विटी की बिक्री से प्राप्त 819.63 करोड़ रुपए की धनराशि कोष में जमा की जाने वाली दूसरी खेप थी और यह 26.03.2008 तथा 30.05.2008 को दो किस्तों में निर्मुक्त की गई थी।

30 सितम्बर, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि की आय के रूप में 84.81 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की गई थी और इसे 15.10.2008 को भारत की संचित निधि में जमा करा दिया गया था।

7. राजभाषा नीति

राजभाषा से संबंधित समस्त कार्यों को निष्पादित करने के लिए विभाग में राजभाषा संबंधी सम्पूर्ण इकाई है।

8. ई-गवर्नेन्स

सभी अधिकारियों और वैयक्तिक सहायकों को अपेक्षित सॉफ्टवेयर सहित पर्सनल कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क भी सक्रिय है। एनआईसी के माध्यम से सभी अधिकारियों के लिए 24 घंटे इन्टरनेट सुविधा भी उपलब्ध है। सभी अधिकारियों को ई-मेल आइडी नम्बर भी दिए गए हैं। अधिकारी एवं कर्मचारी एनआईसी से समय-समय पर कम्प्यूटर संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे हैं।

विभाग की वेबसाइट (www.divest.nic.in) में विनिवेश सौदों से संबंधित नीति, दिशा-निर्देश, प्रक्रिया और प्रगति संबंधी डाटा और जानकारी (द्विभाषी रूप में) के साथ-साथ विभाग के मैन्युअल भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मुहैया

कराया जा सकता है। इस वेबसाइट को सतत रूप से अद्यतन किया जाता है। सभी विज्ञापनों को जब समाचार पत्रों आदि में जारी किया जाता है तो साथ-साथ इन्हें वेबसाइट पर भी डाल दिया जाता है। विभाग के प्रकाशन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

9. शिकायत निवारण

प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव को लोक शिकायत निदेशक के रूप में नामित किया गया है। हालांकि, विभाग को आबंटित कार्य की प्रकृति के कारण आमतौर पर जनसाधारण के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं होता।

10. सतर्कता तंत्र

विनिवेश से संबंधित मामलों की आरम्भिक जांच-पड़ताल और उन पर कार्रवाई अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक स्तर पर की जाती है। कार्मिक, प्रशासन, सुरक्षा, सामान्य सेवाओं और सतर्कता से संबंधित मामलों पर कार्रवाई विविध क्रियाकलाप सेवा अनुभाग द्वारा की जाती है। प्रशासन स्कन्ध, जिसमें सतर्कता भी शामिल है, का कार्य एक संयुक्त सचिव द्वारा निष्पादित किया जाता है।

11. सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के अनुसरण में, उप सचिव श्री एस.के. नाग और संयुक्त सचिव श्रीमती मीनाक्षी घोष को क्रमशः केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

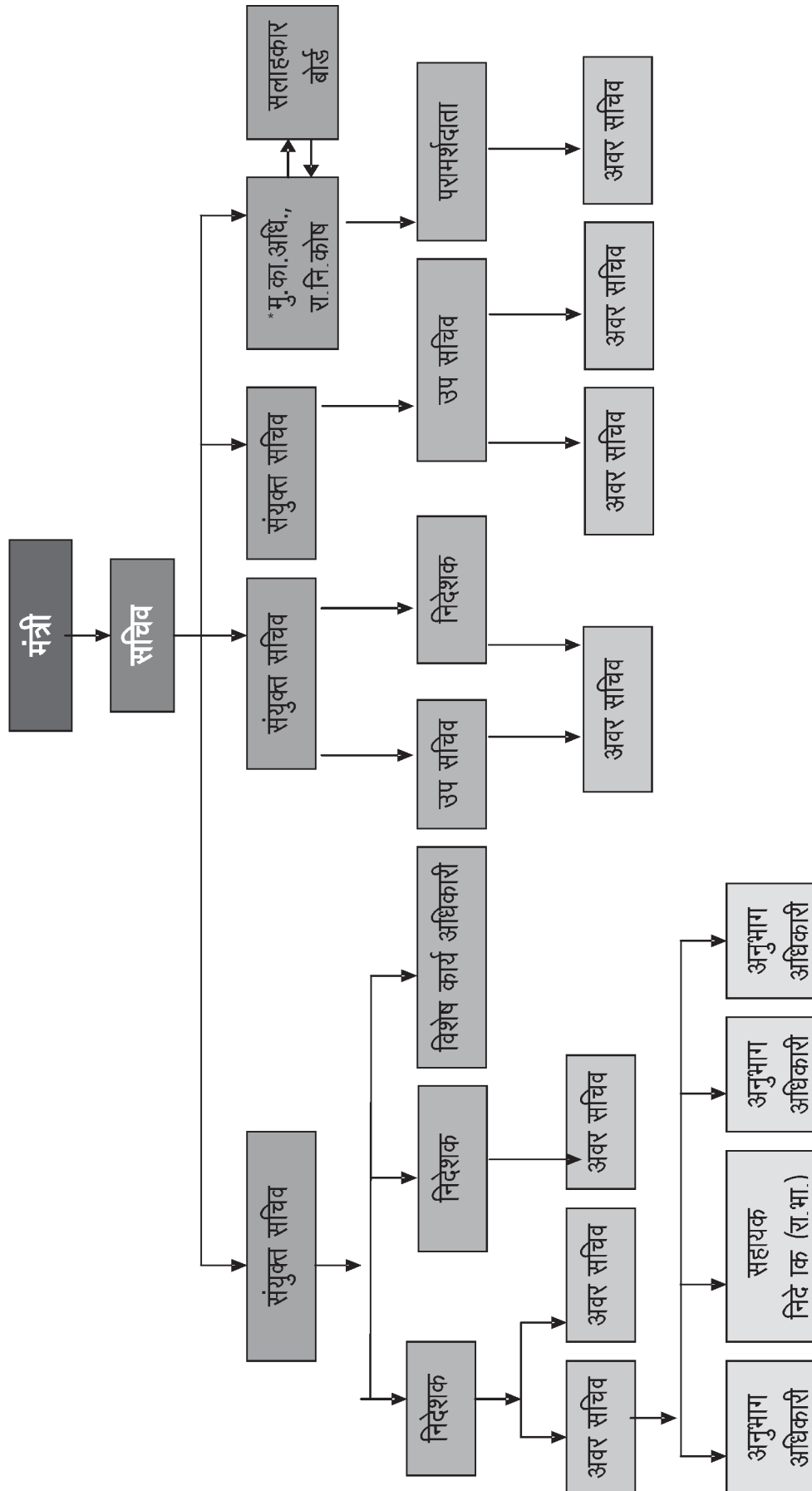
विनिवेश विभाग की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं को दर्शानेवाला एक मैनुअल विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। समय-समय इस जानकारी को अद्यतन भी किया जाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान अब तक विभाग में 38 आवेदन प्राप्त हुए थे।

12. लेखापरीक्षा संबंधी पैराग्राफ/आपत्तियां

(क) विभाग के लेखों से संबंधित

लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक के कार्यालय द्वारा अप्रैल 2008 में लेखों की लेखापरीक्षा की गई थी। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में वर्ष 2006-07 के लिए 3 बिन्दुओं के साथ-साथ पिछले वर्ष के कतिपय अन्य बिन्दु भी सम्मिलित हैं जो अनिर्णीत रहे हैं। इन्हें अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

संगठनात्मक ढांचा विनिवेश विभाग



* मुख्य कार्यकारी अधिकारी (राष्ट्रीय निवेश कोष)

वित्तीय सेवाएं विभाग

अध्याय V

वित्तीय सेवाएं विभाग

1. कार्य और संगठन

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के तत्कालीन के बैंकिंग और बीमा प्रभाग दिनांक 28.6.2007 से एक अलग विभाग बन गया है जिसका नाम वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) है। इस विभाग के मुख्य कार्य नीचे वर्णित हैं।

कार्य

1.1 बैंकिंग प्रभाग

बैंकिंग प्रभाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), वित्तीय संस्थाओं से संबंधित नीतिगत मामलों सहित विभिन्न मुद्दों की देख-रेख करता है।

बैंकिंग प्रभाग के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) अर्थात नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, आईआईएफसीएल, एक्सिम बैंक, आईएफसीआई, आईडीएफसी, आईडब्ल्यूआरएफसी, आईआईबीआई से संबंधित विधायी, प्रशासनिक और नीतिगत मामले।
- बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), चिट फंड कंपनियों आदि से संबंधित विधायी प्रस्ताव।
- गैर-सरकारी बैंकों, विदेशी बैंकों और एनबीएफसी से संबंधित नीतिगत मामले।
- निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति:
 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं के बोर्डों में मुख्य कार्यपालक तथा सरकारी नामिती निदेशक/गैर-सरकारी निदेशक।
 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)।
 - बीआईएफआर और एएआईएफआर के अध्यक्ष और सदस्य, तथा
 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मकार कर्मचारी निदेशक।
- औद्योगिक रुग्णता तथा उद्योग, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय।
- ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी), ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरएटी) और अभिरक्षक के कार्यालय की स्थापना।
- कृषि, आवास, शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों आदि सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण उपलब्धता की निगरानी।

- सरकारी ऋण से संबद्ध स्व-रोजगार कार्यक्रमों के नीतिगत मामले।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 और बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं से संबंधित सभी अधिनियमों का क्रियान्वयन।
- बैंकिंग और बीमा उद्योग में वेतन समझौता और आरक्षण नीति।

1.2 बीमा प्रभाग

यह प्रभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

- बीमा क्षेत्र के नीतिगत मामले और राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी।
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 के तहत नियम बनाना।
- निम्नलिखित व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियुक्ति
- आईआरडीए के अध्यक्ष और सदस्य
 - राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के बोर्डों में मुख्य कार्यपालक और निदेशक
 - विभिन्न बीमा अधिनियमों का क्रियान्वयन।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस), वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई), आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) और जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन।

1.3 पेंशन सुधार

- नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सहित पेंशन से संबंधित विभिन्न मुद्दों और नीतिगत मामलों से संबंधित कार्य।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और केन्द्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) से संबंधित विधायी प्रस्ताव/संशोधन।
- पेंशन निधि से संबंधित कार्य।

1.4 मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं

वर्ष के दौरान विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं निम्नानुसार थी :

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन।
- सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन।
- अल्पावधिक उत्पादन ऋणों पर किसानों को ब्याज राहत के लिए ब्याज सहायता योजना।

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस)।
- आम आदमी बीमा योजना।
- जनश्री बीमा योजना।
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना।
- स्व-सहायता समूह (एसएचजी)।

1.5 संगठन

वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रमुख वित्त सचिव हैं, जिनकी सहायता एक अपर सचिव, चार संयुक्त सचिवों, एक आर्थिक सलाहकार और बारह निदेशकों/उप सचिवों द्वारा की जाती है।

2. बैंकिंग परिचालन

2.1 बैंकों की पूंजी को सुदृढ़ करने के उपाय

भारतीय बैंकों को टीयर-1 तथा ऊपरी टीयर-2 पूंजी जुटाने के लिए लिखतों का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, बैंकों को 29 अक्टूबर, 2007 को विनियामक पूंजी के भाग के रूप में विद्यमान कानूनी प्रावधानों के अधीन भारतीय रुपए में अधिमान शेयर जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अप्रैल 2009 में स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस), जो टीयर-1 पूंजी का हिस्सा हैं, के लिए लाभांश के भुगतान से संबंधित अनुदेशों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। तदनुसार, बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि यदि लाभांश का भुगतान निर्धारित दर से कम दर पर किया जाता है, तो भुगतान न की गई राशि का भावी वर्षों में भुगतान नहीं किया जाएगा, चाहे पर्याप्त लाभ उपलब्ध क्यों न हो और सीआरएआर का स्तर न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप क्यों न हो।

जहां तक स्थायी संचयी अधिमान शेयरों (पीसीपीएस)/मोचनीय गैर-संचयी अधिमान शेयरों (आरएनसीपीएस)/मोचनीय संचयी अधिमान शेयरों (आरसीपीएस), जो ऊपरी टीयर-2 पूंजी का हिस्सा हैं, पर कूपन भुगतान का संबंध है, बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि पीसीपीएस और आरसीपीएस के मामले में भुगतान न किए गए/आंशिक रूप से भुगतान किए गए कूपन को दायित्व के रूप में माना जाएगा। देय और भुगतान के लिए शेष ब्याज की राशि का बाद के वर्षों में भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते कि बैंक अन्य अपेक्षाओं का पालन करें।

आरएनसीपीएस के मामले में, आस्थगित कूपन का भुगतान भावी वर्षों में नहीं किया जाएगा, चाहे पर्याप्त लाभ उपलब्ध क्यों न हो और सीआरएआर का स्तर न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप क्यों न हो। तथापि, यदि पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हो, तो बैंक निर्धारित दर से कम दर पर कूपन का भुगतान कर सकता है।

2.2 समामेलन

रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 के तहत एचडीएफसी बैंक के साथ सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लिमिटेड के समामेलन की योजना मंजूर की। यह समामेलन 23 मई, 2008 से प्रभावी हुआ।

राजपत्र अधिसूचना जारी करके दिनांक 13.8.2008 को स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक

के साथ स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का विलय भारत में सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में एकीकरण की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है।

2.3 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पुनर्संरचना/पूंजी का निवेश

बैंकों के तुलन-पत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसे प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर पूंजी जुटाने और भावी विकास के लिए उसकी पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे लचीलापन प्रदान करने के अतिरिक्त, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के चार बैंकों की इक्विटी पूंजी की पुनर्संरचना की, जो निम्नानुसार है:

- 160 करोड़ रुपए की राशि को नवोन्मेष स्थायी ऋण लिखत में और 200 करोड़ रुपए की राशि को स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) (टीयर-1 पूंजी के तहत) में तथा 200 करोड़ रुपए की राशि को स्थायी संचयी अधिमान शेयरों (टीयर-2 पूंजी के तहत) में परिवर्तित करके पंजाब एंड सिंध बैंक की इक्विटी पूंजी की पुनर्संरचना की गई, जबकि 183.06 करोड़ रुपए की राशि बैंक की इक्विटी पूंजी के रूप में बनाए रखी गई।
- 799.36 करोड़ रुपए की कुल इक्विटी पूंजी में से 250 करोड़ रुपए की राशि को पीएनसीपीएस में परिवर्तित करके यूको बैंक की इक्विटी पूंजी की पुनर्संरचना की गई। ब्याज दर रेपो दर तथा 100 आधार बिन्दुओं के फैलाव की तुलना में निर्धारित वार्षिक अस्थिर कूपन दर होगी जिसे संबंधित तारीख को प्रचलित रेपो दर के आधार पर वार्षिक आधार पर पुनर्समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने रेपो दर तथा 100 आधार बिन्दुओं के फैलाव की तुलना में निर्धारित वार्षिक अस्थिर कूपन दर पर, जिसे संबंधित तारीख को प्रचलित रेपो दर के आधार पर वार्षिक आधार पर पुनर्समायोजित किया जाएगा, पीएनसीपीएस में केन्द्र सरकार के अंशदान के लिए 450 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं।
- सरकार ने रेपो दर तथा 100 आधार बिन्दुओं के फैलाव की तुलना में निर्धारित वार्षिक अस्थिर कूपन दर पर, जिसे संबंधित तारीख को प्रचलित रेपो दर के आधार पर वार्षिक आधार पर पुनर्समायोजित किया जाएगा, पीएनसीपीएस में केन्द्र सरकार के अंशदान के लिए विजया बैंक को 500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।
- सरकार ने रेपो दर तथा 100 आधार बिन्दुओं के फैलाव की तुलना में निर्धारित वार्षिक अस्थिर कूपन दर पर, जिसे संबंधित तारीख को प्रचलित रेपो दर के आधार पर वार्षिक आधार पर पुनर्समायोजित किया जाएगा, नवोन्मेष स्थायी ऋण लिखत (583 करोड़ रुपए), ब्याज दर का निर्धारण 250 आधार बिन्दुओं के फैलाव, जिसे वार्षिक आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा, के साथ 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति की आय के आधार पर किया जाना है तथा पीएनसीपीएस (117 करोड़ रुपए) में केन्द्र सरकार के अंशदान के लिए सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को 700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।
- 1,266 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चुकता पूंजी सरकार को लौटाकर और साथ ही सरकार द्वारा इस राशि को युनाइटेड बैंक आफ इंडिया की 'आरक्षित पूंजी' में लगाकर तथा इसके द्वारा बैंक की चुकता पूंजी कम करके 266.43 करोड़ रुपए करके सरकार ने युनाइटेड बैंक आफ इंडिया की चुकता पूंजी की पुनर्संरचना करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा, सरकार ने रेपो दर तथा

100 आधार बिन्दुओं के फैलाव की तुलना में निर्धारित वार्षिक अस्थिर कूपन दर पर, जिसे संबंधित तारीख को प्रचलित रेपो दर के आधार पर वार्षिक आधार पर पुनर्समायोजित किया जाएगा, पीएनसीपीएस में केन्द्र सरकार के अंशदान के लिए युनाइटेड बैंक आफ इंडिया को 250 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।

2.4 बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1949 में संशोधन

मंत्रिमण्डल ने 4 मई, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 लोक सभा में 13 मई, 2005 को पेश किया गया था।

उक्त विधेयक जांच और इसके संबंध में रिपोर्ट देने के लिए संसद की स्थायी वित्त समिति के पास भेज दिया गया था। उक्त विधेयक में कतिपय संशोधनों के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमण्डल ने दिनांक 13.03.2006 को आयोजित अपनी बैठक में विधेयक में आधिकारिक संशोधन प्रस्तुत करके बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 में संशोधन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। यह विधेयक लोक सभा के पिछले सत्र में विचार और पारित किए जाने के लिए लंबित था।

2.5 भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1955 में संशोधन

मंत्रिमण्डल ने 24 अगस्त, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2006 लोक सभा में 18 दिसम्बर, 2006 को पेश किया गया था।

उक्त विधेयक जांच और इसके संबंध में रिपोर्ट देने के लिए संसद की स्थायी वित्त समिति के पास भेज दिया गया था। उक्त विधेयक में कतिपय संशोधनों के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमण्डल ने दिनांक 24.07.2008 को आयोजित अपनी बैठक में विधेयक में आधिकारिक संशोधन प्रस्तुत करके भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2006 में संशोधन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। यह विधेयक लोक सभा के पिछले सत्र में विचार और पारित किए जाने के लिए लंबित था।

2.6 भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में संशोधन

स्टेट बैंक में स्वामित्व के परिवर्तनों के अनुसरण में, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का संबंध रिजर्व बैंक के स्थान पर केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने/से परामर्श करने की प्रक्रिया से है। भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगियों को काफी अधिक संख्या में छोटे व्यक्तिगत निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाने के अतिरिक्त निवेशकों की लम्बे अर्से से शिकायतों को दूर करने और सेवा द्वारा जारी किए गए कतिपय मार्गनिर्देशों का अनुपालन करने के लिए भी, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2008 मंत्रिमण्डल द्वारा 24 जुलाई, 2008 को अनुमोदित किया गया था और दिनांक 24.02.2009 को लोक सभा में पेश किया गया था।

2.7 स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2008

मंत्रिमण्डल ने दिनांक 24.07.2008 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के साथ स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के विलय के प्रस्ताव को

अनुमोदित किया था। तदनुसार, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2008 को पेश करने का नोटिस लोक सभा के पिछले सत्र में दिनांक 16.02.2009 को दिया गया था। तथापि, विधेयक लोक सभा में पेश नहीं किया गया।

2.8 वेतन संशोधन

बैंक कर्मियों के वेतन संशोधन पर, बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और कर्मचारियों के विभिन्न संघों एवं परिसंघों की ओर से युनाइटेड फॉर्म आफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू), के बीच वार्ता की जाती है। प्रत्येक पांच वर्षों में वेतन में संशोधन किया जाता है। पिछला वेतन समझौता 31 अक्टूबर, 2007 को समाप्त हो गया है। वर्तमान में, 9वां वेतन समझौता जो दिनांक 1 नवम्बर, 2007 से बकाया है, पर आईबीए और युनाइटेड फॉर्म आफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के बीच वार्ता हो रही है। आपसी चर्चाओं से समझौता के लिए अब तक कई बैठकें हुई हैं।

2.9 करेंसी चेस्टों की स्थापना

करेंसी चेस्टों की स्थापना से संबंधित नीति, गृह मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से फरवरी, 1992 में तैयार की गई है। इस नीति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी लिए बिना मिलिट्री कैम्पन्टोन्मेंट एरिया में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 80 किलोमीटर के भीतर स्थित राज्य की राजधानी में और 80 किलोमीटर से दूर भी करेंसी चेस्ट स्थापित कर सकता है। तथापि, पंजाब, कश्मीर घाटी, असम, नागालैंड एवं मणिपुर राज्यों के मामले में, गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के लिए ये प्रस्ताव इस विभाग को भेजे जाते हैं।

असम, मणिपुर एवं नागालैंड पूर्वोत्तर राज्यों में गृह मंत्रालय से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने में भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय द्वारा सामना की गई परिचालन संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए, करेंसी चेस्ट खोलने से संबंधित नीति को आशोधित किया गया था। आशोधित नीति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को, कुछ सुरक्षा अपेक्षाओं के बारे में स्वयं को आश्वस्त करने के बाद, भारत सरकार को कोई संदर्भ भेजे बिना इन राज्यों में करेंसी चेस्ट खोलने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया था। इस आशय का एक कार्यालय ज्ञापन 8 जून, 2006 को जारी किया गया था। गृह मंत्रालय सुरक्षा कारणों का उल्लेख करके आशोधित नीति पर आपत्ति कर रहा था। इस मामले का समाधान निकालने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए मुद्दों का निपटान करने के लिए सचिव (वित्तीय सेवाएं) द्वारा दिनांक 10.7.2008 को एक बैठक आयोजित की गई थी। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की गई थी:

- (1) असम, मणिपुर एवं नागालैंड राज्यों के उन सभी स्थानों में, जहां उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने के पश्चात् करेंसी चेस्ट पहले ही स्थापित कर दी गई है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गृह मंत्रालय की अनुमति लिए बिना, नई करेंसी चेस्ट तभी खोली जा सकती है, जब 8 जून, 2006 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सुरक्षा अपेक्षाओं का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पालन कर लिया जाए।
- (2) असम, मणिपुर एवं नागालैंड राज्यों के अन्य केन्द्रों में करेंसी चेस्ट स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक 21 जनवरी, 1992 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार गृह मंत्रालय की सहमति प्राप्त करेगा। यदि गृह मंत्रालय में प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के

तालिका 5.1			
शिकायतों पर कार्रवाई/उनका निपटान			
मामले	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
वित्त मंत्री/राज्य मंत्री/सचिव/संयुक्त सचिव की टिप्पणियां	268	268	शून्य
राष्ट्रपति सचिवालय के संदर्भ	576	576	शून्य
प्रधान मंत्री कार्यालय	811	811	शून्य
सामान्य शिकायतें	3758	3758	शून्य
वीआईपी संदर्भ	192	155	37
आरटीआई	83	83	शून्य
कुल	5688	5651	37

भीतर उस मंत्रालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक यह मान लेगा कि मंजूरी दी जा चुकी है।

2.10 केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के संबंध में परिचालन प्रशिक्षण

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र तथा कारगर निवारण करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) की तकनीकी सहायता से केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नामक एक पोर्टल विकसित किया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिकायतों का निवारण करने के प्रयोजन से वित्तीय सेवाएं विभाग को एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सहायता से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि को इस पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है। पोर्टल के सफल तथा व्यापक प्रयोग हेतु इन सभी एजेंसियों के लिए देशभर में अंचल-वार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

डीएआरपीजी से प्राप्त फीडबैक से यह पता चलता है कि सभी सहभागियों को नागरिकों की शिकायतों के प्रति तथा शिकायतों के कारगर निपटान के लिए सीपीजीआरएएमएस प्रणाली के प्रयोग की जरूरत के लिए सुग्राही बनाया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप, विभिन्न बैंकों तथा बैंकिंग ओम्बड्समैन ने लोक शिकायतों को दूर करने के लिए अपने स्थानीय प्रधान कार्यालयों को अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में स्थापित कर दिया है तथा कुछ संस्थाएं सीपीजीआरएएमएस साफ्टवेयर को अपनी संबंधित शाखाओं में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में हैं।

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शिकायतों के शीघ्र एवं कारगर निपटान के लिए सीपीजीआरएएमएस पोर्टल का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाए तथा इन सभी लंबित शिकायतों/परिवादों की समीक्षा भी शीघ्रता से की जाए।

2.11 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चलनिधि सहायता

मंत्रिमण्डल ने दिनांक 09.01.2009 को आयोजित बैठक में जमाराशियां स्वीकार न करने वाली प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की चलनिधि संबंधी समस्याओं का समाधान करने के दांचे को

अनुमोदित किया था। इस प्रयोजन के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया की दबावग्रस्त आस्तियों का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के रूप में कार्य करेगी। एसपीवी आवश्यकतानुसार सरकारी गारंटीशुदा प्रतिभूतियां जारी करेगा बशर्ते कि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपए के साथ बकाया प्रतिभूतियों की कुल राशि 20,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। इन प्रतिभूतियों की खरीद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी और निधियों का उपयोग एसपीवी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के केवल निवेश की कोटि वाले वाणिज्य पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर अर्जित करने के लिए किया जाएगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निधियों का उपयोग केवल विद्यमान देयताओं की वापसी-अदायगी के लिए किया जाएगा। यह योजना 31 दिसम्बर, 2009 तक परिचालन में आएगी। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, 200 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया था।

2.12 शिकायतों पर कार्रवाई/उनका निपटान तालिका 5.1 पर दी गई है।

2.13 बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना

बैंकों आदि के विरुद्ध ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों का निपटान करने के लिए संशोधित बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग के परामर्श से 3 फरवरी, 2009 को संशोधित किया गया है।

2.14 ऋण वसूली अधिकरण/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण

केन्द्र सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों के शीघ्र न्याय निर्णयन और शीघ्र वसूली और उससे संबंधित या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत पूरे देश में 33 ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) तथा 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरएटी) की स्थापना की है। ऋण वसूली अधिकरण देयराशियों की वसूली करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बहुमूल्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, जिसमें पीड़ित पार्टियों द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों के समक्ष अपील करने का प्रावधान है, को अधिनियमित करके ऋण वसूली अधिकरणों की भूमिका में और वृद्धि की गई है। उपलब्ध आंकड़ों

के अनुसार, दिनांक 1.4.2008 से 31.12.2008 की अवधि के दौरान ऋण वसूली अधिकरणों द्वारा कुल 7957 मामलों का निपटारा किया गया था, जिसमें 13,788.89 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है।

3. कृषि ऋण क्षेत्र

वर्ष 2004-05 में कृषि ऋण को तीन वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य दो वर्षों में प्राप्त कर लिया गया था। वर्ष 2007-08 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को ऋण उपलब्धता का लक्ष्य 2,25,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की तुलना में सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों (सीबी), सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा कृषि के लिए कुल ऋण उपलब्धता 2,43,570 करोड़ रुपए थी, जो वार्षिक लक्ष्य से 18,570 करोड़ रुपए अधिक थी। वर्ष 2008-09 के लिए 2,80,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण लक्ष्य की तुलना में 31 जनवरी, 2009 तक 2,00,658 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी।

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2004-05	1,05,000	1,25,309
2005-06	1,41,000	1,80,486
2006-07	1,75,000	2,29,400
2007-08	2,25,000	2,43,570
2008-09	2,80,000	*2,18,253

* अनंतिम आंकड़े फरवरी 2009 तक

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) 2008 किसानों के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 इसकी निर्धारित तारीख अर्थात् 30.6.2008 तक कार्यान्वित की जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एसएलबीसी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कृषि ऋण माफी/ऋण राहत की कुल राशि 65,318.33 करोड़ रुपए है, जो 3,68,77,818 किसानों (आंकड़े अनंतिम) को कवर करती है।

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने एडीडब्ल्यूडीआरएस के आंकड़े अपनी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए हुए हैं। इसके अलावा, नाबार्ड ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर रखे हैं। इन वेबसाइटों का लिंक वित्त मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.finmin.nic.in में भी उपलब्ध कराया गया है।

सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत ऋणदात्री संस्थाओं की 25,000 करोड़ रुपए के प्रतिपूर्ति योग्य दावों की पहली किस्त जारी कर दी है।

3.1 मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं

वर्ष के दौरान कृषि ऋण अनुभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं निम्नानुसार थी:

- कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008;
- अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन;
- दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन; और

- अल्पावधिक उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत के लिए ब्याज सहायता की योजना।

3.2 अन्य विधान

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के संवर्धन, संवृद्धि, विकास और विनियमन के लिए दिनांक 20.03.2007 को लोक सभा में पेश किए गए सूक्ष्म वित्त क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक की संसदीय स्थायी वित्त समिति द्वारा जांच की जा रही है।

3.3 अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन

अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे के संबंध में देश में सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन के संबंध में प्रो. ए. वैद्यनाथन के अधीन कार्यबल की रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार, राज्य सरकारों और सहकारी ऋण समितियों द्वारा 68:28:4 के अनुपात में खर्च वहन किया जाएगा। इस पैकेज को कार्यान्वित करने के इच्छुक राज्यों को केन्द्र सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। अब तक 25 राज्यों ने ऐसे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2008-09 में 3,960.26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इसे नाबार्ड को जारी कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड को 7,430.63 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

3.4 दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन

वैद्यनाथन कार्यबल-II की सिफारिशों के आधार पर दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन के लिए कुल परिव्यय 3,070 करोड़ रुपए (भारत सरकार के लिए 2,206 करोड़ रुपए, राज्य सरकारों के लिए 482 करोड़ रुपए और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों या एलटीसीसीएस के लिए 382 करोड़ रुपए) है। वर्ष 2008-09 के दौरान इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड को 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके लिए वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

3.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनरुज्जीवन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, कृषि, ग्रामीण उधार एवं वित्तीय अंतर्वेशन में बड़ी भूमिका अदा करने के लिए, सुदृढ़ करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए:

- **आरआरबी का शाखा विस्तार** - केन्द्रीय सरकार की सलाह पर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से आरआरबी को परामर्श दिया गया है कि वे शाखाओं का विस्तार जोर-शोर से करें विशेषतः कवर न किए गए जिलों को कवर करने और बिना सेवा वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए। इसके अनुसरण में, आरआरबी ने अप्रैल, 2007 से 28 फरवरी, 2009 तक 620 शाखाएं खोली हैं (अनंतिम आंकड़े)।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूँजीकरण**: चरणबद्ध तरीके से पुनर्पूँजीकृत करने के लिए ऋणात्मक शुद्ध मालियत वाले 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान की गई थी। पुनर्पूँजीकरण के लिए 1,795.97 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंकों द्वारा अंशदान के हिस्से के जारीकरण के साथ 897.98 करोड़ रुपये के अंशदान के अपने हिस्से को जारी करने का प्रस्ताव किया। 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में

से, सरकार ने 303.11 करोड़ रुपये की राशि का अपना हिस्सा दिनांक 31.3.2008 को जारी किया और 594.87 करोड़ रुपये का शेष हिस्सा दिनांक 31.3.2009 को जारी कर दिया गया है। क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, जो उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रायोजित है, के संबंध में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा नाबार्ड के पास रख दिया गया है, इसे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अपना हिस्सा जारी करने पर जारी किया जाएगा। इस प्रकार, सभी 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक को छोड़कर) को 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार पुनर्पूँजीकृत किया गया है।

- **आरआरबी का समामेलन-** सरकार ने सितम्बर 2005 में, एक ही राज्य में एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी को समामेलित करके आरआरबी के ढांचागत समेकन के लिए एक प्रक्रिया आरंभ की। समामेलित आरआरबी से अपेक्षित है कि वे बेहतर अवसंरचना, शाखाओं के कंप्यूटरीकरण, अनुभवी कार्य बल को इकट्ठा करने, प्रचार एवं विपणन के सम्मिलित प्रयास, आदि के कारण बेहतर ग्राहक सेवा देंगे और बड़े परिचालन क्षेत्र, बड़ी हुई ऋण एक्सपोजर सीमाओं का लाभ भी उठाएंगे। समामेलन के परिणामस्वरूप, दिनांक 26.03.2008 को स्थापित एक नए आरआरबी यथा पुदुच्चेरी संघ राज्य में, इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित पुदुवाई भारथियार ग्राम बैंक सहित, आज की तारीख (31.3.2009) की स्थिति के अनुसार आरआरबी की संख्या 196 से घट कर 86 रह गई है। जम्मू ग्रामीण बैंक एवं कामराज ग्रामीण बैंक के समामेलन से संबंधित अधिसूचना लोक सभा के चुनाव, 2009 पूरा होने के बाद की जाएगी।

- **आरआरबी के लिए मानव संसाधन नीति संबंधी समिति:** आरआरबी में मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए मई 2007 में डॉ. वाई.एस.पी थोराट, तत्कालीन अध्यक्ष, नाबार्ड, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट कुछ आशोधनों के साथ दिनांक 20.8.2008 को सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, शाखाओं की संख्या तथा कारोबार स्तर के आधार पर आरआरबी का वर्गीकरण, मुख्यालय, नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं में स्टाफिंग पैटर्न, आरआरबी के कर्मचारियों की कैरियर प्रोन्नति, आदि जैसे मुद्दों पर विचार किया गया है। संशोधित स्टाफिंग पैटर्न में प्रोन्नति के बेहतर अवसरों के कारण यह अपेक्षा की जाती है कि इसके परिणामस्वरूप आरआरबी के कार्य-निष्पादन में थोड़ा तो सुधार होगा। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा विनियम, 2000 के विद्यमान उपबंधों की व्यापक समीक्षा करने की सिफारिश की थी जिसके लिए भारत सरकार ने श्री अमरेश कुमार, ईडी, नाबार्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार थे:

- मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा विनियम, 2000 का अध्ययन, समीक्षा करना तथा उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सेवा विनियम होने के मामले की जांच करना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सेवा विनियमों से संबंधित अन्य कोई मामला।

सिफारिशों के आधार पर, समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2009 में प्रस्तुत की थी। भर्ती एवं प्रोन्नति नियम/विनियम संबंधी प्रारूप अंतिम अधिसूचना तैयार कर ली गई है तथा विचाराधीन है।

- **आरआरबी के अध्यक्षों को प्रोत्साहन देना:** सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तर्ज पर आरआरबी के अध्यक्षों को प्रोत्साहन देने की एक योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई है और उसकी सूचना नाबार्ड को दे दी गई है। आरआरबी और प्रायोजक बैंकों को नाबार्ड द्वारा परामर्श दिया गया है। सरकार ने नाबार्ड से, सरकार के परामर्श से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए ऐसी योजना तैयार करने के लिए, अनुरोध किया है।

* 31.3.2009 तक के आंकड़े देने के लिए आंकड़े अद्यतन किए जाएंगे।

3.6 ब्याज सहायता योजना

वर्ष 2006-07 में, खरीफ तथा रबी 2005-06 के लिए किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण पर 1,00,000 रुपए तक की मूलराशि पर उधारकर्ता की ब्याज देयता के दो प्रतिशत बिन्दु के बराबर राशि, उधारकर्ताओं के खाते में जमा करा दी गई थी।

इसके अलावा, सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थाओं को उनके अपने स्रोतों द्वारा संवितरित ऋणों पर 2% की दर से ब्याज सहायता प्रदान की तथा प्रति किसान मूलराशि पर 3,00,000 रुपए की उपरी सीमा सहित, किसानों को 75 प्रति वर्ष की दर पर अल्पावधिक ऋण प्राप्त कराना सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान नाबार्ड द्वारा निधियों की लागत तथा पुनर्वित्त की दर के बीच ब्याज विभेदकों की सहायता द्वारा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान किया। यह योजना समान निर्धारित मानकों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान भी जारी है सिवाय इसके कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके अपने स्रोतों द्वारा संवितरित ऋण राशि पर ब्याज सहायता 35 की दर से प्रदान की जा रही है। वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान क्रमशः लगभग 870 करोड़ रुपए, 1,856 करोड़ रुपए, 2,472 करोड़ रुपए तथा 1,072 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को पहले ही की जा चुकी है। इसके लिए वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान में 2,011 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

3.7 ऋणग्रस्त जिलों के लिए विशेष योजना

देश के चार राज्यों में विशेष रूप से प्रभावित 31 जिलों में तीन वर्षों से एक विशेष योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 16,979 करोड़ रुपए की कुल राशि अंतर्गस्त है। इसमें से प्रमुख अंश जल से संबंधित योजनाओं को दिया जाना है। किसानों को अतिरिक्त आय स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष योजना में अधिक दूध देने वाले दुधारु पशुओं तथा संबंधित क्रियाकलापों की एक योजना शामिल है। इस योजना में प्रभावित जिलों में 1 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों पर सम्पूर्ण ब्याज माफ करने का प्रस्ताव किया गया था, जिससे उस तारीख तक सभी किसानों पर कोई पुराना ब्याज भार न हो और वे बैंकों से नए ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएं। 1 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार, किसानों के अतिदेय ऋणों का एक वर्ष के अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्ष की अवधि में पुनर्निर्धारण किया जाना था। इन 31 जिलों में अतिरिक्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। माफ किए गए कुल

अतिदेय ब्याज की राशि 3,628.18 करोड़ रुपए थी, जिसका 50% हिस्सा भारत सरकार द्वारा दिया गया है। भारत सरकार ने ऋणदात्री संस्थाओं के अंतिम दावे निपटाने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान 454.96 करोड़ रुपए जारी किए थे।

3.8 स्वयं सहायता समूह बैंक सहलग्नता कार्यक्रम

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) - बैंक सहलग्नता कार्यक्रम देश में एक प्रमुख व्यक्ति वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरकर सामने आया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख रूप से उन ग्रामीण गरीबों पर ध्यान दिया गया है जिनकी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक कोई स्थायी पहुंच नहीं है। दिनांक 31.03.2008 तक कुल 3,78,538.94 करोड़ रुपए की बचत सहित 50,09,794 स्व-सहायता समूह बैंकों के साथ जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग व्यवस्था में 36,25,941 स्व-सहायता समूहों पर 16,99,90.66 रुपए के ऋण बकाया थे।

3.9 ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ)

आरआईडीएफ का कार्पस जो वर्ष 2003-04 के दौरान 5,500 करोड़ रुपए था, वर्ष 2008-09 के लिए बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए हो गया (आरआईडीएफ-XIV)। आरआईडीएफ के अंतर्गत वर्ष 2006-07 तथा 2008-09 के दौरान प्रत्येक के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कार्पस सहित ग्रामीण सड़कों के लिए एक अलग निधि का निर्माण किया गया है। दिनांक 31.03.2009 तक आरआईडीएफ-XIV के तहत राज्यों के लिए 14,719.42 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जबकि सामान्य आबंटन के लिए 3,013.51 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए भारत निर्माण योजना के ग्रामीण सड़क घटक के लिए मंजूर किए गए 4,000 करोड़ रुपए के लिए एनआरआईए को 4,000 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

3.10 वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन पर श्री सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति की अंतरिम रिपोर्ट के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विकासात्मक तथा प्रोन्नत मध्यक्षों की लागत वसूल करने हेतु 'वित्तीय समावेशन निधि' (एफआईएफ) तथा प्रौद्योगिकी अपनाने की लागत पूरा करने के लिए 'वित्तीय समावेशन तकनीकी निधि' (एफआईटीएफ) का गठन किया था। प्रत्येक निधि में 500 रुपए का समग्र कार्पस निहित है, जिसमें निधियों के उपयोग के आधार पर पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 40:40:20 के अनुपात में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा अंशदान किया जाना है। वर्ष 2007-08 के लिए इन निधियों में प्रत्येक में 25 करोड़ रुपए का अंशदान भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में किया जाना था, जिसके लिए भारत सरकार, इन दोनों निधियों में से प्रत्येक के लिए 10 करोड़ रुपए का अंशदान पहले ही कर चुकी है। दोनों ही निधियां नाबार्ड से सृजित हैं। इन दोनों निधियों के लिए दिशानिर्देश और सलाहकार बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है तथा रणनीति बनाने तथा वित्तीय समावेशन हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इस सलाहकार बोर्ड की बैठकें नियमित अंतराल में आयोजित होती रहती हैं।

भारतीय बैंक संघ तथा नाबार्ड ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी प्रत्येक ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में प्रति वर्ष 250 ग्रामीण परिवार खाते जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त करने की सलाह दी है।

3.11 नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के लिए निधियां

नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी का संसाधन आधार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने इन बैंकों के साथ चार निधियां बनाई हैं, नामतः नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपए की एसटीसीआरसी निधि, सिडबी के साथ 3600 करोड़ रुपए की एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि तथा 1000 करोड़ रुपए की एमएसएमई (जोखिम) निधि तथा एनएचबी के साथ 2000 करोड़ रुपए की आरएचडी निधि।

4. संस्थागत वित्त

4.1 एमएसएमई ऋण में वृद्धि

लघु और मझौले उद्यमों के लिए ऋण बढ़ाने हेतु 10 अगस्त, 2005 को संसद में एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की गई थी, ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एसएमई क्षेत्र को ऋण में प्रति वर्ष न्यूनतम 20% वृद्धि प्राप्त की जा सके। उक्त पैकेज की घोषणा के बाद सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने एसएमई क्षेत्र को ऋण में प्रति वर्ष 20% से अधिक की वृद्धि दर्शाई है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया ऋण मार्च 2007 को 181490 करोड़ रुपए और मार्च 2008 को 243796 करोड़ रुपए था, जो 34.33% की वृद्धि दर्शाता है। दिसम्बर 2008 की स्थिति के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया ऋण 284095 करोड़ रुपए का था, जबकि दिसम्बर 2007 में 235189 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था, जो 20.79% की वृद्धि दर्शाता है।

4.2 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1990 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के पूर्ण स्वामित्व वाले अनुषंगी के रूप में की गई थी। इसके बाद वर्ष 2000 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में संशोधन के बाद सिडबी एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था बन गई। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, सिडबी की प्राधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए तथा प्रदत्त पूंजी 450 करोड़ रुपए है। सिडबी सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के वित्तपोषण (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और पुनर्वित्त) और संवर्धन तथा विकास के लिए मुख्य वित्तीय संस्था है। बैंक इसी तरह के क्रियाकलापों में लगी संस्थाओं के कार्यों का समन्वय भी करता है। इस समय, बैंक एमएसएमई को आगे ऋण देने के लिए पात्र सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए पुनर्वित्त सहायता देता है तथा सिडबी के 100 शाखा कार्यालयों के जरिए प्रत्यक्ष सहायता देता है। सिडबी गैर-सरकारी संगठनों/सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को ऋण, अनुदान, इक्विटी और अर्ध-इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता भी देता है, ताकि सूक्ष्म उद्यमों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण दिया जा सके, जिससे वे सतत आधार पर आय सृजक क्रियाकलाप कर सकें।

सिडबी ने एमएसएमई क्षेत्र के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रमुख ऋणदात्री संस्था बना हुआ है।

(क) एसएमई पुनर्वित्त/जोखिम पूंजी निधियां

वर्ष 2008-09 के लिए बजट के दौरान सिडबी के तहत एसएमई (पुनर्वित्त) निधि तथा एसएमई (जोखिम पूंजी) निधि नामक प्रत्येक 2000 करोड़ रुपए की दो निधियों की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सिडबी में 1000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कार्पस से एमएसएमई (जोखिम पूंजी) निधि बनाई गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक 250 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जहां तक एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारम्भ में 1600 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिसे

बढ़ाकर 3600 करोड़ रुपए कर दिए गए थे और इस पर सिडबी ने 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 3325 करोड़ रुपए आहरित किए हैं।

(ख) विशेष पुनर्वित्त सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 दिसम्बर, 2008 को सिडबी को 5.5% की दर से 7000 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा दी थी। सिडबी ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए 6390 करोड़ रुपए तथा राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) के लिए 610 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की थी। बैंकों ने 31 मार्च, 2009 तक 4336 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे, जिससे पता चलता है कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए बैंकों द्वारा ऋण की उपलब्धता में लगभग 8650 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, क्योंकि बैंकों के लिए पुनर्वित्त वृद्धिशील ऋण के 50S पर दिया जाता है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार सिडबी ने भारतीय रिजर्व बैंक से 6269 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे, जिसमें से 4336 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए थे, 420 करोड़ रुपए राज्य वित्तीय निगमों तथा 1513 करोड़ रुपए सिडबी के स्वयं के वृद्धिशील ऋण के लिए थे।

(ग) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार (तत्कालीन लघु उद्योग मंत्रालय) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास नामक न्यास बनाया था, जिसका नाम बाद में 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)' कर दिया गया था। यह योजना पहले 30 अगस्त, 2000 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पात्र ऋणदाता बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना दी गई ऋण सुविधाएं शामिल की जाती हैं। एसएमई क्षेत्र को संपार्श्विक रहित ऋण देने को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण गारंटी कवरेज बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कई पहले की गई हैं। सीजीटीएमएसई का प्रारंभिक कार्पस 125 करोड़ रुपए था, जो धीरे-धीरे बढ़ता रहा और 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार यह 1740.14 करोड़ रुपए था। इसे समय के साथ-साथ 2500 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान योजना के तहत कवरेज बढ़ाने के लिए कई संशोधन किए गए थे, जो निम्नलिखित हैं:

- गारंटी कवर के लिए पात्र ऋण सुविधा बढ़ाकर 100 लाख रुपए कर दी गई थी।
- मौजूदा क्रेडिट गारंटी योजना के तहत शामिल ऋणों पर दावे दायर करने के लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि 24 महीने से घटाकर 18 महीने कर दी गई थी, ताकि बैंकों को गारंटी योजना के तहत अधिक ऋण शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- 5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए गारंटी कवरेज बढ़ाकर 85S कर दिया गया था, और
- 5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए गारंटी शुल्क घटा दिया गया था।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, सीजीटीएमएसई के तहत 4824.34 करोड़ रुपए की ऋण सहायता को शामिल करते हुए 1,50,034 प्रस्तावों के लिए गारंटी दी गई थी। योजना के तहत शामिल उद्यमों ने लगभग 21,548 करोड़ रुपए के कुल कारोबार वाले 4,58,629 व्यक्तियों को नियोजित किया था। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2009 की स्थिति के

अनुसार, सीजीटीएमएसई की सदस्यता में 81 बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं शामिल थीं।

(घ) उद्यम पूंजी निधि

एसएमई क्षेत्र को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 500 करोड़ रुपए के कार्पस से सिडबी उद्यम पूंजी लिमिटेड (एसवीसीएल) की स्थापना की गई है, जो वर्तमान में बायोटेक, खाद्य प्रसंस्करण, औषधीय, लघु इंजीनियरिंग तथा ज्ञान आधारित उद्योगों के लिए राष्ट्रीय एसएमई विकास निधि संचालित कर रहा है।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, एसएमई विकास निधि द्वारा कुल प्रतिबद्धताएं 446.34 करोड़ रुपए और कुल निवेश 353.02 करोड़ रुपए का है। एसवीसीएल ने 100 करोड़ रुपए के कार्पस से पहली निधि अर्थात साफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (एनएफएसआईटी) के लिए राष्ट्रीय उद्यम निधि का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है जिससे 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 31 एसएमई को लाभ प्राप्त हुआ है।

(ङ) एसएमई रेटिंग अभिकरण (एसएमईआरए)

सितम्बर 2005 से परिचालन शुरू करने वाला एसएमईआरए सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों के लिए अन्य-पक्ष ऋण कोटि निर्धारण अभिकरण है। यह ऐसा कोटि निर्धारण उपलब्ध कराता है, जो व्यापक, पारदर्शक एवं विश्वसनीय होता है और जिससे कोटि निर्धारित एकक प्रतियोगी ब्याज दरों पर निधियां उधार ले पाएंगे।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, एसएमईआरए ने एमएसएमई के लिए 3438 संचयी कोटि निर्धारण पूरे कर दिए थे। इसने वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 1742 एमएसएमई का कोटि निर्धारण पूरा किया था, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 55S की वृद्धि परिलक्षित होती है।

एमएसएमई समूहों के संबंध में जोखिम निर्धारण अध्ययन पूरे कर दिए गए हैं।

एसएमईआरए ने बेहतर कोटि निर्धारित एककों के लिए ब्याज दर रियायत के प्रस्ताव हेतु 24 बैंकों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एसएमईआरए को आधिकारिक मान्यता देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है।

5. ऋण निगरानी एवं विकास

5.1 शिक्षा ऋण

सरकार मानती है कि मानव संसाधन विकास और देश के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। आगामी वर्षों में आर्थिक विकास के लिए ज्ञान और सूचना की सक्रिय भूमिका होगी। तथापि, उच्चतर शिक्षा धीरे-धीरे गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आ गयी है और महंगी से महंगी होती जा रही है। यह महसूस किया गया था कि इस क्षेत्र में संस्थागत निधीयन की आवश्यकता है। शैक्षिक ऋण योजना का लक्ष्य योग्य/मेधावी छात्रों को भारत में तथा विदेश में उच्चतर शिक्षा हेतु बैंकिंग तंत्र द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि प्रत्येक निर्धन परंतु मेधावी छात्र को, बैंकिंग तंत्र से वित्तीय सहायता के जरिये शिक्षा का अवसर मिले और यद्यपि कि किसी भी जरूरत मंद छात्र को वित्तीय सहायता की कमी के कारण उच्चतर शिक्षा के अवसर से वंचित न होना पड़े। एक अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, भारतीय बैंक संघ ने वर्ष 2001 में एक मॉडल शैक्षिक ऋण योजना तैयार की थी जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 अप्रैल, 2001 को कार्यान्वयन हेतु बैंकों से कहा गया था। इस योजना को बाद में, वर्ष 2004 में आशोधित किया गया था और आईबीए द्वारा 31 अगस्त, 2004 को

तालिका 5.2

31 मार्च, 2009 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शिक्षा ऋण का अलग-अलग ब्यौरा

31 मार्च की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	वर्ष-वार वृद्धि (%)	खातों की सं.	राशि
2004	319337	4550			
2005	468207	6713	46.62		47.54
2006	679945	10012	45.22		49.14
2007	944397	14283	38.89		42.65
2008	1246870	19817	32.03		38.75
2009	1603385	27646	28.59		39.51

आशोधित मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के दिशा निर्देश जारी किए गये थे। एक कार्यकारी समूह की सिफारिशों और सरकार के सुझावों के आधार पर, शैक्षिक ऋण योजना को वर्ष 2007-08 में पुनः आशोधित किया गया था। संशोधित शिक्षा योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- 1) भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपए की अधिकतम वित्त सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तथा विदेश में अध्ययन के लिए 15 लाख रुपए की अधिकतम वित्त सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना।
- 2) नागर विमानन/नौवहन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित वैमानिकी अभियंत्रिकी, विमानचालक प्रशिक्षण, पोत परिवहन प्रशिक्षण आदि जैसे नियमित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को इस योजना की पठ्यक्रम सूची में अतिरिक्त पठ्यक्रमों के रूप में शामिल करना।
- 3) प्रतिभूति मानदंडों के अनुसार सभी शैक्षिक ऋणों की संस्वीकृति के लिए अभिभावकों की संयुक्त-ऋणकर्ता के रूप में सह-देयता अनिवार्य कर दी गयी है।
- 4) वैमानिकी अभियंत्रिकी, विमानचालक प्रशिक्षण, पोत परिवहन प्रशिक्षण आदि को पात्र पाठ्यक्रमों के रूप में शामिल करना।
- 5) शैक्षिक ऋण लेने वाले छात्रों के लिए जीवन बीमा पालिसी शामिल करना।
- 6) जीवन बीमा और म्यूचल फंड यूनिटों को ऋण हेतु अनुमत प्रतिभूति के रूप में शामिल करना।
- 7) एक परिवार एकक के लिए अनेक ऋणों का प्रावधान।
- 8) और आगे के अध्ययन हेतु छात्रों के लिए टॉप-अप ऋण का प्रावधान।
- 9) पति/पत्नी/ससुर/सास को ऋण के लिए सह-बाध्यताधारी के रूप में शामिल करना।

5.2 शिक्षा ऋणों का निष्पादन

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, 1603385 खातों में कुल बकाया शिक्षा ऋण 27646 करोड़ रुपए थे। समग्र एवं प्रतिशत के रूप में पिछले

वर्ष की तुलना में वृद्धि क्रमशः 7829 करोड़ एवं 39 प्रतिशत थी। 31 मार्च, 2004 से 31 मार्च, 2009 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शिक्षा ऋण का अलग-अलग ब्यौरा तालिका 5.2 पर दी गई है।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार बकाया शिक्षा ऋण का बैंक-वार (सरकारी क्षेत्र के बैंक) ब्यौरा अनुबंध-रु दिया गया है।

5.3 इस योजना के अधीन कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए की गई पहल

शिक्षा हेतु ऋणों का संवितरण सुलभ बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह कहा गया है कि निम्नलिखित विशेषताओं के साथ शिक्षा ऋण आवेदनों का ऑन लाईन पंजीकरण आरंभ किया जाय:

- ऋण आवेदन का पंजीकरण और भावी पत्राचार हेतु संदर्भ संख्या सहित तत्काल स्वाचालित उत्तर;
- निर्धारित समय में ऋण आवेदन का पंजीकरण और छात्र को संबंधित शाखा से संपर्क करने की सैद्धांतिक संस्वीकृति।

5.3.1 उपर्युक्त के साथ, सरकार के निदेश पर, भारतीय बैंक संघ ने 16 अगस्त, 2008 और 12 दिसम्बर, 2008 को उनके सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया है कि परिचालन क्षेत्र के आधार पर शिक्षा ऋण आवेदन को अस्वीकार अथवा अन्य बैंक/शाखा के पास अंतरित न किया जाए।

5.3.2 भारतीय बैंक संघ ने 27 सितम्बर, 2008 को सदस्य बैंकों को परामर्श दिया है कि अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/नर्सिंग पाठ्यक्रम/बीएड शिक्षा ऋण के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि प्रशिक्षण संस्था केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों और ऐसे पाठ्यक्रम डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम होने चाहिए; न कि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। इस प्रयोजन के लिए विचार किए जाने वाली फीस केन्द्रीय/राज्य सरकार के कॉलेजों में निर्धारित फीस ढाँचे के अनुरूप होनी चाहिए।

5.4 छात्रों के लिए ब्याज दर पर रियायत

भारतीय बैंक संघ ने 4 फरवरी, 2009 को सरकार के निदेश पर अपने सदस्य बैंकों को परामर्श दिया है कि छात्रों को भारत अथवा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान किए जाने वाले शिक्षा ऋणों पर ब्याज दर में कम से कम 0.50S छूट दी जाए।

तालिका 5.3

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कार्य निष्पादन

कार्यक्रम वर्ष	संस्वीकृत ऋण		संवितरित ऋण	
	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
2005-2006	318095	205499	273066	170077
2006-2007	313959	198426	281217	172823
2007-2008 (मार्च 2008 तक)	311097	244296	279776	212500

स्रोत: आरबीआई

5.5 स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा प्रयोजित ऋण-संबद्ध योजनाएं**5.5.1 प्रधानमंत्री रोजगार योजना**

यह योजना 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 1993 को आरंभ की गई थी। योजना 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम की परिवारिक आय वालों को लक्षित करती है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता VIIIवीं कक्षा उत्तीर्ण है। हिताधिकारी को पांच प्रतिशत मार्जिन राशि लानी होती है तथा सरकार द्वारा परियोजना लागत का 15% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ कर शेष राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में सब्सिडी की अधिकतम सीमा 7500 रुपए थी। पूर्वोत्तर के राज्यों में सब्सिडी राशि 15000 रुपए थी। मानदंडों में यह छुट सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर तथा उत्तराखण्ड राज्यों को भी दी गई थी। व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपए तक और उद्योग क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तक की परियोजनाएं इस योजना के तहत शामिल की गई हैं। यदि दो या अधिक पात्र व्यक्ति साथ में भागीदारी करते हैं तो 10 लाख रुपए तक की परियोजनाएं शामिल की जाती हैं। अजा/अजजा के लिए 22.5% तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण उपलब्ध था। योजना के अंतर्गत दिए गए अग्रिमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिम माना जाता है।

वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान पीएमआरवाई के तहत बाकों के कार्यनिष्पादन संबंधी समग्र ब्यौरा तालिका 5.3 पर दी गई है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) को अब 1 अप्रैल, 2008 से समाप्त कर दिया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक नई योजना तैयार करने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरईजीपी) में विलय कर दिया गया है। पीएमईजीपी को 1 अप्रैल, 2008 से खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी), जो इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है, के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

5.5.2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसम्बर, 1997 से भारत के सभी शहरी एवं अर्द्ध शहरी नगरों में परिचालित है। अन्य संघटकों के साथ-साथ इस योजना के अंतर्गत दो उप-योजनाएं हैं- नामतः शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) और शहरी क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए)। घर-घर जाकर पर्यावेक्षण के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा हिताधिकारियों की पहचान की जाती है। इस

योजना के अंतर्गत, महिलाओं को न्यूनतम 30 प्रतिशत की सीमा तक, शारीरिक रूप से विकलांगों को 3 प्रतिशत और अजा/अजजा को उनकी स्थानीय है। जनसंख्या के अनुपात है। की न्यूनतम सीमा तक सहायता दी जाती है। योजना केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर निधीकृत है। यूएसईपी के अंतर्गत, अल्प रोजगार एवं बेरोजगार शहरी युवक, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे है और जिन्होंने नौवीं कक्षा तक पढ़ा है और जिनका नाम शहरी स्थानीय निकायों की सूची में शामिल है, उनको बैंक ऋणों से सहायता मिलती है। 50000 रुपए तक लागत वाली परियोजनाओं को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा परियोजना लागत की 15 प्रतिशत, अधिकतम 7500 रु. जनसंख्या के अध्यधीन, सब्सिडी प्रदान की जाती है। उधारकर्ता को मार्जिन मनी के रूप में परियोजना लागत के 5 प्रतिशत राशि लानी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ब्याज दर प्रभारित होगी। भागीदारी की भी अनुमति है।

शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए) कार्यक्रम के आधीन, महिला हिताधिकारी सामूहिक रूप से स्वरोजगार उद्यमों में भाग ले सकती हैं। डीडब्ल्यूसीयूए समूह में कम से कम 10 शहरी गरीब महिलाएं शामिल होनी चाहिए। यह समूह 1,25,000 रुपए अथवा परियोजना लागत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, के लिए पात्र है। वर्ष 2008-09 (सितम्बर 2008 तक) के दौरान 19976 आवेदकों (25204 संस्वीकृत आवेदनों में से) को 74.89 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी। इन में से 6030 अजा/अजजा को 20.28 करोड़ रुपए, 4856 महिलाओं को 16.74 करोड़ रुपए तथा 182 शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 8.28 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी।

वर्ष 2005-07, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 (सितम्बर 2008 तक) के दौरान इस योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य निष्पादन से संबंधित ब्यौरा तालिका 5.4 पर दी गई है।

5.5.3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

एजीएसवाई 1 अप्रैल, 1999 को आरंभ की गई थी। यह एक सम्पूर्ण गरीबी उन्मूलन योजना है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल किए गए हैं जैसे गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में गठित करना, प्रशिक्षण ऋण, तकनीक, मूलभूत सुविधाएं और विपणन, योजना का निधीयन केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के आधार पर किया जाता है और इसका कार्यान्वयन जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा पंचायत समितियों (डीआरडीए) के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में व्यक्ति उद्यम स्थापित करना

तालिका 5.4				
एसजेएसआरवाई के अंतर्गत यूएसईपी/डीडब्ल्यूसीयूए संघटकों के तहत कार्यनिष्पादन				
कार्यक्रम वर्ष	संस्वीकृत ऋण		संवितरित ऋण	
	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
2005-2006	68579	22972	55218	18427
2006-2007	73644	25965	59338	20043
2007-2008	83579	31365	67342	23720

स्रोत: आरबीआई

तालिका 5.5		
एसजीएसवाई के अंतर्गत बैंकों का कार्य निष्पादन		
कार्यक्रम वर्ष	संस्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण
2005-06	1207078	112542
2006-07	1236517	114121
2007-08	1433228	127285
2008-2009 (सितम्बर, 2008 तक)	409069	33268

स्रोत: आरबीआई

तालिका 5.6				
पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमआरवाई के अंतर्गत बैंकों का कार्य निष्पादन				
कार्यक्रम वर्ष	संस्वीकृत ऋण		संवितरित ऋण	
	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
2005-06	15055	13168	12948	10924
2006-07	11943	10540	10941	9550
2007-2008	11043	10465	10337	9588

स्रोत: आरबीआई

है। योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त प्रत्येक बीपीएल परिवार को बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी के मिश्रण से आय सृजन करने वाली आस्तियां उपलब्ध कराके उन्हें गरीबी रेखा से उपर लाना है। वित्तीय वर्ष 2007-08 योजना के कार्यान्वयन का दसवां वर्ष था। सितम्बर, 2008 को छमाही समाप्त होने तक योजना के अंतर्गत 409069 स्वरोजगारियों को बैंक ऋण प्राप्त हुआ जिसकी राशि 392.68 करोड़ रुपए (सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की राशि 119.35 करोड़ रुपए) थी। कुल सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों में से अजा/अजजा के 93245(22.79%), महिलाएं 193027(47.19%) और 3008 (0.74%) शारीरिक रूप में विकलांग थे।

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 (सितम्बर, 2008 तक) के दौरान योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कार्यनिष्पादन तालिका 5.5 पर दी गई है।

5.6 पूर्वोत्तर राज्यों में विकास

पूर्वोत्तर राज्यों में एसजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2007-08 (मार्च, 2008 तक) के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 1452.40 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी के साथ 67786 मामलों में 2678.05 लाख रुपए की राशि के बैंक ऋण प्रदान किए। इनमें से, 31082 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, 34302 महिला हिताधिकारी तथा 256 विकलांग व्यक्ति थे। मार्च, 2008 को समाप्त कार्य के दौरान, एसजेएसआरवाई के अंतर्गत 1156 आवेदकों (संस्वीकृत 1229 आवेदकों में से) को 563.26 लाख रुपये की राशि का संवितरण किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में, इनमें से 210.42 लाख रुपये का संवितरण 444 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को, 102.03 लाख रुपये का संवितरण 208 महिलाओं को और 5.25 लाख रुपये का संवितरण 9 विकलांग व्यक्तियों को किया गया था। वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में

पीएमआरवाई के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन तालिका 5.6 पर दी गई है।

5.7 विभेदी ब्याज दर योजना

विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना समाज के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर उत्पादक तथा लाभप्रद कार्यकलापों के लिए वित्त उपलब्ध कराती है। बजट 2007-08 में इस योजना के तहत उपलब्ध ऋणों की सीमा बढ़ाने की घोषणा की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण की सीमा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और आवास ऋण की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति लाभार्थी करने के संबंध में 13.6.2007 को एक परिपत्र जारी किया। आवास ऋण इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के लिए टॉप-अप ऋण के रूप में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी सहायता, उपकरण, उपस्कर आदि प्राप्त करने के लिए 5,000/- रुपये (अधिकतम) तक की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है बशर्ते वे योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हों।

5.7.1 इसके अतिरिक्त, बजट भाषण 2008-09 में की गई में की गई घोषणा के अनुसार, डीआरआई योजना के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय-सीमा से संबंधित पात्रता मानदंड में संशोधन करके भारतीय रिजर्व बैंक के 10 अप्रैल, 2008 तथा 5 अगस्त, 2008 के परिपत्रों के तहत इसे ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रुपये तथा शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 24,000-रुपये कर दिया गया है।

5.7.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को डीआरआई योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के अग्रिमों का 15 लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उधारकर्ता संबंधी पात्रता मानदंडों से संबंधित संशोधित दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सितम्बर, 2008 की समाप्ति तक 2.35 लाख उधारकर्ताओं को 655.08 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

5.8 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों को ऋण

5.8.1 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा तुलन-बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता क्षेत्र को देना अपेक्षित है। इस समग्र लक्ष्य के अंदर ही, बैंकों को एएनबीसी का 18 प्रतिशत अथवा तुलन-बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, कृषि क्षेत्र को और एएनबीसी का 10 प्रतिशत अथवा तुलन-बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, कमजोर वर्गों को देना अपेक्षित है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम मार्च 2009 के अंतिम शुक्रवार को सूचित किए गए अनुसार 521,376 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2008 के अंतिम शुक्रवार को सूचित किए गए अनुसार 6,10,450 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2008 के अंतिम शुक्रवार को सूचित किए गए अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को अग्रिम 2,49,397 करोड़ रुपए थे, जो एनबीसी का 17.49 प्रतिशत थे। मार्च 2008 के अंतिम शुक्रवार को सूचित किए गए अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का क्षेत्र-वार विघटन अनुबंध-II में दिया गया है। कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिमों का बैंक-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

5.8.2 महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

भारत में औपचारिक बैंकिंग तंत्र तक महिलाओं की पहुंच में होने वाली मुश्किलों को देखते हुए और महिलाओं को ऋण उपलब्धता में सुधार लाने के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिसम्बर, 2000 में परामर्श दिया गया था कि वे एक 13 सूत्रीय कार्य योजना कार्यान्वित करें जिसके तहत बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, परामर्श दिया गया था कि वे अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 5% मार्च 2004 तक, महिलाओं को ऋण देने के लिए अलग से रखें।

बैंक महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी नीतियों/दीर्घावधिक योजनाओं को पुनर्परिभाषित करने के जरिए, जोर-शोर से प्रयास करते रहे हैं। मार्च 2001 के अंत की स्थिति के अनुसार महिलाओं को निवल बैंक ऋण का 2.36% बढ़कर मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार 6.12% हो गया है। बैंक के प्रधान कार्यालयों और कुछ शाखाओं में महिला प्रकोष्ठों की स्थापना, प्रक्रियागत औपचारिकताओं के सरलीकरण, लिंगभेद संबंधी मसलों के बारे में बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करने, महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम/प्रचार अभियान चलाने, महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने, मौजूदा योजनाओं के सुदृढीकरण, संपादित रहित ऋणों की संस्वीकृति सुनिश्चित करने, महिला उद्यमियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल करने, आदि के संबंध में भी कुछ प्रगति हुई है। मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों ने महिलाओं के लिए 19 विशेषीकृत शाखाएं खोली हैं। महिलाओं को ऋण का ब्यौरा अनुबंध-IV(क), अनुबंध-IV(ख) तथा अनुबंध-IV(ग) में दिया गया है।

5.8.3 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15-सूत्रीय कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बेहतर वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 1 जुलाई, 2008 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक समेकित मूल परिपत्र जारी किया जिसमें उन्हें परामर्श दिया गया कि वे ध्यान रखें कि अल्पसंख्यक समुदायों को विभिन्न सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभ सही और समुचित तरीके से मिलें। इस मास्टर परिपत्र में, अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बैंक में एक पृथक प्रकोष्ठ बनाने का प्रावधान है और साथ ही, यह परिपत्र अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य तथा विकास परियोजनाओं के स्थान निर्धारित करने के प्रयोजन से पहचाने गए 121 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका को भी कवर करता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए 'कमजोर वर्गों' की श्रेणी में अल्पसंख्यक समुदायों को भी शामिल कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 जुलाई, 2007 के मास्टर परिपत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए कुछ प्रमुख अनुदेश/दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी है कि ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदनों की

तालिका 5.7

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल आवास ऋण

30 लाख रुपये तक के आवास ऋण		30 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋण		आवास ऋण		कुल आवास ऋण	
प्रत्यक्ष		प्रत्यक्ष		अप्रत्यक्ष		प्रत्यक्ष+अप्रत्यक्ष	
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
3592053 (97.66%)	142795.46 (71.74%)	54250 (1.47%)	21503.59 (10.80%)	31713 (0.86%)	34734.17 (17.45%)	3678016 (100%)	199033.22 (100%)

तालिका 5.8

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के बाहर बकाया कुल आवास ऋण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार के अंतर्गत आवास ऋण		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अतिरिक्त आवास ऋण		कुल आवास ऋण	
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
3101029 (84.31%)	145054.67 (72.87%)	576987 (15.68%)	53978.55 (27.12%)	3678016 (100%)	199033.22 (100%)

मंजूरी तथा ऋण के संवितरण में असाधारण अंतर/विलम्ब न हो, जिससे पात्र हिताधिकारी को अनावश्यक कष्ट होता है।

- शाखा प्रबंधकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों को मंजूर करने के लिए पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी का हवाला देना अपेक्षित नहीं होना चाहिए।
- बैंकों को हिताधिकारियों तथा बैंकों के बीच कार्य कर रहे दलालों को हटाकर एक सरल तथा पारदर्शी कार्यपद्धति अपनानी चाहिए, और समय पर आवेदनों का निपटान करना चाहिए।
- आवेदनों की प्राप्ति एवं निपटान का यथोचित रिकार्ड रखना चाहिए।
- बैंकों को राशि अथवा दस्तावेज, गारंटियां, आदि, जिनका योजना के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया है, जमा करने पर जोर नहीं देना चाहिए।

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अक्टूबर, 2007 में यह निदेश दिए गए हैं कि वे कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के 9% के विद्यमान स्तर से अल्पसंख्यकों को उधार बढ़ाकर आगामी 3 वर्षों में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009-10 तक 15% करें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित प्रगति के अनुसार, 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को कुल बकाया ऋण 82865 करोड़ रुपये थे जो पीएसबी के कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 12.41% है। इसके अतिरिक्त बजट घोषणा 2008-09 के अनुसरण में, पीएसबी को वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में उनके द्वारा खोली गई शाखाओं अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों/क्षेत्रों में 500 से अधिक शाखाएं खोलने का लक्ष्य दिया गया था। पीएसबी द्वारा की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2008-09 के दौरान इन क्षेत्रों में उनके द्वारा खोली गई शाखाओं की कुल संख्या 524 थी।

5.9 आवास क्षेत्र

5.9.1 आवास को ऋण की उपलब्धता

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति तक कुल बकाया ऋण 2,78,575 करोड़ रुपये थे जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.1% अधिक थे। सभी एससीबी के कुल ऋण में आवास क्षेत्र का हिस्सा लगभग 10% था।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इसी अवधि के दौरान, 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार, 1,99,033 करोड़ रुपए के बकाया ऋणों के साथ पिछले वर्ष की तुलना में 21.4% की अधिक वृद्धि दर्ज की। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आवास ऋण का ब्यौरा तालिका 5.7 पर दी गई है।

31.3.2009 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल आवास ऋण (बकाया) अर्थात् 20 लाख रुपये तक के ऋण 1,45,054.67 करोड़ रुपये थे जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल आवास ऋण का 84% थे।

31.3.2009 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के बाहर बकाया कुल आवास ऋण। तालिका 5.8 पर दी गई है।

5.9.2 नीतिगत पहल

वर्ष 2008-09 के आरंभ में अधिक संपत्ति मूल्य और उसके बाद सितम्बर, 2008 में नकदी संकट के परिणामस्वरूप, पालिसी के लिए लगातार परिवर्तित हो रहे आर्थिक परिदृश्य को नियमित करने के लिए उपयुक्त पहल पर नीति केन्द्रित था। नीतिगत उपायों में जोखिमधारिता में परिवर्तन; छोटे ऋणों पर ब्याज दर निर्धारित करना; विशेष पुनर्वित्त सुविधा के लिए 4000 करोड़ रुपए का आबंटन तथा आवासीय वित्त कंपनियों के लिए ईसीबी माध्यम को आरंभ करना शामिल हैं।

भारतीय बैंक संघ ने 16 दिसम्बर, 2008 को आवासीय ऋणों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से एक विशेष पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज 30 जून, 2009 तक के सभी नए आवासीय ऋणों पर लागू था किन्तु ऋणों के परिवर्तन पर लागू नहीं था। इस पैकेज के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक और 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए ब्याज दर को क्रमशः 8.5S से 9.25S पर सीमित किया गया था। इन ऋणों के लिए कोई संसाधन/पूर्व भुगतान प्रभार नहीं होगा।

5.9.3 विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ)

20 लाख रुपए तक के वैयक्तिक ऋण के आवासीय ऋणों के लिए आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4000 करोड़ रुपए की एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई थी। दिनांक 22.1.2009 तक ब्याज दर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष 8S की दर से प्रभारित की जाती है और उसके पश्चात 7% की दर से 5 लाख रुपए तक के ऋणों पर एक वर्ष के अंत में अथवा पुनर्वित्त की वापसी चुकौती पर, जो भी पहले हो, 25 आधार बिन्दु तक की ब्याज दर में छूट प्रदान की जाती है। विस्तृत आधार पर उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए प्रति आवास वित्त कंपनी के अंतर्गत संवितरण पर 400 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार, 3220.24 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त और संवितरित की गई।

5.9.4 ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ)

ग्रामीण आवास निधि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संसाधनों को इस सीमा तक सीमित करते हुए कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के अपने दायित्व को तत्काल पूरा करें, ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय आवास बैंक के पुनर्वित्त परिचालन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बजट 2008-09 में ग्रामीण आवास निधि की घोषणा की गई थी। तदनुसार, बजट भाषण में राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 1000 करोड़ रुपए की निधि निर्दिष्ट की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निधि को वृद्धि करके 2000 करोड़ रुपए कर दिया।

राष्ट्रीय आवास निधि के अंतर्गत निधियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की, ग्रामीण आवास क्षेत्र के लिए विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत, अस्तित्व वाली और प्रस्तावित दोनों, जीजेआरएचआरएस के अंतर्गत पुनर्वित्त, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत टॉप-अप ऋण, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक आवास के अंतर्गत पुनर्वित्त (पीएचआईआरए), ग्रामीण आवास सूक्ष्म बीमा आदि सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त वित्तीय बिचौलियों की वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

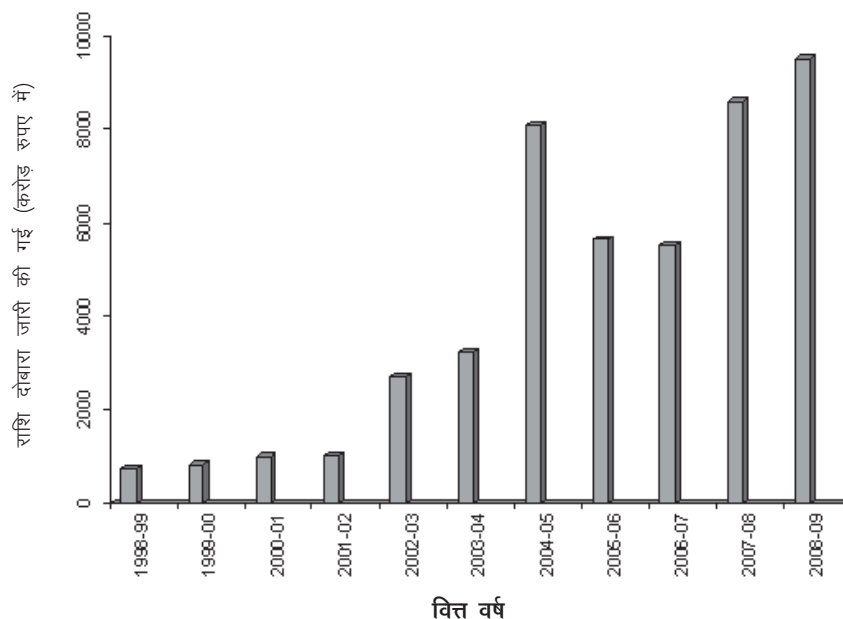
योजना के अनुसार, पीएलआई को ऋण प्रदान करने पर राष्ट्रीय आवास बैंक प्रति वर्ष 7 से 8% शुल्क प्रभारित करता है। वर्ष 2008-09 (मार्च 2009 तक) के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से 1760.33 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसके मुकाबले बैंक ने विभिन्न आवास वित्त कंपनियों, आरआरबी और यूसीबी को 1382.06 करोड़ रुपए संवितरित किए।

5.10 राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की गतिविधियाँ और परिचालन क) संसाधन जुटाना

वित्तीय वर्ष 2007-08 (जुलाई-जून) के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने विभिन्न स्रोतों से 12,109.45 करोड़ रुपए की निधियाँ जुटाई। इस वर्ष के दौरान कुल 6,273.90 करोड़ रुपए की राशि के उधार सहित इसी वर्ष के दौरान 5,835.55 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान किया गया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने वाणिज्यिक कागज़ातों, जमा राशियों के प्रमाणपत्र, बॉण्ड्स, आवधिक ऋणों, जमा राशियों आदि के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों, आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स आदि से जब तक 16746.52 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई।

ख) निधियों का विनियोजन

वर्ष 2007-08 के दौरान 9,036.38 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई, जिसमें से 8,586.89 करोड़ रुपए पुनर्वित्त के लिए संवितरित किए गए थे तथा परियोजना वित्त 449.49 करोड़ रुपए था। इस वर्ष के दौरान अब तक (जुलाई 2008 से मार्च 2009 तक) 9581.20 करोड़ रुपए



तालिका 5.9

संस्था की श्रेणी	नियमित योजना	जीजेआरएच आरएस	आरएचएफ	एसआरएफ	कुल	(रुपए करोड़ में) कुल का S
आवास वित्त कंपनी	1385.94	10.39	1150.46	3220.24	5767.03	60.29%
शहरी सहकारी बैंक	75.00	60.00	15.00		150.00	1.57%
बैंक	2808.95	623.05	216.60		3648.60	38.14%
कुल	4269.89	693.44	1382.06	3220.24	9565.63	100%

तालिका 5.10

योजना के अंतर्गत किए गए संवितरणों के आँकड़ों का विवरण

संस्थान की श्रेणी	आरएचएफ	जीजेआरएचआरएस	कुल
आवास वित्त कंपनी	1150.46	10.39	1160.85
अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा यूसीबी)	231.60	683.05	914.65
कुल	1382.06	693.44	2075.50

संवितरित किए गए जिसमें से 9565.63 करोड़ रुपए पुनर्वित्त के लिये संवितरित किये गए तथा परियोजना वित्त 16.17 करोड़ रुपए था।

ग) पुनर्वित्त परिचालन

वर्ष 2008-09 (मार्च 2009 तक) के दौरान पुनर्वित्त के रुप में कुल 9565.63 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे, जिसमें से 1382.06 करोड़ रुपए ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ), 693.44 करोड़ रुपए स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना तथा 3220.24 करोड़ रुपए विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ) के लिए संवितरित किए गए थे। पुनर्वित्त संवितरणों में 9 महीनों में लगभग 50% की वृद्धि हुई थी।

घ) वर्ष 2008-09 (मार्च, 2009 तक) के दौरान **संस्था-वार आँकड़ों का विवरण** तालिका 5.9 पर दी गई है।

ङ) ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना (जीजेआरएचआरएस) के अंतर्गत कार्य निष्पादन

इस वर्ष (मार्च 2009 तक) के दौरान जारी किए गए 9565.63 करोड़ रुपए में से 21.70S कुल 2075.50 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं (पीएलआई) द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में आरएचएफ तथा जीजेआरएचआरएस के अंतर्गत प्रदान किए गए।

इस योजना के अंतर्गत किए गए संवितरणों के आँकड़ों का विवरण तालिका 5.10 पर दी गई है।

च) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इक्विटी भागीदारी

विकासोन्मुख भूमिका के रुप में राष्ट्रीय आवास बैंक को तीन आवास वित्त कंपनियों में नामतः गृह फाइनेंस लिमिटेड और सेंट बैंक होम फाइनेंस

लिमिटेड और महिन्द्रा ग्रामीण आवास वित्त लिमिटेड में इक्विटी भागीदारी है। दिनांक 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार इन तीनों आवास वित्त कंपनियों की इक्विटी धारिता की निवेश की गई पूंजी 5.11 करोड़ रुपए थी।

(छ) वित्तीय कार्यनिष्पादन: 2007-08

एनएचबी जुलाई से जून के लेखा वर्ष का पालन करता है। नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र वर्ष जुलाई 2007-जून 2008 के लिए है। इस वर्ष के दौरान, कर पूर्व लाभ (आस्थगित कर प्रावधान को छोड़कर) पिछले वर्ष के 183.69 करोड़ रुपए की तुलना में, 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 257.60 करोड़ रुपए था। करोपरान्त लाभ पिछले वर्ष के 114.31 करोड़ रुपए की तुलना में, 49 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए 169.70 करोड़ रुपए निकला।

लाभ में वृद्धि के परिणामस्वरूप, इक्विटी पूंजी पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 25.40 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007-08 में बढ़कर 37.7 प्रतिशत हो गया। आरक्षित निधियों में लाभ के पुनर्निवेश से बैंक की निवल स्वामित्व वाली निधियां 1,829.19 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,999.00 करोड़ रुपए हो गईं।

(ज) कारबार योजना और संवर्धक कार्यकलाप

ग्राहक शिक्षा और ग्राहक शिकायतों से निपटने के जरिए विकासात्मक कार्यकलाप

एनएचबी ने, अपने प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक के रुप में, बैंकों और एचएफसी दोनों से आवास वित्त क्षेत्र से संबंधित जानकारी के एक ठोस और विश्वस्त डाटाबेस के निर्माण की पहचान की है। ग्राहक शिक्षा और

सुरक्षा एनएचबी के प्रमुख संकेन्द्रित क्षेत्रों में से एक है। अपने संवर्धक उपायों के रूप में, एनएचबी, एचएफसी के विरुद्ध व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों से भी निपटता है।

(झ) विपरीत बंधक ऋण (आरएमएल)

2007-08 की बजट घोषणा के परिणामस्वरूप, एक विपरीत बंधक ऋण (आरएमएल) योजना परिचालनगत हुई थी, जो वरिष्ठ नागरिकों, यथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले, जो परंपरागत बैंक ऋण योजनाओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता लेने के लिए पात्र नहीं हैं, को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने घर को बंधक रख कर ऋणदात्री बैंकों से आवधिक भुगतान लेने में सक्षम बनाएगी। 23 बैंकों और 2 एचएफसी ने आरएमएल आरम्भ की है और कुल लगभग 589.70 करोड़ रुपए की लगभग 2984 आरएमएल मार्च 2009 तक संस्वीकृत हुई थीं।

एनएचबी विभिन्न केन्द्रों जैसे कि दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, चण्डीगढ़, चेन्नै, फरीदाबाद और कोलकाता में संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/मेल-जोल आयोजित करने के जरिए आरएमएल के बारे में जानकारी प्रसारित करता रहा है। उसने, नई दिल्ली स्थित अपने प्रधान कार्यालय में एक सहित, नई दिल्ली, हैदराबाद, चण्डीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नै में, प्रतिष्ठित एनजीओ के सहयोग से, सात परामर्श केन्द्र स्थापित किए हैं। एनएचबी ने, और अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, अपनी वेबसाइट पर आरएमएल संबंधी एक पृथक भाग भी खोला है। आरएमएल की अधिकतम 20 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद मासिक वार्षिकियों को बढ़ाने के लिए एक आरएमएल वार्षिकी उत्पाद की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं।

(ज) आवासीय स्थावर सम्पदा मूल्य सूचकांक (एनएचबी-रेसीडेंक्स)

समय के साथ आवास कीमतों में परिवर्तनों पर निगरानी रखने के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने एक उपयुक्त मूल्य सूचकांक को विकसित करने के लिए एक प्रयोगी परियोजना आरम्भ की। इस परियोजना में एनएचबी को सहायता देने और इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गनिर्देश देने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ-साथ, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और एनएचबी के प्रतिनिधियों से एक तकनीकी सलाहकार समूह गठित किया गया था।

एनएचबी रेसीडेंक्स आवास क्रेताओं के लिए संकेतक है जो शहरों के बीच तुलना, एक ही शहर में क्षेत्रों के बीच तुलना और समय के साथ अमुक शहर, क्षेत्र में मूल्य वृद्धि की तुलना संभव बनाते हुए, उन्हें अपने क्रय निर्णय लेने में सहायता देता है। बैंकों और आवास वित्त कंपनियों, जिनका आवास क्षेत्र में महत्वपूर्ण जोखिम एक्सपोजर है, के लिए यह सूचकांक उपयोगी होगा, विशेषतः पूर्वाधिकार बंधकों के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्यन में। पहले आंकड़े 5 प्रमुख भारतीय शहरों से एकत्र किए गए थे, यथा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बेंगलुरु और भोपाल, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूचकांक का विस्तार अब 15 शहरों तक कर दिया गया है।

6. वित्तीय संस्थाएं

6.1 इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

आईआईएफसीएल, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी, की स्थापना 5 जनवरी, 2006 को हुई थी तथा इसने अप्रैल, 2006 माध्यम से अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना के अनुसार अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधि ऋण प्रदान करती है। कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपये है तथा वर्तमान में चुकता पूंजी 1300 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने अप्रैल, 2006 में परिचालन प्रारंभ करने से मार्च, 2009 तक सड़क, बिजली, हवाई अड्डे, पत्तन एक शहरी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में 88 अवसंरचना परियोजनाओं को 18,720 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ये परियोजनाएं देश के 19 राज्यों में फैली हुई हैं तथा इनमें 1,47,092 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत अंतर्गस्त है। मंजूर की गई कुल 88 परियोजनाओं में से, वित्तीय लेखाबंदी (क्लोज़र) प्राप्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पूलड म्यूनिसिपल डेब्ट आबलीगेशन (पीएमडीओ) सुविधा के अंतर्गत शहरी अवसंरचना के विकास के लिए 19 परियोजनाओं में 40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मार्च, 2009 की समाप्ति तक कुल संवितरण पीएमडीओ के अंतर्गत संवितरण सहित 77 मामलों में 4891 करोड़ रुपये था।

आईआईएफसीएल ने घरेलू उधारराशियों के भाग के रूप में 31 मार्च, 2009 तक चार श्रृंखलाओं में 1100 करोड़ रुपये बॉण्ड जारी करके जुटाए। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने दीर्घावधि ऋण के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से 1000 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) से 1500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन अमरीकी डालर का एक ऋण मंजूर किया है तथा इसमें से कंपनी ने मार्च, 2009 की समाप्ति तक 179 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किए हैं। एडीबी ने यह सूचित किया है कि 500 मिलियन अमरीकी डालर की एक और ऋण सहायता पर विचार किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कंपनी को 1.2 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता पर विचार कर रहा है, जबकि केएफडब्ल्यू ने कंपनी को 180 मिलियन यूरो को 'सिद्धांततः' मंजूरी दे दी है।

आईआईएफसीएल ने आईडीएफसी तथा सिटीग्रुप के साथ भारतीय अवसंरचना वित्त पहल में भाग लिया है जिसे अवसंरचना कंपनियों को इक्विटी प्रदान करने के लिए मार्च, 2009 की समाप्ति पर 875 मिलियन अमरीकी डालर की कुल प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, जोखिम पूंजी में वृद्धि के उद्देश्य से, कंपनी को उधारकर्ताओं को गौण ऋण देने की अनुमति दी गई है।

करमुक्त बांडों के द्वारा 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए दिनांक 7.12.2008 को घोषित प्रथम प्रेरक पैकेज के अंतर्गत निर्देशानुसार कंपनी ने 6.85S वार्षिक की दर पर दो श्रृंखलाओं में उक्त राशि पहले ही जुटा ली है। इन बांडों की आय का उपयोग राजमार्ग एवं पत्तन क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 60S तक के कर्ज का बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए किया जाएगा जिन परियोजनाओं में 31 जनवरी, 2009 को अथवा इसके पश्चात् बोलियां प्रस्तुत हो गई हैं।

इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल 2.1.2009 को घोषित द्वितीय प्रेरक पैकेज के अंतर्गत, लगभग 75,000 करोड़ रुपये का अवसंरचना परियोजनाओं के निधीयन हेतु आगामी 18 महीनों में प्रतियोगी दरों पर कर मुक्त बांडों के द्वारा अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपये श्रृंखलाओं में प्राप्त करने में सक्षम होगा।

आईआईएफसीएल ने आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना अप्रैल, 2008 में लंदन में की है। यह सहायक कंपनी अमरीकी डालर मूल्यवर्ग के बांड जारी करके भारतीय रिजर्व बैंक से श्रृंखलाओं में 5 बिलियन अमरीकी डालर तक उधार लेगी तथा भारतीय अवसंरचना कंपनियों को भारत से बाहर उनके पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन आगे उधार देगी। कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक से 250 मिलियन अमरीकी डालर की प्रथम श्रृंखला जुटाई है। आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड ने अब तक 1241 मिलियन अमरीकी

डालर के लिए 8 योग्य प्रस्तावों को मंजूर किया है जिनमें लगभग 12 बिलियन अमरीकी डालर की कुल परियोजना लागत अंतर्गस्त है। कंपनी के अनुमोदित ऋण पोर्टफोलियो में बिजली क्षेत्र तथा अर्बन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट क्षेत्र (मेट्रो रेल) की परियोजनाएं शामिल हैं।

कंपनी ने वर्ष 2008-09 के दौरान, 69.98 करोड़ रुपये का करोपरांत लाभ और 150.53 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ अर्जित किया है जो 2007-08 में क्रमशः 14.10 करोड़ रुपए तथा 33.76 करोड़ रुपये था।

6.2. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)

भारत में विदेश व्यापार को वित्तपोषित करने, उसे सुकर बनाने तथा उसका संवर्धन करने के प्रयोजन से संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक निर्यात एवं आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्य के समन्वय हेतु देश में मुख्य वित्तीय संस्था है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। 31.3.09 की स्थिति के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी 1400 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपये है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 33628 करोड़ रुपये के ऋण अनुमोदित किए जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान ये 32805 करोड़ रुपए थे। संवितरण पिछले वर्ष के 27159 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष के दौरान 28933 करोड़ रुपये था। ऋण आस्तियां 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार 29152 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 34505 करोड़ रुपये थीं। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान करोपरांत लाभ 477 करोड़ रुपये था जबकि वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान करोपरांत लाभ 333 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए भारत सरकार को निवल लाभ की शेष राशि के रूप में 115.70 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे जो पिछले वर्ष में 100.77 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार जोखिम पूंजी आस्ति अनुपात 16.77 प्रतिशत था। एक्जिम बैंक विदेशी कंपनियों, राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण-व्यवस्था बढ़ाने पर विशेष जोर देता है। बैंक का एलओसी पोर्टफोलियो हाल के वर्षों में बढ़ा है और बैंक ने 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार भारत से निर्यातों को वित्तपोषित करने के लिए उपलब्ध कुल 3.75 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 94 देशों में फैले 114 सक्रिय एलओसी की सूची बनाई है।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार बैंक के ऋण एवं अग्रिम राशि का पोर्टफोलियो 34,505 करोड़ रु. का था। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 45 भारतीय कंपनियों द्वारा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 39 देशों में बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 71468 करोड़ रु. (लगभग 14.09 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य की 222 परियोजना निर्यात संविदाएं निष्पादित की जा रही थीं। इनमें से 17 कंपनियों द्वारा 17 देशों में निष्पादित की जा रही 21825 करोड़ के मूल्य की 35 संविदाएं चालू राजकोषीय वर्ष 2008-09 के दौरान पूरी कर ली गई थीं।

एक्जिम बैंक भारतीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे उन बाह्य निवेशों में भी सक्रिय रूप से सहायता देता है और उन्हें सुकर बनाता है, जो इन कंपनियों द्वारा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए किए जाते हैं।

विदेशी निवेश के लिए भारतीय कारपोरेट्स को ऋण प्रदान करने के साथ-साथ एक्जिम बैंक, चयनित आधार पर, भारतीय विदेशी उद्यमों की विश्वसनीयता बढ़ाने और इनकी स्वीकृति के लिए विदेशों में भारतीय

उद्योगों में प्रत्यक्ष इक्विटी सहभागिता भी देता है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, 11 देशों में भारतीय कंपनियों द्वारा अपने विदेशी निवेशों के अंश को वित्तपोषित करने के लिए 16 भारतीय कारपोरेट्स को 2338 करोड़ रुपये की निधिक एवं गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई थी।

अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7.12.2008 को घोषित सरकार के उपायों के अनुसार एक्जिम बैंक को भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर रुपये अथवा डालर में लदान-पूर्व तथा लदान पश्चात् ऋण प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था प्रदान की गई थी।

6.3 सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी)

वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सिंचाई परियोजनाओं में अपेक्षित अत्यधिक निवेशों को ध्यान में रखते हुए सरकार का प्रस्ताव है कि बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के निधीयन के लिए अपेक्षित बहुत अधिक संसाधन जुटाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदान दी गई 100 करोड़ रु. की प्रारंभिक पूंजी से सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी) स्थापित किया जाए।

उपर्युक्त घोषणा के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदान की गई 100 करोड़ रु. की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में 29 मार्च, 2008 को सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड (आईडब्ल्यूआरएफसी) की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को इक्विटी में अंशदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आईडब्ल्यूआरएफसी के परिचालन हेतु कार्यवाहियां चल रही हैं।

7. बीमा क्षेत्र

बीमा प्रभाग के कार्यों में बीमा क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए नीति तैयार करना, राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के कार्य निष्पादन की निगरानी करना, राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम तथा विनियम बनाना, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन बनाना, राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के बोर्डों में मुख्य कार्यपालकों एवं निदेशकों की नियुक्ति, आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अंतर्गत नियम बनाना और आईआरडीए के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति शामिल हैं।

इस विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियम संचालित किए जाते हैं :-

- (1) बीमा अधिनियम, 1938
- (2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956
- (3) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
- (4) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999
- (5) बीमांकिक अधिनियम, 2006

बीमा प्रभाग, उपर्युक्त के अतिरिक्त, विशेष रूप से समाज उन्मुख बीमा योजनाएं जैसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस), जनश्री बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना भी संचालित करता है।

7.1 बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम (आईआरडीए), 1999

बीमा क्षेत्र को बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियमन के साथ गैर-सरकारी भागीदारी के लिए खोला गया था। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में (1) बीमाकर्ताओं तथा बीमा बिचौलियों को लाइसेंस प्रदान करना; (2) वित्तीय तथा विनियामक पर्यवेक्षण; (3) पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना सम्मिलित हैं। बीमा क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए ; ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में उत्तरदायित्व; सूक्ष्म बीमा तथा एजेंटों, कारपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों और तृतीय पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनियम जारी किए हैं। यह बीमा कंपनियों के पंजीकरण के लिए, शोधक्षमता अंतर को बनाए रखने के लिए निवेश तथा वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के लिए विनियामक ढाँचे संबंधी प्रावधान के अतिरिक्त है।

7.1.1 बीमा उद्योग में नई संस्थाएं

इस उद्योग के वर्ष 2000 में खोले जाने के समय से मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार इस उद्योग में भागीदारी की संख्या छः बीमाकर्ताओं (भारतीय जीवन बीमा निगम, सरकारी क्षेत्र के चार साधारण बीमाकर्ताओं तथा राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में साधारण बीमा निगम सहित) से बढ़कर जीवन, गैर-जीवन तथा पुनर्बीमाकर्ता खंडों (विशेषज्ञ बीमाकर्ताओं अर्थात् निर्यात गारंटी कारपोरेशन तथा कृषि बीमा कंपनी सहित) में अब 44 बीमाकर्ता परिचालन कर रहे हैं। साधारण बीमा कंपनियों में से दो अर्थात् स्टार हेल्थ एंड एलायंस इंश्योरेंस कंपनी तथा अपोलो डीकेवी हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनी के रूप में कार्य कर रही हैं। इस क्षेत्र के खोले जाने के पश्चात् जीवन खंड में परिचालन स्थापित 21 जीवन बीमा कंपनियों में से 19 कंपनियाँ का विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम है। गैर-जीवन खंड में कार्य कर रहे 15 बीमाकर्ताओं में से 14 ने विदेशी भागीदारों के सहयोग से परिचालन स्थापित किया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र में 33 बीमा कंपनियाँ पूरे विश्व में प्रतिष्ठित विदेशी बीमा कंपनियों के सहयोग से देश में परिचालन कर रही हैं।

7.1.2 जीवन बीमा उद्योग

बीमा उद्योग में उदारीकरण के बाद विशेषतया जीवन बीमा क्षेत्र में तेज गति से वृद्धि अनुभव की गई है। उद्योग द्वारा हामीदार किए गए कुल प्रीमियम में वर्ष 2000-01 में 34898.47 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2008-09 में 223555.79 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। प्रथम वर्ष प्रीमियम में, जो कि प्राप्त किए गए नए कारोबार का माप है, बीमाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2000-01 के 9708 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 87107.62 करोड़ रुपए हामीदार किए गए। जीवन बीमा उद्योग ने हामीदार किए गए नए कारोबार में वर्ष 2007-08 की 23.88% वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 6.32% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की।

लिंग्ड तथा गैर-लिंग्ड प्रीमियम के संबंध में वर्ष 2008-09 के दौरान लिंग्ड खंड में 51.30% प्रीमियम हामीदार किया गया था जबकि, गैर-लिंग्ड खंड में यह 48.70% था। पिछले वर्ष में यह अनुपात 75.34:24.66 था।

7.1.3 गैर-जीवन बीमा उद्योग

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं (निर्यात ऋण गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) जैसे विशेषज्ञ संस्थानों तथा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसीआईएल) तथा एकल आधार पर परिचालित बीमा कंपनियों को छोड़कर) ने भारत में

वर्ष 2008-09 में 30601.20 करोड़ रुपए की प्रीमियम हामीदारी की, जो वर्ष 2000-01 में 9806.95 करोड़ रुपए की थी। वर्ष के दौरान, गैर जीवन बीमा उद्योग ने सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में वर्ष 2007-08 के 12.63% की तुलना में 9.09% की वृद्धि दर्ज की। शीघ्रता से विकसित हो रहे खंडों में दो खंड मोटर तथा स्वास्थ्य हैं। उक्त खंडों में अप्रैल-दिसम्बर, 2008 की अवधि के दौरान भारत में हामीदार किया गया प्रीमियम 42.92% तथा 19.97% था जो 2007-08 की तदनुसूची अवधि के दौरान क्रमशः 44.26% तथा 17.11% था। गैर-प्रशुल्कीकरण के पश्चात्, दरों में कटौती के कारण गत दो वर्षों के दौरान प्रीमियम में वृद्धि धीमी हुई है (स्वास्थ्य तथा मोटर खण्डों को छोड़कर), हामीदारी पालिसियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

7.1.4 हाल ही में की गई पहलें

आईआरडीए, जो देश में बीमा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी है, ने वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

1) **वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम:** वित्तीय क्षेत्र के विकास को बनाए रखने की आवश्यकता को पहचानते हुए तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के मूल्यांकन और वित्तीय मानकों एवं संहिताओं के कार्यान्वयन की स्थिति की दृष्टि से, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वर्ष 2007 में वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधित एक समिति (सीएफएसए) का गठन पहली बार प्रयोग में लाने के बाद हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए स्व-मूल्यांकन करने और वर्तमान स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया था। यह प्रयोग भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक सहित सभी वित्तीय विनियामकों के साथ परामर्श करके और वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ किया गया था।

चूंकि बीमा एक विशेष क्षेत्र है, अतः आईआरडीए ने बीमा बाजार से संबंधित वित्तीय विनियमन एवं पर्यवेक्षण मानकों का निर्धारण करने के लिए दो स्वतंत्र तकनीकी दलों अर्थात् (1) स्थूल विवेकपूर्ण निरीक्षण संबंधी तकनीकी दल - वित्तीय प्रणाली की स्थिरता तथा दबाव परीक्षण, और (2) वित्तीय मानकों एवं संहिताओं की स्थिति एवं कार्यान्वयन संबंधी तकनीकी दल/तकनीकी दलों में बीमा उद्योग के प्रमुख व्यक्ति बीमा के क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल थे। दोनों तकनीकी दलों की रिपोर्ट सीएफएसए के तत्वाधान में संबंधित सलाहकार पैनलों को उपलब्ध की गई थी। मूल्यांकन के आधार पर, अंतर की पहचान कर ली गई है तथा बीमा क्षेत्र के लिए किए जाने वाले उपायों का निर्धारण कर लिया गया है।

(2) **गैर-प्रशुल्कीकरण:** विभिन्न पणधारकों की इस माँग कि इस क्षेत्र के खोले जाने के पश्चात् विकासोन्मुख प्रतिस्पर्धा के लिए इस क्षेत्र में प्रशुल्क प्रणाली को जारी रखना असंगत था, के आधार पर गैर-प्रशुल्कीकरण के मार्गनिर्देश प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किए गए मार्गनिर्देशों में, प्रशुल्कों से स्वतंत्र मार्केट में निर्बाध परिवर्तन को सुनिश्चित करने हेतु तंत्रों की स्थापना निर्धारित की गई थी। हामीदारी कार्य-कलापों, दर को बढ़ाने, फाइल तथा प्रयोग अनुपालन तथा कापोरेट अभिशासन के संबंध में समय अनुसूची दर्शाते हुए विभिन्न मील के पथर चिह्नित किए गए थे।

गैर-प्रशुल्कीकरण में प्रथम चरण के रूप में सिर्फ दरों को 31 मार्च, 2008 तक विनियमित किया गया था और पालिसी के शर्तों एवं निबंधनों को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। गैर-जीवन उद्योग का गैर-प्रशुल्कीकरण दिनांक 1.1.2007 से अधिसूचित किया गया था। वाणिज्यिक वाहन मालिकों के संबंध में प्रशुल्क वृद्धि का प्रभाव सामान्य करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए मोटर-तृतीय पक्ष

प्रीमियम की दरें निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए शक्तियाँ अपने पास रखी हैं कि सभी बीमाकर्ता इस प्रकार के कारबार के लिए आनुपातिक एक्सपोजर कर सकें, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के अंतर्गत एक मोटर पूल का सृजन कर दिया गया है। सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को 1 अप्रैल, 2007 से अपने द्वारा हामीदार किए गए वाणिज्यिक वाहनों के लिए सभी मोटर तृतीय बीमा कारबार को बाँटने के लिए पूलिंग व्यवस्था में साझेदार बनना अपेक्षित है।

प्राधिकरण ने बीमा कम्पनियों को पूर्व में दिए गए इन अनुदेशों की समीक्षा की है कि वे उन बीमा कवरों के संबंध में कवरेज, शर्तों एवं निबंधनों, वर्डिंगज़, वारंटी, क्लोज़िंग तथा इन्डोर्समेंट में अन्तर नहीं करेंगे जो पूर्व शुल्क के अंतर्गत थे। प्राधिकरण ने साधारण बीमाकर्ताओं को भूतपूर्व प्रशुल्क के अंतर्गत निर्धारित में से कटौती योग्य राशि में अंतर को बीमा पालिसी को अंतिम रूप देने से पूर्व बीमित द्वारा लिखित प्रकटीकरण एवं स्वीकृति के अध्यक्षीन दर्ज करने तथा 1 जनवरी, 2009 से उपयुक्त अतिरिक्त प्रीमियम के साथ भूतपूर्व प्रशुल्क कवर पर एड-ऑन कवर की अनुमति देने का निर्णय लिया है। बीमाकर्ताओं को मोबाइल/पोर्टेबल उपकरणों पर इंजीनियरी बीमा लागू करने की अनुमति भी दी गई थी। अब आईएआर पालिसियाँ अधिकतम 100 करोड़ रुपये की बीमित राशि के साथ पैट्रोकेमिकल उद्योग सहित सभी उद्योगों के लिए जारी की जा सकती हैं। तथापि साधारण बीमाकर्ता भूतपूर्व प्रशुल्क के अंतर्गत उपलब्ध स्टैण्डर्ड कवर के कार्यक्षेत्र को सीमित करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

3) मोटर पूल का सृजन: प्राधिकरण ने (बीमा अधिनियम की धारा 110 छ के अंतर्गत गठित समिति के परामर्श से) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के तहत इस आशय से निर्देश जारी किए हैं कि सभी साधारण बीमा कंपनियाँ पूल व्यवस्था में भागीदारी के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार, वाहन तृतीय पक्ष की हामीदारी; बहु-पक्षीय पुनर्बीमा व्यवस्था के माध्यम से पूल तंत्र; प्रलेखन लेखा-विधि में हामीदारी की प्रक्रियाविधि के मामले में साधारण बीमा परिषद के निर्देशों का अनुसरण; दावों का शीघ्र और सूक्ष्म निपटान; जीआईसी का बीमाकर्ताओं के साथ एक समझौते के अंतर्गत पूल व्यवस्था के प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए उनके द्वारा हामीदार किए गए सभी वाहन तृतीय पक्ष बीमा कारोबार के भागीदारी के लिए सामूहिक रूप से भाग लेंगी। वाहन तृतीय पक्ष बीमा (वाणिज्यिक वाहन) में भागीदारी के लिए पूल व्यवस्था 01 अप्रैल 2007 से लागू हुई। प्राधिकरण के पास पूलिंग व्यवस्था के परिचालन की समीक्षा करने और प्रीमियम दरों एवं कवर की शर्तों का विनियमन करने की आवश्यकता के संबंध में ऐसे निदेश जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाएं, जारी करने का अधिकार सुरक्षित है।

फरवरी, 2009 तक के पूल प्रीमियम एवं दावों संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

	अप्रैल 2007 से फरवरी, 2008	मार्च, 2008 से फरवरी, 2009 (जीआईसी से अद्यतन)
प्रीमियम	2436.68	2822.96
सूचित दावे	255.17	1557.39
प्रदत्त दावे	4.23	177.01
बकाया दावे	250.93	1631.32

4) स्वास्थ्य बीमा पर पहल: प्राधिकरण अपने विकासवात्मक एजेंडा में स्वास्थ्य बीमा के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। प्राधिकरण के स्वास्थ्य बीमा आँकड़ा संग्राहक ने 16.3 मिलियन बीमित व्यक्तियों, 3.8 मिलियन पालिसियों और 1 मिलियन दावों के आँकड़े प्राप्त किए हैं तथा इन आँकड़ों की गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन आँकड़ों के विस्तृत विश्लेषण दिसम्बर 2008 से जनता को उपलब्ध करा दिया गया है।

प्राधिकरण ने अप्रैल 2007 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा के अध्ययन तथा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में की गई सिफारिशों के संबंध में एक समिति का गठन किया है। समिति की बहुत सी सिफारिशें प्राधिकरण द्वारा मान ली गई थीं और उनका पहले से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा से संबंधित क्षेत्रों पर उद्योग चैंबर के साथ भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। अक्टूबर 2007 में, प्राधिकरण ने भारतीय उद्योग संघ के कार्य दल और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ की उपसमिति के गठन और उनकी गतिविधियों का समर्थन किया है, जो स्वास्थ्य बीमा को बनाए रखने से संबंधित मामलों पर ध्यान दे रहे हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान सीआईआई तथा एफआईसीसीआई ने आईआरडीए के समर्थन और भागीदारी के साथ स्वास्थ्य बीमा पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की।

आईआरडीए ने 'पहले से विद्यमान बीमारियों' और इसके अपवर्जन शब्दों, जो कि साधारण बीमा परिषद के तत्वाधान में था, की एक समान परिभाषा के मानकीकरण के लिए उद्योग की पहल का समर्थन भी किया तथा यह 1 जून, 2008 से प्रभावी हो गया है।

नवम्बर 2008 में प्राधिकरण ने टीपीए के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक समिति का भी गठन किया है।

5) सूक्ष्म बीमा: वित्तीय समावेशन पैकेजों की वृद्धि के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर उन वर्गों को जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच नहीं है, उन्हें बैंकिंग तथा ऋण सुविधाएँ प्रदान करके सशक्त बनाना है, जिसके द्वारा ग्रामीण ऋण अंतराल को समाप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना है। प्राथमिकता आधार पर बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय समावेशन पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। समाज के इन वर्गों की मौलिक विशेषता यह है कि ये विभिन्न जोखिम कारकों से सदा असुरक्षित हैं इस प्रकार वित्तीय समावेशन पैकेजों को बढ़ाने के उद्देश्य को सुरक्षात्मक कारकों की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लक्षित वर्ग अपरिहार्य आकस्मिकताओं की घटनाओं में गरीबी से घिर जाते हैं। अतः, इन अपरिहार्य जोखिमों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए सूक्ष्म बीमा को वित्तीय समावेशन पैकेजों के एक आवश्यक उपाय के रूप में बड़े स्तर पर अपनाया जाता है। आईआरडीए द्वारा जारी किए गए सूक्ष्म बीमा विनियमों ने सूक्ष्म बीमा को एक सैद्धान्तिक मामले के रूप में प्रचारित करने के लिए प्रोत्साहन दिए हैं।

सूक्ष्म बीमा विनियमों के अंतर्गत अपनाई गई सकारात्मक तथा सुविधाजनक पहुँच के साथ यह आशा की जाती है कि सभी बीमा कंपनियाँ प्रगामी कारोबार दृष्टिकोण के साथ सामने आएंगी तथा समाज के सभी वर्गों में बीमा व्याप्ति द्वारा विनियमों के मूल सिद्धांतों को आगे ले जाएंगी। सूक्ष्म बीमा क्षेत्र में वर्ष 2007-08 के अंत तक 4,584 सूक्ष्म बीमा अभिकर्ता व्यवसाय कर रहे थे। वर्ष के दौरान 9,37,768 वैयक्तिक पालिसियों के अंतर्गत 1823.10 लाख रुपए का नया कारोबार प्रीमियम अर्जित किया

गया जबकि समूह बीमा क्षेत्र के अंतर्गत 1,22,42,027 व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करते हुए 20127.46 लाख रुपए की प्रीमियम आय अर्जित की गई। वैयक्तिक तथा समूह दोनों खंडों में नौ बीमा कंपनियों ने 26 सूक्ष्म बीमा उत्पाद फाइल किए हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कुछ बीमाकर्ता, सूक्ष्म बीमा विनियमों की अधिसूचना से पहले भी ऐसे उत्पादों की बिक्री करते रहे हैं, जो सूक्ष्म बीमा के अनुसार पात्रता के लिए विचार किए जाने वाले निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत आते हैं।

6) ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों से संबंधित विनियमों में संशोधन: प्राधिकरण द्वारा स्थापित अनौपचारिक समूह की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित नए बीमाकर्ताओं के छः से दस वर्षों के व्यवसाय अधिसूचित किए गए थे। सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (एलआईसी और सरकारी क्षेत्र की चारों बीमा कंपनियों) के दायित्व भी संशोधित किए गए थे। ये दायित्व उपर्युक्त क्षेत्रों में उनके पिछले कार्यनिष्पादन से जोड़े गए हैं। सूक्ष्म बीमा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सूक्ष्म बीमा विनियमावली, 2005 में दी गई 'सूक्ष्म बीमा' की परिभाषा को पूरा करते हुए बीमा पालिसियों के लिए इन क्षेत्रों में कार्य निष्पादन के न्यूनतम स्तर का निर्धारण किया हुआ है।

वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही अथवा द्वितीय छमाही से प्रारंभ हुई मौसम बीमा कंपनी के आधार पर दायित्वों में छूट प्रदान करने के लिए विनियमों में और अधिक संशोधन किए गए हैं। वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में व्यवसाय प्रारंभ कर रही बीमा कंपनियों के लिए विनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार, प्रथम वर्ष के लिए लागू दायित्व दायित्वों का 50 प्रतिशत होना चाहिए। वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही में व्यवसाय प्रारंभ करने वाली कंपनियों तथा जिनका व्यवसाय छः महीनों से कम है, के मामले में (1) उस वर्ष के लिए कोई ग्रामीण अथवा सामाजिक दायित्व लागू नहीं होंगे तथा (2) विनियमों में दर्शाए गए अनुसार वार्षिक दायित्व व्यवसाय के अगले वित्तीय वर्ष से लागू होंगे।

7) निवेश विनियमों में संशोधन: प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनियों के निवेश पर अद्यतन विनियामक तथा अन्य प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा, वित्तीय बाजारों में घटनाक्रमों के साथ-साथ बीमा कंपनियों द्वारा अब तक प्राप्त अनुभवों/सामना की गई बाधाओं के आधार पर आवश्यक परिवर्तनों पर सुझाव देने के लिए एक कार्य-दल का गठन किया। कार्य-दल ने निवेश की पद्धति पर सांविधिक प्रावधानों, निवेश विनियमों के व्यवसाय संबंधी और पालिसी मामलों की समीक्षा की और संशोधनों का सुझाव दिया, जो जीवन तथा साधारण बीमा कंपनियों के निवेश पर विनियम की दृष्टि से प्राधिकरण को लचीलापन प्रदान करेगा। समूह ने परिवर्तनों को दर्शाने के लिए निर्धारित विवरणियों के प्रारूप में समवर्ती संशोधनों की भी जांच की है।

प्राधिकरण द्वारा कार्य-दल की सिफारिशों की कानूनी प्रावधानों की दृष्टि से तथा पणधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जाँच की गई है। कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन से विनियमों में तथा यथोचित विनियामक ढाँचे में उचित परिवर्तन अपेक्षित हैं। प्राधिकरण द्वारा, एक अवधि के बाद, विनियमों के अनुपालन की निगरानी करते समय यह भी देखा गया कि कुछ सीमा तक निर्देशों/ दिशा-निर्देशों में स्पष्टता और सामंजस्य की आवश्यकता है।

प्राधिकरण ने कार्य-दल की सिफारिशों को लागू करने के लिए आईआरडीए निवेश विनियमावली, 2000 के प्रावधानों में संशोधन किया है तथा ये परिवर्तन वर्तमान विनियामक अपेक्षाओं की स्पष्टता के लिए आवश्यक माने गए थे।

8) धन शोधन निवारण (एएमएल) कार्यक्रम हेतु दिशा-निर्देश: बीमा कंपनियों के लिए धन शोधन निवारण कार्यक्रम पर दिशा-निर्देश 31 मार्च, 2006 को जारी किए गए थे तथा इन्हें जीवन बीमा कंपनियों के मामले में 01 अगस्त 2006 से और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के मामले में 01 जनवरी, 2007 से लागू किया गया था। धनशोधन निवारण कार्यक्रम उपर्युक्त आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति; कर्मचारियों/एजेंटों की भर्ती और प्रशिक्षण ; आंतरिक नियंत्रण/लेखा-परीक्षा; संदेहपूर्ण लेन-देन और कुछ विशेष नकद लेनदेन सहित 'अपने ग्राहक को जानें' मानदंड पर विशेष जोर देता है ताकि एएमएल शर्तों का पालन हो।

बीमाकर्ताओं को मार्गनिर्देशों के अनुसार, अपने ग्राहकों के मामले में पहचान के दस्तावेज, पता और निधियों के स्रोत प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं। प्रीमियम/जमा राशियों के प्रस्ताव के संबंध में नकद स्वीकृति को 50000/- रुपए तक सीमित किया गया है। हाल के फोटोग्राफ तथा निवास के प्रमाण की आवश्यकताओं से छूट, सूक्ष्म बीमा व्यवसाय को बढ़ाने में सामने आ रही कठिनाइयों को कम करने के लिए उनके द्वारा ली गई सभी जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में व्यक्ति के मामले में कुल वार्षिक प्रीमियम को 10,000/- रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

बीमा कंपनियों को बीमा पालिसियों को विभाजित करने/एक या एक से अधिक व्यक्तियों को पालिसियाँ जारी करने से बचने तथा नकद जमा राशियों को बढ़ाने के लिए अनुरोध को न मानने, विशेष रूप से जहाँ एकल प्रेषक के माध्यम से लेनदेन को एकीकृत किए जाने की संभावना है, जो धनशोधन निवारण दिशा-निर्देशों के उद्देश्य को विफल करने में व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करता है, से दूर रहने की सलाह दी गई है।

जीवन बीमा कंपनियों में धनशोधन निवारण कार्यक्रम ढाँचे के कार्यान्वयन का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है, गैर-जीवन बीमा कंपनियों के निरीक्षण का विचार किया जा रहा है।

आईआरडीए ने वित्तीय कारवाई कार्यदल सिफारिशों पर बीमा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न निविष्टियाँ प्रदान करते हुए सीएफटी/एएमएल पर आंतरिक अनुसंधानीय संयोजन समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है तथा एफएटीएफ में भारतीय भागीदारी का समर्थन किया है।

9) आँकड़ा संग्राहक: प्राधिकरण ने यह मानते हुए कि आँकड़े बीमाकर्ताओं को नए उत्पाद तैयार करने और वैज्ञानिक रूप से हामीदारी करने में सहायता करेंगे, बीमा उद्योग के लिए एक आँकड़ा संग्राहक की परिकल्पना, निर्माण तथा प्रबंधन करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त बीमांकिक जोखिमों, मूल्य निर्धारण तथा दावा निपटान से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं, जोखिम के प्रबंधन आदि के लिए प्रथम उपाय के रूप में यह सहायक है। प्राधिकरण ने स्वास्थ्य और मोटर-वाहन बीमा से संबंधित एक आँकड़ा सेट तैयार किया है। प्राधिकरण ने उद्योग में विभिन्न पणधारकों की पहुँच बनाने के लिए एक औपचारिक आँकड़ा संग्राहक बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, अकादमियों को अनुसंधान के उद्देश्य से तथा उद्योग के लिए एक सुदृढ़ सांख्यिकीय आधार प्रदान करने के लिए आँकड़े प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

7.2 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

जीवन बीमा निगम तत्कालीन जीवन बीमाकर्ताओं की परिसंपत्तियों और दायित्वों को अपने अधीन करके और देश में जीवन बीमा का कारोबार करने हेतु 1 सितम्बर, 1956 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का

मुख्य उद्देश्य देश में जीवन बीमा के संदेश को फैलाना तथा लोगों की जमा-पूँजी को राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों में लगाना था। यू.के., मारीशस तथा फीजी में अपने शाखा कार्यालयों के माध्यम से निगम विदेशों में भी कारोबार कर रहा है। शाखा परिवालनों के अतिरिक्त, निगम ने बहरीन, नेपाल तथा श्री लंका में ख्याति प्राप्त भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से विदेशी अनुषंगियां स्थापित की हैं।

31 मार्च, 2008 को जीवन बीमा निगम के 8 अंचल कार्यालय, 106 मण्डल कार्यालय, 2048 शाखा कार्यालय और 323 उप कार्यालय थे।

7.2.1 समूह बीमा कारोबार: 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान नई और नवीकृत दोनों सामूहिक योजनाओं के अंतर्गत 3,06,711.77 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया, जिसमें 494.83 लाख लोगों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई जबकि पिछले वर्ष में 3,22,942.20 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया था जिसमें 405.95 लाख लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई थी। समूह अधिवर्षिता स्कीमों के अंतर्गत 4.21 लाख लोगों को 279.04 करोड़ रुपए की राशि की नई वार्षिता प्रदान की गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1.12 लाख लोगों को 212.09 करोड़ रुपए की वार्षिता जारी की गई थी।

7.2.2 दावों का निपटान: दावों का निपटान पालिसी धारकों की सेवाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अतः, एलआईसी ने मृत्यु दावों की तरह ही पालिसी की परिपक्वता पर भी दावों को शीघ्रता से निपटाने पर बल दिया है। वर्ष 2007-2008 के दौरान जीवन बीमा निगम ने कुल 37,019.51 करोड़ रुपये की राशि के 1.41 करोड़ दावों का निपटान किया जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 36,485.91 करोड़ रुपए की राशि के 1.35 करोड़ दावों का निपटान किया गया था। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान संदेय दावों की तुलना में बकाया दावों का प्रतिशत संख्या के आधार पर 0.28% तथा राशि के आधार पर 0.94% है जबकि यह 31 मार्च, 2007 में क्रमशः 0.15% तथा 0.68% था। वर्ष 2007-08 के दौरान पालिसी के पूरा होने की स्थिति पर या पहले 97.19% परिपक्वता दावे निपटाए गए थे।

7.2.3 एलआईसी की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: समाज के कमजोर तथा असुरक्षित वर्गों के लोगों को सामूहिक बीमा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1988-89 में सामाजिक सुरक्षा निधि (एसएसएफ) की स्थापना की गई थी। इन वर्गों से संबंधित अनुमोदित व्यवसायों के लिए विभिन्न समूह बीमा योजनाओं को इस निधि से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत अब मृत्यु होने पर 25,000 रुपए तक के दुर्घटना लाभ सहित 5000 रुपए तक की बीमांकित राशि प्रदान करने का प्रावधान है। समाज के इन वर्गों से संबंधित अनुमोदित व्यावसायिक समूहों की संख्या 24 है।

(क) जनश्री बीमा योजना: वर्ष 2000-2001 बजट में की गई सरकारी घोषणा के अनुपालन में एलआईसी ने 10 अगस्त, 2000 से जनश्री बीमा योजना नामक एक नई सामूहिक बीमा योजना शुरू की। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों यहां तक कि मामूली रूप से गरीबी रेखा के ऊपर रहने वालों को भी बशर्ते कि ये पहचान किए गए व्यवसायिक समूह में हैं, के लिये जीवन सुरक्षा प्रदान की जाती है। 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच व्यक्ति इसके पात्र होते हैं। समूह की न्यूनतम सदस्यता 25 होनी चाहिए। स्कीम में सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु पर 30,000 रुपए, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दुर्घटना के

कारण मृत्यु/स्थायी रूप से पूरी तरह विकलांगों के लिए 75,000 रुपए और आंशिक रूप से स्थायी विकलांग होने पर 37,500 रुपए का बीमा प्रदान करने का प्रावधान है। प्रति सदस्य इसकी प्रीमियम राशि 200 रुपए है जिसमें से 50 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा निधि से और बकाया 50 प्रतिशत राशि सदस्य अथवा नोडल एजेंसी अथवा राज्य सरकार द्वारा अदा की जाती है। दिनांक 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 1,21,35,174 व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई।

(ख) शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई): वर्ष 2001-02 के बजट में की गई सरकारी घोषणा के अनुसरण में, जीवन बीमा निगम ने जनश्री बीमा योजना के सदस्यों के बच्चों के लाभ के लिए 'शिक्षा सहयोग योजना' शुरू की। इस योजना में छात्रवृत्ति के पूरक लाभ प्राप्त करने के लिए बिना अतिरिक्त प्रीमियम प्रत्येक तिमाही में 300/- रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित छात्रवृत्तियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	छात्रवृत्तियों की संख्या
2005-06	3,20,253
2006-07	7,41,432
2007-08	13,01,136

(ग) सूक्ष्म बीमा उत्पाद: सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 ग्रामीण तथा शहरी गरीबों द्वारा वहन किए जाने लायक बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। जीवन बीमा निगम ने कम आय क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए एक बीमा योजना 'जीवन मधुर' आरंभ की है। यह योजना 28 सितम्बर, 2006 को भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा शुभारंभ की गई थी। 'जीवन मधुर' लघु बचत से संबंधित एक जीवन बीमा योजना है, जिसमें साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक अंतरालों पर नियमित रूप से प्रीमियम की अदायगी की जाती है। पालिसी की अवधि पूर्ण होने पर मैच्योरिटी राशि, बोनस सहित यदि कोई हो, अदा की जाती है। पालिसीधारक की मृत्यु होने पर, पालिसी की पूर्ण अवधि के दौरान कुल अदायगी योग्य प्रीमियम के बराबर राशि निहित बोनस सहित, यदि कोई हो, अदा की जाएगी। पालिसी की अवधि के दौरान, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, बीमित राशि के बराबर अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

एलआईसी वित्तीय समावेशन के एक भाग के रूप में जीवन मधुर योजना के माध्यम से जनसंख्या के विशेष रूप से कमजोर वर्गों में बीमा सुरक्षा का प्रसार कर रहा है। एलआईसी ने विगत वर्ष के दौरान, 110.33 करोड़ रु. की बीमित राशि और 138.20 लाख रु. की प्रथम प्रीमियम आय सहित 80,637 पालिसियों की नई कारोबार संख्या की तुलना में वर्ष 2007-08 में 116.42 करोड़ रु. की बीमित राशि और 1621.97 लाख रु. की प्रथम प्रीमियम आय सहित 8,54,615 पालिसियों का सूक्ष्म बीमा नया कारोबार पूरा किया।

जीवन बीमा निगम ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में 2,934 सूक्ष्म बीमा एजेंटों को नियुक्त किया है जिससे सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार 4166 हो गई है। बीमा सुरक्षा के संदर्भ में प्रतिक्रिया में वृद्धि हो रही है। जीवन बीमा निगम सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 के अनुसार, सूक्ष्म बीमा एजेंटों को 25 घंटे का क्षमता निर्माण विशेष प्रशिक्षण देता रहता है।

जीवन बीमा निगम ने आईटी द्वारा संचालित सूक्ष्म बीमा कारोबार प्रक्रिया भी आरंभ की है। यह बेहतर उपभोक्ता सेवा, उचित लागत निर्धारण तथा व्यापक मार्केट पहुँच को सुकर बनाती है। निगम के सूक्ष्म बीमा प्रयास पारम्परिक जीवन उत्पादों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (सरकारी सहायता प्रदत्त), जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवश्यकता को पूरा करती हैं, के अतिरिक्त हैं। विनियामक दिशानिर्देशों के साथ, जीवन बीमा निगम सामाजिक-आर्थिक व्यावहारिकता, सहित गरीबों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने की अनुकूल स्थिति में है।

एलआईसी को जीवन मधुर पहल के माध्यम से बीमा क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए 'स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2008' प्रदान किया गया है।

(घ) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई): वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना अर्थात् 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए योजना, दिनांक 14.7.2003 को आरम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पेंशनभोगी निवेश पर प्रतिवर्ष 95 की आश्वासित प्रतिफल दर प्राप्त करते हैं। पेंशनभोगियों को दी जाने वाली 9% की प्रतिफल दर और एलआईसी द्वारा उपार्जित आय के बीच जो अंतर है उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एलआईसी को आर्थिक सहायता के रूप में की जाती है।

(ङ) आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई): आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया की प्राकृतिक मृत्यु साथ ही दुर्घटना में मृत्यु तथा आंशिक/स्थायी विकलांगता के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 02 अक्तूबर, 2007 को आरंभ की गई थी। इस योजना में लाभार्थी के 9वीं से 12वीं कक्षा तक में पढ़ रहे अधिकतम दो बच्चों को 300/- रु. की दर से प्रति तिमाही प्रति बच्चे के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भी अतिरिक्त लाभ है। प्रति सदस्य को 200/- रु. का वार्षिक प्रीमियम अदा करना है, जिसका 50% केन्द्रीय सरकार द्वारा और शेष 50% राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार की वार्षिक लागत को ध्यान में रखते हुए 1000 करोड़ रु. की राशि एक निधि में रख दी गई है जिसका अनुरक्षण एलआईसी द्वारा किया जाएगा। इससे भारत सरकार के प्रीमियम का शेयर पूरा हो जाएगा। लाभार्थियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लाभ पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए एलआईसी के अधिशेष मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के शेयर में से 500 करोड़ रु. की एक अलग निधि का सृजन किया गया है। इस योजना का परिचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 42,61,156 गामीण भूमिहीन परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई।

7.3 भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)

भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी-री) का 3 नवम्बर, 2000 को 'भारतीय पुनर्बीमाकर्ता' के रूप में अनुमोदन किया गया। भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी सरकारी क्षेत्र के चार और अन्य निजी साधारण बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा की सहायता प्रदान करती है। यह पुनर्बीमा की सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में अपना कार्य भारतीय बीमा उद्योग की ओर से समुद्री पोत पूल और टेरोरिज्म पूल के प्रबन्धन के माध्यम से कर रहा है। वाणिज्यिक वाहन तृतीय पक्ष बीमा कारोबार को सामूहिक रूप से सर्विस करने के लिए, आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में सभी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा भारतीय मोटर तृतीय पक्ष बीमा पूल स्थापित है और निगम को पूल प्रशासक के रूप में चयनित है। जीआईसी के पुनर्बीमा

कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भीतर इस धारणा को आशावादी बनाना और पुनर्बीमा की पर्याप्त क्षमता का विकास करना है। वर्ष 2008-09 के दौरान निगम ने भारतीय बीमाकर्ताओं के सभी वर्गों के कारोबार को अधिकतम समर्थन देना जारी रखा है।

पिछले वर्ष के दौरान निगम का निवल प्रीमियम 8311.14 करोड़ रु. (यह पाँच तिमाहियों के घरेलू कारोबार आंकड़ों को दर्शाता है) की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 7237.00 करोड़ रु. होने की आशा है। दावों पर किया गया निवल व्यय पिछले वर्ष में 5011.49 करोड़ रु. अर्थात् 83.2% की तुलना में 5371.00 करोड़ रु. अर्थात् 81.13% होने की आशा है। कर से पहले लाभ 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, 1070.37 करोड़ रु. की तुलना में 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, 1681.00 करोड़ रु. होने की आशा है। करोपरांत लाभ पिछले वर्ष में 995.86 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष 2309.00 करोड़ रु. होने की आशा है। निगम की वर्तमान चुकता पूंजी 430.00 करोड़ रु. है।

7.4 सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियाँ

जीआईसी से अलग होने के बाद चार साधारण बीमा कंपनियाँ, नामतः नेशनल इश्योरेंस कं. लि., न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि., दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लि. और युनाईटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि. ने एक संघ बनाया जो भारतीय साधारण बीमा (सरकारी क्षेत्र) संघ (जिप्सा) के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में चारों कंपनियों के 100 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1,383 मंडल कार्यालय, 2842 शाखा कार्यालय, (प्रत्यक्ष अभिकर्ता शाखाओं विस्तार पटल/ मैक्रो कार्यालय सहित) हैं। कंपनियों के 28 देशों में फैले हुये 42 विदेशी कार्यालय भी हैं।

वर्ष 2008-09 के दौरान इन कंपनियों की सकल प्रीमियम आय वर्ष 2007-08 के दौरान 16832.53 करोड़ रुपए की तुलना में 18029.44 करोड़ रुपए थी, जो 7.11% की वृद्धि दर्शाती है। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार इन कंपनियों का निवल मूल्य 12.190 करोड़ रु. की तुलना में 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, 13,802 करोड़ रु. था। वर्ष 2006-07 के लिए कर देने के बाद का लाभ वर्ष 2006-07 के 2904 करोड़ रु. से कम हो कर वर्ष 2007-08 में 2,205 करोड़ रुपए हो गया। कंपनियों ने सरकार को वर्ष 2006-07 में 581 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2007-08 में 449 करोड़ रु. के कुल लाभांश का भुगतान किया है। इन कंपनियों का बाजार शेयर वर्ष 2006-07 में 65.28% की तुलना में वर्ष 2007-08 में 60.49% हो गया है।

(* आँकड़े अनन्तिम तथा गैर-लेखा-परीक्षित हैं)

7.4.1 सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस)

सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियाँ गरीब परिवारों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करती रहती हैं। योजना में समस्त परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होने पर फ्लोटर आधार पर 30,000 रुपए तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, परिवार के मुख्य अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 25,000 रुपए के मृत्यु बीमा का प्रावधान है। लाभों में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस योजना को वर्ष 2007-08 में संशोधित किया गया था और संशोधित योजना में (1) 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रीमियम 365/- रु. से कम करके 300/- रु. तथा 7 सदस्यों वाले परिवार के लिए 730/- रु. से कम करके 600/- रु. कर दिया गया है; (2) संशोधित योजना में पहले से विद्यमान बीमारियों को सम्मिलित किया गया है; (3) अधिकतम आयु

सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है; (4) योजना में मातृत्व लाभों के विस्तार को सम्मिलित किया गया है (सामान्य प्रसव के लिए 2,500/- रु. तथा आपरेशन द्वारा प्रसव के लिए 5,000/- रु.); (5) बीमित पति-पत्नी के अर्जन की हानि होने पर पालिसी की अवधि में 50 रु. प्रतिदिन की दर से अधिकतम 15 दिन तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। एक व्यक्ति, 05 सदस्यों वाले परिवार के लिए तथा 7 सदस्यों के परिवार के लिए सरकारी सब्सिडी पूर्ववत रहेगी अर्थात् 200/- रु., 300/- रु., 400/- रु.।

7.4.2 भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.(एआईसीआईएल)

दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. की स्थापना फसल बीमा कारोबार को बढ़ाने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल की हानियों से किसानों को सुरक्षा मुहैया करने के लिए की गई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) नाबार्ड और सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों ने कंपनी के शेयर पूंजी में अंशदान दिया। कंपनी की प्राधिकृत पूंजी प्रारंभिक 200 करोड़ रूपए की चुकता पूंजी सहित 1500 करोड़ रूपए है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कंपनी ने फसल बीमा का कारोबार करने के लिए 1 अप्रैल, 2003 से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया।

7.4.3 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस): भारत सरकार ने वर्ष 1999-2000 के रबी मौसम से इस उद्देश्य से यह योजना शुरू की है कि सूखा, बाढ़, ओला, चक्रवात, अग्नि, कीटों/रोगों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल की हानि के कारण किसानों को होने वाले नुकसान से उनकी रक्षा करने ताकि आगामी मौसम के लिए उनकी साख बनी रहे। यह योजना इस समय भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसीआईएल) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना सभी किसानों, कर्जदार और इस कर्ज-मुक्त दोनों के लिए उनके खेत के आकार पर ध्यान न देते हुए उपलब्ध है। इसमें सभी खाद्य फसलें (अनाज, मिलेट और दालें) और तिलहन शामिल हैं। एनएआईएस के अंतर्गत इस समय वार्षिक वाणिज्यिक/बागानी फसलों में गन्ना, आलू, कपास, अदरक, प्याज, हल्दी, मिर्च, जूट, कसावा, वार्षिक केला, अन्नानास, जीरा, लहसुन, धनिया, मेथी, और ईसबगोल शामिल हैं। अन्य वार्षिक बागानी/वाणिज्यिक फसलें गत उपज के आंकड़ों की उपलब्धता की शर्त के अधीन शामिल की जा सकती हैं। खरीफ फसलों, बाजरा और तिलहनों के लिए प्रीमियम दरें बीमा राशि का 3.5 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दरें, जो भी कम हो, हैं,

जबकि अनाज, मिलेट और दालों के लिए प्रीमियम दरें बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत दर बीमा राशि अथवा बीमांकिक दरें, जो भी कम हों, हैं। रबी फसल के लिए, गेहूँ की प्रीमियम दर बीमा राशि अथवा बीमांकिक दरें, जो भी कम हों, का 1.5 प्रतिशत है, जबकि अन्य अनाज, मिलेट और दालों की प्रीमियम दरें बीमा राशि अथवा बीमांकिक दरें, जो भी कम हों, का 2 प्रतिशत है। वर्तमान में छोटे और सीमांत किसानों को प्रीमियम पर 10% आर्थिक सहायता उपलब्ध है। वर्तमान में एनएआईएस को 23 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुच्चेरी में कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान चार मौसमों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) का निष्पादन सम्बन्धी ब्यौरा तालिका 5.11 पर दी गई है।

7.4.4 मौसम पर आधारित बीमा योजना: मौसम पर आधारित फसल बीमा का उद्देश्य वर्षा, तापमान -पाला, उमस आदि जैसे मौसम मानदंडों की प्रतिकूल परिस्थितियों की घटनाओं के परिणामस्वरूप संभावित फसल हानियों के कारण बीमित किसानों को होने वाली वित्तीय हानियों जैसी कठिनाइयों को दूर करना है। जब फसल बीमा विशेषतया खेतिहर की फसल पैदावार में कमी की क्षतिपूर्ति करता है, मौसम पर आधारित बीमा इस आधार पर तैयार किया गया है कि एक खेतिहर द्वारा अच्छी फसल पैदावार सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जाने के बाद भी मौसम की परिस्थितियाँ फसल की पैदावार को प्रभावित करती हैं। मौसम मानदंडों के साथ फसल पैदावार के ऐतिहासिक पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन, फसलों को प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए मौसम सतर्कता सूचक विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। मौसम सतर्कता सूचकों के उपयोग के द्वारा खेतिहरों द्वारा उठाई जाने वाली संभावित हानियों की सीमा तक प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान ढाँचा तैयार किया जाता है। अर्थात्, मौसम आधारित फसल बीमा योजना फसल हानियों के मापन हेतु खेतिहरों के लिए प्रतिपूर्ति हेतु मौसम मानदंडों को एक 'प्रतिनिधि सूचक' के रूप में प्रयोग करती है। माननीय वित्त मंत्री के वर्ष 2007-08 के बजट प्रस्ताव के अनुसरण में, कृषि बीमा कंपनी ने कर्नाटक में खरीफ 2007 के दौरान, 70 होब्लिस और आठ वर्षा आधारित फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान करते हुए मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना

तालिका 5.11

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान चार मौसमों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) का निष्पादन सम्बन्धी ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)				
क्र. सं.	विवरण	खरीफ -'07	रबी 07 -08	खरीफ '08
				रबी 08-09
1	बीमित कृषकों की सं.	13398561	5044016	13138325
2	बीमित राशि	17007.56	7465.71	15565.43
3	प्रीमियम	524.31	158.69	510.99
4	चुकता दावे	913.33	796.53	920.32

तालिका 5.12

वर्ष 2006-07 की अवधि के दौरान कंपनियों का कार्य-निष्पादन

कम्पनी	दिनांक 1.4.2006 के तहत लम्बित शिकायतें वर्ष 2006-07 में निपटाई गई शिकायतें	वर्ष 2006-07 में दर्ज की गई दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार लम्बित शिकायतें	शिकायतें
नेशनल	188	2485	2,425 (90.72%)
न्यू इंडिया	462	1296	1,237 (70.36%)
ओरिएन्टल	201	2037	2,114 (94.45%)
युनाइटेड	439	971	1,068 (75.74%)

तालिका 5.13(1) भूतपूर्व सैनिक

वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	विभिन्न वर्गों के कर्मचारी		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग*
अधिकारी	288158	47880	17026	13012
लिपिक	297106	50603	15262	13381
अधीनस्थ कर्मचारी	132628	35966	9479	10882
सफाई कर्मचारी	43019	42780	897	5337
कुल	760911	177229	42664	42612

* 08.09.1993 के बाद सेवारत

तालिका 5.13(2) भूतपूर्व सैनिक

वर्ग	कुल भूतपूर्व सैनिक
अधिकारी	2213
लिपिक	6655
अधीनस्थ कर्मचारी	27601
सफाई कर्मचारी	393
कुल	36862

तालिका 5.13(3) विकलांग व्यक्ति

वर्ग	नेत्रहीन	मूक एवं बधिर	अंग वैकल्य	कुल
अधिकारी	282	132	2540	2954
लिपिक	731	692	3668	5091
अधीनस्थ कर्मचारी	174	216	1348	1738
सफाई कर्मचारी	39	49	180	268
कुल	1226	1089	7736	10051

(डब्ल्यूबीसीआईएस) की एक पायलट योजना आरंभ की है। इस प्रारंभिक चरण में 50 करोड़ रु. की बीमित राशि तथा 7.03 करोड़ रु. के उपार्जित प्रीमियम सहित 44500 किसानों, 50000 हैक्टेयर भूमि की बीमा संरक्षा की गई थी। इस योजना को रबी मौसम के दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

7.4.5 वर्षा तथा अति वर्षा बीमा योजना: वर्षा बीमा वर्षा में कमी के लिए राशि प्रदान करता है जबकि अति वर्षा बीमा वर्षा में कमी तथा अधिकता दोनों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। इन योजनाओं में लचीले प्रीमियम सहित अत्यधिक वर्षा में फसल स्तर पर विशेष रूप से प्रतिकूल परिवर्तन के लिए प्रावधान है। अत्यधिक देयताएं कृषि की लागत में सम्बद्ध की जाती हैं, जो प्रत्येक फसल के लिए भिन्न होती हैं। इन योजनाओं में दावों को शीघ्रता से अर्थात् बीमा अवधि के 4-6 सप्ताहों के अंदर, निपटाया जा सकता है।

7.5 विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा निरीक्षण:

विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा बीमा कंपनियों के दौरो का विवरण इस प्रकार है:

- (1) **नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड:** महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति ने कोलकाता में कंपनी के कार्यालय का दिनांक 25 तथा 26 मई, 2006 को दौरा किया। संसदीय राजभाषा समिति ने कंपनी के लेह स्थित कार्यालय का दिनांक 20.06.2006, पुणे स्थित कार्यालय का दिनांक 29.12.2006 तथा तिरुपति कार्यालय का दिनांक 01.01.2007 को निरीक्षण किया।
- (2) **युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड:** महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति ने कंपनी के मुख्यालय का दिनांक 10.01.2007 को दौरा किया तथा महिला कर्मचारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। तत्पश्चात् महिलाओं के लिए बीमा योजना एवं बीमा क्षेत्र में महिलाओं की कार्य स्थिति विषय पर प्रबंधक वर्ग के साथ औपचारिक चर्चा की।
- (3) **ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड:** श्रीमती कृष्णा तीरथ के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति ने चैन्नई में ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी के कार्यालय का दिनांक 5 तथा 6 जुलाई, 2007 को दौरा किया। संसदीय राजभाषा समिति ने कंपनी के पुणे स्थित कार्यालय का (29.12.2006), हैदराबाद (02.01.2007), कोड्डुम (13.01.2007) का दौरा किया। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कंपनी के अहमदाबाद कार्यालय का 03 जुलाई, 2006 को दौरा किया।
- (4) **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड:** संसदीय राजभाषा समिति ने श्रीनगर स्थित कार्यालय का 03 जुलाई, 2006 को दौरा किया। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अहमदाबाद स्थित कार्यालय का 03 जुलाई, 2006 को दौरा किया।

भारतीय जीवन बीमा निगम: संसद के पटल पर रखे गए कागजातों संबंधी संसदीय समिति ने मुम्बई में 15 नवम्बर, 2007 को दौरा किया।

7.6 जन शिकायतों का निवारण

जीवन बीमा निगम में विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्मिक अर्थात् शाखा कार्यालयों में ग्राहक संपर्क अधिकारियों तथा मंडल कार्यालयों में ग्राहक संपर्क प्रबंधकों, द्वारा पालिसीधारक, एजेंटों, अन्य कार्यालयों तथा सरकारी

एजेंसियों से प्राप्त शिकायतों का निवारण किया जाता है। सभी कार्यालयों में कार्यरत शिकायत प्रकोष्ठ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी रूप से कार्य करते रहते हैं। असंतुष्ट पॉलिसीधारक बिना किसी पूर्व अनुमति के शिकायत निवारण अधिकारियों से मिल सकते हैं। शिकायत निवारण अधिकारियों के नाम प्रमुख समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार के लिये प्रकाशित भी किये जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों के प्रधान कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों ने ग्राहक सेवा के अनुभवी अधिकारियों के अधीन अलग से शिकायत निवारण विभाग स्थापित किये हैं। वर्ष 2006-07 की अवधि के दौरान कंपनियों का कार्य-निष्पादन तालिका 5.12 पर दी गई है।

8. दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/भूतपूर्व सैनिकों/विकलांगों का प्रतिनिधित्व

दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और इसके संबद्ध बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व तालिका 5.13(क), 5.13(ख), 5.13(ग) पर दी गई है।

9 वित्तीय सेवाएं विभाग, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वित्तीय सेवाएं विभाग अपने विभाग के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बीमा कंपनियों में राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। वित्तीय सेवाएं विभाग, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

वित्तीय सेवाएं विभाग में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है और राजभाषा नीति का एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए निर्देश जारी करती है। ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अपने प्रधान कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग संबंधी अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टें वित्तीय सेवाएं विभाग को भेजती हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में इन प्रगति रिपोर्टों की भी समीक्षा की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान, इस प्रकार की चार बैठकें क्रमशः दिनांक 04.04.2008, 24.07.2008, 06.10.2008 तथा 19.01.2009 को आयोजित की गईं। भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों की अपनी भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं, जिनकी हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित बैठकें होती हैं। इसके अलावा, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां भी विभिन्न नगरों में स्थित बैंकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर नजर रखती हैं।

विभिन्न स्तरों पर की गई समीक्षाओं के परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के

बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों में शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हुई है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जा रहे हैं तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पूरा अनुपालन किया जा रहा है। फार्म तथा अन्य प्रक्रिया साहित्य भी द्विभाषी रूप में मुद्रित करवाया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों द्वारा अखिल भारतीय स्तर के विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां तथा सार्वजनिक सूचनाएं द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। वार्षिक रिपोर्टें तथा गृह पत्रिकाएं भी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों द्वारा द्विभाषी प्रकाशित की जा रही हैं। इसके अलावा, कुछ बैंकों द्वारा हिन्दी पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों ने अपनी शाखाओं/कार्यालयों को अधिसूचित किया है। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपने विभागों या शाखाओं में कुछ अनुभाग अपना पूरा काम हिन्दी में करने के लिए भी विनिर्दिष्ट कर दिए हैं।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई सिफारिश पर अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकांश प्रशिक्षण केन्द्र, कुछ तकनीकी पाठ्यक्रमों को छोड़कर, अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को या तो पूर्णतः हिन्दी में चला रहे हैं या हिन्दी तथा अंग्रेजी, मिली-जुली भाषा में। हैंड आउट तथा प्रशिक्षण सामग्री भी हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।

बैंक, वित्तीय संस्थाएं और बीमा कंपनियां छोटी-छोटी शब्दावलियां तथा ऐसी पुस्तिकाएं, जिनमें राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, वार्षिक कार्यक्रम, हिन्दी पत्रों, मानक टिप्पणियों और मसौदों के नमूने दिए होते हैं, प्रकाशित करने के अलावा, अपने

कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण देने हेतु हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित करती हैं।

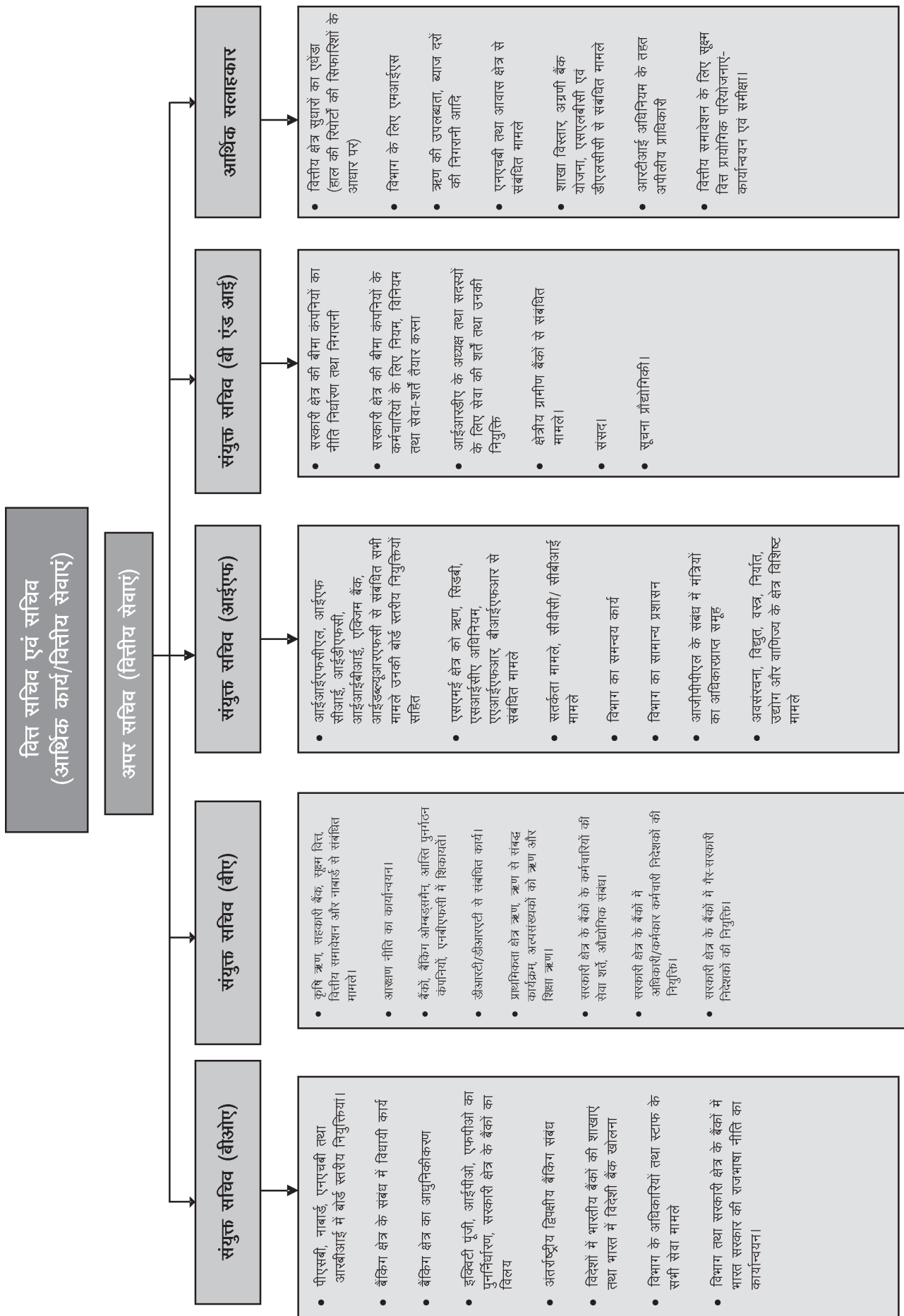
संसद और संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त कागजात, मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश तथा सभी मंत्रिमंडल नोट वित्तीय सेवाएं विभाग में द्विभाषी रूप में ही तैयार किए जाते हैं।

वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों ने वर्ष के दौरान दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर स्थित 17 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं तथा बीमा कंपनियों के प्रधान कार्यालयों का निरीक्षण किया, ताकि राजभाषा नीति की विभिन्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जा सके। हिन्दी पखवाड़ा 2008 के दौरान अलग-अलग वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

10. वित्तीय सेवाएं विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

वित्तीय सेवाएं विभाग में कार्यान्वित किए जा रहे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निदेशकों/उप सचिवों को सीपीआईओ के रूप में, अवर सचिवों/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों को सीएपीआईओ के रूप में तथा आर्थिक सलाहकार को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (ज) के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) भी सरकारी प्राधिकरण हैं। दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों/डीआरटी/डीआरएटी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों/अपीलों की कुल संख्या के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।



अनुबंध

अनुबंध - I

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार शिक्षा ऋण
योजना के अंतर्गत कुल शैक्षिक ऋण

	बैंक का नाम	खातों की संख्या	राशि (रुपए करोड़ में)
1	इलाहाबाद बैंक	30206	640.97
2	आंध्रा बैंक	74828	1446.27
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	64781	1216.33
4	बैंक ऑफ इंडिया	75792	1330.00
5	बैंक आफ महाराष्ट्र	19254	352.09
6	केनरा बैंक *	146851	2301.00
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	54177	857.06
8	कार्पोरेशन बैंक	30616	623.25
9	देना बैंक	12376	252.11
10	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3498	58.95
11	इंडियन बैंक	132527	1712.99
12	इण्डियन ओवरसीज बैंक	78472	1032.65
13	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	35382	790.31
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	6717	179.15
15	पंजाब नेशनल बैंक	85353	1558.86
16	सिंडिकेट बैंक *	81260	1150.25
17	यूको बैंक	28293	492.96
18	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	54920	981.70
19	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	18184	335.07
20	विजया बैंक	24550	431.07
21	भारतीय स्टेट बैंक	355972	6610.00
22	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	15262	286.88
23	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	45696	849.64
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	22644	391.17
25	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	10469	165.31
26	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	10727	245.89
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	84578	1353.65
	कुल	1603385	27645.58

* इसमें गत वर्षों की संस्वीकृतियों से संबंधित संवितरण शामिल है।

स्रोत: आईबीए

अनुबंध - II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को अग्रिम (नीचे दिए गए माह/वर्ष के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र	खातों की संख्या (लाख में)			बकाया राशि (करोड़ रुपए)				
	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008 @	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008 @
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृषि	202	238	251	283	1,09,917 (15.3)	1,55,220 (15.3)	2,02,614 (15.4)	2,48,685 (17.4)
(1) प्रत्यक्ष	195	221	237	279	83,038 (11.6)	1,12,126 (11.0)	1,44,372 (11.0)	1,76,135 (12.9)
(2) अप्रत्यक्ष	7	17	14	4	26,879 (3.7)	43,093 (4.2)	58,242 (4.4)	72,550 (5.3)
लघु उद्योग	14	17	17	-	68,000 (9.5)	82,434 (8.1)	1,02,550 (7.8)	-
छोटे उद्यम #	-	-	-	39	-	-	-	1,48,651
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	89	92	111	-	1,25,114 (17.4)	1,63,756 (16.1)	2,06,661 (15.7)	-
कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम *	314	358	389	412	3,07,046 (42.8)	4,09,748 (40.3)	5,21,376 (39.7)	6,08,963 (44.6)
निवल बैंक ऋण	-	-	-	-	7,17,419	10,17,656	13,13,840	-
समायोजित निवल बैंक ऋण	-	-	-	-	-	-	-	13,64,268

@: अनंतिम

#: प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के संबंध में नए दिशानिर्देशों में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु और सूक्ष्म उद्यमों की संशोधित परिभाषा का ध्यान रखा गया है।

*: प्राथमिकता क्षेत्र को उधार के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों के मुख्य वर्गों में कृषि लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, सूटिपणीक्ष्म ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में आंकड़े निवल बैंक ऋण में प्रतिशतता दर्शाते हैं। 2007-08 से, ये आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, जो भी अधिक हो, में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत : प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट, 2007-08

अनुबंध - III

कृषि और कमजोर वर्गों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम (मार्च 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर वर्ग		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	
		राशि	एनबीसी की तुलना % अथवा ओबीई के समतुल्य राशि जो भी अधिक हो	राशि	एनबीसी की तुलना %	राशि	एनबीसी की तुलना % अथवा ओबीई के समतुल्य राशि जो भी अधिक हो	राशि	एनबीसी की तुलना % में	राशि	एनबीसी की तुलना % अथवा ओबीई के समतुल्य राशि जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	1,76,135.06	12.9	72550.20	5.3	2,48,685.26	17.4	1,26,934.80	9.3	6,08,962.89	44.6
	राष्ट्रीयकृत बैंक	1,12,058.76	12.3	54068.99	5.9	1,66,127.75	16.8	83725.52	9.2	4,09,391.43	44.8
1	इलाहाबाद बैंक	6571.30	15.9	2574.37	6.2	9145.67	20.4	4455.49	10.8	18774.40	45.5
2	आंध्रा बैंक	5683.93	20.1	472.49	1.7	6156.42	21.8	3317.00	11.8	13297.56	47.1
3	बैंक ऑफ बड़ोदा	8271.01	12.3	4997.92	7.4	13268.93	16.8	6030.12	9.0	31681.26	47.1
4	बैंक ऑफ इंडिया	9299.00	14.0	3829.00	5.8	13128.00	18.5	8458.00	12.7	32826.56	49.3
5	बैंक आफ महाराष्ट्र	2547.39	10.9	2293.62	9.8	4841.01	15.4	1683.00	7.2	11146.61	47.5
6	केनरा बैंक	12916.00	13.2	5080.00	5.2	17996.00	17.7	7528.00	7.7	43202.00	44.2
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6877.43	13.1	4226.63	8.1	11104.06	17.6	8636.12	16.5	25230.06	48.1
8	कार्पोरेशन बैंक	1638.35	5.5	1891.44	6.3	3529.79	10.0	1680.62	5.6	13070.83	43.6
9	देना बैंक	1905.14	10.2	859.50	4.6	2764.64	14.7	1171.97	6.3	8095.75	43.3
10	इंडियन बैंक	5164.42	18.3	1050.45	3.7	6214.87	22.1	3677.90	13.1	14965.14	53.1
11	इण्डियन ओवरसीज बैंक	6391.35	14.4	2297.55	5.2	8688.90	18.9	5154.62	11.6	20303.13	45.9
12	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3438.03	7.8	3153.97	7.2	6592.00	12.3	2295.51	5.2	18463.79	41.8
13	पंजाब नेशनल बैंक	14212.67	14.4	5733.53	5.8	19946.40	18.9	11403.49	11.6	43412.23	44.1
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	1594.47	13.4	843.75	7.1	2438.22	17.9	1056.10	8.8	6045.00	50.6
15	सिडिकेट बैंक	7341.88	15.7	1989.93	4.3	9331.81	19.9	4847.02	10.3	21841.49	46.6

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर वर्ग		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	
		राशि	एनबीसी की तुलना % अथवा ओबीई के समतुल्य राशि जो भी अधिक हो	राशि	एनबीसी की तुलना % अथवा ओबीई के समतुल्य राशि जो भी अधिक हो	राशि	एनबीसी की तुलना % अथवा ओबीई के समतुल्य राशि जो भी अधिक हो	राशि	एनबीसी की तुलना % में	राशि	एनबीसी की तुलना % अथवा ओबीई के समतुल्य राशि जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	7727.15	12.7	3665.72	6.0	11392.87	17.2	4530.83	7.4	29803.12	48.8
17	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1964.00	8.7	1208.00	5.3	3172.00	13.2	2210.00	9.8	10041.00	44.4
18	यूको बैंक	5083.00	11.7	2865.00	6.6	7948.00	16.2	3838.00	8.8	20452.00	47.0
19	विजया बैंक	2075.04	8.4	1867.12	7.6	3942.16	12.9	1527.26	6.2	11506.31	46.3
20	आईडीबीआई बैंक लि.	1357.00	2.2	3169.00	5.0	4526.00	6.7	217.57	0.4	15233.19	24.2
21	स्टेट बैंक समूह	64076.30	14.2	18481.21	4.1	82557.51	18.3	43209.28	9.6	1,99,571.46	44.4
22	भारतीय स्टेट बैंक	42755.00	14.1	13677.00	4.5	56432.00	18.6	28467.00	9.4	1,33,202.00	43.8
23	स्टेट बैंक ऑफ बीका.एंड जय.	3669.70	17.7	919.88	4.4	4589.58	22.1	2387.88	11.5	10372.76	49.9
24	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4347.77	15.3	799.94	2.8	5147.71	18.1	3409.92	12.0	12727.31	44.8
25	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2264.48	14.6	753.99	4.9	3018.47	19.1	1879.12	12.1	7753.49	50.1
26	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2427.67	15.1	483.69	3.0	2911.36	18.1	1772.41	11.0	6959.93	43.4
27	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3620.00	12.5	953.71	3.3	4573.71	15.7	2916.95	10.0	11656.30	40.1
28	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1957.80	17.4	236.96	2.1	2194.76	19.5	665.00	5.9	4874.76	43.4
28	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	3033.88	12.1	656.04	2.6	3689.92	14.7	1711.00	6.8	12024.91	48.0

टिप्पणी :

1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. एनबीसी - समायोजित निवल बैंक ऋण
3. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य/उप लक्ष्य प्रभाव के साथ समायोजित निवल बैंक ऋण अथवा तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, से संबद्ध हैं।
4. कृषि की प्रतिशतता की गणना के लिए अप्रत्यक्ष कृषि एनबीसी के 4.5 प्रतिशत तक लिया जाता है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2007-08)

मार्च 2008 में समाप्त तिमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में महिलाओं को ऋण का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपये में)

बैंक का नाम	निवल बैंक ऋण	महिलाओं को ऋण		महिलाओं के लिए ऋण		प्रारंभिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत					महिलाओं को दिए गए ऋण					
		खातों की सं.	बकाया राशि	एनबीसी का %	खातों की सं.	बकाया राशि	प्रारंभिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत	गैर-प्रारंभिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत	व्यक्ति ऋण के तहत	लघु उद्योगों के तहत	सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत	अन्य				
		खातों की सं.	बकाया राशि	एनबीसी का %	खातों की सं.	बकाया राशि	प्रारंभिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत	गैर-प्रारंभिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत	व्यक्ति ऋण के तहत	लघु उद्योगों के तहत	सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत	अन्य				
इलाहाबाद बैंक	4129003	254490	174676.00	4.23	192681	133189.00	61809	41487.00	20806	6351.00	38011	27836.00	94420	22613.00	39444	76389.00
ओब्रा बैंक	2823255	401341	212309.00	7.52	302680	147656.00	98661	64653.00	150236	102531.00	3874	10321.00	69673	19920.00	78897	14884.00
बैंक ऑफ ब्रह्मो	6726269	360049	383358.74	5.70	266605	245396.49	93444	137962.25	9271	5212.73	3698	3012.41	106339	40442.22	147297	196729.13
बैंक ऑफ इंडिया	6655128	399269	758172.00	11.39	298420	332166.00	100849	426006.00	184562	109124.00	7631	62775.00	107186	60295.00	106086	159964.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2346229	167327	146862.80	6.26	106964	97739.05	60363	49123.75	68418	13507.81	1686	1731.48	55092	22664.31	25721	68730.10
केनरा बैंक	9786400	911608	898200.00	9.17	761187	597900.00	150421	300300.00	65598	42600.00	15437	79300.00	71283	24300.00	608869	451700.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5248290	381209	297905.00	5.68	294014	185299.00	87195	112606.00	82563	48132.00	11631	20110.00	127718	52913.00	90313	79259.00
कार्पोरेशन बैंक	2995792	129158	171758.58	5.73	87936	119535.41	41222	52223.17	10887	8525.09	4041	8298.14	7005	2837.84	75195	98861.35
देना बैंक	1868307	82700	81284.00	4.35	57520	58629.00	25180	22655.00	8235	1754.00	1452	927.00	37117	15322.00	10716	40626.0
इंडियन बैंक	2816274	490140	296208.59	10.52	364617	206198.97	125523	90009.62	1850	632.81	1971	6892.82	10480	3474.47	350316	195198.86
इण्डियन ओवरसीज बैंक	4427900	461935	239106.00	5.40	344918	143476.00	117017	95630.00	134439	55244.00	3316	14246.00	125790	36761.00	81373	37225.00
ऑरिएंटल बैंक कॉमर्स	4413846	114014	254762.38	5.77	86470	182989.35	27544	71773.03	13325	3010.33	3302	30345.46	19852	7133.55	48991	142500.01
पंजाब नेशनल बैंक	9841483	580377	520885.00	5.29	426130	342755.00	134247	178130.00	41185	24599.00	25189	34501.00	179016	99199.00	148307	181571.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	1194806	38537	84792.00	7.10	25442	43083.00	13095	41709.00	2922	2123.00	1405	6951.00	11588	6209.00	9527	27600.00
सिलिकेट बैंक	4687410	479643	377572.11	8.05	350895	257579.21	128748	119992.90	15498	8994.44	19101	24292.48	19160	7841.36	297136	216450.93
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6103439	422868	337904.70	5.54	381876	275469.29	40992	62435.41	82998	28521.54	10261	41630.00	7208	25389.04	216534	179928.71
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2264100	316820	143710.37	6.35	264892	90076.25	51928	53634.12	90428	16086.50	25284	10520.32	109014	23313.20	32243	34498.27
यूको बैंक	4348500	274885	270889.14	6.23	242306	166067.94	32579	104821.20	49523	20811.18	5536	8855.47	116068	41173.94	71189	95227.35
विजया बैंक	2464400	155861	165288.83	6.71	121115	106417.35	34746	58871.48	16833	9846.32	11444	12841.75	18784	7243.15	74054	76486.13
भारतीय स्टेट बैंक	30393700	1833470	1595583.00	5.25	1348737	992289.00	484733	603294.00	408665	197014.00	136045	243725.00	301391	149799.00	787852	752905.00
एसबीबीजे	2079073	127831	122709.20	5.90	88423	76094.40	39408	46614.80	9893.00	4540.99	3100	2980.70	22465	5213.30	52965	63359.41
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2834490	311681	205123.00	7.24	230680	137174.00	81001	67949.00	172459	79065.00	2245	11297.00	26636	13824.00	29340	32968.00
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1548652	82165	95973.00	6.20	52141	50851.37	30024	45121.63	3104	8297.16	2599	5830.48	28194	12580.37	18244	24143.36
स्टेट बैंक ऑफ मद्रास	1605600	107425	90250.00	5.62	62953	46785.00	44472	43465.00	21254	5312.00	4332	1413.00	30476	31394.00	6891	8666.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2905576	64594	122092.00	4.20	36737	58692.00	27857	63400.00	2834	11041.00	2701	13365.00	11235	4955.00	19967	29331.00
स्टेट बैंक ऑफ सोनपट्ट	1116207	56301	66079.00	5.92	30402	39647.00	25899	26432.00	1217	113.00	3648	7228.00	6992	2175.00	18545	30131.00
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2505236	217231	218206.00	8.71	145961	148059.00	71270	70147.00	64876	32353.00	16172	38332.00	24128	21544.00	40785	55830.00
आईडीबीआई बैंक	6283100	20437	18146.00	0.29	14301	13978.00	6136	4168.00	6643	2038.00	868	2425.00	2664	897.00	4126	8618.00
कुल	136411465	922366	8349806.44	6.12	6987003	5295192.08	2236363	3054614.36	1740522	847400.90	365980	731983.51	1811849	761426.75	3491923	3379980.61

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

अनुबंध - IV(ii)

(राशि लाख रुपये में)

मार्च 2008 में समाप्त तिमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में महिलाओं को ऋण का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम			सत्र के तहत महिलाओं के लिए गए ऋण				सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दिया गया ऋण											
मध्यम और बड़े उद्योगों के तहत			अन्य		पीएमआरवाई										एसजेसआरवाई			
							कुल बकाया राशि		महिलाओं को		प्रतिशत		कुल बकाया राशि		महिलाओं को		प्रतिशत	
खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	
इलाहाबाद बैंक	165	2754.00	61644	38733.00	73488	48619.00	8275	6146.00	11.26	12.64	19889	56.84	6286	2138	31.60	37.61		
आंध्र बैंक	73	10729.00	98588	53924.00	36752	21349.75	8601	6673.45	23.00	31.00	14256	3401.70	3564	997.72	25.0	29.00		
बैंक ऑफ बलूच	0	0.00	93444	137962.25	77086	36044.17	11820	4756.48	15.33	13.20	24241	5698.93	5849	1080.14	24.13	18.95		
बैंक ऑफ इंडिया	158	119274.00	100691	306732.00	80831	40741.00	11006	5260.00	13.62	12.91	25734	6968.00	6772	2341.00	26.32	33.60		
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1	1.74	60362	49122.01	37110	16437.84	6645	2872.81	17.91	17.48	7870	1876.64	2864	763.62	36.39	40.69		
केनरा बैंक	1759	77800.00	148662	222500.00	82244	37355.00	38905	13185.00	47.00	35.00	14748	3793.00	6254	1538.00	43.00	41.00		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1379	14891.00	85816	97715.00	12529	117836.00	21272	12017.00	16.98	10.20	56006	13315.00	9032	3521.00	16.13	26.44		
कापीलन बैंक	90	1390.36	41132	50832.81	15560	7214.82	3991	1688.16	25.65	23.12	2812	613.07	1400	306.67	49.79	50.02		
देवा बैंक	13	875.65	25167	21779.35	24967	9257.00	4485	1554.00	17.96	16.79	9408	1529.00	2800	338.19	29.76	22.12		
इंडियन बैंक	99	720.92	125424	89288.70	14936	6844.79	5528	2099.41	37.01	30.67	4971	1228.46	2419	566.3	48.66	46.10		
इण्डियन ओरिएन्टल बैंक	84	9586.00	116933	86044.00	47349	20580.00	15625	6791.00	33.00	33.00	9323	2279.00	5221	1276.00	56.00	56.00		
ओरिएन्टल बैंक कामर्स	57	15169.87	27487	56603.16	39627	15723.41	6486	3074.66	16.37	19.55	9530	1895.83	2440	631.21	25.60	33.29		
पंजाब नेशनल बैंक	7	9351.00	134240	168779.00	151335	238050.00	23930	12127.00	16.00	5.00	34469	11740.00	8386	1983.00	24.00	17.00		
पंजाब एंड सिंध बैंक	6	573.00	13089	41136.00	17724	9151.00	3466	2305.00	19.56	25.19	2521	933.00	563	193.00	22.33	20.69		
सिंडिकेट बैंक	477	947.10	128271	119045.80	46975	25145.40	6820	3303.47	14.52	13.14	10643	3317.43	2750	886.65	25.84	26.73		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	497	11783.59	40495	50651.82	81941	44838.56	15421	8229.96	19.00	18.00	25333	6913.62	6681	1880.74	26.00	27.00		
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	617	4197.50	51311	49436.62	39958	23153.00	8808	5172.78	22.04	22.34	7857	2229.57	1974	501.88	25.12	22.51		
यूको बैंक	27	20932.82	32552	83888.38	64142	43845.79	13659	7349.49	21.29	16.76	16751	5785.65	5519	1706.19	32.95	29.49		
विश्व बैंक	0	0	34746	58871.48	21351	12756.10	6034	3602.96	28.26	28.24	6400	1572.64	1977	648.70	30.89	41.25		
भारतीय स्टेट बैंक	13336	143175.00	471397	460119.00	355548	196795.00	61974	31690.00	17.43	16.10	92183	45495.00	21311	10011.00	23.11	22.00		
एनबीबीजे	17	1670.33	39391	44944.47	30344	13629.67	2500	1124.12	8.24	8.25	21520	4639.70	5223	1048.20	24.27	22.59		
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2367	3932.00	78634	64017.00	38853	25045.00	13279	5493.00	34.18	21.93	6492	2432.00	1959	887.00	30.18	36.47		
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	7090	12968.04	22934	32153.59	23066	9652.41	6388	3904.28	28.00	40.00	8531	3452.64	3108	1190.53	36.00	34.00		
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	275	4473.00	44197	38992.00	27425	20157.00	5255	4471.00	19.15	22.18	7561	3165.00	1250	710.00	16.54	22.45		
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	67	198	27790	63202.00	14924	7842.73	7047	2011.00	47.22	25.64	1789	1249.16	528	350.00	29.51	28.01		
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	14245	12687.00	11654	13745.00	19648	2524.00	2771	289.00	14.10	11.45	8484	7287.00	1538	1305.00	18.12	17.90		
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	315	35815.00	70955	34332.00	24125	15275.00	9128	6057.00	38.00	40.00	6215	5052.00	2128	3818.00	34.00	76.00		
आईडीबीआई बैंक	2	71	6134	4097.00	6661	2614.00	1205	472.00	18.09	18.06	2430	505.00	804	198.00	33.09	39.21		
कुल	43223	515966.92	2193140	2538647.44	1619260	1068477.44	330324	163700.03	20.40	15.32	457967	148424.88	120600	42815.80	26.33	28.85		

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

अनुबंध – IV(iii)

मार्च 2008 में समाप्त तिमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में महिलाओं को ऋण का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

		सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दिया गया ऋण										(राशि लाख रुपये में)			
		एसजेएसवाई					अन्य					महिलाओं को दिए गए कुल ऋण का अनुसूचित जातियाँ			
		महिलाओं को		प्रतिशत		कुल बकाया राशि		महिलाओं का		प्रतिशत					
कुल बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	महिलाओं को कुल ऋण की तुलना में एनपीए का %
इलाहाबाद बैंक	95618	36889.00	42878	9364.00	44.84	25.38	136863	13825.00	36981	4965.00	27.02	35.91	19109	14386.00	8.19
अंधा बैंक	38666	10599.55	18168	4905.47	47.00	46.00	117938	33019.00	39340	7343.43	33.00	22.00	2909	8455.00	3.98
बैंक ऑफ बर्मा	53172	13798.83	14178	2626.44	26.66	19.03	642921	384456.12	74492	31979.16	11.59	8.32	24883	12955.93	3.38
बैंक ऑफ इंडिया	142935	33707.00	35357	13312.00	24.74	39.49	489832	356239.00	54051	39382.00	11.03	11.05	24937	21988.00	2.90
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24389	8286.81	10256	4082.51	42.05	49.27	197734	102214.51	35327	14945.37	17.87	14.62	20514	6577.27	4.48
केनरा बैंक	31426	15744.00	12503	6794.00	40.00	43.00	17204	4223.00	13621	2774.00	79.00	66.00	48588	25600.00	2.85
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	151258	54566.00	45341	18753.00	29.98	34.37	190633	65322.00	52073	18622.00	27.32	28.51	41566	18471.00	6.20
कार्पारेशन बैंक	2724	1014.13	1320	640.82	48.46	63.19	12664	9846.96	294	222.19	2.32	2.26	12780	6272.21	3.65
देना बैंक	20043	4304.00	8158	962.39	40.70	22.36	47252	17582.00	21674	12467.36	45.87	70.91	15606	5154.08	6.34
इंडियन बैंक	8519	2837.41	2522	805.61	29.60	28.39	29	8.17	11	3.09	37.93	37.76	56710	3702.61	1.25
इण्डियन ओवरसीज बैंक	68375	19785.00	66324	19191.00	97.00	97.00	64526	14958.00	38620	9503.00	60.00	55.00	41328	18436.00	7.71
ओरिएंटल बैंक कामर्स	11510	2521.88	3484	889.24	30.27	35.26	25687	10185.93	8918	2487.24	26.93	24.42	11352	7520.49	2.95
पंजाब नेशनल बैंक	195716	42650.00	42540	10392.00	22.00	24.00	587550	2601783.00	104160	74697.00	18.00	3.00	49211	16867.00	3.23
पंजाब एंड सिंध बैंक	7998	2285.00	2285	835.00	28.32	36.54	19129	24714.00	5294	2876.00	27.68	11.64	3920	1733.00	2.04
सिडिकेट बैंक	17928	6922.32	5350	2709.04	29.84	39.13	23325	6016.89	4240	942.20	18.18	15.66	18075	7699.59	2.04
यूनिफन बैंक ऑफ इंडिया	66636	19492.42	25168	7968.79	38.00	41.00	80154	26106.44	24813	7309.55	31.00	28.00	40264	14412.61	4.27
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	91074	16186.58	51755	7799.42	56.83	48.18	231113	31867.54	46477	9839.12	20.11	30.88	26237	7847.70	5.46
यूको बैंक	97448	27199.98	40642	10251.11	41.71	37.69	156480	76008.83	56248	21867.15	35.95	28.77	29226	10074.96	3.72
विजया बैंक	5395	2175.71	2316	1053.36	42.93	48.41	16587	7782.89	8457	1938.13	50.99	24.9	10918	7182.02	4.35
भारतीय स्टेट बैंक	312719	102486.00	67695	24554.00	21.65	23.96	734213	536139.00	150411	83544.00	20.49	15.50	131332	70838.00	4.44
एस्सीबीजे	40808	8781.60	11859	2507.57	29.06	28.55	11646	3416.97	2883	533.41	24.76	16.95	4172	2777.72	2.26

बैंक का नाम	सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दिया गया ऋण												महिलाओं को दिए गए कुल ऋण का अनुपयोग्य आस्तियाँ		
	एसजेएसवाई						अन्य								
	कुल बकाया राशि		महिलाओं को		प्रतिशत		कुल बकाया राशि		महिलाओं का		प्रतिशत				
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	महिलाओं को कुल ऋण की तुलना में एनपीए का %
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	32945	8566.00	9645	4232.00	29.28	49.40	12225	3885.00	1753	3212.00	14.34	82.68	8643	6195.00	3.02
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	15606	5265.29	3862	1966.99	25.00	37.00	22909	5745.33	14836	5518.57	65.00	96.00	2561	1150.38	1.20
स्टेट बैंक आफ मैसूर	6750	4755.00	3278	2057.00	48.56	43.26	155653	44356.00	32017	25234.00	20.57	56.89	13156	6475.00	7.17
स्टेट बैंक आफ पटियाला	2510	12918.18	688	618.00	27.41	4.78	6819	3282.07	2972	1976.00	43.58	60.20	3101	1832.78	1.79
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	15162	1821.00	2587	277.00	17.03	15.21	1340	2383.00	96	304.00	7.16	12.75	202	27.75	4.19
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	2540	1278.00	1755	815.00	69.00	64.00	28255	14495.00	11117	10854.00	39.00	75.00	13717	8428.00	4.00
आईडीबीआई बैंक	1638	653.00	592	219.00	36.14	33.54	1441	40.00	63	8.00	4.37	20.00	7909	3122.00	17.20
कुल	1561518	467489.49	532486	160581.76	34.10	34.35	4032122	439901.65	839239	395346.97	20.81	8.99	682926	316182.10	3.79

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

वित्त मंत्रालय के कार्य प्रचालन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा टिप्पणियों का सारांश

आर्थिक कार्य विभाग

सरकारी लेखों से बाहर रखी सेबी की निधियां

सेबी सरकारी लेखों से बाहर अपनी निधियों का हिसाब रख रही है जो संविधान के प्रावधानों और सरकारी आदेशों के अनुरूप नहीं है। मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सरकारी लेखों से बाहर रखी राशि 707 करोड़ रुपए बैठती है।

(2008 की रिपोर्ट संख्या सीए 1)

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने दो सदस्यों को प्राधिकरण में उनके कार्यकाल की समाप्ति के तत्काल बाद मानदंड का उल्लंघन करके और एक मामले में मर्यादा का उल्लंघन करके दो पूर्णकालिक सदस्यों की क्रमशः परामर्शक और सलाहकार के रूप में नियुक्ति की है। प्राधिकरण ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित 26000/-रुपए प्रतिमाह की सीमा की अवहेलना करके उन्हें 1.19 लाख रुपए और 0.45 लाख रुपए के उच्च मासिक पारिश्रमिक का भुगतान भी किया है जिसके कारण क्रमशः 16.89 लाख रुपए और 1.14 लाख रुपए का अनुचित लाभ दिया गया है।

(2008 की रिपोर्ट संख्या सीए 2)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

1. अल्युमीनियम एवं तांबा एवं उनकी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क

प्रारूप समीक्षा पैरा चरण पर, लेखा परीक्षा की सिफारिशों पर टिप्पणियां सी एंड ए जी के कार्यालय को भेजी गईं। तदनंतर, सी एंड ए जी को समीक्षा पैरा पर विस्तृत टिप्पणियां / की गई कार्रवाई संबंधी नोट भी भेजे गए हैं। नकद (पी एल ए) की बजाय सेनवैट के माध्यम से उत्पाद शुल्क के भुगतान के बारे में लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के संदर्भ में, मंत्रालय ने साग्रह कहा है कि सेनवैट एवं पी एल ए के अनुपात में पण दर पण भिन्नता है, क्योंकि यह विभिन्न कारकों पर निर्भर है जैसे मूल्य संवर्धन की मात्रा, प्रयुक्त सेनवैट योग्य निविष्टियों की संख्या, निविष्टियों पर उपलब्ध क्रेडिट की मात्रा, उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना स्वीकृत निर्यात का अनुपात, आदि। इसके अलावा, पिछले 3 वर्षों के राजस्व आंकड़ों के आधार पर, देखा जा सकता है कि अल्युमीनियम के लिए पी एल ए (नकद) एवं सेनवैट का अनुपात तकरीबन 35.65 है, जो गैर पेट्रोलियम/ लुब्रिकेंट पणों के लिए अखिल भारतीय आकड़ों से तुलनीय है। इस बात का उल्लेख किया गया कि सेवा कर पर क्रेडिट सितम्बर 2004 से विस्तारित की गई है तथा देश में निर्यात भी बढ़ा है जिससे उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए सेनवैट के प्रयोग में वृद्धि हुई है। जहां तक तांबा का संबंध है, बताया गया कि यह बहुत महंगा सामान है तथा हर स्तर पर (उदाहरणार्थ तांबे की छड़ से प्लेट, शीट, बायर, वस्तु) पर मूल्य संवर्धन बहुत कम है। चूंकि स्वयं मुख्य निविष्टि (तांबा) की सेनवैट क्रेडिट की बहुत उंची है, यह उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त की जा रही उच्च अनुपात की क्रेडिट का मार्ग प्रशस्त करती है। यह भी कहा गया

कि इन वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के बारे में आसूचना विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। इन यूनिटों पर नजर रखने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को संवेदनशील बनाया गया है। सेनवैट एवं पी एल ए के अनुपात को लेखा परीक्षा/ अन्वेषण के लिए यूनिट के चयन के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक के रूप में पहले ही समाविष्ट किया गया है। जहाँ तक आर एस पी आधारित मूल्यांकन के अन्तर्गत कतिपय उत्पादों को लाने से संबंधित टिप्पणी का संबंध है, मंत्रालय ने बताया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 4क के अन्तर्गत कर निर्धारण हेतु यह अपेक्षित है कि सबजेक्ट माल मापतौल अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत शामिल है। आर एस पी मूल्यांकन के अन्तर्गत लाए जाने के लिए लेखा परीक्षा द्वारा सुझाई गई वस्तु, अर्थात् अल्युमीनियम की पन्नी न तो कर निर्धारण के लिए विवादित है और न ही आर एस पी आधारित कर निर्धारण के लिए उपर्युक्त धारा 4क के अंतर्गत इसे अधिसूचित करने के लिए व्यापार जगत से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। यह भी बताया गया कि लेखा परीक्षा का यह प्रतिवाद मनगढ़ंत है तथा केवल अनुमान पर आधारित है कि इससे राजस्व क्षति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जहाँ तक घरेलू उद्योग के लिए मानक मानदंड नियत करने संबंधी सुझाव का संबंध है, बताया गया कि घरेलू उत्पादन के लिए एस आई ओ एन मानदंड विहित करना उत्पादन में शामिल भारी संख्या में प्रक्रियाओं, तकनीकी के गैर-मानकीकरण, उत्पादों की व्यापक श्रृंखला एवं तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए जमीनी सच्चाइयों के अनुरूप नहीं है। यह जोड़ा गया कि कानून के अंग के रूप में एस आई ओ एन मानदंड विहित करना उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इससे भारी मात्रा में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि डी जी लेखा परीक्षा ने यूनिटों की लेखा परीक्षा के दौरान मार्गदर्शक कारक के रूप में कर अपवंचन संभावित पणों के लिए एस आई ओ एन मानदंड परिचालित किया गया है। जहां तक अल्युमीनियम धातुमल पर उत्पाद शुल्क न लगाने/ न वसूले जाने का संबंध है, बताया गया कि मैसर्स इंडियन अल्युमीनियम कम्पनी लि. इ1995 (77) ई एल टी 268 (एस सी)ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि धातुमल एवं अल्युमीनियम की स्कीमिंग विपणन पण नहीं है, इसलिए यह उत्पाद शुल्क लगाने के योग्य नहीं है। पुनश्च, सी सी ई बनाम मैसर्स इंडियन अल्युमीनियम कम्पनी लि. इ2006 (203) ई एल टी 3 (एस सी)ट के मामले में। तथापि, शीर्ष न्यायालय के निर्णय से पार पाने के लिए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 को खंड 'श' के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके वित्त अधिनियम, 2008 के खंड 78 के जरिए संशोधित किया गया है:

स्पष्टीकरण:

इस खंड के प्रयोजनार्थ, में कोई ऐसी वस्तु, सामग्री या पदार्थ शामिल है जो किसी प्रतिफल के लिए खरीदे एवं बेचे जाने के योग्य है तथा ऐसे माल को विपणन समझा जाएगा। तदनुसार, अब अल्युमीनियम के धातुमल पर उत्पाद शुल्क संदेय है।

इस बात का उल्लेख करना संगत है कि मैसर्स हिंडालको (वापी), जहां लेखा परीक्षा के अनुसार राजस्व परित्याग 7.65 करोड़ रुपए है, के मामले

में आर एस पी आधारित कर निर्धारण का सहारा न लेने के कारण कम कर निर्धारण की आपत्ति को मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा के मामले में 10.62 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क की गैर वसूली/ गैर लेवी को भी मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि गैर वसूली शीर्ष न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के कारण थी जिसमें 'अल्युमीनियम को उत्पाद शुल्क न लगाने योग्य माल माना गया। मैसर्स हिंडालको (वापी) द्वारा 2.69 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क वाले माल के गलत वर्गीकरण से संबंधित आपत्ति को भी स्वीकार नहीं किया गया है। मैसर्स नाल्को, सलेम एवं मैसर्स स्टेरलाइट (वापी) द्वारा सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 (3)(ख) के अर्थ में 8%/10% राशि, जो कुल मिलाकर 3.61 करोड़ रुपए बनती है, के गैर भुगतान से संबंधित आपत्ति को भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसी तरह मैसर्स आलकोबेक्स मेटल्स, जोधपुर के मामले में निर्धारित मूल्य से अधिक का माल आयात करने पर सीमा शुल्क का भुगतान न करने के कारण 1.10 करोड़ रुपए से संबंधित लेखा परीक्षा की आपत्ति को भी स्वीकार नहीं किया गया है।

2. प्रतिदायों की समीक्षा

प्रारूप समीक्षा पैरा स्तर पर, लेखा परीक्षा की सिफारिश पर टिप्पणियां सी एंड ए जी के कार्यालय को भेजी गई। तदनंतर, सी एंड ए जी को विस्तृत टिप्पणियां/ की गई कार्रवाई संबंधी नोट भी भेजा गया है।

पूर्व लेखा परीक्षा से बचने के लिए दावों को विखण्डित करने के जोखिम का उपशमन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण के अभाव के बारे में लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को विभाग ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि प्रतिदाय / रिबेट के दावे या तो पूर्व लेखा परीक्षा या फिर पश्चात लेखा परीक्षा के अधीन होने चाहिए तथा यह सुझाव देना सही नहीं हो सकता कि पूर्व लेखा परीक्षा से बचने के लिए दावों को विखण्डित करने से अधिक प्रतिदाय मंजूर किए जाने की संभाव्यता बढ़ती है। दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि विभिन्न न्यायालय निर्णयों ने वस्तुतः यह माना है कि प्रतिदाय संस्वीकृत करने से पूर्व लेखा परीक्षा की प्रक्रिया प्रतिदाय संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के अर्ध-न्यायिक कार्यों में दखलंदाजी है। इस तरह के कुछ निर्णय हैं:

(त) मैसर्स बांबे केमिकल्स बनाम भारत संघ 2006 (201) ई एल टी 167 बी ओ एम)

(त्त) मैसर्स रीवा गैसेज बनाम ए सी सी ई सतना 2002 (140) ई एल टी 18 (एम पी)

न्यायालयों की टिप्पणियों के मद्दे नजर, बोर्ड ने पूर्व लेखा परीक्षा की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा की तथा बोर्ड ने परिपत्र सं. 857/15/2007-सी एक्स दिनांक 2.11.2007 के अन्तर्गत प्रतिदाय / रिबेट के दावों के सत्यापन की नई प्रणाली जारी किया है। निर्णय लिया गया है कि प्रतिदाय / रिबेट के सभी दावों की पूर्व लेखा परीक्षा आयुक्तालय के मुख्यालय में ए सी/डी सी (लेखा परीक्षा) द्वारा की जाएगी। आयुक्त द्वारा दावे की पूर्ण लेखा परीक्षा की वर्तमान प्रणाली खत्म कर दिया गया है। तथापि, प्रतिदाय या रिबेट के संबंध में मूल रूप में पारित आदेश केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ड की दृष्टि से आयुक्त द्वारा समीक्षा के अधीन होगा। नियंत्रण की विद्यमान प्रणाली को पर्याप्त एवं उदासीकृत आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप पाया गया।

जहां तक प्रतिदाय के मामलों में सांविधिक समय सीमा उपलब्ध कराने का प्रश्न है, मंत्रालय कह चुका है कि प्रतिदाय के मामलों के निस्तारण के

लिए कोई सांविधिक समय सीमा उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 बी बी के निबंधनों के अनुसार 3 माह की अवधि जिससे अधिक होने पर ब्याज देना पड़ता है, खुद की समय सीमा के रूप में कार्य करता है। जहां तक निगरानी व्यवस्था का प्रश्न है, यह कहा गया था कि बोर्ड मुख्य आयुक्तों एवं आयुक्तों से प्रतिदाय एवं छूट के दावों की और गहन निगरानी करने का अनुरोध करेगा। यह कहा गया था कि प्रतिदाय के विलंब से भुगतान के मामले में ब्याज के भुगतान की स्वचालित व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कानून में पहले से ही ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। फिर भी, कई बार कर निर्धारिती की ओर से वांछित प्रलेख प्रस्तुत करने में विलंब हो जाता है। ऐसे मामलों में, भले ही प्रतिदाय में तीन महीने से अधिक विलंब हो जाता है, ब्याज का भुगतान सामान्यतः नहीं किया जाता और निर्धारिती द्वारा इसका दावा नहीं किया जाता।

इस अनुरोध पर कि चुनिंदा प्रतिशत छूट के दावों को निर्यात के पत्तन से पुनः सत्यापन के लिए निर्धारित किया जा सकता है, यह कहा गया है कि पत्तन पर संभाले जाने वाले प्रलेखों की बड़ी संख्या को देखते हुए, नौप्रेषण बिलों के सच्चाई की जांच में अनावश्यक अधिक समय लगेगा। इसके अलावा, छूट देने से पहले बिल आफ लैंडिंग, मेट रसीद, निर्यात पत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारी का पृष्ठांकन, बैंक विदेशी मुद्रा वसूली प्रमाण पत्र इत्यादि जैसे अन्य प्रलेखों का भी नौप्रेषण बिलों के अलावा सत्यापन किया जाता है। अतः मौजूदा व्यवस्था में पर्याप्त नियंत्रण उपलब्ध है और नौप्रेषण बिलों का निर्यात पत्तन से नौप्रेषण बिलों की सच्चाई के सत्यापन की प्रक्रिया जोड़ने से छूट की संस्वीकृति में विलंब होगा और परेशान करने की शिकायतें आएगी। फिर भी, प्रस्तावित कम्प्यूटरीकरण, परियोजना नामशः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन (ए सी ई एस) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठन सभी प्रमुख निर्यात पत्तनों से जोड़े जाएंगे और निर्यात के साक्ष्यों का सत्यापन ऑन लाइन होगा। जहां तक शुल्क के भुगतान में विलम्ब और प्रतिदाय के भुगतान में विलंब पर प्रभावित ब्याज दर को बदलने के सुझाव का प्रश्न है, यह आग्रहपूर्वक कहा गया था कि आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सलाह दी है कि 'ई' निर्धारिती द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज की दर निर्धारित करते समय, यह उचित होगा कि ऋण पर वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा लिए जा रहे ब्याज दर को ध्यान में रखा जाए तथा आगे यह सलाह दी गयी है विलंबित प्रतिदाय पर सहकार द्वारा देय ब्याज की दर को बाजार की अल्पावधिक ब्याज दर से बेंचमार्क किया जाना चाहिए अर्थात् 364 दिन के ट्रेजरी बिलों पर औसत कट ऑफ उपज। उपरोक्तानुसार ब्याज दर निर्धारित करने का मूल तर्क यह है कि ये ब्याज दरें विलंब से भुगतान के मामले में अदाकर्ता को निधि की अवसर लागत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती हैं। इस तरीके से ब्याज की दरें निर्धारित करने से यह अवसर समाप्त हो जाएगा जो सरकारी/वाणिज्यिक क्षेत्र को बाजार दर और अभिशासित ब्याज दर के अंतर का लाभ लेने के लिए ट्रेजरी प्रचालनों का लाभ लेने के लिए उपलब्ध हो सकता है। वर्ष के दौरान 364 ट्रेजरी बिलों पर औसत कट ऑफ उपज ब्याज की वह अल्पावधिक ब्याज की दर प्रतिबिंबित करेगी जिस पर सरकार बाजार से निधियां ले सकती है, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए, कोई ऐसी एकल दर नहीं है जो ऐसी दर के लगभग हो, जिस पर वह बाजार से वेकिंग पूंजी उठा सके। प्राथमिक साहूकारी दर (पी एल आर) जो क्षेत्रों और संस्थानों में अलग-अलग होती है, उसे कर निर्धारितियों द्वारा करें और शुल्कों के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर निर्धारित करने का आधार बनाया जाता है। चूंकि सार्वभौमिक ऋण लेने की दरों और वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण देने की दरों

में व्यापक प्रसार है, यह प्रसार विलंबित प्रतिदायों पर निर्धारित ब्याज दरों के बीच अंतर के रूप में देखा जाता है। विलंबित भुगतान और विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज की दरों को क्रमशः सरकारी उधारी और वाणिज्यिक उधारी पर प्रचलित बाजार ब्याज दर के रूप में बेंचमार्क किया गया है। अतः दोनों के बीच का अंतर पर्याप्त दिखायी देने योग्य है। फिर भी बाजार के शब्दों में, यह अंतर केवल बाजार के जोखिम अवलोकन को प्रतिबिंबित करता है। अर्थ व्यवस्था में प्रगति के साथ इस खाई को संकरा होना चाहिए तथा वाणिज्यिक उधारी तथा सरकारी उधारी की दरें बराबर होनी चाहिए। अतः विलंबित भुगतान और विलंबित प्रतिदाय दोनों पर एक समान ब्याज दरें रखने का कोई औचित्य नहीं है लेखा-आपत्ति है कि प्रतिदाय/छूट के प्रमुख मामले लगभग 5.5 करोड़ रु. के विवादित रहे। कई छोटे मामलों में यह पाया गया कि संस्वीकृत प्रतिदाय/छूट सही थे या वहां कोई विलंब नहीं हुआ था और कोई ब्याज देय या दत्त नहीं था।

3. किराए पर कैब योजना के प्रचालकों की सेवा, फोटोग्राफी सेवा, स्वास्थ्य क्लब सेवा एवं फिटनेस सेवा सेंटर पर सेवा कर

मसौदा पुनरीक्षा स्तर पर लेखा परीक्षा की सिफारिशों पर टिप्पणियां नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भेज दी गई थीं। इनकी कार्रवाई विषयक टिप्पणियां विस्तार में तैयार की जा रही हैं तथा इन्हें शीघ्र ही भेज दिया जाएगा।

गैर पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को कर दायरे में लाने के लिए आंतरिक नियंत्रण की कमी के बारे में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में यह बताया गया था कि राजस्व निगरानी एवं निर्धारिती आधार की निगरानी सरकार के लिए प्राथमिकताओं वाली मदें हैं। बोर्ड, सेवा कर महानिदेशक का कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय राजस्व और निर्धारिती आधार की लगातार निगरानी करते हैं। राजस्व में कोई भी कमी जिनमें क्षेत्रीय गिरावट भी शामिल है उसका विश्लेषण और पंजीकृत कर आधार निगरानी के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों को विहित करने के संदर्भ में यह बताया जाता है कि बोर्ड समय-समय पर आयुक्तालयों के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों को विहित करता है। यह संकेतक हैं राजस्व संग्रहण, बकाया की वसूली, न्याय-निर्णयन, अनंतिम निर्धारण, वापसियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बकाया का निपटान और लेखा परीक्षा और अपवंचन रोधी आदि में निष्पादन तथापि, बोर्ड के लिए यह वांछनीय नहीं होगा कि आयुक्तालय द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करे। यह महसूस किया जाता है कि क्षेत्राधिकारयुक्त आयुक्त सर्वेक्षणों की संख्या और संसाधनों के संबंध में आवश्यकता को देखते हुए निर्णय लेने के लिए उचित स्थिति में होते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षणों और ऐसे सर्वेक्षणों के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त राजस्व के बीच सीधा सहसंबंध स्थापित करना कठिन है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण और ऐसे सर्वेक्षण के कारण उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व के बीच समय का अंतराल होता है। सर्वेक्षणों को करने के लिए प्रक्रिया को सरल करने के संबंध में यह बताया जाता है कि विभाग सर्वेक्षणों को और अधिक वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस संबंध में अन्य पक्ष स्रोत से सूचना का संग्रहण की भी पहचान कराधेय सेवा प्रदाताओं के पहचान के लिए महत्वपूर्ण साधन के लिए कर ली गई है। इसके अतिरिक्त सेवा कर के मामले में लेखा परीक्षा महत्वपूर्ण अनुपालन उपकरण बन गई है। इसलिए लेखा-परीक्षा प्राप्त जानकारी को लेखा परीक्षा निदेशालय और बोर्ड द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित किया जा रहा है जिससे कि उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में गैर अनुपालन की पहचान के लिए तथा प्रायोज्य शास्ति एवं ब्याज के सहित सेवा कर की वसूली के लिए समुचित

कार्रवाई के लिए सचेत किया जा सके। विभाग इन विषयों पर कर प्रशासन सुदृढीकरण की कार्रवाई के भाग के रूप में पहले से काम कर रहा है। कर विवरणी भरना बंद करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और पहचान के लिए आंतरिक नियंत्रण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संदर्भ में मंत्रालय ने बताया है कि विभाग सेवा कर में व्यापारिक प्रक्रियाओं के स्वचालन पर कार्य कर रहा है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के स्वचालन की परियोजना तैयारी के अग्रिम स्तर पर है और शीघ्र ही इसके पूर्ण होने की संभावना है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर स्वचालन की परियोजना का कार्यान्वयन विवरणी भरना बंद करने वालों की स्वचालित वातावरण में पहचान के लिए प्रभावी तंत्र और समुचित तंत्र प्रदान करेगा। विवरणियों की ई-फाईलिंग के कार्यान्वयन की दिशा में उपाय किए गए हैं। एक बार कार्यात्मक प्रक्रियाओं के पूर्णतः स्वचालित होने पर विवरणी भरना बंद करने वालों की पहचान करने के लिए समुचित एवं प्रभावी तंत्र तैयार होगा। विभाग विवरणी देना बंद करने वालों की पहचान के लिए नियमित आधार पर अभियान चलाता है। तथापि, पूर्ण स्वचालन के अनुपस्थिति में विवरणी देना बंद करने वालों की सामयिक रूप में पहचान करना एक कठिन कार्य है। दायर विवरणियों की उपयुक्तता की जांच के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र के संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विवरणियों की नियमित रूप से जांच की जाती है तथा समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। जहां तक विस्तृत संवीक्षा एवं चयन का संबंध है, जोखिम प्रबंधन प्रणाली को स्वचालन/क्षमता बढ़ाने की परियोजना के भाग के रूप में तैयार किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली कर विवरणियों के वैज्ञानिक आधार पर विस्तृत संवीक्षा के लिए चयन करने में समर्थ बनाएगा। विस्तृत संवीक्षा के लिए संहिता तैयार की जा रही है। निर्धारितियों को पैन आधारित एसटीसी संख्या के आबंटन के लिए योजना के धीमे क्रियान्वयन के संबंध में यह भी बताया जाता है कि बहुत से सेवा प्रदाताओं के पास पैन नंबर नहीं होते जब वे सेवा कर पंजीकरण के लिए उनके पास आते हैं। उसका कारण यह है कि या तो उन्होंने पैन संख्या के लिए आवेदन नहीं किया होता या उन्होंने आवेदन तो किया होता है परंतु सेवा कर प्राधिकारियों के पास उनके पंजीकरण के समय तक आयकर विभाग द्वारा उन्हें इसका आबंटन नहीं किया जाता/उन्हें प्राप्त नहीं होता। तथापि, ऐसे मामलों में जहां आवेदक के पास सेवा प्रदाता फर्म/कंपनी या व्यक्ति के नाम में पैन नंबर नहीं होता उन्हें कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी कोड एसटीसी संख्या प्रदान कर दी जाती है और उन्हें पैन संख्या तुरंत आवेदन करने और प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। पैन नंबर की प्राप्ति पर पैन आधारित सेवा कर पंजीकरण संख्या आबंटित की जाती है। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित विभिन्न मुद्दों पर अनुमानित राजस्व हानि से संबंधित तथ्यों की जांच क्षेत्रीय कार्यालयों और सेवा कर महानिदेशालय द्वारा की जा रही है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

इस भाग में 152 पैराग्राफ हैं जिसमें 1195.36 करोड़ रु. राशि अंतर्ग्रस्त है। 152 पैराग्राफों में से केवल 147 पैराग्राफ के.उ.शु. से संबंधित हैं। अन्य पैराग्राफ अन्य मंत्रालयों जैसे वस्त्र, वाणिज्य आदि से संबंधित हैं। लेखा परीक्षा आपत्तियां 109 पैराग्राफों में स्वीकृत की गई और इनमें 460.91 करोड़ रु. के राजस्व की राशि अंतर्ग्रस्त है। 38 पैराग्राफों में लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की गई जिनमें 99.29 करोड़ रु. की राशि अंतर्ग्रस्त है।

वर्ष 2002 से 2006-07 की अवधि के दौरान लिए गए सैनवेट क्रेडिट में वृद्धि के संदर्भ में यह बताया जाता है कि यह कई कारणों से हो सकता

है और इसका बड़ा कारण सैनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(1) के अंतर्गत दिनांक 10-7-2004 से सेवाकर क्रेडिट की अनुमति देना है। सेवाकर क्रेडिट की सैनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(5) के अनुसार परामर्शी इंजीनियरों, नक्शानवियों, सुरक्षा एजेंसियों, अंडर राइटर, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों, ऑनलाइन सूचना और डाटा बेस पहुंचों, तकनीकी निरीक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार सेवाओं आदि पर सेवाकर का भुगतान की अनुमति दी गई है जब तक कि इन्हें विशेष कर छूट उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग न किया जाए। इसके अतिरिक्त विनिर्माता उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना बाद के अंतर्गत माल का निर्यात कर सकता है। इससे सैनवेट क्रेडिट भी एकत्रित हो जाता है जिसे घरेलू उपभोग्य के लिए अनुमत्त किए गए माल हेतु माल शुल्क के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हाल ही में, न्याधिकरणों/अदालतों ने मोबाइल फोनों और विनिर्माण इकाईयों की अनुदान आश्रित कैटीन सेवाओं पर सेवाकर के क्रेडिट की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप नकद के बदले शुल्क के लिए सैनवेट भुगतान करने में प्रतिशत में वृद्धि हुई।

3. राज्यों को 936.14 करोड़ रुपये के कम राजस्व आबंटन संबंधी ब्यौरा फिर भी स्थानांतरण प्रविष्टि द्वारा सुधार किया जा सकता है और कोई राजस्व हानि नहीं है।

4. जहां तक कोकोनट ऑयल के गलत वर्गीकरण के कारण 45.88 लाख रुपये के कम शुल्क उद्ग्रहण का संबंध है। मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार नहीं की और टिप्पणी में यह बताया गया है कि उत्पाद वेजिटेबल की विशेषताओं के अनुसार है इसलिए के.उ.शु. टैरिफ के अध्याय 15 के अध्याय नोट-3 के अनुसार उत्पाद का वर्गीकरण के.उ.शु. टैरिफ के अध्याय-15 के अंतर्गत होना चाहिए जैसाकि लेखा परीक्षा का मानना है।

5. जहां तक गलत सैनवेट क्रेडिट लेने का संबंध है यह बताया जाता है कि 66 पैराग्राफों जिनमें 111.88 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है, में से 23 पैराग्राफों में जिनमें 16.37 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है, लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं है।

6. जहां सही छूट देने का संबंध है, लेखा परीक्षा ने 10 पैराग्राफों जिनमें 98.24 करोड़ की राशि अंतर्ग्रस्त है, में आपत्ति की है। फिर भी मंत्रालय ने लेखा परीक्षा के विचारों को 6 पैराग्राफों के मामले में नहीं माना जिनमें 69.23 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है।

7. उत्पाद शुल्क योग्य माल को गैर उद्ग्रहण कम मिलने अथवा पूंजीगत माल की स्क्रेप आदि के नाते निकासी करने पर जिनमें 20.39 करोड़ रुपये के शुल्क की राशि अंतर्ग्रस्त है लेखा परीक्षा द्वारा की गई आपत्ति के संदर्भ में यह बताया जाता है कि 19 पैराग्राफों में जिनमें 20.39 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है, मंत्रालय ने 4 पैराग्राफों की आपत्ति स्वीकार नहीं की जिनमें 11.71 करोड़ रुपये की राशि लिप्त है।

8. शुल्क्य माल के कम मूल्यांकन के संदर्भ में यह कहा जाता है 34 पैराग्राफों जिनमें 198.96 करोड़ रुपये के राजस्व राशि लिप्त है, विभाग ने केवल 34 पैराग्राफों की पैरवी की है जिनमें 1.26 करोड़ रुपये की राशि लिप्त है।

9. लेखा परीक्षा ने टिप्पणी की है कि 11 पैराग्राफों में 4.89 करोड़ रुपये की राशि अर्थदंड एवं ब्याज न लगाने के कारण अंतर्ग्रस्त है। मंत्रालय ने एक पैरा जिसमें 45.33 लाख रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त थी, पैरवी की है।

10. 4.12 करोड़ रुपये की गैर वसूली के बारे में लेखा परीक्षा की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि यह कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है।

सेवाकर

125 पैराग्राफ जिनमें 79.02 करोड़ रुपये की राशि लिप्त है, मंत्रालय ने 9 पैराग्राफों जिनमें 35.70 करोड़ रुपये की राशि लिप्त है, स्वीकार नहीं किया है और शेष 116 पैराग्राफों जिनमें 42.46 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त में आपत्ति को स्वीकार किया है। विभागीय अधिकारियों के पास लंबित न्यायनिर्णयन मामलों की स्थिति का पता क्षेत्रीय कार्यालयों से किया जा रहा है। यह बताया जाता है कि मांगों को निबटाने में देरी वकीलों/परामर्शदाताओं द्वारा बार-बार स्थगन लेने, लिखित रूप में देने में देरी, विभाग में उपयुक्त स्तर पर अधिकारियों की कमी कारणों से है। बहुत से सेवाकर निर्धारित नए हैं और उन्हें न्यायिक अर्धन्यायिक प्रक्रिया संबंधी जानकारी नहीं है और वे मार्गदर्शन की कमी और कानून और प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण विभागीय कारण बताओं नोटिसों का उत्तर देने में समय लेते हैं।

निर्यात संवर्धन कार्यक्रम

1. लक्ष्य जमा योजना

विदेश व्यापार नीति, 2009 के तहत स्टार निर्यात गृहों के लिए जमा नामक एक नई योजना शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत निर्यातक, वृद्धिमान निर्यात के आधार पर शुल्क मुक्त साख के रूप में पुरस्कार के पात्र होते हैं। 20S, 25S और 100S से अधिक वृद्धिमान विकास के लिए शुल्क मुक्त साख वृद्धिमान निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 5%, 10% और 15S होगी। पात्रता की दर 1.4.2005 से घटा कर 5% कर दी गयी है। शुल्क साख अपने उपयोग के लिए या निर्माताओं की सहायता करने के लिए है और वह हस्तांतरणीय नहीं है। शुल्क साख का उपयोग किसी निविष्टि, पुर्जों समेत पूंजीगत माल, कार्यालय उपस्कर, व्यावसायिक उपस्कर और कार्यालय फर्नीचर के आयात के लिए किया जा सकता है। 1.4.2006 से यह योजना समाप्त कर दी गयी है।

लेखा-आपत्तियां मुख्यतः शुल्क साख प्रमाणपत्रों के निर्गम और उनके उपयोग से संबंधित होती हैं। ये पात्रता से अधिक शुल्क साख की

विभागीय लेखा परीक्षा पैरा	के.उ.शु. आयुक्तालय	लेखा परीक्षा के अनुसार राशि	जांच उपरांत निर्धारित राशि
212/06-07	मुम्बई-1	682.74 करोड़	103.24
205/06-07	मुम्बई-2	14.83 करोड़	शून्य
286/06-07	दिल्ली (पीएसी)	238.57 करोड़	अभी परिमाण निर्धारित करना शेष है

संस्वीकृति, निर्यात में नकारात्मक वृद्धि के बावजूद शुल्क साख प्रमाणपत्र जारी किए जाने, योजना का दुरुपयोग जहां निर्यातक ने उच्चतर वृद्धिमान विकास अर्जित करने के लिए दूसरों का निर्यात कारोबार खरीद लिया है, जहां आयातित और निर्यातित माल में संबंध का अभाव है वहां शुल्क साख की संस्वीकृति, बंद फर्मों एवं आयातित माल की अनुचित बिक्री के आधार पर, जिसका विदेश व्यापार नीति में निषेध किया गया था, नए गठित फर्मों को शुल्क साख के निर्गम से संबंधित होते हैं। लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा से अतिरिक्त राजस्व का संकेत मिलता है जो 294.95 करोड़ रु. हो सकता है।

जैसा कि नीचे देखा जा सकता है, लक्ष्य धन योजना से संबंधित लेखा-आपत्तियां एफ टी पी के प्रावधानों से संबंधित है जो निम्नलिखित मुद्दों के बारे में है:-

- (क) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आर एल ए) ने वृद्धिमान विकास की गलत गणना के कारण अधिक शुल्क साख संस्वीकृत कर दिया है।
- (ख) निर्यात के नकारात्मक विकास के बावजूद निर्यातकों को शुल्क साख प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
- (ग) निर्यात कारोबार की संभावित खरीद से योजना का दुरुपयोग देखा गया है।
- (घ) अपात्र तृतीय पक्षकार निर्यात पर अनियमित शुल्क साख।
- (ङ) गैर-हैसियत-धारकों को शुल्क साख प्रमाण जारी किए गए।
- (च) ऐसे उत्पादों के निर्माताओं को शुल्क साख प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिन्हें निविष्टि के रूप में शायद ही किसी आयातित कच्चे माल की जरूरत होती है।

राजस्व विभाग की टिप्पणी:

- (1) जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, आपत्तियां एफ टी पी में निर्धारित अपेक्षाओं का पालन न करने से संबंधित हैं। अतः ये मुद्दे राजस्व विभाग से संबंधित नहीं हैं क्योंकि यह एफ टी पी के अंतर्गत जारी योजनाओं का केवल कार्यान्वयन करता है। अतः ये मुद्दे डी जी एफ टी से संबंधित हैं। तथापि इस संबंध में की गयी कार्रवाई के बारे में क्षेत्रीय संगठनों से निविष्टियां मांगी जा रही हैं।
- (2) अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षा के समय सनदी इंजीनियरों/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय संगठनों से संस्थापन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे। तथापि, इन्हें अब प्रस्तुत किया जा चुका है या ये प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में हैं और इसकी सूचना लेखा-परीक्षा को दे दी गयी है।
- (3) कुछ मामलों में, जैसाकि लेखा आपत्तियों में इंगित किया गया है, लाइसेंस संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय में पंजीकृत नहीं पाए गए।
- (4) तथापि, प्रश्नाधीन लेखा-आपत्तियां जहां कही स्वीकार्य हैं, वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

2. शुल्क मुक्त साख पात्रता प्रमाणपत्र योजना

हैसियत धारकों के लिए शुल्क मुक्त साख पात्रता (डी एफ सी ई) 31 मार्च, 2003 को घोषित की गयी थी। इस योजना में जो हैसियत धारक 25 करोड़ रु. के न्यूनतम निर्यात कारोबार की शर्त के अधीन निर्यात के

एफ ओ बी मूल्य में 25% से अधिक की वृद्धिमान वृद्धि रखते हैं, वे निर्यात में वृद्धिमान वृद्धि के 10% शुल्क साख के पात्र होते हैं। 1.9.2004 से प्रभावी नयी विदेशी व्यापार नीति के तहत लक्ष्य धन योजना से इस योजना को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

लेखा-परीक्षा आपत्तियां मुख्यतः निम्नलिखित तीन शुल्क मुक्त साख पात्रता योजनाओं पर आधारित है:-

- साख धारक
- सेवा प्रदाता
- विशेष कृषि उपज योजना (वी के यू वाई)

यह देखा गया है कि घोषित निर्यात निष्पादन/विदेशी मुद्रा अर्जन को अन्य अभिलेखों, यथा वार्षिक लेखे, विदेशी मुद्रा उन्मोचन प्रमाणपत्र, बैंक वसूली प्रमाणपत्र, आयकर विवरणियों इत्यादि से सह-संबद्ध करने की कोई प्रणाली नहीं है। शुल्क साख प्रमाण पत्रों/स्क्रिप का गलत निर्गम; प्रमाणपत्रों/स्क्रिप्स का अनुचित प्रयोग, यथा वृद्धि में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होना, ऐसे आयातकों/निर्यातकों को प्रमाणपत्र जारी करना जो हैसियत धारक नहीं थे; एक हैसियत धारक से दूसरे को आपूर्ति की दुरभिसंधि से पात्र निर्यात कारोबार/विदेशी मुद्रा अर्जन का गलत संकलन; मुक्त नौप्रेषण बिलों के समक्ष निर्यात की गणना; किसी नए फर्म की साख पात्रता के निर्धारण के लिए बंद फर्मों के निर्यात निष्पादनों पर विचार करना इत्यादि।

जैसा नीचे दर्शाया गया है लेखा परीक्षा आपत्तियां निम्नलिखित मामलों से संबंधित है:

- (क) वार्षिक खातों के साथ घोषित निर्यात निष्पादन/विदेशी विनिमय आय का सहसंबंध स्थापित करने की प्रक्रिया के अभाव के फलस्वरूप अतिरिक्त शुल्क साख की अनुमति दी गई।
- (ख) शुल्क साख प्रमाण पत्रों/स्क्रिप को गलत रूप से जारी किया जाना जहां
 - (1) निर्यात में क्रमिक वृद्धि प्राप्त नहीं की गई थी।
 - (2) निर्यातकों को प्रमाण पत्र गलत रूप से जारी किए गए जो प्रास्थिति धारक नहीं थे।
 - (3) पात्र निर्यात कारोबार के गलत निर्धारण के कारण अधिक शुल्क साख एक प्रास्थिति धारक द्वारा अन्य प्रास्थिति धारक को की गई आपूर्ति गलत रूप से संगणना करने के कारण अधिक शुल्क साख।
 - (4) मुफ्त शिपिंग बिलों के अंतर्गत निर्यात की गलत संगणना के कारण अधिक शुल्क साख
 - (5) बंद फर्मों के आयात-निर्यात कूट (आई ई सी) नई गठित कम्पनियों को जारी किए गए जिससे नई गठित कम्पनियां बंद फर्मों के निर्यात निष्पादन के आधार पर शुल्क लाभों को प्राप्त कर सके।
 - (6) अपात्र प्रेषणों पर जारी किए शुल्क साख प्रमाण पत्र
 - (7) शुल्क साख प्रमाण पत्रों को गलत रूप से ऐसे सेवा प्रदाता

को जारी किए गए जिनके पास पर्यटन विभाग के साथ अपेक्षित पंजीकरण नहीं था।

- (8) शुल्क साख निर्यातकों को प्रदान किया गया जिनके पास निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ अपेक्षित पंजीकरण नहीं था।
 - (9) आर एल ए ने एस टी पी इकाईयों को गलत रूप से शुल्क साख प्रदान किए।
 - (10) अधिक्य में आय जो दावाकृत वर्ष से संबंधित नहीं थी, पर गलत रूप से विचार करते हुए अतिरिक्त शुल्क साख जारी किया गया।
- (ग) वी के यू वाई के अंतर्गत शुल्क साख स्क्रिप्ट अर्हक निर्यातों के आधार पर जारी किए गए।
- (घ) अनुपालन मामले (प्रमाणपत्रों स्क्रिप्ट्स का/गलत प्रयोग
- (1) डी एफ सी ई प्रमाण पत्रों में डेबिट के माध्यम से गलत तरीके से संदत्त अतिरिक्त शुल्क
 - (2) अपर्याप्त साख वाले डी एफ सी ई प्रमाण पत्रों के जरिए गलत तरीके से संदत्त।
 - (3) अग्राह्य मदों के आयात पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्टों का अनुचित उपयोग किया गया।

राजस्व विभाग की टिप्पणियां

- (1) ये सभी आपत्तियां डी जी एफ टी नीति/परिपत्र/योजनाओं के कारण उत्पन्न हुई हैं। यह बताया गया है कि इन योजनाओं का केवल कार्यान्वयन सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा डी जी एफ टी योजना के आधार पर अधिसूचना के जरिए होता है। अतः राजस्व विभाग की भूमिका डी जी एफ टी द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन तक सीमित है। ऐसी योजनाओं में पाई गई कोई अनियमितता पर केवल डी जी एफ टी द्वारा ही कार्रवाई करनी पड़ती है। तथापि सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों से भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में रिक्तता को भरने के लिए निविष्टियां मांगी जाती हैं।
- (2) अधिकांश मामलों में, चार्टर्ड इंजीनियर केन्द्रीय उत्पाद क्षेत्रीय कार्यालयों से स्थापना प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं था। तथापि, वे अब प्रस्तुत कर दिए हैं/या प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम 2005 और सेज नियमावली, 2006 को वाणिज्य विभाग द्वारा लागू किया जाता है। विकास आयुक्तों द्वारा वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में इन विधायनों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में लागू किया जाता है। लेखा-परीक्षा टिप्पणियों का उत्तर सी एण्ड ए जी को वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है और सी एंड ए जी एवं संसद की लोक लेखा समिति (पी ए सी) इनकी की जांच कर रही है।



वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली